

सुभाषचन्द्रबोस

संख्या ३

यंग इण्डिया

(तृतीय भाग)

लेखक—महात्मा गांधी

अनुवादक—छविनाथ पाण्डेय वी० ए० एल० यल० यो०

प्रकाशक

बड़ाबाजार कुमार सभा

न० ४०२, अपर चित्तपूर रोड, कलकत्ता ।


मिलनेका पता—

हिन्दी पुस्तक भवन

१८१, हरिसन रोड, कलकत्ता ।

११

अधिक ज्येष्ठ १९८०



प्रथम बार ३०००, निछावर दो रुपया मात्र ।

मुद्रक —
 रामदयाल अग्रवाल
 २१११, टेंबर लेन,
 मद्रास ।

आर्य समाज के लिए

एक प्रथम

धर्म-ग्रन्थ (राजपूजा)

विषय सूची ।



आकाशकला निवेदन

असहयोग आन्दोलन

१—३६०

तलवारका सिद्धान्त

१

तलवार त्यागकी जीत

११

सबसे बड़ी बात

१७

अहिंसा

२१

नम्रताकी आवश्यकता

३१

शान्तिकी विजय

३३

डिप्टी कमिश्नरकी हत्या

४०

एखनऊके भाषण

४५

सिख लीग

५३

तालीमकी जरूरत

५६

हमारी यात्रा

६०

आसामका दर्शन

६६

कलकत्तेके कड़वे अनुभव

८४

उडोसा और आंध्र

९०

बिहार और आंध्र

९४

भीडका उपद्रव	१००
हुल्लडयाजी	१०६
मदरासमें हुल्लड	१०८
होशियार	१११
एक पादरीका भ्रम	११६
हमारे मार्गकी कठिनाइयाँ	१२१
यदि मैं पकडा जाऊँ	१२८
प्रजासत्ता और उच्च जित भीड	१३४
चन्द्र उदाहरण	१४५
सयुक्त प्रातके किसानोंको सदेश	१५१
जमींदार तथा रैट्यत	१५४-
सामाजिक बहिष्कार	१५५
एक बुराई	१६४
मालेगाँवकी बदचलनी	१६७
समारोह	१६९
हमारी अयोग्यतायें	१७१
जेल जीवन	१८०
आदर्श कैदी	१९०
शिमलेका दर्शन	१९४
खावलम्बनमें स्वराज्य	२०२
अलीमाइयोंकी क्षमाप्रार्थना	२०४
बड़े लाट बोले	२०७

फिर वही क्षमा प्रार्थना	२१३
फिर मिस्टर पाल	२२६
साधारण बात	२३२
फिर क्षमा प्रार्थना	२३४
सयुक्त विवरण	२३७
हमारी जिम्मेदारी	२४५
अमान्य	२४८
पञ्जाबमें दमन	२५०
कैदियोंके साथ व्यवहार	२५६
पञ्चात्तापका परिणाम	२६२
अब उपहास नहि	२६६
बड़े लाटकी वक्तूतार्ये	२७३
पागलपन	२७७
जाफरअली मुक्त कैसे हों	२८४
बिहारमें दमन	२८७
दमनकी भरमार	२९२
असहयोगियोंका कर्तव्य	२९५
स्वतन्त्रताका द्वार	२९७
तारोंकी गडबडी	२९९
बिहार सरकार	३०२
दमनका परिणाम	३०६
मध्यप्रांतमें दमन	३१२


प्रीडित सिंध	३१५
जुलम	३२२
गाली किसे कहते हैं	३२८
न्यायका नाटक	३३५
फिर गुरमुखी हमला	३३६
विविध प्रश्न	३४५
अफगान विभीषिका	३४६
हमारे पडोसी	३५२
सीमाके मित्र	३५६
अफगानका भय	३६०
तिलक खराज्य फण्ड	३६७
धन जन और गोला बाँद	३६६
समयकी आवश्यकता	३७३
निपेधात्मक अश	३७७
तिलक खराज्य फण्ड	३८२
जिम्मेदारीका आरम्भ	३८७
संविनय कानून संग	<u>३६१—७६७</u>
संविनय अवज्ञा	३६१
अलीभाइयोंपर मुकदमा	३६८
कहीं गफलत न हो	४०१
विश्वासघात	४०८
भारतके मुसलमानोंके प्रति	४१०

प्रकाशकका निवेदन

“सुलभ साहित्य सीरीज” की तीसरी सख्या भाज पाठकोंके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ‘यङ्ग इण्डिया’ के लेखोंके संग्रहके प्रथम तथा द्वितीय भागको, हिन्दी प्रेमियोंने जिस तरह अपना कर मेरा उत्साह बढ़ाया उससे मुझे साहस हुआ कि मैं इसका तीसरा भाग भी प्रकाशित करूँ। इस भागमें ‘यङ्ग इण्डिया’के तबतकके लेखोंका संग्रह है जयतक महात्माजीके द्वारा इसका सम्पादन होता रहा। इसी भागसे य गङ्गिण्डियाके लेखोंका संग्रह समाप्त होता है। परिशिष्ट में महात्माजीके ऊपर चलाये गये राजविद्रोहके अभियोगका विस्तृत विवरण भी दे दिया गया है। आशा है हिन्दी प्रेमी इसे पसन्द करेंगे। काम इतनी जल्दीमें हुआ है और बीच बीचमें कठिनाइयाँ भी अपना पैर थडाती गई हैं कि श्रुतियाँ अधिक हो सकती हैं, पर इनका होना इस अवस्थामें अनिवार्य था। भगले संस्करणमें इनके परिमार्जनका पूरा प्रबन्ध किया जायगा।

सुलभ साहित्य सीरीजका उद्देश्य तो किसीसे छिपा न होगा। पुस्तकका मूल्य ही उद्देश्यको घोषित करता है। जितना पुस्तकमें व्यय पडता है उतना ही मूल्य रखा जाता है। हाँ

यंग इण्डिया



जेलमें महात्मा

“हमें जेल जानेसे नहीं घबराना चाहिये। यदि हमें भारतको स्वतन्त्र करमा है
तो हमें जेल जानेसे घबराना नहीं चाहिये।”

तलवारका सिद्धान्त

(अगस्त ११, १९२०)

यह युग पशुचलका युग है। इस युगमें सहसा किसीको इस बातका विश्वास नहीं होता कि कोई भी पशुचलकी प्रधानताको किसी भी उपायसे जीत सकता है। इसलिये मेरे पास घरावर गुप्त पत्र आ रहे हैं जिनमें लिखा रहता है कि आप असहयोगकी प्रगतिमें बाधा न डालिये चाहे इससे हिंसा ही क्यों न उत्पन्न हो जाय। इसी तरहके और भी पत्र आये हैं जिनके लेखकोंने इस बातको स्वीकार कर लिया है कि मैं गुप्तरूपसे हिंसाकी योजना कर रहा हूँ और पूछते हैं कि वह शुभ घड़ी कब उपस्थित होगी जब हमलोगोंको खुली तौरसे हिंसामें प्रवृत्त होनेका अवसर उपस्थित होगा। वे लोग मुझे विश्वास दिलाते हुए लिखते हैं कि प्रगट या गुप्त हिंसाके सिवा अंग्रेज जाति और किसी उपायसे पराशत नहीं की जा सकती। एक तीसरे लोग भी हैं जो मुझे गालिया देते हैं कि मैं अपनी कूटनीति किसीपर प्रगट नहीं होने देता, क्योंकि उन्हें इस बातमें जरा भी सन्देह नहीं है कि मैं सर्वसाधारणके साथ हिंसा पूर्ण विश्वास रखता हूँ।

इस तरहसे स्पष्ट है कि तलवारके सिद्धान्तने अधिकांश जनताके ऊपर प्रचल प्रभाव जमा रखा है और दूसरी ओर असहयोगका विजय एकमात्र हिंसाके अभावपर ही निर्भर करती है। इस सम्बन्धमें मेरे मत पर ही अधिकांश जनताका मत निर्भर करता है इसलिये इस सम्बन्धमें अपना मत मैं स्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहता हूँ।

मेरा यह स्थिर मत है कि जहां कायरता और हिंसाका सवाल है वहां मैं हिंसाकी ही योजना करूंगा और इसीकी राय दूंगा। जिस समय मेरे जेष्ठ पुत्रने मुझसे पूछा कि जिस समय उत्तेजित जनताने आपको दक्षिण अफ्रिकामें बुरी तरह पीटा था उस समय यदि घटनास्थलपर मैं उपस्थित होता तो मेरा क्या कर्तव्य होता, मैं डरके मारे वहांसे भाग गया होता या बल प्रयोगसे भीड़के साथ लड़ाई करता और आपकी रक्षा करता, मैंने उससे कहा कि उस समय तुम्हारा यही कर्तव्य था कि तुम बलप्रयोगसे मेरी रक्षा करो। इसी भावनासे प्रेरित होकर मैंने युद्धमें भाग लिया था। जूल् विद्रोह तथा विगत यूरोपीय युद्धमें भी मेरे भाग लेनेका यही कारण था। और इसी सिद्धान्तके अनुसार मैं शस्त्र शिक्षाका परामर्श उन लोगोको देता हूँ जो हिंसामें विश्वास करते हैं। इसलिये दूसरी युक्ति न होती तो मैं भारतके लिये भी यही सलाह देता कि इस तरह कायरोंकी भांति पड़े पड़े अपने अपमान और अप्रतिष्ठाके दृश्य देखनेसे अच्छा तो शस्त्र ग्रहण करके मर मिटना ही अच्छा है।

पर मेरा विश्वास है कि हिंसासे अहिंसाकी मर्यादा चलवती है, दण्ड देनेसे क्षमादान कहीं वीरत्वका लक्षण है। क्षमादान सच्चे वीरताका प्रमाण है। यदि दण्ड देनेकी मुझमें क्षमता है और मैं दण्ड देना स्वीकार नहीं करता तो वही क्षमा सच्ची क्षमा है। यदि लाचारीके कारण क्षमता न होनेपर हमने क्षमादान किया तो उस क्षमादानका कोई महत्व नहीं। एक बिल्ली एक चूहेको पकड़कर काटकाटकर खा रही है और चूहा लाचार चुपचाप अपने प्राणोंको खो रहा है। यदि यह चूहा यह कहे कि हमने बिल्लीको क्षमादान दे दिया है तो उसका क्या महत्व होगा। इसलिये जो लोग जेनरल डायर तथा उसके क्रूर अत्याचारोंके कारण उसे दण्ड देनेकी योजना करना चाहते हैं और उसके लिये शोरगुल मचाते हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिये। यदि वे सकते तो उसे टुकड़े टुकड़े कर डालते। पर मैं भारतको एकदमसे लाचार नहीं समझता। मैं अपनेको एकदमसे गयागुजरा जीव नहीं समझता। केवल मैं अपनी तथा भारतकी शक्तिका प्रयोग दूसरे तरहके और उपयोगी काममें लाना चाहता हूँ।

पर मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई गलत न समझ ले। शक्तिकी उत्पत्ति शारीरिक बलसे ही नहीं होती। इसके लिये दृढ़ साहस होना चाहिये। जलू जाति शारीरिक बलमें किसी भी अंग्रेजसे घटकर नहीं है। पर वह साधारण अंग्रेजके शत्रुको भी देखकर डर जाती है क्योंकि वह उसके रिवाजसे डरती

है। इतनी भयानक मूर्ति धारण करनेपर भी वह मृत्युके भयसे सहम जाती है। भारतकी आबादी ३० करोड़ है। अंग्रेजोंकी सख्या एक लाख है। क्या इतने ही अंग्रेज समस्त भारतवासियोंमें आतंक उपस्थित कर सकते हैं? इसलिये यदि हमने क्षमादानका वास्तविक रूप उपस्थित कर दिया तो हमारा बल और भी व्यक्त हो जाता है। क्षमादानको व्यक्त करनेसे हमलोगोंमें साहसका प्रबल जोर आ जायगा। उस साहसके सामने कोई भी डाँधर या जानसन भारतके उन्नत ललाटपर कोई बोझा नहीं डाल सकेगा। इसका मुझे विशेष ख्याल नहीं है कि इस समयमें भारतवासियोंके हृदयोंमें अपने विचारोंका समावेश नहीं कर सकता। हमलोग इस समय इतने गिर गये हैं, अपनेको इतने पददलित समझते हैं कि हममें क्रोध प्रगट करने या बदला लेनेकी भी शक्ति नहीं रह गई। पर मैं यह बात दृढतासे कह सकता हूँ कि दण्ड देनेके इस अधिकारके परित्यागसे ही भारतवर्ष अधिक लाभ उठा सकता है। हमारे सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। हमें सत्कारको इससे भी उत्तम सन्देश देना है।

मैं स्वप्नदर्शी या आदर्शवादी नहीं हूँ। मैं पक्का व्यवहारी हूँ। अहिंसा धर्म केवल ऋषि मुनि और तपस्वियोंके लिये नहीं है। जन साधारणके लिये भी वह उतना ही उपयोगी और स्वीकार करने योग्य है। - जिस तरह पशुओंका धर्म हिंसा है उसी तरह हमारा धर्म अहिंसा है। पशुमें वही

प्रधान रहती है और वह हिंसाके अतिरिक्त और कोई नियम या कानून नहीं जानता। पर मनुष्य धर्मको उससे उन्नत नियमको अंगीकार करना चाहिये अर्थात् आत्मबलको उसे स्वीकार करना चाहिये।

इसीलिये मैंने भारतके समक्ष आत्मत्यागके प्राचीन नियमको रखनेका साहस किया है, क्योंकि उसी तपस्या या आत्मत्यागका दूसरा नाम सत्याग्रह, असहयोग या निष्क्रिय प्रतिरोध है। जिन ऋषियोंने हिंसाके बीचमें से अहिंसाका मन्त्र निकाला उनमें न्यूटनसे कहीं अधिक क्षमता थी। उनकी वीरता और साहसिक शक्ति बेलिगटनसे कम नहीं थी। शस्त्र शक्तिके प्रयोगको भलीभांति समझकर उन्होंने उसकी निंसारता देख ली और इसीलिये उन्होंने उस खिन्न और श्रान्त ससारको सिखलाया कि मोक्ष या उद्धार अहिंसाके द्वारा जिस तरह हो सकता है, हिंसाके द्वारा उस तरह नहीं हो सकता।

अहिंसाका अग्निप्राय है तपस्या या आत्मोत्पीडन। इससे यह भाव नहीं निकलता कि हमने दुराचारीके दुराचारके सामने भय और दुर्बलताके कारण सिर झुका दिया है, बल्कि इससे यह ज्ञात होता है कि हमने अहिंसाके द्वारा ही उसके पशुबलका सामना करनेका निश्चय किया है। इसके अनुसार काम करनेसे एक व्यक्ति भी अत्याचारीके अत्याचारका सामना करके अपनी मर्यादाकी रक्षा कर सकता है अपना धर्म

बचा सकता है, अपनी आत्माकी रक्षा कर सकता है और उस साम्राज्यके उत्थान या पतनकी योजना कर सकता है ।

इसलिये मैं भारतको अहिंसाका मन्त्र दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह दुर्बल है । उसे अपनी शक्तिका अनुमान करके अहिंसाके पथपर चलना चाहिये । उसे अपनी शक्तिका पता लगानेके लिये शत्रु शिक्षाकी कोई आवश्यकता नहीं है । हम बल शक्तिकी आवश्यकता इसलिये समझते हैं कि हम अपनेको हाडमांसका एक पुतला समझते हैं । मैं चाहता हूँ कि भारतवासी इस बातको समझ लें कि उनमें एक आत्मा है जो अमर है, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो शारीरिक दुर्बलताके ऊपर उठ सकती है और संसारकी सभी बल शक्तिका सामना कर सकती है । भगवान रामचन्द्रने अपने वानरोंके एक दलको लेकर अगाध समुद्रसे घिरी लङ्कापर चढ़ाई करके दश शिरवाले रावणके साथ युद्ध ठाना । इसका क्या अभिप्राय है । क्या यही पशुबलके ऊपर आत्मबलके विजयका ज्वलन्त उदाहरण नहीं है । मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मैं व्यवहारिक आदमी हूँ । इसलिये मैं उस समयको प्रतीक्षा नहीं कर सकता जब भारत इस आत्मबलकी उपयोगिताको समझ सकेगा । भारत जानता है कि मशगनों और सुरङ्गोंके सामने उसकी शक्ति बेकार है, वह उनसे डरकर कायर बन गया है । इसी दुर्बलताके कारण वह असहयोगको स्वीकार कर रहा है । यदि इस विभ्रान्तसे अधिक लोगोंने इसे अपनाया

तो अभीष्टकी सिद्धि अवश्य होगी अर्थात् त्रिटिश अन्याय परायणताका नाश अवश्य हो जायगा।

सिनफिन तथा असहयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि एकका ध्येय हिंसा है और दूसरेका अहिंसा। पर मैं हिंसाके पक्षपातियोंसे भी इस बातकी प्रार्थना करूंगा कि कमसे कम एक बार तो इसे आजमाकर देख लें कि इससे क्या फल होता है। इसकी यदि असफलता हुई तो इसका कारण यह नहीं होगा कि इसमें किसी तरहकी आन्तरिक दुर्बलता है बल्कि इसका कारण यह होगा कि इसमें लोगोंने विश्वास नहीं किया और इसे अपनाया नहीं। वही समय सबे भय और आतंकका है। उच्च आत्मार्य, जो राष्ट्रीय अपमानको नहीं सह सकती, अपने क्रोधको प्रगट करंगी और हिंसाका सहारा लेंगी। पर इसका परिणाम जहातक में समझता हूँ यह होगा कि वे अपना, अपनी जाति तथा अपने देशका उद्धार किये बिना ही नष्ट हो जायगी। यदि आज भारत तलवारका सहारा लेता है तो सम्भव है कि क्षणिक विजय उसे प्राप्त हो जाय। पर यह भारत मेरे अभिमानका कारण नहीं रह जायगा। मैं भारतमें तनमनसे लगा हूँ क्योंकि मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा सर्वस्व उसी भारतका है। मेरी दृढ़ धारणा है कि वह विश्वको नया सन्देश देगा। वह अन्योंकी तरह यूरोपका अनुकरण नहीं करेगा। जिस समय भारत तलवारके सिद्धान्तको स्वीकार कर लेगा उसी समय मेरी परी-

क्षाका समय भी उपस्थित हो जायगा। मुझे पूरी आशा है कि उस समय मैं किसी भी तरह अपनेको अयोग्य नहीं साबित करूँगा। मेरा धर्म किसी सीमाके अन्तर्गत नहीं है। यदि मेरे आदर्शमें मेरा अटल विश्वास है तो वह भारतके प्रति हमारा जो प्रेम है उसे वह अवश्य लाव जायगा। मैं जानता हूँ कि हिन्दू धर्मकी जड़ अहिंसा है और अहिंसाके द्वारा ही मैंने भारतकी सेवा करना निश्चय किया है।

इसलिये मेरी उन लोगोंसे प्रार्थना है, जो मुझपर विश्वास नहीं करते, कि आप कृपापूर्वक इस विश्वासपर कि मैं अन्तमें हिंसाकी योजना अवश्य करूँगा, इस आन्दोलनमें हिंसाका समावेश करके इसे कलुषित न कीजिये और इस सग्राममें विघ्न न उपस्थित कीजिये। मैं रहस्यकी नीतिको पाप समझता हूँ। मैं उन लोगोंसे प्रार्थना करूँगा कि वे अहिंसात्मक असहयोगको आरम्भ कर दें। उन्हें आपसे आप ही विदित हो जायगा कि मेरे हृदयमें कोई अन्य भाव गुप्त या छिपे नहीं है।



तलवार त्यागकी जीत



तलवार त्याग कहो, दयाधर्म कहो, शान्ति कहो, अमन चाहे अहिंसा कहो—इन सबका एक ही अर्थ है। इस गुणकी जीत हुई है ऐसा सरकारके अन्तिम निश्चयसे सिद्ध हुआ है। सरकारने अब (असहयोगको दानेको ?) शीघ्रताके साथ अली भाइयोंको और मुझे कैदमें भेजना स्थिर करके इस शान्तिमय असहयोगको बुद्धि-बलसे—नरम दलकी सहायतासे—जीत लेनेका निश्चय किया है। इस निश्चयके वास्ते राजा-प्रजा दोनों एक दूसरेको धन्यवाद दे सकते हैं। मैं इस निश्चयको शान्तिमय युद्धकी अर्थात् अहिंसाकी जीत सकम्भता हूँ। यदि हमने गुप्त अथवा प्रगट हत्यासे अथवा मकानोंको जलाकर या पटरियोंको उखाड़कर विरोध करनेका विचार किया होता, तो हम प्रजामतको कदापि न सुधार या सिखा सकते हममें साहस-पूर्वक सत्त्व बोलनेकी शक्ति न आई होती अथवा यों कहिये कि हम स्वराज्य लेनेके लिये तैयार वा योग्य न बने होते। आज हम जितनी स्वतन्त्रतासे अपने विचारोंको प्रगट करते हैं, एक वर्ष पहले ही उतनी स्वतन्त्रतासे उन्हें नहीं कर सकते थे। हमने सरकारको अभय दान देकर स्वयं अपनेमें हिम्मत पैदा कर ली है। यदि हमारे मनमें मलि-

नता—दुष्टभाव—नहीं है तो हमारा कोई क्या करेगा, ऐसा विश्वास हम लोगोंके मनमें खय उत्पन्न हो गया है। यदि हम किसीको मारनेकी इच्छा नहीं रखते तो हमें कोई फौं मारेगा, ऐसी धारणा भी इसके साथ साथ हम लोगोंमें होने लगी है।

यह समय अच्छा आया है। हम हृदय-बलसे, बुद्धि-बलसे लोकमत फेरकर स्वराज्य लिया चाहते हैं, इसलिये सरकारकी जवाबदेही भी बुद्धि-बलका प्रयोग करने लगी है। मनुष्यको देखतेही—उसका सामना होते ही दहलकर हम उसपर दमन-नीतिका प्रयोग करने लग गये हैं। इससे दोनों पक्ष कमजोर होते हैं। यदि मलिनताकी अपेक्षा हम स्वच्छताका प्रयोग करने लग जायं तो अन्तमें उससे जितनी मलिनता घटेगी उतना ही प्रजावर्ग सुखी होगा। इस प्रकार शांतिका—अमन-अहिंसाका सदा घोल-वाला ही है। सरकारका निश्चय उक्त जीतका एक ज्वलन्त उदाहरण है।

अभी तो हमलोगोंमें पूरी शांति नहीं आई है, हमारी जवान साफ नहीं हुई है—हृदय पवित्र नहीं हुए। हममें रोष है, गुस्सा है, इस लिये हम लोगोंपर शान्तिकी पूरी छाया पडने नहीं पाती। जब हमारे शुद्ध-आन्दोलनमेंसे कटुता मात्रका नाश हो जायगा, जब नौकर लोग बिलकुल साफ शुद्ध हो जायगे बस, उसी दिन स्वराज्य है। सर्व-साधारण हमारा अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठके अनुगामी ही दूसरे लोग हुआ करते हैं।

सरकारके निश्चयमें द्वेष वर्तमान है, क्योंकि हम लोगोंने भी अपने मनमें उसे रख छोडा है। आप लोगोंमें मुझ सरीखे शांति धर्मके अनुयायी कितने हैं? मेरे भाई शौकतअली भी सर्वदा शांतिको धर्म नहीं मानते, किन्तु अन्तमें उन्हें भी उपस्थित समयानुसार उसे आपद्धर्म स्वरूप मानना ही पडता है। अधवा यों कहिये कि वे, शांतिको पालिसी—कौशल स्वरूप—स्वीकार करते हैं। यदि हम लोग शांतिको ही सर्वोत्तम स्थान दे दे—उसके चरम साधनको शोधकर स्वीकार कर ले तो आज ही हमको स्वराज्य मिला हुआ है—इसमें सन्देह नहीं। हम ऐसा शोध ही करेंगे, इसी आधार पर मैं कहता हूँ कि स्वराज्य एक वर्षमें होगा। शांति बिना स्वराज्य विडम्बना मात्र—निरर्थक—है। धर्मकी स्थापना ही अधर्मका नाश है। वर्तमान राज्य अधर्मों है इस प्रतिज्ञाके साथ ही हमें धर्मात्मा बनना पडा है। अधर्मों भी भला किसी अधर्मों पर अधर्म—अन्याय—का दोष आरोपित कर सकता है? नकटा भला नकटेपर क्या हसेगा। अधर्मका नाश धर्मसे ही होता है। यदि दमनको सहन करनेवाले हों तो जुलम-ज्यादतियोंके भूगढे होनेही न पावें।

हम लोग अभी विलकुल सच्चे नहीं बने, इसलिये सरकारका निश्चय भी असत्य तथा धर्मसे भरा हुआ है। सरकार कहती है कि हम शांतिमय युद्ध कर रहे हैं; इसलिये उसने समाचार-पत्रों परका अडुश हटा लिया है। ये वाक्य विलकुल सच्चे नहीं हैं। कितने ही समाचार-पत्र अब भी जमानत देते या बन्द होते

हैं। जिन्हें कैद किया है उन्हें कैद करनेका कारण यह यताया जाता है कि वे शांतिके विरुद्ध उपदेश देते थे। यह बात भी ठीक नहीं है। जिन्हे कैदमें ठूँसा है, उनकी भाषा भले ही मधुर या अच्छी न हो, पर उनमेंसे किसीने भी अशांतिकी शिक्षा कदापि नहीं दी। यदि दी भी हो तो सरकार उसे सिद्ध नहीं कर सकी। पाप सिद्ध किये बिना पापीको भी दण्ड न देना चाहिए—ऐसा नियम है। सरकारने असहयोगकी निन्दा करनेमें दम्भका बहुत कुछ उपयोग किया है। सरकार कहती है कि असहयोगसे अन्ध विश्वास बढ़ जायगा। किन्तु सरकार यह जानती है कि असहयोगके साथ ही व्यवस्था आरम्भ हुई है। सरकारी शिक्षाका त्याग अर्थात् शिक्षणकी व्यवस्था नहीं, बल्कि गुलामीकी तालीमको मिटाकर स्वतन्त्रताकी शिक्षाका स्थापना, सरकारी कचहरियोंका त्याग, अर्थात् ऋगडे फसादोंकी वृद्धि नहीं किन्तु पञ्चों द्वारा उनका निपटारा, व्यवस्थाक सभाओंका त्याग अर्थात् नियमों या संयमोंका त्याग नहीं किन्तु अत्याचारपूर्ण नियमोंको नष्ट कर उनके स्थानपर सर्वमान्य और पूर्ण नियमोंका स्वच्छन्द पालन, विदेशी कपड़ोंका त्याग अर्थात् नशा-वस्था नहीं, किन्तु प्रजाके निज हस्त-कौशलसे उत्पन्न किये हुए पवित्र कपड़ोंका शरीर-रक्षाके लिये पवित्र उपयोग, सरकारी फौजोंमें भर्तोंका त्याग अर्थात् प्रजामें अपनी रक्षा करनेकी शक्ति ईस प्रकार असहयोगका अर्थ सरकारके पक्षमें प्रजाका आन्तरिक सहयोग ही है।

जिस प्रकार सरकारके दम्भका पार नह है उसो प्रकार उसकी उद्धताकी भी सोमा नहीं है । जो मनुष्य व्यर्थ डर दिखाता है, वह उद्धत है अशक्तताका जो दावा करे वह भी उद्धत है । सरकारका दावा है कि हिन्दुस्तानको धावोंके भयसे वही बचाती है और वह कहती है कि यदि असहयोगकी जीत होगी अर्थात् सरकार विदा माग लेगी तो भारतकी स्थिति दुधमुहें शक्तिहीन बालकके समान सर्वथा अरक्षित हो जायगी और फिर हिन्दुस्थान पर जो चाहे सो हमला कर सकेगा । बात यह है कि जबतक हम दोनोंमें सहयोग रहेगा, जबतक हम हिन्दु, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी सब एक सी प्रजा हैं, ऐसा मानकर निर्भयतासे स्वावलम्बी बने रहेंगे, जबतक प्रजा अपनी अन्न-बछादिकी जरूरतोंको हिन्दुस्थानमें ही पूरा करेगी, तबतक उस (भारत) पर कटाक्ष करनेवाला भला कौन है ? आप उठाकर कौन देख सकता है ?

अहिंसा—शांतिका अर्थ नामदों नहीं है । उसका शुद्ध अर्थ पुरुषत्व—मर्दानगी—ही है । भारतपर जब ऐसा धावा होगा तब वह या तो परम शान्तिसे शत्रुको पराजित करेगा, अथवा उससे उक्त प्रकारका उद्धतपन सहन न हुआ तो उसकी क्षत्रिय जातिया—सिक्ख, मुसलमान, इत्यादि धावा करनेवालेको दण्ड देंगी । अहिंसा, अमनका अर्थ पराधीनता—दुर्बलता—नहीं है । जहा शूरता है, वहाँपर क्षमा धर्मका यथोचित पालन हो सकता है । जब सरकारको अन्तिम विदा देने—आखिरी

सलाम करने—का समय आवेगा, तब भारत आज-कलके सदृश निस्तेज नहीं होगा, वरन् उसका तेज चारों ओर प्रकाशित रहेगा। यदि कोई यह पूछे कि उक्त दिवस (स्वराज्य प्राप्ति-का निर्धारित समय) क्या एक वर्ष में आवेगा? हा, ऐसी शङ्का करनेवालेको इतना ही जवाब दिया जा सकता है कि जयतक ऐसा दिन नहीं आवेगा, तब तक हिन्दुस्थान स्वराज्य भोगने योग्य कदापि नहीं बन सकता। और जब वैसा शुभ दिन आनेको होगा तब वह केवल शान्तिमय असहयोग द्वारा ही आवेगा। उस दिनको तो मैं समीप ही पहुँचा हुआ देखता हूँ।

॥ नरमदलवाले बड़े बड़े लोग सरकारके सब्ज बागसे मोह कर उसके विछाये हुए जालमें न फस जाय, दीनता-पूर्वक उनके प्रति मेरी यही विनती है।

शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी आक्षेपोंमें मैं अभी नहीं पडता। यदि मा बापकी सहायता न होती तो यह कार्य जहातक चला है, कदापि उतना अग्रसर न हो सकता। जहा मा-बाप श्रद्धा रहित हैं, जहा पुत्रों-बालकोंमें आत्मबल वर्तमान है, वही पर उन्हें विनय पूर्वक पिताको आज्ञा उल्लङ्घन करनेकी मेरी सम्मति है। इस सम्मतिमें—सलाहमें—न तो अनीति है और न अविचार अथवा अविवेक ही है। युवकोंको स्वयं स्वतन्त्र विचार करनेका अधिकार सब शास्त्रोंने दिया है।

॥ सरकारके निश्चयमेंसे सीपने—ध्यान देने—योग्य बात यह है कि उसके शस्त्रबल और हथियारका त्याग करके हमने

जिस प्रकार विजय करनेका प्रण किया है, उसी प्रकार उसके दम्भ, छल, कपट, इत्यादि जालको भी हम निर्भय होकर सत्यता रूपी सुवर्ण शस्त्रसे छिन्न भिन्न कर डालें, भुलावेमें आकर उसमें फँस न जायें ।

सबसे बड़ी बात

(फरवरी ६, १९२१)

असहयोगियोंको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि राष्ट्रको प्रगतिको, उसके आगे बढ़नेको अकाक्षाको कोई भी वस्तु उतनी नहीं रोक सकती, जितना कि हिंसाका भाव । आयरलैंड इस तरह हिंसासे अपनी स्वतन्त्रता भले ही प्राप्त कर ले, तुर्किस्तान इस तरह शस्त्रके बलसे शीघ्र या देरमें अपनी स्वतन्त्रता भले ही स्थापित कर ले पर भारत शताब्दियोंके प्रयाससे भी हिंसाके द्वारा स्वतन्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रजाका सङ्गठन उस तरह नहीं हुआ है जिस तरह अन्य देशोंकी प्रजाका । वे आन्त यातनाके ही बीचमें फले फूले तथा बडे हैं । गलत समझिये या सही इस्लाम भी भारतमें उसी शान्तमय वायुमें फलाफूला तथा बढा है । मैं यह भी दृढतापूर्वक कह सकता हू कि यदि इस्लाम धर्मके संरक्षक

उसकी मर्यादाकी रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें शान्तमय उपायोंका ही अवलम्बन करना होगा। इस्लाम धर्मका जितना अधिक मैं अध्ययन करता हूँ, मेरा विश्वास उतना ही अधिक बढ़ता जाता है कि इस्लाम धर्मकी महत्ताका कारण तलवारका बल नहीं है बल्कि पूर्व समयके खलीफाओंकी यानना सहनेकी योग्यता, उनका त्याग तथा उनकी नम्रता। जिस दिनसे उसके अनुयायी बुराईको ही भलाई समझकर हाथमें तलवार लेकर मैदानमें उतर पड़े और ईश्वरीय नियमको भङ्ग करके लोगोंको तलवारके बलसे अपनेमें मिलाने लगे उसी दिन उसके सस्थापकोंकी अच्छाई, नम्रता तथा पवित्रताको कुचल डाला। इस समय मैं कलम लेकर इसलिये नहीं बैठा हूँ कि आप लोगोंको यह बतलाऊँ कि अन्य धर्मोंकी भाँति इस्लाम धर्मकी श्रेष्ठता हिस्सामें नहीं बल्कि अहिंसा और आलोलीडनमें है, प्राण लेनेमें नहीं बल्कि प्राण देनेमें है।

मैं यह बात दिखला और समझा देना चाहता हूँ कि यदि असहयोगी एक वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने व्रतको पूर्णतया मनसा, बाचा और कर्मणा निबन्धना चाहिये। वे असहयोगको भले ही भूल जाय पर वे अहिंसाको नहीं भूल सकते। असहयोगके माने ही अहिंसा है। हम लोग हिंसात्मक तभी रहते हैं जब हम हिंसात्मक सरकारकी बातें मानते हैं, क्योंकि सच्चाईके भावको हट कर वह बल प्रयोगको चरितार्थ करती है। उसका बल

एकमात्र तलवारमें रहता है। हम लोग इससे घबरा गये हैं और इससे विद्रोह करनेपर उतारू हुए हैं। इसलिये हमें उचित है कि हिसाका भाव प्रगट करने हम अपने उद्देश्यको अन्धकारमें न डाल दें। अंग्रेजोंकी सख्या परिमित है सही पर वे हिसाके लिये तैयार हैं। हम लोगोंकी सख्या अपरिमित है, तोभी हम भविष्यमें बहुत दिनोंतक हिसाकी प्रवृत्ति नहीं दिखला सकते। यदि हम लोगोंको हिसामें रुचि दिखलानी है तो हमे अभीसे हताश हो जाना चाहिये।

मैंने एक धर्म भीरु अंग्रेज रमणीका पत्र पढ़ा है। उसने जेनरल डायरके पक्षका समर्थन किया है। उसने लिखा है कि यदि जेनरल डायरने इस तरहकी वीरता न दिखलाई होती तो इन भारतीयोंके हाथों न जाने कितने पुरुषों और रमणियोंके प्राण गये होते। यदि हम लोगोंका पशुता इतनी बढ़ गई है कि हम लोग नररक्तसे ही सन्तुष्ट हो सकते हैं तो हम ससारसे जितना शीघ्र उठा दिये जाय उतनाही हो अच्छा है। हमारा अन्त जितना ही शीघ्र हो जाय उतना अच्छा है। इसका दूसरा पहलू भा है। इस रमणीको यह बात नहीं सुझी कि यदि हमलोग मित्र थे तो जलियावालाबागमें जो मूल्य हम लोगोंने अंग्रेजोंका जान मालकी रक्षाके लिये दिया वह कहीं अधिक था। उन्होंने अपनी रक्षा हमारे अपमान और अनादरसे की। जेनरल डायरकी कर्तनीकी दबी जवानमें निन्दा की गयी है और उसके पीठ ठोकनेवाले सर

माहकल ओडायरकी तो प्रशंसा ही की गयी है क्योंकि अंग्रेज जाति यह कभी भी नहीं चाहती कि इस देशसे बदमाशोंका अभाव हो जाय यद्यपि इसके लिये प्रत्येक भारतवासीको प्राण गंवाने पड़े । यदि हमलोगोंने यही प्रमाद दिखाया, उसी तरह उन्मत्त हो गये जैसा कि हम अमृतसरमें हो गये थे तो निश्चय जानिये कि जलियावालाबागसे भी भीषण दुर्घटना उपस्थित हो सकती है ।

जब हमलोगोंने जनरल डायर और सर माहकल ओडायरकी निन्दा करनेके लिये ही यह आन्दोलन उठाया है तो क्या हमें उचित है कि हम भी स्वयं इसी शस्त्रको ग्रहण करे । जिन चट्टानपर हम खड़े हैं उसे हिंसा तथा शैतानीके भावसे न भरें । हमें उसमें अहिंसा और अच्छाईका भाव भरना चाहिये । हम लोगोंका अल्टी तरह समझ लेना चाहिये कि हमारा उद्देश्य क्या है । हमलोगोंमें हिंसाके जो भाव आ गये हैं अथवा हिंसाकी जो प्रवृत्ति दिखलाई जायगी उसपर अधिकार करनेमें हम जितने अग्रसर, और सफल होंगे उतनाही सरल हमारा स्वराज्यका माग हो जायगा । इसलिये यदि लोगोंने हिंसाका भाव दिखलाया, तो स्वराज्य इस साल नहीं मिल सकता ।

इसलिये हमें धरना भी नहीं बैठना चाहिये । हमें किसीको धिक्कारना भी नहीं चाहिये और न अपने मतको स्वाकार करनेके लिये किसीके साथ जोर जुल्म करना चाहिये । हमें उन्हें भी उतनाही स्वतन्त्र मनका रहने देना चाहिये जितना

हम खुद चाहते हैं। हमें जन साधारणको फुसलाना या धोखा देना नहीं चाहिये। किसानों और कारखानेके कुलियो और मजूरोंका प्रयोग हमें इस राजनैतिक क्षेत्रमें नहीं करना चाहिये। इसका कारण यह नहीं है कि यह उचित नहीं है बल्कि इसका कारण यह है कि हमलोग तैयार नहीं हैं। इतने दिनो तक हम उन्हें राजनैतिक शिक्षासे सदा वञ्चित करते आये हैं। इससे इस समय हमारे पास काफी इमानदार, होशियार, विश्वास पात्र तथा साहसी कार्यकर्त्ता नहीं हैं जिनके प्रयोगसे हम अपने देशवासियोंको शिक्षित कर सकते।

अहिंसा

(जुलाई २८, १९२१)

जब कोई मनुष्य कहता है कि मैं अहिंसा परायण हू तब उससे यह आशा की जाती है कि जब उसे कोई हानि पहुंचायेगा तब वह उस पर क्रोध न करेगा, वह उसका नुकसान न चाहेगा बल्कि उसकी भलाई ही चाहेगा। वह न तो उसे गाली गलोज देगा और न उसके घदनको किसी तरहकी चोट ही पहुंचावेगा। वह तो अन्याय कर्त्ताके द्वारा किये गये हर तरहके नुकसानको सहन ही करेगा। इस

तब अहिंसा मानों पूर्ण निर्दोषिता ही है और पूर्ण अहिंसाका अर्थ है - प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव। वह तो मनुष्यके नीची श्रेणीके जीवों, यद्वातक कि चिपैले सर्पों और हिंस्र पशुओंको गले लगाता है। उसकी सृष्टि रसलिये नहीं हुई है कि उनके द्वारा हमारी विनाशक प्रवृत्तियोंका पोषण हुआ करे। यदि हम सिर्फ उम जगत्कर्त्ताके हेतुको ही जान लें तो हमें इस बातका पता लग जाना चाहिये कि उसकी सृष्टिमें उन जीवोंका कौनसा उचित स्थान है। अतएव अहिंसाका कियात्मक रूप क्या है? प्राणिमात्रके प्रति सद्भाव। यही शुद्ध प्रेम है। क्या हिन्दू शास्त्रों, क्या वाइबल और क्या कुरान, सब जगह मुझे तो यही दिखाई देता है।

अहिंसा एक पूर्ण स्थिति है। सारी मनुष्य जाति इसी एक लक्ष्यकी ओर, सम्भवतः, परन्तु अनजानमें जा रही है। मनुष्य जब अपनी तई नाशवात् निर्दोषिताकी मूर्ति बन जाता है तब वह देवी पुरुष नहीं हो जाता। वह तो कुछ अशोमें मनुष्य और कुछ अशोमें पशु है। हम घूसेके बढले घूसा जमाते हैं और हमारे क्रोधका पारा भी उतना ही चढ जाता है। और इसे हम कहते हैं कि हमने मनुष्य जातिके उद्देशको पूर्ति की है अपने कर्त्तव्यका पालन किया है। यह तो अज्ञान, नहीं अटङ्कार है। हम देखते हैं कि प्रतिहिंसा तो मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हम तो उसके कायल हैं। परन्तु

इसके विपरीत धर्मशास्त्रोंमें तो हम देखते हैं कि प्रनिहिंसा कहीं भी आवश्यक कर्त्तव्य नहीं मानी गयी है बल्कि सिर्फ वह जायज बताई गई है। आवश्यक कर्त्तव्य तो है संयम। प्रतिहिंसाके लिये तो बहुतसे नियमों और शर्तोंके पालन करनेकी जरूरत है। संयम तो हमारे जीवनका नियम ही है, क्योंकि विना पूण संयमके मनुष्य पूरी पूर्णावस्थाको पहुँच ही नहीं सकता। इस प्रकार कष्ट सहन मनुष्य जातिका विशेष लक्षण है।

ध्येय तो हमेशा आगे ही आगे बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों अधिक प्रगति होती जाती है त्यों त्यों मनुष्य अपनेको अधिकाधिक अयोग्य मानता है। सन्तोष तो प्रयत्नमें है, अीष्टम-सिद्धिमें नहीं। पूर्ण प्रयत्न ही पूर्ण विजय है। अतएव यद्यपि मैं पहलेहीसे अधिक इस बातको जानता हू कि मैं अपने ध्येयसे कितना दूर हू तथापि मेरे लिये पूर्ण प्रेमका नियम ही अपने जीवनका नियम है। जब जब मुझे असफलता प्राप्त होगी तभी तब मैं अधिक निश्चयके साथ प्रयत्न करूँगा।

लेकिन मैं इस अन्तिम सिद्धान्तकी बात तो महासभा और खिलाफत कमिटी द्वारा कर ही नहीं रहा हू। मैं अपनी त्रुटियोंको पूरा अच्छी तरह जानता हू। मैं जानता हू कि ऐसा उद्योग असफल हुए बिना नहीं रह सकता। सारे मनुष्य समाजसे यह आशा करना कि वे सब एक वारगी इस सिद्धान्तके अनुसार चलने लगेगे, इस बातको, न जानना है कि

मनुष्य समाजका काम किस प्रकार चलता है। लेकिन हा, महासभाके मञ्चसे तो मैं उस सिद्धान्तका प्रचार अवश्य करता हूँ। महासभा तथा खिलाफत समितिने तो उस सिद्धान्तके तात्पर्यका एक भाग-भात्र स्वीकार किया है। यदि कार्यकर्ता लोग योग देंतो थोड़े ही समयमें यह बात जानी जा सकती है कि विशाल जनसमूहका थोड़े परिणाममें किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन थोड़े परिणाममें तभी ययार्थ हो सकता है जब कि वह पूरे सिद्धान्तकी कसौटी पर चढ़ चुके।

१ एक बूढ़ पानीमें वे सब गुण धर्म होने चाहिये जो एक तालाब भर पानीमें हैं। अपने भाईके साथ मैं जिस अहिंसाका व्यवहार करूँगा वह सारे विश्वके प्रति मेरा अहिंसाका मित्र नहीं हो सकता। जब मैं अपने भ्रातृ प्रेमको सारे विश्वका व्यापक करूँ तो उस अवस्थामें भी वह सत्य ही सिद्ध होना चाहिये।

२ जब किसी नियमका व्यवहार देश और कालको मर्यादासे बाध दिया जाय तब उसे व्यवहार नियम या व्यवहार धर्म कहते हैं। अतएव उच्चसे उच्च व्यवहार नियमका पालन ही इस सिद्धान्तका पूर्ण रूपसे पालन करता है। लेकिन हम प्रामाणिकताका व्यवहार चाहे व्यवहार धर्म समझकर करें चाहे सिद्धान्त समझकर करें जब तक वह हमारा व्यवहार नियम है एक ही बात है। ईमानदारीको व्यवहार नियमके तौरपर माननेवाला दूकानदार भी वैसा और उतने गज कपडा देगा जितना कि

ईमानदारीको धर्म। समझनेवाला दूकानदार देगा। दोनोंमें फर्क केवल इतना ही है कि राजनैतिक दूकानदार अपनी ईमानदारीको उम्र समय छोड़ देगा जब उससे इसे लाभ न दिखाई देगा और इससे श्रद्धा रखनेवाला दूकानदार अपना सर्वस्व गवा देनेपर भी उससे मुह न मोड़ेगा। पर असहयोगियोंकी राजनैतिक अहिंसा बहुताशमें इस कसौटीपर सही नहीं निकलती। इसीसे इस शुद्धिकी उम्र बढ़ती जा रही है। अंग्रेजोंका यह स्वभाव है कि वे झुकते नहीं। इसपर उन्हें कोसनेकी आवश्यकता नहीं। हमारे प्रेमकी आगसे उनके 'कठोरसे कठोर बाहु दण्ड' पिघले बिना नहीं रह सकते। मैं इस बातको जानता हूँ। अतएव अपनी इस स्थितिसे हट नहीं सकता। यदि अंग्रेजोंकी अधरा दूसरोंका तबीयतपर इसका यथेष्ट असर नहीं होता है तो इसका अर्थ यही है कि या तो वह आग ही हमारे अन्दर नहीं है या उस तेजीके साथ नहीं धधक रही है।

अच्छा, हमारी अहिंसा चाहे बलवानकी अहिंसा न हो, पर सबे लोगोंको अहिंसा जरूर होनी चाहिये। यदि हम अहिंसा परायण होनेका दावा करते हैं तो जब तक ऐसा दावा करे तब तक अंग्रेज अथवा सहयोगी भाइयोंको हानि पहुंचानेका इरादा तक हमें न करना चाहिये। परन्तु हमारे तो अधिकांश लोगोंने उनका नुकसान जरूर चाहा है और हम ऐसा करनेसे इसलिये रुक रहे हैं कि हम कमजोर हैं या इस गलत ख्यालसे कि केवल शारीरिक हानि न पहुंचानेसे

ही हमारे अहिंसाव्रतका पालन हो जाता है। हमारी अहिंसाकी प्रतिज्ञामें तो भविष्यमें प्रतिहिंसा करनेकी सम्भावना रही नहीं जाती। दुर्भाग्यवश हमारे कुछ लोगोंने तो बदला चुकानेकी तिथि सिर्फ आगे बढ़ा भर दी है।

हा, कही मेरे आशयका गलत अर्थ न लगा बैठियेगा। मैं यह नहीं कहता कि व्यवहार नियमके तौरपर अहिंसाको माननेमें इस नीतिका त्याग कर चुकनेपर भी प्रतिहिंसाकी सम्भावना नहीं रह जाती। पर हा यदि संग्राममें हमानी विजय हुई तो इसमें हमें आगेकी सम्भावना अवश्य हो नहीं है। इसलिये जबतक हम अहिंसाको व्यवहार नियमके तौरपर मानते हैं तब तक हम असली तौरपर अपने अग्रज हाकिमों तथा सहयोगियोंके साथ मित्रताका वर्ताव करनेपर बाध्य हैं। जब मैंने यह सुना कि भारतके कुछ स्थानोंमें अग्रजों अथवा प्रख्यात सहयोगियोंका जानोमाल महफूज नहीं है, उनके लिये घूमना फिरना भी मुश्किल हो रहा है, तो मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई। उस दिन मदरासकी एक सभामें जो लज्जाजनक दृश्य दिखाई दिया वह अहिंसाके पूर्ण अभावका सूचक था। जिन लोगोंने यह समझकर कि उस सभाके सभापतिने मेरा अपमान किया, उनकी छीछालेदर को उन्होंने न केवल खुद अपनेको ही बल्कि जातिको भी नीचा दिखाया। उन्होंने अपने मित्र और सहायक श्री एण्डरूजके हृदयको चोट पहुचायी। उन्होंने खुद अपने ही कामको धक्का पहुचाया। यदि उन सभापति महोशय-

का यह मत था कि मैं एक दुरात्मा हू तो उनका ऐसा कहना बहुत ठीक ही था। अज्ञान उत्तेजना नहीं है। असहयोगी तो गहरीसे गहरी उत्तेजनाको भी सहन करनेकी प्रतिज्ञासे बंधे हुए हैं। यदि मैं किसी दुरात्माकी तरह काम करूंगा तो उत्तेजना तो अवश्य ही होगी पर यदि कोई असहयोगी यह मानता हो कि मैं उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा हू तो वह इस प्रतिज्ञासे मुक्त हो सकता है तथा मेरे प्राण तक ले सकता है।

हां, यह भी हो सकता है कि जीवनको इतने मर्यादित रूपमें अहिंसामय बनाना भी अधिकांश रूपमें असम्भव हो। यह भी हो सकता है कि हम लोगोंसे महज उनके स्वार्थके ख्यालसे भी यह आशा न करे कि वे जहां अपने प्रतिपक्षीको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तहां हानि पहुंचानेका इरादा तक न करे। तब हमें उचित है कि हम अपने इस युद्धके सम्बन्धमें 'अहिंसा' शब्दका उच्चारण तक न करे तभी हम प्रामाणिक बने रह सकते हैं। इसका उपाय यह नहीं है कि तुरन्त ही हिंसाकाड मचा दें। पर इस अवस्थामें लोगोंसे अहिंसा सम्बन्धी नियमोंके पालनकी बात कोई न कहेगा। तब मुझ जैसे मनुष्यको यह मालूम होगा कि चौरीचौराकी जिम्मेवारी मेरे सिरपर है। इस मर्यादित अहिंसाका सम्प्रदाय तो उस एकान्त अवस्थामें भी फलता फूलता ही रहेगा और भला यह होगा कि उसके सिरसे जमावदेहीका वह भीषण भार उठ जायगा जिसे वह आज वहन कर रहा है।

परन्तु यदि अहिंसा ही इस राष्ट्रका व्यवहार धर्म निश्चित रहा तो हम उसका अक्षरण तथा ठीक पालन करनेके लिये वाध्य हैं। तभी उसका तथा मनुष्य जातिका शुभ नामकायम रह सकता है।

और यदि इस व्यवहार नियमके अनुसार चलनेका इरादा हम करते हों, यदि हम उसके कायल हों तो हमें तुरन्त ही अंग्रेज सहयोगी भाइयोंसे मेल मिलाप कर लेना चाहिये। हमें इस बातमें कि वे लोग हमारे बीचमें अपने जानमालको पूरा पूरा सुरक्षित समझते हैं और उनके हमारे बीचमें तथा राजनीतिमें जमीन आसमानका फर्क होते हुए भी वे हमें अपना मित्र समझते हैं खुद उन्हींका प्रमाण पत्र हासिल करना चाहिये। हमें अपने मान्यवर अतिथिके तौरपर अपनी राजनैतिक सभाओंमें उनका स्वागत करना चाहिये। जिन सभाओंका सम्यन्ध किन्मी दल या मतसे न हो उनमें हम वे साथ साथ काम कर हमें ऐसी सभाओंकी आयोजना तभी करनी चाहिये। हमारी अहिंसाका फल हिंसा ड्रेप और दुर्भाव न होना चाहिये। दूसरे मर्त्य मनुष्योंकी तरह हमारी पहचान भी अपने कार्योंसे ही होगी। स्वराज्य प्राप्तिके लिये अहिंसात्मक कार्यक्रम बनानेका मनलव है अहिंसात्मक रीतिसे चलानेकी योग्यता। इसका अर्थ है आज्ञा पालनके भावको हृदयपर अङ्कित करना। श्रीयुक्त चर्चिलका, जो कि केवल पशु-बलके ही मन्त्रको पहिचानते हैं, यह कहना बहुत ठीक है

कि आयलैंडका प्रश्न भारतके प्रश्नसे भिन्न प्रकारका है। उनके कहनेका आशय यह है कि आयलैंडवालेने हिंसाकाडके बलपर लड़ लड़ कर स्वराज्य प्राप्त किया है, अतएव यदि आवश्यकता पडी तो वे हिंसाबलके द्वारा उसकी रक्षा भी कर सकेंगे। पर इसके खिलाफ, यदि भारत वास्तवमें अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त कर ले तो उसे प्रधानतः ३ हिंसात्मक उपायोंके द्वारा उसकी रक्षा भी करनी होगी। और उसे श्रीचर्चिल तभी सम्भवनीय मानेंगे जब भारत इस सिद्धान्तको अपने उदाहरण द्वारा प्रत्यक्ष करने दिखा-दे और यह बात तबतक अशक्य है जबतक समाजमें अहिंसाका इतना प्रवेश नहीं हो गया है कि जिससे लोग अपने सामुदायिक अर्थात् राजनीतिक जीवनमें अहिंसाको अपना लें, दूसरे शब्दोंमें फौजी हुकूमतके बजाय देशमें मुत्की हुकूमतकी प्रधानता हो जाय।

अतएव अहिंसात्मक साधनोंसे स्वराज्य प्राप्त करते हुए गोलमाल और भ्रमराजकताको स्थान मिल ही नहीं सकता। अहिंसाके बलपर स्वराज्य नो उत्तरोत्तर शान्तिमय क्रान्ति होगी, यथा एक सकुचित सस्थाके हाथसे सत्ता का जनताके प्रतिनिधियोंके हाथोंमें जाना उतना ही स्वाभाविक कार्य है जितना कि अच्छे परधरिश किये हुए पेडसे पूरे पके फलका गिर पडना। मैं फिर कहता हू कि ऐसी बातका पाना शायद, बिलकुल असंभव हो। लेकिन मैं जानता हू कि अहिंसाका तात्पर्य तो इससे कम नहीं है। और यदि वर्तमान कार्यकर्ता गण इससे

अधिक शान्तिमय वायुमण्डल तैयार हो जानेकी सम्भावनाको न मानने हों तो उन्हें चाहिये कि वे अहिंसात्मक कार्य-क्रमको तिलाजलि दे दें और दूसरा इससे बिलकुल भिन्न कार्यक्रम तैयार करें। यदि हम इस ख्यालको मनमें रखते हुए कि अन्तको तो हम शस्त्रके बल अंग्रेजोंसे अधिकार छीन ही लेंगे इस कार्यक्रमको उठावेंगे तो हम अपने अहिंसाके दावेके प्रति झूठे ठहरेंगे। यदि हमें अपने कार्यक्रम पर विश्वास है तो हम यह माननेके लिये भी बाध्य हैं कि अंग्रेज लोग जैसे शस्त्र बलसे अधीन हो जाते हैं उसी प्रकार प्रेम बलके अधीन न होनेवाले भी नहा है। जो लोग इसके फायल नहीं हैं उनके लिये दो रास्ते हैं। एक तो 'कौंसिले' जो कि उनकी दृष्टिमें विद्या और अनुभवके मन्दिर हैं और उनका वह भारी कार्यक्रम जिससे पद पदपर उनका तेजो बर होता है और जो आगे कुछ पुस्तोंतक पुराना हो सके अथवा तेजीके साथ होनेवाली परन्तु पून क्रान्ति ऐसी क्रान्ति जो पृथ्वी पटलपर शायद अबतक न देखी गई हो। ऐसी क्रान्तिमें शरीक होनेकी मुझे जरा भी इच्छा नहीं। मैं उसकी तैयारीमें भावनरूप भी होना नहीं चाहता। अतएव मेरी रायमें सवाल यह है कि या तो हम असहयोगके साथ प्रमाणिक अहिंसाका—जा असहयोगका सहजफल है—अवलम्बन करे या प्रतियोगी सहयोगको अर्थात् विरोधके साथ सहयोगको अपनावे।

नम्रता की आवश्यकता

(जनवरी १२, १९२१)

शान्तियोगका भाव नम्रता धारण करना है। शान्ति-योगका अर्थ 'ईश्वरका भरोसा है'। यदि हम लोग उससे सहारा लेना चाहें तो हमें उसके समीप नम्र और निरभिमान होकर जाना चाहिये। असहयोगवादी यह न समझें कि कांग्रेसमें हमें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई, वस अब काम हो गया। हमें उस आम्रवृक्षके समान काम करना होगा जो जितना ही अधिक फलता है उतना ही अधिक झुकता है। उसका गौरव उसकी सुशोभित नम्रतामें है। पर ऐसा भी सुननेमें आता है कि असहयोगवादी अपने विरुद्ध दलवालोंके साथ असहिष्णुता और अभिमानका व्यवहार करते हैं। मैं जानता हू कि यदि वे गर्वोद्धत होंगे तो उनका गौरव और शोभा नष्ट हो जायगी। अतक हम लोगोंने जो प्रगति की उससे असन्तुष्ट होनेका चाहे कोई कारण न हो तथापि गर्व करने योग्य तो एक भी काम हमसे नहीं हुआ है। गर्वसे फूलना तो दूर रहा; गर्व करनेका अधिकार पानेके लिये ही अभी हमें और बहुत अधिक स्वार्थत्याग करना होगा। जो हजारों आदमी कांग्रेसके मण्डपमें एकत्र हुए थे उन्होंने असहयोगको अपनी

मानसिक सम्मति तो निस्सन्देह दी, पर उस सम्मतिको बहुत थोड़े आदमियोंने कार्यमें परिणत किया है। वकीलोंकी बात छोड़ दीजिये। कितने माता-पिताओंने लड़कोंको स्कूलोंसे हटाया है? जिन लोगोंने असहयोगके पक्षमें वोट दिया था उनमेंसे कितने आदमियोंने हथसे सूत कातना आरम्भ किया है और विदेशी कपड़ेका व्यवहार छोड़ दिया है?

असहयोग आत्म श्लाघा, दम्भ, या अमन्यताका आन्दोलन नहीं है। यह हमारी सहृदयताकी कसौटी है। इसके लिये सात्विक स्वार्थत्याग चाहिये। यह हमारी सच्चाई और राष्ट्र कार्य करनेकी क्षमताको ललकारनी है। यह वह आन्दोलन है जिसका लक्ष्य भावनाओंको कृतिमें परिणत करना है। और जितना हम करेंगे, उतनाही हमें यह दिखाई देगा कि अभी बहुत काम करना बाकी है। और हमारा अपूर्णताका, यह विचार हमें नम्र बनाता है।

असहयोगवादी जर्बदस्ती नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविक नम्रतासे दूसरोंका ध्यान अपनी तरफ खींचने और अपना उदाहरण सामने उपस्थित करनेका यत्न करता है। वह अपना उद्देश्य अपने कार्यसे प्रगट करता है। अपनी स्थितिकी सत्यतापर ही वह भरोसा रखता है, और यही उसका बल है। और विरोधीके हृदयमें उसका विश्वास तभी बैठता है जब वह अपने कार्य और उस विरोधीके बीच अपनी वक्तृता नहीं ले आता, वक्तृता, विशेषकर जब वह उद्भूत होती है, विश्वासके अभावका

परिचय देती है और उससे विरोधोके मनमें सन्देह उत्पन्न होता है। नम्रता इसलिये शीघ्र सफलताको कुञ्जी है। मुझे आशा है कि प्रत्येक असहयोगवादी इस बातको समझ लेगा कि नम्र और आत्म सयमी होनेकी कितनी बड़ी आवश्यकता है। इसमें कुछ बहुत नहीं करना है और जो कुछ करना है वह हमीको करना है। इसलिये मैंने विश्वास करनेका साहस किया है कि स्वराज्य एक वर्षसे भी कम समयमें प्राप्त हो सकता है।

शान्तिकी विजय

(नवम्बर १७, १९२०)

भारत सरकारने, असहयोगपर जो कम्यूनिक निकाला है उसीसे असहयोगकी घडे मार्केकी पहली विजय मालूम होती है। उस असहयोगके लिये, जिसे सरकार अवैध समझती है, उसने निश्चय किया है कि यदि इस आन्दोलनमें जोर जुल्मका आश्रय नहीं लिया जायगा तो इसके सम्बन्धमें दमननीतिका प्रयोग भी नहीं होगा। इस निर्णयके लिये सरकार तथा जनता-दोनोंको बधाई देनी चाहिये। इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि यदि लोग इस आन्दोलनमें किसी प्रकारका भी जोर-जुल्म—चाहे काममें, चाहे शब्दमें न करें तो सरकारको अपनी दमननीतिका प्रयोग करना केवल असम्भव ही नहीं

होगा, बल्कि वह बढ़ते हुए लोकमतको रोक भी नहीं सकेगी। सिर्फ यही चाहिये कि अच्छे राष्ट्रीय ढङ्गसे सरकारी सरक्षण या सहायताका परित्याग कर इस लोकमतकी पुष्टि की जाय।

पर यदि माडरेट लोग असहयोग आन्दोलनकी वाह न रोक सकेंगे तो सरकार बखतरदार घूसा उठावेगी। इसलिये सरकारकी कडी कार्रवाईका करना माडरेटोंकी सफलता पर ही निर्भर है।

इस प्रकार यदि असहयोग इतना प्रबल हो जाय कि भारत पर अन्याय अपराध करनेवाली सरकारका अस्तित्व असम्भव कर दे तो विवेक-धुद्धि और वादानुवादके स्थानमें दमन नीतिकी तूती बोलने लगेगी, क्योंकि यह देखना चाहिये कि सरकार को असहयोगके जोर-जुल्मका भय नहीं हुआ है, बल्कि अपना अस्तित्व खोनेका। यदि मेरा कथन ठीक है तो सरकार माडरेटों और भारतको धोखा दे रही है। यदि सरकारकी नियत सच्ची है तो वह स्पष्ट शब्दोंमें साफ साफ घोषणा कर दे कि जबतक असहयोग आन्दोलन जोर-जुल्मसे बचा रहेगा तब तक सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, चाहे यह पूर्ण स्वाधीनता ही क्यों न मागे या ऐसी स्वाधीनता ही उसे क्यों न प्राप्त हो जाय। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि हम इस आन्दोलनमें जोर-जुल्म न पहुंचने दें तो सरकारको एक न एक दिन ऐसी घोषणा अवश्य करनी पड़ेगी। किन्तु जब जनताको

अखण्ड लोकमतसे विवश होकर सरकार यह घोषणा करेगी तब उसमें वह धूवी नहीं रहेगी ।

कम्यूनिकके शोषान्तमें वे बातें कही गयी हैं जो सरकारकी परम्पराकी नीतिके अनुकूल रहती हैं । इसमें आत्म-श्लाघाने तथा असहयोगके विषयमें भ्रम उत्पन्न करनेवाली बातें भरी हैं । यह कहना बिल्कुल गलत है कि जिनका दमन किया गया है वे जोर-जुल्मसे बचे रहनेके सिद्धान्तसे विमुक्त हो गये थे । मैं सरकारको ललकारता हूँ कि जो लोग कैद किये गये हैं उनके व्याख्यानोसे वह कोई बात सिद्ध करे जिसमें जोर जुल्म पाया जाता हो । अभियुक्तोंके भाषण कभी बहुत कड़े, अत्युक्तिपूर्ण और उद्दण्ड भी हुए हैं, पर उनमें जोर-जुल्मके प्रचारकी कभी गन्ध भी नहीं पायी गयी । उनकी चकृताओंमें कोई ऐसी बात नहीं आई है जो स्वयं में नहीं कह सकता । नये रगरूटोंसे अपोल को गयो थो कि दूसरे देशोंकी स्वतन्त्रता हरनेके लिये तुम अपने आपको मत बेचो । यदि यह जोर-जुल्मका प्रचार न सम्भवा नाय तो सरकारी सेनाको उभारनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता ।

पलटनोंको भडकानेके कारण अभियुक्तोंको दण्ड मिला, यह बात सरासर झूठ है । सरकारका कहना है कि हमने "ऐने समय जबकि हिन्दुस्तान स्वराज्यके, सिद्धान्तकी-सिद्धिकी ओर आगे बढ़नेको है यह अच्छा नहीं सम्भवा कि घोलने या लिम्बनेकी स्वाधीनतामें याधा डालें" पर पत्राणमें "राजद्रोही"

सभाओंकी जो घोषणा हुई है और कुछ असहयोगवादी समाचार पत्रोंके साथ जो व्यवहार किया गया है वह साफ बतला रहा है कि यह बात बिलकुल झूठ है।

इस आन्दोलनके नेताओंके सम्बन्धमें जो भ्रामक बातें लिखी गई हैं और यह कह कर उसका जो उपहास किया गया है कि ये शहीद कहलानेके लिये यह सब उद्योग कर रहे हैं उसका अब विचार करना है। सरकारको यह जानना चाहिये कि अलीवन्धुओंको और मुझे भी यह जानकर कि कमसे कम अभी तो सरकार लोगोंको कैद करना नहीं चाहती, बहुत दिलासा हुआ है। सबको यह मालूम है कि यदि हमलोग पकड़े गये तो अशान्तिका स्फोट होनेका बड़ा भय है। यह बात सिर नीचा करनेवाली है। यदि लोग वास्तवमें शक्तिशाली और आत्म-विश्वास रखनेवाले हों तो वे हमारे या किसी भी नेताके पकड़े जानेसे अशान्त न हों। जबतक सरकारके भयका कुसम्कार दूर नहीं होता तब तक इस दुखी देशके लोगों द्वारा ऊचम उत्पात होनेका डर भी बना रहेगा और जिन लोगोंपर ये विश्वास करते हैं उनके परामर्श और देशकायसे वे बञ्चित होंगे तब यह डर रहेगा।

सरकारके हाथ रोके रहनेका तीसरा कारण बिलकुल बनावटी है और उन लोगोंको अपने जालमें फसानेका प्रयत्न है जो सावधान नहीं हैं। सरकार कहती है कि असहयोग "केवल कल्पन या भावना" है और "वह यदि कृतकार्य हुआ तो उसका यह परिणाम होगा कि चारों ओर अन्धेर मचेगा, अराजकता फैलेगी

और उन लोगोंका नाश होगा जिनकी इस देशमें कुछ हैसियत है।" इस एक वाक्यमें सरकारका असली चरित्र अङ्कित हो गया है। सरकारको यह जानना होगा कि असहयोगकी सफलताका यह अर्थ है कि सरकारकी वर्तमान पद्धतिका विनाश निर्भय तथा शांति पूर्वक कर दिया जाय और उसके स्थानमें अशान्ति तथा अराजकता नहीं, बल्कि उच्च कोटिकी राजनीतिक व्यवस्था की जाय जिसमें देशके प्रत्येक न्याय्य स्वार्थकी रक्षा की जाय। जो यूरोपियन व्यापारी भारतमें ईमान्दारीसे उपार्जन करना चाहते हैं वे भी इस रक्षासे वञ्चित नहीं हो सकते। "वास्तविक हैसियतोंका वर्णन कर जान-बूझकर जनताका अपमान किया गया है, इससे धनी लोगोंको भी जनताके विरुद्ध उभारना है। क्या भारतमें जनताकी कोई हैसियत नहीं है? क्या देशमें उनका वास्तविक उद्देश्य नहीं है? यदि कोई अनिष्ट हुआ तो धनी लोग तो इस देशसे चले भी जा सकेंगे, पर जनताको इस दुःखकी भूमिमें ही दिन काटने पड़ेगे।

सरकारी प्रस्तावके कर्ताके मुखमें यह बात कभी शोभा नहीं देती कि असहयोग ईर्ष्या और मूर्खतासे काम लेता है, जब वे जानते हैं कि प्रत्येक असहयोगमञ्चपरसे आत्मत्याग, आत्म परिष्कार तथा सयम-नियमकी शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार सत्याग्रहका भी बहुत अनर्थ किया गया है। अप्रैल महीनेमें इसका बहुत बुरा अनुभव हुआ था, उन दिनोंके सरकारी कर्मचारियोंके छोटे काम लोगोंके हृदयमें ताजे बने रहेंगे। पञ्जाबमें एक दुष्ट



और घृणित है। फिर भी कितने मुसलमान इस कार्यवाहीकी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि यह काम सच्ची धार्मिकताके अनुसार हुआ है। मैंने अपने कानों कितने मुसलमानोंको कहते सुना है कि इस तरहकी कार्रवाई उचित हो नहीं बल्कि प्रशंसा और पुरस्कारके योग्य है। कितने हिन्दुओंका आज तक यही विचार है कि बङ्गभङ्गको रद्द करनेका एकमात्र कारण बम आदिका प्रयोग था। मैं जानता हू कि कितने लोग धर्मगुरुओंको धर्मोन्मत्त समझते हैं। अंग्रेजोंके हाथसे अपने देशको, स्वतन्त्र या अलग करनेके लिये आयरलैंडके सिन-फिनर स्वेच्छापूर्वक तलवार या अन्य तरहके हिंसात्मक अस्त्र शस्त्रों और साधनोंका प्रयोग कर रहे हैं। प्रत्येक हत्यारेको वे बहादुर समझते हैं। मुझे पहलेसे ही इस बातकी आशङ्का थी कि हम लोगोंके बीचमें भी ऐसी बातें हो सकती हैं। इसके लिये मैंने शान्तिमय अहिंसात्मक असहयोगकी सलाह दी और खिलाफतके उद्धारका यही सर्वोत्तम मार्ग प्रतलाया। मेरी समझमें अहिंसात्मक असहयोगकी खुली शिक्षाका ही प्रभाव है कि हत्या और दुराचारसे यह देश कलंकित नहीं हो सका है। पर मिस्टर विलोधीकी हत्याने यह बात प्रमाणित कर दी है कि इस देशके प्रत्येक व्यक्तिके दुराचार और हिंसाके भाव रोकनेमें अहिंसात्मक असहयोगका प्रचार पूर्णरूपसे उपयोगी नहीं हुआ है और यह होना भी कठिनसा प्रतीत होता है। इसने एक बात और विदित होनी है। वह यह है कि खिला-

आगे बढ़ रहा है। हम लोगोंको इस बातको अपने हृदयमें दृढ़ कर लेना चाहिये कि इस तरहकी प्रत्येक हत्या, हिंसाका प्रत्येक आचरण इस आन्दोलनकी प्रगतिको रोक देगा।

इस अवसर पर मैं सिनफिनिस्म, तुर्किस्तानका असहयोग आन्दोलन और हमारे देशके इस असहयोग आन्दोलनमें क्या अन्तर है इसे स्पष्टतया प्रगट कर देना चाहता हूँ। पहला अहिंसात्मक नहीं है, अपनी सफलताके लिये वह अहिंसापर इतना जोर नहीं देता। सिनफिनिस्म तो हर तरहसे हिंसात्मक हो होते हैं और उनकी प्रत्येक कार्यवाही हत्याके बलपर चलती है। उनके कार्यों में उसी तरहकी भीषणता भरी है जिस तरहकी जेनरल डायरके कामोंमें। जो लोग उनकी कार्यवाहीके सहानुभूति रखते हैं वे उस तरहकी कार्यवाहीको भले ही गसन्द करें। पर केवल इसके कारण इसमें और जेनरल डायरकी कार्यवाहीमें किसी तरहका भेद नहीं आसकता। लेण्ड्रल खिलाफन कमेटीने तबतकके लिये अहिंसात्मक रहनेका पचन दिया है जबतक असहयोग आन्दोलन जारी है। इसलिये हमें अग्रेजोंको जान व मालकी उसी तरह रक्षा करनी चाहिये जिस तरह हम अपने जान व मालकी रक्षा करते हैं। हमें अपनेको स्वयं रक्षक समझकर हिंसा करनेवालोंके हाथसे अग्रेजोंकी रक्षा करनी चाहिये। हमलोगोंकी सफलता अहिंसा आदि कुप्रवृत्तियोंके रोकनेकी हमारी चेष्टा और योग्यतापर निर्भर करती है।

लखनऊ के भाषण

(नवम्बर ३, १९२०)

अली बन्धुओंके साथ मेरी इस चारकी यात्रामें एक घटना यह हुई कि मिस्टर डोगलस (एक हिन्दुस्तानी ईने असहयोग आन्दोलनसे अपना सम्बन्ध तोड़ दिया । डोगलसका यह निर्णय मौलाना अब्दुल बारीका वह भाषण जिसमें उन्होंने ईसाईयोंको काफर कहकर सम्योधित है और स्वर्गीय मिस्टर विलोबीकी हत्यारोंके साथ सहा दिलायी है ।

मैं भी उस सभामें उपस्थित था । मौलाना अब्दुल प्रत्येक शब्दको मैंने गौरसे सुना था । मैं इस बातको साथ कह सकता हूँ कि उस भाषणमें मौलाना अब्दुल कोई भी इस तरहके शब्दका प्रयोग नहीं किया था कि मिस्टर डोगलसके हृदयमें इस तरहके भाव उठ सकते हैं यह बात भी दावेके साथ कह सकता हूँ कि मौलाना अब्दुलबारीने अपने भाषणमें ऐसा एक भी शब्द नहीं कहा था जिससे यह ध्वनि निकलती हो कि मिस्टर विलोबी हत्यारोंसे उन्हें सहानुभूति है या मिस्टर विलोबीको कहकर उन्होंने ईसाईयोंका किसी तरहसे अपमान करना

शरीफके मुकाबिलेमें मेरी बातोंको अधिक आदरकी दृष्टिसे देखी है। आजतक जितने कार्यकर्ता मुझे मिले उनमेंसे मिस्टर महा देव देशाईका स्थान प्रशंसाके योग्य है। पर कभी कभी लाख चेष्टा करनेपर और हर तरहसे सतर्क रहने पर भी हम लोगोंमें से अनेक भूल कर बैठते हैं।

जहातक मुझे स्मरण है मौलाना अब्दुलबारीने अपने भाषणमें यही कहा था कि मैं मिस्टर विलोवीकी हत्याको नापसन्द करता हू। वे इस बातको भली भाँति समझते थे कि इस हत्यासे खिलाफत आन्दोलन पर आघात पहुंचा है। उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया था कि यदि उन्हें इस हत्याकी कुछ भी खबर होती तो वे स्वयं इसके रोकनेके लिये तत्पर हुए होते। इस कामको वे स्वयं करनेके लिये तैयार थे और यदि दूसरे भी इसे किये होते तो वे उसके कृतज्ञ होते। पर जब उनसे उन हत्यारोंकी निन्दा करनेके लिये कहा गया तो उन्होंने जो कुछ कहा वह स्वाभाविक बात थी। धार्मिक दृष्टिसे वे इस तरहकी कार्रवाईके लिये तैयार नहीं थे। वे इस बातको नहीं जानते थे कि मिस्टर विलोवीकी हत्या किस तरह की गई और उस हत्याके क्या कारण थे। इसलिये जब हत्यारोंने हत्या कर डाली तो वह अपने कर्ताके पास स्वयं जवाबदेह है। इसलिये किसीको ईश्वरके पदको अखतियार कर लेना और इस तरह उसकी निन्दाकी योजना करना उचित नहीं प्रतीत होता। मिस्टर विलोवी मुसलमानोंकी दृष्टिमें काफर थे और यदि मुसलमानोंने

“जरात्र” को बोधना की होती तो शत्रु पक्षका कोई भी व्यक्ति मुसलमानोंकी तलवारका शिकार हुआ होता। पर मुसलमानोंने इस बातकी वृद्ध प्रतिबाकी, हे, कि वे तलवार नहीं छूयेगे ऐसी, अत्रस्थाने किसी भी मुसलमानके लिये यह उचित नहीं है - कि वह शत्रु दलके किसी भी व्यक्तिकी जानपर आक्रमण करे। उन्होने मेरी बात मानकर, अस्महयोग धान्दोलनको स्वीकार किया है - क्योंकि कोगान शरीफ तथा पैगम्बरके जीवनमें इस तरहके (अस्महयोगके) अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं और जबतक वे अस्महयोग धान्दोलन स्वीकार करके कार्य करने हैं, तबतक उन्हें मेरी बातोंको पूरी तरहसे स्वीकार करके ही चलना होगा। मौलाना अब्दुलबारीको इसलिये घोर निन्दा की गई है कि उन्होने सृष्टिपूजक हिन्दुओंको साथ दिया है और उनसे मैत्री स्थापित की है पर मौलाना साहबका यह पक्का विश्वास है कि हिन्दुओंके साथ मैत्री स्थापित करना और उस मैत्रीको नियाहनेके लिये गोत्रधका त्याग करना कही अच्छा है और उनकाफरोके साथ मैत्री रखनेसे तो कही अच्छा है जिन्होंने इस्लाम धर्मके नेस्तनाश (नाश) कर डालनेके हेतु कोई भी प्रयास उठा नहीं गया।

मौलाना साहबके भाषणका यही संराश है। उनका भाषण कदा अवश्य था। भाषा तीली थी। मौलाना अब्दुल बारी कट्टर धार्मिक जीव है। जब वे देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म, गोर त्रिपत्तिमें पडाह और उसपर भीषण आघात



होनेवाला है तो यदि उनके हृदयसे इस तरहकी कड़ी और तीखी बातें निकलें तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। जिस तरहसे हिन्दुओंके म्लेच्छ या अनार्य शब्दोंसे मैं घृणा करता हू उसी तरह मुसलमानोंके काफर शब्दको भी मैं नहीं पसन्द करता। मैं नहीं चाहता कि किसी भी अवस्थामें कोई भी व्यक्ति इन शब्दोंका प्रयोग करे। पर जिन शब्दोंका प्रयोग हिन्दू और मुसलमान बाल्यावस्थासे ही करते आये हैं और जिससे वे अभ्यस्त हो गये हैं उसके लिये मैं उनसे लड़ाई उठाना नहीं चाहता। ज्यों ज्यों भिन्न भिन्न फिरको और मतोंके लोगोमें मैत्री दृढ़ होती जायगी त्यों त्यों इस तरहके शब्दोंका प्रयोग आप ही आप कम होता जायगा और धीरे धीरे वह एकदमसे उठ जायगा। बड़े बड़े रईस विद्वान—विशप हेलर—तक हिन्दुओंको नारकी कहते हैं और उनकी अवस्थापर खेद प्रगट करते हैं। पर क्या इसके लिये मैं उनकी विद्वत्ता और अच्छाईको स्वीकार करना छोड़ दूँ। मानव जीवनके लिये कहा गया था कि वह प्रकृतिसे भी कपटी और कुटिल होता है। इस बातको आजतक अनेक ईसाई गिरजोंमें दोहराया जाता है। इसलिये उस भाषणमें ऐसी कोई बात नहीं दिखलाई देती जिसके कारण मिस्टर डोगलस अपने सम्बन्ध त्यागको उपयुक्त ठहरा सकें।

— मौलाना शौकत अल्लोके शब्द और भी स्पष्ट थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा था कि 'मिस्टर विलोवीकी हत्याके लिये

जितना अधिक दुःख मेरे हृदयमें है उतना किसीको नहीं हो सकता। यदि खिलाफत कमेटीने अहिंसाके भावको स्वीकार करके हिंसात्मक भावको रोकनेकी सलाह न दी होती तो इस तरहकी अनेक हत्यायें हो गई होतीं। पर जयतक हम लोगोंने असहयोग आन्दोलनको स्वीकार किया है तयतक हम लोगोंका यह परम कर्तव्य होना चाहिये कि अपने धर्मकी रक्षाके लिये इस तरहकी हत्याओंको रोकें। पर मैं इस हत्याकी निन्दाके प्रस्तावका समर्थन करनेका कोई कारण नहीं देखता।

मैं यह भी देखता हू कि लोग मेरे सम्बन्धमें अनेक तरहकी भ्रमात्मक बातें कह रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा था कि जब कि हम लोग तलवार उठानेकी आवश्यकता देखेंगे तो हम लोग सूचना दे देंगे। मैंने इस हत्याकी निन्दा करनेमें कोई बात उठा नहीं रखी थी। मैंने यह भी कहा था कि यदि इस तरहके निर्दोषोंकी हत्याका यदि समर्थन किया गया तो इस्लाम धर्मका भवल यश कलङ्कित हो जायगा। विशेष कर उस अवस्थामें जब कि धार्मिक मुसलमानोंने इसके विरुद्ध घोषणा की है। मैंने कहा था कि मेरा धर्म तो शत्रु तकके प्राण लेनेकी मनाही करता है। साथ ही मैंने यह भी कहा था कि मुसलमान लोग तथा उनके साथ ही लाखों हिन्दू इस बातको मानते हैं कि अवस्था विशेषमें हत्या करना और प्राण लेना जायज है। इस संबंधमें

मैंने कहा था कि यदि भारतके मुसलमान असहयोगकी अहिंसात्मक प्रवृत्तिको छोड़कर तलवार खींचना चाहे तो उन्हें उचित है कि वे इसकी सूचना देते।

मैं इस बातको बराबर कहता आया हूँ और आज भी उसे दोहराता हूँ कि समस्त सुविचारवान मुसलमान—जिनमें मौलाना अब्दुलबारी साहब तथा अली वन्दु भी शामिल हैं—इस बातकी कड़ी चेष्टा कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार हिंसाकी प्रवृत्ति न जागृत हो। मैं यह भी भली भाँति समझता हूँ कि यदि ये लोग इस तरहसे सचेष्ट न रहने तो अवश्य खून खराबी आरम्भ हो गई होती। मैं इस बातको भी स्वीकार करता हूँ कि इस तरहके खून खराबीसे न तो इस्लाम धर्मको कोई लाभ पहुँच सकता है और न भारतका ही किसी तरहका उपकार हो सकता है। इससे निर्दयतापूर्ण दमन अवश्य जारी हो गया होता, जिनके कारण भारत और इस्लाम धर्मकी रही सही मर्यादा भी लुप्त हो गई होती।

सिक्ख लोग

(नवम्बर १७, १९२०)

किसी सिक्ख स्वावदाताने ट्रिब्यूनके सुयोग्य नम्पाटक बाबू कालीनाथ रायके पास एक पत्र भेजा है। उन्होंने उस पत्रके एक अंशको मेरे पास इसलिये भेज दिया है कि मैं उसपर अपना मत प्रगट करूँ। उसमें लिखा है—२१ जूनको सिक्ख समुदायके कुछ लोग महात्मा गाँधीने मिलने गये और उनसे कहा कि आपके असहयोग आन्दोलनका सिक्ख जनतापर बहुत ही बुरा प्रभाव पड रहा है। इसपर महात्माजीने उनसे कहा कि असहयोग आन्दोलन अहिंसात्मक है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि ऐसे दृष्टण दिखलाई दे गये हैं कि इस आन्दोलनके कारण मिराजोमें हिंसाके भाव उदय हो सकते हैं पर मैं सिक्खोंको बही सलाह दिया करूँगा कि वे मनसा और कर्मणा हर तरहने अहिंसुद्धमक रहनेकी चेष्टा करें। पर यदि उनकी चेतावनीकी पर्याप्त न करके सिक्खोंने हिंसाके भाव दिखलाये और यदि इसके लिये सरकारने दमनद्वारा उन्हें दबाना शुरू किया तो उन्हें इसके लिये जरा भी खेद या पश्चात्ताप नहीं होगा। उसे अवस्थामें हिन्दू या मुसलमान कोई भी

उनकी सहायताके लिये तैयार नहीं होगा और उनका अन्त सभी चुपचाप देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार उस तत्वकी आहुति देकर—जिसके द्वारा हिंसा होनेकी संभावना है—ही असहयोग आन्दोलन सफल होगा।” इस अवतरणको देकर ब्रावू कालीनाथ रायने अपनी ओरसे लिखा है —“इस पत्रके लेखकने लिखा है कि सिक्ख लीगकी एक बैठकमें ये शब्द आपके नामपर दोहराये गये थे और यद्यपि आप उस बैठकमें उपस्थित थे तथापि आपने इन शब्दोका विरोध नहीं किया था।” इसके बाद मुझे यह भी सूचना मिली है कि सिविल और मिलिटरी गजटने इसको प्रकाशित भी किया है।”

मेरी सम्झमें मेरे अनादरके लिये ही इस तरहकी बातें मेरे सम्बन्धमें कही जाती हैं। जिस बातचीतकी इस पत्रमें खर्चा की गई है वह प्राय एक घण्टेमें समाप्त हुई थी। मैंने जो कुछ कहा था उसे उलट पुलटकर तथा खींच तानकर इस तरहसे रर दिया गया है मानों मैंने उसे उसी ढङ्गसे कहा था जिस ढङ्गसे ये उद्धृत किये गये। बातचीतकी भाषा अंग्रेजी और हिन्दुस्तानकी खिचड़ी थी। कहीं अंग्रेजीका प्रयोग होता रहा और कहीं हिन्दुस्तानीका। जो कुछ मैंने कहा था उस डेपुटेशनके अनेक सदस्योंके प्रति कहा था। जो मेरे पास इस बातकी प्रार्थना करने आये थे कि मैं सिक्ख समुदायके सामने असहयोग आन्दोलनके कार्यक्रमको न रखूँ क्योंकि उनमें हिंसात्मक भाव या जानेकी संभावना है। जैसा सिक्ख लीगके

अनेक सदस्योंमें मैंने अपनी आँखों देखा था । उन लोगोंने मुझसे अनेक तरहके प्रश्न किये । उसके उत्तरमें मैंने उनसे कहा था कि उस सभामें उपस्थित अनेक सिक्ख सदस्योंके व्यवहार मुझे पसन्द नहीं आये और उससे मैं बड़ा ही दुःखी हुआ । मैंने उनसे यह भी कहा कि यदि उस सभामें मुझे बोलने दिया गया होता तो मैं हिंसाके कारण जो उत्पात उठ सकता था उसके लिये उन्हें कड़ी चेतावनी दी होती, कि सहयोगियोंके साथ ज्यादती करना तथा बल पूर्वक उन्हें अपनी ओर खींचनेकी चेष्टा करना आत्म हत्या करनेके बराबरा होगी । मैंने उनसे यह भी कहा था कि यदि असहयोगियोंने हिंसाकी प्रवृत्ति दिखालाई या हिंसा की तो वे अपना विनाश आपसे आप ही कर डालेंगे, क्योंकि उस अवस्थामें ब्रिटिश सरकारको पूरा अवसर मिल जायगा कि वह सम्पूर्ण जातिका नाश कर दे । मैंने उनसे यह भी कहा था कि जहातक मेरा बश चलेगा मैं प्रत्येक हिन्दू तथा मुसलमानको हिंसा करनेवालोंसे दूर रहनेका हीसलाह दूंगा । और सरकारके साथ मैंने जो संग्राम छेडा है उससे मैं इस तरहके किसी भी भय या आशकाकी सभावनासे अपना कदम पीछे नहीं हटा सकता ।

इस लिये हमारी बातोका जो सक्षेप पत्रको लेखकने किया है उसमें उसने मेरे साथ न्याय नहीं किया है । मैं इतना और लिख देना चाहता हू कि न तो मैं उस लेखकको ही जानता हू और न मैंने उस पत्रको ही देखा है जिसमेंसे वा० कालीनाथ

रायने उपरोक्त अवतरण मेजा है। मुझे यह भी सम्मरण नहीं है
 है कि किसी निवृत्त सदस्यने उम सभामें मेरे विषयमें इन
 शब्दोंका प्रयोग किया था। उसका भाषण गुप्तमुखी भाषामें
 हुआ था। जहातक मुझे स्मरण है उसने मेरे भावको स्पष्टतया
 व्यक्त किया था।

तालीमकी जरूरत

(अक्टूबर २०, १९२०)

मद्रास प्रदेशके अपने अनुभवका वर्णन करते हुए मेने पहले
 बहुत कुछ लिखा है कि हमलोगोंमें तालीमकी मात्रा कितनी
 है। पर रोहिलाखण्डमें सफर करते समय इस तालीमका
 अभाव देखा है।

प्रत्येक स्थानमें लोगोंकी बुराईसे नहीं बल्कि स्वयंसेवकोंमें
 तालीमके अभावके कारण में अंधाधुंधी और अव्यवस्था देखता
 हूँ। हों एक स्थानमें स्वयंसेवकोंपर पहले कभी ऐसी सभाओं-
 के बन्दोबस्तका भार नहीं पडा जैसा अब आपडता है। काम
 करने समय हर जगह झुंझडी बहुत होता है।

भारद शौकतअला प्रत्येक स्थानमें अविधान्त परिश्रम कर
 जाते हैं। जहा जाते हैं वहा बहुतोंका मन रखनेकी इनमें
 उत्कण्ठा रहती है। इससे इनके कार्यक्रममें यह कहावत चरि-

तार्थ होती है कि गत थोड़ी और भेष घने (घट्टन) ।" इन्होंने एक ही दिनमें मोटर द्वारा अलीगढ़से हाथरस, हाथरससे पटा और पटाने कामगज इन तीनों स्थानोंको जाकर कार्यक्रम बता शामको रेल द्वारा कानपुर जानेका भार लिया । मोटरका सफर ६० मीलका था । सवेरेके पहर अलीगढ़में एक सभा पूरी कर दम वजे आप चले और ११ वजे हाथरस पहुंचे । गर्मी बड़ी नेज थी । हाथरसमें हजारों जादमीकी टोलिया तथा भीट उनकी राह देख रहे थी । उसके बाद इतनी भारी सभा हुई जिसमें सबसे बलवान् मनुष्यकी भी आवाज काम न दे । हमारी मिहनतके बदलेमें आंनरगे मैजिस्ट्रेटने मैजिस्ट्रेटो छोड़ी । उनके वाट वे पटा पहुंचे । यहा हाथरससे कुछ अधिक व्यवस्था थी । यहांसे मेरी मोटरें कासगज पहुंचीं । मौलाना शौकतअली तथा उनके साथी समयपर न पहुंच सकनेके कारण ट्रेम नहीं पा सके । पटामें बहुतसे लोगोंने पट-त्याग किया । कासगजकी सभा बड़ी विराट थी । लोगोके पैर पडते, चरण छूते बड़ी टेर लगी । किसी प्रकार भी प्रयत्नकर्ता प्रधानोंको इमसे निकाल नहीं सकते थे । इससे नमयकी बरवादी होती है और बड़ी भारी भीट घन्दना करनेको पिल पटती है जिससे बंटा प्राम्मथका झूम्र बड़ी जोखिम होती है ।

सबसे डरावना अनुभव तो रातके समय पटासे कानपुरकी रेल द्वारा मुसाफिरी करते समय हुआ । प्रत्येक स्टेशनपर लोग देल बांधकर ठेलकर पास पहुंचते और जरा भी भपकी

न लेने देते थे। प्रत्येक स्टेशनपर लोग मुझे जगाकर दर्शन करनेके लिये शोर-गुल मचा देते। मेरा सिर खूब दर्द कर रहा था और विश्रामकी घडी जरूरत थी। मेरी स्त्री तथा दूसरे लोग उनको रोककर चुप रहनेके लिये बहुत कुछ बिनती करते थे, पर इससे कुछ भी फल नहीं होता था। जैसे जैसे वे अधिक प्रार्थना करते जाते थे वैसे लोग शोर-गुल मचाकर दलीलें पेश करते थे। ऐसा गोलमाल चलता ही रहा। मेरी स्त्री डब्बेकी घत्तीको जितनी बार धुक्का देती थी उतनी ही बार उसे वे फिर जला देते थे। बिडकियां बन्द करते थे तो लोग उन्हें भी खोल डालते थे। दिन भरकी तकलीफके बाद थोडा विश्राम करने देना भी क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम इन्हें असमय ही मार डालना चाहते हो? उसके उत्तरमें लोग कहते थे कि हम कोसों चलकर दर्शन करने आये हैं, हमें दर्शन कराओ। इस रातको मेरी आंख पलभर न लगी। तालीम न पाये हुए लोगोंके प्रेमका यह एक विलक्षण उदाहरण था। दुःख, दरिद्रता और अपमानसे छुटकारा पानेके लिये उत्सुक और श्रद्धालु लोग जानते हैं कि मेरे पास इनके लिये आशाका संदेशा है।

मैं जानता हू कि मेरे पास उनके लिये आशा और निश्चित छुटकारेका सन्देशा है, पर हा यही बडा भारी पहाड, इसके बीचमें है। तालीम बिना, संयम बिना छुटकारा नहीं है, आशा नहीं - है। - नश नशमें; व्यापी हुई इस

दुर्व्यवस्थाकी आदतसे तालीम कैसे सिखाई जाय ? इस प्रेमका प्रदर्शन पशु बलसे न दिखाते तो उन्हें देश-कार्यके लिये, तालीम बिना हिन्दुस्तानके लिये, स्वराज्य पानेकी योग्यता थोड़ी आ सकती ? लोग यदि देश सेवकोंको अपना अशिक्षित प्रेम दिखलाकर यदि उचित विश्राम भी न लेने दें और उन्हें मार डाले तो ये कैसे अपना कार्य सिद्ध करेंगे ? इससे हमें ऐसे सतके प्रदर्शन बन्द करने चाहिये । छोटे छोटे मनुष्यके लिये मनमें विचार होना चाहिये । इस एक गाडीके मुसाफिरीके विश्राम नष्टकर देनेकी बातसे आपको विचार करना चाहिये । नेताओं-पर जो प्रेम है उसे देशके उपयोगी कार्य करनेकी शक्तिमें लगा देना सीखना चाहिये । नेताओंके चरण छूके और उनका 'जयघोष' करनेसे सन्तोष हो जानेपर प्रेम कम हो जाना सम्भव है । ऐसा प्रेम आगे दुर्गुणका रूप धारण कर सकता है; ऐसी भी सम्भावना रहती है । देशके जन समाजके सामने इस समय सबसे प्रधान कार्य यह है कि लोगोंको तालीम दे उसकी उपयोगिता सिखाई जाय । असहयोगके लिये लोगोंको द्वेष न सिखा उनके अन्दरके या बाहरके; किसी प्रकारके शत्रु के सामने रक्षा करना सिखाना चाहिये । असहयोगको सफल करनेके लिये आज इस प्राचीन जन समाजके एक एक अङ्गमें पूरे आदर्श, सहयोग और एकताकी जरूरत है ।

तक पहुँचनेकी सभी कोशिश कर रहे थे और धक्कामुक्की कर रहे थे। इस बातको किसीने भी नहीं सोचा कि यह काम असम्भवसा है। अन्तमें मैंने कहा कि जयतक जनता पूर्ण शान्त न हो जायगी मैं इस स्थानसे नहीं हिलूंगा। चन्द्र मिनिटके बाद जनताने होश सम्भाला और हमलोगोंको आगे बढ़नेके लिये रास्ता मिला। सवारी निकाली गई। सवारी इतनी लम्बी चौड़ी और दीर्घकालव्यापी थी कि तबियत धररा गई। हमलोग सब कोई मौलाना अब्दुलबारीके घरपर ठहरे। उन्होंने हिन्दुओंके भोजनादिका अलग खास प्रबन्ध किया था। एक महाराज रसोइया भी उन्होंने रख लिया था। जनताको स्मरण होगा कि यहीं पर मौलाना जाफर उलमुत्क, गिरफ्तार किये गये थे। आप सच्चे, पवित्र और निर्मल चरित्रके मुसलमान थे। जहापर मिस्टर विलोवीकी हत्याकी गई थी वह स्थान भी यहासे बहुत दूर नहीं है। रातको महती सभा हुई। जनताने पूर्ण शान्तिके साथ ध्यानसे हमलोगोंके व्याख्यान सुने। स्थानाभावके कारण मैं यहापर उन भाषणोंका उल्लेख नहीं कर सकता पर यदि मैं यह कर सकता तो वह अच्छा होता। हम सबने एक स्वरसे खेरीके इस हत्याकाण्डकी निन्दा की और कहा कि दुर्भाग्यवश खिलाफत कमेटीकी पूरी देखरेखपर भी यह दुःख जनक घटना उपस्थित हो गई जिससे खिलाफतपर बहुत धक्का पहुँचा है क्योंकि इससे लोग डर गये हैं और स्थानीय कमेटीके ऊपर

सन्देह हो गया है। मुझे इस बातका बड़ा खेद हुआ कि उस समय प्राय एक भी नेता उपस्थित न थे। उनकी समझमें असहयोग आन्दोलन हानिकर है। यह कैसा है इसका पता तो समय ही देगा। पर हमें उनके साथ भी शान्ति और धैर्यसे काम लेना चाहिये। वे भी राष्ट्रके ही अङ्ग हैं और जिस दिन उनका अविश्वास उठ गया उसी दिन वे उसका साथ देनेके लिये तैयार हो जायेंगे।

अमृतसर और लाहोरके जोश खरोशका वर्णन छोड़कर हम भिवानीका वर्णन करते हैं। अमृतसरमें भी स्टेशनपर चेशुमार भीड़ थी पर सगठन या तालीमका उनमें भी एकदम अभाव था। निदान हमलोग दूसरे फ्लोट फार्मपर उतरे और इस तरह उस भीड़से अपनी रक्षा की। उसी तरह मोटरपर सवार होकर भागकर हमलोगोंने लाहोरकी भीड़से अपनी रक्षा की।

भिवानीमें हम लोग रातको पहुँचे। इस यात्रामें बड़ा कष्ट हुआ जनता दर्शनोंके लिये उत्सुक हो रही थी। कितने तो क्रुध हो गये क्योंकि हम लोगोंने बिस्तरा छोड़नेसे साफ इन्कार कर दिया। कितनोंने तो यद्यत्क कहना शुरू कर दिया कि हम लोगोंको बड़ा अमिमान हो गया है कि हम लोग जनताकी परवा न करके उन्हें दर्शनतक देने नहीं आ रहे हैं। अन्तमें थके मादे और ऊँचे हम लोग भिवानी पहुँचे। आसपासके गावोंसे प्राय ५० हजारकी भीड़ इकट्ठी हो गई

थी। इस भौड़को देखकर मुझे भय पैदा हो गया कि हम लोग इसमें गिर जायेंगे और हम लोगोंकी हड़ती पसलीका कर्ही पता नहीं चलेगा। पर मेरे अनुमानके विरुद्ध मैंने वहां पूर्ण शान्ति पाई। स्टेशनपर न तो दौड़ थी, न धक्कामुक्की था, और न शोरगुल था। प्रत्येक आदमी अपनी अपनी जगह पर खड़ा था। जनताकी भीड़ भारी थी फिर भी सवारी समारोहके साथ निकाली गई। पण्डालमें जनताने जो धैर्य और शान्तिका प्रदर्शन किया वह और भी आश्चर्यजनक था। पण्डालकी सजावट विचित्र थी। कुर्सियोंका सर्वथा अभाव था। यहाँतक कि मेधापतिके लिये भी कुर्सी नहीं रखी गई थी। पण्डालके बीचमें एक ऊँचा चबूतरा था। प्रधान प्रधान व्यक्ति उसी चबूतरेपर बैठाने जाते थे। पण्डालमें प्रायः २२,००० आदमी समा सकते थे। फिर भी वह जिस तरहसे बनाया गया था उससे वह और भी लम्बा चोड़ा प्रतीत होता था। और चबूतरेकी ओर वह इस तरह ढालवां बना दिया था कि सब कोई आरामसे और मजेमें सब कुछ देख और सुन सकते थे। मेरी समझमें अर्धचन्द्राकार बनाना, इससे भी अच्छा होता है। चबूतरेके पीछे बैठनेका स्थान नहीं होना चाहिये।

आगामी कांग्रेसके कार्यकर्ताओंको सिवानी और हैदराबाद (निन्ध) से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। यदि स्वागत कारिणी सभाने कुर्सियोंका प्रवन्ध नहीं किया, चाहे

वह प्रबन्ध चबूतरेपर हो या नीचे फर्शपर—तो इससे उनके कई हजार रुपये भी बच जायगे और जगह भी काफी निकल आवेगी। हमें जनता तथा उनके नेताओंके आरामका अधिकाधिक भरोसा करना चाहिये। हम लोगोंको जनातपर उन्हींके नेताओंद्वारा अधिकार प्राप्त करना होगा। ये नेतागण भी उतने ही सोचेसादे होते हैं जितनीकी स्वयं जनता। इसलिये चन्देकी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये बहुतोंको कुर्सीपर बैठनेके लिये मजबूर करना उचित नहीं प्रतीत होता। मुझे यह भी आशा है कि नागपूर कांग्रेसके स्वयंसेवक दल अभीसे ट्रेन किये जायगे जिससे वे अपने कर्तव्यको अच्छी तरह समझ सकें और उसका पालन कर सकें तथा साधारणसे साधारण बातका अच्छा प्रबन्ध कर सकें।



आसामका दर्शन

आसामका तो मैंने सिर्फ नाम ही सुना था। जब मैं खिलाफतमें था तब मैंने मणिपुरकी चढाईको कहानी पढ़ी थी। और तबसे मेरा यही ख्याल हो गया था कि आसामके लोग बड़े जङ्गली होते हैं। इससे मैंने अपने हिन्द स्वराज्यमें उन्हें जङ्गली लिखा था। यह बात आसाम भाइयोंको अखरती थी। हाकिमोंने उस बातका दुरुपयोग भी खूब किया। और जिस अज्ञानीने आसामियोंको जङ्गली लिखा, उसको भला आसामी लोग भी कैसे चाह सकते हैं? परन्तु लोग तो अब मनुष्यके हृदयको परखने लगे हैं, तब यह कैसे हो सकता है कि वे निर्दोष अज्ञानपर बुरा मानें? तथापि मैंने अपनी भूलके लिये सभामें लोगोंके सामने सबसे पहले माफी माग ली। जब मैंने अपनी भूलका जिक्र किया तब लोग खिल-खिला कर हंस पड़े, क्योंकि वे तो माफीकी उम्मेद ही नहीं करते थे।

आसामके लोगोको जङ्गली कौन कह सकता है? कहने-वालाही मुझ जैसा जङ्गली होना चाहिये। जिनकी स्त्रियां सुन्दरसे सुन्दर कपडा बुनती हैं और अपने हाथका बुना कपडा पहनती हैं, उन्हें कौन जङ्गली मान सकता है?

गुजरात जिस तरह हिन्दुस्तानके पश्चिममें और विन्ध्याचलके दक्षिणमें है उसी तरह आसाम ठेठ पूर्व और उत्तरमें है। आसाम हिन्दुस्तानका ईशान कोण है। वहासे ब्रह्मपुत्रके किनारे किनारे तिब्बत जानेका रास्ता है और वहासे दक्षिणकी ओर पहाड़ोंसे होकर ब्रह्म देश जानेका पहाड़ी रास्ता है। आसाममें जहा देखिये वही हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। आसामकी एक पहाड़ी चीरापूजीपर हिन्दुस्तानमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हर साल औसत दर्जे कोई ३६८ इंच पानी बरसता है। परन्तु सन् १८६१ ईस्वीमें ८०५ इंच वर्षा था और उसमें भी अकेले जुलाई मासमें ही ३६६ इंच पानी हुआ था। साठ इंचसे अधिक तो बरसात यहा कहीं नहीं होती। इस तरह जहा एक तरफसे बरसातका पानी और दूसरी ओर ब्रह्मपुत्रजैसा नदी, वहां हरियालीका क्या पूछना ? फिर नदीके आसपास जहा तथा टक-लिया खड़ी हैं, इससे जहा जहा नजर फेकते हैं वहा बड़े ही ऊंचे दरजेका दृश्य दिखाई देता है।

जिस मकानमें हमलोग ठहराये गये थे वह ठीक नदीके किनारेपर ही था। सामने नदी शान्तिके साथ बह रही है। 'शान्तिके साथ' शब्दोंका प्रयोग मैंने जान बूझकर किया है। पानी सूय गहरा है। इससे उसमें जरा भी छलछलाहट नहीं दिखाई देती। ब्रह्मपुत्रमें इतनी ताकत है कि बड़े बड़े स्टीमर उसपर चारहों महीने चल सकते हैं। उसकी जैसी गहराई हम लोगोंमें आ जाय और उसकी जैसी शान्ति हमलोगोंमें छा

जाय तो हमें स्वराज्य प्राप्त करनेमें किस बातको देर लगे ? हमें उल्ले पानीकी छलछलाहट दरकार नहीं । हमें तो गहरे पानीकी शान्ति और उसमेंसे प्रगट होनेवाले बलकी जरूरत है ।

आसाममें तरह तरहके पेड पौधे और मेवे फलते हैं, चाय तो वहा हई है । उससे फायदा तो कौन जाने क्या हुआ है, परं नुकसान तो हम सब लोगोंको मालूम है । आसाममें केले अनारस, नारङ्गी, शरीफा, इत्यादि बहुतेरे फल होते हैं । अनाजमें चावल, फसल मुख्य है ।

लोग भोले भाले और सीधे साधे हैं । हिन्दू-मुसलमान दोनों आसामी बोली बोलते हैं । आसामी भाषा बङ्गालीकी बहन मानी जाती है । लिपि बंगाली है । मैं ज्यों ज्यों ज्यादा घूमता हूँ त्यों त्यों यही देखता हूँ कि यदि हिन्दुस्तानकी सारी भाषायें देवनागरी लिपिमें लिखी जाया करे तो इससे हमारी जातीयतामें बहुत ताकत मिले । लिपिया तो बस दो ही हो सकती हैं उर्दू और देवनागरी । आसामी, बङ्गाली, पजाबी, सिन्धी इत्यादि भाषायें जो देवनागरीमें लिखी जायें तो उनके समझनेमें बहुत ही थोड़ी दिक्कत हो, इसमें कोई शक नहीं । ऐसा होनेसे इन सब भाषाओंके पढ़नेवालोंका बहुत समय बच जाय और भाषा बड़ी सहज मालूम होने लगे ।

पर यह तो मैं बोचमें एक नया ही मामला छेड बैठा । आसामके लोगोंको और लोगोंसे सुखी कह सकते हैं । उन्हें जमीनकी बहुत जोतना नहीं पडता । नदीकी धारायें खादका

मशाला देती हैं इससे लोग थोड़ी मेहनतसेही अपनी रोजी कमा सक्ते हैं। आसाम बड़ी देर बाद अंग्रेजोंके कब्जेमें आया, जिससे उसमें 'सुधारों' का प्रवेश कम हो पाया है। इससे लोग अपना धन और आवादी कायम रख पाये हैं। आसामके लोग मजदूरी तो करते ही नहीं। पर चायके खेतोंपर तो मजदूरोंके बिना काम नहीं चल सकता। इसीलिये सशुक्त प्रान्तसे मजदूर बुलाये जाते हैं। यही कारण है कि जो मजदूरोंके साथ अत्याचारोंकी कितनी ही बातें सुनाई देती हैं और इसीसे चादपुरकी जैसी घटना हो सकी।

आसाममें पचास साल पहले ऐसा जमाना था कि घाहके लोगोंकी तमाम जरूरतें वहीं पूरी हो जाती थीं। पाठक यह जानकर खुश होंगे कि आज भी आसाममें हर एक औरत कपड़ा बुनना जानती है। छोटे बड़े सब घरोंकी स्त्रियां बुनना जानती हैं। वे पेशेके तौर पर बुननेका काम नहीं करतीं बल्कि घरमें जरूरत मिल जाती है तब वे बुनाई किया करती हैं। जो लडकी बुनाई नहीं जानती उसकी तो सगाई होना ही मुमकिन नहीं। जिस घरमें मैं ठहरा था उसके मालिक, यह जर्मीदार, पैसेकी कमी नहीं। लेकिन उनकी ७० वर्षकी बूढ़ी मां और बहनें और बीबी सब कपड़ा बुनती हैं। उन्हें एक दस ग्यारह वर्षकी लडकी है। यह भी बुनाई करती है।

आसाममें रेशम अच्छा पैदा होता है। इससे यहांकी औरतें रेशम और सूत दोनों बुनती हैं। उन पर अनोखे रेल-

वृष्टे भी काट सकती हैं। पचास वर्ष पहले प्रत्येक स्त्री सूत भी कातती थी और बुनेती भी थी। पर जबसे अंग्रेजी शासन पद्धति—तर्जे अमलने पाव रखा तबसे उनके साथ ही, विलायती सूत भी बहा धा पहुँचा। इसी सूतने मारा काम चौपट कर दिया। इसी सूतसे ललचाकर औरतोंने काननेका काम छोड दिया। सौभाग्यसे यह नियम था कि जो बुनना नहीं जानती, वह शार्दी करनेका भी हक नहीं रखती। इससे बुननेकी कला कायम रही। जिन औरतोंका महापरा है उनके लिये तो कातना सहज ही है। इससे अब फिर औरतोंकी आगे खुली हैं और कातनेका काम भी शुरू हुआ है। पर जिन दिनोंमें आसाममें विलायती सूतना प्रवेश हुआ उन्होंने दिनों एक अंग्रेजी अबलोकान कर्त्ताने यह टिप्पणी की थी कि विदेशो सूतको अगी कारे फरके इन स्त्रियोंने कुछ कमाया नहीं क्योंकि उन्होंने कातार्थके बदलेमें किसी दूसरे उद्योगकी तजवीज नहीं की। आसाममें आज भी ४० हजार एकड़ जमीनमें कपास पैदा होती है। यह रुई बड़े ऊँचे दर्जेकी होनी चाहिये, क्योंकि इसकी जो पुनिया मुझे दिखाई गई थी, उन्हें देख कर मुझे आध्र देशकी पुनियोंकी याद आ गई। पुनिया बहुत ही साफ सुथरी मुठायम और बिना गर्द लगी थी। मुझे एक कपडेका नमूना भी दिखाया गया था, वह भी इतना उमदा था कि प्रायः आध्र देशके कपडोकी बराबरी करता था। आसाममें आसामी भाषा बोलनेवालोंकी आवादी ३७ लाख

हैं। इनमें कमसे कम-१० लाख औरते' हैं। ये दसों लाख औरते' जो हिन्दुस्तानके सूत काते बुने तो आसाम केवल अपने ही लिये नहीं, बल्कि सारे हिन्दुस्तानको बहुतसी खादी दे सके।

मालूम होता है कि आसाममें जातीय महासभा काग्रमेनके कार्य-कर्त्ता लोग अच्छे हैं। जिनके यहां मै ठहरा था वे आसामके 'सेनापति' घरानेके हैं। पुराने वैरिस्टर हैं। भारी जर्मांदार हैं, कॉन्सिलने मेंर भी थे। बहुत सार्वजनिक सेवाये की हैं। अब वे पत्रे असहयोगी हैं। मन्त्री हैं श्रीयुत चारण्डो-लाय। वे भी पुराने वकील' हैं, घरवार और जमीन जायदाद वाले हैं। आपनेभी पूरा असहयोग किया है। आत्माजी वकीलोंकी सख्या ७८ है। उनमेंमे १५ लोगोंने वकालत छोड दी है और सबके स्वय असहयोगके काममें लगे हुए हैं। उनके म्नाय कोई ५०० स्वय सेवक हैं। उनमें बहुतेरे कालेज छोड चुकने वाले हैं।

आसामके लोगोंको अफीम खानेकी बुरी टेव है। इन्में वे लोग लाखों रुपये गंवाते हैं। कार्यकर्त्ता लोग कहते हैं कि असहयोगकी एलचलके बादसे अफीम सेवनकी कुटेव बहुत कम हो गई है। विलायती बीडिया लोग बहुत पीते थे। पर उनमें अब शायद ही कोई पीते नजर आते हैं। जो लोग पीते हैं वे सिर्फ स्वदेशी बीडिया पीते हैं। परन्तु यह व्यसन भी हालमें तो छूटता जा रहा है। मुझे यह भी पत्र दी गई है कि असह-

योगके बढ़ीलत लोग खुद ही अपने आप सुमार करते जा रहे हैं।

स्त्रियोंकी सभा

औरतोंके तीन जलसे अलग अलग किये गये थे, एक मारवाडी बहनोंका, दूसरा आसामी बहनोंका और तीसरा बङ्गाली बहनोंका। इनमें आसामी और बङ्गाली बहनें तो अपनी कोमतीसे कोमती विलायती साडियोंकी जगह खादीको सादीसे सादी घोटियां पहनकर आई थीं परन्तु बहुतसी बहनें खादीकी साडी अपने पास न होनेके कारण शर्मिन्दा हो रही थीं। मारवाडी बहनें तो बिलकुल विलायती कपडे पहनकर आई थीं! परन्तु श्रीजमनालालजीने मुझसे कहा कि उन बहनोंने भी अब खादीकी साडियां मंगवाई हैं। इस सभामें मौलाना मुहम्मद अलीकी धर्मपत्नी भी आई थीं। उनको खादीकी पोशाक देख कर लोग बड़े खुश हुए। उनमें बोलनेका मादा अच्छा है। उन्होंने खुद बुरका ओढे हुए भाषण भी किया था।

विलायती कपडोंकी होली

गोहटीमें बैठे हुए यह लिख रहा हू। गोहटी आसामका मुख्य शहर है। कलकत्तेसे १६ घण्टेका रास्ता है। यहां भारी सभा की गई थी। उसमें विलायती कपडोंके बड़े भारी ढेरकी होली की गई थी। उसमें मैंने कितनी ही महीन घोटियां, पतली साडिया, टोपियां और हूटें देखीं। होली

सुलगानेका पवित्र काम तो मेरे ही हाथों कराया जाता है। होली सुलगानेके वादका दृश्य तो मुझे बड़ा भय दिखाई दिया। सैकड़ों यारीक कमीजे और दूसरे कपड़े हवामें उड़ते हुए होलीमें गिरते थे। इस प्रान्तमें टोपी कम पहनी जाती है। इससे विदेशी टोपियां कम उछलीं। छादी तो यहा भी पहुंच गई है। इससे जो लोग टोपी पहनते हैं वे बहुत करके छादीकी ही पहनते हैं।

आसाममें मारवाडी भाइयोंकी वस्ती घनी नजर आती है। बाहरका तमाम व्यापार उन्हींके हाथोंमें है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आसामके लोगोंके अपने खेतोंमें फसल अच्छी पकती है। इसलिये वे दूसरे व्यापारमें अथवा नौकरी की भ्रष्टमें बहुत कम पड़ते हैं। इससे व्यापारको मारवाडियोंने अपना लिया है। और सरकारी नौकरीपर घड़ाली लोग दूट पड़े हैं। इनमेंने बहुतसे मारवाडी विदेशी कपड़ोंका व्यापार करनेवाले हैं। उसमेंसे कितने ही कोई ६५ व्यापारियोंने शपथ ली है कि अबसे हम विलायती कपड़ा और विलायती-सुत नहीं मंगायेंगे।

आसाममें मुसलमान भाइयोंकी वस्ती बहुत बड़ी है परन्तु फिर भी वे सार्वजनिक कामोंमें कम हिस्सा लेते हैं। खिला-फतके मामले पर भी उनका पूरा ध्यान नहीं जाना। पर अब धनमें भी अच्छी जागृति देखी जाती है। कहा जा सकता है कि हिन्दू नेताओंने उन्हें जगाया है। इससे यहा हिन्दू

मुसलमानोंमें घैर भाव नहीं दिया जाता। मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना आजाद सुभानीके आनेसे मुसलमानोंमें अधिक जागृति और हिम्मत आ गई है।

मैंने ऊपर कहा है कि गोहट्टी आसामका मुख्य शहर है। इससे गोहट्टीको आसामकी राजधानी न समझियेगा। आसामका सदर मुकाम तो है शिलांग। गोहट्टीसे कोई १५ घण्टेमें मोटरके जरिये वहा जाया जाना है। शिलांग समुद्रकी सतहसे कोई ४ हजार फीट ऊंचा है। मैं वहा तक न जा सका। पर कहते हैं कि वहा तो अकेले यूरोपियनोंके ही रहनेका मुकाम है। अगर शिमलामें भी वारहो मास रहनेकी सुविधा होती तो शिमला भी केवल गर्मी भरकी राजधानी नहीं रहती, चरन् हमेशाके लिये हो जाती। यदि दार्जिलिङ्गमें लोग हमेशा रह पावें तो दार्जिलिङ्ग बङ्गालकी वारहो मासकी राजधानी हो जाय। क्यों बम्बई हातेमें तीन सदर मुकाम नहीं हैं? कभी बम्बई कभी गनेशविड और गर्मियोमें महावालेपर। परन्तु शिलाङ्गकी आवहवा ऐसी है कि वहा यूरोपियन लोग वारहो मास मजेमें रह सकने हैं। इससे शिलांग आसामकी राजधानी बनाव्या गयी है। इन्ने ऊंचेपर भला कहीं सेनामें काम करनेवाले मजदूरोंको प्रकाश पटुच सकता है। हरएकमें जिसकी लाठी उमकी भैसावाला मामला देखा जाता है। छुन्दर लोग शिलाङ्गमें रह सकते हैं और जब चाहें वहा जा सकते हैं। उनके मजदूरोंमेंने किसीकी ताव नहीं जो वहा जा सके? उत बिचा

रोंकी तो अर्जों भी शिल्लोग नरक पहुँचते २ फटकर चियडा हो जाती है।

कहा ब्रह्मपुत्र और कहा सरकार

ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि वह नारीसे नर—नदीसे नद हो गयी है। फिर भी उसकी नत्र गाका पार नहीं। हिमालय की चोटीपर रहने हुए भी वह नीचे उतरकर लोगोंको सुग्री फरती है और अपनी छाती पर उठा २ कर हजारों मनुष्योंको और उनके माल असमाप्तको एक जगहसे दूसरी जगह पहुँचाती है। इन कारण आसामका संसार उसकी पूजा करता है। और मुझ जैसे एक पश्चिमसे आनेवाले प्राणीका भी सिर अपने आप उसके चरणोपर झुक जाता है। पर हमारी सरकार अपोलो बन्दरपर उतरकर बेशुमार मजदूरोंकी, भाऊकी और पिजलीकी मदद लेकर, नीचेसे ऊपर चढ़कर, शिमला और शिलाङ्ग पर जाकर प्रियाजमान होती है और वहासे बैठे २ लोगोंको हडपती है। फिर लोग विचारे भयभीत होकर 'बचाओ' बचाओ।" पुकारें तो इसमें कौन ताज्जुम्की बात? ब्रह्मपुत्र आश्वासन, तसल्ली देती है। शिल्लोगमें रहनेवाली सरकार ऊपर चढ़कर लोगोंको नतानी है। इसीलिये आसामियोंने सरकारको सलामी उसके सहयोग छोड दिया है।

ब्रह्मपुत्र अगर मस्तीमें आकर लोगोंके घेतो और गावोंको डुबाने लगे तो लोग उससे दूर हटनेके सिवा और क्या कर सकते हैं? फिर सरकारके दामनलसे जलनेवाले लोग भागे

नहीं तो क्या करें ? आसामी लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिये तो, बस, असहयोग ही एकमात्र राजमार्ग है।

आसामका दर्शन

(२)

ब्रह्मपुत्र पर

नदीमें स्टीमर चल रही है। मेरे तीसरे दर्जेकी मुसाफिरीके दिन तो कभोके पूरे हो चुके हैं। हम सब पहले दर्जेके डेकपर बैठे हुए हैं। जब जब मैं तीसरे दर्जेका खयाल करता हू तब तब मुझे पहले या दूसरे दर्जेमें बैठते हुए शर्म मालूम होती है। पर लाचारी है। ऐसी रात दिनकी कष्टकर मुसाफिरीमें तीसरे दर्जेकी असुविधाओंको मैं सहन नहीं कर सकता। तथापि मैं यह मानता हूँ कि हम लोगोंमें तीसरे दर्जेमें सफर करनेकी ताकत जरूर ही होनी चाहिये, हमारे शरीर अवश्यही इतने मजबूत होने चाहिये। जबतक हम तीसरे दर्जेसे डरकर दूर रहेंगे तबतक उसकी हालत नहीं सुधर सकती, उसकी मुसीबत दूर नहीं हो सकती। सैकड़ों कार्यकर्ता अगर पहले, दूसरे दर्जेकी मुसाफिरी करने लग जाय तो विचारी रैट्यतका सारा धन मुसाफिरीमें ही लग जाय और हमारी स्वराज्यकी नैया तिल भर भी आगे न बढ़ सके। रैट्यतका पैसा

खर्च करते समय हमें कदम कदमपर विचार करनेकी जरूरत है। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि एक धनी आदमीने ऐसी बातोंपर खुद मेरे सामने टीका टिप्पणी की है और इससे धरा धर मेरे हृदयको दुःख बना ही रहता है। मेरे छादीकी बात छेड़तेहो उन्होंने मुझसे कहा कि "हमलोगोंका हाल आपको मालूम नहीं होता क्योंकि आपको तो जय चाहें तभी बैठनेको मोटर तैयार। एक प्याला मागते ही दस प्याले बकरीका दूध हाजिर। छादी भी लोग आपको घर आकर दे जाते हैं। लेकिन मुझ जैसे पैसेवाले आदमीको भी जय हर चक्र मोटरका और होटलोंका किराया देना पडता है और अपनी जरूरत भरकी छादीके दाम चुकाने पडते हैं, तब तो जनताकी सेवा हमें अखरने लगती और महंगी मालूम पडती है।" ये महाशय राष्ट्रीय सभाकी महासमितिके सदस्य हैं और देशकार्यमें पैसा खर्चते हुए हिचकते भी नहीं, लेकिन मैं यह समझ सकता हूँ कि उन्हें बम्बईमें हमेशा घोल रुपयेसे कम तो खर्च उठाना ही न पडा होगा। मुझे उनको दलीलमें बहुत कुछ सार मालूम होता है। लेकिन इस समय तो मैं निरुपय हूँ। मैं कमजोर हो गया हूँ और यह जरूर जानता हूँ कि इससे मेरी सेवा करनेकी शक्ति भी घट गई है। इसीलिये अब मुझे यह हिम्मत नहीं पडती कि सब लोगोंको पैदल सफर करनेको सलाह दूँ। चूँकि मैं खुद कमजोर हूँ, इस कारण दूसरोंको भी कमजोर समझ कर मैं कितनी ही चार ऋठी

दया करने लग जाता ह। पर्ना जनताकी सेवा करनेवालोंका ज्यादा खर्च करनेकी जरूरत ही नहीं पट सकती। तीसरे दर्जेकी मुसाफिरीका खर्च भारी नहीं जान पडता। जहा मुकाम करे वहा गाडो-किराया न उठाया जाय। भोजन सादा किया जाय। और पोशाक भी सादी पहनी जाय। किन्तु हमने अपनेको इतना आराम-तलब बना लिया है कि लाखों आदमी जो काम कर सकते हैं, उसके लिये हम अपनेको अन्नमर्ध मानते हैं।

मुझे करना तो था नदीका-वर्णन, और मैं लिख गया अपने दिली दर्दका हाल। खैर, नदी समुद्रकी तरह विशाल जान पडती है। बहुत दूरीपर दोनों तरफके किनारे दिखाई देते हैं। नदीको चौड़ाई लगभग दो मोल या इन्से भी कुछ अधिक होगा। १६ घंटेका सफर है। नदीकी शांति भव्य जान पडती है। बाटलोंमें छिपा हुआ चन्द्रमा पानीपर अपनी चमकदार चादनी छिटका रहा है। खीमरके पखे पानी फाट रहे हैं और उनका स्वर बडा मधुर मालूम होता है। इसके सिवा बस, चारों ओर बिलकुल शान्ति छा रही है। पर फिर भी मेरे दिलमें शान्ति स्थापित होना मुश्किल मालूम हो रही है, क्योंकि न तो खीमर मेरी है ओर न नदी ही। और जिस सत्ताके जुलमसे मैं आजिज आ गया हू, जिस सत्ताके बलसे हिन्दुस्तान घायल, निस्तेज और भिखारी बन चुका है, उसी सत्ताकी मिहरबानीसे मैं नदीमें घूम रहा हू, और खीमरमें

भी मैं उसीकी कृपासे-सफर कर रहा हूँ—ये विचार मुझे इस शान्तिके राज्यमें भी अशान्त कर डालते हैं। पर इसमें सत्ताको दोष-भागो नहीं कह सकता। तीस करोड़ हिन्दुस्तानी यदि अपने कर्नव्यको न समझे तो इनके लिये मैं सत्ताको दोषी कैसे कहूँ? सूर्योदय मुझसे दुगने रुपये मागता है। अगले मैं दूने रुपये लेनेके लिये उसे दोषी बनाऊँ या गुरुद अपनेको—देने गले हूँ—अपराधी समझूँ। व्यापारीका तो यह स्वभाव ही है कि वह मेरे साथ व्यापार करे। लेकिन उनके साथ व्यापार करना न करना तो मेरी मर्जीको बात है। मैं उसके साथ व्यापार करूँ हा क्यो? मैं अगर न मागूँ तो मुझे कौन परदेशी कपडा दे सकता है? इसलिये यह समझ कर कि उसकी सत्ताको दोषी बनाता तो मेरी ही कमजोरीका चिह्न है, मैं फिर शान्त हो जाता हूँ, और इन खयालसे कि बस मुझे तो मिर्के जनतामें ही काम करना है, मैं कर्नव्य पालनमें लग जाता हूँ।

आसामके हाथी

आसाम जिस प्रकार चहाकी स्त्रियोंकी बुनाईकी विद्याके लिये मशहूर है उसी तरह यह हाथियोंके लिये भी प्रख्यात है। पेड़की छालपर लिखी हुई दो सौ वर्ष पुरानी एक हस्ति विद्याकी पुस्तक भी मुझे दिखाई गई थी। उसमें लेखके अलावा हाथी बगरहके कई खूबसूरत चित्र भी थे। उनके रङ्ग धनूटे थे। जैसे सुहावने रङ्ग आजकल विरले ही जगह दिपाई

देते हैं। चित्रोंमें तारतम्यका खयाल भी इतना रखा गया है कि देखनेवालेके मनमें आसामकी पुरानी कागीगरीके प्रति अभिमान उत्पन्न हुए बिना रह नहीं सकती। हाथीकी कीमत ६०००) तक आकी जाती है। और चोक ढोने तथा शिकार करनेका भी काम उनसे लिया जाता है। एक अनुभवी आदमीने मुझसे कहा कि जब जङ्गली हाथीको पकड़ते हैं तब शुद्धात्में उसपर बहुत अत्याचार किया जाता है। हाथी संगीत प्रिय होता है, इस कारण कभी कभी महावत गाना गाकर उसकी खुशामद भी करता है। हाथी हमारी भाषाको इतना अधिक समझना है कि गुस्से तथा प्रेमके शब्दोंको अच्छी तरह पहचान सकता है। कहते हैं कि 'शायास' शब्दसे आसामका हर एक हाथी जानकार है। हाथी दातका तो आसाममें मिलना बहुत ही स्वाभाविक ही है। मैं यह जानकर बहुत खुश हुआ कि आसाममें हाथी दातके लिये हाथी नहीं मारे जाते। यही नहीं, बल्कि इसके लिये हाथी मारनेकी मनाही भी है।

आसामके रेशम

आसाममें दो तरहके रेशम होते हैं। और दोनों ही तरहके रेशम कीड़ोंसे पैदा होते हैं। एकका नाम है—एण्डी-केरी और दूसरेका मूगा। एण्डीका रेशम तैयार करनेमें कीड़ेका नाश नहीं किया जाता। उसका कोया रुईकी तरह काता जाता है। मूगेका रेशम मूगा खुद ही कातता है।

जय कताई पतम हो जाती है तब सूगेको धूपमें रखकर भार डालते हैं। इसके बाद कोयेको पानीमें उबाल कर रेशम गिरीपर लपेट लिया जाता है। यह काम खुद मेरे सामने करके दिखाया गया। इन दोनों तरहके रेशमके कपडे आसाममें बहुतायतसे बनाये जाते हैं। इस उद्योगके जारी रहते हुए भी अब वहा परदेशी रेशमने अपना अड्डा जमा लिया है। और बहुतसे जुलाहे सिर्फ विदेशी रेशमका ही ताना तनते हैं।

रईकी क्रिया

रईकी क्रिया भी मैंने देखी। मैं समझता हू कि आध्रकी तरह महीन कपडा आसाममें भी तैयार होने लग जायगा। हालहीमें तैयार किया हुआ ऐसा एक कपडा मुझे दिया गया है। दो सौ वर्ष पुरानी सूतकी साडिया भी मुझे दिखाई गई। मिसर देशकी कपासके पाँचे भी अब कितनी ही जगह लगाये गये हैं और उसकी रई तो मैंने विनौले समेत कातते देखी। दूसरी तरहकी रईको जिस तरह आध्रमें कातते हैं उसी तरह आसाममें कातते देखा। हर एक चीजको पहले तो मछलीके दातसे सवारते हैं। इससे तमाम रेशे अलग अलग हो जाते हैं। दातोंमें जो रई घुस जाती है उसे वैसे ही कातकर उस सूतसे खादी बुनते हैं। इसके बाद जो रई विनौलोंपर छूट जाती है उसमेंसे विनौले निकाल लिये जाते हैं। फिर उस रईको धुनते हैं। इस तरह हर एक चीज पर क्रिया की जाती है। इस तरहकी रईको कातकर महीनसे

महीन सून तैयार किया जाना है। अगर आसामकी और-
 तोंके दिलोंमें उमङ्ग 'उमड पडे तो उनसे जो सहायता मिल
 सकती है उसका पार ही न रहे। स्वदेशी पालनमें मदद
 करनेकी आसामकी शक्ति तो मुझे पञ्जाबसे भी ज्यादा
 मालूम होती है। आसामकी औरतें अगर कातें और
 बुनेंगी तो वे पैसेकी गरजसे नहीं, बल्कि स्वदेशीके प्रेमके
 वश होकर कातें और बुनेंगी। हर एक औरत, आधकी तरह,
 अपनी रुईको धाप हो घुन लेती है।

शोणितपुर

अब हम तेजपुर आ पहुँचे। इसका पुराना नाम शोणि-
 तपुर है। कहा जाता है किसी अङ्गरेज हाकिमको शोणित-
 पुर शब्दका उच्चारण कठिन मालूम हुआ। उसने जब शोणि-
 तका आसामी भाषामें अर्थ पूछा तो उसे मालूम हुआ कि
 आसामी लोग शोणितको 'तेज' कहते हैं। इसलिये उसने
 शोणितपुरका नाम तेजपुर रख दिया। - कहा जाता है कि
 तेजपुर पहले बाणासुरकी राजधानी था। इसीसे पुराण लेख-
 कोंने उसे शोणितपुर लिखा है। यहाकी यह आख्यायिका
 है कि उषाके लिये चित्रलेखा अनिरुद्धको द्वारकासे यहा,
 उठाकर लाई थी। कहते हैं, अर्जुन ठेठ मणिपुरतक गया था।
 ब्रह्मपुत्रके पू्वे किनारेपर पहला शहर पांडु है। वहांतक पाण्डव
 लोग अज्ञातवासके समय आये थे। पांडुसे पाच मीलके
 फासलेपर ब्रह्मपुत्रके किनारे ही गौहट्टी है, जहासे, कि हम

तेजपुर पहुंचे हैं। गौहट्टोका भी प्राचीन नाम है। कहते हैं, हरिहर युद्ध तेजपुरके पास ही हुआ था। वहां उनकी पादुका भी बतलाते हैं। इस तरह मैं जहां जाता हू वहीँ इस बानके प्रमाण मिलते हैं कि, पहले हिन्दुस्तान एक था।

प्लैटर-राज्य

तेजपुरकी आबादी ६ हजार होगी। लेकिन वहा म्युनिंसिपैलिटी है, रेलवे है और बिजलीकी रोगनी भी है और पानीके नल भी हैं। यह सब क्यों है? इसका उत्तर फौरन ही दिया जा सकता है। तेजपुरके नजदीक ही चायके बड़े बड़े खेत हैं। वस, चायको ढोनेके लिये रेलें हैं और इस चन्द्रगाहके, रास्तेसे चाय ले जाई जाती है। लोग, यही मानते हैं कि आसाममें प्लैटरोका राज्य तो, हुई है। लेकिन कर्ता हर्ता सब प्लैटर ही हैं। चादपुरमें गरीब मजदूरोंपर जो, चढाई हुई थी वह, मि० एण्डरूजका कहना है, कि इन प्लैटरोंके ही लिये हुई थी।

ब्रह्मपुरका पानी गङ्गाकी तरह आरोग्य चूर्चक नहीं माना जाता। इस कारण आसाममें कितनी ही जगह दरवाजेपर नदी होनेपर भी लोग नलका पानी ही फाममें लाते हैं। यह पानी कई तरहके त्वारोंमेंसे छानकर काममें लाया जाता है। खास तेजपुरमें ६० फुट ऊंचा एक हौज बनाया गया है, उनमें पानी छाना जाता है और फिर वह नलके द्वारा लोगोंतक पहुंचाया जाता है।

कलकत्तेके कलुके अनुभव

पूर्व बङ्गालकी मुसाफिरीका हाल में पहुंचे हो लिप चुका ह। वहां यद्यपि हजारों आदमियोंकी भीड होती थी तो भी उससे मैं परेशान नहीं होता था। लेकिन कलकत्तेमें तो मैं सोलहो आने थक गया हं। एक तो आधो आधो रात तक सोनेको नही मिलता और दूसरे जयजयकी आवाजपर आवाज ! ये बातें अब मुझे-नागमार मालूम होती हैं। दिन भर 'जयघोष' को सुनते सुनते मैं थक जाता ह। कान उसे गवारा नही कर सकते। फिर, इसमें कुंठ मतलब भी नजर नहीं आता। इससे मुझे यह दुस्सह मालूम होता है। इस तरहकी आवाजोसे लोगोंको कोई फायदा नहीं पहुंचता, यह बात मैं अच्छी तरह जानता ह। जब लोगोंको ज्ञान नहीं था, जबकि वे बोलते हुए भी दबते थे, तब तो जरूर इस जयजयकारसे उनके दिलोंमें जोश उमडता होगा। इस बातका अनुभव मुझे चम्पारनमें मिल चुका है। वहां सैरुडों आदमी सिर्फ इमोलिये मुझे घेरकर बैठ जाते थे कि उन्हें स्फूर्ति मिले। इस कारण, यद्यपि उतका प्रेम मुझे हैगन तो कर देता था लेकिन फिर भी मैं उसे गवारा कर जाता था। यहा भी प्रेम तो वैसा ही है। इस जय जयकारसे तो अन्ध मोह प्रगट होता है। इसमें न लोगोंका फायदा है और न मेरा।

यह तो मैंने अपने मतलबकी नजरस जयघोषकी जाच की। लेकिन चरण स्पर्श (पैर छूना) भी उतनाही दुःखदाई है। कितनी ही बार मुझे चोट लग जाती है, और कभी कभी तो मैं गिरते गिरते भी बच जाता हूँ। सभाओंमें जाते हुए मेरा कलेजा कापता है। लेकिन जयघोषमें तो मुझे खतरा भी नजर आता है, क्योंकि जब लोग प्रेमोन्मत्त होकर दरावर चिल्लाते रहते हैं तब वे अपने कानसे तो किसी दूसरी बातको सुन नहीं सकते, और न आखोंसे कुछ देखने ही बनना है। अब मान लीजिये कि ऐसे मौकेपर किसीने दगा फसाद खडा कर दिया और दो तीन लाठियां भी चल पड़ीं। मैं खडा हुआ यह सब देख रहा हूँ और हाथोंसे तथा मुहके बल मारपीट रोकनेके लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन नकारमें तूतीकी आवाज सुनता कौन है। मान लो कि इसी जाच मारपीट बढ़ गई और दलबन्दी होकर खूनकी नदी बह चली। वे सब बाने बिना किसी इरादेके हो सकती हैं। अमृतसरमें भी, मेरा तो ख्याल है कि ऐसा ही हुआ है। मैं यह नहीं मानता कि किमाने पहलेसे ही उस बेकसूर बैंक मनेजरके खून करने का इरादा किया होगा। बल्कि उस समय, लोगोंके खूनमें जोशको उमडते हुए देखकर, हो न हो, किसी शैतानने अपना मतलब बना लिया हो।

इसलिये मैं समझता हूँ कि, इस प्यामोशीकी लड़ाईमें जयघोषकी जरा भी जरूरत नहीं है, और अगर ही भी तो बहुत

मुनासिय हंगले और जफरतफे चकपर, और बहुत ही कम तादाद में।

मातूम होता है कि कलकत्तेमें स्वयं सेवकोंको सभाके नियम पालनेकी तालीम नहीं दी गई है, क्योंकि मैंने देखा कि अगर लोगोंको शुरूसे ही हिदायतें मिल जाय तो वे उसके अनुसार चल सकते हैं। गला फाड़ फाड़कर चिल्लानेसे ही प्रेम दिखाई दे सकता हो सो बात नहीं है, बल्कि चुप रहना भी शुद्ध-प्रेम—अदमका चिह्न है। यह बात अगर लोगोंको समझाई जाय तो जरूर ही वे इसका मर्म समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने दो एक सभाओंमें ऐसा करके भी देखा है। कई जगह भौंडको पार करते हुए मेरे पैर कुचल गये और जयघोषसे मैं हैरान भी हुआ। एक जगह तो मुझे अपने स्थान तक पहुँचनेमें २० मिनट लग गये।

इन दोनों जगहोंमें मेरे भाषणका चौथाई हिस्सा तो केवल सभामें चुप रहने शान्ति बनाये रखने—और नेताओंके लिये रास्ता देनेके उपदेशने ही ले लिया! लेकिन दोनों ही जगह इसका नतीजा यह निकला की लौटते वक्त हमें रास्ता मिल गया। शोर भी न मचा और जबतक हम घहासे चले न गये तब तक लोग अपनी जगहसे उठे तक नहीं। इस तरह जहाँ भौंडको पार करनेमें मुझे बीस मिनट लगे थे, वहीं लौटनेमें सिर्फ एक मिनट ही लगा।

इन बातोंसे मैं यह देखता हूँ कि अगर लोगोंको शुरूसे ही

ठीक तौर पर समझा दिया जाय तो जबर ही वे उसे मानेंगे और उसपर अमल करेंगे। मुझे यह विश्वास है कि आम तौर पर लोग शान्तिके पाठको—अमन के सबकको—समझते हैं और उसको अमलमें लानेका इरादा भी रखते हैं।

अब मैं अपने ऊपरवाले उदाहरणकी उल्टी स्थितिका अनुमान करता हूँ। मान लीजिये कि सभामें सब लोग चुप चाप बैठे हैं, सबका ध्यान मुख्य नेताकी तरफ है। ऐसी शान्त सभामें अगर कुछ लोगोंमें कहीं लड़ाई भगडा खडा हो जाय, और फिर भी अगर सब लोग चुपचाप ही बैठे रहे तो नतीजा यह होगा कि मुख्य नेताकी आंवाज जैसे दूसरोको सुन पडती हैं, वैसे ही उन लड़नेवालोंको भी सुनाई देगी और उन्हें शान्त कर देगी। अगर ऐसा न हो पाया तो भी कमसे कम हमारी जानमें तो भगडा घट ही नहीं सकेगा और शान्ति-भङ्गका दोष भी हमारे सिग न आने पावेगा।

“फौजमें ऐसा ही होता है। सब सिपाही अपनी अपनी जगहको सभाले रहते हैं। बिना हुक्मके वे अपनी जगह परसे जरा भी आगे पीछे नहीं हट सकते। दूसरे किसी काममें पड ही नहीं सकते। हम भी तो स्वराज्यके शान्तिमय सैनिक ही हैं। हमें भी अपने अपने म्यानोंपर रहकर अपने अपने कर्तव्योंका पालन करना चाहिये। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, इसका विचार करना हमारा काम नहीं। हम यह जानते हैं कि उस बातका प्रयत्न उस विभागके कार्यकर्ता कर लेंगे।

शान्तिकी सेनामें तो -अशान्तिकी सेनासे भी अधिक समयकी और अधिक व्यत्नस्याकी जरूरत है, अथवा होनी चाहिये ।

कलकत्ते में प्रेमका जिस तरह कड़ुवा अनुभव हुआ उसी तरह अनवनका भी हुआ ! मुझे मालूम होता है कि जितना पक्ष द्वेष कलकत्ते में है उतना दूसरी जगह शायद ही कहीं हो । जो अंग्रेजी अखबार असहयोगका विरोध करते हैं उनमें मुझे सिवा जहरके और कुछ नहीं दिखाई देता । असहयोगियोंके लेखोंकी वेमतलव और चाहियात नुक्ताचीनी और उनके विषयमें फैलाई विलकुल झूठी अफवाहोंका तो पार ही नहीं, उसमें भी फिर कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरके लेखों और व्याख्यानोंका तो इतना कुछ जहरीला उपयोग किया जाता है कि, यह मेरी समझ तकमें भी नहीं आता कि, लोग ऐसा करनेकी हिम्मत कैसे करते होंगे ! कितनी ही बार ऐसी बातोंको देखकर गद्यण राज्यकी तस्वीर मेरी आंखोंमें खिच जाती है । जहा साधनकी पसन्दगी मनमाने ढंगपर की जाती हो वहा मक्कारी और जाल फरेवका उपयोग कौन अचम्भेकी बात है ? सोताजोका हरण राक्षसके वेपमें नहीं हो सकता था ? वह तो साधुके वेपमें ही हो सका । और जहा साधुताका इस तरह दुरुपयोग हो वहा नाश होते जरा भी देर नहीं लगती । यहा सत्यके नाम पर झूठको फैलते हुए मैं अंग्रेजी अखबारोंमें अपनी आंखोंसे देख रहा हू । असहयोगियोंको इस तरहकी झूठसे बचनेका संकेत करनेके लिये ही मैंने इस जहरीली हवाका यह सारा हाल

लिखा है। हमारा शस्त्र तो सभ्य और शान्ति है, यह बात हमें हरगिज नहीं भूलनी चाहिये।

यहाके राष्ट्रीय महाविद्यालयमें चरपोंकी नुमाइश की गई थी। वहा मने कोई १५ किस्मके नये चरपे देखे। इनमें नई नई तरकीबोंका तो 'पार ही नहीं'। बहुतसे नवयुवक अपनी शक्तियोंका उमदा प्रयोग कर रहे हैं। कितने ही चरपे बड़े सुन्दर थे, कितने ही छोटे छोटे भी थे। एक तो इतना छोटा था कि एक छोटीसी पेटोमें ले जाया जा सकता था और उसमें वाजा बजनेकी भी तरकीब लगाई गई थी। परन्तु मुक्त एक भी चरपा ऐसा नहीं दिखाई दिया, जो अधिक सूत कातनेमें पुराने चरपेका मुकाबला कर सकता हो। हा, इस सब आविष्कारोको देखकर मैंने यह नतीजा जरूर निकाला कि आजकल चरपा पूव लोकप्रिय हो गया है और अनेक कारीगरोंकी युद्धिको उसने अपने सुधारके काममें लगा रखा है।



उडोसा और अंध

(अप्रैल 3, 1929)

मैं पहले ही पहल इस बार उडोसा और आध गया। मैं इन प्रान्तोंके कुछ थमिट दृश्य और स्मृतियोंका उल्लेख करना चाहता हूँ। कार्य बहुत करने थे, अतएव मैंने प्रसिद्ध स्थानोंको बही शीघ्रतासे देखा।

मैं उडोसामें चर्मावशिष्टोंको देखनेके लिये जितना प्रयत्न था उससे कहीं अधिक देख पड़े। मैंने चित्र बहुत भीषण देखे थे परन्तु यथार्थता भीषणतर थी। खराज्यका अर्थ इन चर्मावशिष्ट स्त्री-पुरुष बच्चोंके लिये क्या हो सकता है जो स्मरणीय २६ मार्चको पवित्र जगन्नाथ 'दामकी सड़कोपर कतार थाये लड़े थे। वे एक दोकी संख्यामें नहीं थे, बहुत थे पर तोभी सब नहीं थे। क्षुधातुरोंमें वे सबल थे, उनमें कुछ दूर चलनेका दम था। वे उनके दर्शनको आये थे जिन्होंने उनके हेतु चावल प्रदान किया था और जिनसे और पानेकी आशा रखते थे। वे चिल्लाये और बड़े कष्टोत्पादक शब्दोंमें बोले "हमें भोजन चाहिये ? और किसीने पूछा कि चोजोका दाम कब घटेगा। मैं समझ गया कि इनके लिये खराज्यका अर्थ, सस्ता भोजन और कपडा है। यद्यपि कपडा उतना नहीं क्योंकि उनके लज्जा

निवारणके लिये एक चिथडाही यथेष्ट ही पर भोजन अवश्य मिले । मैं इस घटनास्थलपर एक घडे विस्तृत बङ्गलेसे गया था जहा मेरे सत्कारके लिये प्रचुर सामान मौजूद थे । मैं जगन्नाथजीके मन्दिरके पास कई बार आया गया । मुझे गहमें धनी महल्ल पण्डे और अनगिनत यात्री मिले जो सहजही सैकड़ों रुपये खर्च कर सकते हैं ।

इनकी असमानता स्पष्ट होनेके कारण मुझे और भी अत्यन्त मार्मिक शोक हुआ । वे मुझे एक दयालु पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टके स्थापित किये हुए अनायालयमें ले गये । मैंने वहां सुन्दर बालक बालिकाओंको देखा, कुछ सूतकात रही थीं और कुछ चट्टाई विनती थीं । 'वे चर्मावशिष्ट व्यक्ति भी यही क्यों नहीं कर सकते ? तब उन्हें मिलावट्टी करने, जूठे खाने और मुट्ठीभर चावलपर गुजारा करनेकी जरूरत न हो । सिर्फ सूत ही कातकर अपनी गेठी कमा सकते हैं । पर उन्हें चर्च कौन देगा ? इसका सीधा जवाब आता है कांग्रेस । सूत कात कर स्वराज्य प्राप्त करनेकी शिक्षा उन्हें 'कांग्रेस दे' सकती है । कोई दूसरा उद्योग ग्रन्था ऐसा नहीं है जिसे 'करोड़ों आदमी अपना सकते हैं, चट्टाई बनाना भी नहीं क्योंकि 'करोड़ों चट्टाईयोंका खपत कहा । भोजन सामग्रीके याद कने सूतफा ही ऐसा दरजा है जिसकी तुरत खपत हो सकती है । मैं कांग्रेस नेताओंसे मिला और सारा वृत्तान्त यह सुनाया । कुछ-ने तो उस दृश्यको मेरे साथ ही देखा था । वे भी सहमत हुए

कि कांग्रेस फण्डका अधिकतर उपयोग चरखा प्रचारहीमें होना चाहिये। महन्त और यात्रियोसे भी वे सहज ही द्रव्य पा सकते हैं। अतएव दरिद्र उड़ीसाकी कांग्रेस कमेटी भी अपना खर्च आप जुटाकर इन भूखोंका पेट भर स्वराज्य निकट ला सकती है।

उनके कार्यकर्त्ता भी हैं प० गोपबन्धु दास जो पहले एम० एल० सी० वकील, इत्यादि थे, अति त्यागी नेता हैं। उनसे मुझे विदित हुआ है कि ये और उनका दल केवल भात दाल पर गुजारा करते हैं, धी उन्हें गायद ही मिलता है। असहयोग करनेके अनन्तर कार्यकर्त्ताओंने अपनी आवश्यकताये एक बार ही कम कर दी हैं यहातक कि दस रुपये जैसी छोटी रकमपर वे अपना निर्वाह कर लेते हैं। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि ऐसे अदम्य उत्साही कार्यकर्त्ताओंके द्वारा स्वराज्य इसी वर्षमें प्राप्त हो सकता है। पण्डित गोपबन्धुकी एक खुले मैदान पाठशाला साप्तीगोपालमें पुरीसे १२ मीलपर है। यह एक कुञ्ज पाठशाला है। यह पाठशाला देने योग्य है। मैंने उसके छात्रों और शिक्षकोंके बीच एक दिन बड़े आनन्दमें काटा। यह खुले मैदानमें शिक्षापद्धतिकी बड़ी अच्छी परीक्षा है। वहाँके कुछ छात्र जयदस्त कुशतीषाज हैं।

उड़ीसाको एक बड़ा कष्ट है। "उड़िया आन्दोलन"के योग्य ग्रन्थकारने ठीक ही लिखा है कि राजनीतिक सुविधाके लिये उड़ीसा विभक्त कर दिया गया है। इसका कुछ भाग तो विहा-

रमें, कुछ बङ्गालमें, कुछ मध्य प्रान्तमें, और कुछ आंध्रमें सम्मिलित कर दिया गया है। पास उड़ीसामें कुछ नहीं बचा है। फ्रांसेने उड़िया भाषा भाषियोंको एक ही प्रान्तका माना है। बिहार, बाल, मध्य प्रदेशको इसमें कुछ कहना नहीं है, परन्तु उसके बरहमपुरके टापेमें आंध्रको आपत्ति है। मैंने उनका झगडा निपटानेके लिये कुछ सहज नियम बनाये हैं। आधुनिक संघर्षणसे हमें एक व्यापक सुशिक्षा यह लेनी चाहिये कि मवल ही निर्बलके सम्मुख सिर झुकावें, सन्देहात्मक विषयमें निर्बलहीकी जीत हो। अथ मैं उड़ीसाके दृढरूपशी वृत्तान्तको साखीगोपालकी सभामें समयेन सैकड़ों क्षधा पीडनोंकी स्मृति हृदयमें रग्य कर अपना ध्यान समाप्त करता हूँ। जिन्होंने अपनी गाठोंसे पैसे और अथेले निकाले वे वह विधवाका दान सा था जिमके साथ उनका हार्दिक फलप्रद आशीर्वाद भी रहता है। देनेके लिये उनका एक दूसरेको अनुरोध करना देखकर मेरा विश्वास और भी दृढ हो गया।

बिहार और आन्ध्र

(अप्रैल ३, १९२१)

आन्ध्र उत्कल जैसा नहीं है। इसमें दम है। मुझे वहां स्वभावशायी व्यक्ति देख न पड़े। वहांके लोग बलवान हृष्टपुष्ट अर्धश्रमवसायी उदार और स्नेहशील हैं। उन्हें अपने प्रान्तके भविष्य और भारतमें बृहद्विश्वास है। स्त्री और पुरुषोंके प्रचुर आभूषण हैं। मुझे दिखानेमें उन आभूषणोंकी खैर नहीं है। मैं इस रहस्यको छिपा न सका कि तिलक-महाराजकी स्मृति और स्वराज्यके लिये मैं उन आभूषणोंको चाहता हूँ। स्त्री पुरुष दोनों ने ही सानन्द दिया और छठी दिनमें प्रायः ५०,००० रुपये और अधिकके वचन मिले। यदि आन्ध्रवासी चाहें तो करोड़ रुपये केवल अपने आभूषणोंसे ही दे सकते हैं। मैंने आन्ध्रनिवासियोंसे कहा कि आन्ध्र महिलाओंकी निष्कपन, सरलता तथा नम्रतापूर्णकार्य स्वातन्त्र्यसे मुझे महाराष्ट्र महिलाओंका स्मरण हो आता है। यह उनके लिये प्रशंसाकी बात है। मैं इस सम्मतिले पूर्ण सहमत हूँ। इलोरकी एक नव विवाहिता बालिकाने—जिसकी शिक्षा कलकत्ते में हुई थी—अपने स्त्रीभाग्यसूचक आभूषणोंको छोड़ प्रायः सभी दे डाले। वह गाढे पहिने हुई थी। आन्ध्र स्त्री पुरुषोंको उदारता चिन्ता-

कपेक थी। सुन्दर सूत कातनेमें आन्ध्रको बहने पञ्जाबी बहनोका स्थान प्राप्त कर सकती हैं। मैंने समझा था कि सूत कातनेमें पञ्जाबी महिलाओंके घरावर कोई सिद्धहस्त नहीं। परन्तु आन्ध्रमहिलाये नौ नमरो सूत कात सकते हैं। रुईको धाप धोकर साफ भी कर लेतो हैं। मैं उनके कते सूतके वस्त्र का भूयण यहा लाया हू जो जापान फ्रांस अथवा लकाशा यरके सूतसे भी उत्कृष्ट है। यह कला लुप्तप्राय हो रही थी। परन्तु स्वदेशी आन्दोलन इसको रक्षाके लिये प्रादुर्भूत हुआ। मछलीपट्टममें इनमेंसे कई स्त्रियोने अपनी णक्तिका मुझे अच्छा परिचय दिया। उन पर्णकूटीरका यह दृश्य बहुत ही हृदय स्पर्शी था।

अपने सूतको वे धापही धोतीं और साफ करती थीं। मुझे चरखेको ध्वनि संगीतका आनन्द दे रही थी। मैं अब हृदय-स्पर्शी अनुसन्धानोंसे मर्ममेदीकी ओर आता हू। कोफनदमें जब मैं विराट सभासे प्राय नौ घजे अपने डेरेको लोटा नो कुछ स्त्री और बालिकाये मुझसे मिलीं। जब मैं अन्दर गया तो रेशनी धीमी थी। उनकी चालढालमें कुछ अकृत्रिमता झलकती थी। क्या आप सूत कातती हैं, मुझे तिलक-स्वराज्य फण्डमें आप क्या देगी? यह साधारण प्रश्न मैं उनसे न कर सका। उसके विपरीत मैंने आतिथ्यकर्तासे पूछा कि ये कौन हैं। वे स्वयं नहीं जानते थे और उनसे प्रश्न करनेपर उत्तर मिला कि हम नर्तकी हैं। मुझे मालूम हुआ कि मैं

पृथ्वी गर्भमें समा रहा हूँ। मेरे आतिथ्यकर्त्ताने मेरी सान्त्वना यह कहकर करना चाहा कि जीवनाग्भ्र करनेमें ऐसा एक रस्म है। इससे और भी घुरा हुआ क्योंकि इस घृणित व्यापार पर मर्यादाका रङ्ग चढ़ाया जा रहा था। मेरे पूछताछ करने पर उन्होने बड़ी नम्रतासे कहा कि हम आपके दर्शनोंकी आयी हैं। यह पूछनेपर कि क्या तुम कोई दूसरा धन्या करोगी उत्तर मिला हा, यदि पेट भरे। मुझे और उस समय कुछ कहनेका साहम न हुआ। मुझे अपनी स्त्रियोंकी दशा पर लज्जा हुई। दूसरे पड़ाव राजमेण्टरीमें मैंने स्पष्ट बातें कहीं मैं यह एक दुसरे अनुदारताका उदाहरण समझता हूँ। समस्त भारतमें यह पाप किसी न किसी रूपमें व्याप्त है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि यदि आत्मशुद्धि द्वारा हम स्वराज्य प्राप्तकर सकें तो स्त्रियोंको भी अपनी विलासितासे मुक्त कर सकते हैं। दुर्बलोकी सरक्षताका नियम इस विषयमें और भी अधिक प्रयुक्त होता है। मेरे लिये गोरक्षा और स्त्रीकी सनीत्वरक्षा एकही बात है। भारत उन्नत तबही होगा जब हम स्त्रियोंको अपनी मा बहन और लड़कीके सदृश सम्मान करें।

हमें इस पापसे अपना पिण्ड छुड़ाना होगा क्योंकि यह हमारे मनुष्यत्वको नाशकर हमें पशु बनाये डालता है। फिर भी सुखद वृत्तान्त यह है कि मछलीपट्टमें मेरी आखोसे आनन्दश्रुपात हुए थे। वह मेरे मौन व्रतका दिवस था। अतएव

मैंने शोरगुल न मचानेके लिये डा० पत्तमी सीतारमैयासे प्रार्थना की थी अतएव लोगोंको पहलेही इसकी चितावनी दे दी गई थी। मैं उस दिन सबेरे ही मोटरपर गया और लोग सुसज्जित सड़कोंके किनारेपर कतार बाधे पड़े थे। पर जरा भी शब्द न हुआ। सभी अपनी जगह चुप मारे खड़े रहे। जब मैं राष्ट्रीय कलेजके फाटकपर पहुँचा तो वीन और गानकी ध्वनिके अतिरिक्त और किसी प्रकारका शब्दकर मेरा स्वागत नहीं किया गया। इस सुप्रेमका आनन्द अनुभव मैंने किया और उनके आत्म स यम देशकी विभिन्न माग पूर्तिकी योग्यता और देश भक्तका पूर्ण पन्चिप भी मुझे मिला। मुझे वे सचमुच ही एक पर्णकुटी-में ले गये। और जय में शिक्षको और प्रबन्धकर्ताओंकी उनकी प्रणाली और कला कौशलके लिये बधाई दे रहा था उस समय मैं यह कहे बिना न रह सका जयतक सब छात्र और शिक्षक अपने समस्त समयको सूत कातने और बुननेमें लगानेकी ओर ध्यान न देंगे और उसको पूर्णतया सूत कातने और बुननेकी सखा न पर डालेंगे तबतक मैं उनके कार्योंको पूर्ण राष्ट्रीय प्रयत्न नहीं कह सकता। अपने विषयमें आगे बढ़ रहा था कि मि० कृष्णरावने, जो मेरे फथनको ध्यान पूर्णक सुन रहे थे, पर वादविवादमें योग नहीं देते थे, मुझसे पूछा कि कि आप सूत कातना धार्मिक कर्म समझते हैं। मैंने कहा “हां” आपको भी इस शब्दके लिये धन्यवाद है! अतएव मैं इस शब्दका प्रयोग किया करूंगा। सूत कातना राष्ट्रीय शुद्धता,

शक्ति और वैभवका स्पष्ट और पवित्र चिह्न । यह हिन्दू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, पारसी सभीका कर्तव्य है। आंध्र राष्ट्रीय कालेज एक प्राचीन संस्था है, जो प्रत्येक आंध्र निवासीके लिये एक गौरवका विषय है। १९०७ ई० की बंगजागृतिसे ही इसका जन्म हुआ था और इसने कितने घुरे दिन भी काटे हैं। आशा करता हूँ कि वर्तमान जागृतिसे यह और भी परिमार्जित और संभलकर उठेगा।

आंध्र देश अछूत जातिका एक जोशीला सुधारक और हार्दिक सहायक है। ब्राह्मण रामचन्द्ररावजी पवित्रात्मा अछूतकी बुराइयोंको सहन नहीं कर सकता है। अपने मुक्किलोंकी ओरसे ये आप दासत्व कर रहे हैं और परिहा भाइयोंको गुलामीसे मुक्त करनेके लिये उनका अघोर होना उचित ही है। वे हिन्दुओंसे असहयोग कर देनेकी सम्मति भी सहर्ष उन्हें दे देंगे। यद्यपि मैं भी अछूत भाइयोंके सुधारका उत्कट पक्षपाती होनेका दवा करता हूँ तोभी जबतक उनमें आत्मत्यागके भाव जागृत न हों तबतक मैंने असहयोग न करनेकी उन्हें चेतावनी दी, क्योंकि असहयोग आन्दोलन आत्म शुद्धि आत्म-बल और स्वावलम्बनका है जो सबे सहयोगके लिये प्रेरित करता है।

आंध्रने मुझे मुग्ध कर दिया है। बिहार बहुत पहले हीसे मेरा प्रिय ही रहा है। असहयोगके पूर्वहीसे उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। आंध्र यदि बिहारके बर्जेका नहीं तो उसका

नम्बर दूसरा जरूर है। आंध्रमें एक आत्मत्यागी नेता और अदम्य उत्साही कार्य कर्तागण हैं। इसमें धन, कविता, विश्वास, आत्मत्यागका भाव सभी हैं। इसमें अनेक राष्ट्रीय विद्यालय हैं। इसने कई वकीलोंको देशके लिये दिया है। यहां बड़ी अच्छी रूई पैदा होती है और सूत कातने और कर्घको सम्भावना इसकी बहुत उत्तम है। दो प्रबल नदियोंसे इसकी जवान पटती है। इसके कई भाग पहले बहुत प्रसिद्ध थे, सहज ही यह बिहारकी बराबरीकी हो सकती है।

मेरी धारणा है कि अन्य बड़े प्रान्त यदि दमनसे भयभीत भी हो जायें तो भी आंध्र और बिहार आत्मबलमें सिक्खोंको भी नीचा दिखाकर स्थितिकी रक्षा करेगा। मेरा अनुमान ठीक न भी निकले। हमको एक दूसरेसे बढ जानेका प्रयत्न करना चाहिये। प्रतिद्वन्द्विता इस जातिका गुण ही नहीं बरन कर्त्तव्य है। कानून भङ्ग करनेकी प्रतिज्ञाके विषयमें—जो दो सुन्दर ग्रामों और उनके नेताओंके की थी—मैं कभी दूसरे समय लिखूंगा और मछोरकी हिन्दू मुसलमानोंकी एकताकी चर्चा भी करूंगा। मैं इन अनुभवोंको कृतज्ञतापूर्वक एक घटनाका उल्लेखकर समाप्त करूंगा। वह यह है कि मेरे साथ यद्यपि पञ्चम थे तथापि हनुमन्तराव और उनके ब्राह्मण साथी मुझे आमन्त्रित कर सूत कातने और चुननेके आश्रमके सन्निकट एक ग्राममें ले गये। यह एक ऐसा गाव था जहां ब्राह्मणोंमें कभी पहले पञ्चम नहीं जाने पाये थे।

भीड़का उपद्रव

— ०३३३३३३३३३३३ —

(दिसम्बर १, १९२०)

जिन लोगोंको असहयोगियोंकी कोई शिकायत करनी हो उनके लिये यंग इण्डियाके पत्रे सदा खुले रहते हैं। किसी "जानकार" ने सम्पादकके नाम एक पत्र भेजा है जिसे हम सहर्ष प्रकाशित करते हैं।

पत्रकी नकल

मिसेज वेसेण्टेके भाषणके समय बम्बईके नवयुवकोंने जो होहुल्लड मचाया था तथा अभी धारवारमें हालमें जो घटना हो गई है उसका अनुमान करके हमें यही कहना पड़ता है कि जिस असहयोग आन्दोलनकी आज घर घर चर्चा हो रही है उसे महात्माजीके अनुयायियोंने भी नहीं समझा है। मिस् टी० एल० बैकेकी नामकी एक उदार हृदया और दयालु महिला दाक्षिणात्यमें रहती है। धारवार तथा कनारा जिलोंमें उनकी उदारता सर्व चिदित है और जनतामें उनका घडा नाम है। वे चुपचाप गरीबों, दीनदु खियों तथा अनाथ बालक और बालिकाओंकी सेवामें अपना प्रचुर धन व्यय करती हैं और उनकी शिक्षा आदिका प्रवन्ध करती हैं। उन्होंने "चिलड्रन गाईड आफ दी सर्विस" नामकी एक संस्था भी खोल रखी है

जिसकी आप, उप समापति है। मद्रासके गवर्नर मिस्टर लायड जार्जकी पत्नी श्रीमती लेडी लायड उसकी समापति है। उसी सस्याके लिये चन्दा संग्रह करनेके हेतु उन्होंने जलसा किया था। उस समय उन्हें जिस रुठिनाईका सामना करना पडा तथा जो सकट झलना पडा वह वर्णना-तीत है। इस जलसेका उद्देश्य यह था कि धारदारके अस्पतालमें एक अनाथ बालक बीमार पडा था। वे चाहती थीं कि चन्दा द्वारा उसके लिये स्थायी प्रबन्ध हो जाय। इस जलसेमें मिसेज कवण्टेन समापति थी। जलसेमें स्कूलकी लड़कियो द्वारा नाटकका अभिनय होने वाला था पर अभिभावकोंने ठीक समय पर यह नामंजूर किया। निदान नाटकका अभिनय रुक गया। इसलिये चटपट गाने बजानेका प्रबन्ध किया गया और गिन बालिकाओंके अभिभावकोंने आज्ञा दे दी वे इसमें शरीक हुईं। पर शर्मके साथ लिखना पडता हे कि ज्योंही कार्यारम्भ हुआ, नगरके कुछ नवजवान लड़के जो चार एकत्रित हुए थे, अनहयोगियोंके कहनेमें आकर मरानपर खिडकियोंके शीशोंपर पत्थर फेंकने लगे और शोरगुल मचाने लगे तथा उपस्थित सज्जनोंका उपहास करने लगे। किसी न किन्ही तरह जलसा समाप्त हुआ और जय सब लोग घर जाने लगे तो उनपर पत्थर फेंके गये। जो अंग्रेज उम्र मरामें उपस्थित थे उनका विशेष तरहसे अपमान किया गया और कुछ शिक्षिकाओंको भी घोट भाई। अपने नीकरोको रक्षामें

मिरा मैत्रेकी किसी तरह घहासे 'एद्याना हुई' तोभी उन्हें अधिक तरहसे अपमानित किया गया। ईश्वरकी असीम कृपासे वे बेदाग बच गई और उन्हें जहाँसे चोट नहीं आई। उन्होंने दर्तना सकट उन लोगोंके लामके लिये झेंला जिनके साथ रहनेसे उनके प्रति उनके हृदयमें दयाका भाव आ गया है पर जिन्होंने उस उपकारका उन्हें बहुत ही बुरा बदला दिया। उनके साथ उन लोगोंका व्यवहार कायरतापूर्ण और लज्जा जनक था। यह लिखते और भी शर्म आती है कि उस अंग्रेज महिलाकी सहायताके लिये सिवा एक बनियेके और कोई नहीं आया। धांगवारके असहयोगियोंने उत्तेजित विद्यार्थियोंको शान्त करना तथा शान्ति स्थापित करना—विशेषकर ऐसी अवस्थामें जब कि स्त्रियों और बच्चोंका जीवन संकटमय था—अपना कर्नव्य नहीं समझा और वे चुपचाप बैठे रह गये। असहयोगके नामपर यदि इस तरहकी कार्रवाइया होती रहेंगी तो हताशा होनेके सिवा हमारे मार्गमें और क्या चारा रह जाता है। यह सिद्धान्त कि कोई भी आन्दोलन तबतक पूर्ण सफलताको नहीं प्राप्त हो सकता जबतक उसके प्रत्येक कार्यकर्ता इस बातको नहीं समझ लेते कि साधारण हिंसासे भी इसको घोर क्षति पहुंच सकती है। पर इस बातको इस आन्दोलनके प्रवर्तक शिक्षित समुदायने भी नहीं समझा है फिर साधारण नवजवानोंकी तो घान ही क्या है जिनकी नसमें जवांगीका खून उबल रहा है। इन सब घटनाओंसे देशके भविष्यमें सन्तोष जनक अनु

मान नहीं किया जा सकता। इस तरहके उपद्रव तथा हुल्लड़-वाजीसे प्रत्येक देश भक्तको शर्म आनी चाहिये।

आपका "एक जानकार"

इस पत्रके लेखकने पत्रके भीतर अपना नाम देकर इसके प्रकाशनके लिये प्रार्थना की है। पर सार्वजनिक लाभका विचार करते हुए इस तरहकी प्रार्थनाकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि इस सवाददाताकी बातें सच हैं तो धारवारके नवयुवकोंके आचरणके लिये हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। सवाददाताने इस घटनाका सम्बन्ध असहयोगसे बताया है पर यह वर्तमान काल का फैशन हो गया है कि जहा कहीं जनताने कोई दुराचरण किया असहयोगको घुसा दिया जाता है और उसका कारण असहयोग ही बतलाया जाता है। जिस समय मैं धारवारमें था उनी समय यटि इस घटनाकी सूचना दे दी गयी होती तो अच्छा होता। उस अवस्थामें मैं इस घटनाकी सिगरानी करता और उसपर विचार करता तथा उसका प्रतीकार करता। यहीं पर मैं यह भी लिख देना चाहता हू कि धारवारमें मैंने, जो खुले मैदानमें सार्वजनिक सभा की थी, उसमें भी इसी तरह पत्थर फेंके गये थे। एक लडका तो बालबाल बच गया नहीं तो उसे कडी चोट आई होती। पर इतनेपर भी जनता शान्त थी। उन्होंने किसी तरहकी अशान्ति नहीं प्रगट की। मुझे यह भी विदित हुआ कि असहयोग आन्दोलनके कारण यहां इस तरह पत्थर फेंकना असाधारण बात नहीं है। इस घटनाका उल्लेख मैंने

केवल यह दिखलानेके लिये किया है कि पत्थर फँकनेके काममें धारवारविशेष तरहसे विख्यात है। इसलिये उस घटनाका सम्बन्ध न तो मैं असहयोग आन्दोलनसे मानता हूँ और न किसी तरहके यूरोपियनोंके विरुद्ध किसी आन्दोलनसे। संवाददाताने स्पष्ट नहीं लिखा है, फिर भी उनके पत्रसे यह प्रगट होता है कि इस बातसे लोग असन्तुष्ट और क्षुब्ध थे कि बालिकायें इस जलसेमें भाग लें। संवाददाताने लिखा है कि ऐन मौकेपर अभिभावकोंने अस्वीकार किया और नाटकका अभिनय—जिसमें बालिकायें भाग लेने वाली थीं—बन्द कर दिया गया इस तरह क्षोभ उत्पन्न करनेका कारण अवश्य ही उपस्थित किया गया होगा।

पर मेरी स्थिति स्पष्ट है। यदि नवयुवक उत्तेजित होकर भी दड़ा मचायें तो उनका किसी भी अवस्थामें समर्थन नहीं किया जा सकता। यदि अभिभावकोंको कोई इतराज नहीं था तो नवयुवकोंको इस तरह लडकियों द्वारा अभिनयमें बाधा डालनेका कोई कारण नहीं था। स्वतन्त्रताकी सच्ची कसौटी यही है कि जबतक कोई व्यक्ति किसीकी जान मालपर किसी तरहका अनुचित आक्षेप नहीं करता उसे अपनी इच्छाके अनुसार काम करनेकी पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिये। हुल्लड मचाकर जनताका सुधार करना या उसके आवरणको ठीक करना असम्भव है। किसी भी समाजको पवित्र और सुदृढ रखनेका एकमात्र उपाय सार्वजनिक भय और विश्वास है। यदि धारवारके निवासियोंको इस तरह लडकियोंका परलिकमें आना अभिमत

नहीं था तो उन्हें उचित था कि सार्वजनिक सभा द्वारा या अन्य प्रकारसे सार्वजनिक मतको अपने पक्षमें किया होता । असहयोग आन्दोलनका अभिप्राय इस तरहकी बुराइयोंको रोकना है । जिस तरहकी हिंसात्मक घटनाकी चर्चा की गई है उस तरहकी घटना-में असहयोगियोंको किसी तरहसे भाग नहीं लेना चाहिये बल्कि उनका कर्तव्य यह होना चाहिये कि वे दूसरोंको भी इस तरहके श्लाचरणसे रोकें । असहयोगकी सफलता केवल इस बातपर निर्भर है कि असहयोगी हर तरहको हिंसाकी प्रवृत्ति रोकनेकी चेष्टा करें । आत्मत्यागके कार्यक्रमको प्रत्येक व्यक्ति भले ही स्वीकार न करे पर सबको यह बात तो स्वीकार करना ही चाहिये कि मनसा, चाचा तथा कर्मणा अहिंसात्मक होनेकी पूर्ण आवश्यकता है ।

मुझे एक बातसे घिबमय हुआ । घाददाताने धारवारके हल्लडकी तुलना जालियावाला बागके कत्ल आमसे की है । इस तरहकी तुलनासे उन्होंने कितना भारी अन्याय किया है । कहा तो एक तरफ उद्दण्ड अधिकारियोंका निहत्थों और निर्दोषोंपर अकारण गोलियोंका बौछार कहा उच्छृंखल नवयुवकोंका दुर्व्यवहार, जिसका कारण सच्चा या अनुमानित अनाचार है । दोनों कार्रवाइयोंपर घृणा प्रगट करनेकी आवश्यकता है । पर धारवारके युवकोंकी कार्रवाई तथा अमृतसरमें डायरके अत्याचारमें उतना ही अन्तर है जितना साधारण चोट और हत्यामें हो सकती है ।

दुल्लुङ्गाजी

(फरवरी २३, १९२१)

मिस्टर शास्त्री तथा मिस्टर परांजपेके लिये वम्बई और पूनामें जो समाये की गई थी उसमें लोगोंने जिस तरहका व्यवहार किया उससे असहयोग आन्दोलनको बड़ा धक्का पहुंचा। मैंने पढ़ा है कि बड़ा क्रिया गया था, पर इस दंगेमें असहयोगी शामिल नहीं थे बल्कि इसके करने वाले वे लोग थे जो असहयोग आन्दोलनको बढ़नाम करना चाहते थे। यह बात सम्भव है क्योंकि ऐसे लोग प्रायः पाये जाते हैं जो किसी आन्दोलनको बन्द करनेके हेतु उसकी निन्दा ही करना आरम्भ नहीं करते बल्कि उसपर हर तरहके कलंक लगाते हैं। पर यदि हम लोग असहयोग आन्दोलनको सफल बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरहकी घटनाओंको रोकनेका भी प्रयत्न करना चाहिये। यदि सिपाही हार जाय तो वह अपनी रक्षामें यह नहीं कह सकता कि हमारे मार्गमें अनेक तरहकी कठिनाइयां थीं। जब जनरल बुलर लेडी स्मिथ नामक स्थानकी रक्षा नहीं कर सके तो वे अपने पदसे हटा दिये गये और दूसरा व्यक्ति नियुक्त किया गया। जब लार्ड राबर्ट दक्षिण अफ्रिकन युद्धका अन्त नहीं कर सके तब लार्ड किचनरको उनका स्थान ग्रहण करना पड़ा। यह सरकार तभीतक जीवित

रह सकती है जयन्तक यह अमरयोग आन्दोलनको टया सकती है या चक्रमा दे सकती है। यदि अमरयोगी छात्र इस तरहके कलङ्क से बचना चाहते थे तो उन्होंने पूने तथा बम्बईके सभामें भाग क्यों लिया। सूचनामें स्पष्ट शब्दोंमें लिखा था कि इस सभामें वे ही लोग पधारनेकी कृपा करें जो त्रिपक्षकी बातें सुननेको तैयार हों। इस लिये इन स्थानोंमें जो घटनायर्ह हुईं उनके लिये कोई भी यथेष्ट कारण नहीं उपस्थित किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि मिस्टर शास्त्री और मिस्टर पराजपे सार्वजनिक काम करने वालोंमें सबसे धरप्रसर और उत्साही पुरुष हैं। उन्हें इन देरासे उतना ही स्नेह है जितना किसी भी असहयोगीको हो सकता है। जिस तरहसे वे हमें गलत मार्गपर समझते हैं उसी तरह हम उन्हें गलत मार्गपर समझते हैं। पर यदि हम अपने त्रिरोधियोंकी बातें तक सुनना स्वीकार न करे तो हमारी कितनी भारी भूल है।

अङ्गरेजोंका अनुकरण करके हुल्लड भी हमें नहीं मचाना चाहिये। अङ्गरेजोंकी उत्तेजना और अविवेकका अनुकरण करके हम आन्दोलनको धार्मिक नहीं रख सकते। यदि इस आन्दोलनको अहिंसात्मक रखना है और यदि इसके द्वारा सफलता प्राप्त करना है तो यह अवश्य ही अहिंसात्मक रहेगा और ऐसी दशामें इसके इस प्रधान लक्ष्यपर ध्यान देना होगा।

मद्रासमें हुल्लड

मद्रासकी हड़ताल और हुल्लड पर डा० राजन ने श्री गधीजी को एक पत्र लिखा है। उसमें वे लिखते हैं कि मद्रासकी हड़ताल पूरी तरह सफल हुई, किन्तु कहीं कहीं हुल्लड भी खड़े हो गये। घेढङ्ग लोगोंका समूह दुधारी तलवार का सा होता है। लोग सशस्त्र सेनाओंको देखकर कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। माऊट रोड पर एक पारसो सीनेमा थियेटरको भी हुल्लडवाजोंने भारी हानि पहुँचाई। सर त्यागराज चेटोके मकानको भी कई लोगोंने जा घेरा था जिससे वे युवराजके स्वागतमें सम्मिलित न हो सके।

इस पर श्रीगाधीजी 'यंगइण्डियामें' लिखते हैं.—

“डा० राजनका पत्र मैंने मद्रासमें मनाई गई पूरी हड़तालका अभिनन्दन करनेके हेतु से उद्भूत नहीं किया, किन्तु हड़तालके दिन जो हुल्लड खड़ा होगया उसपर खेद प्रगट करनेके हेतुसे किया है। उस रोज तो यदि हड़ताल और हुल्लड दोनों न होते तो ही अच्छा था। “वह मनमानी तोड़-फोड़ करना हुल्लडवाजोंका काम था” यह भी कोई बचाव है? क्योंकि वह तो मद्रासके असहयोगियोंकी स्वराज्य-विषयक अयोग्यताका खासा प्रमाण है। जो लोग अपनी अयोग्यताका दावा करते हैं उनमें

हर प्रकारकी हुल्लडवाजी भी गोकनेकी शक्ति होनी चाहिए। उस हडतालको शान्तिमय नहीं कह सकते, क्योंकि जो हालत उस विचारे सीनेमा वालेकी हुई वही औरोंकी भी होती, यदि वे भी अपनी दुकानें खुली रखनेकी हिम्मत करते। मैं तो उस गोली चलानेवाले सीनेमा वालेकी हिमायत ही भरूंगा, क्योंकि अगर वह गोली नहीं चलाता, तो उसका थिपटर ही नष्ट कर दिया जाता। लोगोंका बेहतर विगड खडा होना आखिर क्या है? उनके हुल्लडका जो उचित दण्ड उन्हें सीनेमा वालेकी ओरसे मिला उसपर आग बबूला होजानेकी गुस्ताखी करना। सर त्यागराज चेटीके घरको घेर कर उनकी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामें बाधा डालना भी कायरता नहीं तो क्या है? लोगोंने सर त्यागराजको सम्मान करने देनेसे रोककर खुद अपना अपमान किया और सर साहयके उस सम्मानको, जो कि वे युवराजका करने वाले थे किन्तु रोक दिये गये, और भी उच्च कर दिया। यह काम हुल्लडवाजोंके योग्य भले ही कहा जा सकता हो, किन्तु असहयोगियोंके अर्थात् गम्भीरनासे काम लेनेके योग्य कभी नहीं कहा जा सकेगा।

मदरासकी हडतालको शान्तिमय बनाये रखनेके लिए डा० राजन् और उनके साथियोंने कुछ भी उठा नहीं रखा। इसलिए उनको तो हर तरहसे धन्यवाद। किन्तु वरुईकी तरह मदरास भी हमें एक पाठ पढाता है। अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। तभी स्वराज्यके योग्य परिस्थित होंगे। या तो हम

यह मानें कि शान्तिमय क्रान्ति सफल हो सकती है। यह मानें कि अहिंसा हिंसाकी पूर्व तैयारी मात्र है। अगर हमारी सच्ची परिस्थिति ऐसी ही हो तो हमें अपने ध्येयको बदल देना चाहिए। किन्तु मैं तो काफी आशावादी हूँ और यह आरोप कर सकता हूँ कि भारतने अहिंसाके रहस्यको अपने हृदयमें अच्छी तरह अङ्कित कर लिया है। वह अनुकरणीय आत्म सयम जो कि अमृतसर, लाहोर, अलीगढ़, इलाहाबाद, कलकत्ता, धरीसाल आदि, कहातक गिनाऊ, कई स्थानोंने दिखाया है यही सिद्ध करता है कि जहा जहा सच्चे प्रतिज्ञाबद्ध असहयोगी काम करते हैं वहाके लिए हम यह विश्वास रख सकते हैं कि वहा शान्तिका भङ्ग न होगा। किन्तु जहा घनाडी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि मद्रासमें हुए थे, वहा असहयोगियोंकी नहीं चलती। किन्तु हम निराश न हों। मद्रासके जैसी हुल्लडवाजी भी फिर न होने पावे, ऐसा उपाय हमें खोज निकालना चाहिए। हरदोईमें उस दिन श्री बेकरपर आक्रमण किया गया। पर सौभाग्यसे वे बच गये। यह दुर्घटना भी उतनी ही लज्जास्पद है। ऐसे वहाँ कहीं होनेवाले हिंसा कृत्यको दूँटना या उनपर कोई कार्रवाई करना कठिन है। मुझे विश्वास है कि वह काम तो किसी ऐसे अज्ञात शख्सका है जिसका असहयोगसे कोई सम्यन्त्र नहीं। किन्तु हमें ऐसे लोगोंका भी टीक बन्दोबस्त धरना चाहिये। अहिंसाके साम्राज्यमें तो ऐसी घातें बिलकुल असम्भव हो जानी चाहिये।

किन्तु यह तो मानना होगा कि वह आवश्यक परिस्थिति अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। यह तो तभी हो सकती है जब हम हिंसा-को अपने विचार तकसे दूर कर देंगे।

होशियार



मद्रासकी हुल्लडवाजीपर एक सज्जनने “यद्ग इण्डिया” में एक पत्र प्रकाशित कराया है। उसका सार इस प्रकार है—
 “मद्रासके असहयोगियोंको करतूतें देवकर तो सब लोगोंके दिल दहल उठे। द्राम-गाडिया रोक दी गई और अन्दर बैठनेवालोंको पत्थर मारे गये। गालिया दी गई। कई ब्रियोंपर तो—जो कि द्रामोंमें बैठकर जा रही थीं धूका भी गया। उनको बुरी बुरी गालिया दी गई और राम जाने किस किस बुरी तरहसे वे सताई गई। आपने ऐसे कैसे अहिंसावादी असहयोगियोंपर अपने आन्दोलनका भार साँप रखा है जो लोगोंको संभालतक नहीं सकते? क्या आपके ऐसे अनुयायियोंके नीच और दुष्ट कार्यों से असहयोग जैसे उच्च आदर्शने जनताकी सहानुभूति हट न जायगी?”

इसपर श्रीगांधीजी लिखते हैं—

इस पत्रको मैं खुशीके साथ, जिसमें कुछ बुद्धि भी मिला हुआ है, प्रकाशित करता हूँ। यह तो स्पष्ट मालूम होता है

हमें तो सरकारके अत्याचार तथा गलतियोंके दृष्टिस्थित खुद अपना ही गलतियोंने तथा हिसा वृत्तिसे अधिक डरना चाहिए। सरकारको भूलेंगे तो, यदि हम उनका अच्छा उपयोग करें तो, हमें फायदा ही होता है जैसा कि अभी तक हुआ है। किन्तु अगर खुद हमारे अन्दर हिसा या असत्यका अक्ष हुआ तो वह मृत्युकी तरह हमारा घातक होगा। यदि खुद अपने ही घरका बन्दोबस्त हम न कर सके तो हम अपने ही हाथों अपना सत्यानाश कर लेंगे, और असहयोगका नाम लेते ही लगे छोड़ू करने लगेंगे।

रगून डेली न्यूज से मालूम हुआ है कि रगूनके निजामुद्दीन नामके किसी गाडीवानने युवराजके स्वागतमें भाग लिया और गाडी चलाई तथा दूसरोंको भी चलानेके लिये कहा, इसलिये उसकी स्त्रीने अपने पतिको तिलाक

में इसपर यह कहनेकी धृष्टता रखना है कि अगर यह खबर सच है तो जिन्होंने तिलाक देनेकी इजाजत दी हो उसने इस्लामके कानून के अन्तर्गत यथाके खिलाफ काम किया है। इसने बड़ी शोचनीय भूल की है। इस्लाममें ऐसी छोटी छोटी बातोंपर कहीं तिलाक नहीं दे दिया जाता। अगर हडतालें ऊपर लिखे तरीकोंसे मनाई जा रही हों तो वे किसी कामकी नहीं। ऐसी हडतालें जनताके विचारोंको स्वतन्त्रता-पूर्वक नहीं जाहिर कर सकतीं। और मुझे हडताल जैसे थोड़े समयके लिए स्त्रीकृत किये हुए उपायका उतना खयाल नहीं कि जितना

दीने इस्लामकी और असहयोग जैसे उच्च सिद्धान्तकी नैकनामीका है। असहयोगका कानून तो विरोधी विचारोंके और कार्योंके प्रति पूरी सहनशीलता रखनेकी तथा उनका आदर करनेकी आज्ञा देता है। और इस्लामी कानून भी, जहातक कि एक गैर मुस्लिम अपनी राय दे सकता है, इतनी ही कड़ी सहनशीलताकी आज्ञा करता है। पैगम्बर साहबको भी इतना दुःख किसी बातसे न हुआ होता जितना कि उन्हें अपने नये धर्म प्रचार करनेके आरम्भिक कालमें मक्काके लोगोंकी असहनशीलतासे हुआ होता इसलिये उन्होंने कभी भी असहनशीलताके साथ अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई होगी। “धार्मिक बातोंमें जबरदस्तीसे काम न लिया जाय” यह उन्हें तभी बहना पडा होगा जब उनके नये नये शिष्य नये धर्म-प्रचारके समय समझदारीके बनिम्बन उत्साह अधिक दिखाने लगे होंगे।

हम चाहे हिन्दू हों, या, मुसलमान हों, अथवा और कोई क्यों न हों, उसकी कोई बात नहीं। प्रजासत्ताका सिद्धान्त जिसका कि हमें भारतमें प्रचार करना है हिसाके बलपर नहीं फैलाया जा सकता, फिर वह वाचिक हो कायिक हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।

एक पादरीका भ्रम

मदरासमें हुलडवाजीके समय एक पादरी साहब भी फिट गये। इसपर विगडपर उन्होंने श्रीगाधीजीको एक लम्बा-चौड़ा पत्र लिखा। वे कहते हैं कि देखिये आपके असहयोग आन्दोलनका यह फल। पञ्जाब, बम्बई, मलावार और मदरासकी दुर्घटनाओंको देखकर भी आपको आखें क्यों नहीं खुलती? आप गलत रास्तेपर जा रही हैं। क्रान्तिले नहीं, बल्कि क्रमशः विकाससे देशका उत्कर्ष होता है। इन सारी आफतोंके जिन्मेदार आप ही हैं। सो, हे महात्मा! यदि आप सचमुच महान् आत्मा है तो अपना रास्ता ठीक कीजिये।”

पिछले दो अड्डोंमें मैंने जो दो अंगरेज महिलाओंके पत्र प्रकाशित किये हैं उनसे यह पत्र विपरीत प्रकारका है। वे भी ईसाई पादरिन थी। इन पादरी साहबके पत्रसे यह साफ प्रतीत होता है कि उन्होंने असहयोग आन्दोलनका न तो मनन ही किया है न चिन्तन ही। जो सब लोगोंको धर्मका उपदेश करना है उसे तो यह जानना चाहिये कि एक उदाहरणको लेकर उससे किसी सामान्य सिद्धान्तको स्थिर कर लेना बहुत भयावह है। हा, इसमें कोई शक नहीं कि मदरासके हुलडवाजीके द्वारा पादरी साहबपर आक्रमण किया जाना

कायरनाका सूत्रक है और प्रत्येक समझदार आदमीने उसका भिषे व किया है । प्रत्येक समझदार आदमी मानता है कि इस दुर्घटनाके बदौलत हमारे कार्याको बहुत हानि पहुची है, क्योंकि जिस असहयोगका मुख्य आधार अहिंसा है उसीके प्रति मिथ्या सहानुभूतिके कारण यह हिंसा काण्ड हुआ था ।

परन्तु क्या जो घटनायें बम्बई, मद्रास आदि जगहोंपर हुई हैं वे ससारके इतिहासमें - कोई नई बात हैं ? क्या यूरोपमें ऐसी घटनायें बार बार घटित नहीं हुई हैं ? क्या इंग्लैंड और स्कॉटलैंडमें ये बातें नहीं हुई हैं ? क्या कोपित और कृष्ट जन समूहके द्वारा ठीक ठीक बम्बई और मद्रासके जैसी हरकते नहीं होती हैं ? क्या आयरलैंडके लोगोंने बम्बई और मद्रासके हुल्लडवाजोंसे भी अधिक घुरा घाते नहीं की हे और क्या इसी हुल्लडवाजीके बदौलत उन्होंने स्वराज्यका बहुत कुछ भाग प्राप्त नहीं कर लिया है ?

मैं मद्रास और बम्बईकी अज्ञाओंको हृदयसे नापसन्द करता हू । परन्तु दूसरे कारणोंसे । मैं आयरलैंड वालोंकी हुल्लडवाजीसे भी घृणा करता हू । परन्तु आयरलैंडकी हुल्लडवाजीमें और बम्बई मद्रासकी हुल्लडवाजीमें भेद है । आयरिश हुल्लडवाजी अमली और प्रमाणित थी । अमली - तो इस लिये कि वह आयरलैंडकी परिस्थितिके अनुकूल थी और प्रमाणित इस लिये कि उन्होंने अपने सिद्धान्तोंको छिपा नहीं रखा । परन्तु भारतीय हुल्लडवाजी न तो अमली ही है और न प्रमाणित ही,

क्योंकि जहातक हिन्दुस्तानियोंकी मनस्थितिको मैं जान पाया हूँ, भारतमें हुल्लडवाजी कभी फलफूल नहीं सकती। भारत-वासियोंकी मनोभूमि उसके अनुकूल नहीं है। वह अप्रमाणिक इसलिये है कि भारतीय अपने आन्दोलनको पूर्णतः शान्तिमय कहते हैं, यद्यपि समग्रोपयोगी समझकर उन्होने उसका अवलम्बन किया है। असहयोगियोंको उन बातोंमें पडना ही नहीं चाहिये जिनको वे शान्तिमय न रख पावें।

लेकिन पादरी साहब तो मद्रासकी हुल्लडवाजीसे इतने डर गये हैं कि वे भारतको स्वराज्यके अयोग्य बताते हैं। पर इसके विपरोत मैं तो यह मानता हूँ कि इस वर्तमान अस्वाभाविक और अप्रमाणिक अवस्थासे तो यह हुल्लडवाजीकी अवस्था भी अच्छी हो सकती है। इसका अन्त तो जिस तरह हो सके उसी तरह हो जाना चाहिये। पर हा, भारतके वर्तमान नेता हिंसात्मक आन्दोलनमें नहीं पड सकते। अधिकांश लोग न तो इसकी इच्छा ही रखते हैं और न योग्यता ही। वे इस आन्दोलनको शान्तिमय बनाये रखनेका भगोरथ प्रयत्न कर रहे हैं।

पादरी साहब दावा करते हैं कि वर्तमान शासन-प्रणालीके बड़ीलत भारतको बहुत लाभ पहुँचा है। मेरी रायमें तो उसकी हरकतोंका फल हुआ है भारतकी नैतिक, भौतिक और राजनैतिक हानि। लोगोंकी नैतिक अवस्था आज पहलेसे गिरी हुई है। हा, आजकी अनीति पहलेसे मजी हुई है और इसलिये धोखा देनेवाली और भय कर है। भारतकी दखिता भी आज

पहलेसे बहुत बढी हुई है। राजनैतिक दृष्टिसे तो भारत इतना पौरुषहीन हो गया है कि अपने अर्ध पातका भी, स्थाल बहुत कम हो पाता है।

राष्ट्रोंकी उन्नति विकाश और क्रान्ति दोनोंके द्वारा हुई है। दोनों एकसे आवश्यक हैं। मृत्यु, जो कि शाश्वत सत्य है, क्रान्ति है और जन्म तथा जीवन धीरे धीरे और स्थिर रूपसे होनेवाला विकास है। मनुष्यकी उन्नतिके लिये स्वयं जीवन क्षितिमा आवश्यक है उतना आवश्यक मृत्यु भी है। ईश्वर सभसे बड़ा क्रान्तिकता है। ससाखमें ऐसा क्रान्तिकारी न आजतरु देखा है और न आगे देखेगा। वह जल-प्रलय करता है। वह ऐसी ऐसी जगहोंमें विकट तूफान उत्पन्न करता है जहा कि एक ही मिनट पहले शान्ति ही शान्ति य। वह बड़े बड़े परतोंको मैदान बना देता है जिनको उम्ने अत्यन्त चिन्ता और अपार धैर्यके साथ निर्माण किया था। हां, मैं आकाशको देखता हूँ और उसको देखकर मेरा हृदय भय और आश्चर्यसे मर जाता है। क्या भारत और क्या इङ्ग्लैड, दोनोंके गम्भीर नील गगनमें मैंने बादलदलको घिरते हुए और प्रकोपके साथ बरसते हुए देखा है, जिसे देखकर मैं आवाक् रह जाता हूँ। इतिहासमें सुखवस्थिति ऋही जानेवाली उन्नतिकी अपेक्षा क्रान्तिके ही उदाहरण अधिक मिलते हैं। इङ्ग्लैण्डके इतिहासमें ये उदाहरण जितने अधिक मिलते हैं उतने और कहीं नहीं। और मैं पादरी महाशयको यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि

मैंने लोगोंको धीरे धीरे पहाडपर चढ़ते हुए देखा है और साथ ही लोगोंको ऊपर आकाशमें एकदम उड जाते हुए भी देखा है ।

संसारभर भारतका जन्मसिद्ध हक है । इस ब्रिटिश शासन पद्धतिने उसे उससे वञ्चित कर रखा है । भारत अपनी खोई हुई स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेके लिये लड रहा है । और ऐसा करते हुए वह इतिहासको पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि नये इतिहासको सृष्टि करनेका प्रयत्न कर रहा है । अन्तमें मैं पादरी साहबको तथा उनके सट्टश विचार रखनेवाले दूसरे सज्जनोंको यह यकीन दिलाता हूँ कि यह आन्दोलन किसीके प्रति मनो-मालिन्य करनेके लिये नहीं बल्कि सबके प्रति सद्भावकी वृद्धि करनेके लिये उठाया गया है । समय ही केवल इसकी सत्यताको सिद्ध करेगा । इसके गर्भमें जो नूतन तथ्य छिपा हुआ है उसे यन्त्रणा हमें देखने नहीं देती है । आइए, हम ध्यान करें, ठहरें और प्रार्थना करें ।

हमारे मार्गकी कठिनाइयां

(नवम्बर १, १९२०)

हमारी कठिनाइयां दो प्रकारकी हैं। एक तो वे जो बाहरसे हमारे विरुद्ध खड़ी की जाती हैं और दूसरी वे जो हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। जो कठिनाइया हम स्वयं उपस्थित करने हैं वे बहुत ही भयानक होती हैं, क्योंकि उन्हें हम छातोसे लगाये रहते हैं और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। उदाहरणार्थ पम्पईमें मिसेज वेसेण्टके व्याख्यानके अवसरपर जो होहल्ला मचा वह हमी लोगोंने मचाया। और राजद्रोही सभाकी घोषणाका इलाज करना तो सहज है, पर मिसेज वेसेण्टकी सभाओंमें होहल्ला शान्त करना बड़ा कठिन है। “राजद्रोही” सभाओंकी बन्दीसे हमारा बल बढ़ना है। पर हमलोग जो होहल्ला मचाते हैं उनसे हमारा काम बिगड़ता है। मिसेज वेसेण्टकी सभामें सदाकी तरह जो होहल्ला मचा वह एक प्रकारका उपद्रव था। शान्त-युद्ध आन्दोलनके संकल्पके यह बात बिल्कुल विरुद्ध थी। इसका परिणाम शारीरिक उपद्रव में आसानीसे हो सकता है।

जिन लोगोंने यह होहल्ला मचाया उन्हें अपने पवित्र कार्यका स्मरण करके यह सोचना चाहिये कि उस कार्यके लिये यह

कितना बुरा है। खराबकी अवस्थामें हम ऐसी बुरी शिक्षा देना कदापि पसन्द न करेंगे। मतमतान्तरका, परस्पर सहिष्णुताका भाव खराबका एक लक्षण है, कोई मत हमें कितना ही अप्रिय क्यों न हो उसे सह लेना ही होगा। यदि असहयोगवादी अन्य दलके विचार सुननेसे इनकार करें तो उनपर भी वही इलजाम लगाया जायगा जो सरकार पर लगाया जाता है। सरकार विना हमारी बातोंको सुने चाहे जो निर्णय कर डालती है, यह शिकायत जो लोग करते हैं वे ही ऐसा करे, यह सर्वथा अनुचित है। सरकारके विरुद्ध असहयोग करनेका आधार हमारा परस्पर सहयोग है और इसी परस्पर सहयोगसे ही असहयोग समभव है। जहातक हो सके हमलोगोको अपने सकल्पका विना परिवर्तन किये, आपसमें मेल रखना चाहिये। होहल्ला मचाने या ऊधम करनेसे मेल नहीं हो सकता।

सभाओंमें होहल्ला मचाकर असहयोगवादियोंने मिसेज बेसेण्ट और उनके मित्रों तथा अनुयायियोंको अलग कर दिया है। यह बड़ी भारी हानि है। होहल्लासे वे अपनी ओर कोई नये अनुयायी नहीं ला सके। छात्रोंने मिसेज बेसेण्टका अपमान कर अपने विभागके इस विकासके समयमें अपने ऊपर ध्वजा लगाया है। धर्म तथा ईश्वरके नामपर विद्यार्थियोंसे कहा जाता है कि मातापिताके निषेध करनेपर भी सरकारसे सहायता पाने या सम्बन्ध रखनेवाले स्कूलोंको छोड़ दें। बालक बालिकायें मातापिता और गुरुजनोंके परम आज्ञाकारी होनेपर

भी उनके लिये यह अग्रज्य वैध है। यह उस अवस्थामें वैध है जब किसी महान् उच्च कार्यमें इसकी आवश्यकता पड़े और जब उसमें त्रिद्वेष, घैर और क्रोधका भाव न पाया जाय। पर जब उसमें उद्धता और होहल्ला मचानेका जोश आ जाता है तब यह बड़ा भारी दुर्गुण है। एक महान् घनाता है और दूमरा पतन करती है। सब घातोंके बाद भी क्यों मिसेज वेसेण्टकी इतने वर्षोंकी सेवाके लिये उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते? उनके वर्गका भी हम आदर नहीं कर सकते? भार्वा सन्नाह जात्म घात करेगी यदि वह कृतघ्न हो। भारतमानियोंको कृतघ्न न होकर आदर पूर्वक मिसेज वेसेण्टको भाषण सुनना चाहिये, यद्यपि वे भारतके मतका विरोध ही करे। मिसेज वेसेण्ट जो कुछ विरोध कर रही हैं सब शुद्ध हृदयसे कर रही हैं, कपटसे नहीं। उनकी धारणा है कि गरम दलवाले गलती कर भारतकी उन्नतिको रोकते हैं। इसलिये निस्सन्देह उनका कर्तव्य हमें अपनी भूलोसे हटानेका है और यह हमारा धर्म है कि हम आदरपूर्वक उनकी बातोंको सुनें।

मुझसे कहा गया है कि यदि मिसेज वेसेण्टके व्याख्यानमें उनकी बातोंका जोरशोरसे खण्डन नहीं हो तो इससे लाम उठाकर लोगोंको यह दिखावेगी कि गरम दलवालोंकी अपेक्षा अधिक आदमी हमारी ही ओर है। यदि ऐसा कहना ठीक हो तो भी इसके लिये खण्डनका मार्ग सिर्फ होहल्ला ही नहीं है। सबसे उत्तम उपाय यह है कि हम उनके व्याख्यानमें ही नहीं

(१४) उम्मेदवारोंको चाहिये कि उम्मेदवारीसे अपना नाम कटा दें और यदि निर्वाचित हो गये हैं तो अपने पदोंसे स्वीका दे दें।

(१५) जिन निर्वाचकोंने अभी तक अपना मत नहीं स्थिर किया है उन्हें उचित है कि इसे निश्चय समझें कि किसीको वोट देना पाप है।

यदि जनताने दृढ़ता और साहसके साथ यह काम किया तो उसे स्वराज्यके लिये एक वर्ष तक भी नहीं ठहरना पड़ेगा। यदि हमलोगोंने इतनी दृढ़ता और साहस दिखाई तो हमें स्वराज्य अवश्य मिल जायगा।

उस समय स्वराज्यकी सरकार द्वारा मैं मुक्त किया जाऊंगा। मेरी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रहेगी। आज जिस स्वतन्त्रताका मैं उपभोग कर रहा हूँ वह जेल जीवनसे भी अधम है।

यदि जनताने मेरी मुक्तिके लिये जोर जुल्म किया या हिंसासे काम लिया और तब स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये मेरी सहायताकी अपेक्षा की तो उनकी अयोग्यता समझी जायगी। न तो मैं ही, न कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रके लिये स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। स्वराज्यकी प्राप्ति केवल राष्ट्रकी अपनी योग्यता साबित करनेपर ही हो सकती है।

अन्तमें मुझे यही कहना है कि सरकारके ऊपर आक्षेप या दोषारोपण करना व्यर्थ है। हमलोग जिस तरहकी योग्यता दिखलावेंगे उसी तरहकी शासन व्यवस्था हमें प्राप्त होगी। यदि

हम तरफ़ों कर गये, अपनी अवस्था सुधारते गये तो सरकार भी अवश्य तरफ़ों करेगी और अपनी अवस्था सुधार देगी। अपनी अवस्थाका सुधार करनेसे ही हमें स्वराज्य मिल सकता है। असहयोग करके राष्ट्रने अपनी अवस्था सुधारनेके लिये दृढ़ता दिखलायी है। तो क्या मेरी गिरफ्तारीके बाद राष्ट्र अपनी दृढ़ प्रतिज्ञासे सुधर जायगा और सहयोग करने लग जायगा। यदि जनता उन्मत्त हो जाय और हिंसा कर बैठे तो इसके परिणाम स्वरूप उसे पेटोंके बल रेंगना पड़ेगा, जमीनपर अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी, यूनियन जैक (अग्रेजी झण्डा) को सलाम करना पड़ेगा और यह सब करनेके लिये अठारह अठारह मील पैदल चलना पड़ेगा। इसे सहयोग नहीं तो और क्या कहेंगे। इस तरहके पेटके बल रेंगनेकी आशाओंको खीकार करनेसे अच्छा तो 'मर जाना है। मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि चाहे जिस पहलूसे विचार करो, यह स्पष्ट है कि जो उपाय मैंने बतलाये हैं वे ही ठीक हैं और वे ही जनताके लिये कल्याणकारी हैं। इसलिये जनताको उन्हें ही अपनाना चाहिये।

(१४) उम्मेदवारोंको चाहिये कि उम्मेदवारीसे अपना नाम कटा दें और यदि निर्वाचित हो गये हैं तो अपने पदोंसे स्तीफा दे दें।

(१५) जिन निर्वाचकोंने अभी तक अपना मत नहीं स्थिर किया है उन्हें उचित है कि इसे निश्चय समझलें कि किसीको घोट देना पाप है।

यदि जनताने-दृढता और साहसके साथ यह काम किया तो उसे स्वराज्यके लिये एक वर्ष तक भी नहीं ठहरना पड़ेगा। यदि हमलोगोंने इतनी दृढता और साहस दिखाई तो हमें स्वराज्य अवश्य मिल जायगा।

उस समय स्वराज्यकी सरकार द्वारा मैं मुक्त किया जाऊंगा। मेरी प्रसन्नताकी सीमा नहीं रहेगी। आज जिस स्वतन्त्रताका मैं उपभोग कर रहा हूँ वह जेल जीवनसे भी अधम है।

यदि जनताने मेरी मुक्तिके लिये जोर जुल्म किया या हिंसासे काम लिया और तब स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये मेरी सहायताकी अपेक्षा की तो उनकी अयोग्यता समझी जायगी। न तो मैं ही, न कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रके लिये स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। स्वराज्यकी प्राप्ति केवल 'राष्ट्रकी अपनी योग्यता' साबित करनेपर ही हो सकती है।

अन्तमें मुझे यही कहना है कि सरकारके ऊपर आक्षेप या दोषारोपण करना व्यर्थ है। हमलोग जिस तरहकी योग्यता दिखाएंगे उसी तरहकी शासन व्यवस्था हमें प्राप्त होगी। यदि

हम तरफ़ी कर गये, अपनी अवस्था सुधारते गये तो सरकार भी अवश्य तरफ़ी करेगी और अपनी अवस्था सुधार देगी। अपनी अवस्थाका सुधार करनेसे ही हमें स्वराज्य मिल सकता है। असहयोग करके राष्ट्रने अपनी अवस्था सुधारनेके लिये दृढ़ता दिखलायी है। तो क्या मेरी गिरफ्तारीके बाद राष्ट्र अपनी दृढ़ प्रतिज्ञासे सुधर जायगा और सहयोग करने लग जायगा। यदि जनता उन्मत्त हो जाय और हिंसा कर बैठे तो इसके परिणाम स्वरूप उसे पेटोंके बल रेंगना पड़ेगा, जमीनपर अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी, यूनिवर्सल जैक (अंग्रेजी झण्डा) को सलाम करना पड़ेगा और यह मग्न करनेके लिये अठारह अठारह मील पैदल चलना पड़ेगा। इसे सहयोग नहीं तो और क्या कहेंगे। इस तरहके पेटके बल रेंगनेकी आज्ञाओंको स्वीकार करनेसे अच्छा तो भर जाना है। मेरे कहनेका तात्पर्य यह है कि चाहे जिस पहलूसे विचार करो, यह स्पष्ट है कि जो उपाय मैंने बतलाये हैं वे ही ठीक हैं और वे ही जनताके लिये कल्याणकारी हैं। इसलिये जनताको उन्हें ही अपनाना चाहिये।

प्रजासत्ता और उत्तेजित भीड़

(सितम्बर ८, १९२०)

ऊपर ऊपर देखनेसे पता लगता है कि उत्तेजित भीड़के शासन और जनताके शान्तनमें बहुत थोडा ही अन्तर है, पर तो भी यह पूर्ण है और सर्वदाके लिये विद्यमान रहेगा ।

(भारत आज बडी शीघ्रतासे उत्तेजित भीड़के शासनमें जा रहा है । बडी शीघ्रता मैंने इस लिये कहा है कि ऐसी मेरी सम्मति है । यह हमारा दुर्भाग्य हो सकता है कि धीरे धीरे काम करनेमें भी हमें इस ढङ्गसे जाना पडे । पर इस पद्धतिका शीघ्र त्याग कर देना ही बुद्धिमत्ता है ।

उत्तेजित भीड़के शासनाधीन होनेका हमारा भाव बडा पाया जाता है । १० अप्रैल १९१६ को अमृतसरमें ऐसी भीड़का शासन था, उसी दिन अहमदाबादमें भी उत्तेजित भीड़का राज्य हो रहा था । यह नियम भंग कर नाशका काम करती थी इसलिये इसका काम व्यर्थ, हानिकारक तथा ढङ्गता-पूर्ण था । समर नियमबद्ध नाशका नाम है और अब तक उत्तेजित भीड़की अपेक्षा उसने अधिक ही हानि की है । पर इस पर भी समरकी सराहना की गई है । कारण हम लोगोंने समझ लिया है कि उससे बडी भारी विजय प्राप्त हो सकती है, किन्तु यह

विजय स्थायी नहीं है और धोखेसे ही हम इसे श्रेष्ठ समझते हैं।

इस लिये यदि भारत जोर-जबरदस्तीसे अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहता है तो उसे यह जोर-जबरदस्ती नियम-पूर्ण तथा सम्मान-जनक करना चाहिए (जोर-जबरदस्तीके साथ जहा तक सम्मानका प्रयोग हो सकता है) अर्थात् समरके लिये तब यह ऐसा कार्य होगा जिसे हम उत्तेजित भीड़की नहीं, बल्कि प्रजासत्ताकी कार्रवाई कहेंगे।

किन्तु आज मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि अहमदाबाद जैसी उत्तेजित भीड़के विषयमें वर्णन करूं। मैं वैसी भीड़ोंके शासनके विषयमें वर्णन करना चाहता हू जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हू। कांग्रेस उत्तेजित भीड़के लिये प्रदर्शन है। इसका अर्थ भी यही है। यद्यपि समझदार पुरुषों और स्त्रियोंने इसका संगठन किया है तथापि वह उत्तेजित जनताका प्रदर्शन ही कहा जा सकता है। जनताके जो प्रदर्शन हैं वे निस्सन्देह उत्तेजित जन-समूहके प्रदर्शन हैं। पञ्जाब, सिन्ध तथा मद्रासमें खिलाफतके दौरेमें मैंने ऐसे हृदत्ते ज्यादा प्रदर्शन देखे हैं।

रेलवे स्टेशनोंपरके जुलूसोंको देख कर मैं लज्जित हुआ हू, कारण उत्तेजित भीड़ यात्रियोंके असुविधाका ख्याल न कर अपने पूज्य नेताओंका स्वागत करनेके लिये दौड़ मारती है। ऐसा करनेमें कितने ही आदमियोंकी चीजें नुकसान हो जाती हैं, यद्यपि भीड़की ऐसी इच्छा नहीं रहती। आगत नेताओंको उसके शोर-गुलसे बहुत असुविधा ही होती है। उत्तेजित भीड़में एक

दूसरेको रौंद कर चला जाता है और एक दूसरेको कुहनीसे टेल कर आगे बढ़ता है। सब पवित्र सुव्यवस्था तथा शान्तिके लिये चिल्लाते हैं। कभी कभी १० स्वयंसेवकोंने एकही वार एक तरहकी आघात दी है। स्वयंसेवक जनताके रक्षक होनेकी अपेक्षा प्रदर्शक बन जाते हैं। - स्वयंसेवकोंकी ठूटी हुई कतारमें प्लेटफार्मसे सवारी तक जाना आगत नेताओंके लिये बड़ा विपन्मय तथा असुविधा-जनक हो जाता है। इतनी थोड़ी दूर जानेमें भी, जो ५ मिनटकी राह रहती है, नेताओंको सवारी पर पहुचनेमें एक एक घण्टा लग जाता है। भौड पीछे हटनेके बदले नेताओंकी ओर ही बढ़ती है जिससे उनकी रक्षा करनेकी आवश्यकता पड़ती है। नेताओंकी सवारी गाडी जो चाहे पकड लेता है। स्वयंसेवक तो इस सम्बन्धमें सबसे पहले भारी भूल करते हैं। इस लिये नेताओं तथा उनके साथियोंको समझाना पड़ता है कि आप लोग इस प्रकार गाडीके पायदानों पर मत चढ़ें।

जुलूसवाले सवार-गाडीकी छतको धक्का दे देते हैं। मैंने कई वार मोटरोंकी छतें भौड द्वारा नष्ट हुईं देखी हैं। मार्गमें भौड सडककी दोनों ओर क्या चलेगी - कि नेताओंकी गाडीके पीछे ही पीछे रेलते हुए बढ़ती है।

इसका परिणाम यह होता है कि चारों ओर बड़ा होहल्ला मच जाता है जिसका ठिकाना नहीं रहता। ऐसे जुलूसोंमें प्रतिक्षण खतरा होनेकी अशङ्का रहती है। इनमें दुर्घटनाएं बहुत कम

ती, है इसका ध्येय जुलूसोंके प्रबन्ध-कर्त्ताओंको नहीं है बल्कि भीड़को, जो आनन्दसे सब तरहका धक्का-मुक्का सह लेती है। इन जुलूसोंमें यद्यपि एक दूसरेको ठेलकर आगे बढ़ता है तथापि किसीको धक्का देनेकी इच्छा नहीं रहती।

जुलूस पहुचनेपर समा होती है। लोग इसके लिये घडे घुसुक रहते हैं। ऐसी समामें हो हल्ला, चिल्लाहट आदिके सिवा और कुछ नहीं पाया जाता। सुबत्ता शोर-गुल मचानेवाली ऐसी समाको अपने भाषणसे शान्त कर लेता है, यहां तक कि समामें एक आलपीन गिरनेकी आवाज भी सुनाई देती है।

जो हो, यह कार्य उत्तेजित भीड़का ही है। इसमें आपसीके अधीन रहते हैं। जब तक आप तथा इस भीड़में सहानुभूति है तब तक प्रत्येक काम अच्छी तरह होता जाता है। पर जहां यह सहानुभूति गई कि सब मामला विंगड जाता है। प्रहमदावादकी एक घटनासे आपको उत्तेजित भीड़के मिजाजका पता लगेगा।

इस लिये होहल्ला तथा शोर-गुलमें हमें शान्ति स्थापित करनेका प्रयत्न करना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी अवस्थामें दत्तचित्त भीड़की पद्धतिकी अपेक्षा शान्त जनताकी पद्धति ही अच्छी है।

इस सम्बन्धमें सबसे बडी भारी श्रुति यह है कि हम लोगोंने गान वाद्यको बिसार दिया है। गान वाद्यका अभिप्राय जनतामें शान्ति जमाना है। इसका प्रभाव विजलीकी तरह पडता है।

लगी। अब चरों ओरसे शोर गुल मचने लगी कि एक गोला-फार बना लो। यह प्रथा बड़ी ही खराब है। फिर भी यह इतनी प्रचलित हो गई है कि जहा कहीं भीड़ नहीं भी रहती, स्वयंसेवकों-के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं भी रहता, वहां भी गोलागार बना लेनेकी प्रथा चल गई है। कदाचित नेताका सच्चा आदर और स्वागत लोग इसीमें समझते हैं।

अस्तु मद्रास स्टेशनपर भीड़ जशर्वस्त थी। वे लोग इतना भीषण शोर गुल मचा रहे थे कि स्वयंसेवकोंकी सूचनाओं तकका पता नहीं लगता था। उन्हें कोई सुनही नहीं सकता था, अनु-करण करना तो दूरकी बात थी। चारों ओर अन्धेर मचा था। मुझे हर वक्त यही भय लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर न चढ़ जाय और मेरे पैरको कुचलकर उसका भुरता कर दे। कभी कभी उन्हीं स्वयंसेवकोंकी धक्कमधुक्कासे—जो मुझे बचा रहे थे—में लडखड़ा जाता था और गिरने लगता था। यदि उन्होंने इतनी तत्परतासे मेरी रक्षाका प्रबन्ध न किया होता और यदि पुरुषसिंह मौलाना शौकतअली मेरी सहायताके लिये न होते तो मेरी वह दुर्गति हुई होती जिसका मैं अनुभव भी नहीं कर सकता था। हवाकी इतनी कमी थी कि मेरा गला घुटने लग जाता था। इस तरह भीड़से, संप्राम करके किसी न किसी तरह उस तीन मिनटके मार्गको हम लोगोंने पूरे पौन घण्टेमें पार किया और सड़कपर मोटरकार तक पहुँचे। गाडीमें सवार होना भी कोई सहज काम नहीं था। जहातक सुविधा जनक हो सका

भीतर ढकेलकर घेठाया गया। गाडीमें बैठेपर मुझे
 शान्ति मिली। उस समय मैंने समझा कि मेरी तथा
 शोकित अलीकी जो जैजैकार प्रजा पुकार रही थी उसके
 लोग उपयुक्त थे। यदि थोड़ीसी दूरदर्शिता और चतुराईसे
 काम लिया गया होता तो यह भीड़ खासा समारोह या सवारी
 काम दे देती। और उस अवस्थामें जान जानेका जरा भी
 न रह जाता। जो अनुभव हम लोगोको मद्रासमें हुआ वही
 स्थानोंमें भी हुआ। पर सलेम जाते हुए इन्दौरमें जो कुछ
 था वह तो अभूतपूर्व था। मुझे इतना श्रम करना पड़ा कि मैं एक
 मसे एक गया। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया। अन्य
 शान्तियोंकी भांति वहां भी जयवदस्त भीड़ एकत्रित थी। वद
 न्तजामी भी औब्वल दर्जेकी थी। यद्यपि अन्य स्थानोंकी भांति
 नमें भी उत्साह था और हृदयमें हम लोगोके लिये आदर तथा
 सम्मान था। मैंने उनसे प्रार्थना की कि इस तरह शोर गुल
 मत कीजिये। चूकि वे लोग हम लोगोको देख चुके थे इससे
 वह भी प्रार्थना की कि आप लोग शान्ति पूर्वक यहांसे चले
 जाइये। मैंने यह भी कहा कि भाई आप लोग, यदि खिलाफत और
 अत्याचारोंके लिये जो सन्नाह किया जा रहा है, उनमें
 भाग लेना चाहते हैं तो आपको तालीम सीखनी चाहिये। जो
 लोग समझदार थे उन्होंने मेरी बात सुनी? मैंने उनसे कहा
 कि आप लोग चुपचाप उठिये दरवाजेकी तरफ मुह फेरिये और
 अपने अपने घरको रघाना होइये। उन लोगोंने मेरी बात मान

ली और शान्ति पूर्वक वैसा ही किया। अन्य लोगोंने भी उनका अनुकरण किया और दो मिनिटमें स्टेशन खाली हो गया। जिन लोगोंने मेरी बात सुनी, यदि वे कुछ परवा ना किये होते, और विवाद खड़े कर देते, इतराज कर बैठते, चिल्लाहट शुरू रखते और वहीं अड़े रहते, और भीड़मेंसे एक आदमी भी नहीं छूटता तो जितनी देर यहां गाड़ी खड़ी रही उतनी देर तक आफतका सामना करना पडता।

इसके बाद जोलारपेटके अनुभवका वर्णन करके मैं इस विवरणको समाप्त करूंगा। हम लोग बङ्गलोरसे रातकी गाड़ी से मद्रासके लिये रवाना हुए। दिनको सलेममें सभा करनेके बाद हम लोगोंने १२५ मील मोटरपर आकर बङ्गलोरमें सभा की। बङ्गलोरमें जिस समय हम लोग पहुंचे जोरोंका पानी घरसँ रहा था। उसीमें व्याख्यान दिया, भोजनादिसे निवृत्त होकर रवाना हो गया। हम लोग आशा कर रहे थे कि रातभर शान्ति पूर्वक सोनेको मिलेगा। पर सोना कहा धँदा था। प्राय सभी घड़े घड़े स्टेशनोंपर भारी जमात हम लोगोंके स्वागतके लिये उपस्थित थी। चारह बजे रातको हम लोग जोलारपेट पहुंचे। वहाँ गाड़ी प्राय ४० मिनिट तक ठहरती थी। वह ४० मिनिट इतना भयङ्कर था कि नहीं कहा जा सकता। मौलोंना शौकत अलीने उन लोगोसे बले जानेके लिये कहा। पर मौलोंना माईव जितना अधिक समझते थे वे उतना ही अधिक मौलोंना शौकत अलीकी जै चिल्लाते थे। वे लोग समझते थे कि

मौलाना साहब, जो कुछ कह रहे हैं, वास्तवमें उनकी वही मश
 नहीं है। वे लोग प्रायः तीस मील चल कर आये थे। इत
 प्रतीक्षामें वे लोग, वहा घण्टोंसे खड़े थे। इसलिये उन्हें सन्तो
 कर लेना कठिन था। मौलाना साहब, हताश होकर, घुप
 गये और आकर लोट रहे। पर जेतना उनके दर्शनोंकी इतनी भूख
 थी कि वह गाडीके पावदान पर चढ़ गई और दिव्यमें भाक
 लगी। हम लोगोंने रोशनी बुझा दी थी। इसपर वे लो
 लालटेन लेकर आये। अन्तमें मैंने सोचा कि मैं क्रोशिश कर
 देखू। शायद मेरे समझानेसे मान जाय। मैं उठा और दर
 वाजेके पास गया। मेरे दरवाजेके पास पहुचते ही विज
 ध्वनि सुनाई दी। आवाज इतनी भीषण थी कि मैं घबर
 गया। मैं एक-तो-एक दमसे थक गया था, दूसरे मेरे
 प्रार्थनाये भी खब वेकार थी। वे लोग एक क्षणके लिये चु
 हो जाते और पुन शोर गुल आरम्भ करते। लाचार मैंने खिडका
 बन्द कर दी। पर इस तरह भीड, हताश होनेवाली नहीं थी
 उन्होने बाहरसे खिडकी खोलना आरम्भ किया। वे लोग दोनों
 व्यक्तियोंका दर्शन करना चाहते थे। इस तरह वह सग्राम जारी
 रहा। अन्तमें मेरे पुत्रने चेष्टा करनी चाही। उसने उनसे
 लगातार प्रार्थना की और समझाया कि अन्य यात्रियोंके
 सुखदुखका आपको ध्यान रखना चाहिये। इसका कुछ असर
 पडा और शोरगुल कुछ कम हुई पर लोगोंका भाकना बन्द न
 हुआ। यह तो अन्तिम क्षणतक जारी रहा। मैं इस रातको

स्वीकार करता हू कि उनकी मशा अच्छी थी। अगाध प्रेमके वशीभूत होकर ही उन्होंने ऐसा किषा था, पर अशुमान कीजिये कि यह कैसा क्रूर था, कितना विचारशून्य था। इस भीड़को जरा भी विचार नहीं था अर्थात् यह पूर्णतया विचारशून्य थी। उनके बीचमें एक भी ऐसा बुद्धिमान आदमी नहीं था जिसका कुछ प्रभाव पड़ सकता हो और यही कारण था कि कोई किसीकी परवा नहीं करता था।

इसलिये वास्तविक उन्नतिके मार्गपर आगे बढ़नेके पहले हम लोगोंको उचित है कि हम लोग इनको शिक्षित करें। इनका हृदय उदारता पूर्ण है देशप्रेमका अखिल भण्डार है, और शिक्षित होना तथा समझना भी चाहते हैं। आवश्यकता है चन्द बुद्धिमान, त्यागी, उदार और सच्चे स्थानीय कार्यकर्ताओंकी। यदि इसका समुचित प्रयत्न हो जाय तो समस्त जनता पूर्ण योग्यताके साथ काम कर सकती है। इस तरह इस उन्नेजित भोड़की शासनसे प्रजासत्ताकी सहजमे स्थापना हो सकती है। राष्ट्रीय इस असहयोगके लिये इस तरहका विकास सबसे आवश्यक है।

संयुक्त प्रान्तके किसानोंको सन्देश

(मई ६, १९२१)

[अवधमें दौरा करते समय महात्माजीने संयुक्त प्रान्तके किसानोंको निम्नलिखित सन्देश दिया था। किसान सभाके सभापति पण्डित मोतीलाल नेहरूने इस सन्देशकी हजारों प्रतिया बटवाई थीं ।]

जबतक निम्नलिखित नियमोंका पालन नहीं किया जाता, स्वराज्यकी प्राप्ति अथवा अत्याचारोंका प्रतीकार नहीं हो सकता ।

१—हमें किसीको कष्ट नहीं देना चाहिये । अपनी लाठियोंका प्रयोग हमें कभी नहीं करना चाहिये । हमें न तो गाली देना चाहिये और न किसी तरहका द्वाघ डालना चाहिये ।

२—हमें दूकानोंको कभी नहीं लूटना चाहिये ।

३—हमें दया दिखलाकर अपने शत्रुओंको जीतना चाहिये । इसके लिये न तो हमें उनपर बलात्कार करना चाहिये और न उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिये जैसे कूपसे पानी नहीं भरने देना, हजामोंको घाल धनानेसे रोक देना, धोषियोंको कपडा धोनेके लिये मना कर देना ।

४—हमें न तो सरकारी मालगुजारी और न जमींदारका लगान रोकना चाहिये ।

५—यदि जमींदारके खिलाफ किसी तरहकी शिकायत है तो उसकी सूचना पण्डित मोतीलालजी नेहरू समापति किसान सभाको दी जानी चाहिये और उनकी आज्ञाओंका पालन किया जाना चाहिये ।

६—इस घातका सदा स्मरण रखना, चाहिये कि हम लोग जमींदारोंको भी अपना मित्र बना लेना चाहते हैं ।

७—इस समय अभी हम लोग सविनय अवज्ञा नहीं चला रहे हैं । इस लिये हमें प्रत्येक सरकारी आज्ञाका पालन करना चाहिये ।

८—न तो हमें रेलगाड़ियोंको रोकना चाहिये और न बिना टिकटके उनमें जबरदस्ती घुस जाना चाहिये ।

९—यदि हम लोगोंका कोई नेता गिरफ्तार होता हो तो हमें उसकी गिरफ्तारी न तो रोकनी चाहिये और न उसके गिरफ्तार हो जाने पर किसी तरहका उपद्रव मचाना चाहिये ।

१०—हमें नशेकी वस्तुओंका त्याग करना चाहिये और बुरी आदतोंको छोड़ना चाहिये ।

११—स्त्रियोंको अपनी माँ और बहिन समझ कर उनकी रक्षाका समुचित प्रवन्ध करना चाहिये ।

१२—हिन्दू और मुसलमानोंमें एकता तथा मेल स्थापित करनेका यत्न करना चाहिये ।

१३—हिन्दुओंको आपसमें नीच ऊँचका विचार नहीं रखना चाहिये । हमें सबको बराबर मानना चाहिये और भाई भाईकी

तरह रहना तथा व्यवहार करना चाहिये। भारतके प्रत्येक निवासीको हमें अपना भाई या बहन समझना चाहिये।

१४—हम लोगोंको जुआ हरगिज नहीं खेलना चाहिये।

१५—हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिये।

१६—किसी भी अवस्थामें हमें झूठ नहीं बोलना चाहिये हमें प्रत्येक काममें सचाईसेही चलना चाहिये।

१७—हमें घर-घरमें चरखेका प्रचार करना चाहिये। प्रत्येक नर-तारीको फालतू समय-चरखा कातनेमें बिताना चाहिये। लड़कोंको भी चरखा कातना सिखाना चाहिये और उनसे भी कमसे कम घण्टा प्रतिदिन चरखा कताना चाहिये।

१८—हमें हर तरहका विदेशी बख छोड देना चाहिये और हाथके कते सूतसे जुलाहोसे कपडे बिनवाकर पहनना चाहिये।

१९—हमें अदालतोंमें नहीं जाना चाहिये। हमें अपने सभी अभियोगोंका विचार पञ्चायती अदालतोंद्वारा करा लेना चाहिये।

सबसे आवश्यक जानने और समझने योग्य बात यह है, कि क्रोधको दशाना, और कभी हिसाका भाव नहीं लाना और यदि कोई कष्ट दे तो उसे सह लेना चाहिये।

जमींदार तथा रैयत

(मई १८, १९२१)

एक तरफ तो सयुक्त प्रान्तकी सरकार अपनी सीमाका उल्लङ्घन कर रही है और लोगोंको हर तरहसे सता रही है, और दूसरी ओर प्रजा अपने नये शास्त्रका पूर्णतया प्रयोग कर रही है। समाचार मिला है कि कितनी जमींदारियोंमें तो वे सीमाको लाघ गये हैं, कानूनके स्वयं विधायक बन गये हैं और जो लोग उनके मुआफिक काम नहीं करते उन्हें तड़क करते हैं। सामाजिक बहिष्कारका वे पूरी तरहसे प्रयोग कर रहे हैं और उसके द्वारा वे लोग हिंसा तक कर रहे हैं। समाचार मिला है कि उन्होंने कुओंमेंसे पानी खींचना बन्द कर दिया है, हजामोंको हजामत करनेसे रोक दिया है तथा लगान तक देना बन्द कर दिया है। असहयोग आन्दोलनसे किसान सभाओंको उत्तेजना अग्रथ मिली है पर वे इससे एकदम स्वतन्त्र हैं। जिस समय उपयुक्त अवसर आवेगा हमलोग रैयतोंसे लगान न देनेके लिये अवश्य कहेंगे पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि असहयोग आन्दोलनके किसी भी अवस्थामें रैयत मालगुजारीका देना बन्द कर दें और इस तरह जमींदारोंको मालगुजारीसे वञ्चित करें। किसान आन्दोलन द्वारा किसानोंकी दशा सुधारनेकी

चेष्टा करनी चाहिये तथा जमीदार और रैयतोंका सम्बन्ध ठोक करना चाहिये। किसानोंको बतलाना चाहिये कि उन्होंने जमीदारोंके साथ जो शर्तें कर ली हैं उनका उन्हें पूरी तरहसे पालन करना चाहिये चाहे वे शर्तें लिखी हो या परम्परासे चली आती हों। जहां कहीं लिखित शर्तें या प्रचलित प्रथायें बुरी हों वहां भी उन्हें उसके दूर करनेके लिये हिंसासे काम नहीं लेना चाहिये उचित यही है कि प्रत्येक जमींदारोंसे समझौता करके ही निपटारा करना चाहिये। बीचमें जो झगड़े उत्पन्न हो जाय उनके, सरकारकी किसी तरहकी सहायता बिना, निपटाराकी योग्यताही हमें पूर्ण स्वराज्यके योग्य साबित कर सकती है।

सामाजिक वहिष्कार

(दिसम्बर ८, १९२१)

सामाजिक वहिष्कारके सम्बन्धमें हैदराबादसे एक सवाद-वाताने एक पत्र लिखा है। इस पत्रमें उसने उन्हीं बातोंका उल्लेख किया है जो मिस्टर ट्रापर्डेके साथ हुआ था। हैदराबाद (सिन्ध) से अमरावती बहुत दूर है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मिस्टर ट्रापर्डेको वे सब असुविधायें भुगतनी पड़ी थीं जिनका लेखनने उल्लेख किया है। मिस्टर ट्रापर्डे अपनी सम्हाल आप स्वयं कर सकते हैं। मेरी समझमें उनके सम्बन्धमें जो

जमींदार तथा रैयत


(मई १८, १९२१)

एक तरफ तो संयुक्त प्रान्तकी सरकार अपनी सीमावर्त उल्लङ्घन कर रही है और लोगोंको हर तरहसे सता रही है और दूसरी ओर प्रजा अपने नये शस्त्रका पूर्णतया प्रयोग कर रही है। समाचार मिला है कि कितनी जमींदारियोंमें तो सीमाको लाघ गये हैं, कानूनके स्वयं विधायक बन गये हैं और जो लोग उनके मुआफिक काम नहीं करते उन्हें तड़क कर रहे हैं। सामाजिक बहिष्कारका वे पूरी तरहसे प्रयोग कर रहे हैं और उसके द्वारा वे लोग हिंसा तक कर रहे हैं। समाचार मिला कि उन्होंने कु'ओमेसे पानी खींचना बन्द कर दिया है, हजारोंक हजामत करनेसे रोक दिया है तथा लगान तक देना बन्द कर दिया है। असहयोग आन्दोलनसे किसान सभाओंको उत्तेजन अवश्य मिली है पर वे इससे एकदम स्वतन्त्र हैं। जिस समय उपयुक्त अवसर आवेगा हमलोग रैयतोंसे लगान न देनेके लिये अवश्य कहेंगे पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि असहयोग आन्दोलनके किसी भी अवस्थामें रैयत मालगुजारीका देना बन्द कर दें और इस तरह जमींदारोंको मालगुजारीसे बहिष्कार करें। किसान आन्दोलन द्वारा किसानोंकी दशा सुधारनेके

चेष्टा करनी चाहिये तथा जमींदार और रैयतोंका सम्बन्ध ठीक करना चाहिये । किसानोंको बतलाना चाहिये कि उन्होंने जमींदारोंके साथ जो शर्तें कर ली हैं उनका उन्हें पूरी तरहसे पालन करना चाहिये चाहे वे शर्तें लिखी हों या परम्परासे चली आती हों । जहां कहीं लिखित शर्तें या प्रचलित प्रथायें बुरी हों वहां भी उन्हें उसके दूर करनेके लिये हिंसासे काम नहीं लेना चाहिये उचित यही है कि प्रत्येक जमींदारोंसे समझौता करके ही निपटारा करना चाहिये । बीचमें जो झगड़े उत्पन्न हो जाय उनके, सरकारकी किसी तरहकी सहायता बिना, निपटाराकी योग्यताही हमें पूर्ण स्वराज्यसे योग्य साबित कर सकती है ।



सामाजिक वहिष्कार



(दिसम्बर ८, १९२१)

सामाजिक वहिष्कारके सम्बन्धमें हैदराबादसे एक सवादि-
दाताने एक पत्र लिखा है । इस पत्रमें उसने उन्हीं बातोंका उल्लेख किया है जो मिस्टर खापडेंके साथ हुआ था । हैदराबाद (सिन्ध) से अमरावती बहुत दूर है । मुझे विश्वास नहीं होता कि मिस्टर खापडेंको वे सब असुविधायें भुगतनी पड़ी थीं जिनका लेखनने उल्लेख किया है । मिस्टर खापडें अपनी सम्हाल आप स्वयं कर सकते हैं । मेरी समझमें उनके सम्बन्धमें जो

चलाये जायगे तो उनसे इस आन्दोलनपर क्षति पहुंचनेकी पूर्ण सम्भावना है। सामाजिक वहिष्कार तभी सम्भव हो सकता है, जब उसका प्रयोग बतौर दण्डके नहीं होता बल्कि जिसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है उसकी तालीमके लिये होता है। इसके साथ ही साथ असहयोग कार्यक्रममें वहिष्कारका प्रयोग मनुष्यताके खिलाफ नहीं होना चाहिये। सभ्यताका संर्घ ध्यनि रखना चाहिये। यदि 'इससे' उस व्यक्तिको कष्ट हो जिसके प्रति इसका प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग करने वालेको भी इस दुःखको समझना चाहिये। 'भासीकों' संघों चार है कि किसी बीमारको वैद्यकी सहायतासे ही लोगोने वञ्चित कर दिया। इस तरहका वहिष्कार तो बड़ा ही हैय है क्योंकि इसमें प्राण लेनेकी प्रत्यक्ष चेष्टा झलकती है। मेरी समझ में किसीकी हत्या करनेमें तथा किसी मरते हुएकी सहायता करनेसे वैद्यको रोक देनेमें कोई अन्तर या भेद नहीं है। इस तरहकी कड़ाई तो सामाजिक नियममें भी नहीं है। सामाजिक नियम भी पीडित शत्रु के लिये दवा आदिकी व्यवस्था करता है। मान लोजिये कि किसी गांवमें एक ही कुआ है और यदि किसीको उसके प्रयोगसे रोक दिया जाय तो उसका क्या अभिप्राय निकला। यही कि उसे वह गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र जाकर बसना चाहिये। जिन लोगोसे असहयोगियोंका मतभेद है, जो लोग किसी बातको उसी दृष्टिसे नहीं देखते जिस दृष्टिसे एक असहयोगी देखता है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि

असहयोगीको उसके साथ इस कड़ाईके साथ व्यवहार करना चाहिये। इस बातपर मैं सदासे जोर दे आया हू कि अधीरता और असहनशीलता इस आन्दोलनका घातक है। बलात्कार या जवर्दस्तीसे हम किसीकी आत्माको शुद्ध नहीं कर सकते। इसी तरह अपनी बात स्वीकार करानेके लिये हम उनपर बल प्रयोग भी नहीं कर सकते। जिस स्वाधीनताके लिये हमलोग अनवरत प्रयत्न कर रहे हैं उसके भावके यह सर्वथा विरुद्ध है।

यह निस्सन्देह है कि हमलोगोंके मार्गमें अनेक तरहकी बाधाएँ हैं। पर यदि कोई मुद्दालेह पञ्चायती अदालतोंको स्वीकार कर लेनेके बाद उसके फैसलेको स्वीकार करना नहीं चाहे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कारके शस्त्रका प्रयोग आवश्यक है। पर यह बात सहजमें ही समझमें आ जायगी कि सामाजिक बहिष्कारका शस्त्र आपत्तियोंसे भरा है क्योंकि इसका प्रभाव पञ्चायती अदालतोंपर भी घुरा पडता है। पञ्चायती अदालतें केवल असहयोगके मार्गमें ही सहायक नहीं हैं बल्कि इनसे देशका भी असीम कल्याण है। पञ्चायती अदालतोंकी पूर्ण स्वीकृतिके लिये समयकी आवश्यकता है। इसको मादगी और किरायातसारीके कारण ही कितने लोग इसे नहीं स्वीकार करेगे जैसे मसालेदार और चटपट खानेके खानेवाले खादा भोजन नहीं पसन्द करते। पञ्चायती अदालतोंके निर्णयपर अनेक तरहकी आशङ्काएँ की जायगी और

सभी निर्णय इस तरहकी अशङ्काओंसे रहित हो भी नहीं सकते। इसलिये हमें इस आन्दोलनकी आन्तरिक उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिये और पचायती अदालतोंके निर्णयपर जोर देना चाहिये।

यदि हमलोग सरकारी अदालतोंका पूर्णतया बहिष्कार करना चाहते हैं तो इसके लिये अधिकाधिक चेष्टा करनेकी आवश्यकता है। केवल इसीसे ही स्वराज्यकी स्थापना हो सकती है। पर यह कभी भी आशा नहीं की जाती कि हम असहयोगके किसी एकही कार्यक्रमको पूर्ण करेगे। सार्वजनिक मतका विकास इतना तो अवश्य हो गया है कि सरकारी अदालतोंको स्वतन्त्रता या मुक्तिका मार्ग न समझकर लोग इसे दासता या गुलामीका मार्ग समझने लग गये हैं। इस समय वकालत करनेवाले वकीलोंको जनताका प्रतिनिधि बनना फठिन हो गया है।

असहयोग आन्दोलनने सरकारी अदालतोंकी प्रतिष्ठा एक दमसे गायब कर दी है। उतने हद तक सरकारको भी प्रतिष्ठा लुप्त हो गई। अदालतोंके बहिष्कारका कार्य धीरे धीरे चल रहा है। यदि इसकी शीघ्र सफलताकी आशकासे बल प्रयोग किया गया या हिंसासे काम लिया गया तो इसका प्रभाव घट जायगा। यह सरकार इस आन्दोलनको रोकने और बन्द करनेके लिये अन्तिम दर्जे तक बल प्रयोगके लिये तैयार है और हिंसाकी प्रवृत्तिका बंध आसानीसे दमन कर सकती है पर

अहिंसाके प्रबल, पराक्रमको दधानेका उसमें लेशमात्रकी ताकत नहीं है। यदि तीस करोड़ जनता एकत्र होकर अपनी राय प्रगट करती है और उसके लिये हर तरहकी तपस्या या यातन सहनेके लिये तैयार रहती है तो ये मुठ्ठीभर अंग्रेज उन्हें किसी भी तरह दबा नहीं सकते।

इसलिये असहयोगी कार्यकर्ताओंको सामाजिक वहिष्कारके इस मायाजालसे अपनेको बचाते रहना चाहिये। पर इसमें माने यह नहीं है यदि सामाजिक वहिष्कारका प्रयोग न किया जाय तो सामाजिक मेल जोल ही रखा जाय। जो व्यक्ति जनसमूहकी बातोंकी नहीं मानता उसके साथ सामाजिक संबंध नहीं रखना चाहिये और वह उसका अधिकारी भी नहीं है। उस काममें हमें भाग नहीं लेना चाहिये, उसके विवाह शादीमें हमें शरीक नहीं होना चाहिये और उसके उपहार आदिको हमें स्वीकार नहीं करना चाहिये। पर हमें सामाजिक सेवासे मुंह नहीं मोडना चाहिये, क्योंकि यह कर्तव्य है। दावत आदिमें शामिल होना एक तरहका अधिकार है जिसे हम इन्कार कर सकते हैं।- पर कभी कभी आवश्यकता पडनेपर हमें उस शस्त्रका प्रयोग दूसरी तरफ करनेकी भी भूल करनेमें कोई हर्ज नहीं है अर्थात् अत्यन्त आवश्यकता पडनेपर भी हम कर्तव्यमें ही वहिष्कारकी योजना कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरफ क्यों न हो प्रयोक्ताको वहिष्कारका शस्त्र अपनी ही जिम्मेदारीपर प्रयोग करना पडेगा। इसका

प्रयोग किसी भी अर्थस्यार्थमें कतव्य नहीं कहा जा सकता यदि इसके प्रयोगसे किसी तरहकी बाधा असहयोग आन्दोलनके ऊपर पड़नेवाली हो तो उसका प्रयोग किसीको नहीं करना चाहिये।

एक कुराई

(मई ४, १९२१)

भालेगावके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंमें जो समाचार निकले हैं यदि वे सही हैं तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि वहकि असहयोगियोंने अपने आदर्श, अपने धर्म, अपने विश्वास तथा अपने देशको धोखा दिया। उन्होंने तरकीबमें बाधा पहुँचायी है। असहयोगकी जड़में अहिंसारूपको ककड़ भरकर उसे दृढ़ तथा मजबूत किया जा रहा है। उसे निकाल लीजिये फिर इस तरहका त्याग बेकार है, क्योंकि वनावटी फल केवल देखनेके योग्य होता है खानेके योग्य नहीं होता। यदि समाचारपत्रोंका सवाँद सही है तो इससे स्पष्ट प्रगट होता है कि उन आदमियोंकी हत्या जो कि अपना काम कर रहे थे, जान बूझकर की गयी थी। पर इस तरहका आक्रमण कायरता पूर्ण है। चन्द आदमियोंने जानबूझ कर कानून तोड़ा और सबको दाँडका मार्गी बनाया।

इस तरहके दण्डोंके लिये किसी तरहका असन्तोष नहीं प्रगट किया जा सकता। जो लोग मालेगायकी दुर्घटनाका अनुकरण करनेका साहस करते हैं वे सरकारके कट्टर अनुयायी हैं। सरकार यदि चन्द अफसरोंके प्राणकी आहुति करके असहयोग आन्दोलनको फुचल सकती है तो वह इसके लिये तैयार है। यदि इस तरहकी दो चार और हत्यायें हो जाय तो जनताका विश्वास हमारे आन्दोलनसे अवश्य उठ जायगा। हमें पक्का विश्वास है कि इस तरहकी हिसाको जन समूह कभी भी पसन्द नहीं करेगा। वे शान्त प्रकृतिके जीव हैं और उन्होंने असहयोग आन्दोलनको इसलिये स्वीकार किया है कि वह हर तरहसे अहिंसात्मक है। इसलिये हमें क्या करना चाहिये। बाहर ओर भीतर हमें हर समय और हर स्थानपर अहिंसाकी शिक्षा देनी चाहिये। घुराई करनेवालोंके साथ हमें किसी तरहसे सहानुभूति नहीं रखनी चाहिये। जिन लोगोंने इस हत्यामें भाग लिया है यदि उन्हें इसके लिये जरा भी पश्चात्ताप है तो उन्हें उचित है कि वे अपनेको सरकारी अधिकारियोंके हाथमें सौंप दें। काम करनेवालोंको अपनी जवान पर भी पूरा अधिकार रखना चाहिये। उन्हें सरकारी कर्मचारियोंकी निन्दा नहीं करनी चाहिये, चाहे वे अंग्रेज हो या हिन्दुस्तानी, क्योंकि इस तरहकी बातोंसे राष्ट्रके सामने जो रचनात्मक कार्य रखा गया है उसमें बाधा उपस्थित होती है। यदि हम-लोगोंकी मांगें पूरी नहीं होती तो हमें धैर्यधारण करना चाहिये। पुलिस

की प्रत्येक आशाका पूर्णतः पालन होना चाहिये। किसी भी कार्यकर्ता या नेताके पकड़े जाने या दण्डित होनेपर किसी तरहकी हड़ताल नहीं होनी चाहिये। यदि हम लोग निर्दोषके दण्डका स्वागत करते हैं और यह आवश्यक है, तो हमें निर्दोष बनना चाहिये और यदि हमलोग किसी निर्दिष्ट मतके धारण करनेके लिये अथवा उस कामके करनेके लिये जिस मतका धारण करना या जो काम करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं, उदाहरणार्थ खरवा कातना, तिलक खराज्य कोषके लिये चन्दा संग्रह करना तथा कांग्रेसका सदस्य बनना—दण्डित हो तो हमें हर्ष मनाना चाहिये और अपनेको भाग्यवान समझना चाहिये। सविनय अवज्ञा अभी नहीं होनी चाहिये। हमलोगोंने प्रतिज्ञा की है कि घोरतम उत्तेजनापर भी हम शान्ति भंग नहीं करेंगे। इसलिये हमें सावधान होना चाहिये नहीं तो अपनी भूलके कारण हम अपने विजयको पराजयमें परिणत कर देंगे। टाइम्स आफ इण्डिया पत्रने जो कुछ लिखा है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। उसने लिखा है कि इस तरहका आन्दोलन, जिसकी सारी शक्ति आत्मबल पर है, उसकी उपयोगिता केवल मात्र उसके अनुयायियोंकी सच्चाईपर अवलम्बित है। यदि एक बार भी उस सच्चाईपर काला धब्बा लग गया या किसी तरहकी आशंका उत्पन्न हो गई तो फिर इसके बाद हमारे बीचमें वे ही शक्तियां दिखलाई देंगी जो इसकी विनाश करनेवाली होंगी।

मालेगावकी बद्धचलनी

(मई ११, १९२०)

मैं देख रहा हूँ कि मालेगावके असहयोगियोंकी, ज्यादातियोंको छिपानेकी कड़ी चेष्टा की जा रही है। चाहे सरइन्स्पेक्टरने उन्हें उत्तेजित करनेकी कितनी भी चेष्टा क्यों न की हो पर असहयोगियोंको इस तरहकी कार्रवाई किसी भी अवस्थामें नहीं करनी थी। मैं उनके व्यवहारकी आलोचना कानूनकी दृष्टिसे नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी जांच इस हिसियतसे कर रहा हूँ कि वे असहयोगी हैं। जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है, उनके अन्तर्गत उन्हें उत्तेजित होनेकी जरा भी गुञ्जायश नहीं है चाहे उन्हें उत्तेजित करनेकी कितनी भी चेष्टा न की जाय। सरदार लक्ष्मण सिंह, दलीपसिंह तथा उनके दलका उदाहरण हम लोगोंके सामने है। यदि हम लोग सच्चे असहयोगी हैं तो हमें मर-मिटनेकी वही योग्यता प्राप्त करनी चाहिये जो उनमें थी। यदि मालेगावके असहयोगियोंने असीम वीरताका परित्रय देते हुए बिना किसी कारणके आज प्राण त्याग करके, अहिंसाका उदाहरण दिया होता, तो मैं उनकी त्यागका हृदयसे प्रशंसा करता। उस दिन भारतका भविष्य और भी उज्वल दिखाई देता। जो कुछ हुआ उसीके अनुसार यह प्रश्न उठता है कि- उत्तेजनाका कारण मृत्युसे पहले किसकी

थोरसे उपस्थित हुआ। क्या उन्होंने पुलिसको डराने और धम-
 कानेकी चेष्टा की थी या नहीं? इस तरहके आचरणोंसे स्पष्ट है
 कि जब हम गिरफ्तार हो जाते हैं तो दण्ड पानेसे बचनेके लिये
 इस तरहको कार्रवाई कर बैठते हैं। हम लोगोंने अपने आचर-
 णकी आचकी एक भाप घना ली है और हमें उसके अनुसार
 चलना चाहिये। जो कुछ समाचार इस समय विदित हो सके
 हैं उनसे मैं यही मत स्थिर करता हूँ कि मालेगावके असहयो-
 गियोंने अहिंसात्मक असहयोगका पूर्णतः पालन न करके विश्वास
 भङ्ग किया। और इस तरह नियम तोड़नेका कडा अपराध
 किया। मैं जनतासे इस बातके लिये सविनय अनुरोध करता
 हूँ कि चाहे उनका नेता कितना भी प्रिय, कैसा भी निर्दोष क्यों
 न हो पर जब वह गिरफ्तार हो जाता है तो किसी तरहका
 समारोह नहीं करना चाहिये। यदि इस आन्दोलनमें भाग लेनेके
 कारण आज मेरी या मौलाना शौकत अलीकी गिरफ्तारी हो गई
 और जनताने इसके कारण हडताल कर दी या सभायें करना
 धरम कर दी तो हम लोग इससे अपनी मर्यादाकी बढती
 नहीं समझेंगे। इस तरहके प्रत्येक अरसर पर मैं तो यही आशा
 करूँगा कि लोग हजारों और लाखोंको सब्यामें कांग्रेसका सद-
 स्य होनेके लिये दौड पडेगे, जिदेशी बख्शोंका पूर्णतया परित्याग
 करेंगे, चरखेके प्रति और भी अधिक उत्साह दिखलावेंगे, तिलक
 स्वराज्य कोषके लिये चन्दा देने तथा संग्रह करनेमें और भी तत्पर
 हो जायेंगे। साथ ही मैं यह भी आशा करता हूँ कि सरकारी

स्कूल और कालेज खाली कर दिये जायगे और अधिक सख्यामें वकील अदालतोंका बहिष्कार करेंगे। पर इसके प्रतिकूल यदि अधिकारियोंकी हत्याकी चेष्टा की गई और मकानात जला दिये गये तो केवल स्वराज्यकी प्राप्ति, खिलाफतके साथ न्याय कराना और पञ्जाबके अत्याचारोंका प्रतिकार करानेमें धात्रा ही नहीं उपस्थित होगी बल्कि असहयोग आन्दोलनका काम ही एकदमसे बन्द हो जायगा। और इससे राष्ट्रका पतन अवश्यम्भावी है। इसलिये हमें सदा उन अवस्थाओंको बचाते रहना चाहिये जहां इस बातको समावना हो कि जनसमूह उत्तेजित हो उठेगा और अनाचार करने पर तुल जायगा।

समारोह

(अगस्त ११ १९२१)

यह सहजमें समझमें नहीं आता कि अलीगढ तथा मालेगाय में इस तरहकी दुर्घटना किस तरह हो गई। इस तरहकी जनता उपस्थित हो गई थी जिसे कुछ भी तालीम नहीं था। इस तरहकी जमातमें दुष्टोंकी कमी नहीं रहती जो उपद्रव आरम्भ करनेका अवसर ढूँढा करते हैं। और जब भीड़ उत्तेजित हो जाती है तो वह सम्भाल खो बैठती है और आपसे बाहर हो जाती है। इसलिये असहयोगियोंके अभिगोर्गोंके विचारके समय यदि हम

ऐसे लोगोंकी जमात इकट्ठा कर देते हैं जिस पर हम अधिकार नहीं रख सकते तो इससे हम अपने शत्रुके मनकी करते हैं और उनका शिकार बन जाते हैं। हम लोगोंकी तैयारी है शान्तिमय अहिंसात्मक दृढ़ असहयोगकी स्थापनाकी। यदि किसी तात्कालीन शुद्ध सिपाहीने अचानक एक गोली दाग दी तो हमारी सारी दृढ़ता चली जाती है। इसलिये हमें राजनैतिक केंद्रियोंके अभियोगों पर समारोह करना अथवा भीड़ इकट्ठी करना छोड़ देना चाहिये। जिस किसीको सरकार हमारे बीचसे उठाकर अपने अधिकारमें रखना चाहती है उसे हमें बिना किसी ख्यालके चले जाने देना चाहिये। जिस दिन हममें आत्मसमयकी पर्याप्त मात्रा आ जायगी, उसी दिन हम स्वयंसेवक अवस्थाके लिये तैयार हो जायेंगे और फिर तो स्वराज्य हमारे चारों हाथका खेल हो जायगा। यह आत्मसमय केवल स्वदेशीके द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार और आवश्यकता भर प्लादी तैयार करनेके लिये पूर्ण प्रयत्नके द्वारा जो आत्म विश्वास उत्पन्न हो सकता है वह किसी अन्य किसी तरह नहीं प्राप्त हो सकता।

हमारी अयोग्यताएँ

(जून २२, १९२१)

एक तरफ तो डाक्टर पुलिनकी आलोचना है जिससे सिधा उत्तेजना और क्षोभके कोई अन्य प्रकारका लाभ नहीं हो सकता और दूसरी ओर एक अन्य अंग्रेजका पत्र है जिसने "जानबुल" के नामसे भेजा है। उनके आक्षेप विचारपूर्ण और सहायता देनेवाले हैं। उन्होंने अपने पत्रमें लिखा है —

मैं एक अंग्रेजकी हैसियतसे आपके जीवनकी घटनाओं तथा व्यवहारोंपर दो शब्द लिखना चाहता हूँ। आशा है कि आप इसके लिये मुझे क्षमा करेंगे। लार्ड रेडिफ़ेके भाषण पर यह इण्डियामें आपने जो कटाक्ष किया है उसीसे मैंने यह लिखनेका साहस किया है। मुझे प्रतीत होता है कि साधारण सत्यको समझने और पहचाननेकी आपमें जितनी योग्यता है उतनी और किसीमें नहीं है। आपको भारतवासियोंके सकोटकी जड़ इसी वातमें दिखलाई देती है कि भारतमें रहनेवाला प्रत्येक अंगरेज भारतवासियोंको नीची निगाहसे देखता है। मैं भी इस वातको स्वीकार करता हूँ। पर इस सम्बन्धमें आपको दो बातों पर विचार करना चाहिये। पहले तो इस वातपर कि यह किसका दोष है और दूसरे इसका सुधार कैसे हो सकता है।

क्या भारतके अंग्रेज भारतीय जन समूहोंको अपनी जातिसे हीन या नीच समझकर अपनी किसी तरहको सहायता कर सकते हैं ? इन लोगोंमें जो व्यक्ति वस्तुतः यथार्थ दृष्टिसे देखना चाहते हैं हम लोग देखते हैं कि एक भारतीय नौकर एक अंग्रेज नौकरसे कहीं हीन है। उसको अपनी जिम्मेदारीकी उतनी परवा नहीं रहती। वह अधिक छुट्टिया चाहता है और साथ ही उसपर निगरानी रखनेकी आवश्यकता रखनी पडती है। मालिककी हैसियतसे भी यह अङ्गरेजोंसे हीन ही है। उसमें न्याय प्रियता और उदारताकी मात्रा कम होती है। जीवकी हैसियतसे भी हम उसे अङ्गरेजसे हीन ही पाते हैं। वह सदा बोगारियोंका शिकार बना रहता है। यदि अमीर या धनी है तो वह शारीरिक परिश्रमसे घृणा करता है, कसरत भी नहीं करता, और बहुत जल्द ही गल पचकर बुड्ढा हो जाता है। पताही नहीं लगता कि उसको जवानी कब आई। उसके लडके ढेरफे ढेर मृत्युके गोदमें सो जाते हैं। मद्रास प्रांतकी हालत मुझे अच्छी तरह विदित है यहां बालकोंकी मृत्युसंख्या जनसंख्याकी ठीक आधी है। नागरिककी हैसियतसेभी वह हीन है। घूस आदि देनेका शायद ही कभी विरोध करता है। वह अपने मनुष्यताके लिये डींग मारता है क्योंकि जीव हत्या वह पाप समझता है। और वह गौओंको भी भूखों मरनेके लिये छोड देता है। भारतमें घोडों तथा बैलोंके साथ जो अत्याचार होता है उस तरहका अत्याचार और किसी देशमें

देखनेमें नहीं आता। रक्तकी पवित्रताका इनका अधि-
 ब्याल है कि उसने बाल विवाहकी तथा विधवा विवाह नि-
 पेधकी प्रथा निकाली है। पर इतने परभी चमड़ेकी बीमारिय
 (गरमो और सुजाऊ) भारतमें जिनकी अधिक है शायद इङ्गलैण्ड
 में भी उतनी अधिक नहीं होगी और धर्मके नामपर ही छोटी-
 अधोध बालिकायें वेश्यायें बननेके लिये छोड़ दी जाती हैं
 क्या भारतके निवसी एक भी उदाहरण ऐसा पेश कर सकते
 हैं - जिसमें एक भी भारतके निवासी किसी गैरभारतीय
 की निःस्वार्थ सेवा करते दिखायी देते हैं। जैसे आजकल अ-
 नेकों अङ्गरेज कर रहे हैं। जिनमेंसे एकाध तो शत्रु देशोंकी भी
 सेवा कर रहे हैं। मान लीजिये कि आज भारतमें पूर्ण स्वराज्यकी
 स्थापना हो गई और तब भारत पर किसी तरहकी आपत्ति
 आउपस्थित हुई तो क्या उसके ३३ करोड़ आदमियोंमेंसे ५ करोड़
 भी अपने मनसे सेवामें नाम लिखानेके लिये तैयार होंगे।

तैतीस करोड़की आबादीमेंसे भारतने कितने नरपु गव उत्पन्न
 किया है? केवल तीन—ठाकुर, घोस और गाधी ऐसे हैं जो
 अंगुली पर गिन लिये जा सकते हैं। महाराणी एलिजबेथके रा-
 ज्यत्वकालमें इङ्गलैण्डकी आबादी वर्तमान मैसूर राज्यसे अधिक
 नहीं थी।

हमने ऊपर जिन बातोंका दिग्दर्शन कराया है वे आपको एक
 पक्षीय और गलत प्रतीत हो सकती हैं। कदाचिन् संभव भी है।

आंशा और प्रेमपर अवलम्बित है। बड़े बड़े राष्ट्रोंके निर्माणका यही आधार है। मेरी ईश्वरसे यही प्रार्थना है कि भारत भी उन्हींमेंसे हो।”

इस पत्रको पढ़नेसे स्पष्ट मालूम होता है कि इस पत्रके लेखकने असहयोग आन्दोलनको समझनेकी चेष्टा की है। उनके आक्षेप सर्वथा निराधार नहीं हैं। पर उन्होंने जो अनुभव दिखलाया है वह अंग्रेजोंमें साधारण है। मेरी समझमें उनकी व्याख्या विचारने योग्य नहीं है। उनके अनुभवका आधार वे अल्पदल भारतीय हैं जो शिक्षाके वशवर्ती होकर अंग्रेजोंकी सुशामद करते रहते हैं। उन्हें जनताका सच्चा प्रतिनिधि नहीं कह सकते। मैंने दोनों जातियोंका पूरी तरहसे अध्ययन किया है। मुझे जो कुछ अनुभव हो सका है उससे मैं यही कह सकता हूँ कि एकके मुकाबिले एक कोई भी भारतीय अंग्रेजोंसे किसी प्रकारसे हीन नहीं साबित हो सकता। जीवकी हैसियतसे हमलोग अंग्रेजोंसे हीन अवश्य हैं। पर इसका बहुत कुछ कारण भारतकी जलवायु है। हमलोग अपने यहाके पशुओंके प्रति जो उदासीनता और लापरवाही दिखाते हैं उसे भी किसी हद तक मानी जा सकती है। बड़े बड़े नगरोंके अतिरिक्त और भी कहीं हमलोगोंमें चमड़ेकी ये बीमारिया (गरमी, मुजाक) अन्य देशोंसे अधिक होती हैं, यह बात माननेके लिये मैं तैयार नहीं हूँ। बालिकाओंको जिस अवस्थामें हम रखते हैं और वे जिस तरह वेश्यायें बन जाती हैं

भारतीय सदाचारपर भीषण कलक है । यदि आज भारतकी दशा इटलीएडकीसी हो जाय और यदि अल्पशत्रुमें भारतीयोंको भी उसी तरहकी शिक्षा और ट्रेनिङ्ग देना आरम्भ कर दिया जाय तो भारत जो उदाहरण उपासित करेगा वह ससारमें अद्वितीय होगा । पर हमारी सभ्यता अन्य जातियोंसे भिन्न है और मुझे पूरी आशा है कि हमलोग अन्त समयतक उस सभ्यताकी मर्यादाको पालन करते जायगे । भारतकी मानसिक स्थिति यौद्धिक नहीं है । यदि उसके शत्रु उसके साथ अन्याय भी कर रहे हों तोभी वह उस घातको पसन्द न करेगी कि उसकी सन्तान खाइयोंमें डेरा डालकर इश्वरकी रचनाका विध्वंस करे और अपने भाईका प्राण ले । भारतीय जनता—जिसमें भारतीय मुसलमान भी शामिल हैं—दूसरोंको पीडा देने और सतानेके बनिस्वत आप यातना सहने और तपस्या करनेकी अधिक योग्यता रखती है । इसी विश्वासके आधार पर मैंने उसके दु खोंके निवारणका एकमात्र शत्रु उन्हें असहयोग बतलाया है । भारतीय इसको अपना नेमें तत्परता दिखलाते हैं या नहीं यह तो भविष्यही बतलावेगा । यदि भारतीयोंने केवल प्रतिहिंसासे प्रेरित होकर इसे अपनाया है तो वह अवश्य असफल होगा । पर यदि इसे आत्मशुद्धि और तपस्याके भावसे अपनाया गया है—जैसा कि मेरा पूर्ण विश्वास है—तो इसकी सफलता अवश्यभावी है । भारतीय कायर नहीं हैं । इसका प्रमाण तो उनकी स्वप्न प्रिय जातियोंने ही दे दिया है

चाहे वे हिंदू हों, मुसलमान हो, या सिक्ख हों, या गुर्ख हों। मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि भारतीयोंके हृदयका साम्राजिक भावका होना स्वाभाविक नहीं है क्योंकि संसारके विकासमें उन्हें और भी प्रधान भाग लेना है। समय घतलावेगा कि उनके भाग्यमें क्या लिखा है।

पर "जानबुल" साहब मेरो इन बातोंको केवलमात्र बहाना बतलवाय कह सकते हैं। पर मैंने तो इस तरहके आक्षेपोंको मित्रोंके चैतावनी समझी है और सदा उसपर आन्तरण किया है। "जानबुल"के इस कथनसे सहमत हूँ कि मनुष्यको अपना कर्तव्य प्रतिष्ठा और मर्यादा प्राप्त करनेकी चेष्टा करना चाहिये न कि उसके अभावपर नाक भौंह सिकोडना चाहिये। यही कारण है कि भारतने असहयोग व्रत ग्रहण किया है। "जानबुल" को असहयोग शब्द पसन्द नहीं है। मैं इस शब्दको आज ही छोड़ देनेके लिये तैयार हूँ यदि मुझे इससे अच्छा कोई दूसरा शब्द मिल जाय। पर अभी तक तो मुझे केवल यह एक शब्द मिला है जो मेरे अभिप्रायको पूर्णतया प्रकट करता है। हमने आत्मिक सहयोग किया और अपनी आत्माक गिराया। अब हम लोगोंका धर्म है कि एक बात भी बस न करे। जो दोषारोपण किये जाते हैं उन्हें काटनेकी भी को जरूरत नहीं है। "जानबुल" ने स्वयं इस बातको स्वीकार किया है कि अंग्रेज लोग भारतीयोंका जरा भी आदर नहीं करते और यह बात एकदमसे सच है। इसलिये जबतक

हमलोग अपनेको बराबरीका न समझने लगें। हमें उनसे दूर ही रहना चाहिये ।

पर "जानबुल"ने जो बातें कही हैं उनमें दूसरे पहलू भी हैं । उनकी बातोंसे साफ जाहिर होता है कि उनमें आत्मीय घृणाका भाव भरा है । हम मान लेते हैं कि हममें वे कमी हैं जिनका लेपकने उल्लेख किया है, तो क्या उनके कारण भारतीयोंको ठीक समझना और उन्हें नीची निगाहसे देखना उचित है । क्या समताका सिद्धान्त यह नहीं घतलाता कि यदि गुणोंमें समता न हो तो भी दो व्यक्तियोंको आपसमें बराबरीका भाव रखना चाहिये । क्या "जानबुल"ने वही भूल नहीं की है जो अनेक भारतीय अछूतोंके सम्बन्धमें करते हैं । यदि अछूतके इस भावको शैतानी कह सकते हैं तो क्या हम अंग्रेजोंकी श्रेष्ठताके इस भावको कम शैतानी कह सकते हैं ? क्या अङ्गरेज लोग अपनी जातिके हीन भाइयोंके साथ उसी तरहका वर्ताव करते हैं जैसा वे भारतीयोंके साथ करते हैं । जिस तरह भारतीयोंने मान रखा है कि हिन्दू धर्मके अनुसार अछूत जातियां सदा पतित रहनेके लिये ही बनाई गई हैं उसी तरह क्या अंग्रेज जातिने भी यह भाव नहीं रखा है कि अंग्रेज भारतपर शासन करनेके लिये ही उत्पन्न हुए हैं और भारतीय उनके शासनको चुपचाप स्वीकार करनेके लिये उत्पन्न हुए हैं । मेरी आत्मा पूर्णरूपसे वर्तमान शासन प्रणाली को विरोधिनी उठ खड़ी हुई है । इसका प्रधान कारण यही है

कि मैंने भलीभाँति देख लिया है कि जबतक अंग्रेज अपने इस भयानक विचारका परित्याग नहीं करेंगे कि भारतीयोंसे अंग्रेज बढ़कर हैं तबतक ब्रिटिश छत्र छायामें भारत सँच्ची स्वतन्त्रताका उपभोग नहीं कर सकता। अंग्रेजोंकी इस प्रवृत्तिका यह परिणाम हो रहा है कि योग्यतम भारतवासी भी अपनी योग्यताकी पूर्ण सीमातक नहीं पहुँच सकता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्तिगत अंग्रेज शासकोंकी शुभेक्षाके होते हुए भी हम लोग अपनी मर्यादासे अपनीही आँखोंमें गिर गये हैं। इसका फल यह हुआ है कि हम लोगमेंसे कितने तो यह समझने लग गये हैं कि यदि हम योग्य होना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजोंके अधीन रहकर अनेक काल तक शिक्षा और ट्रेनिङ्ग ग्रहण करनी होगी। इसके प्रतिकूल मेरी धारणा है कि हम अपना प्रग्रन्थ आप कर लेनेकी पूर्ण योग्यता रखते हैं। इसलिये हमें यही उचित प्रतीत होता है कि उनके साथ उन सुधारोंको सफल करनेमें सहयोग करना छोड़ दें, जो सुधार पूर्ण स्वराज्यसे कहीं घटकर है। इस बातको मैं स्वीकार करता हूँ कि हमलोग आजसे भी अधिक भूलें करेंगे। पर हमलोग भूल करकेही सीखेंगे। पर यदि हम लोगोंको जबरदस्ती भूल करनेसेही रोक दिया जायगा तो हम सीख नहीं सकेंगे।



जेल जीवन

(नवम्बर २, १९२०)

जेलमें असहयोगी कैदी साधारणसे साधारण बात पर अत्युत्साह कर देते हैं। इस बातके लिये मैं उन्हें कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ। जेलकी कड़ाई कष्टदायक होती है और उसे दूर करनेके लिये यदि कोई इन शस्त्रोंका प्रयोग करता है तो उसका आचरण अनुमोदित नहीं कहा जा सकता। साधारण जीवनमें जिन असुविधाओंको भोगनेके लिये हम तैयार नहीं रहते जेलजीवनमें यदि वे सब असुविधायें हमारे सामने न रखी जायँ तो फिर साधारण जीवन और जेलजीवनमें अन्तरही क्या रह गया। पर यदि किसीके साथ अमानुषिक अत्याचार किया जाय अथवा किसीको ऐसा भोजन दिया जाय जिसे उसका धर्म स्वीकार नहीं करता या पाना इतना पराव हो कि खाया नहीं जा सकता तो उस अवस्थामें उसका द्रव्य धारण करना युक्त होगा। यदि अपमान या अनादरके साथ भोजन दिया जाय तो हमें उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिये। अर्थात् हमारे कहनेका अमिप्राय यह है कि यदि हमें यह व्यक्त होता है कि इस भोजनके ग्रहण करनेसे यह व्यक्त होता है कि हम क्षुधाके दास समझे जाते हैं तो हमें वह खाना कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिये।

कि मैंने भलीभाँति देख लिया है कि जबतक अंग्रेज अपने इस भयानक विचारका परित्याग नहीं करेंगे कि भारतीयोंसे अंग्रेज बढकर हैं तबतक ब्रिटिश छत्र छायामें भारत सच्ची स्वतन्त्रताका उपभोग नहीं कर सकता। अंग्रेजोंकी इस प्रवृत्तिका यह परिणाम हो रहा है कि योग्यतम भारतवासी भी अपनी योग्यताकी पूर्ण सीमातक नहीं पहुँच सकता है। इसका परिणाम यह हुआ है कि व्यक्तिगत अंग्रेज शासकोंकी शुभेक्षाके होते हुए भी हम लोग अपनी मर्यादासे अपनीही आँखोंमें गिर गये हैं। इसका फल यह हुआ है कि हम लोगमेंसे कितने तो यह समझने लग गये हैं कि यदि हम योग्य होना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजोंके अधीन रहकर अनेक काल तक शिक्षा और ट्रेनिङ्ग ग्रहण करनी होगी। इसके प्रतिकूल मेरी धारणा है कि हम अपना प्रबन्ध आप कर लेनेकी पूर्ण योग्यता रखते हैं। इसलिये हमें यही उचित प्रतीत होता है कि उनके साथ उन सुधारोंको सफल करनेमें सहयोग करना छोड़ दें, जो सुधार पूर्ण स्वराज्यसे कहीं घटकर है। इस बातको मैं स्वीकार करता हूँ कि हमलोग धाजसे भी अधिक भूलें करेंगे। पर हमलोग भूल करकेही सीखेंगे। पर यदि हम लोगोंको जबरदस्ती भूल करनेसेही रोक दिया जायगा तो हम सीध नहीं सकेंगे।



जेल जीवन

(नवम्बर २, १९२०)

जेलमें असहयोगी कैदी साधारणसे साधारण बात पर अन्न त्याग कर देते हैं। इस बातके लिये मैं उन्हें कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ। जेलकी कड़ाई कष्टदायक होती है और उसे दूर करनेके लिये यदि कोई इन शस्त्रोंका प्रयोग करता है तो उसका आचरण अनुमोदित नहीं कहा जा सकता। साधारण जीवनमें जिन असुविधाओंको भोगनेके लिये हम तैयार नहीं रहते जेलजीवनमें यदि वे सब असुविधायें हमारे सामने न रखी जायें तो फिर साधारण जीवन और जेलजीवनमें अन्तरही क्या रह गया। पर यदि किसीके साथ अमानुषिक अत्याचार किया जाय अथवा किसीको ऐसा भोजन दिया जाय जिसे उसका धर्म स्वीकार नहीं करता या खाना इतना खराब हो कि खाया नहीं जा सकता तो उस अवस्थामें उसका व्रत धारण करना युक्त होगा। यदि अपमान या अनादरके साथ भोजन दिया जाय तो हमें उसे कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिये। अर्थात् हमारे कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि हमें यह व्यक्त होता है कि इस भोजनके ग्रहण करनेसे यह व्यक्त होता है कि हम क्षुधाके दास समझे जाते हैं तो हमें वह खाना कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिये।

की सम्पत्ति सम्भूता हू सरकारकी नहीं और मैं इस सरकारको जनताका प्रतिनिधि नहीं सम्भूता । इस तरह इन दोनों बातोंमें प्रत्यक्ष विरोधाभास प्रगट होता है कि एक ओर तो हम यह प्रगट करते हैं कि जिस सरकारको हम नितान्त पतित और गिरी सम्भूते हैं उसके अधीन रहकर हम जेलोंके बाहर रहना दुःखमय सम्भूते हैं और दूसरी ओर हम जान बूझकर अपनी सुविधाके लिये गिरफ्तार होने और जेल जानेसे जान बचाने हैं । हमें जेल जानेसे यथासम्भव बचना चाहिये क्योंकि एक तो देश अभी सचिनय अवज्ञाके लिये पूर्णतया तैयार नहीं हैं, दूसरे में देखाता हू कि अभी शान्ति तथा अहिंसाके भावका पूर्णतया प्रचार नहीं हो गया है, तीसरे हम लोगोंने रचनात्मक कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं किया है जिससे लोगोंका विश्वास हम लोगोंपर जमे । यही कारण है कि हम लोग सचिनय अवज्ञा—जिसे शान्तिमय क्रान्ति कह सकते हैं—के लिये तैयार नहीं हैं और अपने साधारण कार्यक्रमके चरितार्थ करनेमें जेल जाना स्वीकार कर लेते हैं तथा आचरणकी पूर्ण स्वतन्त्रता व्यक्त करते हैं । यह भी एक तरहकी शान्तिमय क्रान्ति है ।

इससे यह स्पष्ट है कि यदि हमलोग इस बदनीयत सरकारके अधीन रहकर जेलकी दीवारके बाहर दिखाई देते हैं तो इसका विशेष कारण है नहीं तो हमें खराज्य प्राप्त उसी दिन सम्भूना चाहिये जिस दिन हम जेलकी दीवारके भीतर हो जाते हैं अथवा सरकारको अपनी बात स्वीकार करनेके लिये झुका देते हैं ।

सलिये हम लोगोंको दण्डित करनेमें चाहे सरकारको परीशान होना पडता हो या सुख मिलता हो पर हम लोगोंके लिये तो शान्त और मर्यादित एकमात्र स्थान जेल है। यदि हमलोग इस बातको स्वीकार कर लेते हैं तो जब हमें अपने साधारण कर्तव्य पालनमें तेल जानेका अवसर आता है तो हमें प्रसन्न होना चाहिये, क्योंकि हमारा बल बढ जाता है, क्योंकि हमलोग अपने कर्तव्य पालनका मूल्य चुकाते हैं। यदि आज बलका प्रदर्शन हमारे कार्यक्रमका सच्चा प्रतिरूप है तो हम यह भी साहसके साथ कह सकते हैं कि प्रत्येक जेलयात्रासे जनताकी शक्ति बढती है और वह स्वराज्यके नजदीक पहुचती जाती है।

कुछ लोगोंका कहना है कि इस तरह गिरफ्तार होकर जेल जानेसे जनतामें एक तरहकी दुर्बलता आजायगी। पर मेरी धारणा इसके एकदम विपरीत है। दुर्बलता न आकर उसमेंसे एक तरहकी राष्ट्रीय विकासकी ज्योति निकलती है। इसका प्रमाण मैं उन दो पत्रोंसे देना चाहता हू जो मुझे अभी हालमेंही प्राप्त हुए हैं। पहला पत्र बरीसालसे आया है। उसमें लिखा है — पूर्णाय बङ्गालकी जनता पीर बादशाह मियाकी गिरफ्तारीसे अतिशय कृतज्ञ है क्योंकि इस गिरफ्तारीसे हिन्दु मुस्लिम एकता पर बडा भार पडा यह और भी बढ हो गई है और विदेशी घखोंके बहिष्कारपर भी बडा प्रभाव पडा है। यहां तक कि यहांकी जनताने पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। - दूसरा पत्र भाद्र देशसे आया है। उससे भी यही भाव निकलता है। उस पत्रमें

खिलाफत, पञ्जाब तथा स्वराज्यके लिये निष्क्रिय प्रतिरोधीको हिन्दू मुस्लिम एकतामें पक्का विश्वास रखना चाहिये पर उसे अपने स्वार्थके लिये नहीं स्वीकार करना चाहिये बल्कि वास्तविक प्रेमके लिये। निष्क्रिय प्रतिरोधीको स्वदेशीका अटल भक्त होना चाहिये और इसलिये उसे केवल हाथका काता और हाथका बिना कपडा पहनना चाहिये। भारतके २५० जिलोंमेंसे यदि एक जिला भी इतनेके लिये तैयार नहीं है तो इस वर्षके भीतर स्वराज्यकी प्राप्ति असम्भव है। यदि एक भी जिला ऐसा है जहाकी नब्बे फी सदी जनताने विदेशी वर्कोंका बहिष्कार कर दिया है और अपनी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये चरणे तथा करघेसे कपडा तैयार करती है, यदि उस जिलेकी समस्त हिन्दू मुसलमान, पारसी, पादडी, और ईसाई जनता पूर्ण मेलके साथ रहती है, यदि वहाकी समस्त हिन्दू जनताने छूआछूतके भावको उठा दिया है, और यदि दस प्रति सैकडे लोग भी जेल जाने या फासी पर चढनेके लिये तैयार हैं, और शान्ति तथा सविनयके साथ सरकारका प्रतिरोध कर रहे हैं और साथही साथ समस्त भारत सङ्गठित तथा शान्तिमय रहकर केवल स्वदेशीके कार्यक्रमको चरितार्थ करता है तो मुझे पूर्ण निश्चय है कि इस वर्षके भीतरही स्वराज्य स्थापित हो जायगा। मुझे आशा करनी चाहिये कि इस तरहके अनेक जिले तैयार हैं। किसी भी अवस्थामें कार्यकर्ताओंको उचित है कि वे अपने अपने जिलोंकोही सङ्गठित और समुन्नत करनेमें लग जायं

तथा अन्य जिलोंका ध्यान छोड़ दें। जतनक वे पूर्णतया तैयार न हों उन्हें अपनेको गिरफ्तार नहीं कराना चाहिये। पर यदि यह नौबत आही पहुँचे तो उस समय उन्हें उससे बचना भी नहीं चाहिये। भाषण आदि देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्ण व्यवहारिकताके साथ उन्हें स्वदेशीका कार्यक्रम सफल करना चाहिये। जिस किसी जिलेमें कार्यकर्ताओंका साथ देनेवाला कोई न मिले वहा उन्हें हताश नहीं होना चाहिये। उन्हें चरखा, तथा करघा चलानेमें पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लेना चाहिये। जिस समय उनके पडोसी इस विचारमें पड़े हैं कि क्या करना चाहिये उस समय उनका यह कार्य अतिशय लाभदायक और फलदायक होगा।



आदर्श कैदी

(दिसम्बर २६, १९२१)

कलकत्तेके एक असहयोगी मित्रने एक तार भेजा है। “क्या असहयोगियोंको जेलघानों में जेलके नियमोंके खिलाफ ‘बन्दे मातरम्’ का घोष करना चाहिये जिससे मामूली कैदियोंको दंडा फसादकी उतेजना मिल सकनी है? क्या असहयोगियोंको अच्छा भोजन, पानेके-लिये, तथा अन्य सुविधाओंके लिये अनन्यताग कर देना चाहिये? क्या हड़ताल तथा दूसरे दिनोमें उन्हें जेलके अन्दर काम बन्द कर देना चाहिये? क्या असहयोगियोंको इस बातका हक हासिल है कि वे जेलके नियमोंको, जबतक कि वे उनकी अन्तरात्माको चोट न पहुचाते हों, तोड़ डालें?”

भारतके एक असहयोगी मित्रने यह सुननेपर कि असहयोगी कैदी जेलको मर्यादाके अनुसार नहीं चरतते हैं, मुझे सूचना दी है कि आप जेलकी मर्यादाके पालनकी आवश्यकताके सम्बन्धमें कुछ लिखें। परन्तु इसके विपरीत मुझे तो यह मालूम है कि कहीं २ असहयोगी कैदी जेलकी मर्यादाका पालन सुयोग रीति से ठीक २ कर रहे हैं।

अब जबकि हजारों आदमी जेलोंको जा रहे हैं यह समझ

लेना आवश्यक है कि-असहयोगी कैदियोंको अपनी अहिंसा की प्रतिज्ञाके अनुसार किस तरह चलना चाहिये। जब हम असहयोगके क्षेत्रकी सीमाओंको नहीं मानते तब वह एक कर्तव्य होनेके बजाय सब कुछ करनेका एक गुला परवाना अतएव एक जुर्म हो जाता है। अच्छे और बुरेका भेद बतलानेवाला रेखा प्रायः इतनी महीन होती है कि उसकी पहचान ही नहीं की जा सकती। लेकिन यह पेशी है जो न तो तोड़ी जा सकती है और न उससे किसीको भ्रम ही हो सकता है।

तब उन लोगोंमें जो अच्छे कामके लिये जेल गये हैं और जो बुरे कामके लिये जेल गये हैं, क्या फर्क है? दोनों अकसर एक कपड़े पहनते हैं। एक सा खाना खाते हैं और दोनोंको एक ही जेलकी मर्यादाका पालन करना पड़ता है। परन्तु जहाँ दूसरे बुरे कामोंके लिये जेल जानेवाले लोग जेलकी मर्यादाका पालन अत्यन्त अनिच्छापूर्वक करते हैं और उसे दूरे हुए अथवा हो सके तो खुले आम भङ्ग कर देते हैं, तहाँ पहले अच्छे कामोंके लिये जेलजानेवाले लोग खुशी-खुशी अपनी पूरी योग्यताके साथ जेलकी मर्यादाका पालन करते हैं और अपने जेलके बाहर रहनेकी अवस्थाकी अपेक्षा अपनेको अधिक सुयोग्य और देशकी सेवाके अधिक योग्य सिद्ध करते हैं। हम देख ही रहे हैं कि इनमें जो बड़े-२ प्रसिद्ध कैदी हैं उनके जेलमें रहनेसे उनके द्वारा देशकी जितनी सेवा हुई है उतनी उनके बाहर रहनेसे नहीं। जितनी कड़कईके साथ जेल-

की मर्यादाका पालन किया जायगा उसी परिमाणमें उनकी सेवाकी मांरा बढ़ती जायगी।

हमें याद रखना चाहिये कि हम खास जेलोंको ही तोड़ देना नहीं चाहते हैं। मैं तो समझता हू कि शायद खराज्यमें भी हमें जेलोंको कायम रखना होगा। यदि हम सच्चे अपराधियोंकी दिमागमें यह बात भर देंगे कि खराज्यकी स्थापनाके बाद वे लोग अच्छी दशामें हो जायंगे तो बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ेगा। युवा कौदियोंके सुधारके शिक्षालयोंमें भी मर्यादाका पालन तो करा ही लेना होगा। और मैं तो खराज्यमें इन जेलोंको वही स्वरूप देना चाहता हू। अतएव यदि हम मर्यादा भंगकी प्रवृत्तिको उत्तेजना देंगे तो इस सेवास्तरमें खराज्य की गति उलटो हो जायगी। हा, यह खराज्यका तेज चालवाला कार्यक्रम तो इसी विश्वासके आधारपर तैयार किया गया है कि हम सुसंस्कृत लोग हैं और इसलिये हम थोड़ेही समयमें अपने अन्दर ऊंचे दरजेकी नियमबद्धताका विकास कर सकते हैं।

सब बात तो यह है कि एक ओर जहां सविनय कानून भङ्ग उस राज्यके—जिसे हम नष्ट कर देना चाहते हैं—अन्याय मूलक तथा अनीति मूलक कानूनोंके अनादर करनेका अधिकार देता है तहां दूसरी ओर वह यह कहता है कि उस कानूनके अनादरकी सजा नफ्रता और राजी रजावन्दीके साथ कुचल करों और अतएव 'जेलके कानून कायदोंका प्रसन्न चित्त'

से पालन करो और-उससे होनेवाले, दुःखों और कष्टोंको सहन करो।-

इससे यह बात विलकुल साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि जेलमें जाते ही सत्याग्रहीका प्रतिरोध बन्द हो जाता है और अज्ञापान फिर से शुरू हो जाता है। जेलके रहते हुए वह किसी तरहकी रियायतका दावा नहीं रख सकता। इस विनापर कि कानूनका अनादर विनयपूर्वक किया गया है। जेलके अन्दर रहते हुए वह तो खुद अपने आचरणको उदाहरण भूत बनाकर आस पासके मुजरिमोंको भी सुधार कर सकता है। वह जेलरके तथा दूसरे अधिकारियोंके हृदयको मुलायम कर सकता है। ऐसा नम्रता पूर्वक व्यवहार, जिसका उद्गम अपने बल और ज्ञानसे हुआ हो अन्तको जालिमके जुल्मको मिटाये विना नहीं रह सकता। केवल इसी विनापर मैं यह दावा करता हू कि स्वेच्छा पूर्वक बर्ष सहन बुराइयों और अन्यायोंको दूर करनेकी रामबाण दवा है।

अतएव यह प्रगट है कि किसी असहयोगीके लिये जेलकी मर्यादाको भङ्ग करते हुए 'बन्दिमातरम्' आदि घोष करना उसका चुपके चुपके जेलके नियमोंको भङ्ग करना नाजायज है। असहयोगी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके साथके कैदी नीति भ्रष्ट हो। खुल्लमखुल्ला जेलके नियमोंको भङ्ग करनेका या अन्न त्याग करनेका मौका सिर्फ तभी हो सकता है जब या तो उन्हें बुरी तरह दवानेका प्रयत्न किया

जाता हो, या चार्डसे लोग खुद ही कैदीको आराम पहुंचानेका नियम तोड़ते हों जैसा कि वे अकसर किया करते हैं या जब कि खाना इतना खराब दिया जाता हो, जिसे मनुष्य नहीं खा सकता जैसा कि प्रायः दिया जाता है। हा, जब किसी धर्मविषयमें बाधा डाली जाय तब भी जेलके अन्दर संविनय कानून भंग किया जा सकता है।

शिमलाका दर्शन

(मई २५, १९२१)

कितने लोग कह यह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं बड़े लाटसे मिलने क्यों गया ? कितने यह कह रहे हैं कि क्या असहयोगके पितासे बड़े लाटसे मुलाकात करनेका अवसर दूहना उचित था। सभी उस मुलाकातकी यात जाननेके लिये उत्सुक हैं। असहयोगियोंकी इस कड़ो जाचको मैं पसन्द करता हूँ। असहयोग आत्म निर्भरताका दूसरा रूप है। हम लोग भारतमें स्वराज्य स्थापित करना चाहते हैं न कि उसे दूसरोंसे प्राप्त करना चाहते हैं। तब फिर बड़े लाटके पास जानेका क्या अमिप्राय था ? ये सब बातें जहातक, इनका सम्यन्ध है सभी अच्छी हैं। यदि मैं किसीके पास स्वराज्यकी भीख मागनेके लिये जाऊँ तो अपने आदर्शका मुहसा खराब प्र-

तिनिधि-दूसरा नहीं हो सकता। मैंने तो यहाँ तक कहनेकी धृ-
 यता की है कि स्वराज्यका दान तो ईश्वर भी नहीं दे सकता।
 स्वराज्य तो हमें अपने बलसे प्राप्त करना होगा। प्रकृत्या ही
 स्वराज्य-किसीकी देनी नहीं है।

पर इस स्वतन्त्रताके सप्राप्तमे हम लोग सँसारको अपने
 साथ चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्तिकी सदाकाक्षाकी सहायता चा-
 हते हैं। हमारी मांग पूर्ण न्यायके आधारपर अवलम्बित है।
 चन्द ऐसी बातें हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि अंग्रेज छोड़ दें। इन
 बातोंके लिये एक दूसरेको समझना तथा मन स्थिर करना आ-
 चश्यक है। सँसारको राय अपने अनुकूल कर लेनेके लिये अस-
 हयोग सबसे प्रबल शस्त्र है। जबतक हम लोग केवल विरोध
 करते रहे और सहयोग करते रहे सँसार हमें समझ नहीं सका।
 किसी समयके वङ्गालके शेर (कदाचित् सुरेन्द्रनाथसे अभिप्राय है)
 यहुआ कहा करते थे कि इंग्लैण्डमें प्राय जो अंग्रेज उनसे
 मिलते थे वे यही पूछा करते थे कि यदि भारतकी अवस्था
 चाँस्तवमें उतनी घराब है जितनी आप कह रहे हैं तो फिर वहा
 रक्तपात क्यों नहीं होता? अंग्रेज लोग स्थितिकी भीषणता-
 को इसी तरह समझते हैं। दूसरा प्रश्न जो सँसारके राष्ट्र सदा
 से पूछते आ रहे हैं वह यह है —“यदि चाँस्तवमें भारतकी दशा
 ऐसीही घराब है जैसा कि कहा जाता है तो वहाके निवासी
 उस सरकारके साथ सहयोग क्यों करते हैं जो उन्हें दरिद्र और
 दीन बनाती चली आ रही हैं। इस समय सँसार हमारी शक्तिको

समझ रहा है चाहे उसका प्रदर्शन हम दुर्बलताके साथही क्यों न कर रहे हों।' इस समय संसार यह बात जाननेके लिये चिन्तित होरहा है कि हमारे दुखोंका कारण क्या है। बड़े लाट भी एक बड़े देशके प्रतिनिधि हैं। बड़े लाट यह जाननेके लिये आतुर थे कि मुझसा व्यक्ति, जो सरकारके साथ सहयोग करना परम धर्म समझना था, इस प्रकार असहयोगी कैसे होगया ? या तो सरकारमें कोई धुराई है या मुझमें।

बड़े लाटने पण्डित मालवीयजी तथा श्रीयुन अण्डरूज-से भी कहा था कि वे मुझसे मिलकर मेरी बातें सुनना चाहते हैं। पण्डितजी मुझसे मिलनेके लिये बड़ ही चिन्तित थे। इससे मैं उनसे मिलने गया। मैं उन्हें इस श्रद्धासे देखता हूँ कि अच्छी हालतमें भी यथासाध्य मैं उन्हें अपने पास आनेका कष्ट नहीं दे सकता। उनके पास जाना मेरा धर्म था। मैंने उनसे बड़े लाटकी बातें सुनीं। मैं बड़े लाटसे मिलनेके लिये तैयार होगया और उनसे समय नियत करनेके लिये कहा। उस भेंटका कारण प्रगट करनेके लिये मैंने यथातक लिखा है, क्योंकि मैं असहयोगका तात्पर्य और सीमाको स्पष्ट समझा देना चाहता हूँ।

असहयोगकी लडाईं किसी व्यक्ति विशेषके साथ नहीं ठानी जाती, बल्कि उस व्यक्तिकी कार्रवाईयोंके साथ। असहयोगका संग्राम शासकोंके साथ नहीं जारी किया गया है बल्कि उस प्रणालीके साथ जिसके वे संचालक हैं। असहयोगकी जड़

घृणा नहीं है बल्कि न्याय और प्रेम। मिस्टर ग्लैडस्टन कहा करते थे कि खराब आदमी और खराब आचरणमें बड़ा अन्तर है। अपने दुश्मनोंकी कार्यवाहीके सबन्धमें, उन्होंने किसी समय कड़े शब्दोंका प्रयोग किया था। इसपर उनपर अनुदारताका दोषारोपण किया गया था। इस आक्षेपका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि यदि मैं उनके आचरणका दोष न दिखलाता तो मैं अपने कर्तव्य पालनसे ज्युत समझा जाता पर इससे मेरा यह आभिप्राय कमी भी नहीं था कि जो दोषारोपण मैंने उनके कार्यवाहीपर किया था वही उनके आचरणपर भी लागू है। युवावस्थामें मैं भी इस बातकी धार्मिकतापर आस्था नहीं रखता था। पर अब मेरा अनुभव जितना अधिक बढ़ता जा रहा है मैं समझता जा रहा हू कि उनका कहना कितना यथार्थ था। मैंने अपने कितने सच्चे दोस्तोंमें इस तरहके आचरण देखे हैं जिनकी सफाई नहीं दी जा सकती। मेरे लिये ची० ए० श्रीनिवास, शास्त्री, सदृश सच्चा आदमी बहुत कम हैं पर उनके आचरणोंसे मुझे विस्मय होता है। उनका विश्वास है कि मैं भारतवर्षको, अन्धकार पूर्ण गढ़में लिये चला जा रहा हूँ पर इससे मेरे प्रति उनका अनुराग कम नहीं होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस असहयोग आन्दोलनने हजारों व्यक्तियोंको यह बात सुझा दी होगी कि हम लोग व्यक्ति विशेषकी अप्रतिष्ठा और अनादर न करके भी उसके आचरण, कार्यवाही और कार्यप्रणालीकी आलोचना और विरोध कर सकते हैं। मनुष्य

सदा अपूर्ण रहता है, इससे हमें दूसरोंकी ओर सदा नर्म रहना चाहिये और जहांतक हो एकाएक किसी तरहका दोषारोपण नहीं करना चाहिये।

यही कारण था कि मैंने उस अवसरसे लाभ उठाया और बड़े लाटको यह बतला देना चाहा कि हमारा यह असहयोग आन्दोलन पूर्ण धार्मिक है। इसके द्वारा हमलोग भारतीय राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार, धोखेवाजी, अन्याचार तथा सफेद जांतियोंकी श्रेष्ठताके बोझसे साफ कर देना चाहते हैं।

इससे पाठकोंको विस्मय नहीं होना चाहिये। समाचार पत्रोंने जो कुछ छापा है उसपर उन्हें विश्वास नहीं करना चाहिये। मेरे तथा बड़े लाटके बीच जो बातें हुई हैं वह परदेकी आड़में ही रहेंगी, वे प्रगट नहीं की जा सकती। पर इतना अवश्य कह देना चाहता हू कि मैंने भारतीयोंकी तीनों मांगोंको—खिलाफत, पञ्जाब तथा खराज—उन्हें समझाया और असहयोगकी पूर्ण व्याख्या कर दी। बड़े लाट पूर्ण धैर्य, शान्ति तथा उदारताके साथ मेरी बातें सुनते रहे। उनकी बातोंसे प्रगट हुआ कि वे भारत तथा भारतीयोंके साथ न्याय ही करना चाहते हैं। उन्होंने इस वर्तमान आन्दोलनपर साधारण ब्यक्तिकी तरह विवाद किया। हम लोगोंने अहिंसा पर बहस की और वह हमलोगोंको समान तर्कों प्रनीत होता था। इसके विषयमें कभी आगे चलकर मैं संवित्तर लिखूंगा।

इस मुलाकातसे हमलोग एक दूसरेकी मजमें समझ गये।

इससे अधिक कोई बात उस मुलाकातमें नहीं हुई । कुछ लोग तो इसे अवश्य स्वीकार करेंगे कि एक दूसरेको समझ जाना ही साधारण बात नहीं है । यदि यह ठीक है तो मेरी समझमें इस मुलाकातसे अधिक लाभ हुआ है ।

इस मुलाकातसे मुझे एक बात और मालूम हुई और वह यह कि हमारा उद्धार केवल हमारे प्रयत्नोंपर ही निर्भर करता है । बड़े लाट सहायता कर सकते हैं या बाधा उपस्थित कर सकते हैं । पर मुझे तो यही विश्वास है कि वे सहायता ही करेंगे ।

इसलिये हमें अपने कार्यक्रमको धुने उत्साहसे उठाना चाहिये । हम लोगोंका कार्यक्रम इस समय निम्न लिखित है — (१) छुआछूतका भाव दूर करना (२) शराबखोरी हटाना (३) विदेशी कपड़ोंके पूर्ण बहिष्कारके लिये चरये और करघेका अनवरत प्रचार तथा खहरका उपार्जन करना (४) कांग्रेसका सदस्य बनाना तथा बनना और (५) तिलक स्वराज्य कोषके लिये चन्दा संग्रह करना ।

हिन्दू मुस्लिम एकताको दृढ करने तथा अहिंसाके भावका पूर्ण प्रचार करनेके लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता ।

मैंने छुआछूतका प्रश्न सबसे आगे रखा है क्योंकि जनताको इसके प्रति मैं सर्वथा उदासीन या सुस्त पाता हूँ । हिन्दू असहयोगियोंको इस प्रश्नपर जराम्भी असावधानी नहीं दिखलाना चाहिये । खिलाफतके साथ हम लोग न्याय भलेही करवा लें पर जयतक

छुआछूतका घुन हिन्दू समाजको चालता जायगा तबतलक स्वतन्त्रताकी व्यवस्था कदापि नहीं हो सकती। यदि हम लोग भारतीय जनताको पाँचवें भागको अनन्त कालतकके लिये दयाये रखना चाहते हैं और उन्हें राष्ट्रीय। सम्यताका फल नहीं चखने देना चाहते तो हम लोगोंके लिये स्वराज्यका कोई अर्थ नहीं है। इस आत्म-शुद्धिके आन्दोलनमें हम ईश्वरकी सहायता तो चाह रहे हैं पर साथ ही उसकी सबसे प्यारी सन्तानको मनुष्यके साधारण अधिकारसे भी वञ्चित रखना चाहते हैं। यदि हमलोग स्वयं इस तरहके अमानुषिक अत्याचार कर रहे हैं तो भला उस महापुरुषके सामने पड़े होकर हम स्वयं अमानुषिकतासे रक्षाके लिये कैसे प्रार्थना कर सकते हैं ?

शराबखोरीको मैंने दूसरा स्थान दिया है क्योंकि मैं देखता हूँ कि ईश्वरने आपसे आप यह बात हम लोगोंके हाथ सौंप दी है, यद्यपि हम इस समय उसके लिये प्रयत्नशील नहीं थे। इस समय इसके विरुद्ध सबसे भीषण आन्दोलन उठ खड़ा हुआ है। शराब खोरीके विरुद्ध जो आन्दोलन चल रहा है उसमें हिंसाका सबसे अधिक भय है। पर जबतक सरकार शराबको दूकानें खोलवाने के लिये सयत्न है तबतक हमें अपने देश भाइयोंको समझाने तथा सावधान करते रहना चाहिये कि शराबको अपने मुँहमें लगाकर आप घोर पाप कर रहे हैं।

दूसरा स्थान चरखेको दिया गया है, यद्यपि मेरी दृष्टिमें इसका महत्व पहले दोके ही बराबर है। यदि हम लोगोंके इस

घर्षके अन्दर विदेशी घट्टोंका पूर्णतया बहिष्कार कर दिया तो हम लोग अपने इसी आचरणसे राष्ट्रीयताका वह भाव प्रगट करेंगे जिसके द्वारा स्वराज्यकी स्थापना हमारे लिये सहज हो जायगी ।

देशमें चरपेका प्रचार करनेके लिये तथा खहर तैयार करने और लोगोंतक पहुचानेके लिये तथा लोगोंके हृदयोमेंसे यह भय दूर करनेके लिये कि कांग्रेसका सदस्य होना सरकारकी दृष्टिमें अपराध है कांग्रेसके लिये अधिकाधिक सदस्योंकी आवश्यकता है ।

— अन्तिम कार्यक्रम तिलक स्वराज्य फण्डसे हमें दो लाभ होता है, एक तो स्वराज्यके प्राण (लोकमान्य तिलक) की स्मृति अमर हो जाती है और दूसरे सश्रामके लिये हमें साधन मिल जाता है ।

तीस जूनतक हमलोगोंने एक करोड रुपया इकट्ठा करने, एक करोड कांग्रेसका सदस्य बनाने, तथा २० लाख चरपोंके प्रचारकी प्रतिज्ञा की है । अखिल भारत वर्षीय कांग्रेस कमेटीने दीर्घ विचारके बाद जो निर्णय किया है, यदि उसे हम पूरा न कर सके तो हम लोग अपने ध्येय तक कभी भी नहीं पहुच सकेंगे ।

स्वावलम्बनम् स्वराज्यम्

(जून ८, १९२१)

बड़े लाटके साथ मेरी जो मुलाकात हुई थी उसके सम्बन्धमें एक मित्रने लिखा है — मेरी नाकिस रायमें इस समय असहयोगी नेताओंका बड़े लाटसे मिलना राजनीतिक भूल है। इसका प्रभाव आन्दोलनपर बुरा पड सकता है। खिलाफत तथा पंजाबके प्रश्नके साथही साथ भारतके लिये स्वराज्यका भी प्रश्न है। भारतके लिये स्वराज्यका अभिप्राय होगा ब्रिटिश साम्राज्यका भारतपरसे अन्त। इस तरहके अन्तसे राष्ट्रके स्वायत्त सङ्गठनका प्रादुर्भाव हो सकता है। पर क्या आज एक भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ऐसा है जिसकी दृष्टिकोण ब्रिटिश स्वार्थसाधनसे आगे बढ़कर मानव समाजके हितसाधनकी ओर जाती हो। यदि स्वराज्य आन्दोलनका विजय होना है तो वह स्वावलम्बनसे होगा। लार्ड रेडिंगसे मिलकर कुछ टुकड़ोंके प्राप्त करनेमें स्वराज नहीं मिल सकता। मेरी समझमें यदि हम इस गोरखधन्धेसे अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो हमें यही उचित है कि हम सरकारके साथ मेल मिलापकी बात त्यागकर तपस्याके लिये दृढ़ होकर खड़े हो जायं। तपस्या और यातना सहकरही भारत इस यातनासे उद्धार पा सकता है।”

यद्यपि मैं इस बातसे सहमत नहीं हूँ कि बड़े लाटने मुलाकात करना राजनैतिक भूल थी तथापि मैं इस घानको स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने हम लोगोंके कार्यक्रमके बारेमें जो बातें कही हैं वह ठीक हैं। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हम लोगोंका लक्ष्य सदा अपनेको सन्मार्गपर रखना और उसीके अनुसार चलना होना चाहिये। अपने शत्रुओंसे दूर रहनेका हम लोगोंका यह अभिप्राय नहीं होना चाहिये कि हम लोग उन्हें अपना मत नहीं सुनाना चाहते। हमें अपने काममें दृढ़ रहना चाहिये और जो कोई हमसे हमारी बात जानना चाहे उसे सुनानेके लिये तैयार रहना चाहिये। पर मैं यह बात भी स्वीकार करता हूँ कि इसे तरहकी मुलाकातमें खतरा भी है। हम लोगोंकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हमलोग सदा अपने ध्यानमें एक निर्धारित सीमा रखें जिसके नीचे हमलोग किसी भी अवस्थामें नहीं जा सकें, इससे हम लोगोंके फिसल जानेका सदा भय बना रहता है।

था या जहातक वे कर सकते थे मैंने यह सलाह दी कि इस आक्षेपोंसे बचनेके लिये सक्षित विवरण निकाल दें। मेरी समझमें उस विवरणके प्रकाशित कर देनेसे उन्होंने खिलाफतके संग्रामकी मर्यादा बढा दी है जिसमें कि वे प्रवृत्त हैं। अन्य कार्यकर्ताओंके सामने उन्होंने उदाहरण रख दिया है। केवल साहसिकताके वश होकर हमें जेलखानेके लिये नहीं तैयार हो जाना चाहिये। जेल स्वतन्त्रता तथा मर्यादाका मार्ग तभी होता है जब निर्दोष आत्मायें उसमें जाती हैं। अली भाइयोंकी क्षमा प्रार्थना असहयोगियोंके लिये एक तरहकी कड़ी चेतावनी है कि जो लोग इस संग्राममें प्रवृत्त हो रहे हैं, जो स्वतन्त्रता और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें भापाके प्रयोगमें बडाही समझकर काम लेना चाहिये। यदि हम लोग अपने जवानको काबूमें नहीं रख सकते तो हमें लिखकर अपने भाषणोंको पढना चाहिये। यदि यह भी न हो सके तो हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिये। प्रधान मुसलमान नेताने अपने ऊपर यही नियन्त्रण लगा दिया है। मौलाना अब्दुल बारी बडे ही तीव्र-मिजाजके मुसलमान हैं। जोशमें आकर वे इस तरहकी भाषाका प्रयोग कर जाते हैं जिसका प्रयोग साधारण अवस्थामें वे कभी भी पसन्द नहीं करते और न तो कभी उनका उस तरहका इरादा ही रहता है। मित्रोंकी सलाहको मानकर उन्होंने यह निश्चय कर लिया है कि वे सार्वजनिक सभाओंमें भाषण ही नहीं करेंगे। मैं इस उदाहरणको इसलिये पेश करता हू कि हम सब लोग उसका

अनुकरण करें। 'अली' भाइयोंने अपनी स्पष्टवादितासे हम लोगोंको रास्ता दिखलाया है। इसलिये यदि हम अपनेपर काबू नहीं रख सकते तो हमें अपने प्रत्येक शब्दोंको तौलकर प्रयोगमें लाना चाहिये। ऐसा न करनेसे हम लोग बिना समझे वृत्ति ऐसे शब्दोंको प्रयोग कर बैठते हैं जिनके प्रयोगसे हमारा कोई मतलब नहीं रहता और अर्थका अनर्थ कर बैठते हैं तथा अपने उद्देश्य पर कुठाराघात करते हैं।

बड़े लाट बोले

(जून ८, १९२१)

बड़े लाट महोदयने मिस्टर शफीके भाषणके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है वही अधिकाश उनके भाषणके लिये भी चरितार्थ होता है। मैंने अनेक प्रधान मन्त्रियोंको मैंशन हाउसमें उसी तरहके भाषण देते हुए अनेक बार देखा और सुना है। मैंने प्रत्येक बार इस बातको देखा कि उनमें घनावटीपनकी विशेष मात्रा रहती है। बड़े लाटके इस भाषणको पढ़कर भी मुझे इसी बातका रोद हुआ कि इसमें भी घनावटीपनकी अधिकाधिक मात्रा है। लार्ड रेडिंगने जो भाषण किया है उसके पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपने सच्चे अभिप्रायको फेवल् छिपानेका ही प्रयत्न नहीं किया है बल्कि उन्होंने इस बातको भी समझानेकी

चेष्टा की है कि जो वे कह रहे हैं वही सच है। पर मेरी नाकिस रायमें बड़े लाटके भावणसे यह अभिप्राय नहीं सिद्ध हो सका। इसका एक प्रधान कारण यह है कि भारतके बड़े लाटोंके पदोंके साथ साथ अनेक तरहके नियन्त्रण लगे रहते हैं जिन्हें परम्परागत मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये भारतमें ब्रिटिश शासनकी निर्दोषिता स्वीकार ही करनी पडी। उन्होंने इस बातको इतनी सफाईके साथ कही, मानों इसमें किसी तरहका शक और शुबहा हो ही नहीं सकता था अर्थात् ब्रिटिश शासनसे किसी तरहकी बुराई हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा था, "हा भारतवर्षमें जातीय पक्षपातका कोई चिह्न नहीं पाया जाता और उस चिह्नका न रहना ही उचित है।" पर भारतीयोंके कानोंके लिये इससे कटु कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि चाहे वह कितने ही ऊचे पदपर क्यों न हों पर उनका अनुभव सदा इस बातके प्रति-फूल जाता है। अंग्रेज जातिके साथ अपने जातिकी उत्कृष्टताको व्यक्त करना साधारण धर्म हो गया है। इसके साथही साथ इस भावको वह किन्हीसे छिपाना तक नहीं चाहती। जिस तरहसे उपनिवेशोंमें यह बलात् भारतीयोंके सिरपर सवार कर दिया जाता है उसी तरह यहा भी उसका बोझ हमारे सिरपर लाट दिया जाता है। नियम और विधान पोधियोंमें भी मोटे मोटे अंशोंमें लिग्न दिया गया है। अतीत कालमें ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत जो जो बुराईया रही हैं अथवा तथा अन्याय किये गये हैं उनका बड़े लाटने

किया है। इसलिये यह किसी भी तरह प्रगट नहीं होता कि भविष्यमें भी उनकी अभिलाषा किसी नये रूपसे चलने की है।

बड़े लाट यदि "ब्रिटिश शासनके प्रधान सिद्धान्त" शब्दके प्रयोगमें कुछ संकुचित थे तो मौलाना महम्मद अली तथा मौलाना शौकत अलीके सवन्धमें उन्होंने जो कुछ कहा था उसमें उन्हें और भी संकुचित होना चाहिये। मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि अपने भाषणमें वे बड़े ही सतर्क रहे हैं। उन्होंने उन बातोंको नहीं छुआ है जिनसे किसी तरहका प्रभाव पड सकता है। पर यदि विचार कर देया जाय तो इस तरहका कोई प्रश्न भी नहीं उपस्थित था। जहा कहीं मौलानाने गलतिया की हैं वहा उनकी रक्षाकी बड़े लाटसे कोई आशा भी नहीं करता। अली भाइयोंने जो विवरण प्रकाशित किया है उसका एकमात्र कारण मैं ही था। मेरे ही कहनेसे उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने सरकारसे किसी तरहकी क्षमा प्रार्थना की भी नहीं है। उनकी क्षमा प्रार्थना अपने देश भाइयोसे है। न तो दण्डसे बचनेके लिये ही उन्होंने यह क्षमा प्रार्थना की है। उनकी इस क्षमा प्रार्थनाका केवलमान अभिप्राय अपनी आत्मा तथा अपने देश भाइयों और मित्रोंकी दृष्टिमें अपनेको सच्चा साबित करनेके लिये था। इसलिये बड़े लाटका अपने भाषणमें यह कहना कि, जतक अली भाई अपने इस वचनको निवाहते जायगे और इसीके अनुसार आचरण करेंगे ततक उनपर किसी तरहका अभियोग नहीं चलाया जा सकता, यदि अपमान जनक नहीं था तो निरर्थक था। लाट

रेडिक्ली सरकार जिस समय चाहे अपनी इच्छाके अनुसार अली भाइयों पर मुकदमा चला सकती है।

- असहयोग आन्दोलनमें खुली तौर पर या छिपी तौर पर कुछ नैतिक नीति या चालवाजीके लिये कोई स्थान नहीं है। असहयोग व्रत ग्रहण करने वालेको किसी भी अवस्थामें सत्यका अनुसरण करना ही पड़ेगा। बड़े लाटने मुझे अली भाइयोंका भाषण दिखलाया। मैंने देखा तो मुझे विदित हुआ कि उस भाषणमें कतिपय वाक्य अनुचित हैं। उनके प्रयोगसे हिंसाके लिये उत्तेजना दी जा सकती है। मैंने उसी वक्त इस बात पर विचार किया कि अली भाइयोंपर मुकदमा चलाया जाय चाहे नहीं चलाया जाय पर जो विचार मेरे मनमें उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार उन्हें सलाह दे देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं बड़े लामहोदयसे यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यदि वे असहयोग आन्दोलनको उठाना चाहते हैं तो वह केवल स्पष्टवादितासे हो सकता है। असहयोगी न तो किसी तरहकी रक्षाकी परवाह करते हैं और न उन्हें चाहिये। इसलिये मैं बड़े लाटसे कह देना चाहता हूँ, अधिकारीवर्गमें अपराध करनेवालेको अधिकारका छत्रछायामें उन्हें नहीं छिपाना चाहिये।

१) वास्तवमें यदि विचार कर देखा जाय तो वर्तमान या भविष्य भारतमें अधिकारी वर्गके लिये कोई गुञ्जायश नहीं है। - इसलिये यदि बड़े लाटको यह इच्छा है कि ब्रिटिश साम्राज्य जिस न्यायशासन चलाना चाहती है उसमें भारतीय पूर्ण योग्यता

देंगे तो उन्हें सबसे पहले अपने शासनकी भूलोंका पता लगाना चाहिये । मैं इतना तो अवश्य कह देना चाहता हू कि भारतका भविष्य इसपर निर्भर नहीं करता कि भारतकी भलाई या लाभके लिये ब्रिटन क्या प्रयत्न करता है वल्कि इस परकि भारतीय अपनी भलाईके लिये क्या उत्तम समझते हैं । किन्ती न किन्ती तरहसे वे अपना अधिकाधिक शासन करना चाहते हैं । जिस सुशासनकी उन्हें आशा दिखाई जा रही है स्वायत्त शासनके मुकाबिलमें वह कुछ नहीं है ।

इसलिये मुझे बड़े लाटकी मन्शामें किसी बातकी आशंका नहीं प्रगट होती क्योंकि जहा तक मैं समझ सका हू उनकी नियत अच्छी है, पर जिस आदर्शको लेकर वे काम कर रहे हैं उनसे ही मुझे आशङ्का है । वे भारतके लिये किसी उच्च आदर्शका स्वप्न देख रहे हैं जो अनिश्चित भविष्यकी गोदमें छिपा है पर असहयो गियोंका विश्वास है और कथन है कि भारतके भविष्यकी आज भी ब्रिटिश शासन प्रणालीके अन्तर्गत अवहलना की जा रही है । उनकी यह धारणा है कि ब्रिटिश शासन प्रणालीकी रचना इस नीतिके अनुसार की गई है कि वह भारतीयोंको यदि अनन्त काल तकके लिये नहीं तो अतिदीर्घ काल तक तो अवश्य ही दबाकर रखना चाहती है । कभी कभी मात्राभेदसे ही सिद्धान्तमें भेद उत्पन्न हो जाता है । जब कभी कोई इस बातको कहता है कि भारतका सुदूर भविष्य तो पूर्ण स्वाधीनताके प्रकाशसे अवश्य ही उज्वल होगा, पर वर्तमान अवस्थामें उसे अधीनताको ही स्वी-

कार कर काम करना पड़ेगा, तो मैं उसके आदर्शको भारतवर्ष या भारतीयोंके आदर्शसे एकदम भिन्न समझता हूँ। जैसा कि स्वर्गीय लोकमान्य तिलकने कहा था कि स्वराज्य भारतका जन्म सिद्ध अधिकार है। इतने दिनों तक भारतवर्ष अपने उस नैसर्गिक अधिकारसे वञ्चित रहा है। इसलिये यदि वह आज अधीर हुआ सा प्रतीत होता है तो उसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

कदाचित् लार्ड रेडिग उस उक्तिके—जिसे वह सदा पढ़ते और सुनते आये हैं कि सरकारकी कोईभी कार्रवाई, जिसका अभिप्राय पूर्ण प्रतीकार नहीं होगा, चाहे वह कितना ही अच्छा और उपकारी क्यों न हो, कमसे कम असहयोगियों द्वारा खराब या बुरे उद्देश्यसे प्रेरित समझा जायगा कि ब्रिटिश सरकार भारत की दासताको अवस्थाको अभी कुछ दिन और भी जारी रखना चाहती है—भाव और सत्यताको और भी अधिक समझ सकेंगे। आजकल ब्रिटिश शासन अन्धकारमें पड़ा है। उसके ऊपर जलियांवालाबागके निर्दोषोंके रक्तका धब्बा और इस्लामके प्रति वैदमानी और विश्वासघातका कलकालगा है। जिस तरह जहरीले वर्तनमें ढाला हुआ दूध भी जहरीला प्रभाव उत्पन्न करनेवाला समझा जायगा उसी तरह ब्रिटिश सरकारकी हर तरहकी कार्रवाई इसी दृष्टिसे देखी जायगी। भारतकी अशान्ति के शान्त करनेका एकमात्र उपाय यही है कि जिन कारणोंसे इस अशान्तिका जन्म हुआ है उसे दूर कर दिया जाय। केवल अधिकारका प्रलोभन देकर या अन्य विशिष्ट अधिकारोंके प्रदानसे,

चाहे वे कितने भी मोहक क्यों न हो, इनका प्रतिकार नहीं हो सकता, यदि वे मोहक पदादि असन्तोष और अशान्तिके कारणोंके प्रतिकारके लिये यथेष्ट नहीं हैं।

फिर वही क्षमा प्रार्थना

(जून १५, १९२१)

अली भाइयोंकी क्षमा प्रार्थनाकी बातें अत्र तक लोगोंके चिन्ताओंका कारण हो रही हैं। इससे लोग तरह तरहकी बातें निकाल रहे हैं। मेरे पास प्रतिदिन चिट्ठियोंकी ढेर लगी रहती है जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि बड़े लाटके पास आपके जानेका क्या कारण था। कितने लोग मुझपर यह दोषारोपण कर रहे हैं कि मैंने सब मामला बिगाड़ दिया और कितने लोग अली भाइयों पर यह दोषारोपण कर रहे हैं कि मेरा सम्मान रखनेके लिये उन्होंने भारी कायरता दिखलाई। मैं यह भी जानता हू कि यह तूफान केवल चन्द्रोजा है, थोड़े दिनके बाद यह ठढा पड़ जायगा। इस मुलाकातके सम्बन्धमें मैंने बहुत कुछ सुना और पढ़ा। फिर भी मेरी यही धारणा है कि जब बड़े लाटने मेरी बात सुननेकी इच्छा प्रगट की तो उनसे मिलना मेरे लिये उचित था। ऐसी अवस्थामें मुझे उनके लिखित पत्रकी प्रतीक्षा करना उचित न होता। इसी तरह मेरी यह भी धारणा है कि

अलीभाइयोकी अपने भाषणके सम्बन्धमें उस तरहके विवरण प्रकाशित करनेकी सलाह देकर भी मैंने इस्लाम धर्म तथा भारतकी भलाईकी ही योजना की। उस विवरणको प्रकाशित करनेमें अली भाइयोंने उत्कृष्ट नम्रता और वीरताका परिचय दिया है। उसके द्वारा उन्होंने साबित कर दिया है कि देश तथा धर्मके लिये वे अपना सर्वस्व त्यागनेके लिये तैयार हैं, अभिमान तो साधारण बात है। यदि उन्होंने उस बयानको पेश करनेसे इनकार किया होता तो उनके द्वारा हमलोगोंके उद्देश्यको जितना धक्का पहुंचता उतनाही लाभ हमें उनके इस विवरणसे पहुंचा है।

इस प्रकारके विश्वासके होते हुए भी इस तरहके विरोधको पढ़कर मुझे आश्चर्य नहीं होता है। इनसे यही बात विदित होती है कि जिन तरीकोंका अवलम्बन किया जा रहा है वे एक दम नये हैं और राष्ट्र इस समय अपने सग्त मार्गोंको रत्तीभर भी छोड़नेके लिये तैयार नहीं है और अपने सन्तोषके लिये वह एकमात्र अपने ही बलपर खड़ा होना चाहता है। अलीभाइयोको जो सलाह मैंने दी तथा जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, उस सलाहकी निन्दाके कडेसे कडे आक्षेपोंको, जिसे मैं भी उचित कह सकता हूँ, यहाँ उद्धृतकर देना चाहता हूँ। इस पत्रको असहयोगियोंसे सबसे कट्टर असहयोगीने लिखा है। इस पत्रको उन्होंने प्रकाशनार्थ नहीं लिखा है। पर यदि मैं पाठकोंकी जानकारीके लिये उसे प्रकाशित कर देना चाहता हूँ तो इससे

लेखकको किसी तरहका दुःख नहीं होना चाहिये। इस पत्रके लेखकने जिन भावोंको प्रगट किया है वे ही भाव अनेक विचारवान असहयोगियोंके भी हैं। इसलिये इस घटनासे जो समस्या उठ गई है उस पर विचार करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। इसी तरह धैर्यके साथ सब बातें प्रगट करके ही मैं सचार्डको साबित कर दूंगा, जो असहयोगका धर्म है। उस पत्रमें निम्न लिखित बातें लिखी हैं —

“अलीभाइयोंके वयानको उठाकर पढ़नेसे तथा उसके पूर्वापर घटनाके साथ उसे न जोड़नेसे वह वीरतापूर्ण प्रतीत होता है। यदि क्षणिक जोशके कारण उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह डाली हैं, जिन्हें इस समय देखने और पढ़नेसे यह आशका उत्पन्न होती है कि उनसे हिंसाकी प्रवृत्ति लोगोंमें जाग सकती है, तो उन्होंने उसके लिये खेद प्रगटकर उस मार्गका अनुसरण किया है जिस मार्गका अनुसरण उनकी हैसियतके गण्यमान्य नेताको करना चाहिये। पर यदि उन्होंने भविष्यके लिये इस तरहका वचन अपने उन साथियोंके प्रति दिया होता—जो उनकी तरह हिंसामें विश्वास नहीं करते—तो सम्भव था कि उनके आचरणका प्रतिपादन भी करता। पर उन्होंने लिखा है—“मैं उन सबको इस बातका वचन देता हूँ जो इस तरहके वचनकी आवश्यकता समझते हैं।” यह व्यापक वाक्य है। इससे इस बातकी जरा भी आशङ्का नहीं रह जाती कि यह क्षमा प्रार्थना तथा वचन उसी विशेष दलके प्रति है जिसे इस बातकी

आवश्यकता थी और अन्य किसीके लिये वह कोई अभिप्राय नहीं रखता। वडे लाटने अभी हालमें जो भाषण किया, है उससे सब बातें और भी स्पष्ट हो गई हैं। इस समय हम-लोगोंको यह स्पष्ट हो गया है कि असहयोग आन्दोलनके कर्ण-धार सरकारके साथ मन्त्रणा कर रहे थे और अलीभाइयोंको क्षमा प्रार्थनाके लिये तैयार करके अभियोग चलाये जानेसे उनकी रक्षा की है।

ऐसी अवस्थामें—इसके अतिरिक्त और दूसरा भी कोई भाव मेरी समझमें नहीं आता—समस्त आन्दोलनके लिये एक विकट विचारणीय प्रश्न उपस्थित हो जाता है। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि असहयोगके सारे सिद्धान्तपर पानी फेर दिया गया।

मैं उन लोगोंमें भी नहीं हूँ जो सरकारपर नितान्त अविश्वास रखकर इससे दूर रहना चाहते हैं और न मैं उन लोगोंमेंसे ही हूँ जो यह समझते हैं कि यदि हमारे दुखोंका किसी तरह प्रतीकार हो सकता है और हमें स्वराज्य मिल सकता है तो एकमात्र सरकारके साथ सुलह करनेसे और उसके साथ समझौता कर लेनेसे। मेरा पूर्ण विश्वास उन बातोंपर है जिनकी आपने लगातार शिक्षा दी है, अर्थात् भारतमें स्वराज्यकी स्थापना हमलोग अपने ही बलपर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है और मुझे पूर्ण आशा है कि आपका भी यही विश्वास है कि उचित शर्तों पर सरकारके

साथ भी समझीता हो सकता है। पर उस समझीतेका आधार सिद्धान्त होगा न कि किसी व्यक्ति विशेषकी सुविधा या रक्षा। जहा एक ही कामको करनेवाले अनेक व्यक्ति साथ साथ चल रहे हैं वहा आप व्यक्ति व्यक्तिमें भेद नहीं कर सकते। उन कार्यकर्त्ताओंमें सबसे छोटा भी नेताके हाथसे उसी रक्षाको आशा करना है जो उनमेंसे सबसे बडा कर सकता है। हमारे सैकड़ों असहयोगी कार्यकर्त्ता खुशी खुशी जेल गये हैं, पर जिन शब्दोंका प्रयोग उन्होंने किया था वे अलीनाश्योंके शब्दोंसे कहीं उत्तेजक थे। इनमेंसे बहुतोंकी रक्षा हो गई होती यदि उन्होंने एसी तरहका खेद प्रकाशन किया होता या क्षमा प्रार्थना तथा वचन दिया होता। पर इस तरहकी सलाह एक लिये भी देना किसीको उचित नहीं जचा। इसके प्रतिकूल उनकी दृढता और साहसकी प्रशंसा सभी असहयोगी नेताओंने तथा समाचारपत्रोंने की। इस घटनासे जो अभियोग सहसा स्मरणमें आ जाता है वह अभियोग है इलाहाबादके असहयोगी कार्यकर्ता हमीद अहमदका जिन्हें अभी आजन्म कारावास और सम्पत्ति हरणका दण्ड दिया गया है। क्या आप कोई कारण बतला सकते हैं कि इसी तरह इस आदमीकी रक्षा क्यों न हो जाय। मौलाना मोहम्मद अलीने ३० मईके बम्बईके अपने भाषणमें इनकी (हमीद अहमदकी) वीरता और धीरताकी बडी प्रशंसा की है। जिस समय हमीद अहमदको यह विदित होगा कि मौलाना साहय भी मेरे ही सदृश काँचडमें फस गये

दण्ड दिया है पर उन परचोंके लिखने और छपानेवाले स्वतन्त्र-विचरण कर रहे हैं। क्या सरकार इससे भी कठोर और अनुचित कोई कार्रवाई कर सकती है जिससे हमारी आत्माको पीडा पहुंचे। मेरी समझमें वह समय आ गया है जब नेताओंको यातना सहनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये और रक्षाके किसी भी अवसरका उपयोग नहीं करना चाहिये। इसी भावसे प्रेरित होकर मैंने अली भाइयोंकी क्षमा प्रार्थनाको अनुचित माना है। मेरा उनके प्रति वैयक्तिक स्नेह किसीसे कम नहीं है।”

उपरोक्त पत्रमें वीरता और नम्रता साफ झलकती है और इन्हीं गुणोंका प्रसाद है कि इस स्थितिके कारण इस तरहकी आशंकार्ये उत्पन्न हो गई हैं। पर इस भ्रमकी सारी जिम्मेदारी बड़े लाटके भाषणपर है, जिसके लिये मुझे अत्यन्त खेद है।

अली भाइयोंने भारत सरकारसे क्षमा प्रार्थना नहीं की है। उन्होंने क्षमा प्रार्थना उन मित्रोंसे की है जिन्होंने उनके भाषणोंके प्रति उनका ध्यान आकृष्ट किया था। बड़े लाटके कहनेसे क्षमा प्रार्थना कभी भी नहीं की गई। यदि मैं यह कहूँ कि उन्होंने इसकी चर्चातक नहीं की तो मैं किसी भी तरह रहस्योद्घाटनका जिम्मेदार नहीं हो सकता। ज्योंही मैंने उनके भाषणोंकी नकल देखी मैंने अली भाइयोंकी तत्परता तथा असहयोग आन्दोलनकी शान्ति प्रियता तथा

अहिंसात्मकता सावित करनेके लिये कहा कि मैं उनसे इसका खुलासा कर देनेके लिये कहूंगा। इसमें मैं उनकी स्वतन्त्रताके लिये किसी तरहका सौदा नहीं कर रहा था। यह जानकर कि अपने भाषणोंमें उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, जिनसे हिंसाकी प्रवृत्ति जग सकती है और शान्ति भङ्ग हो सकती है, मैं अपना जोर फूटते उन्हें उसके ही कारण जेल नहीं जाने देना चाहता था। मैंने इस तरहकी सलाह सभी असहयोगी अभियुक्तोंको दी है कि यदि उन्हें यह विदित हो जाय कि उन्होंने अपने भाषणमें हिंसाजनक शब्दोंका प्रयोग किया है तो उन्हें क्षमा माग लेनी चाहिये। असहयोगीके लिये इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि उन्हीं भाषणोंके कारण अली भाइयोंपर किसी अदालतमें अभियोग चलाया गया होता तो मैं उन्हें उन वाक्योंके लिये—जिनसे मेरी समझमें हिंसाकी संभावना थी—उस अदालतसे भी क्षमा माग लेनेकी राय देता। किसी असहयोगीके लिये केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह किसी भी तरह हिंसाका भाव नहीं दिखाना बल्कि उसके लिये यह भी आवश्यक है कि उसकी बातोंसे प्रत्येक प्रिचारवान पुष्ट यह भाव निकालना है कि उसकी सारी चेष्टायें अहिंसात्मक हैं या हिंसाकी विरोधिनी हैं। हमलोगोंको शक शुरुआतसे सदा दूर रहना चाहिये। इस आन्दोलनकी सफलता केवल इस बातपर निर्भर करती है कि हमलोग पूर्ण स्थाग तथा पवित्रताके भाव प्रगट करें। इसलिये

मैं इस पत्रके लेखकसे तथा उन लोगोसे जिनके, विचार इस पत्रके लेखककेसे हैं, यह कह देना चाहता हू कि अली भाइयोंकी क्षमा प्रार्थनासे असहयोग आन्दोलनपर जरा भी धक्का नहीं लगा है, जैसा कि इस पत्रके लेखकने लिखा है, बल्कि इससे इसके अहिंसात्मक होनेका और भी पक्का सबूत मिल गया है। इसमें असहयोग आन्दोलनकी पुष्टि ही मिली है।

इस पत्रके लेखकको इस बातसे मानसिक सन्ताप होता है कि एक तरफ तो इनसे भी नर्म भाषाके प्रयोग करनेवाले अनेक असहयोगी जेलोंमें सड़ रहे हैं पर अली भाई इस तरह की कड़ी भाषाका प्रयोग करके भी जेलोंमें जानेसे बच रहे हैं। इसी-बातसे ही असहयोगकी असलियतका पता चल जाता है। असहयोगीको अपने शरीरकी रक्षाके लिये किसी तरहका सौदा नहीं करना चाहिये। मेरे लिये यह मार्ग खुला था कि मैं दूसरोंकी स्वतन्त्रताके लिये सौदा करता। पर ऐसी दशामें मैं असहयोगके सम्पूर्ण कार्यक्रमपर ठण्डा पानी छिड़क देता। मैंने बड़े लाटसे स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया दिया था कि चाहे भारत सरकार अली भाइयोंके साथ किसी तरहकी कार्रवाई करे पर मैं अली भाइयोंसे मिलकर यह बात अवश्य कहूंगा कि अपनी मानकी रक्षाके लिये आपलोगोंको यही उचित है कि आप लोग अपने भाषणका खुलासा कर दें। हमें अपना काम करते रहना है, चाहे सरकार उसमें भाग ले या नहीं। कमसे कम मुझे तो कभी भी इस बातकी आशा नहीं

है कि सरकार हम लोगोंके साथ इस काममें कभी भी साथ दे-
गी। जिस समय मुझे इस बातका पक्का विश्वास हो गया कि
अब यह सरकार मर्यादाके योग्य नहीं रह गई तब मैंने इसके
साथ असहयोग किया। लार्ड रेडिङ्ग न्याय करना चाहते हैं
और वे शायद न्याय और ईमानदारीसे काम करें भी। पर उन्हें
ऐसा करनेकी स्वतन्त्रता ही नहीं मिलेगी। यदि सरकारको
अपनी मर्यादाका जरा भी ख्याल होता तो उसने उसी समय—
जब कि उसने अली भाइयोंपर मुकदमा नहीं चलानेका निश्चय
किया—समस्त असहयोगी कैदियोंको रिहा कर दिया होना। य-
दि सरकारको अपनी मर्यादाका जरा भी ख्याल होता तो वह
सबसे बड़े अपराधी पण्डित मोतीलाल नेहरूको स्वतन्त्र रहने
देकर साधारण विद्यार्थियोंको पकड़कर जेलमें न डूब देती।
(“अवधके किसानोंको सन्देश” शीर्षक पत्रे पण्डित मोतीलाल
नेहरूने अपने हस्ताक्षरसे छपवाकर प्रतापगढ़, फैजाबाद आदि स्था-
नोंमें बाटनेके लिये कुछ नवयुवकोंको भेजा था। स्थानीय सर-
कारी कर्मचारीने उन परचोंको जब्त कर लिया और उन नवयुव
कोंको पकड़कर ६।६ मासका कठिन कारावासका दण्ड दिया।
जिस इजलासमें इनका विचार हो रहा था उसीके ठीक बाहर
पण्डित जवाहरलाल नेहरू खुले आम उन्हीं परचोंको बाट रहे थे
पर न तो उन्हीं ही किसीने गिरफ्तार किया और उनके लिखने
और छपानेवाले पण्डित मोतीलाल नेहरूको ही गिरफ्तार किया
या दण्ड दिया) यदि सरकारको अपनी मर्यादाका जरा भी

ख्याल होता तो वह इस तरहकी निरर्थक अमन सभायें स्थापित करनेकी भूल न करती। यदि सरकारको अपनी मर्यादाका जरा भी ख्याल होता तो वह अपनी अमानुषिक और क्रूरता पूर्ण कार्रवाइयोंके लिये आजसे बहुत दिन पहले ही क्षमा याचना कर चुकी होती और उसके लिये खेद प्रकाशित कर चुकी होती जिस तरह हम लोगोंने अमृतसर, कसूर, विरामगाव, अहमदाबाद तथा हालमें मालेगावमें जनता द्वारा की गई प्रत्येक ज्यादतियोंके लिये क्षमा प्रार्थना की और खेद प्रगट किया। मैं इस सरकारसे किसी तरहका भ्रमपूर्ण या झूठ आशा नहीं रखना चाहता। यदि सरकार अली भाइयोपर कल ही अभियोग चला दे तोभी मैं उस क्षमा प्रार्थनाको सार्थक ही बतलाऊंगा। उन्होंने जैसा चाहिये वैसा ही किया है और हमें भी उनका ही अनुकरण करना चाहिये। जहातक सरकार अन्य लोगोंको अप्रीति फैलानेके अपराधमें गिरफ्तार कर रही है वह अली भाइयोंको ही गिरफ्तार कर रही है।

आगे चलकर लेखकने यह भाव दिखलाया है कि जो असहयोगी जेलमें हैं वे जेलसे बाहर वाले असहयोगियोंसे अभागे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यह लिखकर इस पत्रके लेखकने असहयोग आन्दोलनके असली भावको व्यक्त नहीं किया है। मेरी तो यही धारणा है कि यदि मैं असहयोग आन्दोलनके एक भी नियमको न तोड़ू और न सदाचारके नियमको तोड़ू तो भी यदि मैं जेलमें ठूस दिया जाऊ तो मैं सच्ची स्वतन्त्रता उसीको कहता हूँ। जिस

तरह स्वामीका घर दासके लिये जेलखाना ही उसी तरह यह देश
 यहांके प्रत्येक निवासीके लिये जेलखाना है। यदि एक दास
 अपनी दासताकी वेडी काटना चाहता है तथा उस हीन अवस्था
 से मुक्त होना चाहता है तो उसे ऊपर उठना होगा और ऐसा
 करनेके लिये उसे अपने मालिकका विरोध करना होगा तथा उस
 विरोधके लिये उसे आजन्म उस मालिककी कालकोठरीमें
 सडना होगा। उसे कालकोठरीका द्वार ही स्वतन्त्रताका द्वार
 है। जो लोग सरकारी जेलोंमेंपड़े अनेक तरहकी यातनायें भोग
 रहे हैं उनके लिये मैं जरा भी दुखिते नहीं हूँ। अत्याचारी
 राजके अन्दर रहकर निर्दोष व्यक्तिको फांसीपर चढ़ते समय भी
 हसते ही रहना चाहिये। अलीभाईयोंके लिये यह कोई कठिन
 काम नहीं था कि उन्होंने मेरी सलाह नोमानी होती और इस
 अवसरसे लाभ उठाकर अपने साथियोंके साथ जेलकी हवा पीते
 रहते। मैं पाठकोंसे यही पर यह बात कह देना चाहता हूँ कि
 दक्षिण अफ्रिकामें सत्याग्रह संग्रामके अन्तिम अवसरपर जब मैं
 गिरफ्तार हुआ तो मेरी पत्नी तथा अन्य बन्धु बान्धवोंको एक
 घरहका सन्तोष मिल गया। दक्षिण अफ्रिकाके जेलखानोंमें ही
 मुझे संसारके भ्रष्टोंसे क्षणिक शान्ति मिल सकी थी।
 इतना लिख देनेके बाद यह स्पष्ट हो गया होगा कि हम
 असहयोगीकेंदियोंको अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके हेतु किसी
 तरहका व्ययानाया, क्षमा, प्रार्थना नहीं पेश करना चाहिये।

फिर मिस्टर पाल

(जून १५, १९२१)

मिस्टर पालने इङ्गलिशमैनमें एक पत्र लिखा है। अन्य समाचारपत्रोंने भी उसे उद्धृत किया है। उस पत्रका पूरी तरहसे उत्तर दिया जाना चाहिये। मिस्टर पालका पत्र पढ़नेसे साफ मालूम होना है कि उन्हें गलत समाचार मिले हैं और यही कारण है कि उन्होंने अनेक तरहकी सिफारिशें की हैं। पर यदि उन्हें सब बातोंका पता लगा होता तो कदाचित वे वैसा नहीं करते।

बड़े लाटसे मेरी मुलाकात तथा अली भाइयोंकी क्षमा प्रार्थनाके सम्बन्धमें जो अनेक तरहके भ्रमपूर्ण विचार चारों ओर फैल रहे हैं उनके प्रधान कारण हैं सरकारकी सूचना, बड़े लाटका भाषण तथा पत्रोंके सचाददाताओंका मेरी शिमलेकी यात्राके सम्बन्धमें अनुमानित विचार।

जिस समय मैं शिमला गया मुझे स्वप्नमें भी इस बातका अनुमान नहीं था कि मुझे बड़े लाटसे मुलाकात करना पड़ेगा। वहा जाकर मुझे ज्ञात हुआ कि पण्डित मदनमोहन मालवीय तथा श्रीयुत सी० एफ० भण्डरूज दोनों यह हृदयसे चाहते हैं कि मैं बड़े लाटसे मिलू। पर मेरी शिमला-यात्राका एकमात्र अभिप्राय पण्डित मदनमोहन मालवीयसे मिलना था जो उस

समय इतने कमजोर थे कि मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे। पण्डित मदनमोहन मालवीयजीसे सब बातें सुनकर तब मैंने बड़े लाट या उनके मन्त्रीके पास यह लिखना निश्चय किया कि यदि आप (बड़े लाट) इस (असहयोग) संग्रामके बारेमें मेरा मत सुनना चाहते हैं तो मैं आपसे मुलाकात करनेके लिये तैयार हूँ। मैं बड़े लाटसे मिलकर उन्हें यह बतलाने गया कि मैं असहयोगी क्यों होगया न कि उनसे मेरे मिलनेका यह अभिप्राय था कि मैं उनसे अली वन्धुओंके सम्वन्धमें भारत सरकारके किये निर्णय को बदलवाऊँ। न तो बड़े लाटने पहले पहल अलीभाइयोंके होने-वाले अभियोगकी चर्चाही छोड़ी और न उस विषय पर हम लोगोंने अधिक समय तक बातचीतही की। हमलोग असहयोग आन्दोलन पर बातचीत कर रहे थे। बीचमें अहिंसाका प्रसंग आया कि व्यवहारमें उसे किस तरह चरितार्थ किया जाता है। उसीपर बड़े लाट ने अलीभाइयोंके भाषणकी भी चर्चा चलाई। निदान बड़े लाटने अलीभाइयोंके भाषणमेंसे कुछ अशुभे पद कर सुनाये। उन शब्दोंको सुनकर मैंने इस बातको स्वीकार किया कि इनका जो तात्पर्य लगाया जाता है उसकी ध्वनि इनमेंसे निकलती है। इसपर मैंने बड़े लाटसे कहा कि मैं अलीभाइयोंसे मिलूंगा और उन्हें सलाह दूंगा कि वे अपने उस भाषणका खुलासा कर दें। पर इसके लिये मैं सरकारकी किसी तरहकी कार्रवाईमें उलट फेर नहीं कराना चाहता। सरकार जो मनमें आवे करे। उन्होंने जो खुलासा प्रकाशित किया उसमें यह कहीं

नहीं लिखा था कि यह इस शर्तपर किया गया है कि, सरकार हमारे (अली भाइयोंके) ऊपर अभियोग, चलानेके विचारको पलट दे ।- अली भाइयोंके क्षमा प्रार्थना तथा खुलासाके-बाद सरकारने अपना निर्णय बदल दिया, - इसमें सरकारकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता झलकती है। मैं इस बातको- स्वीकार करता हू कि इससे मुझे बहुत शान्ति मिल गई ।- पर मैं मिस्र पालके इस कथनसे सहमत-नहीं हो सकता कि अली भाइयोंकी गिरफ्तारीसे खूनखराबी होना- अवश्यभावो था । मेरी माति अली भाई भी विद्रोहवाले कानूनको भङ्ग करते जा रहे हैं और ऐसा करके गिरफ्तारोको निमन्त्रित कर रहे हैं । यदि देशने हमलोगोंका साथ दिया तो इसी वर्ष किसी-न किसी ममय हमलोग सरकारको ऐसी स्थितिमें डाल देगे कि या तो वह हम सबको पकड़कर जेलमें डाल-देगो या जनताकी मांगोंको पूरी करेगी । अली भाइयोंके क्षमा प्रार्थनासे यदि उनपर मुकदमा चलाया जाना रुक गया है-तो अभियोग गलत आधारपर अवलम्बित था जिसकी सफाई भी नहीं हो सकती थी ।

- इसलिये मैं हृदयसे यह बात चाहता था कि अलीभाइयोंपर इसलिये- अभियोग नहीं चला जाय कि उन्होंने हिंसाकी प्रवृत्तिको जगाकर शान्तिभङ्ग करनेके लिये जनताको प्रेरित किया पर साथ ही यदि मेरी तथा उनकी गिरफ्तारी इस कारण हो कि हमलोग कानूनके आधारपर प्रतिष्ठित इस सरकारके प्रति

अंग्रेजी फैलानेकी योजना कर रहे हैं ता मैं उम गिरफ्तारी और सजाका स्वागत करूंगा। हमलोगोंने देखा है कि जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव करते हुए क्षमा प्रार्थना न करना और खुलासा न करना भूल होगी, इससे आन्दोलनको घेका पहुचेगा और हमलोग शत्रुओके मनकी कर देंगे।

मिस्टर पालका यह अनुमान सच है कि विषय गम्भीर नहीं है तथा जिसे गहरे स्वार्थसे समझ्य नहीं है उनका निपटारा बहस और समझौतेसे कर देनेका मैं पक्षपाती हू। पर मैंने किसी तरहके भी समझौतेकी शर्तोंपर बड़े लाटने बात चीत नहीं की। इस तरहके समझौतेके लिये बात चीत कर नेका अप्रकार उसीको हो सकना है जिसे प्रजा अपना प्रति निधि मान ले। मैं मिस्टर पालको इस बातका भी सन्तोष दे देना चाहता हू कि मैं बिना जनताकी रायके इस तरहके समझौतेके लिये तैयार भी नहीं हो सकता और यदि मैंने समझौतेकी बातचीतकी भी तो उनमें किसी तरहका रहस्य नहीं रहेगा और कोई भी कार्रवाई छिपी नहीं होगी। पर जब दो घात व्यक्ति एक दूसरेके मतको जाननेके लिये मिलते हैं तो उस अवस्थामें उनकी बातें अंशय गोपनीय होंगी। मेरी बड़े लाटसे मुलाकात केवल एक दूसरेको समझने तथा जाननेके लिये हुई थी। इस मुलाकात और बात चीतसे जो परिणाम निकला उसके समझमें जनतासे केवल इतना कह देना चाहता हू कि निकट भविष्यमें उन्हें सरकारके साथ किसी तरहके

समझौतेकी आशा नहीं करनी चाहिये । इसका प्रधान कारण यह है कि जनता अभीतक पूरी तरहसे तैयार नहीं है और आर्ड रेडिंग न माननेवालेको भी मनानेके लिये-तुले हैं। वे बली पुरानी बोतलमे नई शराय नहीं ढाल सकते। पञ्जाब और खिलाफतके अत्याचारोके ज्योंके त्यों रहते हुए वे भारतीयोंको सुखी और सन्तुष्ट नहीं कर सकते।

मिस्ट्र पालने लिखा है कि पञ्जाब और खिलाफतका प्रश्न हल हो जानेपर क्या मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा और स्वराज्य प्राप्तिका भार अन्य नेताओपर छोड़ दूंगा ? मिस्ट्र पालका वह अनुमान ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ और इसका प्रधान कारण यही है कि जिस समय भारतकी जनतामें इतना तोर आ जायगा कि खिलाफत तथा पञ्जाबके अत्याचारोका प्रतीकार करा सकेगा तो फिर स्वराज्य तो उसके बायें हाथका खेल हो जायगा। वह जब चाहेगी ले लेगी। मेरी समझमें स्वराज्य कोई भिन्न वस्तु नहीं है। प्रजाके हाथमे इस तरहका अधिकार आ जाना, कि वह डायर आदिकी क्रूरतायें तथा लायड जार्जकी चालवाजियो तथा विश्वासघातका प्रतीकार करा सके, इसकोही मेरी समझमें सच्चा स्वराज्य कहते हैं। जिस समय हममे इसके प्रतीकारकी योग्यता आ जायगी हम स्वतन्त्र शासनके सर्वथा योग्य हो जायेंगे। यदि बङ्गालके मेरे अनुयायी मेरी इस मुलाकातसे नाक भौंह न सिकोडें तो वे अच्छी तरहसे समझ सकते हैं कि मेरे लिये किसी तरहका समझौता अस-

भव है, जबतक इन दो अत्याचारोंका प्रतीकार न हो जाय, उन्हें यह भी विदित हो जायगा कि स्वराज्यके रूपका प्रश्न तभी उठ सकेगा और उसके लिये समझौतेकी बात तभी होगी जब उसके मार्गसे ये दो बाधाएँ हटा दी जायँगी। जबतक ये बाधाएँ दूर नहीं की जाती तबतक भारतको पूर्ण स्वाधीनताके सिवा और किसी बातकी चिन्ता ही नहीं करनी चाहिये। जो बङ्गाली सज्जन धारीसालकी कानफरेन्समें उपस्थित थे वे—जहातक मुझे विदित हो सका—मिस्टर पालकी इन विवेचनाओंसे सन्तुष्ट नहीं थे। जहातक मैं समझ सका उनका कथन था कि यह प्रसङ्ग मिस्टर पालने कुसमयपर छेड़ा है और इससे स्वराज्यकी सच्ची प्रगतिके मार्गमें बाधा पहुँच सकती है। मिस्टर पालकी विवेचना ठीक उसी राजके समान हुई जो विना दृढ़ नींव दिये ही अन्तिम खण्ड बनानेकी तैयारी करने लगा। इसलिये मैं मिस्टर पालसे अनुरोध करूँगा कि अभी असमयमें ही आप स्वराज्यके रूपका प्रकरण न उठाइये। मेरी तरफसे मैं उन्हें विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जनताके प्रतिनिधियोंकी सलाह लिये विना स्वराज्यके संबन्धमें मैं कुछ भी नहीं करूँगा। खिलाफत तथा पञ्जाबके सम्बन्धमें पूछताछ या सलाहकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस संबन्धकी कमसे कम मागे सर्वसम्मतिसे उपस्थित कर दी गई है और उनसे प्रायः सभी परिचित हैं।

फिर क्षमा प्रार्थना

(जून २२, १९२१)

मेरी शिमलेकी यात्रा तथा अली भाइयोंकी क्षमा प्रार्थना-के प्रसंगको लेकर मुझे जितना समय नष्ट करना पडा है उतना और किसी प्रसंगपर नहीं। इस सम्बन्धमें मेरे पास जितने पत्र आये हैं उनमेसे केवल एक पर विचार करना चाहता हू। एक सम्मानित मित्रने—जिसे मेरी इमानदारी और स्पष्टवादितापर अभिमान है—शिमलेसे लिखा है कि शिमलेमें यह खबर फैली है कि मैंने बडे लाटके साथ अन्याय किया। मैं उनपर मर्यादा भङ्ग करनेका दोषारोपण किया और इस बातकी घोषणा करके कि 'अली भाइयोंने सरकारसे क्षमा प्रार्थना नहीं की है मैं जानकर या अनजानकारोसे सतपथसे गिर गया हू'। पर मेरा इस समय भी यही विश्वास कि है क्षमा प्रार्थना सरकारसे नहीं की गई थी। यदि वास्तवमें यह बात होती तो मैं उन शब्दोंमें ही उस बातको स्पष्ट कर देता। इस सम्बन्धमें जो शब्द लिखे गये थे उनका प्रयोग दो अर्थों अभिप्रायसे नहीं हुआ था। ऐसी कोई भी घटना नहीं उपस्थित हुई थी कि अली भाइयोंकी मुंहकी लाली रखनेके लिये इस तरहके आचरणकी आवश्यकता थी। मैं प्रत्येक व्यक्तिको—

स्वयं बड़े लाटको भी—इस घातका पक्का विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि यदि मैं अपनी बातसे जरा भी हटा हूँ तो मैं उसके लिये उनसे (बड़े लाटसे) तथा समस्त ससारसे क्षमा मागनेके लिये तैयार हूँ । मैं सचको सबसे उत्तम समझता हूँ । इसके लिये मुझे यदि अपना सर्वस्व, देशपर अपना प्रभाव, खो देना पड़े तोभी मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता । जहा तक मुझे स्मरण है मैंने लार्ड रेडिङ्ग पर मर्यादा भङ्गका दोषारोपण कभी भी नहीं किया है । जहा शीघ्रतासे बातचीत होती है उसका अक्स केवल मस्तिष्क पर पड़ता है । जहा तक समभव हो सकता है मन उस बातचीतका चित्र अङ्कित करता जाता है पर न तो वह सम्पूर्ण बातचीतको ही स्मरण रख सकता है और न उनके क्रम तथा शब्दको ही स्मरण रख सकता है । इससे यह समभव हो सकता है कि भिन्न भिन्न प्रसङ्गोंपर हम लोगोंकी जो बातें हुई उनका हम लोगोंके मस्तिष्क पर भिन्न भिन्न प्रभाव पडा हो । उस बातचीतसे मैं जो कुछ समझ सका था उसका मैंने ठीक ठीक विवरण दे दिया है । और जहा तक सम्भव था मैं गोपनीय बातोंको प्रगट करनेका अपराधी भी नहीं बना । पर मैं देखता हूँ कि अब भी जनता अन्धकारमें पडी है । इसलिये मैं देखता हूँ कि जबतक उस मुलाकातकी बातें साफ साफ न प्रगट करदी जायंगी तबतक मुझे सन्तोष नहीं हो सकता । इसलिये मैंने बड़े लाट महोदयके पास पत्र लिखा है कि या तो मैं और आप दोनों मिलकर सयुक्त विवरण प्रकाशित कर दें या आप मुझे

अली भाइयोंने असहयोग' आन्दोलनका बड़ा उपकार किया है। इसलिये मुझे इस बातका जरा भी दुःख नहीं है कि मैंने उन्हें यह सलाह दी। मैं इस बातके लिये भी अतिशय कृतज्ञ हूँ कि लार्ड रेडिङ्गने मेरी बातें मान लीं और सयुक्त विवरणके प्रकाशनके लिये तैयार हो गये। इस सयुक्त विवरणके सम्बन्धमें मुझमें तथा बड़े लाटमें जो पत्र व्यवहार हुआ उसमें भी मैंने यही देखा कि बड़े लाटने ऐसी किसी भी बातके समावेशसे इन्कार नहीं किया जो आवश्यक थी और जिससे उस घटना पर कुछ भी प्रकाश पड़ सकता था। अपनी तरफसे तो मैंने उन्हें लिख दिया था कि मैं कोई भी बात परदेमें नहीं रखना चाहता। इस लिये इस समय जो विवरण प्रकाशित किया गया है वह दोनों तरफका पूरा विवरण है।

संयुक्त विवरण

महात्मा गांधीने शिमलामें बड़े लाटसे मुलाकात करके जो बातचीत की थी तथा उसके बाद ही अली भाइयोंके सम्बन्धकी जो घटना घटित हुई उसके सम्बन्धमें समाचार पत्रोंमें जो समाचार निकले तथा उसके आधार पर जो जो आक्षेप और कटाक्ष किये गये उनकी ओर बड़े लाटका ध्यान—विशेष कर महात्मा गांधी द्वारा—आकृष्ट किया गया। इन विवरणोंको देखनेसे विदित होता है कि जो कुछ बातचीत शिमलाकी मुलाकातमें हुई थी उनका ठीक ठीक समावेश इनमें नहीं है।

महात्मा गांधीकी मुलाकात बड़े लाटसे कैसे हुई? पण्डित

मालवीयजी बड़े लाटसे मिलने आये और बातचीतमें देशकी वर्तमान अवस्थाका प्रसङ्ग छिड़ गया। बड़े लाटने पण्डित मालवीयजीसे कहा कि शौकत अलीने अपने भाषणोंमें ऐसी बातें कहीं हैं जिनसे शान्ति भङ्ग होनेकी संभावना है, इससे उन भाषणोंके लिये उनपर अभियोग चलाना सरकारने निश्चय कर लिया है। इसपर यह बहस छिड़ गई कि इससे देशमें उपद्रव उठ पडा होनेकी संभावना है। पण्डित मालवीयजीने इसपर बड़े लाटसे कहा कि यदि आप महात्मा गांधीसे मुलाकात करे तो बहुत लाभ हो सकता है। बड़े लाटने कहा कि यदि गांधीजी मुझसे मिलनेके लिये आवें तो मैं उनसे बड़ी खुशीसे मिलूंगा और उनका मत सुनूंगा। दूसरे ही दिन श्रीयुत अण्डरूज भी बड़े लाटसे मिले और उन्होंने भी यही सलाह दी। यहींपर यह भी लिप्त देना उचित होगा कि उस मुलाकातमें अनेक तरहकी बातोंपर विचार हुआ पर प्रधान विषय देशकी वर्तमान अवस्था थी। बड़े लाटको यह भी मालूम है कि पण्डित मालवीयने महात्माजीसे इस बातकी चर्चा नहीं की थी कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मुहम्मद अलीके ऊपर फौजदारी अदालतमें अभियोग चलानेकी व्यवस्था की जा रही है।

मालवीयजीके बुलानेपर महात्मा गांधीजी शिमला आये। यहा पर श्रीयुत अण्डरूजने उनसे प्रार्थना की कि आप बड़े लाटसे अवश्य मिल लीजिये। बात भी तै हो गई। पहली मुलाकातमें

अली भाइयोंपर मुकद्दमा चलानेकी कोई चर्चा नहीं की गई। भारतमें अशान्तिका क्या कारण है, इसी विषयपर बातचीत होने लगी। दूसरे दिनकी बातचीतमें बड़े लाटने कहा कि यद्यपि आप (महात्मा गांधी) का कहना है कि असहयोगका प्रधान अंग अहिंसा है और यही असहयोगीका परम धर्म है तो भी अनेक कट्टर असहयोगी अपने भाषणोंमें ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं जिनसे हिंसाकी सम्भावना हो सकती है। इसपर महात्मा गांधीने कहा—“मैं इस बातको कभी भी स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हूँ कि कोई भी असहयोगी अपने पथसे विचलित होकर हिंसा उत्पन्न करनेवाले शब्दोंका प्रयोग करेगा पर यदि मुझे इन बातका पक्का विश्वास दिला दिया जाय कि किसी भी व्यक्तिने ऐसा क्रिया है तो मैं खुदके आम उसकी तथा उसके भाषणोंका तत्रतक निन्दा करता रहूँगा जबतक कि वे अपने उन भाषणोंके लिखे खेद न प्रकाशित करें जिनसे इस तरहकी हिंसाकी सम्भावना हो सकती है। इसपर बड़े लाटने अली भाइयोंका नाम लिया और कहा कि मैं आपको उनके उन भाषणोंको दिवाऊँगा जिनसे इस तरहकी ध्वनि निकलती है और जिनसे शान्ति भंग होनेकी सम्भावना है। निदान वे अशेष पढ़कर महात्माजीको सुनाये गये। तब उन्होंने इस बातको स्वीकार किया कि इनसे इस तरहकी ध्वनि निकल सकती है जैसा कि बड़े लाटका कहना है। पर साथ ही महात्माजीने बड़े लाटको विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि

मालाना मोहम्मद अली या मौलाना शौकत अलीने इन शब्दोंका प्रयोग जानें घूँझकर इस नियतसे नहीं किया है कि इनसे किसी तरहकी उच्छेजना फैले। उसके बाद महात्माजीने यह भी कहा कि शिमलासे रवाना होते ही मैं उनसे मिलूँगा और उन्हें सलाह दूँगा कि वे उन शब्दोंके लिये जो संयोगश उस भाषणमें आ आ गये हैं, पर जिनके समावेशकी उनकी मन्शा नहीं है, उनके लिये वे खेद प्रकाशित करें। इसपर बड़े लाटने यह भी कहा कि यह बात उड़ी भारी है इससे मैं चाहता हूँ कि जो खुलासा और खेद प्रकाशन महात्मा गांधी प्रकाशित करवाना चाहते हैं उसे एक बार मुझे भी दिखला लें।

यहोँ पर बड़े लाटने यह भी कहा कि इन भाषणोंके लिये मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अलीपर फौजदारों अदालतमें अभियोग भी चलाया जाने वाला है, इसलिये यदि महात्मा गांधी उस खुलासा तथा खेद प्रकाशके प्रकरणको मुझे दिखलाकर तब प्रकाशित करें और यदि सरकारकी दृष्टिसे मुझे सन्तोष हो जायगा तो मैं अपना प्रभाव डालकर उनपर जो मुकदमा चलाये जाने वाला है उसे रोक दूँगा, क्योंकि यदि भविष्यमें इस तरहके उच्छेजित करनेवाले भाषणोंका दिया जाना रोक दिया जाय तो सरकारका अभियोग चलानेका अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। इसपर महात्माजी उस विवरणको दिखलानेके लिये तुरन्त तैयार हो गये। यथासमय उस विवरणका खुलासा बड़े लाट साहबको दिखलाया गया। उसे देखकर

बड़े लाटने कहा कि इनमें अन्ध-वाक्यां ऐसे हैं जिनके कारण यह विवरण एक तरहकी सूचनाका रूप धारण कर लेता है जिसमें उनके धार्मिक विश्वासकी बहुत सी बातें आ जाती हैं। साथही साथ बड़े लाट महोदयने यह भी कहा कि यह अघूराही है, क्योंकि इसमें यह बात नहीं लिखी गई है कि भविष्यमें इस तरहके भाषण नहीं किये जायंगे जिससे किसी तरहकी उत्तेजना फैलानेकी सम्भावना हो। और इस क्षमा-प्रार्थनाके प्रकाशनके बाद मौलाना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली जनताके सामने इसकी व्याख्या किसी भी भाषामें कर सकते हैं जिससे कानून न भंग होता हो। इसपर महात्माजीने इस बातका वचन दिया कि जिन वाक्योंसे बड़े लाटको एतराज है वे निकाल दिये जायंगे और भविष्यमें ऐसा न करनेके लिये वचन दे दिये जायंगे। इसपर बड़े लाटने कहा कि यदि इस परिवर्तित विवरणपर मौलाना मोहम्मद अली तथा मौलाना शौकत अली हस्ताक्षर कर देंगे तथा भविष्यमें इस तरहकी उत्तेजना फैलाने वाले भाषण न करनेका वचन दे देंगे तो ऐसी कार्रवाई कर दी जायगी जिससे उनके ऊपर अभियोग नहीं चलाया जायगा और जबतक अपने इस वचनके अनुसार वे लोग आचरण करते रहेंगे तबतक उनके विरुद्ध किसी तरहकी कानूनी कार्रवाई नहीं की जायगी। पर इनके पहलेके भाषणोंपर अभियोग चलानेके लिये सरकार पूर्णरूपसे स्वतन्त्र है। यह भी कहा कि इस विवरण-

रणके प्रकाशित करनेके बाद सरकारको अपनी स्थिति स्पष्ट करनेके लिये, कि उसने उनपर मुकदमा चलाना क्यों मुल्तवी किया, सरकारी तौरपर सूचना निकालना जरूरी है। पर इसमें लेन देन की कोई बात नहीं थी। महात्मा गांधीने यह बात भी कही थी कि उनपर मुकदमा चलाया जाय या नहीं पर जब मुझे यह मालूम हो गया है कि उनके भाषणोंमें ऐसी बातें हैं जिनसे हिंसा और उत्तेजना उत्पन्न होनेकी सम्भावना है तो मैं उनकी मर्यादा नहीं। इस आन्दोलनकी मर्यादाकी रक्षाके लिये उन्हें इस बातको सलाह दूंगा कि वे खुली माफी मांग लें।

इस वादविवादमें महात्मा गांधी तथा बड़े लाट महोदयका ध्यान इस बातपर अवश्य था कि दोनों व्यक्ति हर तरहसे यह बात चवाना चाहते थे कि अली भाइयोंपर अभियोग चलानेसे कोई असम्भावित घटना न उपस्थित हों जाय। साथ ही वे लोग यह बात भी रोकना चाहते थे कि इस तरहके भाषण भी न किये जायें जिससे उत्तेजना फैलनेकी किसी तरहकी सम्भावना हो। बड़े लाट साहबने महात्माजीसे यह भी कहा कि यदि शीघ्रातिशीघ्र अली भाई अपना विवरण प्रकाशित नहीं कर देंगे तो उनपर जो अभियोग चलाया जाने वाला है उसे रोकना असम्भव हो जायगा क्योंकि इस भाषणकी केवल यही नहीं बल्कि इङ्ग्लैण्डमें भी जोरोंकी चर्चा चल रही है। इसपर गांधीने कहा कि यथाशीघ्र उसे प्रकाशित करनेकी चेष्टा की जायगी। इसके बादही महात्माजी शिमलासे खाना हो गये

कतिपय दिनके बाद बड़े लाटके पास तार भेजा कि
 प्रतिन विवरण पर अली, बन्धुओंने हस्ताक्षर कर दिया है और
 प्रकाशनार्थ समाचार पत्रोंमें भेज दिया गया है। निम्न
 खत परिवर्तन किया गया था। महात्मा गांधीने जो विवरण
 र किया था उसमें उन्होंने लिखा था :—“हम लोग यह बात
 कर देना चाहते हैं कि हम लोगोंकी कमी भी यह मन्शा
 थी कि हम लोग किसी भी प्रकारसे उत्तेजना फैलानेकी
 करे पर देखनेसे प्रतात होता है कि हम लोगोंके कतिपय
 णोंमें कुछ ऐसे शब्द आ गये हैं जिनसे उत्तेजना फैलानेकी
 ावना हो सकती है।” इस शब्दके स्थानपर अली
 योंने यह वाक्य लिखा था —“हम लोग यह बात भलीभांति
 ट कर देना चाहते हैं कि हम लोगोंकी कमी भी यह मन्शा
 थी कि हम लोग किसी भी प्रकारसे उत्तेजना फैलानेकी
 णा करें और न हम लोगोंको कभी इस बातका ख्याल भी था
 हम लोगोंके भाषणोंमें ऐसे एक भी वाक्य पाये जायगे
 ससे यह अभिप्राय निकाला जायगा कि उनका अभिप्राय
 तेजना फैलाना था पर हम लोगोंके मित्र (महात्मा गांधी)ने
 अभिप्राय तथा मतलब उनका लगाया है उसे हम लोग
 ाकार करते हैं।”

इस विवरणके प्रकाशित होनेके बाद सरकारकी ओरसे
 वना निकाली गई। उस सूचनाके शब्द उनके प्रकाशित होनेके
 हले तक निश्चित नहीं किये गये थे और महात्मा गांधीने उन्हें

कभी नहीं देखा था यद्यपि सरकारी सूचना (जो प्रकाशित की जाने वाली थी) का अभिप्राय उन्हें बतला दिया गया था । महात्मा गांधी तथा बड़े लाटसे जो बात चीत हुई उसका अधिकांश भाग उन घटनाओंसे सम्बन्ध रखता है जिसके कारण भारतमें इस समय अशान्ति फैली हुई है अर्थात् पञ्जाबकी दुर्घटना, खिलाफत आन्दोलन, सेवरकी सन्धि, तथा जनताकी साधारण अवस्था । महात्मा गांधीने खरान्यका कोई मसविदा बड़े लाटके सामने नहीं पेश किया और न किसी मसविदेकी चर्चा की ।

हमारी जिम्मेदारी

(सितम्बर १२, १९२०)

पीर महबूब शाह गिरफ्तार हो गये । वे बड़े ही बहादुर आदमी थे । मुझे उनके दोष तथा निर्दोषिताके बारेमें कुछ नहीं कहना है । पर जो अभियोग उनपर चलाया गया था यदि वह ठीक है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी भाषामें छत्तेजना फैलाने और शान्ति भङ्ग करनेके भाव थे । और इस अवस्थामें उन्हें जो दण्ड दिया गया है अर्थात् दो वर्षके लिये साधारण कारावास, बहुत ही हलका है । यदि अपराध साबित हो गया तो कोई भी दण्डसे बच नहीं सकता चाहे वह कितना

मी बड़ा आदमी क्यों न हो और चाहे वह कितना ही बड़ा सरकारी पदाधिकारी क्यों न हो। जिस बातके लिये मैं उनकी प्रशंसा करने बैठा हूँ वह उनकी वीरता, धीरता और उदासीनता है। उन्होंने वीरता तथा धीरताके साथ अपने मुकदमेकी पैरवी करने तथा सफाई देनेसे इनकार कर दिया और उदासीनताके साथ कानूनन नियुक्त अदालतके निर्णयको खोकार करना तै किया। इससे मुझे विदित होता है कि उन्हें इस असहयोग सग्रामका तत्त्व मिल गया है। उनके अनुयायियोंने उनकी इस झुंझुंझुंका जिस प्रकार वर्णित किया है उससे भी अतिशय सन्तोष होता है।

वादकी समाचार मिला कि पीर साहबने माफी माग ली और वे रिहा कर दिये गये। इससे तो हमारी प्रत्यक्ष दुर्बलता प्रगट होती है। दासताकी कमजोर हवामे पालित तथा पोषित होनेके कारण कमी कमी हम लोगोंमें से बड़े लोग भी साधारण स आघातसे काप उठते हैं और उसके सामने सिर झुका देते हैं। हम लोगोंने पश्चिमी सभ्यताका अनुकरण अवश्य किया पर उसके अर्न्तगत जो तालीम लेनी पडती है उसके अभ्यस्त न होकर हमने अपनी अवस्था इतनी खराब कर डाली है कि सादी सजाकी साधारण कठिनाइया भी हमसे नहीं झेली जातीं। पर पीर महशूर शाहकी माफीसे हमें हताश नहीं होना चाहिये। मान लिये कि एक आदमी कई घोडोंपर असहाय लादे चला जा रहा है। मार्गमें एक घोड़ा थक गया। तो क्या अन्य घोडों-

और यह कर्तव्य नहीं है कि वे अपने साथीके भारको आपसमें बाट लें। इसी तरह हमें थोडा और प्रयास करके यह बोझ अपने ऊपर ले लेना चाहिये। हमलोग मनुष्य हैं, समझदार जीव हैं, यह समझ लिया जा सकता है कि जब हमारा एक साथी फिसल पड़ता है तो उसका बोझ समझालनेके लिये हमें कितना प्रयास करना चाहिये।

हमें यह समझना चाहिये कि वह बोझ क्या है और उसका क्या अभिप्राय है। जो सिपाही अपने शत्रुके घलकी अवहेलना करता है वह निकम्मा है। इसलिये हमें सबसे पहले उस सरकारका बल जान लेना चाहिये जिसके साथ हम उस भीषण संग्रामको चला रहे हैं। वह सरकार एक संगठित सस्था है जो चालवाजी वेईमान और अविश्वासी है पर साथ ही साथ साहसी, योग्य, आत्मत्यागी है और संगठनको उसमें पूर्ण योग्यता है। इसलिये हमें उसकी चालवाजीका मुकाबिला सादगीसे, अविश्वासीताका मुकाबिला विश्वाससे तथा झुठाईका मुकाबिला सचाईसे करना चाहिये। उसकी साहसिकताके मुकाबिले हमें अधिक साहस दिखलाना चाहिये, उसके आत्मत्यागके मुकाबिले हमें अधिक त्याग करना चाहिये, उसके संगठनके मुकाबिले हमें अधिक संगठित होना चाहिये। उसके हाथमें हिसा और मारकाटकी जो शक्ति है उसका मुकाबिला नहीं किया जा सकता। पर उसका मुकाबिला हम पूर्ण अहिंसासे कर सकते हैं। यदि हमलोग इस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके

लिये तैयार नहीं हैं तो हमें वर्तमान दासताकी अवस्थामें रहकर ही सन्तोष करना चाहिये। असहयोग आन्दोलनने राष्ट्रके सामने यह अपसर उरस्थित कर दिया है कि राष्ट्रीय मर्यादाको धोतित करनेके लिये वह उन सभी आवश्यक गुणोंको प्रदर्शित करे।

अभिमन्त्र

(जून, १, १९२१)

अली भाइयोंकी क्षमा प्रार्थनाको दुर्बलताका कारण बतलाकर कितने ही समाचारपत्रवालोंने जेल जीवनको कठिनाइयों और असुविधाओंसे बचनेके लिये यः सलाह दी है, कि सरकारको उचित है कि राजनैतिक अपराधके कारण जितने लोग गिरफ्तार हैं तथा सजा भोग रहे हैं उनसे इसी तरहकी प्रतिज्ञा कराके सबको छोड़ दे। कोई भी असहयोगी जिसे अपने आदर्श या प्रतका अभिमान हैं, वह इस तरहका कोई बचन देकर अपनी मुक्ति नहीं करावेगा। जहातक मुझे विदित है प्रत्येक असहयोगी अभियुक्तने अपने अभिप्रायका इस बातपर विरोध किया है कि उसने ऐसी कभी प्रेरणा नहीं की थी। यदि अली भाइयोंपर अभियोग चलाया भी गया होता तोभी वे इस खुलासा तथा क्षमा प्रार्थनाको प्रकाशित करते। पर इससे उनके

जेल जानेमें किसी तरहकी रुकावट नहीं पड़ती। इस तरहकी सलाह देनेवालोंको स्मरण रखना चाहिये कि बहुतसे असहयोगी केवल इसलिये जेल गये हैं कि उन्होंने नेरुचलनोका जमानत देना असोकार किया तथा क़िनने अपराहें फैलानेके अपराधमें जेल गये। प्रत्येक असहयोगीका यह धर्म है कि वह वर्तमान शासनप्रणालीके प्रति प्रत्येक जनताके हृदयमें अप्राप्तिका माघ भर दे, देशको सचिनय अचज्ञाके लिये तैयार करे और जिस तरहकी जमानतकी ऊपर चर्चा की गई है उसे देनेसे इनकार करे। बलो भाइयोनि इस तरहका कोई वचन नहीं दिया है कि वे वर्तमान शासन प्रणालीके प्रति अप्राप्ति नहीं फैलावेंगे अथवा जनताको सचिनय अचज्ञाके लिये तैयार नहीं करेगे। इसलिये यदि सरकार केवल उच्छेजना फैलानेके अपराधमें दण्ड देना चाहती है तो आजतक जितने लोग पकड़े गये हैं तथा जेलोंमें सड़ रहे हैं उन्हें बिना किसी शर्तके तुरन्त छोड़ देना चाहिये। पर असहयोगियोंको इस बातसे सदा उदासीन रहना चाहिये। उनमेंसे अधिकाशको जेल जीवन ही अपना साधारण जीवन बना लेना चाहिये। उन लोगोंका नाम सुनकर मुझे अतिशय प्रसन्नता होती है जो किसी तरहकी जमानत न देकर जेल जाना अधिक पसन्द करते हैं। जब वह हर तरहसे अपने विश्वासकी रक्षा करनेकी चेष्टा करते हैं तो असहयोगीका यह परम कर्त्तव्य है कि वह किसीको भी किसी तरहका वचन न दे।

फज्जाबूम दमन

(सितम्बर २६, १९२०)

लाहोरके जर्मोदार पत्रके मालिक और सम्पादक मिस्टर जाफरअली खापर अभियोग चल रहा है। फदाचित इस लेखके छपते छपते उनके मुकदमेका फैसला भी हो जाय। पाठक उनके मुकदमेकी पडताल करके उनपर जो अभियोग लगाया गया है उसे देखे गे। राजनैतिक दृष्टिसे भी इस अभियोगपर विचार करनेकी आवश्यकता है। सम्प्रति विचार करनेका अधिकार सोलहो आना जजोंके हाथमें है। उनपर दोष लगाया गया है कि उन्होंने ऐसे उद्धार निकाले हैं जिनसे सम्भावना है कि राजा और प्रजामें तथा भिन्न-भिन्न प्रजामें परस्पर वैमनस्य उपस्थित हो जाय और अप्रीति फैले।

मिस्टर जाफरअलीके खिलाफ अदालतमें जो बयान पेश किया गया है यदि वह बनावटी है और वास्तवमें सच नहीं है तो उनका अपराध प्रमाणित नहीं होता है, क्योंकि सच्ची बातको दोहराना या किसीके सामने कहना किसी भी कानूनके अनुसार अप्रीति फैलाना नहीं कहा जा सकता और न इससे वैमनस्य ही बढ सकता है। यदि कोई जनरल डायरका क्रूरता और नृशंसताकी चर्चा करता है, मिस्टर लायड जार्जके विश्वास-

घातकी बातें कहता है, बड़े लाटकी घातोंको दोहराता है अथवा मिस्टर माण्टेगूकी उन बातोंकी चर्चा करता है, जो उन्होंने सर माइकेल ओडायरकी प्रशंसामें कही थीं, तो वह स्वाधारण सब बातोंके ताजा करानेके और कुञ्ज नहीं करता और उसपर उस सरकारके प्रति अप्रीति फैलानेका दोषारोपण किसी भी अवस्थामें नहीं किया जा सकता जो सरकार अत्याचरोंके पचा जानेकी दोषी है और प्रतिज्ञा भङ्गका अपराधी है। ऐसी अवस्थामें यदि मन्त्र कहना भी दोष है तो इस तरहकी अप्रीति फैलाना अपना परम कर्तव्य समझना चाहिये। इसी तरह यदि सब कहेंसे राजा और प्रजामें परस्पर वैमनस्य फैलता है तो यदि सत्यकी हत्या नहीं करनी है तो यह घातरा भी उठाना पड़ेगा। पर, वास्तविक बात तो यह है कि वास्तविक बातोंको छिपाना—जिससे हानि होती हो, अपमान होता हो—मैत्री या प्रीति कभी भी नहीं बढा सकता, बल्कि इससे तो दुश्मनी दिनरर दिन गाढी होती जायगी।

मिस्टर जाफरअलीके अभियोगमें दो दोषारोपण ऐसे हैं जिनका समर्थन किसी भी गवाहने नहीं किया है। पहली बात मक़में आग लगाये जानेकी है। यह घटना कभी भी नहीं हुई और इस कथनका भी कोई प्रमाण नहीं है कि बगदादमें कुमारी, कन्याओंका, सतीत्व नष्ट किया गया। मैं नहीं कह सकता कि इन दो बातोंको मिस्टर जाफरअली पाने लिखा था या नहीं। यदि वास्तवमें उन्होंने ये बातें लिखी थीं

फजावमें दमन

(सितम्बर २६, १९२०)

लाहोरके जमींदार पत्रके मालिक और सम्पादक मिस्टर जाफरअली खापर अभियोग चल रहा है। कदाचित इस लेखके छपते छपते उनके मुकदमेका फैसला भी हो जाय। याठक उनके मुकदमेकी पडताल करके उनपर जो अभियोग लगाया गया है उसे देखे गे। --राजनैतिक दृष्टिसे भी इस अभियोगपर विचार करनेकी आवश्यकता है। सम्प्रति विचार करनेका अधिकार सोलहो आना जजोंके हाथमें है। उनपर दोष लगाया गया हे कि उन्होंने ऐसे उद्धार निकाले हैं जिनसे सम्भावना है कि राजा और प्रजामें तथा भिन्न-भिन्न प्रजामें परस्पर वैमनस्य उपस्थित हो जाय और अप्रीति फैले।

मिस्टर जाफरअलीके खिलाफ अदालतमें जो बयान पेश किया गया है यदि वह बनावटी है और वास्तवमें सच नहीं है तो उनका अपराध प्रमाणित नहीं होता है, फ्योंकि सच्ची घातको दोहराना या किसीके सामने कहना किसी भी कानूनके अनुसार अप्रतीति फैलाना नहीं कहा जा सकता और न इससे वैमनस्य ही बढ़ सकता है। यदि कोई जेनरल डायरका क्रूरता और नृशसताकी चर्चा करता है, मिस्टर लायड जार्जके विश्वास-

घातकी घाते कहता है, बड़े लाटकी घातोंको दोहराता है अथवा मिस्टर माण्टेगूकी उन घातोंकी चर्चा करता है, जो उन्होंने सर माइकेल ओडायरकी प्रशंसामें कही थीं, तो यह स्नाधारण सत्र घातोंके ताजा करानेके और फुड नहीं करता और उसपर उस सरकारके प्रति अप्रीति फैलानेका दोषारोपण किसी भी अवस्थामें नहीं किया जा सकता जो सरकार अत्याचरोंके पचा जानेकी दोषी है और प्रतिज्ञा भङ्गका अपराधी है। ऐसी अवस्थामें यदि सच कहना भी दोष है तो इस तरहकी अप्रीति फैलाना अपना परम कर्तव्य समझना चाहिये। इसी तरह यदि सच कहनेसे राजा और प्रजामें परस्पर वैमनस्य फैलता है तो, यदि सत्यकी हत्या नहीं करनी है तो यह खतरा भी उठाना पड़ेगा। पर, वास्तविक बात तो यह है कि वास्तविक घातोंको छिपाना—जिससे हानि होती हो, अपमान होता हो—सैत्री या प्रीति कभी भी नहीं बढ़ा सकता, बल्कि इससे तो दुश्मनी दिनपर दिन गाढी होती जायगी।

मिस्टर जाफरअलीके अभियोगमें दो दोषारोपण ऐसे हैं जिनका समर्थन किसी भी गवाहने नहीं किया है। पहली बात मक़्केमें आग लगाये जानेकी है। यह घटना कभी भी नहीं हुई और इस कथनका भी कोई प्रमाण नहीं है कि यगदादमें कुमारी कन्याओंका सतीत्व नष्ट किया गया। मैं नहीं कह सकता कि इन दो घातोंको मिस्टर जाफरअली खाने लिखा था या नहीं। यदि वास्तवमें उन्होंने ये घातें लिखी थीं

तो बडे दुखी बात है। सर्वसाधारणको तथा विशेषकर खिलाफत आन्दोलनके विधायकोंको इस बातपर सदा ध्यान रखना चाहिये कि वे किसी भी अवस्थामें किसी साधारण बातको व्यर्थ गढाकर नहीं लिखते या उसपर तूल नहीं देते। सच बात तो यह है कि सच बातें बनावटी बातोंसे सदा जोरदार होती हैं। झूठी बातें कभी न कभी खुल अवश्य जाती हैं। इससे उस कामपर भी क्षति पहुचती है और कहनेवालेकी मर्यादा भी क्षीण हो जाती है। जो बातें प्रमाणित हो गई हैं उन्हींके आधारपर सरकारपर भी अभियोग लगाया जाय वही काफी प्रबल हो सकता है। और यदि कार्यकर्ताओंके ऊपर किसी भी प्रकार बनावटीपनका दोषारोपण नहीं किया जा सकेगा तो सार्वजनिक आन्दोलनोंको बहुत लाभ होगा।

पर जिन अभियोगको मिस्टर जाफरअली खाको स्वीकार कर लेना चाहिये—और मुझे आशा है कि उसे वे अवश्य स्वीकार कर लेंगे—और जो सरकारके अनुसार बडे ही भीषण अपराध हैं, पर उन अपराधोंका दोषी मैं भी मिस्टर जाफर अली खाकी भाति हूँ। उदाहरणार्थ युवराजके स्वागतके लिये उन्होंने जो शर्तें पेश की हैं अथवा जिन शर्तोंका कहना उनके खिलाफ पेश किये गये हैं वे ही मेरे भी हैं। मैं भी उन्हीं शर्तोंपर ही युवराजका स्वागत कर सकता हूँ। यह भी कहना कितना सच है कि यदि वे शर्तें पूरी न कर दी गईं तो इस साम्राज्यका पतन अवश्यम्भावी है।

आज तक सरकारने असहयोगियोंके उन भाषणोंपर ध्यान ही दिया था जो उन्होंने इसविषयमें किया था अथवा जिनमें उस तरहको मार्गें थीं जो मिस्टर जाफर अली खापर यतौर अमिरीयोंके लगाये गये हैं। इससे मुझे पूरी आशा हो गयी थी कि सरकार यह उचित ही कर रही है कि जब तक इनसे किसी तरहकी उत्तेजना और शान्ति भङ्ग होनेकी सम्भावना नहीं आती तब तक किसी तरहका हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। सोचने लग गया था कि सरकार महज बोलनेके लिये तथा अपनी उचित मार्गोंको दोहरानेके लिये किसीको केवल भाषाकी कड़ाईके लिये तब तक दण्ड देना नहीं चाहेगी जब तक किसी तरहसे उनके भाषणोंसे शान्ति भङ्ग होने अथवा उत्तेजना पैलानेकी सम्भावना न हो।

पर अब मालूम होता है कि सरकार अपनी नीतिको बदलनेकी चिन्ता कर रही है। शायद मिस्टर जाफर अली खाके भाषणने इसकी आवश्यकता बतला दी है। जिन जिलोंसे झड़कटोंकी अधिक सख्या मिलती थी उन्हीं जिलोंमें उन्होंने झड़कटोंमें भर्ती होनेके खिलाफ अथवा रोकनेके लिये भाषण दिया। पर यदि उस तरहका उपदेश देना गलत या गैरकानूनी है तब तो कांग्रेसपर भी अभियोग चलाना चाहिये क्योंकि वह भी उसी दोषका अपराधी है। पर जिस पेशेसे हम देखते हैं कि हमारे धर्म और मर्यादापर क्षति पहुचती है उस पेशेको प्रहण करनेसे अपनेको रोकना हमारा परम धर्म है।

सियासतके हवीय शाहकी भी जमानत जस्त कर लो गई । मैं समझता हूँ इस जवनीका भी वही कारण है । ज्यों ज्यों असहयोग आन्दोलन अपना प्रभाव धड़ाता जायगा और इसका प्रभाव ज्यों ज्यों प्रत्यक्ष होता जायगा त्यों त्यों इस तरहके तीखे दमनके अस्त्रोंकी भी प्रबलता होती जायेगी । इससे यह स्पष्ट है कि इस आन्दोलनकी सफलता इसी बातपर निर्भर है कि इस तरहके दमन चक्रमें अपने नेताओंको पीसे जाते देखकर तथा समाचार पत्रोंकी स्वतन्त्रता अपहरण होते देखकर भी हम कदम पीछे न हटावे, अपनी पूर्व गतिके साथे आगे बढ़ते जायं । इस तरहके दमनसे हमें और अधिक जोर पकड़ना चाहिये और अन्य कामोंको भी तेजीसे चलाना चाहिये । हमारी मागोंको एक नहीं सैकड़ों और हजारों आदमियोंको दोहराना चाहिये और दोहराते रहना चाहिये । यदि अस चारोंकी स्वतन्त्रता हर ली जाती है और समाचारपत्र चलाने वालोंका हाथ पैर बध जाता है तो उन्हें इसको विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिये । उन्हें द्वार द्वारा घूम घूमकर प्रचारका काम करना चाहिये । हाथोंसे लिख लिखकर परचे बाटना चाहिये । इस तरह हाथसे लिखकर तथा स्वयंसेवकोंद्वारा उनकी नकल और लिथो करवाकर बाटनेसे प्रचारमें जो लाभ होगा वह समाचारपत्रोंद्वारा नहीं हो सकता । इस तरहसे यदि हमारा आन्दोलन अपना पूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता गया तो एक दिन वह आवेगा जब देशमें पूर्ण शान्तिके रहते भी

हमें जोलोंमें जानेके लिये, कालेपानीकी छा जानेके लिये तथा इससे भी खराबके लिये तैयार रहना होगा। यदि इस तरहके दमन शस्त्रोंका नामना करनेपर भी असहयोग आन्दोलन जीवित निकल आया तो इसकी प्रतिष्ठा जम जायगी और विजय हमलोगोंके सामने आ जायगी। फर्क इससे यह बात प्रमाणित नहीं हो जायगी कि जो सरकार जनताकी उचित मागोंको दबाकर रखना चाहती है तथा सच्ची बातको भी प्रगट करनेसे रोकती है, चाहे वे सरकारके हुकमें कितनी भी हानिकार या अहचिकर क्यों न हों तो उसके साथ असहयोग करना नितान्त आवश्यक है।

केवल हमें अधीर नहीं हो जाना चाहिये। मिस्टर-जाफर अली खाके सम्बन्धमें कतिपय बातें ऐसी कही गई हैं जिनसे उनकी असीरता प्रमाणित होती है। उदाहरणार्थ कहा गया है कि उन्होंने अपने भाषणमें कहा था कि—“मैंने सुना है कि बगदादमें एक पिता और पुत्र दोनों अंग्रेजी सेनामें तुर्कोंके खिलाफ लड़ रहे थे। युद्धमें लड़का मारा गया। पिता पुत्रकी शव लेकर बगदाद शहरको लौट रहा था। रास्तेमें उस मृत पुत्रका मुह सूअरके बच्चेकासा हो गया। इस तरहकी बातोंसे अन्ध विश्वास बढ़ानेका प्रयास किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मिस्टर-जाफरअली खाने इस तरह जनताके अन्ध विश्वासको बढ़ानेकी प्रेरणा कभी न की होगी। खिलाफत आन्दोलन पूरा धार्मिक अन्दोलन है।” झूठ धनाचटीपन मनसा

अथवा कर्मणा हिंसा तथा अन्ध-विश्वास, आदिसे इसे बचाकर रखना ही उचित होगा। खिलाफत आन्दोलन सच्चा आन्दोलन है और जिस सचको प्रगट करनेके लिये आत्मत्याग और साहसका सहारा लिया गया है उसको असफल होते तो कभी देखा ही नहीं गया।

कैदियोंके साथ व्यवहार

(नवम्बर ३, १९२०)

पंजाब सरकारने सूचना निकाली है कि लाहोरके किसी सार्वजनिक सभामें एक वक्ताने भाषण करते हुए यह कहा था कि मिस्टर जाफरअली खानके पुत्रने यह सवाद भेजा है कि यद्यपि मेरे पिताके मरुदमेका अभी तक विचार नहीं हो चुका है तथापि उनके साथ साधारण कैदियोंका सा व्यवहार किया जाता है अर्थात् उन्हें एक कोठरीमें बन्द कर दिया गया है और साधारण कैदियोंका भोजन उन्हें दिया जाता है। पर यह बात विलकुल गलत है। पंजाब सरकारने उस वक्ताका नाम नहीं प्रगट किया है। सर्वसाधारणको मैं यह बतला देना चाहता हू कि मैं ही वह बोलने वाला था और मैंने ही वह बातें कही थीं जिनका अब पंजाब सरकारने विरोध किया है। मैंने पूरी सावधानीके साथ सब बातें कही थीं। यह बतलाते हुए कि यह

समाचार मुझे कहासे मिला, मैंने कहा था कि यदि यह बात सच है तो मैं कह सकता हूँ कि जेलका व्यवहार नाजायज और अमानुषिक है। मुझे इस बातकी अतिशय प्रसन्नता है कि सरकारने तीनों बयानोंका पण्डन किया है। जिस पंजाब सरकारका इतना अपमान हो चुका है, जिसपरसे जनताका सारा विश्वास उठ गया है उस सरकारको, इस तरहकी एक घटनाको घनाकर मैं और अपमानित या अविश्वासी करना नहीं चाहता था। मुझे यह बात भली भाँति विदित है कि इस तरहकी माधारण गलत बातोंके प्रचारसे भी हमारे उद्देश्यपर धक्का लगेगा। साथ ही साथ सरकारी विरोधोंके प्रति मुझे सन्देहकी दृष्टिसे देखनेके लिये क्षमा मिलना चाहिये, क्योंकि पंजाबकी दुर्दशाके दिनोंमें इस तरहके विरोधोंका मुझे बुरा अनुभव हुआ है। इस तरहके विरोधोंका अधिक भाग झूठी बातोंसे भरा था। इसलिये पाठकोंसे मेरा निवेदन है कि जबतक स्वयं, मिस्टर जाफरअलीके पुत्र इस विषयपर कुछ न कह लें आप लोग अपना मत न प्रगट करें। उन्होंने बड़ी सावधानोंके साथ ये बातें मुझसे कही थीं और मुझे इसकी सच्चाईमें किसी तरहका सन्देह नहीं प्रगट होता फिर भी मैं उनसे पूछताछ कर रहा हूँ।

मिस्टर जाफरअली खाको ५ वर्षका निर्वासन तथा १०००) रु० जुर्मानेका दण्ड हुआ है। इस दण्डाज्ञाके लिये मैं मिस्टर जाफरअली खाको हार्दिक बधाई देता हूँ। जनताको यह स्मरण रखना चाहिये कि उन्हें यह दण्ड केवल इस अपराधपर

दिया गया है कि उन्होंने कुछ राय कायम कर ली थी। मैंने इन बातोंकी पूर्ण आलोचना पहले ही कर दी है। इस तरह आज सरकारने दमनका श्रीगणेश किया है। गैरकानूनी सभा कानून भी जारी कर दिया है। यदि कानेको काना कहना बुरी बात है तो जोरदार भाषण भी बुरा ही समझ लेना चाहिये। ऐसी दशामें जो सरकार अपने किये पर पश्चात्ताप प्रगट करना नहीं चाहती उससे पूर्ण स्वतन्त्रता लाभ करनेकी चेष्टा भी बुरी ही है।

पर केवल इस तरहके दमनसे हमें नहीं घबरा जाना चाहिये। इस तरहके दमनसे हमें साहस बढ़ाना चाहिये और उस दासताके जूपको—जो हमें आजन्म दवाकर तथा पद-दलित बनाकर रखना चाहता है—सदाके लिये तोड़कर फेंक देनेका दृढ सकटप कर लेना चाहिये। पर हमें खुली या छिपी तौरसे प्रतिहिंसाका यत्न नहीं करना चाहिये। जितने कठे भी दमन क्यों न हों हमें सहिष्णुताके साथ बरदाश्त करना चाहिये और उससे हमें और भी दृढ होकर इस सरकारका अन्त कर देने अथवा इससे असहयोग करनेके लिये तैयार हो जाना चाहिये। सफलताके लिये सबसे आवश्यक बात यही है कि किसी भी अवस्थामें हमें दमनसे घबराकर विचलित नहीं हो जाना चाहिये और अपना माथा नहीं खराब करना चाहिये। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति पकड़ा जाता है और हम लोग हड़ताल कर देते हैं तो इससे हम अपनी दुर्बलता प्रगट करते हैं कि हम

जेलखानोंमें जानेसे डरते हैं। पर मेरी समझमें यदि स्वतन्त्रता देवीके मन्दिरमें प्रवेश करनेका कोई द्वार है तो वह सरकारका जेलखाना है। और जब कोई राजनैतिक अपराधी केवल इस लिये दण्ड पाता है कि उसने अपना निश्चित मत प्रगट किया है, तो हमें दुःख न प्रगटकर प्रसन्न होना चाहिये। राजनैतिक कैदियोंसे जेलखानोंको भरनाही उन्हें मुक्त करनेका सबसे सहल मार्ग है और जेलखानोंको भरनेका सबसे सहल उपाय यही है कि अनवरत परिश्रमसे हम असहयोग आन्दोलनका प्रचार करते जाय तथा ब्रिटिश साम्राज्यके अन्दर या बाहर पूर्ण स्वार्थी नताकी माग स्पष्ट शब्दोंमें बिना किसी विघ्न बाधाके उपस्थित करते जाय। पर इस तरह मत प्रकाश करनेके लिये दमन जारी करनेमें केवल पञ्जाब सरकारने ही अपना हाथ नहीं बढ़ाया है। सयुक्त प्रान्तकी सरकार भी उससे उदासीन नहीं है। मौलाना जाफर उल मुल्कको दो वर्षकी सजा और ७००) २० जुर्माना किया गया है। और यदि जुर्माना न दे सके तो ६ मास और दण्ड भोगना पड़ेगा। और भी अनेक गिरफ्तारियोंकी समाप्ति चना है। इसके साथ ही साथ यह बात भी धीरे धीरे उठने लगी है कि मेरी कार्रवाइयोंमें भी हस्तक्षेप होना चाहिये। मुझ स्वतन्त्र छोड़ देना उचित नहीं। मेरी कार्रवाइयोंका फल यह होना चाहिये कि अल्प समयमें भारतको स्वराज्य मिल जाना चाहिये। पर यदि स्वराज्य नहीं मिला तो जनता मेरी बातोंके सुनने तथा उनपर आचरण करनेसे अवश्य रोक दी जायगी। जब

सरकार यह समझती है कि मेरे आचरणसे किसी तरहकी क्षति पहुचनेकी सम्भावना है तो वह मेरी स्वतन्त्रताका अपहरण कर सकती है। इस बातका उसे पूरा अधिकार है। पर सरकारको भी यही उचित है कि वह मुझे उचित दण्ड दे, मेरे साथ काम करने वालोंको क्यो व्यर्थ तग करती है, क्योंकि प्रधान अपराधी तो मैं हूँ। वह मेरी कार्रवाई तथा मेरे साथियोंकी कार्रवाईमें कोई भेद नहीं निकाल सकती। हम लोग केवल किसी निर्दिष्ट तत्वका प्रचार करते हैं जो सदा चलता रहनेपर भी किसी तरहसे शान्ति नहीं भंग कर सकता। केवल अत्याचारी सरकार इस तरहकी शान्तिमय कार्यवाहियोंको रोकनेकी चेष्टा करेगी। इसलिये जबतक यह सरकार पजाबके अत्याचारोंके प्रतीकार तथा खिलाफतके साथ अन्याय करनेसे हाथ मोडती रहेगी तबतक वह दमनका शस्त्र भी प्रबल वेगसे चलावेगी क्योंकि जब अत्याचारीके मार्गमें किसी तरहकी बाधा उपस्थित की जाती है तो उस बाधाको हटानेका उसके पास एक मात्र यही शस्त्र रह जाता है।

इसी प्रसंगपर दिसम्बर १, १९२०के यंग इण्डियामें महात्माजीने लिखा था —

मैंने पाठकोको बचन दिया था कि मैं मौलाना जाफर अली खाके पुत्रसे इस बातकी पूछताछ करूँगा कि अपने पिताके साथ जेलमें किये गये व्यवहारके बारेमें उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा

था वह सच था-या नहीं, क्योंकि सरकारी सूचना द्वारा इसका विरोध किया गया है। -उन्होंने मेरे पास लिखा है कि मैं सरकारी सूचनाको झूठा बतलानेमें जरा भी भय नहीं खाता। जो कुछ मैंने अपने पिताके चारेमें लिखा था वह पूर्णतया सच था। वे काल कोठरोमें बन्द कर दिये गये थे और उन्हें बाहरसे खाना नहीं मिल सकता था यद्यपि उनके अभियोगका फैसला नहीं हो गया था। लाहोरकी समामे जत्र उनके साथ इस व्यवहारका सार्वजनिक घोषणा की गई उसके बादसे उन्हें अच्छा स्थान मिला है और उन्हें बाहरसे भोजन भी मिल सकता है। पर इससे सरकारका पक्ष दृढ नहीं होता। इससे तो उसकी और दुर्बलता प्रमाणित होती है। जब उनके दुराचरणकी निन्दा की गई तो उन्होंने उसे सुधारा, इससे तो उनके दुर्वुद्धिका ही प्रमाण मिलता है। वे जानते थे कि जो कुछ वे कर रहे हैं अनुचित है। पर उन्हें आशा थी कि विचाराधीन कैदीके साथ उनका यह दुर्ब्यवहार अलक्षित रह जायगा। एक बात और हो सकती है, इस तरहकी बातें उदार आदमी ही सोच सकता है। सम्भव है ऊँचे अधिकारियोंको इस तरहके अनुचित व्यवहारका पता न हो और छोटे छोटे कर्मचारी ही इस तरहके आचरणके दोषी हों। पर यदि यह बात सत्य है तो इससे भी यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान शासन प्रणाली पूर्णतया चरित्रहीन हो गई है। मुझे आशा है कि सरकार इस घटनाका पूरी तरह जाच-करावेगी। अनुचित प्रकारसे मैं उस पर किसी

तरहका आक्षेप या दोषारोपण नहीं करना चाहता। पर जब तक सरकार इस मामलेपर पूर्ण प्रकाश नहीं डालती तब तक जनताको उन बातोंमें विश्वास करना उचित होगा जिनका समर्थन मौलाना जाफर अलीके पुत्रने किया है।

फ़रिश्ताफ़का फ़रिश्ताफ़

(जुलाई ८, १९२१)

मद्रासके 'मिस्टर याक़ुब हसनने मेरे पास निम्नलिखित श्यनीय पत्र लिखा है—

“मेरी समझमें अब आ रहा है कि क्षणिक दुर्बलताके कारण मैंने अदिवेकपूर्ण काम कर डाला है। जबसे मुझे अपनी मूलका पता लग गया है तबसे मेरी आत्माको इतना भीषण सन्ताप हो रहा है कि मुझे सन्देह हो गया है कि कहीं मैं वागल न हो जाऊँ। आप इस आन्दोलनके कर्णधार हैं इसलिये मैं आपके सामने अपनेको अपराधी समझता हूँ। इसलिये मैं अतिदीन और विनम्र शब्दोंमें आपसे क्षमा प्रार्थना करना हूँ। आप मेरे नेता और पथ प्रदर्शक हैं। आपको अधिकार है कि आप मुझे उचित दण्ड तथा निर्मत्सना दें। पर साथ ही मुझे यह भी आशा है कि आप मुझपर अस्तीम अनुग्रह कर मेरे अपराधको क्षमा कर देंगे। जिस ब्रतेको मैंने

उठाया था, जिसका पालन करनेकी मैंने प्रतिज्ञा की थी उसका यदि मैंने अपने इस आचरणसे अपकार किया है और इस तरह ईश्वरके सामने अपराधी हूँ तो मैं उसकी कृपा प्राप्त करनेके लिये बिना किसी परितापके कठोरसे कठोर दण्ड भी सहनेके लिये तैयार हूँ।”

० इस पत्रमें हृदयके सच्चे भाव अङ्कित हैं। इससे इसपर टीका करना व्यर्थ है। मैंने मिस्टर याकूब हसनको लिखा दिया है कि क्षमाप्रदान मेरा काम नहीं है। कौन कह सकता है कि आपत्तियोंसे घिर जानेपर मैं भी उन्हींकी तरह दुर्बल नहीं प्रमाणित होऊँगा। सबको क्षमाप्रदान करनेवाला एकमात्र ईश्वर है, क्योंकि वही हमलोगोंको भलीभाँति जानता है, उससे हमारा कोई परदा नहीं है। उसके चचन हम सबको याद हैं, स्थान स्थानपर उसने कहा है कि जब मनुष्य अपने पाप कर्मको समझ जाता है और उसके लिये हृदयसे पश्चात्ताप प्रगट करता है तो हम उसे क्षमा कर देते हैं। हमलोग स्वयं दुर्बल हैं। इसलिये हमें उचित नहीं है कि हमलोग उस भाईकी ओर अगुली उठावें जिसने हमारे सामने अपनी दुर्बलता प्रगट की है।

पर मिस्टर याकूब हसनकी अवस्थासे हमें सबको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। यद्यपि विजय सामने खड़ी मुस्करा रही है पर उसका धागमन उत्तापपूर्ण होगा। उस समय यदि हम उस उत्तापको बरदाश्त नहीं कर सके तो सब बेकार हो

जायगा। हम लोगों को यह बात भली भाँति समझ लेनी चाहिये कि यह सरकार हमें भली भाँति तज्ञ कर लेगी, हर तरहसे नचालेगी तब कहीं जनताके सामने अपना सिर झुकावेगी या झुकानेके लिये तैयार होगी। हमें लापोंकी संख्यामें भारतीय जेलोंको भरनेके लिये तैयार रहना चाहिये। यदि जेलमें हैजाका प्रकोप हो जाय तोभी हमें चिन्तित नहीं हो जाना चाहिये। दासताकी जो बीमारी हम लोगोंको मता रही है और जिसके वशीभूत होकर हम अपनी सत्ताको खोते जा रहे हैं, उससे यह हैजाका प्रकोप कहीं साधारण और सहनीय है। शेखवानीके अभियोगका जो नाटक खेला गया है उसको रिपोर्ट यदि सच है तो मैं यही कहूँगा कि शेखवानी विना किसी अपराधके जेल भेज दिये गये। संयुक्तप्रान्तमें प्रतिदिन कोई न कोई विना किसी अपराधके जेल भेजा जा रहा है। अभी आध्र देशसे तार आया है कि गन्तूर जिलेके दो असहयोगी कार्यकर्ता विना किसी अपराधके जेल भेज दिये गये। उनमेंसे एक बैरिस्टर हैं। इस तारमें मिस्टर वेड्डेटपैय्याने लिखा है कि जहातक आशा की जाती है दमनका दौरा जोरोंमें होगा। पर जल्दी या ढेरमें इस तरहका दमन अवश्य चलाया जायगा। यदि हम लोग विना किसी धवराहटके इस आचको बरदाश्त करते गये तो स्वराज्य इस वर्षमें अवश्य मिल जायगा। पर हम लोगोंके मार्गमें केवल दुर्बलताका ही भय नहीं है। एक भय और भी है। उच्छेजना तथा उपहासके कारण जनता कहीं आत्म-

न छोड़ दे, उसका दिमाग न पराज हो जाय, या बापसे न हो जाय। 'यह भय यातना सहनेकी अयोग्यता अन्निच्छासे कहीं भीषण है। इसलिये प्रत्येक कार्यकर्ताके यह देखना अति आवश्यक है कि वह अपनी जानकी संकटमें तर भो हिमा और उत्तेजना की प्रवृत्तिको रोकती है।

इस समय जो दमन चलाया गया है उसका भारत सबसे उ उत्तर यही दे सकता है कि हव विदेशी वख्रोंका पूर्णतया कार कर दे चाहे इसके लिये हमें कितनो भी आर्थिक क्यों न उठानो पडे। यदि हमलोगोंमें दृढता और तत्परता हमलोग तीन मासकी अवधिमें अपनी आवश्यकताके पर्याप्त वख्र चरये और करघे द्वारा तैयार कर सकते हैं। हमलोगोंमें यह क्षमता है कि स्वराज्यकी प्राप्ति तक केवल व पाट्टीका प्रयोग करे' और उसीसे सन्तुष्ट रहें ?



यह कभी भी उचित नहीं है कि अभियोग चलाये जानेसे अपनी रक्षा करनेके लिये वह क्षमा प्रार्थना करे। हा, उसे इतना अवश्य करना चाहिये कि जिस समय उसका ध्यान ऐसी बातकी ओर आकृष्ट किया जाय, जिसे उसने कहा है या किया है तथा जिसके कारण किसी तरहको अहिंसा या अशान्तिके उठनेकी सम्भावना हो, तो उसे अपनी भूल उसी समय सुधार कर अपने आदर्शकी ओर अपनी तत्परता सावित करना चाहिये। यदि सरकार हृदयसे असहयोगियोंको तद्ग करना चाहती है और पूर्ण रूपसे शान्ति और अहिंसात्मक रहनेपर भी उनपर अभियोग चलाना चाहती है, क्योंकि उसे असहयोग आन्दोलन पसन्द नहीं है, तो वह उनपर केवल १२४ (ए) धाराके अनुसार अभियोग चला सकती है। इस अवष्टामें हम सबको दोष स्वीकार कर लेना चाहिये, क्योंकि यह प्रत्येक असहयोगीका धर्म है कि वह सरकारकी वर्तमान शासन प्रणालीके प्रति असन्तोष तथा अप्रति फंलावे। हमलोग इस सरकारको समूल नष्ट कर देनेके लिये ही तैयार हुए हैं और मुझे मालूम हुआ है कि १२४ (ए) धाराके शब्दोंके अनुसार यह काम राजविद्रोह है। यदि वर्तमान सरकारको नष्ट कर देना किसी भी धाराके अनुसार जायज है तो प्रत्येक असहयोगी कट्टर राजभक्त है।

अब उपहार नहीं

(अक्तूबर २०, १९२०)

ह तो स्वीकार ही किया जायगा कि असहयोग आन्दोलन उपहासका सामान नहीं रह गया। उस अवस्थाको वह कर गया। अब केवल यह देना है कि इसका दूसरा या होता है—दमन कि आदर। हमने लिखा है कि सभी एक प्रकारका सभ्य विरोध है। बड़े लाटका स, यद्यपि उसकी भाषा निहायत गन्दी थी, इसी विरोधमें ल था।

ए परीक्षाका समय आ गया है। सभ्य देशोंका तरीका है। अब उपहाससे कोई आन्दोलन नहीं द्यता तो उसकी प्रतिष्ठा लगती है। जो उसके विरोधी रहते हैं वही उसका न करने लगते हैं। और फिर दोनों दलोंका व्यवहार धात्मक नहीं होता।

उसके बाद प्रत्येक दल एक दूसरेको अपनी ओर मिलानेके अथवा अपने मतमें परिवर्तित करनेके लिये शुद्ध भाषा और विवादका प्रयोग करता है।

इसमें अब जरा भी सन्देह नहीं रह गया कि कौंसिलोंका कार यदि पूर्णरूपसे नहीं हुआ तोभी विस्तृत होगा।

छात्रोंमें असन्तोष उत्पन्न हो गया है। प्रधान प्रधान सखाये किसी भी दिन राष्ट्रीय हो सकती हैं। पण्डित मोतीलालजी नेहरूका वकालत छोड़ना साधारण बात नहीं है। केवलमात्र यही घटना असहयोगके उपहास उड़ानेवालोंका मुह बन्द कर देनेके लिये प्रयास है। अब विचारवान पुरुषोंको अपना मत स्वयं निश्चित कर लेना चाहिये। पण्डित मोतीलाल नेहरूने जो रूप धारण किया है वह प्रत्यक्ष बतलाता है कि वर्तमान सरकारके अन्दर कोई दोष आ गया है। वी० ए० के ऊपरकी कक्षाओंमें पढ़नेवाले छात्रोंने अपनी उपाधिया त्याग दी हैं, डाकूरीके विद्यार्थियोंने अपनी अन्तिम परीक्षामें सम्मिलित होना अस्वीकार कर दिया। ऐसी अवस्थामें असहयोग आन्दोलनको पागलपनकी बातें कहना उचित नहीं प्रतीत होता।

अब दो ही मार्ग हैं। या तो सरकार जनताकी बात मान ले और असहयोग आन्दोलनद्वारा जिन स्पष्ट शब्दोंमें वे अपनी मागोंको रख रही हैं उन्हें स्वीकार कर ले या दमनचक्र चलाकर उस आन्दोलनको बन्द कर दे।

किसी सरकार द्वारा किसी भी अवस्थामें प्रयुक्त प्रत्येक उपायको दमन नहीं कह सकते। मान लीजिये कि किसोने पुर्ली भाषामें हिंसात्मक उत्तेजना फैलानेवाला तथा शान्ति-भङ्ग करनेवाला भाषण दिया और सरकारने उसपर फौजदारी अदालतमें अभियोग चलाया तो उसे दमन नहीं कहा जा

सकता। प्रत्येक राष्ट्रको यह अधिकार है कि वह हिंसाके भावोंको जबरदस्ती दबावे। पर मौलवी जाफर अली खा तथा पानीपतके दो अन्य मौलवियोंके अभियोगसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार हिंसाको दबाने या रोकनेकी चेष्टा नहीं कर रही है, बल्कि वह मत प्रकाशनके अधिकारको भी छीन लेना चाहती है अथवा अप्रति फैलानेको भी रोकना चाहती है। यही दमन है। इन अभियुक्तोंपर मुकदमा चलाया जाना उस दमनका आरम्भमात्र है। उसने अभी भीषण रूप धारण नहीं किया है पर यदि इन अभियोगों और दण्डाज्ञाओंसे असहयोग आन्दोलनकी गति धीमी नहीं पड़ गई तो इसकी बहुत कुछ सभावना है कि सरकार घोर दमनसे काम लेगी।

इस बढ़ते असन्तोषको दबानेका दूसरा मार्ग यह है कि इसके कारणका निवारण किया जाय। पर इसका अभिप्राय यह है कि असहयोग आन्दोलनके प्रति लोगोंके हृदयोंमें जो श्रद्धा बढ़ती जा रही है उसका समर्थन किया जायगा। जो सरकार अधिकारके मट तथा विजयसे पागल हो गहो हें उससे परिताप अथवा नम्रताकी आशा करना व्यर्थ है।

इसलिये हमें यह बात मान लेनी चाहिये कि उपहासके बाद सरकारका दूसरा उपाय दमन होगा और वह इसका प्रयोग उतनेही तेजीके साथ करती जायगी जितनी तेजीके साथ असहयोग आन्दोलन बढ़ता जायगा। पर यदि भीषण दमनके बाद भी यह आन्दोलन न मरा बल्कि पूर्ववत् पड़ा रह गया

छात्रोंमें असन्तोष उत्पन्न हो गया है। प्रधान प्रधान सभाये किसी भी दिन राष्ट्रीय हो सकती हैं। पण्डित मोतीलालजी नेहरूका वकालत छोड़ना साधारण बात नहीं है। केवलमात्र यही घटना असहयोगके उपहास उड़ानेवालोका मुँह बन्द कर देनेके लिये प्रयास है। अब विचारवान पुष्टोको अपना मत स्वयं निश्चित कर लेना चाहिये। पण्डित मोतीलाल नेहरूने जो रूप धारण किया है वह प्रत्यक्ष बतलाता है कि वर्तमान सरकारके अन्दर कोई दोष आ गया है। बी० ए० के ऊपरकी कक्षाओंमें पढ़नेवाले छात्रोंने अपनी उपाधिया त्याग दी हैं, डाफ्टीके विद्यार्थियोंने अपनी अन्तिम परीक्षामें सम्मिलित होना अस्वीकार कर दिया। ऐसी अवस्थामें असहयोग आन्दोलनको पागलपनकी बातें कहना उचित नहीं प्रतीत होता।

अब दो ही मार्ग हैं। या तो सरकार जनताकी बात मान ले और असहयोग आन्दोलनद्वारा जिन स्पष्ट शब्दोंमें वे अपनी मांगोंको रख रही हैं उन्हें स्वीकार कर ले या दमनचक्र चलाकर उस आन्दोलनको बन्द कर दे।

किसी सरकार द्वारा किसी भी अवस्थामें प्रयुक्त प्रत्येक उपायको दमन नहीं कह सकते। मान लीजिये, कि किसीने पुली भाषामें हिंसात्मक उतेजना फैलानेवाला तथा शान्ति-भङ्ग करनेवाला भाषण दिया और सरकारने उसपर फौजदारी अदालतमें अभियोग चलाया तो उसे दमन नहीं कहा जा

बड़े लाटकी वक्तव्य

६

(मार्च ६, १९२१)

वायसरायने खिलाफत और असहयोगपर दो मुख्य घोषणाये की हैं। खिलाफतके सम्बन्धमें उन्होंने सरकारकी प्रवृत्तिका ठीक चित्र दे दिया है। वे समझते हैं कि मुसलमानोंके दानेको टिखाकर मैं उनके प्रति जवाबदेहीसे एकदम मुक्त हो गया। पर भारतीय कहते हैं कि जब इम्पीरियल गवर्नमेंटने मुसलमानोंके पैसे आवश्यक विषयमें भारतके टावेको नामजूर कर दिया तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये था। राष्ट्रसङ्घकी कौंसिलमें ब्रिटन असहाय था इस दलीलको कोई मंजूर नहीं कर सकता। सर्व साधारण यह भी स्मरण दिला सकते हैं कि जब सेवर्सकी सन्धिकी शर्तें प्रकाशित हुई थी तो प्रधान मन्त्रीने जो उनमें भाग लिया था वाइसरायने उनका पूरा समर्थन किया। तब यह कैसी बात है कि फिर आज वे मुसलमानोंके मामलेकी फिर भी यहस कर रहे हैं। यदि असहयोग नहीं होता तो क्या वे चैना करते ? और अब भी उन्हें क्या कहना है ? यदि अब भी दावा नामजूर किया जाता है और असहयोग जारी रखा जाना है तो वे समझते हैं कि इनका फल होगा अराजकता।

तो विजय' अपनी समझिये । इसलिये' हमें सदा मुकदमा चलाये जाने तथा जेल जाने और यदि आवश्यकता पडे तो कालेपानी तकके लिये तैयार रहना चाहिये । हमें इतनी योग्यता प्राप्त कर लेनी चाहिये कि बिना किसी नेता आदिके ही हमें अपने मार्गपर अवरुद्ध गतिके साथ चलते रहना चाहिये । इसीमें हमारी स्वायत्त शासनकी योग्यता प्रमाणित होगी । पर यह भी निश्चय है कि कोई भी सरकार समस्त राष्ट्रको जेलमें नहीं ठूस सकती । इसलिये' या तो उसे प्रजाकी मांगको स्वीकार करना पडेगा या राष्ट्रके लिये' हितकर अथवा उपयोगी शासनके पक्षमे हट जाना पडेगा ।

इसलिये' हमें हर तरहसे यही प्रतीत होता है कि यदि हम अपने ध्येयतक पहुचना चाहते हैं तो हमारे लिये दोही मार्ग खुले हैं, एक तो हमें हर तरहसे हिंसासे दूर रहना चाहिये और दूसरे हमें अपने कार्यक्रमको पूर्ण करनेके लिये अनवरत यत्न करते रहना चाहिये ।

सरकारके हाथमें दोनों वाते' हैं । चाहे वह इस आन्दोलनकी इज्जत और प्रतिष्ठा करे तथा अमानुषिक तथा असम्मानित उपायो द्वारा उसके दवानेका यत्न करे । और हमारे हाथमें भी दोनों वाते' हैं चाहे दमनके भयसे दब जायँ' और अपना कदम पीछे खींच ले' अथवा दमनकी परवा न करके अपने आन्दोलनको जारी रखें ।

बड़े लाटकी वक्तव्य

६

(मार्च ६, १९२१)

वायसरायने खिलाफत और असहयोगपर दो मुख्य घोषणाये की हैं। खिलाफतके सम्बन्धमें उन्होंने सरकारकी प्रवृत्तिका ठीक चित्र दे दिया है। वे समझते हैं कि मुसलमानोंके दावेको दिखाकर मैं उनके प्रति जवाबदेहीसे एकदम मुक्त हो गया। पर भारतीय कहते हैं कि जब इम्पोरियल गवर्नमेंटने मुसलमानोंके ऐसे आवश्यक विषयमें भारतके दावेको नामजूर कर दिया तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये था। राष्ट्रसङ्घकी कौंसिलमें ब्रिटन असहाय था इस टलीलको कोई मंजूर नहीं कर सकता। सर्व साधारण यह भी स्मरण दिला सकते हैं कि जय सेवर्सकी सन्धिकी शर्तें प्रकाशित हुई थी तो प्रधान मन्त्रीने जो उनमें भाग लिया था वाइसरायने उनका पूरा समर्थन किया। तब यह कैसी बात है कि फिर आज वे मुसलमानोंके मामलेकी फिर भी सहस्र कर रहे हैं। यदि असहयोग नहीं होता तो क्या वे वैसा करते ? और अब भी उन्हें क्या कहना है ? यदि अब भी दावा नामजूर किया जाता है और असहयोग जारी रखा जाना है तो वे समझते हैं कि इनका फल होगा अराजकता।

इसलिये वे धमकाते हैं कि सरकार सुव्यवस्था स्थापित करनेके लिये आगे बढ़ेगी। सुव्यवस्था स्थापनका क्या अर्थ है उसको हमलोग जानते हैं। बड़े लाट साहब यह बात भूल जाते हैं कि यदि भारतमें असजकता हो जायगी तो वह भारतके ३० करोड़ आदमियोंके प्रति ब्रिटिश और भारत सरकारके कर्तव्यच्युत होनेके कारण होगी।

भारतके मामलेकी चहस कर वायसराय ही सतुष्ट हो सकते हैं। जो आदमी भूखसे मर रहा है क्या वह केवल सहानुभूतिसे ही सन्तुष्ट हो जायगा जब वह इस बातको जानता है कि सहानुभूति दिखानेवाला केवल सहानुभूति दिखानेके अतिरिक्त और अधिक दे सकता है। जब भारत सरकार एक नीति शून्य उच्च शक्तिकी आज्ञापालनके कर्तव्यकी टलील करनी है उस (उच्च शक्तिके) विरुद्ध जो विचार प्रगट किये जायें उनमें उसको (भारत सरकारको) साथ देना चाहिये। विश्वास या मान भङ्ग करनेवाली आज्ञाका पालन करनेका कर्तव्य किसी नौकरपर नहीं है। सेवर्सकी सन्धि प्रतिज्ञा और सम्मानके साधारण नियमोंका भङ्ग है। जो आदमी भूखसे मरत हुए आदमीके साथ सहानुभूति दिखाता है उसको लोग समझते हैं कि वह उसके दुःखसे दुःखी होता है। यदि वह (भूखसे मरनेवाला) आदमी भूखकी मुसीबतके कारण पागल होनेका लक्षण दिखाने लगता है तो सहानुभूति दिखानेवाला आदमी

इसे गोली नहीं मार देता है। इसलिये यदि भारतमें थरा-जकना होगी तो इसका उत्तरदायित्व भारत सरकार तथा उन लोगोंपर रहेगा जो अत्याचार करनेपर भी उसका समर्थन करते हैं। इसका उत्तरदायित्व उन लोगोंपर कदापि नहीं रह सकता जो उनके अत्याचारका साथ नहीं देते और लोगोंको अत्याचार भूल जानेको कहनेका असम्भव काम अपने ऊपर नहीं उठाते।

सरकारको शैतान कहनेके कारण बड़े लाटकी आश्चर्य होता है। अपने सम्बन्धमें इस कथनका उपयोग करना उनका भूल है। किसीने किसी व्यक्ति विशेषको शैतान होनेका दोष लगाया है। उन्होंने अपने भारतीय साथियोंको भी उसी श्रेणीमें बड़ी घुसुरतासे लिया है। वह पेसी बात है जिससे किसी भी आदमीको प्रोखा हो सकता है। जिस पद्धतिके अनुसार वायसराय और उनके साथी, वह हिन्दुस्तानी तो चाहे युरोपियन, शासन करते हैं उसमें बोलपन, कपटता अजिबेक तथा कभी कभी अत्याचार करना और बड़े हृदयसे उससे स्वीकार करना आदि शैतानके सभी गुण वर्तमान हैं। बड़े लाटकी यह विश्वास रखना चाहिये कि असहयोगमें कुछ भी पक्षपात नहीं है असहयोगवादियोंके दुर्लभ अंग्रेजोंके लिये सम्मानका बराबर एक स्थान रहता है। बुरी सरकारके अपराधमें जो सहयोगवादी शामिल होगा उसको झालोचना किये बिना नहीं छोड़ा जायगा। बड़े लाट असहयोगके आ-

न्दोलनका सामना करना चाहते हैं। उन्हें इस बातसे खूब आनन्दित होना चाहिये कि उपाधियारियों और विद्यार्थियोंने बहुत ही कम योग इसमें दिया है और नयी कॉसिलोंमें प्रेस्यरीका काम करनेके लिये काफी भारतीय मिल गये हैं। असहयोगवादी इस बातको स्वीकार करते हैं कि अतिक सभ्यामें लोगोंको इस आन्दोलनमें योग देना चाहिये पर उन्हें इस बातसे बहुत प्रसन्नता होती है कि उपाधियों, स्कूलों और अदालतोंका अब लोग कोई मूल्य नहीं समझते हैं। वे सभ्यमें पहलेकी नाई अब ऐसी नहीं रह गयी जिनकी लोग पूजा करें। असहयोगियोंको यह देखकर सन्तोष है कि वकालत करनेवाले वकील और उपाधिधारी लोक प्रिय नेता नहीं हो सकते। वे जानते हैं कि जिन लोगोंने वकालत, उपाधि और स्कूल नहीं छोड़े हैं हृदयसे असहयोग वादी हैं और अपनी कमजोरीको स्वीकार करते हैं।

वायसरायको उनके सलाहकारोंने यह विश्वास देकर उन्हें गुमराह कर दिया है कि असहयोगवादियोंने अब अपना ध्यान जनताकी ओर आकर्षित किया है। हमारा प्रधान अवलम्बन वही है। पर उसके साथ हम छेड़ छाड़ नहीं करना चाहते हैं। हमलोग धैर्यपूर्वक उन्हें राजनीतिक शिक्षा देना तबतक जारी रखना चाहते हैं जबतक वे सुरक्षित कार्यके योग्य हो लें। हमलोगोंके उद्देश्यके विषयमें किसीको भ्रम नहीं रहना चाहिये। जब हमलोगोंको विश्वास हो जायगा कि

घड़पकड़ होनेपर भी अहिंसाको घे जारी रखेंगे तो हम सिपाहियोंको अस्त्र छोड देने और किन्नानोंको टैक्स बन्द कर देनेके लिये कहेंगे। हमलोग आशा कर रहे हैं कि ऐसा समय कभी न आये। इस कार्रवाईको रोकनेके लिये हमलोग कोई उपाय न छोडे गे। पर जब समय आ जायगा और आवश्यकता हो जायगी तो हमलोग पीछे भी न हटेंगे।

फागलपन

(मई १६, १९२०)

ग्लाहावादके लीडर पत्रने असहयोग आन्दोलनके सम्बन्धमें मेरे विचारकी आलोचना करते हुए मुझसे पूछना है कि मेरे इस कहनेका क्या अभिप्राय है कि खिलाफत आन्दोलन पर विचार करते समय भारत सरकारको "बुद्धिमानी और दूरदर्शितासे काम लेना चाहिये।" सयुक्त प्रान्तकी सरकारने इस तरहकी अविधेक तथा धदूरदर्शितापूर्ण कार्रवाईका पयास सबूत दिया है जिसे मैं एक तरहका पागलपन ही कह सकता हूँ। मेरा अभिप्राय सयुक्त प्रान्तकी सरकारकी उस आशासे है जिसके द्वारा उसने पण्डित मोतीलाल नेहरूके पुत्र पण्डित जवाहरलाल नेहरूको मसूरीसे बाहर कर दिया है।

परिणत जवाहरलाल नेहरूने पुलिस सुपरिण्टेंडेंट एडके पास जो पत्र लिखा है उससे उस आज्ञापत्रके सम्बन्धमें सभी बातोंका पता सर्व साधारणको लग जाता है। यदि किसी भले आदमीके आचरणके लिये भी गवाहोंकी आवश्यकता प्रतीत होती है तो प्रयागकी समस्त जनता इस बातकी शाक्षी देनेके लिये तैयार है कि परिणत जवाहरलाल नेहरू अपनी मा, अपनी बहन तथा अपनी बीमार-पत्नीको लेकर केवल स्वास्थ्यके ख्यालसे मसूरीकी यात्रा कर रहे थे। उनसे काफी पूछताछ कर लेने पर, मसूरीमें उनके रहनेके सम्बन्धमें सभी बातें स्पष्ट जान लेने पर और यह जानकर कि मसूरीमें उनके साथ उनकी घरकी स्त्रियाँ भी उन्हें परिणत जवाहरलाल नेहरूकी बातें सच मानकर अपनी कारवाइसे बाज आना चाहिये था। जनताको स्मरण रखना चाहिये कि परिणत जवाहर लाल नेहरूने पुलिस सुपरिण्टेंडेंट एडके पास जो पत्र लिखा था उसमें स्पष्ट लिखा था "मुझे अफगान प्रतिनिधियोंसे कोई सरोकार नहीं है। यह केवल संयोगकी बात है कि हम दोनों एक ही होटलमें टिक गये। यदि संचमंच पूछिये तो इस होटलमें उनके ठहरनेसे मुझे कुछ असुविधा हुई है, क्योंकि मैं उन कमरोंको अपने लिये लेना चाहता था जिनमें वे टिके हुए हैं। प्रत्येक विचारवान और समझदार आदमीको उन प्रतिनिधियोंके सम्बन्धमें जो दिलचस्पी हो सकती है वहाँ दिलचस्पी मुझे भी है पर इनके लिये मेरे दिलमें यह मन्शा नहीं है कि मैं उनसे मिलूँ और बातचीत करूँ। मैं इस होटलमें प्रायः

सात दिनसे हू पर आज तक मैंने दूरसे भी उन प्रतिनिधियोंको नहीं देखा है। इस बातसे आप भी अवगत हैं क्योंकि आज प्रातः कालकी मुलाकातमें आपने स्वयं मुझसे यह बात कही थी।” पर अधिकारियोंको इतनेसे ही सन्तोष नहीं हो सकना था। उनका दिमाग फिर गया था। उन्होंने इस बातकी प्रतिज्ञा चाही कि पण्डित जवाहरलाल उन अफगान प्रतिनिधियोंसे किसी तरहका सम्बन्ध नहीं रखेंगे। उसी पत्रमें आगे चलकर पण्डित जवाहरलाल नेहरूने लिखा था.—“यद्यपि अफगान प्रतिनिधियोंसे किसी तरहके सम्बन्ध रखने अथवा बातचीत करनेका मेरा कतई इरादा नहीं है फिर भी सरकारकी आज्ञाके अनुसार इस तरहके किसी आचरणके लिये मैं अपनेको बाधना नहीं चाहता, चाहे उससे मुझे किसी तरहकी भी असुविधा प्रतीत क्यों न हो। यह एकदम सिद्धान्त और आत्माका प्रश्न है। इसलिये मुझे पूर्ण आशा है कि आप मुझसे सहमत होंगे।” और हुआ भी वही। सरकारके प्रतिनिधि स्वरूप पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट मिस्टर ओक्सलेनसे सहमत होकर उस पत्रके पानेके दोही दिन बाद उन्हें मसूरी छोड़ देनेके लिये आज्ञापत्र निकाला। पण्डित जवाहरलाल यह चाहते थे कि सरकारके पास सभी बातें पहुँच जाय और सारी अवस्थाका उसे पूरा ज्ञान हो जाय। इसीसे उन्होंने उसी पत्रमें यह भी लिख दिया था—“यदि सरकार मेरे नामकोई आज्ञापत्र निकालना चाहती है तो इस समय मैं उसे माननेके लिये भी तैयार हू। अपने घरवालोंको इसी निःसहाय अवस्थामें छोड़कर एकाएक

चला जाना, मेरे लिये बड़ा असुविधाजनक होगा। मेरी स्त्रीकी अवस्था बड़ी नाजुक है। प्रतिक्षण उसकी देख रेखकी आवश्यकता है। मेरी माता हिलडोल तक नहीं सकती। ऐसी अवस्थामें विना किसीकी निगरानीके उन्हें छोड़ जाना बड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त मेरे यकायक यहासे चले जानेसे मेरे तथा मेरे पिताजीके सारे मन्सूबे विगड जायगे। इससे हम लोगोंको कष्ट और चिन्ता होगी। पर राजकीय मामलोंके सामने व्यक्तिगत हानि लाभका जौन ख्याल करता है।”

राजकीय व्यवस्था जहा सुचारु है, वहा व्यक्तिगत असुविधाओका उतना ही ख्याल किया जाता है जितना राजकीय व्यवस्थाका। यदि कही ऐसी अवस्था न उपस्थित हो जाय कि राजकीय व्यवस्थाके लिये किसी व्यक्ति विशेषको असुविधा पहुंचाना नितान्त आवश्यक हो जाय। पर इस अवस्थामें ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई भी ऐसी गम्भीर स्थिति नहीं उपस्थित हो गई थी जिसके कारण यह आवश्यक था कि विचारी वीमार पत्नीसे पति अलग कर दिया जाय, अपाहिज और लाचार माताका एकमात्र पुत्र उससे अलग कर दिया जाय विशेषकर ऐसी अवस्थामें जबकि वे अपने घरोंसे हजारों मीलकी दूरी पर हैं और उनकी देख रेख करने वाला दूसरा कोई नहीं है। क्या हम इसे निहायत पागलपन नहीं कह सकते? इस तरहकी बातें केवल कल्पित विचारसे ही निकल सकनी हैं। सरकार जानती है कि सन्धिकी शर्तोंमें प्रधान मन्त्रीके वचन तोड़े गये हैं और वे

भयमान जनक हैं। सरकार यह भी जानती है कि इससे भारतीय मुसलमानोंके धार्मिक भावों पर भीषण आघात पहुँचा है। सरकार यह भी जानती है कि भारतके समस्त हिन्दू मुसलमानोंके साथ हैं। वह यह भी जानती है कि अफगानके प्रतिनिधि भारतीय मुसलमानोंके भावोंके पूर्ण समर्थक हैं। इसलिये सरकार डरती है और वह चाहती है कि कोई भी भारतीय अफगान प्रतिनिधियोंसे मिल जुल न सके और न उनसे कुछ कह सके या उनकी कुछ बात जान सके। यही कारण है कि सरकारको हर तरहसे सन्देह उठ रहा है।

पर इस पागलपनका उत्तर हमें पागलपनसे नहीं देना चाहिये। मेरे हृदयमें यह विचार नहीं उठ सकता कि सर हार्कर्ट बटलरकी सरकार इस तरहकी चेष्टायें करेगी जिससे जनता घबराकर हिंसाके लिये तैयार हो जाय और सर हार्कर्ट बटलर भी संयुक्त प्रदेशको पताब या जलियावाला बाग बना दें और दमनकी चक्रीमें पीसकर जनताको दबा दें। चाहे संयुक्त प्रान्तकी सरकारकी यह मन्गा हो या न हो पर खिलाफत आन्दोलनके नेताओंको, मसूरीसे भी खराब घटनाओंका सामना करनेके लिये तैयार रहना चाहिये। इससे सफलता पानेका उपाय यह है कि उन्हे जित न होकर इस तरहके दमनका सहर्ष स्वागत करना चाहिये ताकि जिनके ऊपर इनका प्रयोग किया जाय उसपर इनका कोई अमर न पड़े और लाचार होकर सरकारको इनका प्रयोग उसी तरह बन्द कर देना पड़े जिन्स तरह घैथ उस दवाका प्रयोग बन्द

कर देता है जिससे रोगीको किसी तरहका लाभ नहीं पहुंचता ।। कितना भी कांडा दण्ड क्यों न हो यदि उसका प्रभाव न पडा तो उसे तुरंत उठा दिया जाता है ।

पर सिन्धसे जो समाचार आये हैं उनसे प्रगट होना है कि सरकारका पागलपन अन्तिम सीमाको पहुंच गया है । कराची से सिन्धी भाषामें कोई सौदागर अलवहीद नामी पत्र प्रकाशित करते हैं । तारीख १३के अङ्कमें जकोबावादीकी खिलाफत कमिटीके मन्त्रीका उसमें एक पत्र निकला है । इस पत्रमें लिखा है कि खिलाफत आन्दोलनमें भाग लेनेके कारण अनेक कार्यकर्ता जेल भेजे गये और एक प्रतिष्ठित जमोदारको डिप्टी कमिश्नरने दरवाजा बन्द करके खूब पीटा । जब वह चिड़ाने लगा तो पुलिसने घुसकर उसे और पीटा । मसूरीमें तो कमसे कम न्यायका दिरौआ रूप माना गया क्योंकि पण्डित जवाहरलाल नेहरूको शारीरिक कोई कष्ट नहीं दिया गया । पर यदि खिलाफत कमिटीके मन्त्रीका विवरण ठीक है तो सिन्धमें डिप्टी कमिश्नरने एक प्रतिष्ठित व्यापारीको विना किसी अपराधके बेटोंसे पीटा । बम्बईके गवर्नरकी बड़ी प्रशंसा है । इसलिये आशा की जाती है कि इन मामलोंको वे पूरी जांच करेंगे और उस जांचका विस्तृत विवरण प्रकाशित करेंगे । बम्बे क्रानिकलने अलवहीदमें प्रकाशित समाचारिका समर्थन किया है । उसी घटनाका विवरण मिस्टर शौकत अलीने बम्बे क्रानिकलके पास भेजा है । यदि ये घटनायें सच हैं तो उस डिप्टी कमिश्नरको, जिसने एक प्रति-

एक व्यक्ति का इस तरह अपमान किया है, अवश्य ही निकाल देना चाहिये। चाहे वह डिप्टी कमिश्नर निकाल दिया जाय या नहीं पर जो लोग खिलाफतके कर्णधार हैं, अर्थात् जो लोग इस आन्दोलनका संचालन कर रहे हैं उनका कर्तव्य स्पष्ट है। क्या वे इस तरहकी अग्नि परीक्षामें तपनेके लिये तैयार हैं? सन्धिके द्वारा जो उद्दण्डता दिखलाई गई है, उसका यदि उन लोगोंने किसी तरह विरोध किया जिनके स्वार्थों पर इससे धक्का पहुँचा है तो उस उद्दण्डताका प्रतिपादन करनेके लिये उतने ही उद्दण्डता पूर्ण बल प्रयोगकी मौमासा भी की जायगी। यदि भारतके मुसलमान तथा हिन्दू इन उद्दण्डताओंका सामना बल प्रयोगसे करनेके बनिस्वत सन्धिपर पुन विचार करवाना चाहते हैं तो उन्हें हर तरहके दुर्व्यवहारोंका—जो उनके साथ किये जायेंगे—सामना पूर्ण धैर्यके साथ करना होगा और उसी नीतिको चलाना होगा जिससे उन्हें उस सन्धिकी शर्तें स्वीकार न करने पड़ें। यदि सरकारकी उच्चैजना और बल प्रयोगका सामना उच्चैजना और बलप्रयोगसे किया गया तो खिलाफत आन्दोलनकी पूर्ण हत्या हो जायगी।

हैं और तलवार उठाकर सिधा नुकसानके हम अपना फायदा कमी भी नहीं कर सकते। मुझे पूरी आशा है कि अन्तमें जाकर मौलानाको मेरी बातें खोकार करनी पड़ेगी। यदि हम लोगोंके हाथोंसे एक भी अंग्रेज मारा गया तो इससे हम लोग केवल भारतकी स्वतन्त्रता को ही असम्भव नहीं कर देंगे, बल्कि सैकड़ों जालयावालावागका दृश्य उपस्थित होनेका भवसर देंगे। तलवार लेकर यदि हम युद्धके लिये प्रस्तुत हों तोभी हम तैयारी और त्यागकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये हमें आत्म संयमकी नितान्त आवश्यकता है। हमें अपना इन्द्रियोंको पूरी तरहसे अपने अधीन कर लेना चाहिये। पर हमें पजाब तथा खिलाफतके मामलेमें सरकारसे न्याय करनेकी सदा चेष्टा करते रहना चाहिये। यदि सरकार न्याय करनेके लिये तैयार न हो तो हमें उसके साथ किसी तरहका सम्बन्ध न रखकर उसे पगु बना देना चाहिये। इसलिये हमें दो ही काम करना चाहिये, या तो हमें मौलवी जाफर अली खाको मुक्त करा लेना चाहिये या अपनेको भी जेलखानोंमें भर देना चाहिये।



बिहारमें दमन

(म च २, १९२१)

बिहार एक ऐसा प्रान्त है जिसमें असहयोगके सम्बन्धमें सबसे अधिक मास्युक्त काम हो रहा है। वहाके नेता अहिंसाके सबसे भावको समझते हैं। जो लोग अपने भाषणमें भी सीमाका उल्लंघन करना चाहते हैं उनके उत्साहको भी वे (बिहारके नेता) रोकते हैं। बिहारमें उपद्रव होनेका भय नहीं है। उस प्रान्तमें जितना पत्रिका काम हुआ है उसका उज्ज्वल प्रमाण है। शराब बन्द करनेका आन्दोलन इतनी जल्दीसे बढ़ा है कि मायकारी विभागकी आमदनी पर बहुत असर पडनेकी आशा है। शिक्षा सम्बन्धी आन्दोलन भी बड़ी उन्नति कर रहा है। बहुत बकीलोंने बकालत स्थगित की है। लोग-पचायत द्वारा अपने अधिकारके निपटारा कर रहे हैं। प्रत्येक दिशामें राष्ट्रीय उत्थानके चिन्ह देख पडते हैं जिनसे किसी लोक प्रिय सरकारको गौरव होता है। पर बिहार सरकारके साथ बह-बात नहीं है। पर तो भी बिहार (सरकार) से लोगोंकी आशा थी क्योंकि इसके गवर्नर भारतके सबसे सुयोग्य पुरवोंमेंसे एक हैं जो कांग्रेसके सम्भावित भी हो चुके हैं। लार्ड, सिंहको भी (काम करनेकी) इच्छा होगयी है। वह उस शासन बंधके एक भाग हो गये हैं, जो

लोगोंको कुचल रहा है और उनकी योग्यता भी उस यंत्रका एक भाग हो गई है जो लोगोंको कुचल रही है और उनकी योग्यता भी उस यंत्रके चलानेके काममें लगायी जा रही है। यदि वे ऐसा न करेंगे तो उन्हें हटना पड़ेगा।

बिहारमें दमन जोरोंपर है क्योंकि एक भारतीय गवर्नरकी आड़में आकर व्यफसर बड़ी वीरता दिखा रहे हैं। लार्ड सिंह अपराध करनेवाले अफसरोंकी रक्षा करनेवाले हो गये हैं।

पाठक निम्नलिखित बातोंसे विचार करें। मौलाना मजहबुल हक और बाबू राजेन्द्रप्रसाद, जो बिहारमें प्रसिद्ध हैं, वाराणसीसे रोक दिये गये। एक मित्रने पत्रमें लिखा है—“मुजफ्फरपुर सारन और चम्पारनमें १४४ और १०७ वाराणसीके अनुसार बराबर नोटिस दी जा रही हैं। जो लोग बाध्य होनेसे इनकार करते हैं उन्हें जेल हो जाती है। ऐसे ३० आदमी जेल गये हैं। इसके विरुद्ध की गई कार्रवाइया विचाराधीन हैं। यह खुशोकी बात है कि इनमेंसे कुछ बूढ़े लोग हैं। स्त्रिया इन सजाओंके कारण खेदित होनेके बदले चिन्तारहित हैं।”

मौ० शफी और बाबू राजेन्द्रप्रसादको यह नोटिस दिया गया है -

मुझे विश्वस्त संज्ञसे सूचना मिली है और मुझे विश्वास है कि तुम हाजीपुरकी एक सभामें भाषण करनेका विचार करते हो जिसमें तुम अपने श्रोताओंसे कहोगे कि असहयोगके लिये

जेल भी जाओ और असहयोगके सम्बन्धमें दूसरी दूसरी बातें भी कहोगे जिनसे श्रोताओंमें जोश पैदा होगा और इससे शान्ति भङ्ग हो सकती है। इसलिये फौजदारी कानूनकी १४४^{वीं} धाराके अनुसार जो अधिकार मुझे दिये गये हैं उनके अनुसार मैं हुक्म देता हूँ कि तुम मेरे इलाकेकी सीमाके भीतर असहयोगपर कोई भाषण न करो।”

सब डिविजनल अफसर, जिनके हस्ताक्षरपर नोटिस निकाली गयी है, पहलेसे ही इस बातको जाननेका दावा करते हैं कि वे सज्जन क्या भाषण करते। और वह था असहयोग। सारे भारतमें वक्ता लोगोंसे कहते आ रहे हैं कि जेलके लिये तैयार हो। इनसे कहीं भी सार्वजनिक शान्ति भंग नहीं हुई है, सभी लोकप्रिय संस्थाओंने असहयोगका उपदेश दिया है और हजारों प्लेटफार्मोंसे नित्य ही इसका उपदेश दिया जा रहा है। स्वदेशी, मादक वस्तु-निवारण, अस्पृश्यता और हिन्दू मुसलमानोंकी एकतापर-वक्ता लोग इसी कारण नहीं धोल्ते हैं कि ये सभी बातें ‘असहयोग’ के भीतर आ जाती हैं।

दूमरा हुक्म इस प्रकार है — “मुझे खबर मिली है कि ग्राम बेगरा, पुलिस स्टेशन गोपालगञ्ज, जिला सारनके ब्रह्मचारी रामरक्षाने कल एक सभामें भाषण किया है जिसमें उसने सरकार और अगरेजोंको छली प्रतिज्ञाभंग करनेवाली और अत्याचारी कहा है। उसने यह भी कहा है कि ब्रिटिश सरकारकी नीति एक कौमको दूसरे कौमके विरुद्ध खड़ा करना है जिससे वह

दोनोंपर शासन कर सके। जुलूम करनेके कारण सरकार लुप्त हो जायगी। यदि सभी भारतवासी गांधीकी यात मान ले तो वे १० दिनमें ही ब्रिटिश सरकारको निकाल बाहर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी खबर मिली है कि इस स्पीचके कारण बहुत जोश फैल गया है। ऐसी दूसरी स्पीचसे शान्तिमग हो सकती है। मालूम होता है कि उक्त ब्रह्मचारी रामरक्षा उसी प्रकारकी एक और स्पीच आज देनेका विचार करता है। इसलिये मैं फौजदारी कानूनकी १४४ धाराके अनुसार आज तारीखसे एक महीने तक सीतामढी सब डिवीजनके किसी भागमें ५ आदमियों या ५ आदमियोंसे अधिककी सभामें भाषण देनेसे मना करता हूँ।”

फिर भी, ब्रह्मचारीका मुह जिन बातोंके कहनेके कारण बन्द किया गया है वह हजारों मुंहसे निकल चुकी हैं। जो दोष ब्रह्मचारीपर लगाया गया है स्पेशल काग्रेसके प्रस्तावमें भी है। मुझे स्वयं सरकारको “छली” “प्रतिज्ञाभंग करनेवाली” और “अत्याचारी” कहनेका सम्मान प्राप्त हुआ है। इन शब्दोंमें सरकारको निन्दा करना अपराध है इस बातको ढूँढ निकालना मजिस्ट्रेटके अधिकारमें था।

अब प्रश्न यह है—लार्ड सिंह इस्तीफा देनेके छोड़ और क्या करेंगे? वे मजिस्ट्रेटकी आज्ञाका भी पर्यवेक्षण नहीं कर सकते। यदि करेंगे तो मजिस्ट्रेट असहयोग कर देंगे, हडताल कर देंगे और उनकी स्थिति असहनीय तथा सरकारको असम्भव

बना देगी । इसलिये गवर्नरकी हैसियतसे किसी प्रकार देशकी सेवा करनेके लिये वे अपनेको विश्वास दिलाते हैं कि किसी अगरेज गवर्नरके लिये स्थान रिक्त करनेकी अपेक्षा अपनी जगह-पर बना ही रहना अच्छा है । वह उनके शासनका प्रारम्भ मात्र है । जनता देखेगी कि किसी अङ्गरेज गवर्नरकी अपेक्षा इनके शासनकालमें सिविलियन अपनी शक्तिको अधिक सुदृढ कर ले गे । इसके दो कारण हैं । एक तो लार्ड सित्के समय यदि उनपर नियन्त्रण किया जायगा तो वे इतनी शिकायत करेंगे जितनी किसी अगरेज गवर्नरके शासनको कालमें नहीं करते । दूसरे, लोग भी उनके शासनको स्वभावतः सफल करनेके लिये बड़ी खुशीके साथ अत्याचारको सह ले गे । इसलिये सबसे जबरदस्त भारतवासी भी यदि गवर्नरके उच्च पदके लिये चुना जाता तो भी वह योग्यता और प्रयत्नके अभावके कारण नहीं धरन, जिस शासन पद्धतिके अनुसार उन्हें शासन करना है उसकी स्वाभाविक बुराईके कारण असफल होता । इसलिये ऐसे सज्जनके शासनकी—जिसके लिये मुझे बड़ा सम्मान है—आलोचना करनेसे मुझे खुशी नहीं होगी । यदि वर्तमान पद्धतिके अनुसार गोखलेको भी शासन करनेको कहा जाता तो वे भी सफल न होते ।

दमनकी भ्रमर

(मार्च २, १९२१)

'विहारमें दमन' पर मैंने एक पूरा लेख लिखा है। इसके लिखनेके बाद विहारके सम्बन्धके और भी समाचार मुझे समाचारपत्रोंसे मिले हैं। और यदि कोई दूसरा जलियान-वाला बाग नहीं हुआ है तो इसका कारण- अधिकारियों द्वारा दी गयी उत्तेजनाका अभाव नहीं है पर विहारियोंका अनुकरणीय आत्म सयम है। यदि कोई अफसर समझ ले और विश्वास कर ले कि कोई भीड़ किसी आज्ञाके, विरुद्ध इकट्ठी हुई है तो उसपर गोली चलानेसे, कौन रोकेगा। ऐसी बात हो सकती है-और किसी सरकारी इतिहास लेखक द्वारा लिखित इतिहासमें वह घटना- "समझकी भूल" के नामसे लिख दी जायगी।

युक्त प्रान्तसे दमन अब निश्चित रूप घारण कर रहा है। सर्वसाधारणमें भाषण करनेवाले, लोग नियंत्रित किये जा रहे हैं।

कलकटके मजिस्ट्रेटने मि० याकूब हसनको तथा उनके साथियोंको कैदकर अपनेको प्रसिद्ध कर लिया है।

पर जिस बातकी आशा की जाती थी वही हो रही है।

संस्तेमें स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता है। 'युवक, वृद्ध सभी जेल क्यों न भोगेंगे ? यही एक सामान्य सङ्कट है जिसके द्वारा हमें अमिर्त्त रूपसे एक सूत्रमें धरेंगे। जय जय असहयोग सफल होने लगेगा तो अधिकारियोंका दिमाग अवश्य ही खपत हो जायगा।

यह प्रत्यक्ष है कि अभीतक पञ्चात्ताप करनेका धास्तविक इच्छा नहीं है। ड्यूकने शब्दाडगरसे भरे हुए विचारोंको प्रगट किया है और कहते हैं कि वे जब इन्हें प्रगट कर रहे थे तो वे झुब्ध हो गये थे। १९१६ के अप्रैल महीनेमें जो कुछ हुआ उसके लिये कौंसिलने एक प्रस्ताव पाम कर दु ख प्रगट किया है मानो हमलोगोंकी हँसी उडानेके लिये जब ये खोखले विचार प्रगट किये जा रहे थे उसी समय भिन्न भिन्न प्रातोंके मजिस्ट्रेट दर्शनका उपाय कर रहे थे। शाब्दिक पञ्चात्तापका क्या अर्थ होता है इसका यह प्रभाव डालनेवाला उदाहरण है।

आज भारतको उदार भाषण या उदार कामको आवश्यकता नहीं है। भारतको जिस चीजकी प्यास है, वह केवल न्याय है। भारतके खजानेसे सर माइकल ओडायर और जेनरल टायरकी पे सन बन्द करनेके लिये कहनेका उसे अधिकार है। जबतक उन अफसरोंको, जिन्होंने घुरा आचरण किया है, चढे बढे पदोंपर रखा जायगा तबतक यह (भारत) अन्ध योगके संग्रामको जारी रखेगा और तबतक सरकार अपना दर्शन नीतिको जारी रखेगी।

दमनकी भ्रमर

(मार्च २, १९२१)

—'विहारमें दमन' पर मैंने एक पूरा लेख लिखा है। इसके लिखनेके बाद विहारके सम्बन्धके और भी समाचार मुझे समाचारपत्रोंसे मिले हैं। और यदि कोई दूसरा जलियान-वाला बाग नहीं हुआ है तो इसका कारण अधिकारियों द्वारा दी गयी उत्तेजनाका अभाव नहीं है पर विहारियोंका अनुकरणीय आत्म सयम है। यदि कोई अफसर समझ ले और विश्वास कर ले कि कोई भीड़ किसी आझाके विरुद्ध इकट्ठी हुई है तो उसपर गोली चलानेसे कौन, रोकेंगा। ऐसी बात हो सकती है और किसी सरकारी इतिहास लेखक द्वारा लिखित इतिहासमें वह घटना "समझकी भूल" के नामले लिख दी जायगी।

युक्त प्रान्तसे दमन अब निश्चित रूप धारण कर रहा है। सर्वसाधारणमें भाषण करनेवाले लोग नियंत्रित किये जा रहे हैं।

कलकटके मजिस्ट्रेटने मि० याकूब हसनको तथा उनके साथियोंको कैदकर अपनेको प्रसिद्ध कर लिया है।

पर जिस बातकी आशा की जाती थी वही हो रही है।

सस्तेमें खराज्य प्राप्त नहीं हो सकता है। युवक, वृद्ध सभी जेल क्यों न भोगेंगे ? यही एक सामान्य सङ्कट है जिसके द्वारा हम अमिन्न रूपसे एक सूत्रमें बंधेंगे। जब अर्थ असहयोग सफल होने लगेगा तो अधिकारियोंका दिमाग अवश्य ही खपत हो जायगा।

यह प्रत्यक्ष है कि अमीतक पश्चात्ताप करनेकी वास्तविक इच्छा नहीं है। ड्यूकने शब्दाडगरसे भरे हुए विचारोंको प्रगट किया है और कहते हैं कि वे जब इन्हें प्रगट कर रहे थे तो वे क्षुब्ध हो गये थे। १९१६ के अप्रैल महीनेमें जो कुछ हुआ उसके लिये कौंसिलने एक प्रस्ताव पान्न कर कुछ प्रगट किया है मानों हमलोगोंकी हूसी उड़ानेके लिये जब ये खोखले विचार प्रगट किये जा रहे थे उसी समय भिन्न भिन्न प्रांतोंके मजिस्ट्रेट दमनका उपाय कर रहे थे। शाब्दिक पश्चात्तापका क्या अर्थ होता है इसका यह प्रभाव डालनेवाला उदाहरण है।

आज भारतको उदार भाषण या उदार कामको आवश्यकता नहीं है। भारतको जिस चीजकी प्यास है, वह केवल न्याय है। भारतके खजानेसे सर माइकल ओडायर और जेनरल डायरकी पेसन घन्द करनेके लिये कहनेका उसे अधिकार है। जबतक उन भफसरोंको, जिन्होंने घुरा आचरण किया है, बड़े बड़े पदोंपर रखा जायगा तबतक वह (भारत) अन्ध योगके मंत्रात्मको जारी रखेगा और नबतक सरकार अपना दमन नीतिको जारी रखेगी।

दमनको हमें वह कसौटी समझनी चाहिये, जिसपर हमारी परीक्षा होगी। यदि हम बिना पराङ्मुख हुए अथवा आत्म सयम खोए इसका सामना करेंगे तो इससे हमारा हित होगा और हम अपने ध्येयके निकट पहुँच जायेंगे। यदि हम उत्सुक हैं तो बिना क्रोध प्रदर्शित किये हमें परीक्षामें शामिल होना चाहिये। हमलोग सहयोग करनेसे इनकार कर सरकारकी प्रवृत्तिकी जाच कर रहे हैं। इसमें जो आत्म-रक्षाका भाव है उससे वह किसी हदतक शान्त रहती है। उस हदके बाद वह अपनी शान्ति खो देती है। हम क्रोधित होकर उत्तर देते हैं। इसलिये सरकार हमारी कमजोरीके कारण अपनेको जोरदार पाती है। अहिंसा इस बातकी शिक्षा देती है कि हम सरकारकी प्रवृत्तिका उत्तर नहीं देते हैं। यदि हम लोग व्यवहारकी शिक्षाको ग्रहण करे तो सरकारकी अवश्य हानि होगी। उत्तर न देनेसे ही दमनकी धार भोथी हो जायगी।



असहयोगियोंका कर्तव्य

(मार्च १९-१९२१)

इस तरहके दमनके सामने हमलोगोंका कर्तव्य स्पष्ट है। इस्लाम, पञ्जाब तथा खराज्यके लिये सङ्घट्ट भेदना हमने स्वीकार कर लिया है। इसलिये इस तरहके अभियोग तथा दमनके कारण प्राप्त दण्डोंका हमलोगोंको स्वागत करना चाहिये। प्रत्येक अच्छा आन्दोलन पाच अवस्थाओंमें होकर गुजरता है। उदासीनता, उपहास, गाली और निन्दा, दमन तथा सन्ताप। कुछ मासतक तो लोग इससे उदासीन रहे। उसके बाद बड़े लाटने अपनी बड़प्पन दिखाते हुए इसकी हंसी उड़ाई। गाली और निन्दा यहातक कि भूठा दोषारोपण करना इस सम्बन्धमें साधारण बात हो रही है। सरकारके प्रतिनिधि तथा असहयोग आन्दोलनके विरोधी, जहातक उनसे धन पडा है, इसकी निन्दा करनेमें कोई बात उठा नहीं रखते हैं। अब दमनका जमाना आ गया है। पर अभीतक इसका जोर नहीं है। प्रत्येक आन्दोलन, जो दमनका धार सार सम्हाल लेता है और उसमेंसे जीता निकल आता है, उसकी इज्जत होने लगती है, अर्थात् उसकी विजयका यह दूसरा नाम है। यदि हमलोग अपने सिद्धान्तके सच्चे हैं तो इस दमनको हमें विजयका आरम्भ

दमनको हमें वह कसीटी समझनी चाहिये जिसपर हमारी परीक्षा होगी। यदि हम विना पराङ्मुख हुए अथवा आत्म सयम खोए इसका सामना करेंगे तो इससे हमारा हित होगा और हम अपने ध्येयके निकट पहुच जायगे। यदि हम उत्सुक हैं तो विना क्रोध प्रदर्शित किये हमें परीक्षामें- शामिल होना चाहिये। हमलोग सहयोग करनेसे इनकार कर सरकारकी प्रवृत्तिकी जाच कर रहे हैं। इसमें जो आत्म-रक्षाका भाव है उससे वह किसी हदतक शान्त रहती है। उस हदके बाद वह अपनी शान्ति खो देती है। हम क्रोधित होकर उत्तर देते हैं। इसलिये सरकार हमारी कमजोरीके कारण अपनेको जोरदार पाती है। अहिंसा इस बातकी शिक्षा देती है कि हम सरकारकी प्रवृत्तिका उत्तर नहीं देते हैं। यदि हम लोग व्यवहारकी शिक्षाको ग्रहण करे तो सरकारकी अवश्य हानि होगी। उत्तर न देनेसे ही दमनकी धार भोथी हो जायगी।

स्वतन्त्रताका द्वार

(जून ६, १९२१)

अप्रसन्न दिलमें अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बातपर सन्देह करते हैं कि जेलखानेमें जाकर हम भारतवर्षको मुक्त करा सकते हैं। उनका विश्वास है कि जेलखानोंके कारण हमलोग वीर, धीम तथा साहसी व्यक्तियोंकी सेवाओंसे वञ्चित हो जाते हैं। इनसे तो यही अभिप्राय निकला कि वीर मिया हीको किस भी अवस्थामें अपनी जानको सड्डूममें नहीं डालना चाहिये क्योंकि इससे इस बातका भय रहता है कि यदि वह काम आया तो फिर जिस उद्देश्यको लेकर वह चला है उसका पथप्रदर्शक कोई भी नहीं रह जायगा। ऐसे लोग इस बातको भूल जाते हैं कि लोकमान्यकी ख्याति तथा उनका अतुल्य प्रभाव केवल इसी कारण था कि वे जेलको अनन्त यातना भोग चुके थे। ईसाई धर्मकी सफलता उसी समय गंगन चुम्बी हुई जिस समय ईसाको फासीपर लटका दिया गया। कंबलाके मैदानमें हसन इमानके उद्साहने ही इस्लाम धर्मकी जड़ जमाई। राजा हरिश्चन्द्रकी ख्याति इसीलिये है कि उन्होंने लगातार यातनाओंको सहर्ष स्वीकार किया था। इसी तरह भारत भी तपतक स्वतन्त्र नहीं हो सकता जरतक

उसकी लाशों सन्तान जेल जाने तथा हर तरहकी कठिनाई सहनेके लिये निर्भय तथा निडर तैयार न हो जाय। यदि लाशों तैयार नहीं हैं तो हजारोंको तो जेलोंमें जाना ही पड़ेगा यदि भारतको वे स्वतन्त्र बनाना चाहती हैं। असहयोग आन्दोलन इसीलिये चलाया गया है कि राष्ट्रमें सच्ची वीरताका प्रचार हो। यदि हम स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो हमें हर तरहकी यातना सहनेके लिये—यहातक कि मृत्युके लिये भी तैयार रहना चाहिये। जो अपनेको बचाना चाहता है वही, सबसे पहले मरेगा।

इसपर प्रश्न यह उठता है कि हमें अपने मुकदमोंकी पैरवी करना चाहिये या नहीं। यदि सरकारकी इच्छाओंका विरोध करके हम भारतीय जेलखानोंको भरना चाहते हैं तो हमें फिर अपनी सफाई देनेकी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश अदालतोंके सामने हमें अपनी सफाई देना या पैरवीके लिये वकील नियुक्त करना उचित नहीं। मैं जानता हूँ कि कभी कभी कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है, जैसे सावरकर चन्धुओंका मामला था। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि वे कट्टर असहयोगी हैं तो मैं उन्हें भी यही सलाह दूंगा कि मुकदमा चलानेवालेके उनपर मानहानि या क्षतिके दावेका हक आप प्रयोगमें मत लाइये यद्यपि आपका पक्ष सच्चा और न्यायपूर्ण है। इस तरहका परहेज दोनों कारणोंसे यथार्थ है। पहले कांग्रेसकी आज्ञाका पालन है कि सरकारी अदालतोंको कोई न माने और उनका पूर्ण

वहिष्कार करे, दूसरे आत्म, यातना-तथा तपस्याके नियमका भी इससे पूर्णतया पालन होगा।

तारोंकी गड़बड़ी

(मार्च ६, १९२१)

बम्बईमें ड्यूकके आगमनके सम्बन्धमें मेरे एक सहकारीने अहमदाबादसे मुझसे कुछ सलाह पूछी थी। उसके उत्तरमें मेने लाहोरसे १८ फरवरीको निम्नलिखित तार भेजा था —“अन्य नगरोंकी भांति बम्बईको भी ड्यूकके स्वागतका वहिष्कार करना चाहिये।” ४ मार्चको लाहोर तारघरसे मेरे पास निम्नलिखित पत्र आया —“आपने आनन्दानन्द, नवजीवन कार्यालय अहमदाबादके नाम १८ को जो तार भेजा था उसे अहमदाबादमें रोक दिया गया क्योंकि तार विभागके नियमोंके अनुसार वह आपत्तिजनक पाया गया। आपके लिखनेपर आपका पत्र (जो तारे भेजनेमें लगा था) लौटा दिया जायगा।” यह होना ठीक ही है क्योंकि जिसके स्वार्थसाधन और लाभके लिये ये तारकी लाइनें तानी गई हैं उसीके नाशके लिये उनके प्रयोगको यदि रोका जाय तो यह भारी बात नहीं है। पर इस तरहकी सकावट या अडचनसे केवल इस शासन प्रणालीकी हीनता व्यक्त होती है। यदि केवल एक आदमी उक्त तारको

उसकी लाखों सन्तान जेल जाने तथा हर तरहकी कठिनाई सहनेके लिये निर्भय तथा निडर तैयार न हो जायं। यदि लाखों तैयार नहीं हैं तो हजारोंको तो जेलोंमें जाना ही पड़ेगा यदि भारतको वे स्वतन्त्र बनाना चाहती हैं। असहयोग आन्दोलन इसीलिये चलाया गया है कि राष्ट्रमें सच्ची वीरताका प्रचार हो। यदि हम स्वतन्त्र होना चाहते हैं तो हमें हर तरहकी यातना सहनेके लिये—यहातक कि मृत्युके लिये भी तैयार रहना चाहिये। जो अपनेको बचाना चाहता है वही सबसे पहले मरेगा।

इसपर प्रश्न यह उठता है कि हमें अपने मुकदमोंकी पैरवी करना चाहिये या नहीं। यदि सरकारकी इच्छाओंका विरोध करके हम भारतीय जेलखानोंको भरना चाहते हैं तो हमें फिर अपनी सफाई देनेकी जरूरत नहीं है। ब्रिटिश अदालतोंके सामने हमें अपनी सफाई देना या पैरवीके लिये वकील नियुक्त करना उचित नहीं। मैं जानता हूँ कि कभी-कभी कठिन समस्या उपस्थित हो जाती है, जैसे सावरकर बन्धुओंका मामला था। यदि मुझे विश्वास हो जाय कि वे कट्टर असहयोगी हैं तो मैं उन्हें भी यही सलाह दूंगा कि मुकदमा चलानेवालेके उनपर मानहानि या क्षतिके दावेका हक आप प्रयोगमें मत लाइये यद्यपि आपका पक्ष सच्चा और न्यायपूर्ण है। इस तरहका परहेज दोनों कारणोंसे यथार्थ है। पहले काग्रेसकी आज्ञाका पालन है कि सरकारी अदालतोंको कोई न माने और उनका पूर्ण

वहिष्कार करे, दूसरे आत्म यातना तथा तपस्याके नियमका भी इससे पूर्णतया पालन होगा।

तारोंकी गड़बड़ी

(मार्च ६, १९२१)

बम्बईमें ड्यूकके आगमनके सम्यन्धमें मेरे एक सहकारीने अहमदाबादसे मुझसे कुछ सलाह पूछी थी। उसके उत्तरमें मेने लाहोरसे १८ फरवरीको निम्नलिखित तार भेजा था —“अन्य नगरोंकी भांति बम्बईको भी ड्यूकके स्वागतका वहिष्कार करना चाहिये।” ४ मार्चको लाहोर तारघरसे मेरे पास निम्नलिखित पत्र आया—“आपने आनन्दानन्द, नवजीवन कार्यालय अहमदाबादके नाम १८ को जो तार भेजा था उसे अहमदाबादमें रोक दिया गया क्योंकि नार विभागके नियमोंके अनुसार वह आपत्तिजनक पाया गया। आपके लिखनेपर आपका खर्च (जो तार भेजनेमें लगा था) लौटा दिया जायगा।” यह होना ठीक ही है क्योंकि जिसके स्वार्थसाधन और लाभके लिये ये तारकी लाइनें तानी गई हैं उसीके नाशके लिये उनके प्रयोगको यदि रोका जाय तो यह भारी बात नहीं है। पर इस तरहकी रुकावट या अडचनसे केवल इस शासन प्रणालीकी हीनता व्यक्त होती है। यदि केवल एक

आपत्तिजनक समझता है तो उसे इस बातपर विचार करना चाहिये कि इस तरह किसी व्यक्तिकी स्वतन्त्रतापर आक्षेप करके वह कितना बड़ा पाप कर रहा है और उसे अपना सिर नीचा कर लेना चाहिये। इस मामलेमें तो इस तरहकी कार्रवाईका परिणाम यही होता है मानों कोई पानीके प्रवल वेगको तिनकेके सहारेसे रोक देना चाहता है। चाहे कुछ भी हो इस तरहके निर्दोष प्रचारके काममें बाधा डालना चाहे वह सरकारकी दृष्टिमें कैसा ही आपत्तिजनक क्यों न हो, किसी भी विधानद्वारा जायज नहीं ठहराया जा सकता। यह भी उस सरकारके पतनका परिणाम सूचित कर रहा है जो जीर्ण शीर्ण हो रही है।

इस तरहकी अडचन या रुकावट केवल स्थानीय अधिकारियोंकी राजभक्तिके कारण डाली गयी है फिर भी इससे हमें शिक्षा मिलती है। सरकार किसी भी दिन असहयोगियों द्वारा तार, रेल, डाक तथा छापाखानोंका प्रयोग रोक सकती है। तो क्या इससे हमारा संग्राम एक क्षणके लिये भी रुक जायगा, मैं ऐसी आशा नहीं करता। यह तो पहले ही से मान लिया गया है कि सरकारकी सड़कामनाओंने यह सदा स्वतन्त्र रहेगा क्योंकि उसकी सर्वव्यापकता पर ही इसकी सफलता अवलम्बित है। व्यक्तिगत असहयोग तो पूरी तरह चल सकता है, कोई सन्देह नहीं है। उस अवस्थामें, इसे दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। पर जिस समय उसका प्रभाव सारे भारत पर

यह कोई बड़ी घात नहीं है कि कांग्रेसके मन्त्री मिया मुहम्मद शफीकी पूर्ण अवहेलनाकी गई और उन्हें उस सन्यासीसे मिलने नहीं दिया गया। मुझे पूर्ण आशा है कि विहारके सरकारी कर्मचारी इस सरकारी सूचनाका उत्तर अधिकाधिक संख्यामें जलसोमें शरीक होकर देंगे और सरकारको उन्हें पदच्युत करने देंगे। सार्वजनिक सभाओंमें बोलने या भाषण करनेसे सरकारी कर्मचारी भले ही रोके जा सकते हैं पर उन्हें सार्वजनिक सभाओंमें जानेसे रोकना, राष्ट्रीय फण्डमें चन्दा देनेसे रोकना तथा घरोंमें चरखा प्रचारसे रोकना व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर इस तरहका आक्षेप है जिसे कोई भी सरकार कर्मचारी नहीं स्वीकार करेगा।

लार्ड चेम्सफोर्डने अपने भाषणमें कहा था कि असहयोग आन्दोलनको निर्बल करनेके लिये सरकार भी प्रचारका कार्य या आन्दोलन आरम्भ करेगी। कदाचित् विहार सरकारकी यह सूचना उसी भाषणको चरितार्थ करनेके लिये की गई है। इस सरकारने प्रतिष्ठित तथा मान्य असहयोगियोंको दमनमें पीसा है, उन्हें पकड़कर जेलोंमें भेज दिया है तथा अपने कर्मचारियोंको आज्ञा दी है कि असहयोग आन्दोलनके विरुद्ध प्रचार करो और उसके लिये किसी भी तरीकेका अवलम्बन करो, कोई रुकावट नहीं पड सकती। मैंने सुना है कि सरकारके उत्साही चौकीदार इन जलसोंकी सूचना मेरे नाम पर देते हैं। जब लोग एकत्रित होते हैं और विचित्र विचित्र चेहरे देखते हैं तो धीरेसे

अनेक कापिया तैयार करवा सकते हैं। यदि असहयोगी नेता अपने कलमसे ही काम लेने लगे तो इससे अनेक तरहके लाभ हो सकते हैं।

बिहार सरकार

(मार्च ६, १९२१)

गत सप्ताहमें जब मैंने बिहार सरकारके बारेमें लिखा था उस समय मुझे उसके बारेमें आधी भी जानकारी नहीं थी, जितनी कि मुझे आज है। यात्राओंमें मुझे समाचार पत्रोंके देखनेका कम अवसर मिलता है। पहले तो समाचार पत्र मिलते ही नहीं और यदि मिलते भी हैं तो उन्हें पढ़नेका मुझे कम अवसर मिलता है। लखनऊके दौरमें मुझे समाचार पत्र पढ़नेका अवसर मिला तो मैंने बिहार सरकारकी असाधारण सूचना देखी जिससे स्पष्ट प्रगट होता था कि अधिकारियोंको गैर कानूनी कार्रवाई करनेके लिये उत्तेजना दी जा रही है। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। बिहारमें असहयोग कानूनन अपराध समझा जाने लगा है। यह कोई विस्मयकी बात नहीं है कि बिहारके किसी सरकारी कर्मचारीने हजारों आदमियोंकी भीड़के सामने किसी निर्दोष सन्यासीको पीट दिया, मैं नहीं समझता कि एक वर्ष पूर्ण इस तरहका शान्त वायुमण्डल था।

बन्द नहीं करना चाहिये क्योंकि एक तो कमी कमी शराय पीना पाप नहीं है और दूसरे इससे सरकारको आमदनी होती है जिससे वह शिक्षाका व्यय चलाती है। चरखा और करघा प्रारम्भिक अवस्थाकी बातें हैं जिनका श्रवण पुनः प्रचार करना असम्भव है। जबतक भारत इस योग्यताको न प्राप्त हो जाय कि वह विदेशी बाजारोंकी प्रतिस्पर्धा कर सके, हमारे लिये विदेशी मालका त्याग असम्भव है। इस तरह सरकारका प्रयत्न शरावखोरी, मुकदमेवाजी, तथा विदेशी वस्त्रोंके प्रचारको बढानेके लिये होता रहेगा।

ईमानदार सरकार, जो प्रजाकी इच्छाके अनुसार हो उनका शासन करना चाहती है, इस अपूर्व अवसरसे लाभ उठाती और प्रजाकी सहायता लेकर शरावखोरीके पापसे मुक्ति लाभ करनी, तथा आत्मनिष्ठाके ख्यालसे राष्ट्रीय शिक्षाके लिये प्रजाको स्वतन्त्र कर देती, पञ्जायती अदालतों द्वारा भगडोंके निपटारे पर ज्यादा जोर देती और चरखेके प्रचारका स्वागत करती यदि और नहीं तो केवल इस ख्यालसे कि इससे मिलोंको सहायता मिलेगी और लोग बेकार न बैठे रहकर कुछ न कुछ काम ही करते रहेंगे, जो सरकार प्रजाकी भलाईकी कामना करती है वह इस तरहके आन्दोलनोंके आन्तरिक भावको समझतो, उसके धार्मिक भावों का ख्याल करती, तथा उसके आत्मिकबल और सदिच्छा पर ध्यान देती और अपने विरोधका ख्याल न करके इस तरहके पौरुष, बल, साहस तथा धैर्यके प्रादुर्भावका स्वागत करती।

जलसोंमेंसे खिसक जाते हैं। जो लोग असहयोगियोंका भाषण सुननेके लिये रह जाते हैं उनसे कहा जाता है, कि यदि सरकारी अदालतें उठ जायगी और शराब खोरी बन्द हो जायगी तो सरकारकी आमदनी बन्द हो जायगी। इस तरह ये सहयोगी व्याख्यानदाता मुकदमेवाजी तथा शराबके प्रचार पर विशेष जोर देते हैं। जो कुछ मैंने कहा है वह उसी तरहकी एक समाके विवरणके आधार पर है जिसका उल्लेख मुझसे एक बड़े ही विश्वासी कार्यकर्त्ताने किया था। इस तरहकी बातें सर्वथा सम्भव हो सकती हैं। एक क्षणके विचारसे ही यह व्यक्त हो जा सकता है कि सरकारी तरफदार प्रायः करके वही बातें कहेंगे जो उन्हें सूचितकी गई होंगी। एक असहयोगी अपना भाषण खिलाफतके प्रति किये गये अन्याय तथा पञ्जाबके अत्याचारोंसे आरम्भ करता है, उसके बाद जिस शैतानी शासन प्रणालीमें हम लोग पड़े हैं उसका वर्णन करता है, अन्तमें वह जनतासे शान्त रहने, घरखा कातने, कपड़ा धुनने, स्कूलों, कालेजों, अदालतों तथा विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार करनेकी सलाह देकर अपना भाषण समाप्त करता है। विचार हीन असहयोगी कभी कभी सहयोगियोंको गाली भी दे बैठता है और उनके सामाजिक बहिष्कारकी भी सलाह दे देता है। सरकारका हिमायती वक्ता, पञ्जाबके अत्याचार तथा खिलाफतके अन्यायके होते हुए भी सरकारको देवता स्वरूप बतलाता है, और लोगोंसे कहता है कि अदालतें मत छोड़िये क्योंकि अदालतोंमें न्याय मिलता है, और शराब खोरी भी

गन्नेद्वेजी—जिन्हें यहाके लोग 'महात्मा' पुकारते हैं—असहयोग आश्रमके प्रतिष्ठित निरीक्षक हैं। नागपुरमें इस आश्रमकी बड़ी उन्नति है। ये बड़े ही उत्साही कार्यकर्ता और प्रभावोत्पादक वक्ता हैं। आवकारीकी आमदीमें बाधा न पड़े इसलिये सरकारने इनका भी मुह बन्द कर देना उचित समझा। मध्यप्रात तथा अन्य प्रातोंमें जो अभियोग चलाये जा रहे हैं उनसे मुझे यही बात प्रगट हुई है। जो लोग किसी तरहकी हिंसाकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं, शराब बेचनेवाले तथा पीने वालोंके प्रति हिंसा करनेके लिये जो लोग अपने भाषणोंद्वारा उत्तेजित करते हैं उनपर मुकदमा चलावो, उन्हें दण्ड दो, उनपर विद्रोह या अप्रतिफलानेका व्यर्थका दोषारोपण क्यों करते हो। इसका उत्तर सहज है। शाराबखोरीके विकृष्ट आन्दोलन करनेवाले किसी भी तरह हिंसाका भाव नहीं दिखलाते। पर जिनपर किसी तरहकी जिम्मेदारी नहीं है उनको द्वारा की गयी हिंसा एक क्षणमें रोकी जा सकती है। पर सरकारका यह अभिप्राय तो है नहीं। उसे भय हो रहा है कि शराब और अफीमकी आमदनी मारो जायगी और इस विपत्तिके निवारणके लिये वह जायज और नाजायज सभी तरहके उपायोंका अवलम्बन करनेके लिये तैयार है।

यदि मेरी धारणा ठीक है तो इसकी दृग् भी सरल है। हमें यत्न करना चाहिये कि सरकारको यथावन्ती मुकदमा चलानेका भी अवसर न मिले। यदि विद्रोहका अभिप्राय है

पर यह सब भाव तभी आ सकते हैं जब इस सरकारके हृदय बदल जाय । पर इतनी आशा अभी इस अवस्थामें नहीं करनी चाहिये ।

दम्नका परिणाम

(मार्च ३०, १९२१)

जिस समय मैं नागपुरमें था मैंने डाक्टर चोलकरका भाषण पढा था जिसके लिये उनपर अभियोग चल रहा है । खुफिया विभागके इन्सपेक्टर ने भी जिस तरहसे उसे पेश किया है उसे देखनेसे भी यही प्रगट होता है कि भाषण निर्दोष है । लार्ड चेम्सफोर्डके शब्दोंमें यह भाषण विशेषण रहित है अर्थात् बहुत ही माकूल भाषण है । पर उस भाषणमें डाक्टर चोलकरने प्रजातन्त्र राज्यकी व्याख्या की है । यदि केवल इसलिये डाक्टर चोलकर दोषी ठहराये गये हैं तब तो एक भी कांग्रेसमैन निर्दोष नहीं कहा जा सकता क्योंकि यदि विना पूर्ण स्वराज्यके ही उसे अपने जन्म सिद्ध अधिकारकी प्राप्तिकी सम्भावना हो जाय तो वह उस प्रजातन्त्रकी चिन्ता और उसके लिये चेष्टासे क्यों मुह मोड़ेगा । कारण यह है कि मध्य प्रदेश तथा अन्य प्रातोंमें शराबखोरीके विरुद्ध जनता एक दम से तैयार हो गयी है पर सरकारको यह सट्टा नहीं है । भग-

चार कर दगे कि वह नशोली वस्तुओंसे परहेजको अवगुण और चर्खा कातनेको अपराध समझने लगेगी उसी दिन नि, क्षय जान लीजियेगा कि आपने सरकारको दवा दिया है। यह शासन प्रणाली तभी तक कायम रहेगी जबतक हमलोग इसके प्रति जरा भी श्रद्धा दिखलावेगे या उसके प्रति उल्लास प्रगट करगे अथवा सरकारको अभियोग चलानेका साधारण भी अवसर देगे।

यदि सरकार चर्खा कातना अपराध समझे तो इसमें विस्मय नहीं होना चाहिये क्योंकि यह कोई नयी घात नहीं है। इस्ट इण्डिया कम्पनी इतिहास जिन्होंने पढा होगा उन्हें विदित है कि चर्खा कातना तथा करघा चलाना महापाप समझा जाता था। इस कलाका इस प्रकार दमन किया गया कि विचारे जेल जानेसे बचनेके लिये अपने हाथोंके ये अगूठेकटा बैठे। कितने लोग भापण करते समय घटनावालीकी खिचड़ी घना कर यह कहने लग जाते हैं कि इस्ट इण्डिया कम्पनीके कर्मचारियोंने इनके अगूठे काट डाले थे। मेरी समझमें उस अत्याचारके मुकाबिले जिससे चिबश होकर उन्हें अपने हाथों अपना अंग भंग करना पडता था इस तरहके अत्याचारकी क्रूरता उतनी भोषण नहीं प्रतीत होती।

शराबके प्रचारको रोकनेकी चेष्टाको अपराध प्रमाणित करना, सफेद टोपी पहननेको अपराध प्रमाणित करनेसे केवल एक कदम आगे है। मैंने जबलपुरमें सुना था कि किसी रेलवे

वर्तमान शासन प्रणालीके प्रतिकूल अप्रीति फैलाना तो यह हम लोगोका कर्तव्य है। पर हमें इसकी शिक्षा देनेकी आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी इस तरहकी शासन प्रणालीसे स्नेह नहीं रख सकता। कितनोंने इस बातको स्वीकार किया है कि हम लोग उपाधियोंका त्याग इसलिये नहीं कर सकते कि हममें साहस नहीं है कि हम लोग अपने सर्वस्वका नाश वर्दाशत कर सकें। मैं जानता हू कि अनेक आदमियोंको इस बातकी धमकी दी गयी है कि यदि वे सरकारकी कृपाओंको अस्वीकार करेंगे तो उनकी जागीर छीन ली जायगी। और भी लोग हैं जो उपाधियोंका परित्याग केवल इस कारण नहीं कर सकते कि वे महाजनी पेशा नहीं छोड़ सकते। वे डरते हैं कि सरकारका प्रभाव इतना अधिक है कि यदि वे किसी तरहकी स्वतन्त्रताकी प्रवृत्ति दिखलावेंगे तो सरकार उनका कारोबार बन्द करदेगी। पर सबके सब उस शासन प्रणालीका नाश हृदयसे चाहती हैं जिसमें रहकर दि वे हजारों रुपया कमाते हैं तो करोड़ों विना किसी लाभके उनके देशसे बाहर निकल जाता है। इसीलिये मैं फिर कहता हू कि हमें अप्रीतिकी शिक्षा देनेकी आवश्यकता नहीं है। इस सरकारको जितना लोग सम्भन्ने लग गये हैं उससे खराब हम लोग चित्र नहीं खींच सकेंगे। जरूरत है इस शासन प्रणालीको नाश करनेकी शक्ति घतानेकी। वह मार्ग आत्मशुद्धिका मार्ग है। जिस समय हम लोग अपने आचरणसे सरकारको इतना ला-

करनेवालेके घलात्कारके सामने मिर झुका देने से या उसकी हिंसाका उत्तर हिंसासे देनेसे। पर असहयोग आन्दोलन से सम्यन्ध रखनेवालोंसे मेरा धनुरोध है कि वे इस पापी सरकारका नाश केवलमात्र असहयोग आन्दोलनसे कर दें। इसके लिये न तो वे सरकारकी घर्ना करें और न उसकी बुलाई करें, बल्कि उसकी बुलाईका प्रमाण पाकर उसके साथ सहयोग करके उसकी प्रतिष्ठा करना छोड़ दें।

भारत सरकारने सूचना पत्र द्वारा जो कुछ कहा था वह सर्वथा उचित था। उसने विचार स्वतन्त्रता और भाषणकी स्वतन्त्रताको स्वीकार किया था। उसने केवल प्रत्यक्ष हिंसाकी दमनद्वारा दबानेकी सूचना दी थी। पर जिस समय वह सूचना निकली थी उसी समय मैंने कह दिया था कि इसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस सूचनापत्रके तैयार करनेवालेने यह आशा की थी कि केवल उदासीनता दिखलाकर ही वे लोग इसका नाश कर डालेंगे पर ज्योंही सरकारी प्रतिष्ठा सूचक सभाओंका नाश करके यह उनकी मर्यादा विगडने लगा तथा विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार और शराबके प्रचारको रोक कर उसने इनकी आमदनी घटाना आरम्भ किया कि सरकार ढर गयी और उसने भाषणकी स्वतन्त्रता तथा प्रचारको रोकना आरम्भ किया और यह दमन तो एक तरह से हाथ बैठाना है। अभी तो दमनका असली अभिनय आरम्भ नहीं हुआ है। हमें तो असली दमनके लिये तैयार होना है। हमें सदा

विभागके कर्मचारी सफेद टोपी (गांधी टोपी) पहननेने रोक दिये गये थे।

क्या संयुक्त प्रान्तकी सरकारने इस आन्दोलनको क्रांतिकारी नहीं बतलाया है। आजतक तो क्रांति शब्दका अर्थ हिंसा रहा है। और हिंसात्मक होनेके कारण प्रत्येक सरकार इसे अपराध बताती चली आ रही है। पर असहयोग आन्दोलनको सशस्त्र संग्रामके अभिप्रायमें क्रांतिकारी नहीं कह सकते। यह विकासकी क्रांति है। असहयोग आत्मशुद्धिका मार्ग है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह लोगोंके मत या विश्वासमें क्रांति उत्पन्न करनेका मार्ग है। इससे यदि इसका विरोध किया जाय तो इससे यह अभिप्राय निकला कि सरकार बलात्कारसे सहयोग कराना चाहती है। इसलिये इस आन्दोलनके नाशकी चेष्टाका अभिप्राय यह हुआ कि चरखेके प्रचारको रोकनेका प्रयत्न, तथा शराबखोरीको रोकनेके आन्दोलनका रोकना अर्थात् लोगोंको हिंसाके लिये रोकना, क्योंकि विदेशी बस्त्रोंको पहनने तथा शराब पीनेकी किसी तरह से बाध्य करनेका प्रयत्न अवश्य ही जनताको उत्तेजित कर देगा पर हमारी सफलता तभी संभव है जब हम इस तरहकी उत्तेजनाको भी शांति के साथ पी जायेंगे। हमें बदला लेनेके लिये नहीं तैयार होना चाहिये। हम लोगोंकी ओरसे किसी तरहकी कार्रवाईके लिये उदासीनता ही सरकारके पागलपनका नाश कर देगी। हिंसाके प्रचारके दो कारण हैं। या तो हिंसा

साथही वे निर्भीक और साहसी बक्ता हैं और उनके भाषणका बहुत असर पडता है। इसलिये मध्यप्रान्तकी सरकार उन्हें हटाकर अपना मार्ग साफ रखना ही उचित समझती है। श्रीयुत सुन्दरलालके ऊपर जो अभियोग चलाया गया है उसकी नकल नीचे दी जाती है —

सूचना मिली है कि दूसरी मार्च १९२१ के लगभग तुमने खरगामामें ५००० जनताकी उपस्थितिमें भाषण करते हुए कहा था कि भारतमें ब्रिटिश शासन केवलमात्र प्रजाका रक्त चूसनेके लिये पूर्ण वेईमानीके साथ चलाया जा रहा है और देशको शोचनीय दखिदावस्थामें पहुँचा देना ही इस शासनका अभिप्राय है। अनेक तरहकी बीमारियों, अकाल तथा रोजगार और उद्योग धन्धोंके नाशकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकारके ऊपर है। तथा अन्य अनेक प्रकारकी आपदायें, जिनके कारण धीरे धीरे देश अध पतनकी ओर जा रहा है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकारके ऊपर है। सरकारने मुसलमानोंको जो वचन दिया था, उसे जान बूझकर तोडा गया है, पञ्जाबमें नृशंसता पूर्ण अत्याचार तथा हिंसा को गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि ब्रिटिश शासन परसे जनताका विश्वास उठ गया है। इस अवस्थाके सुधारकी एकमात्र औपधि ब्रिटिश सरकारका पूर्णतया नाश है, पर यह नभी साध्य है जब हम लोग अहिंसात्मक असहयोगका शस्त्र पूरी तरहसे धारण कर ले। इस भाषणसे ब्रिटिश सरकारके प्रति प्रजाके हृदयमें घृणा उत्पन्न हो गई है या उत्पन्न होनेकी आशङ्का है और

लिये तैयार रहना चाहिये, स्थिर रहना चाहिये और अपने स्थान पर अटल रहना चाहिये। हमें तो डायर और ओडायरकी क्रूरता तकके लिये तैयार रहना चाहिये और जिस प्रकार सीताजीने कठिन परीक्षामें भी पतिप्रेमकी तल्लुनता दिखलायी उसी प्रकार हमें भी देशप्रेममें अटल रहना चाहिये।

मध्यप्रान्तमें दमन

(मई १५, १९२१)

प्रत्येक प्रान्तमें बारीबारीसे दमन हो रहा है और प्रत्येक प्रान्तके दमनका तरीका निराला है। सयुक्त प्रान्तके असहयोगी नेता अभीतक प्रायः निर्विघ्न हैं। “अवधके किसानोंको सन्देश” शीर्षक परचेके लेखक पण्डित मोतीलाल नेहरू तो बेरोकटोक अपना काम करते चले जा रहे हैं, उनके शरीरको आचतक नहीं आई पर उस परचेके घाटने वाले नवयुवक गिरफ्तार कर लिये गये और जेलमें सड़ रहे हैं। इधर मध्य प्रदेशके चुने नेता एक एक करके चुने जा रहे हैं। और उदारचित्त मजिस्ट्रेट साहब उन्हें लगातार जेलमें ढूसते जा रहे हैं। श्रीयुत सुन्दरलालजीका उदाहरण अभी ताजा है। छात्रोंमें उनकी जितनी प्रतिष्ठा है मध्य प्रदेशमें उतनी किसी अन्यकी नहीं है। पर जहातक हिसासे सम्यन्ध है उनका प्रभाव उसको रोकनेमें सबसे अधिक कारगर है।

रोकना चाहती थी वह ज्योंका त्यों चल रहा है और प्रत्येकके दिलोंमें गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। तब सरकार देखेगी कि उसके पागलपन तथा विचार-शून्यताका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जनताका कर्तव्य स्पष्ट है। उन्हें अपना विधायक कार्य करते रहना चाहिये जिससे वे अन्तिम विजयके लिये तैयार हो जाय। सरकारको पागल होते देखकर भी हमें शान्त रहना चाहिये।

पीडित सिन्ध

(जून १५, १९२१)

सिन्धमें दमनका जो दौरदोरा है उसके सम्बन्धमें एक सम्मानित मित्रने निम्नलिखित पत्र मेरे पास भेजा है —

'सिन्धके कमिश्नरने मुक्तिपारकारोंके नाम गुप्त सूचना जारी की है कि आप लोग असहयोग आन्दोलनके प्रतिकूल आन्दोलन उठाइये। तदनुसार असहयोग आन्दोलनको दमनके लिये ये मुक्तिपारकार कहीं कहीं विचित्र कार्रवाईया कर रहे हैं। असहयोग आन्दोलनके विरुद्ध यदि वे कोई खुली सभा या समिति कायम करके काम करें तो कदाचित किसीको विरोध न हो। पर यह न करके उन्होंने लोगोंको धमकाना आरम्भ किया है कि अपने गावोंमें असहयोगियोंको ठहरने मत दो।

तुमने इससे अप्रीति फैलाई है या इससे अप्रीति फैलानेकी संभावना है। इसलिये तुम ताजिरात हिन्द १२४ (ए) दफाके अनुसार दण्डनीय हो और मेरे इजलासमें विचारणीय हो।”

अभियोग स्पष्ट है। यह अभियोग हिंसा करने या हिंसाकी प्रेरणाके लिये नहीं चलाया गया है। केवल विद्वेष और अप्रीति फैलानेके लिये यह अभियोग चलाया गया है। अभियोगमें ऐसी कोई बात नहीं है जो विगत १२ महोनोंसे भिन्न भिन्न सभाओंमें दोहराई न गई हों। वास्तवमें बात यह है कि इस विद्वेष और अप्रीतिका—जिसका प्रदुर्भाव जनताके हृदयमें होगया है—समाचार घर घर पहुंचाना तथा उसे फैलाना ही असहयोगका तत्व प्रत्येक असहयोगीका यही बूढ़ और अटल विश्वास है कि वर्तमान सरकार अर्थात् वर्तमान शासन प्रणाली खराब है, इसका निर्माण भारतके साधनोंको नष्ट कर देनेके लिये ही हुआ है, भारतको दरिद्रता तथा तद्गत अकाल और बीमारीके उत्पातका यही कारण है। भारतकी हीनताके लिये यही जिम्मेदार है। ब्रिटिश मन्त्रियोंने मुसलमानोंके साथ वादापिलाफी की है। ये बातें प्रत्येक असहयोगीके हृदयमें जम गई हैं और यही कारण है कि असहयोग तथा अन्य उपायो द्वारा वह इस प्रथाका नाश करना चाहता है। मैं श्रीसुन्दरलाको बधाई देता हूँ। बल्कि जिस पदपर वे पहुंच गये हैं उसके लिये मुझे ईर्ष्या है। मध्य प्रांतकी सरकार प्रत्येक नेताओंको एक एक करके उठा ले। फिर भी वह देखेगी कि जिस अप्रीतिके फैलानेको दमन द्वारा

रोकना चाहती थी वह ज्योका त्यो चल रहा है और प्रत्येकके दिलोंमें गहरा प्रभाव पडता जा रहा है। तब सरकार देखेगी कि उसके पागलपन तथा विचार-शून्यताका क्या प्रभाव पड रहा है। जनताका कर्तव्य स्पष्ट है। उन्हें अपना विधायक कार्य करते रहना चाहिये जिससे वे अन्तिम विजयके लिये तैयार हो जाय। सरकारको पागल होते देखकर भी हमे शान्त रहना चाहिये।

पीडित सिन्ध

(जून १५, १९२१)

सिन्धमें दमनका जो दौरदोरा है उसके सम्बन्धमें एक सम्मानित मित्रने निम्नलिखित पत्र मेरे पास भेजा है —

“सिन्धके कमिश्नरने मुक्तिपारकारोंके नाम गुप्त सूचना जारी की है कि आप लोग असहयोग आन्दोलनके प्रतिकूल आन्दोलन उठाइये। तदनुसार असहयोग आन्दोलनको दबानेके लिये ये मुक्तिपारकार कहीं कहीं विचित्र कार्रवाइया कर रहे हैं। असहयोग आन्दोलनके विरुद्ध यदि वे कोई खुली सभा या समिति कायम करके काम करें तो कदाचित्त किसीको विरोध न हो। पर यह न करके उन्होने लोगोंको धमकाना आरम्भ किया है कि अपने गावोंमें असहयोगियोंको ठहरने मत दो।

तथा पञ्चायतोंको धमकी दी है कि वह लोगोंको असहयोगियोंकी सभाओंमें जानेसे रोके। इस तरहकी घटनायें हुई भी हैं। अदीन गांवमें कुछ असहयोगी उतरे थे। थोड़ी देरके बाद गृह-स्वामीने—जहा वे उतरे थे—उनसे आकर कहा कि आप लोग यहासे चले जाइये। थारपारकर जिलेमें एक असहयोगी ऊट पर चढ़ा चला जा रहा था। विप्रोंमें कोसी नक्कावपोशने उसपर हमला किया। हमला करनेवालेने उसे ऊटपरसे खींच लिया और उसे लाठीसे मारा, उसके माल असवावपर हाथ नहीं लगाया। केवल उसका 'स्वराज्य झण्डा और ओढना ले गया। जिला भरके लोग यह बात जानते हैं कि एक सुविख्यात सरकारी कर्मचारीने इस तरहके प्रहारकी योजना की थी। पर यहापर पुलिसका जोर जुलूम इतना बढ़ रहा है कि उन्हें (जनताको) प्रगट होकर कुछ कहनेका साहस नहीं हुआ। सकर जिलेकी अवस्था इससे भी खराब है। तीन सप्ताह होते हैं कि ऊबौरोमें बकर जिला परिषदकी बैठक हुई थी। यह स्थान स्टेशनसे दस मीलकी दूरी पर है। डिपटी कलकृष्ण गाडीवानोंको धमका दिया था कि जो लोग गाधी टोपी पहने हों उन्हें गाडी किराये पर मत देना। गाडीवाले डिपटी कलकृष्णकी नाराजगीको मोल नहीं लेता " हि जिस होकर डरके मारे उनकी आधुनिक समय उस कानफरे सकरके

स्टेशनपर पहुँचे तो उन्हें विदित हुआ कि एक भी गाड़ी नहीं मिल सकती। अन्तमें एक बैल गाड़ीवालेने उन्हें ले जाना स्वीकार किया। इसपर पुलिस जमादारने उसे पीटना आरम्भ किया। निदान उसने भी उन्हें ले जानेसे अस्वीकार कर दिया। लाचार होकर सब लोग पैदल चलकर नजदीकके गावमें पहुँचे और वहासे पञ्चायतने सवारीका प्रबन्ध करके उन्हें भेजा। उद्योरोके लोग कान्फरे समें आते ही न थे। उन्हें डरा दिया गया था कि घर छोड़कर बाहर गये कि घरोंपर डाका पड जायगे। इसलिये स्वयसेवकोंने इस बातकी जिम्मेदारी ली कि जयतक इस गावके लोग सभामें रहे गे हम लोग गावमें पहरा देंगे। जिस समय कान्फरे स हो रही थी खुफिया पुलिसके उभारनेसे एक मुसलमान साहब बोलनेके लिये कहने लगे पर पूछनेपर वे यह नहीं बताते थे कि वे किस प्रस्तावपर बोलना चाहते हैं। अन्तमें उन्हें बोलनेकी आज्ञा दी गई तो वे उपस्थित कार्यकर्ताओंको गालिया देने लगे। पर जनता उनके साथ शान्तिसे पेश आई। थोडो देरके बाद एक दूसरा मुसलमान बिना किसी कारण दो स्वयसेवकोंपर झपट पडा और उन्हें तथा पासमें बैठने वालोंको जूतेसे पीटा। जिनपर मार पडी वे शान्त रहे, बदला लेनेके लिये नहीं उतारू हुए। जयतक कान्फरे स होती रही प्रत्येक क्षण सचालकोंको झगडेकी सभावना प्रतीत होती थी। पर अधिकारियोंके एजेंटोंके लापरवह करनेपर भी वे हिंसाके लिये किसीको उत्तेजित नहीं कर सके। उनका

प्रयत्न व्यर्थ गया। लौटते समय भी गाडीवालोंने कान्फरेसके प्रतिनिधियोंको ले जाना स्वीकार नहीं किया। मार्गमें कुछ लोग मीरपुर माथेलोमें ठहर गये और सभाको योजना थी। इस सभामें कुछ सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। उन्होंने मौलवी ताज मोहम्मदको खुली गालिया दीं तथा उनका अपमान किया। पर न तो उन्होंने उनके बदलेमें एक शब्द कहा और न जनताने ही एक शब्द कहा। इस कान्फरेसके बादसे इस जिलाकी अवस्था प्रति दिन गम्भीर होती चली जा रही है। इस तरफके मुख्तियारकार लोग प्रतिदिन मुसलमानोंकी सभा करके उन्हें यह कहकर भडका रहे हैं कि हिन्दू लोग तुम्हें धोखा देना चाहते हैं। इसलिये हिन्दुओंसे मुसलमान लोग खुले शब्दोंमें कह रहे हैं कि यदि तुम लोग असहयोगियोंको अपने यहा टिकाओगे तो हम लोग तुम्हारे घरोंमें चोरी करेंगे। एक गावमें कांग्रेस दलको मन्दिरमें जाकर रहना पडा। थोटी देर बाद करीब २५।३० मुसलमानोंने उस मन्दिरको घेर लिया और कहा कि जो कोई यहा भाषण करेगा उसे हम लोग पीटे बिना नहीं रहेंगे। अन्तमें पुजारीने इस दलको अनुनय विनयसे दूसरे मार्गसे मन्दिरके बाहर किया। घोटकीमें ३०।४० लड्डवन्द मुसलमानोंने सऊर कांग्रेस कमेटीके युवक मन्त्री श्रीयुत चोय-धगम बलेचाको घेर लिया। वे शान्त खड़े थे और मार खानेको तैयार हो गये।

- इतनेमें कई एक हिन्दू नवयुवक वहा पहुच गये और श्रीयुक्त

बलेचाके पास चुपचाप बैठ गये। यह समाचार स्थानीय पञ्चायतको मिला। उसने आदमी भेजकर श्रीयुत बलेचा तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओंको बुलवाया। जब वे पञ्चायतमें पहुँचे तो वे सभी मुसलमान उनके पीछे पीछे बहा गये और पञ्चायतके सभामें बैठ गये। उनलोगोंने कहा कि वे लोग श्रीयुत बलेचाको मारना चाहते हैं। इस पर पञ्चायतने श्रीयुत बलेचा से प्रार्थना की कि आप इस गाँवको छोड़कर चले जाइये। श्रीयुत बलेचाने उत्तर दिया कि हम काम समाप्त करके ही यहाँसे जायँगे अन्यथा नहीं। उन्हें हठ करते देखकर पञ्चायतने मुसलमानोंसे कहा कि आप लोग इनका पीछा छोड़ दीजिये, जिससे ये अपना काम करें। मुसलमानोंने उपहास करके जलसे मेंसे हटना अस्वीकार किया। एक घण्टे तक और प्रतीक्षा करनेके बाद पञ्चायतने लाचार होकर श्रीयुत बलेचासे फिर प्रार्थना की कि आप यहाँसे चले जाइये। निदान अन्य कोई चारा न देखकर उन्हें लौटना पडा और ४० हिन्दू स्टेशनतक पहुँचा गये। जिन लोगोंने धमकी तथा अत्याचार और प्रत्यक्ष हिंसा द्वारा कांग्रेसके प्रचारको गाँवोंमें रोकनेका प्रयत्न किया था उनके विरुद्ध अभीतक सरकारी कर्मचारियोंने कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या लार्ड रेडिङ्ग या मिस्टर जार्ज लाइड इस आन्दोलनको इसी तरह दबाना चाहते हैं ?

अन्तिम वाक्य द्वारा इस पत्रके लेखकने मेरे ऊपर कटाक्ष किया है। यह मुझे स्मरण दिलानेके लिये है कि मैंने लार्ड रेडिङ्ग

जुल्म

(अगस्त १८, १९२१)

सयुक्त प्रान्तके दौरेमें मुझे दमनकी विचित्र कहानिया सुननेमें आईं। इनमेंसे सम्प्रति मैं केवल दा अभियोगोंपर विचार करना चाहता हू जिन्हें मैं किसी भी तरह जुल्मसे कम नहीं कह सकता। सीतापुरके जर्मादार बाबू मोहनसिंह धारमल तथा भूतपूर्व नायब तहसीलदार श्रीयुक्त शम्भुनाथपर नोटिस जारी की गई है कि निम्नलिखित अभियोगोंके लिये उनसे जमानत क्यों न मागी जाय। समनमें लिखा है—रामगढके पटवारीके बयानसे मालूम हुआ कि तुमलोग (रामगढके ठाकुर मोहनसिंह और भोवाली तथा भुनियाधरके तहसीलदार बाबू शम्भुनाथ, सरकारके खिलाफ आन्दोलनमें भाग लेते हो और तिलक खराज फण्डके लिये नोट बेचते हो। सरकारके विरुद्ध यह आन्दोलन है और सम्भावना है कि इसका परिणाम खराब हो, इससे शान्ति भङ्ग हो, इसलिये तुमलोग अदालतमें हाजिर होकर कारण दिखाओ कि तुमलोगोंसे नेकचलनीका एक वर्षके लिये एक एक हजार रुपयेकी जमानत और पाच पाच सौ रुपयेकी फेलजामिनी मुचलका क्यों न ली जाय।

समनको पढ़कर कोई भी नहीं कह सकता कि इनपर कोई

अपराध लगाया गया है। केवल पटवारीके बयानपर अधिकारीवर्ग इस तरहकी शोचनीय कार्रवाईके लिये तैयार हुए हैं। पटवारीने अपने बयानमें कहा है कि उन्होंने चन्दा संग्रह करके पण्डित मोली-आलजी नेहरूको दिया है और रामगढमें चे लोग पण्डित मोतीलालजी नेहरूके साथ थे। मजिस्ट्रेटको साहस नहीं था कि समनमें वह इस बातको लिखते पर अभियुक्तने अपने बयानमें ये घातें स्वीकार की हैं जिनसे प्रगट होता है कि उनका यही अपराध था। अभियुक्त नम्बर दो अपने जिलेमें विख्यात हैं। उसे क्षयीकी बीमारी है। उसका दहना फेफडा खराब है। दूसरे अभियुक्तको पेटकी बीमारी है। उसने कई महीनेसे किसी तरहके राजनैतिक काममें भाग नहीं लिया है। उसने कोई भाषण नहीं किया है। जिस तरह पण्डितजी अपने स्वास्थ्यके लिये रामगढ गये थे उसी तरह वह भी रामगढ स्वास्थ्यके लिये ही गया था। इसलिये उसे गिरफ्तार करनेका मजिस्ट्रेटके पास कोई पर्याप्त कारण नहीं था। असल बात यह थी कि जिन लोगोंकी असहयोग आन्दोलनके साथ किसी तरहकी सहानुभूति थी उनके हृदयमें भय उत्पन्न कर देना ही मजिस्ट्रेटकी आन्तरिक इच्छा थी। जिससे न तो कोई गावोंमें असहयोगका प्रचार कर सके और न तिलक खराज्य कोषके लिये चन्दा इकट्ठा कर सके। कहा जा सकता है कि इस तरहकी घातें असामान्य हैं और इनके प्रभावको विस्तार देना उचित नहीं होगा। पर मैं इनका

समर्थन नहीं कर सकता। मुमकिन है कि इस मजिस्ट्रेटने अपने मनसे उत्पीडनका यह नया तरीका अख्तियार किया हो। पर दौरेसे जो कुछ अनुभव मुझे हुआ है उससे मैं यही कह सकता हूँ कि संयुक्त प्रान्तमें जोरोंका दमन जारी है और सिवा सिन्धके इस दमनका मुकाबिला और कहीं नहीं किया जा सकता। इस तरहका दमन केवल इसी अभिप्रायसे चलाया गया है जिससे असहयोग आन्दोलन—चाहे वह किहना ही शान्तिमय और अहिंसात्मक क्यों न हो—एकदमसे मार दिया जाय। अली भाइयोकी क्षमा प्रार्थनाका भीषण दुरुपयोग किया जा रहा है। पर इस साहसिक और घोरतापूर्ण आचरणका इस तरह दुरुपयोग असहयोगियोंको नीचा दिखानेके लिये तथा दूसरोंको उस तरफसे बहकानेके लिये—अन्य घुराइयोंसे, जिसका प्रयोग इस कामके लिये किया जाता है—कहीं घटकर है। मुझे इस बातसे सन्तोष है कि उन गरीबोंको—जो कांग्रेसके भण्डेके नीचे आनेका साहस करते हैं—अनेक तरहसे तड़क किया जाता है ताकि वे कांग्रेस कमेटियोंमें शामिल न हों। साथ ही उसी तरहके बल प्रयोगद्वारा उन्हें अमन सभाओंमें भाग लेनेके लिये दबाया जाता है। ये अमन सभायें स्वयं जालिम हैं क्योंकि उनमें भाग लेनेके लिये जिन उपायोंका प्रयोग किया जाता है वे गैरकानूनी और असभ्य हैं। संयुक्त प्रान्तकी सरकार उसी कार्रवाईको कायरतापूर्ण रीतिसे कर रही है जिसकी पञ्जाबकी ओढायरी सरकारने

साहस तथा बेकूफीके साथ किया था। उसने अपनी नीतिका अनुसरण किया और जलियावाला बागके लिये क्षेत्र तैयार करनेके हेतु एक साथ ही समस्त नेताओंको गिरफ्तार कर लिया। मैंने अन्य लेखमें लिखलाया है कि रङ्गूटोंकी भर्तीके दिनोंमें पञ्जाबमें गुप्त रूपसे जलियावाला बागसे भी मोपण अत्याचार किये गये थे। पर उनपर किसीने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई नेता गिरफ्तार नहीं किया गया था। संयुक्त प्रान्तकी सरकार अन्य नेताओंको गिरफ्तार करनेकी नीतिका अवलम्बन नहीं कर रही है। कहीं कहीं एकाध नेताको पकड लेती है। जैसे अलीगढके शेरवानी साहब। उसने श्रीयुत रङ्गा ऐट्यरको गिरफ्तार किया है। अभीतक उसने पण्डित जवाहरलाल तथा मिस्टर जार्ज जोसफको पकडनेके लिये हाथ नहीं बढाया है यद्यपि इन तीनों व्यक्तियोंने साथ ही सरकारको चैलेंज दिया था। संयुक्त प्रान्तमें मुझे जो कुछ अनुभव हुए उसके लिखनेको मुझे विशेष आवश्यकता इसलिये पडी कि मिस्टर चिन्तामणिने अपने हालके भाषणमें सरकारकी कार्रवाइयोंका प्रतिपादन किया है और चूँकि मुझसे कहा गया था कि मैं यथासाध्य मन्त्रीगण तथा सुधारोंको सफल बनानेकी चेष्टा करूँ। मेरी नाकिस रायमें शासन सुधार तथा मन्त्रीगणको प्रयोग एकमात्र नौकरशाहीकी क्रूर कार्रवाइयोंकी लीपापोती और उसकी जड मजबूत करनेके लिये हो रही है। केवल यह कह देना कि, विचारे मन्त्रीगण इस बातको समझते

नहीं और इसलिये वे निर्दोष हैं, इस नौतिकी घुराई दूर नहीं हो जाती, यद्यपि इससे मन्वियोंका दोष कुछ हलका हो सकता है। मैं इस बातको जल्दी नहीं स्वीकार कर सकता कि राजासाहब महमूदाबाद और मिस्टर चिन्तामणि जो कुछ करते हैं उसके घुरे परिणामको समझते हैं। मेरी तो यही धारणा है कि नौकरशाहीके मायाजालमें वे जवर्दस्ती खींच लिये गये हैं और उनके सामने आशाका जो सौम्य चित्र रखा जाता है उससे मोहित होकर वे उस कामको करते हैं जिसे स्वतन्त्र होकर वे अवश्य घृणित और निन्दित कहते। इण्डिपेण्डेण्ट पत्रमें लिखा है कि बदायूँ के किसी मुनसरीमके लडकेके नाम बफा १४४ के अनुसार नोटिस जारी की गई। जिला जजने मुनसरीमसे कहा कि तुम अपने लडकेसे नेकचलनीका इकरार-नामा लिखा लाओ। लडकेने लिखनेसे इनकार किया। इसपर जिला जजने उस मुनसरीमको मुअत्तिल कर दिया। जज साहबकी इस कार्रवाईको राजासाहब महमूदाबादने जायज बतलायी है और इसका समर्थन किया है। १० मईको वह मुनसरीम उपरोक्त अपराधके कारण मुअत्तिल किया गया। लडका अपने पिताके साथ अवश्य रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि ६ जूनको मुनसरीमने अपने लडकेके हस्ताक्षरसे एक दरखास्त पेश की कि वह अमन सभामे नाम दर्ज कराना चाहता है। इस तरह अपने लडकेकी स्वतन्त्रता बेचकर उसने अपनेको बहाल कराया। यदि हमें इस घटनाका अन्तरङ्ग दृश्य

देखनेका अवसर मिल जाय तो हमें प्रगट हो जायगा कि जिला जजकी इस कार्रवाईका समर्थन करनेके लिये अनेक अधिकारियोंके बीच खत किताबत हुई होगी। इसके भीतर चाहे जो कुछ हो पर हमारे सामने यह दुःखद घटना है कि गरीब सरकारी कर्मचारियोंपर इस बातके लिये दबाव डाला जा रहा है कि वे अपने लड़कोंको असहयोग आन्दोलनसे पीच ले। इस बातमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं कि तीन वर्ष पहले यही राजासाहब अधिकारियोंकी इस तरहकी उच्छृङ्खलता और दुष्टतापर मुझसे भी अधिक कड़ी भाषामें लिखे होते। मन्त्रियोंके इस तरहके विचारहीन प्रयोगसे अधिक आवश्यक एक बात है जिसपर असहयोगियोंका ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है। इस तरहकी अनाचारपूर्ण उच्छृङ्खल तथा नाजायज कार्रवाइयोंसे असहयोगियोंको कमी भी घबराना नहीं चाहिये बल्कि उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिये कि संसार भरके सुधारकोंकी यही दुर्गति हुई है। इसलिये इस तरहकी दुर्गति सहनेके लिये उन्हें सदा तैयार रहना चाहिये। हमें दण्ड देनेगलोंका वास्तवमें यही ख्याल रहता है- कि हमलोग गलत रास्तेपर हैं, हमारी कार्यवाहीसे देशको हानि पहुंच रही है। इसलिये वे उस आन्दोलनके दवानेके लिये किसी युक्तिका सहारा लेना नाजायज नहीं समझने। इसलिये हर तरहके दमनको हमें विजयका प्रारम्भिक चित्र समझना चाहिये और अपना दृढता और भी प्रौढ बनानेके लिये हमें

उसका स्वागत करना चाहिये और इसका सदुपयोग करना चाहिये ।

गाली-किसे कहते हैं ?

सयुक्त प्रान्तसे एक महाशय लिखते हैं—

“आजकल चारों तरफ बड़ी धुलन्द आवाजमें सरकारकी मलामत करनेकी वाढसी आ रही है । प्राय सभी उसे गालियां देनेमें मशगूल हैं । उनकी गालियोंका खजाना घटता ही नहीं । जिसे देखिये वही उसे दुष्ट, असभ्य, और क्या क्या नहीं, बताता है । ऐसा मालूम होता है कि मानों हर आदमी इस बातकी कोशिश करता है कि सरकारको गालिया देनेमें दूसरे लोगोंसे आगे किस तरह बढ जाऊँ । सच पूछिये तो हर एक व्याख्यान बढजवानी और बढदुआसे भरा रहता है । एक भी भाषण ऐसा नहीं होता जिसमें व्याख्याता अपने दिलका गुब्बार नहीं निकालता और सरकारकी लानतमलामत नहीं करता । और फिर भी दिल्ली यह कि ऐसे व्याख्यान बढे जोशीले और तवीयत फड़का देनेवाले माने जाते हैं । थोडे में यह बात हद दर्जेको पहुँच गई है । ऐसा करनेका मानों रवाज ही पड गया है ।

मुझे तो ऐसी घाहियात बातपर दिलसे नफरत होती है ।

मेरे खपालमें तो इस प्रकार गुस्सा दिखाना और गर्जन-तर्जन करना कमजोरीका ही चिह्न है। इससे ऐसा जाहिर होता है कि उन व्याख्यानवाजोंके पास सच्चे काम करनेकी शक्तिका कोसों पता नहीं है और इसलिए वे गाली गुफ्तोंसे भरे व्याख्यान भाड़ भाड़ कर अपने श्रोताओंके सामने उसपर परदा डालना चाहते हैं। इस धारेमें मेरी सुस्त राय तो यह है कि कोई भी गुस्सा भरी बात, यदातक कि सरकारके भी खिलाफ न कही जाय। हा, यह सच है कि हमारा राष्ट्र आज पीड़ित है और इसपर हमें क्रोध होना ठीक भी है। परन्तु क्या हमें गालीगलौज करके अपना गुस्सा निकालना चाहिये? क्या इस रास्तेमें हमें अपनी कार्य शक्ति खर्च करना उचित है? या इसके खिलाफ, क्या हमें अपनी उस कार्य शक्तिका, जो महज गाली देनेमें खर्च होती है, उपयोग सार-युक्त काम करनेमें करके उससे लाभ न उठाना चाहिये? निस्सन्देह गालिया बकना कोई वास्तविक कार्य करना नहीं है, और न यह मातृभूमिकी सेवा करना ही है।

मेरी दृष्टिमें हिंसा केवल दूसरोंपर प्रत्यक्ष हमला करना और उन्हें मार डालना ही नहीं, बल्कि घुरी घात मुहसे निकालना भी हिंसामें दाखिल होता है। अगर यह ठीक है तो मेरी समझमें नहीं आता कि आप खुद जो इस सरकारको 'शैतानियतसे भरी हुई' 'राक्षसी' और 'जङ्गली' उपाधि प्रदान किया करते हैं उसका समर्थन आप किस तरहसे

करेंगे । इस बातमें रस्तीभर शक नहीं है कि इन शब्दोंका समावेश हिंसामें होता है, परन्तु आप तो ठहरे अहिंसाके आचार्य्य । अतएव यह स्वप्नमें भी खयाल नहीं हो सकता कि आप हिंसापूर्ण शब्दोंका प्रयोग करेंगे ।

यह तो गाली गलौजकी बात हुई । अब मैं दूसरे सवालको पेश करता हूँ । आप हमेशा कहते हैं कि मैं और मेरे साथी लोग तो अंग्रेजी सरकारके खिलाफ लड़ाईका साज-सामान तैयार कर रहे हैं, न कि अंग्रेजोंके खिलाफ । आप इस शासन-प्रणालीके तो विरोधी हैं और इसे सुधारना या मिटाना चाहते हैं, परन्तु खुद अंग्रेजोंके प्रति आपके दिलमें किसी तरहका बुरा खयाल नहीं है । इससे यह साफ ही है कि यद्यपि आप इस शासन पद्धतिको तो मट्रियामेट कर देना चाहते हैं, पर अंग्रेजोंको निकाल देना नहीं चाहते । अगर ऐसा है तो यह ऊँचा सिद्धान्त अभी उन लोगोंके भी हृदयपर पूरी तरह अंकित नहीं हो गया है जो आपके सच्चे अनुयायी होनेका दम भरते हैं । इसकी एक मिसाल लीजिये । आगरामें अभी हालहीमें संयुक्त प्रांतकी जो राजनीतिक परिषद् हुई थी उसमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूका भाषण हुआ था । विदेशी कपड़ेके बहिष्कारपर बोलते हुए आपने कहा कि मैं उन लोगोंमेंसे हूँ जो सरगमोंके साथ अंग्रेजोंको भारतसे भगा देना चाहते हैं और इसके लिये अगर मुझे कोई जरिया हाथ लग गई है तो वह स्वदेशी है । यह बात अखबारोंमें भी शायदा हो चुकी

है और मैं समझता हूँ, आपको नजरसे भी गुजरनी होगी।
ऐसी हालतमें क्या यह कहा जा सकता है कि पण्डित जवा-
हरलाल नेहरूने आपके उस सिद्धान्तका मर्म समझ लिया है
जिसके द्वारा हम मनुष्य और उसके कार्योंका भेद समझ
जायँ, ताकि हम उसके कार्योंका तो तिरस्कार कर सकें
परन्तु उस मनुष्यके प्रति किसी तरहका दुर्भाव न रखें ? इस
मामलेमें मैं जोरके साथ कह सकता हूँ कि नेहरूजीकी बात
किसी तरहसे वाजिब नहीं कही जा सकती। तथापि मैं यह
जानना चाहता हूँ कि, आप उसे पसन्द करते हैं या
नापसन्द।”


अगर असहयोगी लोग गालियोंका व्यवहार करते हैं तो
वे निस्सन्देह हिंसा करते हैं और अहिंसाके घतका भंग
करते हैं। लेकिन मैं इस बातको नहीं मान सकता कि 'हर
एक भाषणमें महज बदजबानी और बददुआयें भरी रहती हैं।'
मैं लेखक महाशयको यकीन दिलाता हूँ कि ब्यारयानोंमें क्या
सरकारकी और क्या खुद हमारी दोनोंकी निन्दा की जाती
है और उनमें निन्दाकी अपेक्षा अहिंसा हिन्दू मुसलमान
एकता और स्वदेशीकी दलीलें ही अधिक रहती हैं और इन
तीनों बातोंको लोगोंकी ओरसे जो इतना आश्चर्यजनक
प्रत्युत्तर मिला है वह मेरे इस कथनका शायद सबसे बढ़िया
समूत है। फिर लोगोंकी यह इतनी प्रगति, बिना ही उन्हें धार
वार कहे सुने नहीं हो गई है।

लेकिन आखिर गाली कहते किसे हैं ? गालीका अर्थ है— अनुचित प्रयोग, कुप्रयोग, बुरा प्रयोग। अतएव अगर हम चोरको चोर और बश्माशको बदमाश कहें, तो यह गाली नहीं है। कोठीको कोठी कहनेसे वह बुरा नहीं मानता। हा, यह जरूर है कि ऐसे विशिष्ट शब्दका प्रयोग उसी नीयतसे होना चाहिये और प्रयोग करनेवालेको उसे प्रमाणित करनेके लिये तैयार रहना चाहिये। इस दशामें मैं इन हर जगह और हर मौकेपर होनेवाले शब्दोंके प्रयोगको बुरा नहीं कह सकता और न ऐसे बुरे कहे जाने योग्य विशेषणोंका प्रयोग हमेशा ही हिंसाका लक्षण हुआ करना है। मैं यह बात अच्छी तरहसे जानता हू कि उचित विशेषणोंका प्रयोग कभी हिंसाका लक्षण हो सकता है। पर कब ? जब कि उस व्यक्तिके प्रति जिसके लिये उनका प्रयोग किया गया है, हिंसाकी उत्तेजना देनेके लिये उनका उपयोग किया गया हो। जबकि किसी व्यक्तिकी लानत मलामत इसलिये की जाती है कि वह अपनी बुरी आदतको छोड़ दे या श्रोता उसकी सोहबत छोड़ दे तो ऐसी भर्त्सना विलकुल जायज है। हिन्दू शास्त्रमें तो बुराचारियोंके निन्दा वचनोंसे भरे पडे हैं। उन्होंने तो उन्हें कोसा तक है शाप तक दिये हैं। तुलसीदास तो मूर्तिमान् दयाके अवतार थे। उन्होंने अपनी रामायणमें श्रीरामचन्द्रके शत्रुओंको दूँद दूँदकर बुरे विशेषण लगाये हैं। यही क्यों, उन पापाचारियोंके जो नाम बुने गये हैं वे भी उनके गुणोंके ही सूचक हैं। ईसा म-

सीह उन लोगोंपर दैवी कोपका प्रहार करनेमें नहीं हिचके जिनको ये 'दुष्टों' 'धूर्तों' और मुरदारोंकी औलाद कहते थे। बुद्धने उन लोगोंको नहीं छोडा जो धर्मके नामपर निरपराध बकरोंका बलिदान करते थे। और न कुरान, न जेंदा अवस्था ही ऐसे प्रयोगोंसे घबे हुए हैं। हा, उन सब ऋषियों और पैगम्बरोंकी कोई बदनीयती उनके प्रयोग करनेमें नहीं थी। उन्हें तो जो लोग और जो चीज जैसी थी वीसा ही उनका वर्णन करना था और पेसी भाषाका अवलम्बन करना था जिससे हमलोग अच्छे और बुरेकी पहचान कर सकें। हा, इस बातमें मैं लेखकसे सहमत हू कि हम सरकार और लाटू लोगोंके वर्णनमें जितना ही अधिक कफायतसे काम लेंगे उतना ही हमारे लिये अच्छा है। अभी हमारे अन्दर इतने विकार और इतनी बुराई भरी हुई है कि जिनमें इतना मुहसे बराबर जी दुखानेवाली बात निकला ही जाती है। इस सरकारका हम जो अच्छेसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं वह यह है कि हम इसके अस्तित्वको धरती पर रखें और यह विश्वास करके कि इसका अर्थ ही धरती पर रखनेवाला और नीचा गिरानेवाला है, जहाँ तक हमें संभव हो सके अपने जीवनसे अलहदा रखते रहें।

मैं बार बार यह बात कहता आ रहा हूँ कि इस अर्थ
नका उद्देश अंगरेज लोगोंको निकाल देना नहीं, बल्कि
शासन प्रणालीको संधारना या मिटा देना है।

हमपर जबरदस्ती लाद दी है । मैंने परिष्ठित जवाहरलाल नेहरूका वह व्याख्यान नहीं पढ़ा है, जिसका जिक्र पत्र-प्रेषक महाशयने किया है । लेकिन मैं उनसे इतना अच्छी तरह परिचित हूँ कि जिससे मुझे यह विश्वास नहीं हो सकता कि उन्होंने ऐसी बात कही होगी, जिसकी तुहमत्त उनपर लगाई गई है । मैं जानता हूँ कि वे उन अंगरेज सज्जनोंको सबसे पहले अपने हार्दिक मित्रको तरह गले लगावेंगे जो भारतके प्रेमी हैं और जो उसके सेवक बनकर यहाँ रहना चाहते हैं । और न स्वतन्त्र भारतवर्षमें भी हम इस बातका ध्यानतक करेंगे कि जो अंगरेज सज्जन हमारे (भावी आशान्वित) राज्यसे तय हुई शर्तोंके अनुसार हमारे यहाँ रहना चाहेंगे वे न रहने दिये जाय ।



न्यायका नाटक

(अगस्त २५, १९२१)

जिस समय करांचीके निवासियोंको समाचार मिला कि उनके प्रिय तथा मान्य नेता स्वामी कृष्णानन्दजी गिरफ्तार किये गये तथा तीन घण्टेमें उनका विचार समाप्त करके उन्हें सा ल भरके लिये कड़ी सजाका दण्ड दिया गया उस समय (किराचीको जनता) घेतरह बिगड गई और उपद्रव कर बैठी । उनके इस निन्दनीय आचरणकी मैंने कडे शब्दोंमें आलोचना की है । जिस समय स्वामी कृष्णानन्दका विचार हो रहा था अत्रा लतका दरवाजा बन्द कर दिया गया था और हथियार बन्द सैनिकोंका कडा पहरा वैठाया गया था । पहले पहल स्वामीजी २० को गिरफ्तार किये गये और एक घण्टेके बाद रिहा कर दिये गये । उसी अभियोग पर बिना सूचनाके वे २५ को पुन गिरफ्तार कर लिये गये । उनपर अभियोग लगाया गया था कि उन्होंने किसी कास्टेबिल पर लाठी चलाई थी । प्रोफेसर वस्वानी स्वामीजीसे भली भांति परिचित हैं । विचारके समय वे अदालतमें भी मौजूद थे । उन्होंने लिखा है कि स्वामीजीने कास्टेबिलको नहीं मारा बल्कि स्वामीजी अपने एक मित्रसे बातचीत कर रहे थे और उस कास्टेबिलने उनसे हट जानेके लिये कहा

और जब वे नहीं हटे तो उस कास्टेग्रिलने ही उन्हें पीटा था। जनताका स्वामीजीकी निर्दोषितामें पूरा विश्वास था। इसका परिणाम यह हुआ कि अपना क्रोध शान्त करनेके लिये उमने प्रत्येक अंग्रेज तथा अंग्रेजी टोपी लगा कर चलनेवालेको तड़कना शुरू किया। जिन यूरोपियनोंको तड़क किया गया उसमें लेजिस्लेटिव असेम्बली (बड़ी व्यवस्थापक सभा) के सदस्य मिस्टर प्राइस भी थे। चाहे जनताको किसी भी प्रकारसे उत्तेजित क्यां न किया गया हो, स्वामीजी कितने भी निर्दोष क्यों न रहे हों और उनको कितनी भी अधिक प्रतिष्ठा क्यों न रही हो पर जनताको आत्मसंयम छो देना किसी भी अवस्थामें उचित नहीं था। यदि हममें घोरसे घोर उत्तेजना पर भी आत्मसंयमका पल नहीं है तो हमारी विजय कभी भी नहीं हो सकती। तोपोंकी वर्षाके सामने भी सिपाहीको धीर रहना चाहिये। यदि घोरतम उत्तेजना पर भी असहयोगी अविचलित नहीं रह जाता तो वह किसी कामका नहीं है। जिस अवस्थाको हमने पसन्द कर लिया है उसे स्वीकार करना ही उचित होगा। हम लोगोंको कभी भी यह आशा नहीं करना चाहिये कि प्रत्येक अवस्थामें सरकार शान्त रहेगी। जिस तरह हमारा धर्म है उसी तरह उसका भी धर्म है। उस अवस्था तक वह निरपेक्ष रहेगी। जबतक वह हम लोगोंको खेलते पावेगी उदासीन बैठी रहेगी पर जिस समय उसे यह विदित हो जायगा कि हम लोग तत्पर तथा दत्तचित्त हो गये हैं उसी समय वह भय और उत्पीडनके लिये तैयार हो

जायगी। जिस समय सरकारने देखा कि स्वामीजी तथा उनके साथी तत्पर हैं उसी समय उसने उनपर चार किया। यही हमारी परीक्षाका समय था कि हम लोग अपने द्रतपर अटल हैं या नहीं। पर हम असफल प्रमाणित हुए। यह सब है कि प्रोफेसर वस्त्रानी तथा अन्य सज्जनोंने भारी चेष्टा की और जनताको शान्त किया नहीं तो इससे भी दुर्ग अवस्था उपस्थित हो गई होती। पर इसका कोई महत्व नहीं है। जो बात सबसे प्रधान है वह यह है कि जनताने आत्मसंयम खो दिया। जनताको एकत्रित होनेका न तो कोई कारण था और न इसकी आवश्यकता थी। एकत्रित होकर भी उन्ने अन्तिम क्षणतक शान्त रहना चाहिये था तथा आत्मसंयमसे काम लेना चाहिये था। यदि उसे अपना क्रोध प्रगट करना था तो उसे विलायती वस्त्रोका परित्याग करना था, शराबकी दूकानोपर पहरा देनेके लिये तैयार होना था तथा चरखा कातना चाहिये था। इसकी चोट सरकारको गहरी लगती। पर जनताने जो आचरण किया उससे उस आन्दोलनपर चोट पहुची जिसकी मलाईके लिये वह सब कर रही थी।

इस बातमें जरा भी भूल नहीं होनी चाहिये। जबतक जनता शिक्षित सैनिकोंका व्यवहार न करे सविनय अवज्ञाकी सम्भावना कभी नहीं हो सकती। जबतक प्रत्येक अंग्रेजकी जान पूर्णरूपसे सुरक्षित न कर सकें हमलोग सविनय अवज्ञा कभी नहीं चला सकते। केवल विश्वास दिलाना ही पर्याप्त

नहीं है। प्रत्येक अंग्रेज पुरुष तथा रमणोको यह विश्वास हो जाना चाहिये कि हम इस देशमें पूर्ण सुरक्षित तलवार और बन्दूकोंके बलपर नहीं हैं बल्कि असहयोगियोंके अहिंसाके सिद्धान्तपर हैं। यह केवल सफलताकी ही शर्त नहीं है बल्कि इससे हमारी योग्यता प्रमाणित होती है कि हम इस आन्दोलनको सफलतापूर्वक इसी रूपमें चला सकते हैं। असहयोग आन्दोलन चलानेका अन्य कोई मार्ग नहीं है।

स्वामीजीने जेल जाते समय जो सन्देश दिया है उसे हमें स्मरण रखना चाहिये। उन्होंने कहा है—“शराबखोरीके विरुद्ध आन्दोलन जारी रखो और भद्रियोंकी सहायता करो।” इससे अधिक वे और क्या कह सकते थे। यदि हमलोग शराबखोरी बन्द कर दें और भद्रियोंको उस पतित अवस्थासे उठाकर अपने बराबर कर लें तो स्वराज्य हमारे हाथमें है।

सिन्धके अधिकारियोंका दिमाग फिर गया है। वहां लोगोंको स्वतन्त्र घूमने और लाठी आदि लेकर चलनेकी भी मनाही हो रही है।

प्रोफेसर वस्वानीने इसे न्यायका नाटक कहा है। इस तरहके न्यायके नाटकके दृश्य अधिकाधिक देखनेमें आवेंगे। ज्यों ज्यों हमारा आन्दोलन और भी वेगसे बढ़ेगा हमलोगोंको अनेक निर्दोषोंकी सजा सुनने तथा देखनेके लिये तैयार रहना चाहिये और उसके लिये किसी तरहका क्रोध, रोष या उद्वेग नहीं प्रगट करना चाहिये। यदि इस अवस्थापर पहुँचकर भी

मलोग जनतापर अधिकार न रखनेके कारण असफल हुए तो
हमारा दुर्भाग्य होगा ।

फिर गुरखी हमला

(नवम्बर ३, १९२१)

प्रायः ऐसा मालूम होता है कि कष्ट सहनेमें अतएव स्वराज्य
विजयमें यद्गालका पहला नम्बर होनेवाला है। चादपुरके
हैसाकाण्डकी यादगार अमी ज्योंकी त्यों बनी हुई है। अब एक
और वैसे ही भयङ्कर आक्रमणकी खबर चटगावसे आई है।
उसकी कथा जिला कांग्रेस कमेटीके मन्त्री वा० प्रसन्नकुमार
सेनके ही शब्दोंमें सुनिये ।

“चाटगाव जिला कांग्रेस कमेटीके सभापति श्रीयुक्त सेन
शुभ और मन्त्री श्रीयुत मोहिमचन्द्र दाम तथा दूसरे १६ सज्जन
गत दो जुलाईको गिरफ्तार हुए। उनका अपराध यह था
कि वे एक जलूसमें बिना इजाजत लिये शामिल हुये। पुलिस
कानूनकी धारा ३० के अनुसार स्थानीय हाकिमने जलूसके
पहले ही एक नोटिस जारी कर दी थी। पूर्वोक्त सज्जनोंका
जलूसमें शरीक होना उस नोटिसके मशाके खिलाफ माना
गया। मुद्दिमोंने अपनी सफाई नहीं दी। फलतः २० अक्टू-
बरको हरएकको तीन तीन मासकी सख्त कैदकी सजा दी

गई। कस्त्रेमें यह वान फ़ाल गई कि उन भद्र कैदियोंको उम्मीरान अलीपुरकी सेण्ट्रल जेलको ले जानेवाले हैं। लोग ४ बजेके पहलेसे ही जेलके फाटकके पास जमा होने लगे। वैड भजन-मण्डली, और संकीर्तन-मण्डली भी आ दाखल हुईं। शामके वक्त सारे गावमें रोशनी की गई, आतिशमाजी छोड़ी गई। ये बातें लोगोंने कांग्रेस कमेटीकी सूचनाके बिना ही की। ८ बजनेके कुछ ही देर बाद कैदी लोग जेलके दरवाजेपर लाये गये और स्टेशनपर जानेके लिये पुलिसकी गाड़ियोंपर सवार कराये गये। उनके पोछे वैड, भजनमण्डलीका जलूस निकला। मशालें जल रही थीं। जलूस शान्ति और नियमके साथ जा रहा था।

जलूस ज्यों ही रेलवे स्टेशनके नजदीक पहुंचा, कोई १०० गुराजोंकी नङ्गीनवन्द एक टोली, एक छिपे स्थानसे बाहर निकली। कुछ लोगोंने जिनका पता आजतक नहीं लगा, रोशनी बुझा दी, और गुराजा लोग 'मारो मारो' 'लगाओ, लगाओ' पुकारते हुए एकदम बिना खबर किये बिलकुल जङ्गलियोंकी तरह, उन बेगुनाह और शान्तिमय लोगोंपर दूट पडे। उन्होंने जिसे देखा उसे और जिधर देखा उधर हाथ साफ करना शुरू किया। बिचारे गाडीवान और उनके घोडे भी नहीं बचे। वे अपनी सङ्गीन तबतक लोगोंके बराबर भोकते रहे जबतक कि लोग स्टेशनमे बहुत दूर नहीं निकल गये और एक जगहसे सीटीकी आवाज आते ही बन्द हो गये। पता लगा है कि कोई १००

आदमियोंके घदनपर जगह २ पर घाव पहुंचे हैं, जिनमेंसे खून बहता था और कोई ३०० आदमियोंको ऐसी चोटें पहुंची हैं जिनसे बड़ा दर्द होता था। जिला मजिस्ट्रेट मि० स्ट्राङ्ग और एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट मि० बरोज उस जगहपर मौजूद थे। अमन सभाका एक खास आदमी हमला करते हुये जोर २ से चिल्लाते हुये कि 'मारो, मारो' देखा गया और जब यह चढाई खतम हो गई तब वह जिला मजिस्ट्रेटके साथ देखा गया। स्टेशनके बाहर इस हमलेके बाद एक यूरोपियन फौजी अफसर, जो कि अनुमानत गोरोका कमाण्डर था, प्लेटफार्ममें घुसा। पहले तो उसने यह दिखलाया कि मानो कैदियोंकी रिजर्व गाडीकी ओर जा रहा है, पर एकाएक बाई तरफ घूमा और जो लोग प्लेटफार्म टिकट लेकर गये थे उन्हें धक्का देने लगा। प्लेटफार्म खाली कर देनेके लिये न तो किन्नी तरहकी हिदायत ही दी गई और न ऐसा कहा ही गया। हमें ऐसा शक होता है कि ऐसा करनेका उद्देश्य यह था कि एक दूसरे हमलेके लिये परिस्थिति उत्पन्न की जाय। परन्तु लोग शान्तिपूर्वक वहासे हट गये, और जब गुरखे प्लेटफार्मपर लाये गये तब उन्हे वहा कोई न मिला जिसपर वे हमला करते। ऐसी सनसनीकी हालतमें अगर लोग शान्त और खामोश न रहते तो प्लेटफार्मके भीतर और बाहर दोनों जगह कितनी ही जाने चली गई होतीं। गुरखे लोग तो बावले होकर भीडमें घुस पड़े थे। ऐसी दशामें उनके हथियार

बन्द होते हुए भी उनके टुकड़े टुकड़े हो जाना एक आसान बात थी, पर लोगोंने उनपर उलटकर हमला नहीं किया। यह बात ध्यान देने लायक है कि चादपुरकी दुःखान्त घटना २० जून १९२१ को हुई और उसीका दूसरा संस्करण २० अक्टूबर १९२१ को, उससे भी अधिक भीमत्स रूपमें हुआ और सो भी ऐसे अवसरपर हुआ कि जिसके लिये कोई भी उद्ग नहों हो सकता।

स्थानीय कांग्रेस कमेटी, चटगाव असोसियेशन, और स्थानीय खिलाफत कमेटीकी एक असाधारण आवश्यक सभा २१ अक्टूबरको हुई और उसमें इस मामलेकी तहकीकानके लिये कमेटी नियुक्त की गई। कमेटीकी बैठकें प्रतिदिन जगमोहन सेन हालमें हो रही हैं और गवाहिया ली जा रही हैं। फोटोग्राफर लोग जखमी लोगोंकी तस्वीरे खींचनेके लिये तजवीज कर लिये गये हैं। अगर आप क्षमा करके हमें यह बतलावेंगे कि इस विपदमें अपने कष्टोंको दूर करनेके लिये हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिये, तो हम आपके कृतज्ञ होंगे।

खदेशी आन्दोलन पहलेसे भी अधिक जोर शोरके साथ बढ़ता जा रहा है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही जो ५ फीसदी विदेशी कपडा चटगावमें दिखाई देता है वह भी तिरोहित हो जायगा।

अवतक कांग्रेस आन्दोलनके सम्बन्धमें ३० आदमियोंको सजाये हो चुकी है और उनमेंसे २७ अभीतक जेलमें हैं और छः का मुकदमा जेर तजवीज है।

ये घात इतनी सावधानीके साथ पेश की गई है कि इनके त्रिपथ में अत्युक्तिका सन्देह करना कठिन है। पर वहाके हाकिमोंपर भी इतनी धजहद सगदिलीका दोषारोपण करना कठिन है जितना कि प्रसन्न बाबूके वर्णनसे अनुमान होता है। यह तो साफ प्रगट है कि लोग उस समय खुशी मना रहे थे। ईश्वरको धन्यवाद है कि अब पैदखानोंका डर हमारे दिलोंसे निकल गया है इस लिये लोगोंने अपने घरोंमें रोशनी की और उन कैदियोंके पहुंचानेके लिये जलूस निकाल कर स्टेशनपर गये। इसमें उनके दंगे फसादका कोई इरादा नहीं हो सकता था। लेकिन मजिस्ट्रेटके लिये तो इतना भी हदसे ज्यादा था। उसने निस्सन्देह सोचा कि इस खुशिया मनानेसे मेरी दी सजाओंके प्रतिरोधक प्रभावकी प्रतिक्रिया हो रही है और आगे चलकर मुझे सारे चटगावको एक जेलखाना बनाना पडेगा तब कहीं तमाम लोगोंका समावेश उसमें हो सकेगा। इस लिये उसने गुरखी हमलेसे काम लिया। इसके सिवा दूसरी तरहसे (पूर्वोक्त रिपोर्टको सत्य मानते हुए) उस पशुता पूर्ण व्यवहारकी उपपत्ति नहीं लगाई जा सकती। जो उन बिलकुल बेगुनाह खुशिया मनाने वालोंके साथ किया गया। और यह भी स्पष्ट ही है कि अमन समा कहलाने वाली सख्याके लोग नौकरशाहीके हाथकी कठपुतली हो रहे हैं। यह समय निस्सन्देह परीक्षाका है। लेकिन इसके लिये हमें क्या क्या सहन करना होगा इसका हिसाब तो हमने इस 'रास्तेपर' कदम बढ़ानेके पहले ही कर लिया है। कष्ट हमें अवश्य सहन करना

चाहिये। हमें अग्नि परीक्षा देना होगी और उसमेंसे शुद्ध हो कर निकलना होगा, तब हम अपने गन्तव्य स्थानपर पात्र रखने पावेगे। चटगावके लोगों और नेताओंने ऐसे उद्वेग और लक्ष्मणके समय जो उदाहरणभूत आत्मसयम और शान्ति धारण की उसके लिये वे हार्दिक धन्यवादके पात्र हैं। मैं उन्हें इसके सिवा दूसरी सलाह नहीं दे सकता कि इससे कठिन सकट उपस्थित होनेपर भी अपने सीधे रास्ते पर आगे ही बढ़ते रहें। हमारे पास तो क्षति पूर्ति का केवल एक ही रास्ता है और वह यह कि ऐसे हर एक मौकेपर अधिकाधिक साहस और अधिकाधिक आत्म सयम दिखावें यहा तक कि आखिरको जालिम अपनी ही कोशिशोंके बोझसे दबकर थक जायगा। चटगावके सहयोगियोंको अमन सभाके या सरकारी आदमियोंपर विगड न जाना चाहिये। वे तो सिर्फ अपने स्वभावके अनुसार काम करते हैं। असहयोगीका तो धर्म है किन तो बदला लेना और न सिर ही झुकाना। उसे तो अपने चारों ओर तूफानके उठते हुए मो अचल सीधा खड़ा रहना चाहिये। अगर हम बडभागी हों तो आइये सच्चाईके साथ गावें।—

“जब तक तेरा वरद हस्त है मेरे सिरपर हे प्रभुवर।

निश्चय ही वह पार लगावेगा प्रति पल आगे रहकर।

कठिन, करीले, मगसे, डरसे, दुर्गम गिरि दाखण दुख से,

वाह पकड कर लेजावेगा तिमिर रात्रिमें वह सुखसे।

विक्रिष्य प्रश्न

(अप्रैल २०, १९२१)

सम्पादक 'थ्रू इण्डिया'। महाशयजी, आपको विदित होगा कि मौलाना मोहम्मद अलीने अपने मद्रासके भाषणमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि यदि अफगान लोग उन लोगोंके खिलाफ— जिन्होंने इस्लामको निर्दल बना दिया है और मुसलमानोंके पवित्र क्षेत्रोंपर घलात अधिकार जमा लिया है—आक्रमण करे तो मैं उनकी सहायता करूंगा। मैं समझता हू कि इस प्रश्न पर भारतीयोंमें मतभेद है। माडरेट लोग इस तरहके किसी भी आन्दोलनको पददलित करनेके लिये तुले हैं। लाला लाजपतराय, श्रीयुत वैशवन्धु दास तथा पण्डित मालवीय सदृश राष्ट्रवादियोंने भी इस प्रश्नपर अपना मत नहीं दिया है। और तो और स्वयं आपने भी इस भाषणपर कोई ध्यान नहीं दिया है। सम्राट्के शत्रुके साथ सहानुभूति दिखलाना और उसकी पुली सहायता करना पहले दर्जेका विश्वासघात है पर इस युगमें जहा लोग सब बातें साफ साफ कह डालते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने माननीय नेताओंकी बात सुननेके लिये आतुर रहता है। यह बहुत ही विकट प्रश्न है और मुझ सदृश सार्वजनिक लेखक किसी निश्चित मतपर नहीं पहुंच रहे हैं।

चाहिये। हमें अग्नि परीक्षा देना होगी और उसमेंसे शुद्ध हो कर निकलना होगा, तब हम अपने गन्तव्य स्थानपर पात्र रखने पावेगे। चटगावके लोगो और नेताओंने ऐसे उद्देश और संक्षेपके समय जो उदाहरणभूत आत्मसयम और शान्ति धारण की उसके लिये वे हार्दिक धन्यवादके पात्र हैं। मैं उन्हें इसके सिवा दूसरी सलाह नहीं दे सकना कि इससे कठिन सकट उपस्थित होनेपर भी अपने सीधे रास्ते पर आगे ही बढ़ते रहें। हमारे पास तो क्षति पूर्तिका केवल एकही रास्ता है और वह यह कि ऐसे हर एक मौकेपर अधिकाधिक साहस और अधिकाधिक आत्म सयम दिखावे यहा तक कि आखिरको जालिम अपनी ही कोशिशोके बोझसे दबकर थक जायगा। चटगावके सहयोगियोंको अमन सभाके या सरकारी आदमियोंपर विगड न जाना चाहिये। वे तो सिर्फ अपने स्वभावके अनुसार काम करते हैं। असहयोगीका तो धर्म है किन तो बढ़ला लेना और न सिर ही झुकाना। उसे तो अपने चारों ओर तूफानके उठते हुए मो अचल सीधा खड़ा रहना चाहिये। अगर हम बड़भागी हों तो आइये सच्चाईके साथ गावें।—

“जब तक तेरा वरद हस्त है मेरे सिरपर हे प्रभुवर।

निश्चय ही वह पार लगावेगा प्रति पल आगे रहकर।

कठिन, करीले, मगसे, डरसे, दुर्गम गिरि दारुण दुख से,

बाह पकड कर लेजावेगा तिमिर रात्रिमें वह सुखसे।

अफगान विभीषिका

(मई ४, १९२१)

एक सगादाताने अनेक प्रश्न किये हैं, जिनका उत्तर पिछले लेखमें दे दिया गया है। इसमें सबसे प्रधान प्रश्न मौलाना मोहम्मद अलीके उस भाषणके सम्बन्धमें है जो उन्होंने अफगान विभीषिकाके सम्बन्धमें दिया है। मौलाना मोहम्मद अलीके जिस भाषणका लेखकने हवाला दिया है उसे हमने नहीं पढ़ा है पर चाहे मुहम्मद अली करे या न करे पर मैं तो एक तरहसे अफगानोंका मदद अवश्य करूंगा यदि वे ब्रिटिश सरकारके साथ युद्ध जारी कर दे। मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि मैं खुल्लम खुल्ला अपने साथियोंसे कह दूंगा कि जिस सरकारपरसे हमलोगोंका विश्वास उतर गया है उसकी सहायता करना पाप है। पर साथ ही मैं भारतीयोंसे यह नहीं कहूंगा कि वे अमीरकी सहायताके लिये धन जन इकट्ठा करें। इस तरहका आचरण अहिंसात्मक असहयोगके सिद्धान्तके विरुद्ध होगा जिसे भारतीयोंने खिलाफत, पञ्जाब तथा खराज्यके लिये ग्रहण किया है। जहातक मेरा अनुमान है मौलाना मोहम्मद अलीका भी इससे अधिक कुछ अभिप्राय नहीं रहा होगा। जयन्तक हिन्दू मुस्लिम एकता कायम रहनी

हमारे कड़ोसी

(मई १९, १९२१)

“अफगान विभीषिका” शीर्षक जो लेख मैंने लिखा है उससे पढ़नेसे यही भ्रम होता है कि मैंने उस लेखद्वारा अफगानों को भारतपर आक्रमण करनेके लिये निमन्त्रित किया है इस तरह मैं प्रत्यक्षरूपसे हिंसाका प्रतिपादक बन जाता हू। श्री युक्त अण्डरूजके हृदयमें उसी तरहके प्रश्न उठ हैं। मैंने उस लेखको केवल भारत सरकार और भारतीयोंके लिये लिखा था। मैं नहीं समझता कि अफगानके लोग इतने मूढ़ होंगे कि वे केवलमात्र मेरे लेखके बलपरही भारतपर आक्रमण करनेके लिये सन्नद्ध हो जायेंगे। पर मैं देवना हू कि उसका जो अभिप्राय श्रीयुक्त अण्डरूजने ग्रहण किया, अन्य भी कर सकते हैं। इसलिये मैं सबको सूचित कर देना चाहता हू कि मैं केवल यही नहीं चाहता कि अफगान या अन्य कोई मेरी सहायताको न आवे, बल्कि उसकी सम्भावना पर मेरी चिन्ता बढ जाती है। मुझे भारतके बलपर पूरा भरोसा है और मैं समझता हू कि बिना किसी बाहरी सहायता के वह सरकारके साथ समझौता कर सकता है। इसके अतिरिक्त मेरा लक्ष्य तो यह है कि मैं अहिंसाद्वारा अपने ध्येयका प्राप्त करना चा-

हता हूँ। इसलिये मैं अफगानोंको भारतकी सीमाके बाहर ही रहानेकी चेष्टा करूँगा पर इसके लिये (अर्थात् अफगानोंके आक्रमणको रोकनेकी चिन्तामें) मैं धन जनसे सरकारकी सहायता करना कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा।

उस लेखमें मैंने अपनी वर्तमान स्थिति एक दमसे स्पष्ट कर दी है। मेरे लिये वर्तमान सरकार सबसे असह्य है। भारतीय मनुष्यत्वके लिये यह सबसे बढकर संकट है कि किसी भी तरह मैं इसके पुनर्निर्माणका स्वागत करूँगा। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस सरकारको ईश्वरका जरा भी भय नहीं है। इसके सहायक भलेमानस अंग्रेज तथा हिन्दुस्तानी हैं इससे यह भारतके लिये और भी भयावह है। उनके अन्तर्गत जो बुराईया हैं उसे वह राष्ट्रकी आखोंसे छिपाना चाहती। मैं किसी व्यक्ति विशेषका विरोधी नहीं हूँ। मैं उन प्रणालीका कट्टर शत्रु हूँ जिसका सयुक्त नाम सरकार है। अच्छेसे अच्छे वायसराय आये पर इस प्रणालीके विपैले प्रभावको नहीं मिटा सके। इस शासन प्रणालीकी जड ही विपले सीची हुई है। इसलिये वर्तमान शासन प्रणालीके नष्ट करनेके लिये भारतपर जो कुछ विपत्ति आवे मैं उसका स्वागत करनेके लिये तैयार हूँ।

पर जो कुछ मैं करूँगा वह जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उससे एकदम विपरीत है। मुझे वेदके साथ स्वोधार करना पडता है कि इस आन्दोलनका प्रभाव सैनिकोंपर इस तरह नहीं

पडा है कि वे इस सरकारको सहायता करना छोड दें । जिस समय सैनिक इस बातको समझ लेंगे कि वे राष्ट्रके अङ्ग हैं और अपने ही भाइयोंपर गोली चलाना सैनिक वीरताके लिये अपमानजनक है उसी दिन भारतकी स्वतन्त्रताका सग्राम बिना किसी कठिनाईके परिपूर्ण हो जायगा । पर वर्तमान अवस्थामें भारतके सैनिक भयके उसी तरह वशीभूत हैं जिस तरह अन्य संधारण प्रजा । रङ्गूटोंमें वह इसलिये नाम लिखाता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कोई अन्य चारा नहीं है जिससे वह अपना पेट पाल सके । विशेष पारितोषिकोंद्वारा एक तो सरकारने इस पेशेको आकर्षक बना दिया है तथा जो एक बार उसमें घुस गया है उसके निकलनेके लिये इतने कडे नियम तथा दण्डादि बना दिये गये हैं कि वह जल्दी बरी नहीं हो सकता । इसलिये मैं इस भ्रममें नहीं पड सकता कि आज अफगान लोग भारतपर आक्रमण करें तो भारतीयोंद्वारा ब्रिटिश सरकारकी सहायता नहीं हो सकती । पर मैं अपना यह परम कर्तव्य समझता हूँ कि अवसर पडनेपर मैं देशके सामने उस अवस्थाको उपस्थित कर दूँ जो असहयोगके कारण उत्पन्न हुई है । साथ ही अफगान विभीषिकाके भयसे देशको मुक्त कर देना भी नितात आवश्यक है ।

इस प्रश्नके दूसरे भागमें हिंसाका जो भाव ग्रहण किया गया है वह भ्रमके कारण है । कोई बाहरी शक्ति सरकारके साथ सग्राम छोड दे तो असहयोगियोंका यह धर्म नहीं है कि

वे इस सरकारकी सहायता करें। वह इस युद्धमें किसी तरहसे भाग न लें। अहिंसात्मक असहयोगी इस संग्राममें किसी तरहकी सहायता भी न दें। पर युद्ध समाप्त करनेके लिये सरकारकी सहायता करना भी उसका कर्तव्य नहीं है। बल्कि असहयोगीकी आतंरिक इच्छा यही होगी कि जिस शक्तिके साथ हम संग्राम कर रहे हैं उसका नाश हो जाना ही उचित है। इसलिये अहिंसात्मक असहयोगी तथा भारतके हितेच्छुकी हेतियतसे मैं अफगान आक्रमणका भलीभांति स्वागत कर सकता हूँ। भारतके साथ अफगानवालोंकी शत्रुता नहीं है। वे भी ईश्वरसे डरनेवाले मनुष्य हैं। बम्बई अथवा कलकत्तामें चन्द अफगानोंके असभ्य अथवा चरचतापूर्ण व्यवहारसे ही हमें अफगानोंकी जाच नहीं करनी चाहिये।

इस बातकी आशंका निर्मूल है कि यदि आज सीमान्त प्रदेशसे ब्रिटिश सेना हटा ली जाय तो वे भारतपर आक्रमण कर बैठेंगे। हमें यह बात सदा स्मरण रखना चाहिये कि यदि वे भारतपर आक्रमण करना चाहें तो उन्हें आज भी कोई रोक नहीं सकता। पर उन्हें भी अपने देशका उतना ही धमिमान है जितना हमें अपने देशका है। सीमान्त प्रदेशके पासकी जातियोंकी कठिनाईका विचार मैं एक स्वतन्त्र लेखमें करूँगा।



सीमाके मित्र

(मई २५, १९२१)

सीमान्त प्रदेशोंके पास जो पजाबी रहते हैं उनके साथ प्रत्येक नारतवासीकी सहानुभूति होनी चाहिये आसपासकी जातिया उनपर आसानीसे आक्रमण कर सकती हैं, उनकी रक्षाका कोई उपाय नहीं है और जो कुछ समाचार मिले हैं उनसे मैं यह भी देख रहा हू कि सरकार इनकी रक्षाका कोई भी प्रबन्ध नहीं करती और आजकल तो जो कोई अधिकारियोंके पास किसी तरहकी शिकायत करता है तो वे उसे तुरत उत्तर देती है:—
“बली भाइयोके पास जाओ, गान्धीजीके पास जाओ” । यदि सीमान्त प्रदेशोंका अधिकार हम लोगोंके हाथमें होता तो ईश्वर ही जानते हम लोग क्या करते । या तो हम लोग उन नि शस्त्र निवासियोंकी रक्षाकी योजना पूरी कर दिये होते या कोशिशमे पूरी तरह मर मिटे होते । यदि उचित समझते तो हमलोग उन्हें सशस्त्रभी कर देने । पर इतना ही नहीं । हम लोग इन उद्धत पडोसियोंको शिक्षित करते और उन्हें विश्वासी तथा शान्त बनाते और डकैतोंसे दूर करते । पर हमें तो उसी अवस्थाको स्वीकार करना है जो इस समय चल रही है । मैं इस बातको मान लेता हू कि हिन्दू और मुसलमान परस्पर मित्र हैं । और

कोई भी मुसलमान विश्वासघातसे हिन्दुओंके खिलाफ सीमान्त प्रदेशकी जातियोंकी सहायता नहीं करेगा। सीमान्त प्रदेशकी मुसलमान जातियाँ काफी बलिष्ठ हैं और इस तरहकी सहायता दे सकती हैं।

पर हमें इन जातियोसे हताश नहीं होना चाहिये। हमने अनेक बार उन्हें असाध्य मान लिया है। मेरी समझमें वे भी समझायी जा सकती हैं। वे भी ईश्वरसे डरती हैं। केवल आनन्द के लिये ही वे लूट पाट नहीं करतीं। मेरी समझमें वे आत्म शुद्धिके प्रभावमें पड रही हैं जो इस समय धीरे धीरे फैलता जा रहा है।

मैं यह भी जानता हूँ कि सीमान्त प्रदेशकी जातियोंके पवित्र करने तथा सुधारनेका काम बड़ी उदासिनताके साथ किया जाता है। इनसे जो जातियाँ लूटी जाती हैं उनके आरामका कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाता।

इस कठिनाईका भी यही कारण है कि हम लोग अंग्रेजोंसे डरते हैं और गुलाम हो गये हैं। हमलोग सीमान्त प्रदेशकी जातियोंसे डरते हैं और हमलोग अपनी दासतासे सन्तुष्ट हैं। हमलोग इसके लिये अंग्रेजोंके कृतज्ञ हैं कि वे इन सीमान्त प्रदेशकी जातियोंसे हमारी रक्षा करते हैं। आत्मामिमानी आदमीके लिये इससे बढ़कर हीनताकी क्या बात हो सकती है कि वह अपनी आत्मरक्षाके लिये उनपर भरोसा करे जो उसीका शिकार किया करता है। मनुष्यताको देखकर यदि रक्षा

करानी है तो मैं मर जाना ही उत्तम समझता हूँ। इस दीनता-का प्रधान कारण यह है कि हम लोगोंने अपने दैनिक आचरणमें ईश्वरको जानबूझकर भुला दिया है। यदि वास्तवमें विचारकर देखा जाय तो व्यवहारमें हमलोग पूर्णरूपसे नास्तिक हो गये हैं और यही कारण है कि हमलोगोंके दिलमें यह बात समा गई है कि अन्तमें जाकर बल प्रयोग किये बिना हमारी रक्षा हो ही नहीं सकती। बल प्रयोगका डर हमें इस तरह परामृत कर लेता है कि हम विचारशक्तिसे काम लेना छोड़ देते हैं। हम अपने दैनिक आचरणमें ईश्वरको अस्वीकार करते हैं। यदि हमारा ईश्वरमें विश्वास है अर्थात् अपने भरोसे रहते हैं तो हमें उन सीमान्त प्रदेशकी जातियोसे किसी तरहका भय नहीं रह सकता। उस अवस्थामें हमें केवल समय समयपर अपनी सम्पत्ति और कभी कभी अपनी जान गंवा देनेका भय होगा पर मर्यादा सदा रक्षित रहेगी। हमें किसी भी अवस्थामें यह बात नहीं स्वीकार कर लेनी चाहिये कि हमारे पड़ोसी इतने जड और असभ्य हैं कि वे बुद्धियलसे काम ले ही नहीं सकते।

इस तरह आत्माभिमानकी हैसियतसे हमारे लिये दो ही मार्ग खुले हैं। या तो हम अपनी रक्षाकी योजना करें या यह विश्वास कर कि समझानेसे वे भी मान सकते हैं उसको ही चेष्टा करें। मैं समझता हूँ कि दोनों तरीके साथ चल सकते हैं। पर हमे तीसरी बातकी ओर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिये। अर्थात् हमें इस बातपर कभी भी भरोसा नहीं

करना चाहिये कि ब्रिटनकी गोलिया हमें सीमान्त प्रदेशकी जातियोंसे बचावेंगी। तीसरे तरीकेका अख्तियार करना राष्ट्रीय मानकी हत्या करना है।

यदि मेरी आवाज सीमान्त प्रदेशकी जातियो तक पहुंच सकनी है तो मैं इन भारतियोंसे कह सकता हू कि आप लोग लूट पाटकी वृत्तिको छोडिये। उन लोगोंका विश्वास है कि पैगम्बरकी यही शिक्षा है कि वे लूट पाटसे ही अपना जीवन निर्वाह करे और प्रत्येक हिन्दूको लूटकर या उसका प्राण लेकर वे अपने खुदाको प्रसन्न करते हैं। इसलिये प्रत्येक उल्मा तथा मुसलमान—जिनका इन जातियोंपर प्रभाव है—का धर्म है कि वे उन्हें समझावे कि यदि वे इस्लाम धर्मकी इस नयी विपत्तिसे रक्षा करना चाहती हैं तो वे सीमान्त प्रदेशके निवासियोंपर आक्रमण न करें क्योंकि एक तो ये विचारे उनकी किसी तरहकी क्षति नहीं करते दूसरे चाहे ये हिन्दू हों या मुसलमान इस्लामकी रक्षाका पूरा यत्न कर रहे हैं।



अफगानका भय

(जून १, १९२१)

कुछ स्वार्थियोंने अफगानिस्तानके आक्रमणकी चर्चा छेड दी है। इसपर मिस्टर विपिनचन्द्र पाल भी डर गये हैं। यह पढकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मिस्टर विपिनचन्द्रपाल भारतकी पूर्ण स्वाधीनताके पक्षपाती भी हैं। तो क्या वे समझते हैं कि जबतक हम लोग इस तरहकी लाचारीकी दशाको दूर नहीं कर देंगे कभी भी स्वराज्यकी योग्यता हम लोगोमें नही आ सकती। स्वराज्यके माने यह है कि हममें अफगान तथा इसी तरहके अन्य भयोंके निपटारा करनेकी पूर्ण योग्यता हो जाय। असहयोग कार्यक्रमकी व्यवस्था ही दूसरोंपर पूर्ण विश्वास रखनेके लिये की गई है और यदि वे विश्वासघात करे तो उनके विश्वासघातका बदला आत्म यातना या उत्पीडनसे दे। मैं मिस्टर पालको स्मरण दिलाना चाहता हू कि डाक्टर तेज बहादुर सप्रूके भाषणके उत्तरमें स्वयं उन्होंने ही कहा था कि वही संगठन शक्ति, उदारता और तपस्या, जो वर्तमान दासताकी दशाका नाश करेगी, इसी तरहकी अन्य अयोग्यताओंको भी दूर कर देगी।

मिस्टर पालको भय है कि कहीं भारतमें इस्लाम धर्मकी पुनः

स्थापना न हो जाय । प्रत्येक मुसलमान समस्त मुसलमान राज्यों-को सगठित देखना चाहता है । इस अभिप्रायसे नो उपरोक्त भाव प्रशसनीय हैं । पर यदि मुसलमान लोग समस्त मुसलमान राज्योंका सगठन करके ससारमें आतक फैलाना चाहते हैं तो यह सिद्धान्त बहुत ही घुरा है । जिन मुसलमानोंसे मेरा परिचय है उन्होंने तो कमसे कम इस तरहकी बातें अपने मुहसे कभी नहीं निकालीं । पशुवलकी प्रधानतासे सारा ससार तग होता चला जा रहा है ।

मिस्टर पालसे मैं यह बात स्पष्ट शब्दोंमें कह देना चाहता हूँ कि मैं मानसिक आवेगोंके चशवर्ती होकर नाबनेवालोंमें नहीं

मैं बुरेको दूर और भलेको पास रखता जाता हूँ । मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि कोई भी विचारवान मुसलमान अफगानोंका शासन कभी भी पसन्द करेगा जैसे कोई भी विचारवान हिन्दू अफगानोंका शासन नहीं स्वीकार कर सकता । उसी तरह कोई भी विचारवान मुसलमान भी अफगान वालोका शासन नहीं स्वीकार कर सकता । अफगान विभीषिकापर मैंने जो लेख लिखा था उसमें मैं भाई मोहम्मद अलीकी अवस्था पर विचार कर रहा था । साथही मैंने भारतीय जनताको इस बातकी भी चेतावनी दे दी थी कि उन्हें स्वार्थियोंकी इस तरहकी यातोसे डरना या घबराना नहीं चाहिये ।

मिस्टर पालने लिखा है कि यदि अफगान आक्रमणकी सभा बना प्रतीत हुई अथवा यदि इसका झूठा भी सवाद फैल

तो अधिकांश मुसलमान जनता उत्तेजित हो उठेगी और अनाचार करने लग जायगी। इससे यदि विद्रोह न हुआ तो शान्ति भङ्ग तो अवश्य हो जायगी। पर मेरा यह विश्वास नहीं है और न मैं मिस्टर पालके मतको स्वीकार कर सकता हूँ। इसके प्रतिकूल मेरा तो यह विश्वास है कि मुसलमान इस तरहकी भूल कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि उनके धर्मपर चोट है। मौलाना शौकत अलीने अनेक बार इस बातको कहा है कि मुसलमान इतने मूर्ख नहीं हैं कि वे हिंसा और अहिंसाको एकमें मिला दे। मिस्टर विपिनचन्द्र पालने लिखा है कि हिन्दुओंको उचित है कि वे अपना हिस्साब किताब मुसलमानोंके साथ ठोक कर लें। क्या यह लिखकर उन्होंने हिन्दुओंके साथ अन्याय नहीं किया है? मैं दावेके साथ यह लिख सकता हूँ कि उन्होंने हिन्दुओंके आन्तरिक भावों को समझनेमें गहरा धोखा खाया है। हिन्दू लोग गोरक्षाके प्रश्नके लिये उतने ही तत्पर हैं जितने मुसलमान खिलाफतकी रक्षाके लिये तत्पर हैं। हिन्दू लोग यह बात भी भलीभाँति जानते हैं कि वे मुसलमानोंके सद्भावके बिना अपने इस प्रिय काममें—गोरक्षा—सफलता भी नहीं पा सकते। मुझे पूरी आशा है कि अतीत कालमें मुसलमानोंने हिन्दुओंके ऊपर जो अत्याचार किये हैं उसे हिन्दू भूल जायेंगे और जिस दिन मुसलमान गौश्योंकी रक्षा करते देखे जायेंगे उसी दिन मुसलमानोंके सभी अत्याचार हिन्दू भूल जायेंगे। जिस समय मुसलमान लोग यह बात समझ लेंगे कि इस्लाम धर्मकी रक्षाके

लिये हिन्दुओंने अपने मनसे सहायता की है उस दिन वे हिन्दु-ओके प्रति हृदयसे कृतज्ञता प्रगट करेगे।

मिस्टर पालने आगे चलकर लिखा है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों अफगान आक्रमणका स्वागत करेंगे। मैं इस तरहकी बातकी सम्भावनाको पूर्णतया अस्वीकार करता हूं। मौलाना मुहम्मद अलीके भाषणसे जो ध्वनि निकलती थी, उसका भिन्न भिन्न स्थानोसे जिस तरह विरोध किया गया है उसीसे प्रत्यक्ष है कि भारत किसी भी तरहका अफगान आक्रमण नहीं बरदास्त कर सकता।

मिस्टर पालने लिखा है कि यदि अफगानोंका आक्रमण होगा और हम सरकारकी सहायता नहीं करेगे तो इसके माने विद्रोह होगा। पर यह बात सर्वथा ठीक नहीं है। मैं इसके अतिरिक्त बात भी बतला सकता हू। यदि भारत असहयोग करके सरकारकी सहायता नहीं करता तो सरकारको लाचार होकर भारतके साथ सन्धि करनी होगी। मैं नहीं समझता कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इतने बेवकूफ या बुद्धिहीन होंगे कि वे भारतीयोंके साथ सन्धि कर करके पञ्जाबके साथ न्याय करना, खिलाफनकी मागको पूरी करना तथा भारतको स्वराज्य देना पसन्द न करके भारत छोड़कर चला जाना ही पसन्द करेंगे। भारतकी क्षमता इतनी नहीं है कि वह किसीका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके। यह बात मैं भी भलीभांति जानता हू।

पर मैंने जो बात सामने रखी है वह करणीय है। शिमलामें

मैंने तथा लालजीने जो घोषणा की थी उसमें तथा हमलोगोंकी पूर्ण घोषणाओमें मिस्र पालको अन्तर प्रतीत होता है। पर जहातक मेरी स्मृति काम करती है मैं दावेसे कह सकता हू कि न मैंने अफगान आक्रमणके पक्षमें कभी कोई बात कही है और न लाल जीनेही कभी कुछ कहा है। पर मैं अपनी वास्तव निम्नलिखित बात कह सकता हूँ—

(१) मुझे यह विश्वास नहीं है कि अफगान लोग भारतपर आक्रमण करना चाहते हैं।

(२) मुझे पूरा विश्वास है कि अफगानियोंका मुकाबला करनेकी सरकारमें पूरी शक्ति है।

(३) मुझे यह खेदके साथ स्वीकार करना पडता है कि यदि अफगानोंने आक्रमण किया तो भारतके प्रत्येक राजे और महाराजे बिना किसी शर्तके भारत सरकारकी सहायता करेंगे।

(४) मेरा यह भी विश्वास है कि हमारा चारित्रिक पतन इतना अधिक हो गया है कि एक दूसरेको इस तरह सन्देहकी दृष्टिसे देखते हैं कि यदि अफगानोंका आक्रमण हुआ तो केवल भयके कारण हमलोग ब्रिटिश सरकारकी सहायताके लिये दौड़ पड़ेंगे और इस तरह भारतकी गुलामीको और भी कड़ी कर देंगे।

(५) बातोंमें तो यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश भारतपर अफगान आक्रमण तथा खिलाफतके साथ न्याय करानेके लिये अफगान आक्रमणोंमें भेद है। पर इसकी व्यवहारिकतापर दृष्टि डालनेसे दोनोंका भेद छिप जाता है। मान लीजिये कि खिलाफतके

साथ न्याय करानेके लिये अफगानोंने भारतपर आक्रमण किया और उन्हें सफलता मिली तो क्या राज्योपभोगका प्रलोभन उन्हें यहा रहनेके लिये कारण नहीं हो सकता ।

(६) इस विश्वासके होते हुए भी असहयोगीकी हैसियतसे मैं उस सरकारकी—जिसे मैं सुधार देना चाहता हू या जिसका मैं अन्त कर देना चाहता हूँ— बिना किसी शर्तके मदद करना पाप समझता हू ।

(७) यह सम्भव है कि इस तरहके विरोध करनेवालोकी सरया अपर्याप्त हो और उनका विशेष असर नहीं पड सकता पर इस तरहके विरोधके भावका जन्म देकर ही वे भारतको मनुष्यत्वके योग्य बनानेका बीजोरोपण कर देंगे ।

(८) अफगानोंके आक्रमणसे भारतका नाश मुझे स्वीकार है पर मुझे यह नहीं स्वीकार है कि भारत अपनी स्वतन्त्रता और मर्यादा बेचकर अपने शरीरकी रक्षा करे । जो सरकार अपनी क्रूर करनीके लिये पश्चात्ताप नहीं प्रगट करना चाहती, जिस सरकारके हाथों पञ्जाब और खिलाफत आज भी उसी तरह अपमानित पड़े हैं उसके द्वारा भारतको रक्षा कराना अपनी सम्मान और मर्यादा बेचनेके ही समान है ।

(९) ब्रिटिश जातिका जो कुछ मुझे अनुभव है उसके द्वारा मैं भलीभांति कह सकता हू कि जिस दिन हमलोग पूरी दृढता दिखलावेंगे तथा आत्मत्यागकी पराकाष्ठापर पहुंच जायेंगे उसी दिन ब्रिटिश जाति हमारी घात पूरी तरह समझ जायगी और

स्वराज्य प्राप्तिके लिये एक करोड़ व्यय कर देना कोई बड़ी बात नहीं। यहापर यह भी ध्यानमें रख लेना चाहिये कि यह धन विदेशी आन्दोलनमें कदापि नहीं व्यय किया जायगा। उसका व्यय सूत कातने, बुनने और अन्य शिक्षा सम्बन्धी कार्योंमें लगाया जायगा। कोष संग्रहका कार्य ३० जूनके पूर्व समाप्त हो जाना चाहिये।

यह धन संग्रहका कार्य २१ प्रान्तोंमें विभक्त होनेके कारण प्रत्येक प्रान्तको लगभग ५ लाख एकत्र करना पडेगा। छोटे प्रान्तोंकी अपेक्षा बम्बई, गुजरात, बङ्गाल पञ्जाब आदि बड़े प्रान्तोंको अधिक धन एकत्र करना पडेगा।

कार्यकारिणी समितिने यह निश्चय किया है कि सगृहीत धनका नोन चौथाई अर्थात् ७५ फी सैकडा प्रान्तीय कार्यके लिये सुरक्षित रख लिया जाय। शेष अखिल भारत वर्षीय तिलक स्मारक कोषमें भेज दिया जाय। अब एक मिनट भी देर करनेकी आवश्यकता नहीं। कार्य कारिणी समिति अवश्य ही कुछ नियम प्रकाशित करेगी पर हमें स्पष्ट और निश्चित कर्तव्यको आरम्भ करनेके लिये कदापि उक्त नियमोंको प्रकाशित होनेके आसरे न रहना चाहिये। हमें अपने पञ्जाबी भाइयोंके उदाहरण पर चलकर कांग्रेस कमेटीको बताना चाहिये कि हम अपने कर्तव्यको समझते हैं।

धन जन और गोला कण्ड

(अप्रैल १३, १९२१)

इन तीन शब्दोंका प्रयोग करते हुए मि० दासने बाल-इण्डिया कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावपर भाषण किया था । प्रस्तावमें एक करोड मेम्बर, एक करोड रुपया और २० लाख चरखेको आवश्यकता बताई थी । यह प्रोग्राम बहुत बड़ा या असाध्य नहीं है । इसके लिये विशेष त्यागकी भी आवश्यकता नहीं है । इसके लिये केवल सङ्गठन, परिश्रम और दृढ इच्छाको जरूरत है । कांग्रेसके २१ प्रदेशोंमें अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं । उन्हें तीनों कामोंमें शीघ्र लग जाना चाहिये । समय खोनेके लिये गुञ्जाइश नहीं है । प्रत्येक नौजवान स्त्री पुरुषको हमें कांग्रेसका मेम्बर बननेका मौका देना चाहिए और भारतके प्रत्येक बालक बालिकासे तिलक स्वराज्य फण्डके लिये धन लेना चाहिए । निर्धनसे निर्धन प्रान्त भी इस प्रोग्रामके अनुसार अपना कर्तव्य पालन कर सकता है । हमें निर्धनोंकी पाईपर भी भरोसा करना चाहिये । बड़े आदमियोंको राह न देखनी चाहिए । साखी गोपालमें जब निर्धन जनताने अपनी थैलियोंसे पैसे और पाइया निकालकर दीं तो मुझे बड़ी भारी और प्रसन्नता हुई । बिहारमें मूठीसे काम लिया

जा रहा है। इस प्रकार काम लेनेसे एक करोड़ रुपया बहुत जल्दी जमा हो सकता है। काम करनेवालोंको सभी किस्मके मजूरी पेशावालोंसे मिलना चाहिए। हमें नाई, धोबी, चमार, भट्ठी सबसे चन्दा लेना है। चन्दा देकर वे स्वराज्यके आन्दोलनमें पूरा भाग लेनेवाले बन जायेंगे। उन्हें स्वराज्यका महत्व समझानेकी आवश्यकता नहीं है, गोला बारूद तैयार करनेके लिये हमें धन जनको जरूरत है। ३१ दिसम्बर तक भारतमें जो चरखे चल रहे हैं, उन्हें छोड़कर तीन महीनेके भीतर २० लाख चरखोंका प्रचार करना जरूरी है क्योंकि भारतमें कुल एक करोड़ २० लाख चरखोंका प्रचार होना जरूरी है।

मेरी सलाह है कि कार्यकर्त्तागण हर तरहके काम करनेवालोंसे मिले। हमलोग लोहार, बढई, धोबी, राजगीर, भंगी चमार, भोची सबको समझाकर इस आन्दोलनमें शामिल करना चाहते हैं। स्वराज्यकी आवश्यकताको समझनेके लिये उन्हें किसी विशेष शिक्षाकी आवश्यकता नहीं है। चरखा तथा स्वराज्यसे क्या सम्बन्ध है उसे वे भली भांति समझते हैं। हम लोगोंकी वर्ण व्यवस्थामें—जो एक तरहका व्यवसायिक संघ है—हमलोगोंके नर नारियोंके अधिकांश संख्याको तैयार करनेमें देर नहीं लगेगी क्योंकि ये इन संस्थाओंमें रहते चले आ रहे हैं।

यह बात सदा ध्यानमें रखना होगा कि धन और जन हम लोग केवल एक कामके लिये चाहते हैं गोलाबारूद अर्थात् चरखे-

का प्रचार करनेके लिये। इसी वर्षके भीतर हमें विदेशी चरखों-का पूर्ण वहिष्कार करना है। एक करोड़ रुपया तथा २० लाख चरखा कांग्रेसकी कमसे कम मांग है। इसमें उन चरखों की गणना नहीं की गई है जो ३१ दिसम्बरके पहले चल चुके थे। साल भरमें प्रत्येक व्यक्तिके लिये कमसे कम ३ सेर कपड़ेकी आवश्यकता है। इस तरह हमें समस्त राष्ट्रके लिये १८००००, ०००, ०० पाँड कपड़ेकी जरूरत प्रति वर्ष पड़ेगी। इतना कपडा तैयार करनेके लिये हमें १२० लाख चरखे चलाने पड़ेंगे यदि ३०० दिन प्रत्येक चरखेसे काम लिया जाय और प्रत्येक चरखे प्रतिदिन कमसे कम आधा पाँड सूत तैयार करे। जूनके अन्ततक कांग्रेस केवल २० लाख अर्थात् द्वा अश चाहती है। यह मान लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यदि तीन मासके प्रयाससे हमने २० लाख चरखोंका प्रचार कर दिया तो फिर आगेके तीन मासमें बिना हमारे अधिक प्रयासके ही चरखोंकी संख्या दूनी हो जायगी। यदि प्रत्येक घरकी जन संख्या ६ मान लें तो भारतमें ५० लाख घर हैं। इस समय हमें इन ५० लाख घरोंमेंसे केवल दो लाख घरोंको तैयार करना है।

यदि कार्यकर्त्ताओंको चर्खेमें उतनाही विश्वास है जितना मुझे है तो वे चरखा चलाना और उसे बनाना सीख लेंगे जिससे वे अच्छे और धुरे चरखेको पहचान सकें। उन्हें उन चरखोंका कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिये जो उस परीक्षामें नहीं ठहरते जिसका उल्लेख मैंने किया है। यदि स्वयं

अपने बदनपरसे विदेशी वस्त्र उतार नहीं देंगे तो उनकी अपीलका अधिक प्रभाव नहीं पड सकता। यदि स्वयं हम लोग विदेशी वस्त्रोंका पूर्णतया त्याग करके दूसरोंके सामने उदाहरण उपस्थित नहीं कर देंगे तो हमलोग इस वर्षके भीतर विदेशी वस्त्रोंका पूरी तरह बहिष्कार नहीं कर सकेंगे। यदि हम लोगोंने एक भी भारी काम सफलतापूर्वक कर लिया तो हमें आत्मविश्वास आशा और साहस हो जायगा।

मुझे मालूम हुआ है कि एक समाचार पत्रने यह प्रश्न किया है कि कांग्रेस एक करोड़ रुपये लेकर क्या करेगी। इसका स्वाभाविक उत्तर तो यही होगा कि कांग्रेसके प्रस्तावको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये अथवा यो कहिये कि अहिंसात्मक असहयोग द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये ही इसकी जरूरत पड़ेगी। चर्खा, राष्ट्रीय सेनाका सङ्गठन तथा कुछ ऐसे वकीलोंकी परवरिश करनेमें, जिन्होंने वकालत छोड दी है किन्तु राष्ट्रीय सेवा कार्यमें सम्मिलित नहीं हो सकते हैं और राष्ट्रीय शिक्षणसंस्थाओंकी सहायता आदि कामोंमें आर्थिक साहाय्यकी आवश्यक होगी। इनमें पिछली तीन चोजोंका सम्बन्ध चरखेसे ही है, क्योंकि वर्ष भरमें यदि हम विदेशी मालका पूर्णतया बहिष्कार करना चाहते हैं तो सभी कार्यकर्त्ताओं तथा स्कूल कालेजोंको केवल चर्खे और करघेके प्रचारमें ही संलग्न होना पड़ेगा। तिलक स्वराज्य फण्डसे यह काम किये जायेंगे। जो प्रान्त जितनी रकम एकत्र

करेंगे उसमें सैकडे ७५ पर उसी प्रान्तका नियन्त्रण रहेगा । आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीके आदेशोंके अतिरिक्त स्वराज्य स्थापित करनेके लिये और सब कामोंमें प्रान्त उस रकमको जिस तरह अच्छा समझे व्यय कर सकता है ।

समयकी आवश्यकता

(जून, ८, १९२१)

यदि इस महीनेके अन्ततक हम बेजवाडा कार्यक्रमको पूरी तरहसे सफूठ नहीं कर देते तो यह हमारे लिये बड़ी हीनताकी बात होगी । इस मासमें भी सात दिन बीत गये । अब हमें एक क्षण भी नहीं खो देना चाहिये । इस समयतक मुम्बिलसे २० लाख रुपया हम एकत्रित कर सके हैं । केवल तीन सप्ताहमें अस्सी लाख रुपया बटोर लेना असम्भव प्रतीत होगा । पर यदि हमलोग अनवरत परिश्रमसे चन्दा करनेके काममें लग जाय तो यह असम्भव काम भी सम्भव करके दिखला सकते हैं । यदि २१ प्रान्तोंमेंसे प्रत्येक प्रान्त अपनी योग्यताके अनुसार देनेकी व्यवस्था करेगे तो एक करोडकी रकम सहजमें ही पूरी हो जायगी । बेजवाडाका कार्यक्रम पूर्णरूपसे व्यवहारिक है । इस तरहका कार्यक्रम देशके नामने पहले पकड़ा रखा गया है । यदि जनता हमलोगोंके साथ है और

करनेवालोंकी भी पर्याप्त संख्या हमें मिल गई तो ३० करोड़ आदमियोंके बीचमें स्वराज्य तथा लोकमान्य तिलककी स्मृतिको अमर बनानेके लिये एक करोड़ रुपयेका मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि महिलायें चाहें तो अपने गहनेसे, शराबी अपने शराब पीनेवाली रकममेंसे एक करोड़को रकम अदा कर सकते हैं। स्वदेशी आन्दोलनसे जिन मिल मालिकोंको अपरिमित लाभ हुआ है वे यदि चाहें तो अस्सी लाख एक दिनमें दे सकते हैं। मारवाडी, भरिया, पारसी, मेमन तथा बनिया लोग बिना किसी कठिनाईके ८० लाखकी रकम दे सकते हैं। ये सब समृद्ध जातिया हैं और अवतक प्रत्येक सार्वजनिक आन्दोलनकी वे ही सहायता करती आयी हैं। यदि सिन्धी लोग देना चाहें तो वे भी एक ही दिनमें सारी रकम अदा कर सकते हैं। यदि भारतके मजूर अपनी आम दनीका बीसवा हिस्सा भी दे दे तो ८० लाखकी रकम पूरी हो सकती है। मैंने कई मित्रोंसे सलाह ली है। उन्होंने बतलाया है कि निम्नलिखित रकम लोग आसानीसे दे सकते हैं —

(१) वेतनभोगी लोग अपने मासिक वेतनका दसवा हिस्सा दे।

(२) वकील, डाक्टर तथा सौदागर लोग तथा इस तरहके पेशेके अन्य लोग गत मई मासके अन्ततककी वार्षिक आयका दसवा हिस्सा दे दे।

(३) सम्पत्तिगाली लोग अपने सम्पत्तिके मूल्या २॥) २० सेकड़ेके हिसाबसे दें ।

(४) इसके अतिरिक्त अन्य लोग अपनी हेमियतके अनुसार कमसे कम चार आना दें ।

यदि इस गणनाके अनुसार सब कोई दे दें तो कई करोड रुपये हो सकते हैं । हमलोगोंको यह बात सदा स्मरण रखना चाहिये कि असहयोगी तथा असहयोगके प्रति सहानुभूति रखनेवाले प्राय सभी वर्गमें हैं । कोई भी वर्गविशेष इतना कष्टर असहयोगी नहीं हैं कि वह सारी रकमको अदा करनेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले । तिलक स्वराज्य फण्डके लिये धन्दा देना ही हमारी तत्परता तथा योग्यताका पूरा परिचय दे देगा । मुझे पूरी आशा है कि इस मासकी तीस तारीख हमें हर तरहसे योग्य सावित करेगी ।

लगातार प्रश्न किये जाते हैं कि यह सौ लाख रुपया क्यों मागा जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है । इसका उत्तर थडा सहज है । इस रोजगारसे थडा लाभ है । इससे केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है बल्कि सार्वजनिक लाभ भी है । इस रुपयेका प्रयोग अधिकतर चरखेके प्रचार तथा राष्ट्रीय शिक्षालयोंकी स्थापनामें लगाये जायगे । समस्त भारतमें ६ करोड घर हैं । प्रत्येक घरोंमें हमें चरखेका प्रचार करके उन्हें घास्तविक सर्वतो परिपूर्ण गृह बनाना है । इस व्यवस्थासे चरखेके प्रचारके लिये एक करोड रुपया कमसे कम खर्च

है। इसी तरह यदि हम अपना शिक्षा प्रणालाको सुधारना चाहते हैं तो हमें एक करोड़से भी अधिक रकमकी आवश्यकता पड़ेगी।

दूसरा प्रश्न यह किया जाता है कि इस रकमका ठीक तरहसे प्रयोग किया जाता है, इसका क्या प्रमाण है। पहले तो इस फण्डके कोषाध्यक्ष मिया छोटानो और सेठ जमना लालजी बजाज नितान्त विश्वसनीय आदमी हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी समितिके १५ सदस्योंको अनवरत देख-रेख हे। यह समिति देशकी प्रतिनिधि है और प्रति मास एक बार इसकी बैठक अवश्य होती है जिससे कांग्रेसकी कार्यवाहीकी यह पूरी तरहसे देखरेख करता रहे। यह तो तिलक स्वराज्य कोषकी बात हुई। इसके अतिरिक्त चौथाई रकम अर्थात् २५) लाख खर्चका अधिकार तो सीधे अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीके हाथमें है। शेष तीन चौथाई प्रत्येक प्रान्तोंके हाथमें रह जायगी जो स्थानीय आवश्यकताकी पूर्ति करेगी। प्रत्येक प्रान्त अपने अपने आय व्ययकी पर्याप्त देखरेख करता रहेगा। इसके अतिरिक्त अखिल भारतवर्षीय तथा प्रान्तीय व्ययके व्यैरेकी जाच जाचकर्ताद्वारा कराई जायगी जिसको नियुक्ति अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीद्वारा होगी।

यही बातें सदस्य बनने तथा चरखेके प्रचारके लिये भी लागू हैं। विधायक तथा रचनात्मक काममें हमारी योग्यताकी ये ही कसौटी है।

प्रत्येक कांग्रेस कमेटी तथा खिलाफत कमेटीसे मेरे अनुरोध है कि वे इस मासके अन्तिम दस दिनको अलग रख दें और केवल वेजवाडा कार्यक्रमको पूरा करनेमें उसे लगावें। इस कामके लिये न तो व्याख्यान आदिकी आवश्यकता और न सभा करनेकी आवश्यकता है। इस कामके लिये शरघर घूमना और लोगोंको समझाना अधिक लाभदायक होगा।

निपेधात्मक अंश

(जून ८, १९२१)

इस (वेजवाडा) कार्यक्रमको देशके सामने रखनेके हेतु इलाहाबादके लीडर पत्रने मुझे जो उपमा दी है उसके मैं कभी भी योग्य नहीं था। उसने मेरी इस लिये हसी उड़ाई है कि मैं असहयोगके निपेधात्मक अशका देशके सामने रखनेका साहस किया है। उस पत्रके एक सवाददाताने तो मुझसे अपीलतक की है कि मैं कमसे कम उस अशकी उठा लू। मैं लीडरपत्र तथा उसके सवाददाताको बतला देना चाहता हू कि यदि मैं चाहू तोभी मेरे लिये यह सम्भव नहीं है। इस तरहका अधिकार तो केवल कांग्रेस और खिलाफत कमेटियोंके हाथमें है। साथ ही मेरा विश्वास भी निपेधात्मक अशमें अटल है। इस लिये मैं भी उसके त्यागनेको परामर्श नहीं दे सकता, यदि कांग्रेस

और खिलाफत कमेटिया ऐसा करना भी चाहें। उनके लिये—कमसे कम एक सप्ता (खिलाफत) के लिये—अहिंसा प्रधान आदर्श न हो पर मेरे पास तो समस्त वीमारियोंकी एकमात्र दवा अहिंसा ही है। इसलिये न तो मैं वकीलोको अदालतोंकी शरण लेनेकी राय दे सकता हूँ और न छात्रोंको उन स्कूलोंमें कदम रखनेके लिये कह सकता हूँ जिसे छोड़कर वे चले आये हैं और साथ ही जबतक कांग्रेस असहयोगके सिद्धान्तको स्वीकार करता है तदनक मैं यह भी नहीं देख सकता कि सरकारी अदालतोंके वकील या छात्र कांग्रेसके पदाधिकारी बनते हैं।

असहयोगके कार्यक्रमके प्रथम चरणका, निषेधात्मक कार्यकी तिथि समाप्त हो गई। इसमें जो सफलता हमें मिल सकी है, प्रत्यक्ष है। मेरी समझमें असहयोगियोंको इस बातसे पूरा सन्तोष है कि इन सस्थाओंकी मर्यादा अब लोगोंकी दृष्टिसे उतर गई। असहयोग आन्दोलनके शत्रु यह बात सोच सोच कर भले ही सन्तोष कर सकते हैं कि किसी गण्यमान्य सख्ताने न तो उपाधियोंको त्यागा है, न अदालतोंको छोड़ा है और न सरकारी स्कूलों तथा कालेजोंका बहिष्कार किया है। जिन लोगोंने छोड़ा है उनका प्रभाव यद्यपि बहुत अधिक पड़ता है तथापि लोग इसे साधारण समझते हैं। पर एक बात स्पष्ट है कि जबतक कांग्रेसकी तीनों शर्तें पूरी नहीं हो जातीं सरकारके साथ सहयोग नहीं किया जा सकता।

इस बातको मैं स्वीकार करता हूँ कि केवल वेजवाडा कार्य-

क्रममें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे स्वराज्य स्थापित हो जाय । पर साथही मैं इस बातको भी स्वीकार करता हू कि वैजवाडा कार्यक्रमको पूरा कर देनेसे हम स्वराज्यके मार्गपर बहुत आगे बढ़ जायगे । यदि यह कार्यक्रम पूरा हो जायगा तो राष्ट्रमें आत्म-विश्वास, आजायगा और यदि आवश्यकता प्रतात हुई तो वह दृढताके साथ अन्य कार्यक्रमको भी स्वीकार कर लेगा । एक करोड निर्वाचक—कांग्रेसका सदस्य होनेसेही कांग्रेसके पदोंपर निर्वाचनका अधिकार प्राप्त हो जाता है—यना लेना ही स्वराज्यके निर्वाचनका जड है । २० लाख चरखेका प्रचार साफ साफ बता देगा कि भारत अपना दरिद्रता दूर करके आत्म निर्भर होकर आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करनेके लिये तुल गया है । एक करोड रुपयेका चन्दा स्पष्ट जाहिर कर देगा कि राष्ट्र अपने भाग्यके निपटारेके लिये सन्नद्ध है ।

दूसरोंके इतिहासको पढकर हमने अपनी आखोंपर इतना मोटा परदा डाल लिया है कि हम इस बातपर विश्वास ही नहीं करते कि विना तीस या पचास वर्षके संग्रामके हम अपना अभीष्ट सिद्ध कर सकेंगे और इसके लिये हमे अनवरत सैनिक शिक्षा तथा अस्त्र शस्त्रकी योजना करनी पडेगी । हम लोग अपना ही इतिहास पढकर यह देखनेकी चेष्टा क्यों नहीं करते कि एकके बाद दूसरे राजे आये और चले गये, राज्यके बाद राज्य लुप्त हो गये पर भारत आज भी उसी तरह दृढ और अटल खडा है मानों उसपर कुछ घीती ही नहीं है । हम लोग अभी हालके युद्धसे

शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे कि हमें सैनिक योजनाकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता हमें भारतके भविष्यकी दृष्टिकोण बदलनेकी है। हम लोगोंकी यह धारणा दृढ हो गई है कि एक लाख अंग्रेजोंके सामने हमारी अपरिमित संख्या कुछ नहीं है यद्यपि हम यह बात भी भली भाँति जानते हैं कि उस एक लाखकी सख्यामें सभी अंग्रेज कर्मचारी या अधिकारी नहीं हैं। जिस दिन हम लोग ब्रिटिश शासनको महत्व देना छोड़ देंगे और अपनी गणना केवल तिनके बराबर न करेंगे उसी दिन हम पूर्णतया स्वतन्त्र हो जायेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि इस तरहका विचार परिवर्तन एक वर्षमें मजेमें हो सकता है और भारतवर्ष इसके लिये तैयार है। आजतक हम लोगोंने जो प्रतिज्ञायें की हैं उनमेंसे कमकाही पालन किया है। यदि हम लोग कांग्रेसके केवल दो वर्षके पीछेका इतिहास उठाकर देखें तो हमें विदित हो जायगा कि हम लोगोंने उन प्रार्थना पत्रोंको भी नहीं भेजा है जिन्हें भेजना हमने कांग्रेसमें निश्चय किया था। आजतक हम लोग सरकारका मुँह देखते आये हैं कि यही हम लोगोंके लिये सब कुछ करेगी और हम लोग केवल मात्र निराशाके अन्धकारमें पड़े हैं। आज न हमें अपनेमें विश्वास रह गया है न सरकारमें। इस लिये यह वर्तमान आन्दोलन इस लिये चलाया गया है कि निराशाके कुहिरको दूर करके प्रकाशकी दिव्य ज्योतिका यहाँ विस्तार किया जाय जिससे हमारी आशा और विश्वास बढ़े। जिस समय हमे अपने पर

फरोसा हो जायगा उस समय अंग्रेज भी हमारा सम्मान करे'गे। इस अवस्थाके उत्पन्न हो जाने पर ही हम लोगोंसे और सरकारसे सहयोग सम्भव है। इसके पहले तो कुछ होना असम्भव है। यदि हम लोग विचार कर देखे' तो वर्तमान सरकारका सगठन हमारी दुर्बलताको घटानेके बजाय बराबर बढ़ाता गया है। इसलिये यह असहयोग आन्दोलन सरकारकी वर्तमान प्रणालीके नाशके लिये जितना प्रयत्न कर रहा है उतना ही प्रयत्न हमारी इस दुर्बलताको दूर करनेके लिये किया गया है। चाहे हम अंग्रेज हो चाहे हिन्दुस्तानी इससे संसर्ग रखनेसे ही हम अपवित्र और खराब हो जाते हैं। यदि एक दल भी इससे पूर्णतया संसर्ग त्याग देगा तो इससे दोनों शुद्ध हो जायेंगे। इसलिये मैं नास्तिकको भी यही सलाह दूंगा कि केवल परीक्षाके लिये असहयोग आन्दोलनमे शामिल हो जाइये। मैं यह भी कह देता हू कि यदि यह कार्यक्रम पूरी तरहसे निबाहा गया तो इसी सालके भीतर भारतमें पूर्ण स्वराज्य स्थापित हो जायगा।



लीका समर्थन कर रहे हैं जो डायर और ओडायरके समान क्रूर व्यवहारकेद्वारा ही हमें दबाकर रखना चाहतो है और इसके लिये अपना सैनिक व्यय दिनपर दिन बढ़ाती जा रही है।

पर हमें सब बातोंका प्रत्यक्ष करना चाहिये। धनीवर्ग हर वक्त इस बातसे भयभीत रहते हैं कि कहीं कलक्टर या कमिश्नर साहब हमसे नाराज न हो जाय। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो हृदयसे विश्वास करते हैं कि यदि असहयोग आन्दोलन सफल हो गया तो हमारी बड़ी हानि होगी। उनका विश्वास है कि असहयोग आन्दोलन सफल हुआ कि चारों तरफ अराजकता, लूट पाट तथा अन्धेर मच जायगी। कुछ कालतक तो यह अवस्था अवश्य रहेगी। इसलिये हमें उचित है कि मनसा, वाचा और कर्मणा पूर्ण अहिंसात्मक रहकर हम उन्हें अपनी ओर जीत लें।

सम्प्रति जो धनी लोग हमारे आन्दोलनके पक्षपाती हैं उन्हें साधारणसे अधिक त्याग करना पड़ेगा क्योंकि इसी तरह हमारी कमीकी पूर्ति हो सकती है। बम्बईके लोगोंने इसके लिये शुभ आरम्भ भी कर दिया है। धनी कार्यकर्ता भी दिन रात कड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अच्छी रकम वसूल कर रहे हैं। उन्हें कठिनाइया पड़ रही हैं पर वे अदम्य साहसके साथ अपने मार्गपर आगे बढ़ते जा रहे हैं।

हमें सुस्त होकर नहीं बैठना चाहिये। हमें किसीकी

उत्सेजनाकी आवश्यकता नहीं चाहिये। धर्मार्थके धनिकोंको अपनी थैलिया खोल देनी चाहिये। उन्हें किसी अगुआकी प्रतीक्षा क्यों करनी चाहिये।

जो लोग लाखों या हजारों रुपया नहीं दे सकते उन्हें क्या कहा जाय। थोडा बहुत देकर भी वे इस धोमको हलका कर सकते हैं। उन्हें इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये कि कोई मागने आये तो दे'। प्रत्येक दल, प्रत्येक समाजको अपना चन्दा बटोरकर कांग्रेस कमेटीके दफतरोंमें खय पहुंचा देना चाहिये।

यह शर्मकी बात है कि सब प्रान्तोंका टोटल ४० लाख भी नहीं हो सकता। अब भी समय है। इस महान् सप्ताहमें प्रत्येक प्रातके निःस्वार्थी और उत्साही काम करनेवाले अपने समयका पूर्ण उपयोग करके चन्देकी रकम पूरी कर डालें

यह देखकर कि अनेक धनी रुपया देनेसे पीछे हट रहे हैं, यह देखकर कि सर्वसाधारण से चन्दा लेनेका कोई प्रयत्न नहीं किया गया है, तो इस रकमको पूरा करनेके लिये किसीको अवश्य आगे बढना पड़ेगा। एक महापुरुषने अपनी २०००० रु०की सम्पत्ति तिलक स्वराज्य फण्डके लिये देकर प्राण छोडा है। यही उनकी कुल कमाई थी, मुझे पूरी आशा है कि इस तरहके उदाहरणोंसे लोग उत्साह ग्रहण करेंगे। स्वतन्त्रताके लिये जो कुछ दान दिया जाय वह बेकार नहीं जाता। यदि हम लोग इस वर्षके भीतर ही स्वराज्य स्थापित करना

पूरी आशा थी कि बम्बईके अतिरिक्त अन्य जिलोंमें ४० लाख अवश्य मिल जायेंगे। इस तरह १४ दिन तक प्रायः ५ लाखसे भी अधिककी रकम सारे भारतमें प्रतिदिन मिलती रही। इन १४ दिनोंमें अन्य प्रान्तोंने ४० लाख दिया तो बम्बईने अकेला ३८ लाख दिया। यह रकम कम नहीं है। पर जनताका यह विश्वास हम किस तरह कायम रखेंगे। हमें हिसाब साफ साफ रखना होगा जिससे एक घच्चा भी हिसाब देख और समझ सके। असहयोग आन्दोलनके अतिरिक्त किसी काममें इस रुपयेका प्रयोग नहीं होना चाहिये। इसका प्रयोग खासकर निम्नलिखित कामोंमें होना चाहिये —

(१) चरखे तथा खहरका प्रचार (२) छुआ छूतके रोगको दूरकर गिरी जातियोंको उठाना (३) राष्ट्रीय शिक्षालयोंका चलाना और उनमें चरखा और करघा शिक्षाका अंग रखना (४) शराबखोरीके विरुद्ध आन्दोलन चलाना।

इन सब बातोंके लिये राष्ट्रीय स्वयंसेवकोंकी सेवाकी नितान्त आवश्यकता रहेगी और इन्हीं स्वयंसेवकों द्वारा ही हमलोग इन कामोंको चरितार्थ कर सकेंगे। यदि हम लोग उपरोक्त बातोंमें सफलता प्राप्त कर सके तो हम स्वराज्यकी स्थापना अति सहजमें कर सकते हैं।

मैं मिन मिन कमेटियोंको चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि वे इन रकमोंके केवल सूदपर नहीं निर्भर करें। सूदपर रुपया लगाना और केवल सूद चसल करके उसे व्यय करना, यही

साचित करेगा कि न तो हमें अपनेमें विश्वास है न राष्ट्रमें। राष्ट्रका विश्वास ही हमारी पूजा है और समय समयपर हमारी मागको पूरी करना ही सूर अदा करनेके बराबर है। यदि हमलोग अपनेको राष्ट्रका सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं तो राष्ट्र समय समयपर उन संस्थाओंको आर्थिक सहायता अवश्य दिये करेगा जो उसके लाभके लिये स्थापित किये गये हैं और चलाये जाते हैं। यदि हमलोग केवल सड़के भरने अपना काम चलानेकी व्यवस्था करते हैं तो हमलोग प्रतिभेदार हैं। भारतके भिन्न भिन्न भागोंमें अनेक धर्म सन्ध्याये हैं, वे धर्मके नामपर अतुल सम्पत्तिशाली हो गई हैं पर उन्होंने उन रुपयोंका किस तरह प्रयोग किया है। उनके द्वारा सिवा अनाचार बढ़नेके और कुछ नहीं हुआ है। इसलिये यदि हम उनसे कुछ भी शिक्षा लेना चाहते हैं तो हमें उचित है कि आगामी ६ मासके भीतर ही भीतर हमें कुल रकम खर्च कर देना चाहिये। जिस समय वेतवाडामें अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीके सामने मैंने यह एक कगोड रुपयका कार्यक्रम रखा उस समय मुझे यह पूर्ण विश्वास था कि कांग्रेसके कार्यकर्ता इतने ईमानदार और विश्वासी हैं कि वे कांग्रेसके फण्डका पूर्ण उपयोग करेंगे और हमलोगोंकी आवश्यकता ऐसी थी कि वह रकम हमलोग ६ मासके भीतर ही खर्च कर देंगे। जय-तक हमलोग घरखेके प्रचार, सूत्र तथा खादीमें काफी रुपया नहीं खर्च करते विदेशी वस्त्रोंका पूर्णतया बहिष्कार नहीं हो

सकता। हमें स्वदेशी कार्यक्रमको तबतक चलाना होगा जबतक करघे और चरखे व्यवसायिक रूप नहीं धारण कर लेते और घरघरमें सदाके लिये नहीं चलने लगते। इतने भारी-देशके लिये ६ मासमें एक करोड़की रकम बहुत अधिक नहीं है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक प्रान्त इस मासके अन्ततक अपना बजट तैयार कर ले जिससे न तो वह अधिक खर्च कर सके न कम। मैंने एक मासका समय इसलिये रखा है कि जो रकम वादामें दी गईं हैं उनको वसूल करना तथा बजट बनाना एक माससे कममें नहीं हो सकता। साथ ही साथ हमें अपिल भारत वर्षीय कांग्रेस कमेटीकी प्रतीक्षा करनी चाहिये कि वह हमें कौनसा मार्ग अनुसरण करनेके लिये बतलाती है। यदि हमलोगोंने कार्यक्रमको ठीक तरहसे पूरा किया तो दिसम्बरके पहले हम लोग स्वराज्य अवश्य स्थापित कर देंगे।

पष्ठम खण्ड समाप्त

सप्तम खण्ड

साक्षिन्त्य कानून भंग

सचिनय अवज्ञा

(अगस्त ४, १९२१)

अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी घम्सईकी बैठक (जुलाई २८, १९२१) में जितने सदस्य उपस्थित थे सभी सचिनय अवज्ञाके लिये उतावले हो रहे थे। सबकी जयानसे यही एक शब्द निकलता था, "सचिनय अवज्ञा।" इसका अनुभव तो किसीको था नहीं पर सभी यह समझ बैठे थे कि वर्तमान दुराचार और घुराईको रोकनेके लिये यट्टि हमलोगोंके हाथमें कोई शस्त्र है तो वह केवल मात्र सचिनय अवज्ञा है। उनका अनुमान गलत नहीं था। यट्टि हमलोग उसके योग्य वायुमण्डलको तैयार कर लें तो उसका फल यही हो सकता है। व्यक्ति विशेषके लिये तो वायुमण्डल सदा तैयार है। वैयक्तिक रूपसे वह जब जो चाहे सचिनय अवज्ञा कर सकता है। पर यदि वैयक्तिक सचिनय अवज्ञासे भी पून खराबीकी समाधना हो तो उसे भी रोक देना चाहिये। सत्याग्रह आन्दोलनके दिनोंमें मुझे इसका पता चला। पर कभी कभी ऐसा अजसर आ पडता है कि परिणामका ख्याल और अनुमान न करके सचिनय अवज्ञा करनी ही पडती है। मुझे वह समय

नजदीक आता दिखाई दे रहा है जब हम, राजके बने प्रत्येक नियमकी अवहेलना करेंगे चाहे उससे खून खगायीकी ही आशंका क्यों न हो । यदि आवश्यकता आ पडे और उस समय तैयार न होनेमें धर्म या विश्वासपर आघात पडता दिखाई दे तो उस समय सविनय अवज्ञा चरम धर्म हो जाता है और उसके स्वीकार करनेके सिवा दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रह जाता ।

पर वैयक्तिक सविनय अवज्ञा और सामूहिक सविनय अवज्ञामे भेद है । इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वायुमण्डल पूरी तरहसे शान्त हो । पर यह शान्ति शक्ति द्वारा विस्पन्न हो नकि दुर्बलता और लाचारी द्वारा । चयक्तिक सविनय अवज्ञा बहुधा नि स्वार्थ होती है पर सामूहिक सविनय अवज्ञा सदा स्वार्थमय होती है, क्योंकि उसमें भाग लेनेवाले प्राय अपने लाभकी बात सोचते हैं । जैसे दक्षिण अफ्रिकामे श्रीयुत कलेनवैच और श्रीयुत पोलाककी सविनय अवज्ञा वैयक्तिक थी, क्योंकि उसमें उनका निजी लाभ कुछ भी नहीं था । पर अन्य हजारों भारतीयोंने सविनय अवज्ञा केवल इसीलिये की थी कि उसमें उन्होंने अपना निजी लाभ देखा था । उदाहरणार्थ उनका सत्याग्रह यदि सफल हुआ तो उन्हें उस अपमानजनक करसे छुटकारा मिला जो कुली प्रथा समाप्त होनेके बाद स्वतन्त्र रूपसे अफ्रिकामें रहनेके लिये उन्हें प्रति व्यक्ति तीन पाउण्डके हिसाबसे

देना पडता था यदि सामूहिक सविनय अवज्ञा करनेवाले सिद्धान्तको भलीभांति समझ ले तो उससे मजेमें काम चल सकता है।

दक्षिण अफ्रिकामें २३ हजार सत्याग्रहियोंको लेकर जिस समय में "निषेधित भूमि" में प्रवेश कर रहा था मैं गिरफ्तार कर लिया गया। जहापर मैं गिरफ्तार किया गया वह देश अधिवासी नहीं था। उस दलमें अनेक पठान और हट्टेकट्टे लोग थे। जो लोग गिरफ्तार करने आये थे उन्हें 'वह' दल सहजमें ही टुकड़े टुकड़े काट कर फेंक सकता था। पर ऐसा करना केवल कायरता पूर्ण ही नहीं होता बल्कि हमलोग उस प्रतिज्ञासे भ्रष्ट होकर गिर जाते जिसके लिये शपथ उठाई थी। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्रताके उस संग्रामका अन्त हुआ होता और प्रत्येक भारतवासी पकड़ पकड़कर जमर्दस्ती निर्वासित कर दिया गया होता। पर वे सत्याग्रही साधारण जीव नहीं थे। वे पूर्णतया तैयार थे और दृढ़ थे, हाथसे छली थे। मैं गिरफ्तार कर लिया गया पर उनपर उसका कोई असर नहीं पडा, वे पीछे नहीं हटे। वे आगे बढ़ते ही गये और जबतक प्रत्येक गिरफ्तार कर कैदमें नहीं भेज दिये गये उनकी गति नहीं रुकी। मेरी समझमें शान्ति तथा अहिंसाका यह ज्वलन्त उदाहरण इतिहासमें अपना सानी नहीं रखता। जबतक इस तरहका सयम नहीं आ जाय सामूहिक सविनय अवज्ञा कभी भी सफल नहीं हो सकती।

प्रत्येक व्यक्ति की गिरफ्तारी पर शोरगुल या जलसा करके सरकारको डराने धमकानेका ब्याल हमें छोड़ देना चाहिये। इसके विपरीत हमें इन गिरफ्तारियोंको असहयोगकी साधारण अवस्था समझनी चाहिये। जिस तरहसे युद्धक्षेत्रका सैनिक जान बूझकर मृत्युको आवाहन करता है उसी तरह हम असहयोगियोंको भी सविनय अवज्ञा आरम्भ करके जेलका यात्रा ही करना चाहिये। हमलोग इस बातकी यदि आशा करते हैं कि सरकारका विरोधकर जेल जानेका काम करके भी यदि हम जेल जानेसे बच जायेंगे तो हमारी भूल है। सविनय अवज्ञाका अभिप्राय है कि हम एक साधारण पुलिसके भी हवाले अपनेको कर देंगे। हम लोगोंको हजारों और लाखोंकी संख्यामें उसी तरह जेलोंमें जाना चाहिये जिस तरह चौपायें बूचडखानोंमें जाती हैं। हमारी विजय इसीमें है कि हम बिना किसी अपराधके बार बार जेल जाय। हम जितने ही निर्दोष रहेंगे, हमारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी और हमें विजय भी उतनी ही जल्दी मिलेगी।

यह सरकार डरपोक है और इसीलिये हम भी जेलसे डरते हैं। और जेलके नामसे हमारे इस डर भयका सरकार पूर्ण लाभ उठाती है। यदि हमारी वाहिनें और मातायें जेलका भय त्याग दें और प्रिय जनोंकी जेल यात्रासे घबराय न जाय तो जेलको भी हमलोग भोजनालय ही समझ लेंगे।

हमलोग बहुत दिनोंतक मानसिक क्रियासे राजाके कानू-

नोंकी अवज्ञा करते आये हैं और अनेक धार चुपचाप इसको तोड़ा है। इस समय एकाएक हमें सविनय अवज्ञाके लिये तैयार होना है। यदि अवज्ञा सविनय होना है तो बड़े खुली और अहिंसात्मक होगी।

पूर्ण सविनय अवज्ञा शान्तिमय क्रान्ति है। इसमें राजाके प्रत्येक नियमकी अवज्ञा की जाती है। सशस्त्र क्रान्तिसे इसका रूप कहीं भीषण होता है क्योंकि यदि सविनय अवज्ञा करनेवाले अन्तिम यातना तकके लिये तैयार हैं तो इसका दवाया जाना कठिन है, बल्कि यह नहीं दवाया जा सकता। इसका आधार निर्दोष यातना सहना है। चुपचाप जेल जाकर असहयोगी शान्तमय वायुमण्डल तैयार करना है। प्रतिरोध न करनेपर अत्याचारी अत्याचार करते करते थक जाता है। यदि अभियुक्तने प्रतिरोध नहीं किया तो अत्याचारीका सारा मजा फिरकिया हो जाता है। सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ करनेके पहले जनताके प्रतिनिधियोंको भलीभांति समझ लेना चाहिये कि सविनय अवज्ञाकी सफलता किस बातसे हो सकती है। सबसे उत्तम उपचारमें सबसे अधिक भय रहता है और इसके प्रयोगके लिये सबसे अधिक सतर्क होकर तैयारी करनेकी आवश्यकता रहती है। मेरी निश्चिन् धारणा है कि यदि हमलोग विदेशी वस्त्रोंका पूर्णतया बहिष्कार कर दें तो ऐसी अवस्था उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें सामूहिक सविनय अवज्ञा जारी की जा सकती है जिसका

मुकाबिला कोई भी सरकार नहीं कर सकती। इसलिये जो लोग सविनय अवज्ञा जारी करनेके लिये उतावले और अधीर हो रहे हैं उनका ध्यान मैं स्वदेशको ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।

अली भाइयोंपर मुकदमा

(सितम्बर ८, १९२१)

अली भाइयोंपर मुकदमा चलानेकी अफवाह फिरसे उड़ी है। मगर मुझे उम्मीद है कि यह खबर गलत होगी। अगर सरकार दर असल यह चाहती हो कि उसके और रिआयाके बीचका यह मामला गुण दोषके अनुसार तय हो और लोकमत को परिपक्व बनाते हुए उसका निर्णय हो तो उसे अली भाइयोंको खुला ही रहने देना चाहिये। परन्तु अगर उनपर मामला चलाया ही गया और उन्हें कैदकी सजा हो गई तोभी मुझे आशा है, कि लोग अपनी शान्तिको न डिगने देंगे। उसमे अपना गौरव समझेंगे और अपनी धातपर दृढताके साथ दटे रहेंगे। लेकिन इससे एक बात जरूर होगी। उनके कैद हो जानेसे शान्तिकी रक्षाका काम पहलेसे भी ज्यादा मुश्किल हो जायगा। इन दो देशभक्त भाइयोंने मुसलमानोंकी तवीयतोंको जितना कामयाबीके साथ भडकनेसे रोका है उतना और

किसीने नहीं। क्या मौका और क्या बेमौका, क्या खानगीमें और क्या आमलोगोंमें, हर जगह और हर तरह उन्होंने “अहिंसा” का उपदेश किया है और खुद भी उसके पाबन्द रहे हैं। यद्वातक कि अपने उन भाषणोंमें भी, जिनके कुछ हिस्सेके मानी हिंसाकी तरफ लगा लेनेका अन्देशा हो सकता है, मैं कह सकता हू कि उनका मतभ्रम हिंसासे हरगिज नहीं था। ऐसी दशामें अली भाइयोंपर मुकदमा चलानेके मानी यही होंगे कि सरकार हिन्दुस्तानमें दिन बदिन बढनेवाले खिलाफत आन्दोलनका गला घोट देना चाहती है। यह तो सरासर सारे मुसलमानोंको, नहीं सारे हिन्दुस्तानको, दूबदू ललकारना है, क्योंकि खिलाफतका म्वाल अब सारे हिन्दुस्तानका मसला हो गया है। अब यह महज मुसलमानोंकी ही शिकायतका घाइस नहीं रहा।

लेकिन यह लिखनेमें मेरा रुख सरकारकी बनिस्पत लोगोंको सचेत कर देनेकी तरफ जियादा है। अगर लोगोंने अली भाइयोंके सन्देशका मर्म समझ लिया हो तो उन्हें अपने मजहबके लिए, और अपने मुल्कके लिए, गहरीसे गहरी सनसनीकी हालतमें भी ज्योंका त्यों मजबूत बने रहना चाहिये। उन्हें अपने देश और धर्मके लिये हद दरजेतक कष्ट सहन करना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोंका हित एक दूसरेमें मिला हुआ है। इसलिए उन्हें एक साथ तैरना या एक ही स डूबना होगा। उन्हें फौलादकी तरह पक्के रहना

और शेरको तरह बहादुरी दिखानी होगी और चाहे वे फासोपर क्यों न चढ़ा दिये जायं, जिस बातको वे सत्य समझते हैं उसे कहे बिना कभी न रहेंगे। ऐसे वक्तमें लोग अलो भाइयोंकी जो बड़ीसे बड़ी इज्जन कर सकते हैं वह यह है कि असहयोगके कार्यक्रमके एक अक्षरका अनुसरण करें और इसी सालमें स्वराज्य प्राप्त कर लें। उनके जेल जानेपर गुस्सा दिखाना सिवा पागलपनके और कुछ न होगा। हमने खुले खुले हिम्मतके साथ यह इरादा जाहिर किया है और इस बातकी तैयारी की है कि इस मौजूदा तर्ज अमलको नेहननावूद कर दें और उसके हाकिमों और अरुसरोंको चुनौती दी है कि तुम हमारे लिए बुरसे बुरा जो कर सकते हो, करो। ऐसी हालतमें अगर वे हमारी ललकारको मानकर संजीदगीके साथ हमसे पेश आवें तो न हमें ताज्जुब करनेको, न गुस्सा करनेकी जरूरत है, क्योंकि किसी न किसी दिन या तो उन्हें हमारी बातपर अडकर हमारी निमन्त्रित परीक्षाकी आंचमें हमें तपाना होगा या हमारी मर्जोंके मुनाफिक उन्हें सुधार करना होगा। अगर, इस तरह हम अपनी बनाई तराजूपर तौले गये और हलके साबित हुए तो ऐसा होना इस वाजोंके नियमोंको बुरी तरह कुचलना होगा। इसलिये जब कभी कोई गिरफ्तार हो तो उस हालतमें असहयोगियोंके पास सिर्फ एक ही इलाज है और वह है असहयोगके कार्यक्रमको पूरा करनेमें दूने उसाह और दूनी सरगर्मीके साथ अपनी ताकतोंको

लगाना, अर्थात् वे विलायती कपड़ेका बहिष्कार कर दें और अपनी जरूरत भरका कपडा अपने ही घरोंमें तैयार करें। हा, हडतालें तो हरगिज न की जायं।

—॥०॥—

कहीं गफलत न हो

—॥०॥—

(सितम्बर २२, १९२१)

मौलाना महम्मद अलीकी गिरफ्तारीकी जो चर्चा मुल्क-भरमे फैल रही थी, वह अखिर सच हो गई। मद्रास जाते हुए ज्यो ही हमलोग रास्तेमें वाल्टेयर स्टेशनपर पहुचे, मौलाना साहब पकड लिये गये। अभी मैंने कुछ तार लिखकर खतम ही किये हैं और ट्रेनमे बैठे हुए इन सतरोको लिख रहा हूँ। गाडो वाल्टेयरमें २५ मिनिटसे भी ज्यादा ठहरती है। मैं और मौलाना महम्मद अली एक सभामें व्याख्यान देनेके लिये बाहर जा रहे थे। हम स्टेशनके दरवाजेसे कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि मैंने मौलाना साहबकी पुकार सुनी और देखा तो वे कुछ पढ रहे थे। मैं उनसे कुछ कदम आगे था। जो लोग उन्हे पकडने आये थे उनमें दो गोरे और आधे दर्जन हिन्दुस्तानी पुलिसके आदमी थे। इस टोलीके अफसरने मौलाना साहबको नोटिस पूरा पढने भी नहीं दिया और उनका हाथ पकडकर अरने साथ ले गया। मौलाना साहबने

मुसकराते हुए हाथ उचा उठाकर सलाम किया और बिना हुए। मैं इसका मतलब समझ गया। अब झण्डेको फहराते हुए मुझे ही आगे बढना है। परमात्मा मुझे मदद दे कि मैं अपने एक साथीके—वह साथी जिसके साथ काम करनेका सौभाग्य मुझे अवतक मिला—इस सन्देशको पालन करनेके लायक साबित होऊँ।

फिर मैं सभामें गया। मैंने लोगोसे कहा कि शान्ति धारण करो और कांग्रेसके कार्यक्रमको पूरा करो। मैं चापिस लौटा और उस तगहपर गया जहाँ मौलाना साहब हवालातमें थे। जिस अफसरकी सिपुर्दगीमें वे थे उससे मैंने पूछा कि क्या मैं मौलाना साहबसे मिल सकता हूँ ? उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ उनकी बीबी और सेक्रेटरीकी ही उनसे मिलने देनेका हुक्म है। मौलाना साहबकी जेगम और उनके सेक्रेटरी श्रीयुत हयातको हवालातके कमरेसे लौटते हुए मैंने देखा।

आन्ध्र देशमें वाल्टेयर सुन्दरताका घर है। यहाकी आवा हवा तन्दुरुस्तीके लिये बहुत मुफीद है। ऐसे बढिया मुकामपर मौलाना साहबको गिरफ्तार होते हुए देखकर मुझे घडा रश्क हुआ। वे वाल्टेयरमें कुछ दिन ठहरकर आराम करना और अपने डेपुटेशनका हिसाब तैयार करना चाहते थे। परन्तु हमें बङ्गालमें अन्दाजसे ज्यादा दिन रहना पडा और इधर मोपलाओंमें उत्पात खडा हो गया। हमसे यह इच्छा दिलकी दिलमें ही रह गई।

परन्तु परमात्माकी इच्छा कुछ और ही थी। वह मौलाना साहबको जबरदस्ती आराम देना चाहता था। और मैं जानता हूँ कि अब हवालातमें बड़े सुखसे रहेंगे।

मौलाना साहबकी गिरफ्तारीके लिये जो चारण्ट निकला उसकी नकल नीचे दी जाती है।

“श्रीयुत एफ० ई० कनिंघम साहब”

डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, सी० आई० डी०
और रेलवे, मद्रास

चूँकि महम्मद अलीको हाजिर अदालत होकर यह बतलानेकी जरूरत है कि वह कानून फौजदारीकी दफा १०७ और १०८ के मुताबिक एक सालनक अमनो अया कायम रखने और अपना चाल चलन दुखस्त रखनेके लिये क्यों न जमानत टाखिल करे, हाला तुमको इत्तिला दी जाती है कि तुम सदर हूँ महम्मदअलीको गिरफ्तार करके मेरे इजलासमें पेश करो। इसमें कहीं गफलत न हो।

तारीख १४ सितम्बर १९२१

(सही) जे० आर० यूजिन्स,

जिला मजिस्ट्रेट,

बिजगापट्टम।

क्या वह दिल्लगी नहीं है कि जो शख्स नासिर्फ पुद् ही अमनो अया कायम रखता रहा, बल्कि दूसरोमें भी शान्तिका प्रचार, और सोभी बड़ी कामयाबीके साथ करनेकी जीजानसे

कोशिश करता रहा, और जो कि नेकचलनीका एक सरपरस्त रहा है, उसको एक ऐसी ताकत जोकि गुस्ताख है, “अमनो अमा कायम रखने और नेक चाल चलन रखनेको जमानत देनेके लिये” तलब करे? सच है, जो सरकार कि खुद बंद है उसके यहा भलेमानसोके लिये सिवा उसके कैदखानोंके दूसरी जगह और कहा हो सकती है ?

अब यहा जो छोटे भाई पर वीती है वही बड़े भाई पर भी वीते बिना नहीं रह सकती । वे दोनों अपनेको ‘श्यामी’ जडे भाई कहते हैं । वे जुदा तो हो ही नहीं सकते । और अगर एक भाईने बंदचलनी की है तो दूसरेने भी जरूर ही की है । मुझे उम्मेद है कि जबतक यह लेख छपकर शायी होगा तबतक आप लोग मौलाना शौकतअलीके भी पकड़े जानेकी खबर सुन चुके होंगे ।

सरकारने मौलाना महम्मद अलीको क्या कैद किया, खिलाफनको कैद कर लिया है क्योंकि ये दोनों भाई खिलाफतके सबसे सच्चे प्रतिनिधि हैं । जबतक कि खलीफा दर हकीकत एक कैदी बना हुआ है और जबतक कि उनके तीर्थस्थान करीब करीब सब तरहसे गैर मुसलमान कौमके ही ताबेमें हैं, तबतक वे दम नहीं ले सकते । इन दोनों भाइयो मेंसे किसी एकको या दोनोंको कैद करनेके माने यही है कि खिलाफनके दावेको साफ साफ नामजूर करना ।

लेकिन सरकार देवेगी कि वह अली भाइयोंके तेज और

जोशको कैद करनेमें कामयाब नहीं हुई है, और देखेगी कि उनको कैद कर देनेसे खिलाफतका मग़ाम उससे उग्र रूप धारण कर रहा है। इससे हर एक सच्चे हिन्दू और मुसलमान भाईके दिलमें दोनों भाइयोंका तेज और जोश जाग्रत और अमर हो जायगा और दोनों कौमें मिलकर खिलाफतकी लपटोंको वैसे ही बधकाती रहेंगी।

लेकिन वे दोनों भाई आज खिलाफतके अलावा कुछ और वानके लिये भी लड़ रहे हैं। वे स्वराज्य चाहते हैं और खिलाफतके जुल्मोंको मिटानेके साथ ही, उतना ही जोरके साथ पञ्जाबके जुल्मोंको भी मिटा देना चाहते हैं। उनकी शराफत ऐसी है कि वह अकेले खिलाफतके निपटारेसे उन्हें ठण्डा नहीं पडने देगी। उनका ईमान ऐसा नहीं है कि वह खिलाफतके लिए, दूसरी सब बातोंको छोड़कर, सरकारसे समझौता करने पर राजी होने दे। वे तो इन तीनों बातोंको एक ही समझते हैं, जुदा जुदा नहीं। और इसके सिवा दूसरी बात हो भी नहीं सकती, क्योंकि इनमेंसे किसी एक बातको देना या पाना दूसरी दूसरी बातको देना या पाना है।

मैं तो मौलाना साहबके कैद होनेको एक शुभ शङ्कन समझना हूँ। अवतक तो सरकार असहयोगके मामूली अनुयायियोंकी पकड़ धकड़ करके खेल कर रही थी। मगर जो सरकार लोकमतके सामने सिर झुकाना नहीं चाहती उसके लिए देशके लोक प्रिय नेताओंको गिरफ्तार करने और

लोगोंके जोश या तेजको कुचलनेके सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। और इस हिन्दुस्तानकी सरकारके घरकी तो यह रीत ही चल आई है कि पहले तो अगुओंको पकड़-धकडकर उन्हें जेलमे बाध दे और उस समय उनकी मागे' पूरी करे और लोकमतका आदर करे, जब कि उसके इस काममें किसी तरहकी शोभा नहीं रह जाती।

मौलाना महम्मद अलीकी इस गिरफ्तारीको तो खराज्यकी स्थापनाका "श्रीगणेश" समझना चाहिए। वस, इन जेलोंके दरवाजोंके ताले तो अब हमारी खराज्य, पार्लिमेण्ट ही खोलेगी और वही मौलाना साहबको तथा उनके दूसरे साथी कैदियोंको उचित आदरके साथ छुड़ाकर लावेगी, क्योंकि यह जग जो कि छिड चुका है, अब खतम हुए बिना बीचमे रुक ही नहीं सकता।

इस मौकेपर हम अली भाइयोंको और उनके साथी कैदी भाइयोंकी उम्दासे उम्दा जो इज्जत कर सकते हैं वह इस तरह कि अब हम अपने तमाम शकोशुत्रहको, डरको और आलस्यको अपने दिलसे त्रिलकुल हटा दें। अबतक इस बातपर कि अपनी मज्जिले मकसदपर पहुचनेके काममें अहिंसा और खदेशीको महिमा कितनी है और इसी सालमें उसके कार्य कामको पूरा करनेकी काविलियत हममें कितनी है, हम शक करते आये हैं। अबतक हम अपने दिलोंमें यह भिन्नक रखते आये हैं कि आवश्यक कुरवानीका माहा हममें है या नहीं,

और इसलिए इस कार्यक्रमको पूरा करनेमें बड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। अब, आइए, हम इन भाइयोंके साहसका, श्रद्धाका, निडरताका, सच्चाईका और जाग्रत तथा अविराम कार्य-तत्परताका अनुसरण करे और निश्चय ही, हमें स्वराज्य मिले बिना न रहेगा।

उस जिला मैजिस्ट्रेटके हुक्मनामेके आखिरी लपज थे, “इसमें गफलत न होने पावे” और वह अफसर दर असल “चूका भी नहीं।” कितने ही अगरेजोंने अपनी जानतक देकर भी अपने सौंपे कामोंको पूरा करनेका, उसमें गफलत न करनेका प्रयत्न किया है और इस बातका यश भी उन्हें दिया जाना चाहिए। अब महासभा और खिलाफतका भी यही फरमान है कि “देखना गफलत न होने पावे।” अतः क्या हम इन शेष दो महीनोंमें इतना काम न करे गे, जिससे महासभाको यह कह सकें कि “हा, हम चूके नहीं हैं?”

फरमान तो यही है—

(१) गहरी सनसनीकी हालतमें भी अहिंसाका पालन करो।

(२) चाहे कितना ही जोर हमपर क्यों न पड़े हिन्दू-मुसलमानकी एकता कायम रखो।

(३) तमाम विलायती कपडोंका धरना एकदम छोड़ दो, फिर चाहे हमें मोटेसे मोटे कपड़ेपर क्यों न अपना काम चलाना पड़े और तमाम फुरसतके वक्तमें चरखा कातो और कपडा धुनो।

जब हम इन तीनों शर्तोंको पूरा कर सकेंगे तभी हम वाअदब कानूनको तोड़नेके लिये तैयार होंगे, उसके पहले नहीं। और यह वाअदब कानूनका तोड़ना वह चोज है जिसके वदौलत दुनियाकी बड़ीसे बड़ी ताकतवर सरकारको लोगोंका हुकम माननेपर मजबूर होना पड़ेगा।

विश्वासघात

(सितम्बर २२, १९२१)

बड़े लाट साहबकेद्वारा मौलाना महम्मद अलीकी गिरपतारीकी अनुमति मिलनेके वारेमें मेरे मित्र लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करके बड़े लाट साहबने विश्वासघात नहीं किया? परन्तु मैं लार्ड रेडिङ्गपर विश्वासघातका इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मुकदमा न चलानेका उनका आश्वासन तो हमें सेंटमेत ही मिला था। पर हा, उनको यह जरूर मुनासिब है कि उनके शिमलावाले भाषणके घाद जो नयी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसे साफ साफ समझावें और बतावें कि मौलाना महम्मद अलीकी गिरपतारी किस बजहसे वाजिब है। बड़े लाट साहबने यह उम्मीद तो जरूर ही नहीं की थी कि मौलाना साहब अपने मुहपर मुहर लगा दें और अपने भाषणोंको नरम कर दिया करेंगे। वह "माफी" तो बहादुर वेग्यौफ

आदर्शोंका काम था। और अगर किसी जोश सनसनीके मौकेपर उनके मुंहसे कोई ऐसी बात निकल गयी हो कि जिसके मानी दङ्गा फसादके लिये उभाडनेके हो सकते हैं, तो इसके लिये उन्होंने अफसोस जाहिर किया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अली भाई बहादुर हैं, ईमानके पक्के हैं और वे खुदाके सिवा किसीका डर नहीं रखते। उन मशहूर माफो की। घटनाके बादसे मौलाना महम्मद अली मेरे साथ ही साथ सफर करते रहे हैं। उन्होंने कितने ही व्याख्यान भी दिये परन्तु जहाँ एक ओर उन्होंने पूब जोरदार भाषण किये तथा, दूसरी ओर उन्होंने अहिंसाके उपदेश देनेका भी पूरा ध्यान रखा है और पानगी तीरपर तो अहिंसाके पक्षमें जो काम उन्होंने किया है वह तो और भी भारी और पक्का है। दोनों भाई पूब अहिंसाका प्रचार करते रहे हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा वैसा हो खुद किया भी है। मद्रासकी सरकार यह जानती थी कि हम शान्ति स्थापित करनेके ही लिये निकले हैं। वह जानती थी कि मौलाना महम्मद अली हिन्दू मुसलमानकी एकताका उपदेश किये बिना माननेके नहीं। उनके पैगाम मोपला लोगोतक पहुंचते और उनके मजहबी पागलपनको कुछ रुकावट मिलती। अगर उस अशान्त प्रदेशमें जानेकी इजाजत उन्हें दी जाती तो वे एक कतरा भी खून गिराये बिना शान्ति स्थापित कर करा देते। लेकिन इससे सरकारकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती और असहयोगकी फतह जाहिर होती।

भारतके मुसलमानोंके नाम

(सितम्बर २६, १९२१)

प्रिय देशभाइयो !

मौलाना शौकत अली और मौलाना मुहम्मद अलीकी गिरफ्तारीका असर प्रत्येक भारतवासीके हृदयपर पड़ा है पर इस गिरफ्तारीका अर्थ आप लोगोंके लिये क्या है, यह भी मैं भलीभाँति जानता हूँ। वीर अली वन्धु भारतको प्राणसे भी अधिक चाहते हैं पर उनकी धर्मनिष्ठा सबसे आगे है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्तिके लिये यही उचित है। विगत वर्षोंमें अलीवन्धुओ ने इस्लाम धर्मकी प्रकृष्टन व्यक्त करनेकी जी जान से चेष्टा की है। इस्लाम धर्मकी मर्यादा बढानेमें जितना काम उन लोगोंने किया है किसी भी अन्य द्रो मुसलमानने नहीं किया है। खिलाफतके प्रश्न पर जितना ध्यान इन लोगोंने दिया है, किसी मुसलमानने नहीं दिया है। अपने धर्मके कट्टर हैं और अपने हृदयके भावको वे उस समय भी उसी निर्भीकताके साथ प्रगट करते रहे जिस स वे चिन्दवारामें नजरबन्द थे। उस दीर्घकाल व्यापी नजरबन्दने उनके हृदयको जरा भी दुर्बल नहीं बनाया। नजरबन्द होते समय जो वीररस उनमें भरा था, नजरबन्दसे छूटते समय भी वही विद्यमान था।

जेलसे छूटनेके बाद उन्होंने सच्ची राष्ट्रीयताका परिचय दिया है और आप लोगोंने उनके कार्योंको अभिमान और सन्तोषके साथ देखा है।

अपनी सादगी, उदारता तथा नम्रतासे उन्होंने मुसलमानों-मे जिस तरहका जीवन उत्पन्न कर दिया है वह किसी भी मुसलमानके लिये सम्भव नहीं था।

इन गुणोंके कारण वे दोनों भाई आपके अतिशय प्रिय हो गये हैं। आप लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। इसलिये उनके इस तरहके वियोगसे आपका दिव्य अवश्य ही दुःखी होगा। आप लोगोके अतिरिक्त और लोग भी हैं जिन्हें उनकी जुदाई कष्टकर है। मेरे तो वे अभिन्न साथी हो गये थे। इस समय मैं जिना हाथका हो रहा हूँ। मुसलमानोंके साथ जहातक मेरा सम्बन्ध था, शौकत अली मेरे पथ प्रदर्शक थे। वे मुझे गलत मार्गपर कभी भी नहीं ले गये। अधिकांश अवस्थामें उनके निर्णय उत्तम और अस्खयित होते थे। जबतक अली भाई मेरे साथ थे मुझे हिन्दू मुस्लिम एकताके लिये जरा भी चिन्ता नहीं थी, हिन्दू मुस्लिम एकताका जो मूल्य उनके हृदयमें था उसका अनुभव आप लोगोंमेंसे कमही लोग कर सकते हैं।

इस समय वे हम लोगोसे अलग कर दिये गये हैं। हम लोगोको किसी भी तरह उदासीन या हताश नहीं होना चाहिये। हम लोगोमेंसे प्रत्येकको केवलमात्र परम पिता परमात्माकी ही सहायतापर भरोसा करके सदा अपने पैरो खड़ा होना चाहिये।

हताश होकर हम केवल यही नहीं प्रगट करते कि हम भाइयोंकी आत्माको नहीं पहचान सके हैं। बल्कि हम यह भी प्रगट करते हैं कि हम धर्मकी मर्यादा भी नहीं जानते।

प्रत्येक धर्ममें लिखा है कि प्रियजनोंका शारीरिक विछोह भले ही हो जाय पर उनकी आत्मा सदा हम लोगोंके साथ निरन्तर निवास करती है। केवल अली भाइयोंकी आत्माही हम लोगोंके साथ नहीं है बल्कि इस तरह यातना सहकर वे हमारे कामको जितनी सहायता कर रहे हैं, शायद स्वतन्त्र रहकर अपने कतिपय साहसिक और बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्योंद्वारा नहीं कर सकते थे। शांतिमय अहिंसात्मक असहयोगकी यही मर्यादा है कि हम लोग इस बातको भली भाँति समझ लें कि केवल तपस्या और यातनासे ही हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। उपाधियोंका त्याग, अदालतों और कौंसिलोंका बहिष्कार, सरकारी विद्यालयोंका बहिष्कार, एक तरहकी तपस्याही है। इनसे ही आरम्भकर हमलोग आगे बढ़ेंगे और जेलकी यातना सहनेके लिये तैयार होंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रसन्नता पूर्वक फासीपर भी चढ़ जायेंगे। हमलोगोंमें जितने अधिक लोग कष्ट भोगेंगे हमलोगोंका अभिप्रेत आदर्श उतना ही निकट होता जायगा।

हमलोग इस बातको जितना जल्दी समझ लेंगे कि बड़ी बड़ी सभाओं और जूल्ूसोंके द्वारा नहीं बल्कि चुपचाप कष्ट सहनेसे ही हम सफल हो सकते हैं उतनीही शिघ्रगामी हमारी सफलता होगी।

मैंने आपके खिलाफन आन्दोलनको पूरी तरहसे अपनाया है क्योंकि मैं इसे अपना समझता हूँ। आपमेंसे सबसे निपुण लोगोंसे मैंने खिलाफनकी मीमासा सुनी है और वह मेरा लक्ष्य आदर्श हो गया है। आपलोग किसी घुराई या कुशासनके खिलाफ युद्ध नहीं चला रहे हैं। आप लोग तुर्कों की सहायता कर रहे हैं क्योंकि वे यूरोपके उन भले आदमियोंमें हैं और चूकि यूरोपवाले विशेषकर अंग्रेज उनसे घृणा करते हैं। इस घृणाका यह कारण नहीं है कि वे अन्य यूरोपियोंसे खराब या कमजोर हैं बल्कि इस कारण कि वे यूरोपकी वर्तमान सत्ताका साथ देकर दुर्बल जातियोंके लूटनेमें वे सहायक नहीं हो रहे हैं। तुर्कों के लिये इस प्रकार सग्रामकर आप अपने धर्म और विश्वास की मर्यादा घटा रहे हैं।

इसीलिये आपने अपनी सफलताके हेतु सबसे शान्तिमय उपायका अजलम्यान किया है। यह बात तो निर्विवाद है कि हमलोगोंमें (हिन्दू और मुसलमान) चरित्र बलका सर्वथा अभाव हो गया है। धार्मिक आस्था भी हमलोगोंमें नहीं रही। ईश्वरकी सच्ची सन्तानकी भांति न रहकर हमलोग चाहते हैं कि हमारी धर्मकी देखरेख दूसरे करें और हमारे धर्मकी रक्षाके लिये दूसरे ही प्राण दें। पर सम्प्रति जिस तरीकेको हमलोगोंने स्वीकार किया है उसमें तो हमें चाध्य होकर ईश्वरकी ओर मुंह फेरना पड़ेगा और उसकी सहायताका भरोसा करना पड़ेगा। असहयोग इस बातको स्वीकार कर लेता है कि हमारा दुश्मन—

जिसके मुकाबिलेमें हम खड़े हुए हैं—जिस उद्देश्यको चरितार्थ करना चाहता है वह भी अमान्य है और उसके लिये जिन तरीकोसे काम लेता है वे भी अमान्य हैं। इसलिये ईश्वर हमारी सहायता तभी करेगा जब हमारे तरीके हमारे शत्रुसे एकदम भिन्न होंगे। हमलोगोंने असाधारण काम उठाया है और उसी नियत अधधिळे भीतर हम सफल हो सकते हैं यदि वास्तवमें हमने इस सरकारसे भिन्न तरीकेको अख्तियार किया।

इसलिये हमारे आन्दोलनका सारा बल अहिंसापर निर्भर करता है और सरकारका बल हिंसापर निर्भर करता है। बिना प्रतिरोधके किसी तरहकी शक्तिका जन्म सम्भव नहीं है। इसलिये यदि सरकारकी हिंसाका हमलोगोंने विरोध नहीं किया तो वह अवश्य ही मुर्दा हो जायगी। पर यदि हमें अहिंसाको पूरी तरह चरितार्थ करना है तो वह मनसा, वाचा और कर्मणा अवश्य होनी चाहिये। अहिंसाही आप लोगोंके लिये उत्तम मार्ग है इससे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। अहिंसाके सहारे चलते हुए आप हिंसाकी योजना नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना आपकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध होगा। हमें हर अवस्थामें मनसा, वाचा तथा कर्मणा अहिंसापर पूर्ण विश्वास रखना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि इस क्रोध और क्षोभके समय भी प्रत्येक मुसलमान इस बातको भलीभाँति समझ ले कि केवलमात्र अहिंसाके द्वारा ही हमलोग इस वर्षके भीतर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं।

अहिंसात्मक असहयोग स्वप्न नहीं है। जिस बातको सात करोड़ मुसलमान (हिन्दूओंको अलग कर दीजिये) एक मत होकर स्वीकार करे क्या उसमें कुछ भी सार नहीं है। यदि प्रत्येक उपाधिधारीने उपाधियोंका परित्याग किया होता, यदि प्रत्येक वकीलोंने अदालतोंका वहिस्कार किया होता, यदि प्रत्येक छात्रोंने सरकारी स्कूलोंसे सम्बन्ध छोड़ दिया होता, यदि नयी कौंसिलोंके लिये कोई भी उम्मेदवार न खड़ा हुआ होता तो हम आजसे बहुत पहले ही सफल हो चुके होते। पर हमें यह बात स्वीकार करना चाहिये कि हममेंसे ब्रह्मोंने अतिशय दुर्बलता दिखलाई है। सात करोड़ मुसलमान और २० करोड़ हिन्दुओंमें सब्से मुसलमान तथा सब्से हिन्दू कहलाने वाले बहुत ही कम हैं। इसलिये यदि हम लोगोंने अपना ध्येय प्राप्त नहीं किया है तो इसका दोष हमारे ही ऊपर है। यदि हमारा संग्राम धार्मिक है तो हमें किसी भी अवस्थामें अधीर नहीं होना चाहिये।

हिंसासे जितना दूर मैं रहता हूँ अलीभाई भी उससे उतनेही दूर रहते हैं। इसलिये उनकी बलि निर्दोष बलि है। इस्लाम तथा भारतके लिये उन्होंने अपने बल भर काम किया है। यदि अरब खिलाफतके प्रति किये गये अन्याय तथा पञ्जाबके अत्याचारोंका प्रतिकार इसी वर्षके भीतर न हो जाय तो दोष हमारे सिर पर है।

हमें अहिंसात्मक रहना चाहिये। सैनिकोंके बारेमें अली-

भाश्योंने जो बातें कही हैं उन्हें हमें भी दोहराना चाहिये और जेल जाना चाहिये। हमें यह बात कभी नहीं सोचना चाहिये कि यदि हममेंसे सबसे उत्तम भी जेलमें चले जाय तो यह संग्राम बन्द हो जायगा। यदि हम लोगोंमेंसे सबसे बड़े नेताके जेल जाने पर असहयोग आन्दोलन बन्द हो सकता है तो निश्चय जानिये कि हम स्वराज्यके योग्य नहीं रहे और न हम खिलाफतके अन्याय तथा पजाबके अत्याचारोंका प्रतीकार कर सकते हैं। हमें हजारों रगमञ्चोपरसे इस बातकी घोषणा कर देनी चाहिये कि प्रत्येक हिन्दू या मुसलमानके लिये सरकारी नौकरी करना पाप है चाहे वह सेनामें हो या और कहीं हो।

सबसे ऊपर हमें विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारका यत्न करना चाहिये चाहे वे वस्त्र ब्रिटिश हो, जापानी हो, अमरीकन हों या फ्रान्स तथा किसी अन्य देशके हो। हमें अपने घरोंमें चरखों और करघोंका प्रचार करना चाहिये तथा अपने आवश्यकता नुसार कपडा तैयार करना चाहिये। इससे पता लगेगा कि हम अपने देशको मुक्त करनेके लिये तथा खिलाफतके प्रति किये गये अन्यायको दूर करानेके लिये किस तरह तैयार हैं। इससे हिन्दू मुस्लिम एकताका भी निरूपण होगा तथा पता लगेगा कि हम अपने कार्यक्रमको चरितार्थ करनेके लिये किस तरह तैयार हैं। मेरा पक्का विश्वास है कि यदि हमलोग आज ही विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार कर दे तो हम अपना ध्येय एक मासके भीतर ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस अवस्थामें

हमें पूर्ण योग्यता प्राप्त हो जायगा कि हम हिंसाके भावको हर तरहसे रोक सकेंगे। हमलोग तब सविनय अवज्ञा भी आसानीसे आरम्भ कर सकेंगे और उसीसे हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जायगा।

सरकारने जो चोट आपको पहुँचाई है उसका एकमात्र प्रतीकार मेरी दृष्टिमें यही आता है कि हमलोग अहिंसात्मक रहकर विदेशी वस्तुओंका पूर्णतया बहिष्कार करे और अपने घर कपडा तैयार करके अपनी सारी आवश्यकता पूरी करे।

मदुरा
सितम्बर २४, १९२१

}

आपका मित्र और साथी—
मोहनदास कर्मचन्द गान्धी



राजभक्तिमें दूरतन्दाजी

(सितम्बर २६, १९२१)

कुछ समय पहले बम्बईके लाट साहबने लोगोंको चेतावनी दी थी कि अब हमको गम्भीरनासे काम लेना है और हम अधिक समय तक जिस तर्जके भाषण किये जा रहे हैं उन्हें गवारा नहीं कर सकते। अब अलीभाइयोंके सम्बन्धमें जो प्रेस नोट उन्होंने जाहिर किया है उसमें उन्होंने अपनी गम्भीरताके मतलबको साफ किया है। अली भाइयोंपर यह जुर्म लगाया जाने वाला है कि उन्होंने फौजके सिपाहियोंकी राजभक्तिको डिगानेका प्रयत्न किया है और राजद्रोही भाषण किये हैं। लेकिन कहना पड़ेगा कि, मुझे यह खयाल तक नहीं होता था कि बम्बईके लाट साहब इस विषयमें इतनी दुरी तरहसे अज्ञान होंगे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि उन्होंने इस बातपर ध्यान ही नहीं रखा कि इन पिछले बारह महिनोमें हिन्दुस्तानके अन्दर क्या क्या घटनायें हुईं। मालूम होता है, उन्हें यह पता तक नहीं है कि राष्ट्रीय महासभाने तो पिछले साल सितम्बरमें ही फौजी सिपाहियोंकी राजभक्तिमें हाथ डाल दिया है और सेंट्रल खिलाफत कमेटीने तो उससे भी पहले तथा खुद मैंने तो इन सबके पहले, इस विषयमें अपनी आवाज उठाई है। क्योंकि यह

सुभानेका श्रेय या निन्दाका पात्र तो मैं ही हूँ कि हिन्दुस्तानको यह पूरा हक है कि वह सिपाहियोंसे तथा सरकारके हर एक नौकरसे, फिर वह चाहे किसी जगह पर क्यों काम करता हो, यह कहे कि इस सरकारने जो जो अत्याचार किये हैं उनके पापके भागी तुम भी हो। कराचीमें जो पिलाफत कान्फ्रेन्स हुई थी उसने तो सिर्फ कांग्रेसकी इसी आवाजकी प्रतिध्वनि, इस्लामकी भाषामें की थी। इस्लामके सम्बन्धमें मुसलमानोंके धर्म-गुरु ही कुछ कहनेके अधिकारी हैं। लेकिन हिन्दू धर्म और राष्ट्रीय धर्मकी तरफसे यह कहनेमें मुझे तनिक भी सकोच नहीं होता कि जिस सरकारने हिन्दुस्तानके मुसलमानोंके साथ दगा पाजी की है और जो पञ्जाबके अमानुषिक अत्याचारोंकी अपराधिनी है उसके यहा सिपाही बनकर नौकरी करना महापाप है! यह बात मैं कितनी ही जगह खुद सिपाहियोंकी मौजूदगीमें कह चुका हूँ। और अगर आज तक मैंने हर एक सिपाहीसे अलग अलग यह बात नहीं कही है तो इसका सवय यह नहीं है कि हम ऐसा चाहते नहीं हैं, बल्कि यह है कि हममें उनकी जीविका चलानेका सामर्थ्य अभी नहीं आया है। लेकिन मैं सिपाहियोंसे यह कहते कभी नहीं हिचका हूँ कि अगर तुम कांग्रेस या पिलाफतके भरोसे न रहकर, खुदही अपनी गुजरका जरिया पैदा कर सकते हो तो तुम तुरन्त इस्तीफा दे दो। और मैं वादा करता हूँ कि ज्योंही चरपा हर एक घरमें एक स्थायी वस्तु हो जायगा, और ज्योंही हिन्दुस्तानी यह महसूस कहने लगेंगे कि

बुनाईकेद्वारा कोई भी आदमी किसी भी दिन अपना गुजर वामि-जाज और इज्जतके साथ कर सकता है, क्योंकि मैं हर एक हिन्दुस्तानी सिपाहीसे अलग अलग यह कहते हुए जरा भी आगा पीछा न करूंगा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, जुलाहेका काम करने लगे, फिर ऐसा करनेके लिये मुझे गोली भी मार दी जाय तो परवा नहीं ! क्योंकि, क्या हिन्दुस्तानको पराधीन रखनेमें इन सिपाहियोंका उपयोग नहीं किया गया ? क्या जालिया-वाला बागके बेगुनाह लोगोंके हत्याकाण्डके लिये उनका उपयोग नहीं किया गया है ? क्या चादपुरमें उस खौफनाक रातमें बेकसूर मर्दों और स्त्रियों और बच्चोंको घरसे बाहर निकालनेमें उनका उपयोग नहीं किया गया ? क्या मेसोपोटामियाके मान-धनी अरबोंको अपने अधीन करनेके लिये इन सिपाहियोंका उपयोग नहीं किया गया है ? क्या मिश्रवालोंको पददलित करनेमें इनका उपयोग नहीं किया गया ? ऐसी हालतमें कोई भी हिन्दुस्तानी जिसमें मनुष्यताका कुछ भी तेज है, और कोई भी मुसलमान जिसे अपने मजहबका कुछ भी फरू है, किसी तरह वही बात महसूस किये बिना नहीं रह सकता जो कि अली-भाइयोंने की है ? इन फौजके सिपाहियोंका उपयोग किसी शूरावीरकी तरह—जिसका यही धर्म है कि दीन दुर्बल लोगोंकी आजादी और इज्जतकी रक्षा करे—करनेके बजाय ज्यादातर भड़के जल्लादीकी तरह ही किया गया है । लाट साहबने हम लोगोंको यह कह कर तो, कि अगर गोरे सौतजर और सिपाही न होते तो

मलाबारमें क्या हो जाता, हमारी अधमसे अधम वृत्तिका सहारा ढूँढा है। मैं लाट साहबको जतला देना चाहता हूँ कि मलाबारके हिन्दू और मुसलमान दोनोंने मिलकर मोपलाओंको शान्त कर दिया होता, अगर खिलाफतका सवाल दरपेश न होता तो मुमकिन था कि मोपला उत्पात बिल्कुल हुआ ही न होता और इन्मसे भी गये गुजरे। अगर मान लें कि मुसलमान और मोपला आपसमें मिल जाते तो हिन्दू धर्म अहिंसाके ही सिद्धान्तका अग्रगण्यत करके हर एक मुसलमानको अपना दोस्त बना लेता या हिन्दुओंके शौर्यकी परीक्षा और आजमायश हो जाती। हिन्दू और मुसलमानोंके भेदको उच्च जना देकर बम्बईके लाट साहबने खुद अपना और अपने कार्याका (फिर वह चाहे जो हो) घडा बिगाड कर लिया है और अपने उस नोटके द्वारा हिन्दुओंको यह अनुमान करनेका मौका देकर उनका घडा अपमान-किया है कि हम तो बेरुस और बेगम प्राणी हैं, हममें न तो अपने बाल बच्चोंकी, न अपने देशकी या अपने धर्मकी रक्षा करने की चकन है और न उनके लिये मर मिटनेकी ही जुरत हममें है। परन्तु अगर लाट साहबका यह ख्याल सही है तो हिन्दू लोग जितना ही जल्दी मर मिटे, इन्सानियतके लिये उतना ही बेहतर होगा। लेकिन इस जगह मैं लाट साहबको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि यह कहना कि आज अंगरेजी राज्यमें हिन्दुस्तानी इतने पोरुपहीन हैं कि वे लुटेरोंसे—फिर वे चाहे मोपला मुसलमान हों और चाहे आराके क्रांतिमत्त हिन्दू हों—अपनी रक्षा

बुनाईकेद्वारा कोई भी आदमी किसी भी दिन अपना गुजर घामि-जाज और इज्जतके साथ कर सकता है, त्योही मैं हर एक हिन्दुस्तानी सिपाहीसे अलग अलग यह कहते हुए जरा भी आगा पीछा न करूंगा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो, जुलाहेका काम करने लगे, फिर ऐसा करनेके लिये मुझे गोली भी मार दी जाय तो परवा नहीं ! क्योंकि, क्या हिन्दुस्तानको पराधीन रखनेमें इन सिपाहियोंका उपयोग नहीं किया गया ? क्या जालिया-वाला बागके वेगुनाह लोगोंके हत्याकाण्डके लिये उनका उपयोग नहीं किया गया है ? क्या चादपुरमे उस चौफनाक रातमे वेकसूर मर्दों औरतों और बच्चोंको घरसे बाहर निकालनेमें उनका उपयोग नहीं किया गया ? क्या मेसोपोटामियाके मान-धनी अरबोंको अपने अधीन करनेके लिये इन सिपाहियोंका उपयोग नहीं किया गया है ? क्या मिश्रवालोंको पददलित करनेमें इनका उपयोग नहीं किया गया ? ऐसी हालतमें कोई भी हिन्दुस्तानी जिसमें मनुष्यताका कुछ भी तेज है, और कोई भी मुसलमान जिसे अपने मजहबका कुछ भी फरू है, किसी तरह वही बात महसूस किये बिना नहीं रह सकता जो कि अली भाइयोंने की है ? इन फौजके सिपाहियोंका उपयोग किसी शूरावीरकी तरह—जिसका यही धर्म है कि दीन दुर्बल लोगोंकी आजादी और इज्जतकी रक्षा करे—करनेके बजाय ज्यादातर भडैत जल्लादोंकी तरह ही किया गया है । लांट साहबने हम लोगोंको यह कह कर तो, कि अगर गोरे सोटजर और सिपाही न होते तो

मलावारमें क्या हो जाता, हमारी अधमसे अधम वृत्तिका सहारा ढूँढा है। मैं लाट साहबको जतला देना चाहता हूँ कि मलावारके हिन्दू और मुसलमान दोनोंने मिलकर मोपलाओंको शान्त कर दिया होता, अगर खिलाफतका सवाल दरपेश न होता तो मुमकिन था कि मोपला उत्पात बिलकुल हुआ ही न होता और इससे भी गये गुजरे। अगर मान लें कि मुसलमान और मोपला आपसमें मिल जाते तो हिन्दू धर्म अहिंसाके ही सिद्धान्तका अपलम्पन करके हर एक मुसलमानको अपना दोस्त बना लेता या हिन्दुओंके शौर्यकी परीक्षा और आजमायश हो जाती। हिन्दू और मुसलमानोंके भेदको उच्छंजना देकर रम्बईके लाट साहबने खुद अपना और अपने कार्योंका (फिर वह चाहे जो हो) बड़ा बिगाड़ कर लिया है और अपने उस नोटके द्वारा हिन्दुओंको यह अनुमान करनेका मौका देकर उनका बड़ा अपमान-किया है कि हम तो बेरुस और बेबस प्राणी हैं, हममें न तो अपने बाल बच्चोंकी, न अपने देशकी या अपने धर्मकी रक्षा करने की बकत है और न उनके लिये मर मिटनेकी ही जुरत हममें है। परन्तु अगर लाट साहबका यह ख्याल सही है तो हिन्दू लोग जितना ही जल्दी मर मिटे, इन्सानियतके लिये उतना ही बेहतर होगा। लेकिन इस जगह मैं लाट साहबको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि यह कहना कि आज अंगरेजी राज्यमें हिन्दुस्तानी इतने पौरुषहीन हैं कि वे लुटेरोंसे—फिर वे चाहे मोपला मुसलमान हों और चाहे भारतके क्रोधोन्मत्त हिन्दू हों—अपनी रक्षा

नहीं कर सकते, अंगरेजी राज्यपर वढेसे बडा कलङ्क लगाना है।

हा लाट साहबने अली भाइयोंके राजद्रोहका जो उल्लेख किया है वह उनके राजभक्तिमें वस्तुन्दाजी करनेके उल्लेखसे तो कम अक्षम्य है, क्योंकि वे यह बात जरूर जानते होंगे कि राजद्रोह तो कांग्रेसका विश्व ही हो गया है। इस कानून सस्थापित सरकारके प्रति अप्रीति पैदा करनेका तो व्रत ही प्रत्येक असहयोगीने धारण कर लिया है। असहयोग आन्दोलन तो एक धार्मिक और पूर्ण नैतिक आन्दोलन है और वह इस सरकारका उच्छट करनेके उद्देशसे ही, बहुत विचारके उपरान्त, उठाया गया है। इसलिये यह कानूनकी रूहसे, ताजीरात हिन्दू भाषामे, जरूर ही राजद्रोहात्मक है। लेकिन यह आविष्कार कोई नया नहीं है। लार्ड चेम्सफोर्ड इस बातको जानते थे, लार्ड रेगिग भी इसे जानते हैं। अब यह ख्यालमें नहीं आ सकता कि बम्बईकी सरकार इस बातको न जानती हो। यह बात आपसमें तय हो चुकी थी कि जबतक यह आन्दोलन हिसाका अवलम्बन न करेगा तबतक इसमें किसी तरहका खलल न डाला जायगा।

पर इसपर यह कहा जा सकता है कि सरकारको यह-अख्तियार है कि जब वह देखे कि अब तो यह आन्दोलन वाकई अपनी तर्ज अमलकी हस्तीको ही डावाडोल करने लगा है तब यह अपनी नीति बदल दे। मैं उसके अधिकारको नामंजूर नहीं करता। ऐतराज तो लाट साहबके उस नोट पर है। उसका

मजमून इस तरहसे लिखा गया है कि जिससे अनजान लोग यह खयाल करे कि सिपाहियोंको राजभक्तिसे हटाना और राजद्रोहका करना मानों कोई नये जुर्म हैं जो अली भाइयोंने इस वक्त किये हैं और मानों यह पहला ही मौका है जो लाट साहबका ध्यान इन पर गया है।

जो हो, अब यह तो साफ ही जाहिर है कि कांग्रेस और खिलाफतके कार्यों कर्ताओंका क्या कर्तव्य है। हमें दयाकी भीख नहीं मागनी है। हम सरकारसे इसकी उम्मीद भी नहीं करते। हमने कभी यह प्रार्थना नहीं की कि जबतक हम अहिंसाका अवलम्बन कर रहे हैं तबतक हम जेलसे मुक्त रहें और अगर हम राजद्रोहके लिये भी जेल भेजे गये तो अब किसी तरहकी शिकायत न करेगे। इसलिये अब हमारा आत्म-सम्मान और हमारा व्रत यह चाहता है कि हम शान्त, स्थिर और अहिंसाके पावन रहें। हमें तो अपने उसी निश्चित राहपर चलना है। हमें उसी बातका उच्चारण हजारों जगहोंसे करना चाहिये जो अली भाइयोंने सिपाहियोंके सम्बन्धमें किया है और हमें खुल्लम-खुल्ला परन्तु तरतीबके साथ इस सरकारके प्रति अप्रीतिकी प्रचार करना चाहिये, तबतक बराबर करते रहना चाहिये जबतक कि सरकारहमें गिरफ्तार न कर ले। परन्तु यह काम हमें क्रोधित होकर, 'जैसाको तैसा'की रीतिमें नहीं बल्कि अपना धर्म सम्भ्र कर करना चाहिये। हमें अली भाइयोंकी तरह प्लादी पहनना चाहिये और 'ख्वदेशी'के मन्त्रका प्रचार करना चाहिये, मुसलमा-

नोंको स्मर्ना और अंगोरा सरकारके लिये चन्दा जमा करना चाहिये । हमे खराज्यकी प्राप्तिके लिये और खिलाफत तथा पञ्जावके अत्याचारोके निपटारेके लिये, अली-भाइयोंकी तरह हिन्दू-मुसलमानकी एकताके और अहिंसाके मन्त्रका प्रचार करना चाहिये ।

अब जोषोंका समय आ पहुचा है । परन्तु, जिस रोगीमें उसके पार कर जानेका सामर्थ्य है उसके लिये तो यह अच्छा ही अवसर है । अगर खतरेको सामने देखते हुए भी एक ओर तो हम चट्टानकी तरह मजबूत रहे और दूसरी तरफ अधिक आन्मसयम रखा तो हम निश्चय ही इसी साल अपने मजिले मकसूदको पहुच जायगे ।



खोफराफ

(अक्टूबर ३, १९२१)

चम्बड़ सरकारके ता० १५, सितम्बर, १९२१, के कम्यूनिकमें बताये कारणोंसे अली भाइयों तथा दूसरे सजनों पर जो मुकदमा चलाया गया है उसे ध्यानमें रखते हुए हम नीचे मही ऋतने घाले, अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे यह प्रगट करते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिको इस बातका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह इस विषय पर, कि सरकारकी नौकरीका उम्मीदवार होना, या उसकी नौक-

में रहना फिर वह चाहे मुत्की विभागमें हो चाहे फौजी विभागमें हो उचित है या नहीं, पूरी स्वतन्त्रताके साथ अपनी राय प्रकट करे।

हम, नीचे सही करने वाले, बतौर अपनी रायके, यह भी दाखिल करते हैं कि इस सरकार—शासन प्रणाली—के मातृ-भूत मुत्की जगहो पर और खास करके सैनिककी हैसियतसे, किसी भी हिन्दुस्तानीकी नौकरी करना उसके राष्ट्रीय गौरवके खेलाफ है, जो हिन्दुस्तानके आर्थिक, नैतिक और राजनैतिक अन्वय पातकी कारणीभूत है और जिसने अपनी फौज और पुलिसका उपयोग राष्ट्रीय उच्च आकाक्षाओंके दमन करनेमें किया है। जैसे कि रौलट कानून सम्बन्धी आन्दोलनके जमानेमें, और जिसने अपने सैनिकोका उपयोग अरब, मिसर तथा तुर्कस्तान जैसे और दूसरे भी ऐसे राष्ट्रोंकी स्वाधीनताको नष्ट भ्रष्ट करनेमें किया है, जिन्होंने हिन्दुस्तानको किसी तरह हानि नहीं पहुंचाई है।

हमारी यह भी राय है कि यह हर एक हिन्दुस्तानी सिपाही और मुत्की नौकरका कर्तव्य है कि वह इस सरकारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले और अपनी जीविकाके लिये कोई दूसरा जरिया तलाश कर ले।

मोहनदास करमचन्द गाधी, अबुल कलाम आजाद, अजमल खान, लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, अग्र्यास जयवजी, नरसिंह चिन्तामणि केलकर, विठ्ठलभाई जवेरभाई पटेल,

बल्लभभाई पटेल, एम० आर० जयकर, दत्तात्रय विश्वनाथ गोखले, शंकरलाल घेलाभाई बैकर, जवाहरलाल नेहरू, गंगाधर राव देशपांडे, लक्ष्मीदास रवजी तेरसी, उमर सोवानी, जमनालाल बजाज, माधवराव अणे, एस० ई० स्टोक्स, एम० ए० अनसारी, खली-कुजमा, कै० एम० अब्दुल गफूर, कृष्णाजी नी० करगुजप्पी, सी० राजगोपालचार्य कोंडा वेंकटप्पय्या, जी० हरि सर्वोत्तमराव, अनसूया सारामाई, जितेन्द्रलाल वनर्जी, मुशीर हसन किडवाई, श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, राजेन्द्रप्रसाद, आजाद सोवानी, हसरत मोहानी, महादेव हरिभाई देसाई, बरजोरीजी फ़ामजी भरुवा, याक़ूब हसन, वी० एस० मुंजे, जयरामदास दौलतराम, ए० आर० चोलकर, वी० पी० दास्ताने, अहमद हाजी सिद्दीक खत्री, गुंडुर रामचन्द्र राव, डी० एस० विजयराव, वी० एल० सुब्रह्मण्य, भी० म० हाजी जानमहम्मद छोटाणी, अब्दुल बारी ।



मत्त प्रकाश

(अक्टूबर ६, १९२१)

जिस किसी आन्दोलनमें हिंसाका त्याग धार्मिक भाव समझ कर किया जाता है तो वह आन्दोलन परम पवित्र माना जाता है। इस आन्दोलनको दानेके लिये जो कुछ प्रयत्न किया जाता है उसका अमिप्राय सार्वजनिक मतको कुचलना है। वर्तमान दमनने यही रूप धारण किया है। मैं अपना विश्वास क्यों न पूर्ण स्वच्छन्दताके साथ प्रगट करू कि,

(१) सरकारी नौकरी किसी भी हैसियतसे करना पाप है, विशेष कर सिपाहीकी हैसियतसे।

(२) मादक वस्तुओंका प्रयोग पाप है।

(३) विदेशी वस्त्रोंका प्रयोग पाप है।

(४) अनाज या रूईका फाटका खेलना महापाप है।

जो सरकार इस आन्दोलनके विरुद्ध आन्दोलन चला रही है वह भले ही रङ्गरूट और कर्मचारी प्राप्त करनेकी चेष्टा करे, अनेक उपायोंसे लोगोंको शराब पीनेके लिये तथा विदेशी वस्त्रोंके प्रयोगके लिये बाध्य करे और लोगोंको अनाज तथा रूईकी फाटका करनेके लिये उत्साहित कर अपना शासन और भी दृढ करे तथा लोगोंकी सहायता प्राप्त करती रहे पर जिस दिन लोगोंको

इसके प्रतिकूल धारणा हो जायगी उस दिनमे लोग उसका सा
 अवश्य छोड़ देंगे और वह गिर जायगी । जिस तरह मैं आ
 आन्दोलन द्वारा शराब बेचनेवाले तथा फाटका खेलने वालों
 रोक रहा हू तथा मना कर रहा हू' उसी तरह मैं सैनिकोंको
 रोक सकता हू' और मना कर सकता हू । इस समय इस देश
 जो परिवर्तन हो रहा है सैनिक उससे अनभिज्ञ क्यों रखे जाय
 क्या सरकारके हृदयमें इस बातका भय समा गया है कि य
 सैनिक यह बात जान जायंगे तो उसकी सेवा न करेंगे ? य
 सरकार अपनेको योग्य समझती है तो उसे उचित है कि सैनि
 कोंमें प्रकाश डालकर ही उन्हें राजभक्त बनावे । पर इस दे
 (भारत) में तो केवल शस्त्रके चल शान्ति रखी जाती है, राजभ
 बनाया जाता है, केवल प्रजा ही निरख कर दी गई है । इसलि
 हम लोगोंका कर्तव्य तो स्पष्ट है । यदि हमें फासी पर भी ल
 कना पड़े तो हमें निर्द्वन्द्व होकर यह बात कहना चाहिये औ
 अपना निश्चित मत स्पष्ट रूपसे प्रगट करना चाहिये । हा, य
 बात सदा ध्यानमें रखना चाहिये कि हमारे कथनसे किसी त
 हकी अशान्ति नहीं उत्पन्न होती । यही अहिंसात्मक असहयोग
 का सच्चा सग्राम है । इस सग्रामको अन्त तक चलाना अत्य
 वश्यक है । मैं जनताको यह बात भली भाँति समझा देन
 चाहता हू कि सैनिकोंको राजभक्तिते विचलित करनेके अपराध
 अभियोग चलाना, केवल उस अभियोगका आरम्भ है जो इसलि
 चलाया जायगा कि विदेशी कपड़ोंके प्रयोगको रोक कर प्रजाक

राजभक्तिमे दस्तन्दाजी की जा रही है। कालिकटके नौजवानोंके खादीके चत्नोंको जलाकर अधिकारियोंने क्या व्यक्त किया ? विजगापट्टमके डाकूरी कालेजके विद्यार्थियोंके प्रति जो व्यवहार किया गया है वह क्या व्यक्त करता है ? क्या वह खादी पर प्रहार नहीं है ?

अली भाइयोंपर आक्षेप

(अक्तूबर १३, १९२१)

अली भाइयोंका यह महाभाग्य है कि उनके कितने ही पक्के मित्र हैं। और यह भी उनका सौभाग्य है कि उनके कितने ही जवरदस्त नुक्काचीन भी हैं। एक मित्र मुझे लिखते हैं कि आप अली भाइयोंपर इतने मुग्ध हो गये हैं कि उनकी कोई भी बुरा बात आपको नहीं दिखाई देती।" हा, उनका रुहना ठीक है। सन्देह न रखना ही मित्रताकी सूची है। परन्तु जो अपने मित्रोंकी दुर्बलताओंको नहीं जानता वह कुमित्र होता है। हा, मैं अली भाइयोंकी कमजोरियोंको जानता हूँ। लेकिन मुझमें भी तो कमजोरियाँ भरी हुई हैं। यह देखकर उनकी दुर्बलताओंके प्रति मेरा हृदय कोमल हो जाता है। मेरा हृदय कहता है कि अवतक जिन जिन साथियोंके साथ काम करनेमें मैंने अपना सौभाग्य माना है, अली भाई उन

दूसरी उलझन जो मुझे चक्रमें डाल रही है, यह है— अभी हमने वाअदव कानूनको तोड़नेके लिये कदम आगे नहीं बढ़ाया है। अतएव हमको फिलहाल तो तमाम अगरेजी अफ-सरोके हुक्मोंको जरूर ही मानना चाहिये। खुद आपने भी उस हुक्मको नहीं तोड़ा है जो आपको मलावार न जानेदनेके सम्बन्धमें निकला था। ऐसी अवस्थामें क्या मौलाना मह-म्मद अलीको यह वाजिब था कि कराचीके मजिस्ट्रेटके हुक्मको न मानते? और जब कि उसने उन्हें बैठ जानेको कहा तब गुस्ता दिखाते? क्या यह मजिस्ट्रेटके हुक्मका जाहिरा तौरपर भङ्ग करना नहीं था? क्या मौलाना मह-म्मद अलीके लिये मजिस्ट्रेटसे यह पूछना अच्छा था कि “क्या आप खुदाको तसलीम नहीं करते?” और जब उनसे बैठ जानेके लिये कहा गया तब बैठनेसे इनकार करना और यह कहना कि “देखूँ तो आप क्या कर सकते हैं?”

मेरे ख्यालमें तो वाअदव कानून भङ्ग कर देनेपर भी हम सबको नम्रताके ही साथ पेश आना चाहिये। असहयोगीको नम्रताका अवतार होना चाहिये। उसको किम्ती भी तरहकी सतसनीकी हालतमें आपसे बाहर न होना चाहिये और न किसी तरहका बल प्रयोग ही करना चाहिये। गुस्तापी तो उसे छूतक न जाना चाहिये। अगर मेरे ये ख्यालात वाजिब हों तो अली साइरोंका यह काम किसी तरह ताईदके

काबिल नहीं और खासा गुस्ताखीमें दाखिल हो सकता है। इस शब्दके प्रयोगके लिये क्षमा चाहता हूँ।

मेरी समझमें तो अगर अली भाई किसी भी तरहसे अदालतको मदद पहुंचानेके या हाकिमोंके साथ जहालतका बरताव करनेके बजाय, अदालतमें चुपचाप ही रहते तो यह उन जैसे नेताके लायक बहुत ही बेतरह और बहुत ही दूरन्देशीका काम होता।

मुझे डर है कि इस आखिरी बातसे शायद आप नाराज हो जायें। अगर ऐसा हो तो मैं आपसे माफीकी दरखवास्त करता हूँ। मुझसे तो यह बात कहे बिना रहा ही नहीं गया। हा, मैं यह तो जानता हूँ कि आप किसी न किसी तरह अली भाइयोंके इस कामका समर्थन करेंगे, परन्तु यह नहीं जानता कि किस तरह।”

यह पत्र दिल खोलकर लिखा गया है। लेकिन इसमें पत्र लेखकका हेतु भ्रष्टा ही है। कितने ही मित्रोंने मुझसे यही सवाल किये हैं और मैंने अपने बस भर उनके समाधानका प्रयत्न किया है। लेकिन इस पूर्वोक्त पत्रपर सार्वजनिक रीतिसे विचार करनेकी जरूरत है। यदि अदालतमें बयान पेश करना असंगत है तो इसका कारण है कि अखिल भारतवर्षीय महासभा समिति, जिसने कि बयान पेश करनेकी अनुमति दी है। हा, कोई चाहे तो समितिसे इस धारेमें सवाल कर सकता है, परन्तु वह अली भाइयोंपर असङ्गतिका दोषारोपण नहीं कर

सकता । भारतवर्षीय महासभा समितिके निर्णयका मूल है मेरी सलाह । और शायद इसके लिये सर्वसाधारणके सामने मुझे ही कारण बताना वाजिब है । वयान पेश करनेसे मुजिम्मको अपना अभिप्राय स्पष्ट करनेका अवसर मिलता है और अदालतमें उसके पेश करनेसे वह हमेशाके लिये मिसलमें शामिल रहता है । इसके सिवा मुझे इस बातपर विश्वास है कि भारतवर्ष इसी साल स्वराज्य प्राप्त करनेका सामर्थ्य रखता है । स्वराज्यकी स्थापना होनेके पहले में हजारों लोगोंके जेलमें दाखिल होनेकी उम्मेद करता हूँ । और यह आशा रखता हूँ कि स्वराज्य पार्लियामेंट उन तमाम असहयोगी कैदियोंको छुड़ाकर ले जायगी, जिनपर कोई नैतिक अपराध साबित नहीं हुआ है । अतएव स्वराज्यके पश्चात् न्यायाधीशोंको ये वयान बड़े कीमती इमदाद देंगे । फिर मैं इस बातके लिये उत्सुक हूँ कि अपराधी लोग असहयोगसे अनुचित लाभ न उठा सकें और वयान पेश करके सर्वसाधारणको अपनी निर्दोषिताके अनुमान करनेका मौका दें । जो वयान मुस्तसर हो, अपने विषयसे बिल्कुल सलग्न हो और जिसमें दलीलोंका तो बिल्कुल ही सहारा न लिया गया हो, वही इस कसौटीपर उतर सकता है ।

मौलाना महम्मद अलीका वयान इस श्रेणीमें नहीं आ सकता । वे तो इस्लामकी लम्बी चौड़ी और कष्टसाध्य व्याख्यामें लग गये । उन्होंने स्पष्ट अपनी सफाईके लिये

अदालतका उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने स्वीकृत कार्यकी शोहरत फैलानेके लिये किया है। लोगोंने उनके वयानको वहे चांवके साथ पढ़ा है। उन्होंने उसे यदि निबन्धके रूपमें लिखा होता तो उसका असर मारा जाता। इसलिये मैं न तो उस वयानकी पुष्टि करनेके लिये तैयार हूँ और न निषेध। हा, वह मुख्यतः तो जरूर ही किया जा सकता था। लेकिन संक्षेपसे काम लेना मौलाना महम्मद अलीके लिए नामुमकिन है। मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने थोड़ेमें व्याख्यान देनेका वादा करके एक एक घण्टा तक लगाया है।

दूसरा आरोप और भी नेज है। बैठनेसे इनकार करनेके मामलेमें वाअदव या बेअदव कानून भंग करनेका कोई सवाल नहीं था। वह तो सिर्फ रचिका सवाल था। यह सब दृश्य मुझे तो पसन्द नहीं आया। हा, बेशक, उसमें कोई गुस्ताखी की बात नहीं थी। वह सिर्फ एक गैरजरूरी चुनौती थी। हा, मैं मानता हूँ कि असहयोगीको बिलकुल नम्र रहना चाहिये और उन कैदियोंका व्यवहार नम्रताकी सीमाके बाहर था।

लेकिन फिर भी मैं उन कैदियोंके व्यवहारकी निन्दा करनेमें असमर्थ हूँ। उन्होंने इसके द्वारा एक प्रयोजनकी पूर्ति की है और वह कोई बुरा प्रयोजन नहीं है। मारे दवावके आज हम बिलकुल दीन हो गये हैं। अदालतोंके आसपास देखिए तो एक खासा भय और भीतिका वायुमण्डल फैला रहता है। कानून और अदालतोंके प्रति आदर एक चीज है और उनका डर दूरमरी

चीज है। मेरी रायमें तो अली भाई और उनके साथी कैदी शरारत पर तुल गये थे। वे अदालतकी और कैदखानेकी वह शानको मिटा देना चाहते थे। इसलिये उन्होंने समझ बूझकर अदालतको इस तरह ललकारा। अगर मजिस्ट्रेट उस विनोदा वस्थाका मर्म समझ जाता तो अलीभाई उससे मामूलके मुआफिक सीधी तरह पेश आते। अदालत अपनी शानके दम पर चलना चाहती थी। लेकिन अली भाई तो उसे जरा भी नहीं रहने देना चाहते थे। हा, मैं इनकार नहीं कर सकता कि इसका इससे भी अच्छा रास्ता था। लेकिन मेरा तो यह निश्चित मन है कि अली भाइयोंने अपनी इस खुनौतीके द्वारा भी अपने स्वीकृत कार्यकी सहायता ही की है। अगर वे नम्रता धारण कर लेते तो अपने कामका बिगाड़ कर बैठते। उन्होंने इस वार भी अपनी सच्चाई और स्वाभाविकता सिद्ध कर दिखाई है और मेरी दृष्टिमें उनके चरित्रका अत्यन्त प्रिय और प्रधान अङ्ग है। हमको याद रखना चाहिये कि इन आजकी अदालतकी वेइज्जती जरूर ही करनी है, क्योंकि वे हमारे मनमें वेइज्जतीके ही लायक हैं। लेकिन एक ओर जहां मैं अली भाइयोंकी ललकारको घुरा नहीं चला सकता वहां, दूसरी ओर मैं उसे एक नमूनेके तौर पर भी पेश नहीं करता हूँ, जिसका अनुसरण सब लोग करे। जो ऐसा करनेका प्रयत्न करेंगे वे असफल हुए बिना न रहेगे, क्योंकि, मुझे पाठकोंको यह बताना देना चाहिए, कि अली भाइयोंके दिलमें मजिस्ट्रेटके प्रति दुर्माय

नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब मजिस्ट्रेट अदालतके बाहर हो तो उनसे वे उसी शिष्टतासे पेश आवेंगे जिससे खुद मेरे साथ आते हैं।

नीचे एक पत्र दिया जाता है जिसमें उसके लेखकने अपनी आपो देखा हाल लिखा है। उसमें पाठक वहाकी स्थितिका शायद और अच्छा अन्दाज कर सकेंगे। पत्र इस प्रकार है -

“अखबारोंके द्वारा आपने इस मुकदमेकी कारवाइ पढी ही होगी लेकिन इस मामलेकी कारवाइको चुपचाप देखने वाले आदमीकी तरीयत पर उसका क्या असर हुआ है, यह दिखला देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आरम्भमें हा ‘वीर’ मुल्जिमको टवानेकी कोशिश की गई थी, लेकिन उस अभागे मजिस्ट्रेटको पाला पडा था किसी ऐसे वैसेसे नहीं, मौलाना महम्मद अलीसे। उस भले आदमीको उसके ‘योग्य’ ही डाट डपट मिल गई।

मेरी जिन्दगीमें यह दूसरा मौका है जो मैं किसी अदालतमें किसी मुकदमेकी पेशी देपानेके लिये गया हूँ। पहली बार जो तजरना हुआ उसकी यादगार तो हा, मीठी नहीं है, लेकिन इस दूसरी बारकी और मैं ख्याल करता हूँ कि आखिरी बारके पहलेकी—क्योंकि आखिरी बार तो अभी आनेवाली है—हालत देखकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। जहा कानून और व्यवस्था का शासन है उस देशकी लार्ड रेडिगके राज्यको न्यायालयके नामसे विख्यात होनेवालो

वह अदालत एक नाटकगृहसे बढ़कर नहीं थी। नहीं जनाब मैं गलती कर रहा हूँ। नाट्यशालामें तो नट अपना अपना काम ईमानदारीके साथ करके अपने दर्शकोंको, जो अपने मन बहलावके लिये रुपया देकर वहा जाते हैं, खुश करते हैं, लेकिन अंगरेजी अदालतका 'न्यायाधीश' फिर घट चाहे गोरा हो या काला, प्रामाणिकतासे कोसों दूर रहता है और मुझे विश्वास है कि न्याय शब्द तो उनके कोपमें रहता ही नहीं।

मैं वकील नहीं हूँ। इससे मैं कानूनी बेकायदगियोंको नहीं जान पाया, पर अगर सामान्य बुद्धिसे कानूनका कुछ भी सम्बन्ध है तो मैं साहसके साथ कह सकता हूँ कि उस खलीकदिना हालका सारा तमाशा एक पासा प्रहसन था जिसका सानी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा।

गवाहोंके वयान और साजिशको साधित करनेका तरीका बड़ा मजेदार था और मुकदमेके अन्तमें सरकारी वकीलने जो भाषण किया उसको तो जरा भी नुक्ताचीनीकी आवश्यकता नहीं।

मैं खुद तो इस नतीजेपर आ पहुँचा हूँ कि इन अदालतोंमें वयान पेश करना भी केवल जङ्गलमें रोना है। हा, अगर वह अपने देश भाइयोंके प्रति आखिरी अपीलके रूपमें हो और उससे अपने मतोंका कुछ प्रचार होता हो तो भले ही।”

बुलन्दशहरका एक पत्र यहा देता हूँ। उससे मेरा प्रतिपाद्य विषय और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा।

“गत ३ अक्टूबरको यहाँके जिला मजिस्ट्रेटके इजलासमें एक राजनैतिक मुकदमा पेश हुआ। उसके सिलसिलेमें मजिस्ट्रेटकी महज बेजा कार्रवाइयोंकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

जिला मजिस्ट्रेट, मिस्टर डोवसके इजलासमें, महाशय महावीर प्रसाद त्यागीपर दफा १२४ ए और १५३ ताजीरात हिन्दकी रूसे मुकदमा चलाया गया। हेड कानिस्ट्रबल मुहम्मद यार, पाकी जिरहके वक्त मुज्जिमके व्याख्यानके मुख्तसर नोट अदालतके सामने पढे जा रहे थे। उसपर अदालतने कहा कि रिपोर्टका अंग्रेजी तरजुमा मूल व्याख्यानसे नहीं मिलता है। इसपर सरकारी वकीलने कहा कि हा, मालूम तो ऐसा ही होता है लेकिन मैं नहीं बता सकता कि ऐसा ‘क्यों है।’ जब गवाहकी जिरहका मुख्य भाग खतम हो चुका, अदालतने मुज्जिमसे पूछा कि तुम जिरह करना चाहते हो? मुज्जिमने जवाब दिया “नहीं। आप सिर्फ इतना ही लिख लिजिये कि अंग्रेजी तरजुमा मूल व्याख्यानोंसे नहीं मिलता है, जैसा कि सरकारी वकीलने अदालतके सामने साफ साफ कबूल किया है।” यहाँ पर यह लिख देना बेमौका न होगा कि मुज्जिमकी तरफसे कोई वकील नहीं किया गया था और वह कानूनकी थाक्फियत भी नहीं रखता। उसने महकमे फौजके सिवा दूसरी जगह कहीं नौकरी नहीं की है। और लडाईके सिलसिलेमें समुद्र पार रहा था। मजिस्ट्रेटने यह बात लिख लेनेसे इनकार किया और

कहा—“क्या वेहूदा बात कहते हो ?” इस पर मुल्जिमको बुरा लगा और उसने उलटकर कहा—‘मैं तो समझता हूँ, आप ही वेहूदा बात कह रहे हैं। ‘नव मजिस्ट्रेटने बलवन्त सिंह कान्स-टेबल नं० ५१ से, जो कि मुल्जिम पर तैनात था कहा कि एक तमाचा लगाओ। सिपाही भिम्बका और उसने बड़ी ही अनि-च्छाके साथ मुल्जिमके गर्दनके पीछले हिस्सेपर धीरेसे एक थप्पड़ लगाई। यह देख कर मजिस्ट्रेटने फिर उसे आवा दी थी कि मु’ह पर एक जोरका तमाचा लगाओ। कानिस्ट्रिल मजबूर हुआ। उसने वैसा ही किया। मुल्जिमने इस वेइज्जती और सन्तोको चुपचाप बरदाश्त किया। उसने न तो अपनी सफाई पेश की और न सरकारी गवाहसे जिरह ही की।

मुझे इतना और कहना चाहिये कि ज्योंही जिला मजिस्ट्रेट अदालतमें आये उन्होंने देखा कि मुल्जिम अदालतके बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ है और एक थानेदारके हिरासतमें है। जब मामला पेश हुआ, उन्होंने थानेदारको घुडका कि क्यों तुमने उसको बेंच पर बैठाया और अदालतमें हथकड़ी खोल कर क्यों पेश किया ? कोई आध ही मिनटके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि इसके हथकड़ी डाल दो। यह फिर अपने हाथोंको बाह पर रख कर खड़ा है। मजिस्ट्रेटको इस हद दर्जेकी सखतीसे यहांके लोगोंमें बड़ी सनसनी फैली। कोई ४ हजार आदमियोंकी सभा हुई। श्रीयुत सैयदहसन बैरनी वी० ए० एल० एल० वी० वकीलने सभापतिका पद ग्रहण किया था। उसमें प्रसंगोचित प्रस्ताव

पास हुए। प्रस्तावके अनुसार जगह जगह तार भेजे गये हैं, परन्तु यकीन नहीं कर सकते कि ये पहुंचाये गये हैं या नहीं। इसलिए पत्र द्वारा भी यह समाचार भेजा गया है। अखबारोंमें भी तार द्वारा खबर भेजी गई है।”

बुलन्दशहरकी इस आम सभाके प्रस्तावोंमें मुत्सिमको उसके आत्मसयम, वीरता, और विरक्ति पर बधाईया दी गई हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा सन्देह है कि इन विशेषणोका उपयोग समुचित रूपसे हुआ है या नहीं। मुत्सिमने उनके प्रतीकारमें एक भी शब्द क्यों नहीं कहा? ऐसे मजिस्ट्रेट नामधारी व्यक्तिके इजलासमें अपना मुकदमा चलानेसे इनकार क्यों नहीं कर दिया? मजिस्ट्रेटने तो बिल्कुल साफ साफ जुर्म किया है और इसी तरह उस अनिच्छुक कानिस्ट्रिलने भी गुनाह किया है। क्या मुत्सिमने प्रेम और नम्रताके कारण अपना मुह बन्द कर लिया था? डर अथवा किसी अनिष्टके लिये स्तब्धता या निष्क्रियताका उपयोग, टट्टीके तौर पर, हरगिज न होना चाहिये। क्या अली भाइयोंका चरताब अधिक मर्दाना और कुदरती नहीं था? जहा बुलन्दशहरके जैसा मौका पेश आता हो वहा मनुष्यका अपना बल ही उसकी रक्षाका साधन हो सकता है और मुझे इस बातमें कोई सन्देह नहीं है कि जब अली भाइयोंने अदालतको ललकारा है, तब अपने देश भाइयोकी राजनैतिक निर्वलता ही उनके मद्देनजर रही है।



श्री त्यागीका समर्थन

(नवम्बर ३, १९२१)

पिछली २७ अक्टूबर के 'यङ्ग इण्डिया' में श्री त्यागीके समर्थनमें काशीके विख्यात वावू भगवान दासजी की एक वि-
हत्तापूर्ण टिप्पणी प्रकाशित हुई है। उसमें वावू साहबने १३ अ-
क्टूबरके 'यङ्ग इण्डिया' में श्रीयुत महाधीरप्रसाद त्यागीके अ-
दालतके वर्तावपर की गयी सम्पादकीय टिप्पणीको अधूरी ख-
बरों के आधारपर लिखी गई बताते हुए श्री त्यागीपर किये
गये आक्षेपोंका जवाब सिलसिलेवार दिया है। आप कहते हैं—

“१—जब कि हुकूमतका और पदका इतनी धुरी तरहसे और
वेशरमीके साथ उपयोग किया जाता है, तब सिर्फ उसके “खि-
लाफ” आवाज उठानेसे कुछ फल न निकलता। तथापि श्री
त्यागीने उसका लेखी निषेध जरूर किया है जो अपने ढङ्गका
गौरवपूर्ण और उस परिस्थितमें अत्युत्तम है।”

२—श्री त्यागीका यह प्रतीकार कि मैं अब न तो अदा-
लतके और न मुकदमेकी पैरवी करनेवाले वकीलोंके सवालों-
का जवाब दूंगा, केवल उस मजिस्ट्रेटके सामने मुकदमा चला-
नेसे इनकार कर देनेके अनिश्चित अधिक प्रभावशाली और अ-
त्यन्त गौरवपूर्ण मालूम पड़ता है।

२—जहातक़ खबरें मिली हैं उनपरसे यह कहा जा सकता है कि श्री त्यागीने प्रेम या नम्रताके वशीभूत होकर मौन नहीं धारण किया था। मौन तो धारण किया भारतके उन अङ्गरेजी 'न्याय मन्दिरों' की तिरस्करणीय वृत्तिके प्रति तथा उस मजिस्ट्रेटके प्रति तिरस्कार प्रगट करनेके लिये, जिस का वर्ताव एक मुन्सिफकी वनिस्पत एक भगडालूकासा था और जो ताजीरात हिन्दकी दका १०७ और ३५२ के सनुसार खासा जुर्ममें शामिल हो सकता है। इसमें शक नहीं कि यह तिरस्कारयुक्त मौन ईसामसीहके या बुद्धके उस प्रेममय या नम्रतायुक्त मौनकी बराबरी तो नहीं कर सकता, किन्तु वह असहयोगके सिद्धान्तके खिलाफ भी नहीं मालूम होता, क्यों कि वह तो यही कहता है कि यह शासनप्रणाली जितना अहि सात्मक तिरस्कार बताया जा सके उस सबके योग्य है।

४—श्री त्यागीने भीतिको छिपानेके लिये मौन नहीं धारण किया था। इससे अधिक बुरी बात क्या हो सकती है ?

यह सच है कि जब देशमें एक तरफ सरकारको अयोग्यताके कारण खियों तथा पुरुषोंपर मोपलाओंकेद्वारा भीषण अत्याचार हो रहे हैं ऐसी हालतमें श्री त्यागीके वर्ताव जैसी छोटीसी बातपर लम्बी चौड़ी बहस करना अनुचित तो है तथापि "यङ्ग इण्डिया" देश भरमें बड़े भादरकी दृष्टिमें देखा जाता है। ऐसी दशामें उसकी सम्शदकीय टिप्पणियोंमें एक असहयोगी कार्यकर्ताके वर्तावपर कुछ विपरीत लिखा जाय

अथवा उसके सिर व्यर्थ दौप लग जाय तो यह दुर्भाग्यकी बात होगी।

इसलिये 'यङ्ग इण्डिया' के सम्पादक महाशय से निवेदन है कि अत्र अधिक बातें मालूम हो गईं । अतएव वे अपने मत पर फिर से विचार करनेकी कृपा करें।”

पाठकोंको यादहोगा कि श्री त्यागीका लेखो वयान देखते ही य० इ० के गताककी टिप्पणीमें उनके साथ कुछ अन्याय हुआ हो तो उसका परिमार्जन किया गया है। मैंने इस चेतावनी को इसलिये आवश्यक समझा कि मैं अपने अनुभवसे यह जानता हूँ कि ऐसी मौन हमारी कमजोरीका भी परिणाम होता है। दुर्भाग्यसे उसका प्रसार किसी एक ही शब्द तक खतम नहीं हो जाता है। यह कमजोरी तो हमारे राष्ट्र भरका दुर्गुण बन रही है। श्री त्यागीके मामलेका नाम तो इस दुर्गुणके एक ताजे उदाहरणके तौर पर आया है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मोपलाओंके अत्याचार तो बुरे हई हैं, किन्तु उनके अत्याचारोंके सामने दूसरोंका आत्मसमर्पण कर देना इससे भी अधिक बुरा है। “हम तो ज़रूरदस्ता मुसलमान बना दिये गये” यह रोना रोनेके लिये भी वे जिन्दा क्यों रहे? हमारे धर्मकी तक्षा खुद हमारे सिवा और कौन कर सकता है? हर एक इन्सानको, फिर वह स्त्री हो या पुरुष अपना रक्षक स्वयं ही बनना चाहिये। जिस परमात्माने हमें धर्म दिया है उसीने हमें उसी रक्षा करनेकी शक्ति भी दी है। हर एक इन्सानको

मारनेकी शक्ति नहीं होती, लेकिन मारनेकी शक्ति तो अन्धे, लड़के लूटनेपर अग्र्य होती है। उस मजिस्ट्रेटने श्री त्यागीपर जो कायर वार किया वह उनके पौरुष पर और अतएव धर्मपर आघात था। इसलिये उनको चाहिये था कि वे वेभदवी, गुस्ताखी, पाजीपन आदि कहलानेवाला ऐसा कोई कार्य करते जिससे उन्हें वह अधिक थपड़ें लगवाता और इस तरह एक शांतिमय दृश्य खड़ा कर देते। सच्चा असहयोग तो यही होता लेकिन मैं श्री त्यागी अथवा किसी दूसरे व्यक्तिको दोष नहीं लगाता। हमारा पौरुष जान वृद्धकर नष्ट ही कर दिया गया है और हमको नि राख करके केवल शरण जानेके योग्य बना दिया गया। किन्तु अहिंसाके आधुनिक रूपके प्रणेताकी हैसियत से मुझे यह बड़ी चिन्ता रहती है कि कहीं यह कमजोरी हमारा आदर्श न बन जाय और उससे अपनी रक्षा करता रहता है। इसलिये मेरी तो यह इच्छा है कि बहादुरी पर भी तब तक धन्यवाद न दू जबतक हमें उसका पक्का यकीन न हो जाय किंतु यों तो हमें उस प्रगतिके लिये जरूर धन्यवाद देना चाहिये जिसके बदौलत हम हुकूमतकी दहशतसे डरकर पीछे हटना भूल गये। असहयोग तो दान और भीमको दोनों के लिये अमोघ शस्त्र है। यदि हमें अपनी कमजोरीके कारण अपमानके सामने शिर झुकाना पड़े पर यदि ऐसा करते हुए हम यह जानते हो कि यह अपमान हमें अपनी कमजोरीके कारण सहना पडना है और इसलिये हम उत्तरोत्तर उन्नति करनेकी चेष्टा

करते रहें तो फिर मुझे इसके लिये भी शरम न मालूम होगी।

बाबू भगवानदासजी यह जाननेके लिये उत्सुक हैं कि भयसे भी बुरा और क्या हो सकता है? मेरे ध्यानमें थी 'कायरता'।

यह बड़े मार्केकी बात है कि एक ओर तो बाबू भगवान दासजी श्री त्यागीके लेखी बयानके मामलेमें मेरी दूसरी टिप्पणीको न देखनेके कारण मेरेद्वारा जल्दीमें किये गये श्री त्यागीजीकी कमजोरीके निषेधके खिलाफ उचित आवाज उठा रहे हैं और दूसरी ओर मौलाना महम्मद अलीने अपने वर्तावके गुस्ताखी कहे जानेके खिलाफ आवाज उठाई है। इन विरोधोंको मैं अपने दोषमें छिपा राष्ट्रीय इच्छाके बड़े भारी शुभ शकून समझता हूँ। मौलाना साहब उस घातका श्रेय तक लेनेसे इनकार करते हैं जो अत्युच्च दृष्टिसे देखने पर, संस्कृतिके खिलाफ नजर आती हो और बाबू भगवानदासजी मुझे उस क्रियाको भीतियुक्त कहनेसे रोकने हैं, जिसका समर्थन वीरोचित अहिंसाके सिद्धान्तसे किया जा सकता है। अब यह आशा और प्रार्थना करते हुए कि हमारा देश इतना शूरवीर और साथ ही सम्य और उच्च हृदय बने जि संसे वह उत्कृष्टताओंकी सीमाको पहुँच जाय, हम इस विवादको खतम करते हैं।”

यंग इंडियाकी टिप्पणी

बुलन्दशहरके श्रीयुक्त त्यागीके सहासयुक्त और स्पष्ट लेखी बयान पर टिप्पणी करते हुए श्री गांधीजी 'यंग इंडिया' में लिखते हैं—

“मेरी रायमें तो ‘जवानबन्दी’ से और ‘पामोशी’ का खिताब पानेसे हमारा काम नहीं चल सकता। जब श्री त्यागीको थप्पड़ लगाई गई तभी उनका यह कर्तव्य था कि वे अदालतमें उठनेसे इनकार कर देते। उन्हें उम्मी समय उस मजिस्ट्रेट कहलानेवाले शब्दके इजलासमें मामला आगे चलानेसे इनकार कर देना चाहिए था। उन्हें बेघटक वहाँ बैठ जाना चाहिए था और इस तरह दिखलाना चाहिए था कि वे अदालतकी सत्ताको नहीं मानते। इसका फल शायद यह होता कि ज्यादा थप्पड़ पड़ते, ज्यादा सजा मिलती। परन्तु असहयोगका प्रयोग जब चलवानके शब्दके तौर पर किया जाय तब उसका मर्म यही है कि अधिक कष्ट सहन और जाती नुकसान कुबूल करके अत्याचारके शिकार होनेसे अपनेको बचाया जाय। इस आन्दोलनमें अबतक यह मालूम रहा है कि सरकारका वारण्ट मिलने पर मुत्तिम अदालतमें हाजिर हो, क्योंकि यह अन्देशा नहीं किया जाना था कि मजिस्ट्रेट लोग बुलन्दशहरके मजिस्ट्रेटकी तरह पेश आवेंगे। लेकिन इस मजिस्ट्रेटके असाधारण व्यवहारके लिए जरूरत भी असाधारण उपायकी ही है।

अहिंसा व्रतके मानी यह नहीं हैं कि हम अपने तेजोबधके काममें सहयोग करें। वह नहीं कहता कि हम पेटके घल रेंगे या नाक रगड़ते हुए चलें, या ‘यूनियन जैक’ को सलाम करने जाय, या हाकिमोंके इशारे पर कोई भी अपनेको गिरानेवाला काम करें बल्कि, इसके खिलाफ, हमारा व्रत तो हमसे यही

कहता है कि चाहे हमें गोली ही क्यों न मार दी जाय पर हम हरगिज ऐसा न करें। अबएव जालियावाला बागके लोगोका यह कर्तव्य नहीं था कि जब गोलिया भाडी जा रही थीं तब वहा से भाग खडे होते या मुंह तक फेरने। अगर अहिंसाका पैगाम उन तक पहुंच गया होता तो उनसे यह उम्मीद की जा सकती कि जब उन पर फायर शुरू हुआ तो वे अपनी छाती खुली करके उसी तरफ आगे बढ़ जाते और यह विश्वास करते हुए कि हमारी यह मौत देशको आजादीके लिए है, अपने प्राण खुशी खुशी गवाते। अहिंसा तो जालिमकी ताकतको कोई चीज नहीं समझनी है। अपने जैसेके साथ उसी तरह पेश न आनेके तथा अपनी टेक पर अडे रहनेके निश्चयके द्वारा उसे बेकार कर देनी है। हम जनल डायरके पजेमें इसलिये फस गये कि हमने उस समय वैसा ही कर दिखाया जैसा कि वह हमसे कराना चाहता था। वह चाहता था कि उसकी गोलियोंको देखकर हम रफूचकर हो जायं, वह चाहता था कि हम पेटके बल रेंगें और जमीन पर नाक रगड़े। यह तो उस 'दहशत' के खेलका एक अङ्ग था। जब हम हिम्मत बाध कर उसका मुकाबला करते हैं तब वह किम्बी भूतप्रेतकी तरह तुरन्त गायब हो जाता है। मुमकिन है कि सभी लोग इतने साहसका परिचय न दे सकें। परन्तु यह तो सुझे निश्चय है कि अगर हममें से कुछ लोग भी इतना साहस रखे कि चट्टानकी तरह अटल पडे रहें पर जरा भी हाथ न उठावें तो हमें इस साल स्वराज्य अचश्य मिल स-

कता । जय जालिमको ताकतका जवाब नहीं मिलता तब वह खुद उसी पर उलट पडतो है, ठीक उसी तरह जिस तरह कि अगर हवामें बडी ताकत और जोरके साथ हाथ घुमाया जाय तो खुद हाथ ही उखड जाता है ।”

अहिंसाका व्यवहार

श्री० त्यागीचिपयक मेरे उद्गारोंको पढकर मोतिहारीसे एक सज्जन लिपते हैं कि “आपकी टिप्पणियोंको पढकर मैं असमझ-समें पड गया हू । मेरी समझमें नही आता कि अगर ऐसा अवसर मेरे सामने उपस्थित हो जाय तो मुझे क्या करना चाहिये ।” हा मुझे खोकार है कि इसके लिये कोई सर्वाङ्ग पूर्ण नियम बना देना कठिन है । कायरता और क्षुद्रता द्वेष और प्रम असत्य और सत्य ये सब हृदयके गुण हैं । सद्गुणको दिखाना आसान है पर दूसरेके हृदयमे रहनेवाले सद्गुणको परखना हमेशा ही कठिन होता है । सबसे सुरक्षित तो मार्ग है यह मान लेना कि मनुष्यके बचन जैसा वह कहता है वैसा सच ही है । जयतक सबल कारण न हो तयतक किसीकी भी बातपर सन्देह न करे । श्री त्यागीके सम्बन्धमे मुझे अघूरी पदरे मिली थी और उन्हींके आश्राय पर मैंने न्याय अन्यायका अनुमान किया था । नीचे दो हुई मिसालोंसे यह जाना जा सकता है कि हमें

खुद किस तरह वरतना चाहिये । प्रह्लादको राम नाम लेनेकी मनाई कर दी गई थी । जब मनाई नहीं की गयी थी तब तो वह चुपचाप अपने रास्तेपर चला जाता था पर जब मना किया गया तब उसने उसका प्रतिकार किया और अत्यन्त कठोर सजाका आवाहन करके हसते हंसते उसे सहन किया । डेनियल पहले तो अपने घरके एक कोनेमें पूजापाठ किया करता था । पर जब ऐसा करनेसे रोका गया तब उसने भट्ट अपने घरका दरवाजा खोल दिया और खुलमखुला ठाकुरजीकी पूजा करने लगा । वह सावजकी गुफाओंमें भेड़की तरह ढकेल दिया गया । हजरत अली अपने जालिमसे भी ज्यादा जोरावर थे । जालिमने उनपर धूक दिया तब उन्होंने उसका हाथ चूम लिया । बहादुर अली जानते थे कि अगर मैं जालिमके साथ हाथापाई करूंगा तो ऐसा करना मानो क्रोधके वशमें हो जाना होगा । पर हा, मैं यह जानता हू कि हम इन प्राचीन साधु सन्तोंकी श्रेणीमें नहीं खड़े रह सकते । न तो हममें उनका जैसा विशुद्ध शौर्य है, न उतनी पवित्रता और न उनके जैसी सम्यक् दृष्टि ही हमारी है । हम भय और क्रोधको अभी जीत नहीं पाये हैं । हम तो अभी अहिंसाका रहस्य और निर्भयता सीखनेका प्रयत्न कर रहे हैं । हमारी अहिंसामें तो अभी मिलावट है । हमारा अहिंसा अभी अधिकाशमें दुर्बलता मूलक और अल्पाशमें सबलता मूलक है । हमारे लिये तो सबसे निष्कण्टक मार्ग यही है कि अपनेको बलवान बनानेके प्रयत्नमें अपने चक्का साक्षात्कार करते हुए जितने संकट

सहने पडेँ उनने सहें । अतएव जब कोई मजिस्ट्रेट मुझे धप्पड लगावे तब मुझे ऐसा बर्ताव करना चाहिये जिससे मुझे दूसरा धप्पड मिले । हा, यह बात जरूरी है कि पहले धप्पडके लिये मेरी तरफसे कोई मौका न देना चाहिये । मैं अगर बदतहजोबीसे पेश आया हू तो माफी माग लू, गुस्ताबी की हो तो नम्रता धारण कर लू, जाहिल हू तो शान्त हो जाऊ । अदालतमें तो मुझे वाकायदा और मुनासिब तौर तरीकेसे बरतन चाहिये । यह नहीं हो सकता कि कभी तो मुनासिब तरीकेसे पेश आऊ और कभी नामुनासिब तरीकेसे । अदालतमें हमारा वही तर्ज नरीका अच्छा हो सकता है जो कुदरती हो । अतएव अगर हमें किला-सर करना हो तो अपने कामोंमें हमसे जो कुछ भूल हो वह अहिंसाकी तरफसे होना चाहिये ।



न्यायका नाटक



[यद्ग इण्डियामें मौलाना मुहम्मदअलीका कराची जेलसे भेजा हुआ एक पत्र प्रकाशित हुआ है। उसके पढ़नेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि कराचीके खलफ़ीदना हालमें न्यायका नाटक किस प्रकार हो रहा है। स्थानाभावसे केवल अदालती कार्रवाईसे सम्बन्ध रखनेवाला अश यहा दिया जाता है।

“जब मैं जेलके बाहर था तब मुझे इतना समय और शान्ति नहीं मिलती थी कि मैं अपने भाषणोंकी रिपोर्टोंकी गलतियां रोज़ दुरुस्त करता रहता। किन्तु चूकि अब मुझे जेलके जीवनमें अधिक फुरसत मिलती है और चूकि इस कैदीके जीवन तैयारीके लिये मनुष्यको अविक्र शान्ति और धीरजवान बननेकी आवश्यकता है अब मैं इतना आजाद नहीं रहा कि ऐसी गलतियोंको बिना ही दुरुस्त किये छोड़ दिया करूँ जैसा कि पहले था। किन्तु निश्चय ही यह कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे लोगोंको केवल छपे हुए शब्दोंपर ही पूरा विश्वास रखना चाहिये। जब मैंने अदालतकी कार्रवाई चौधे दिनकी अधूरी, नादुरुस्त और विलकुल गलतफहमी फैलानेवाली रिपोर्ट पढ़ी तब तो मुझे ऐसा ही मालूम होने

लगा कि इससे कुछ लोगोंके तो ख्यालात जरूर हमारे निखत उलट्टे हो जायेंगे। और इसलिये जो खत मैंने तेरसीको "वाम्ब्रे क्रानिकल" की छापी उलट्ट पलट्ट बातोंके विषयमें—जिसमें मेरे वयानकी रिपोर्टके दर्जनों पैराग्राफ और वाम्ब्रे नीचेके ऊपर और ऊपरके नीचे छाप दिये गये हैं लिखा था उसमें मैंने उस परिस्थितिका भी कुछ जिक्र किया था जिसके कारण अदालतको ललकारनेकी घटना हुई थी। किन्तु सचमुच हम शरारतपर तुले हुए नहीं थे। पहले तीन दिनतक तो अदालतकी कार्रवाई शान्तिके साथ चरती रही और सरकारके वकील हमपर जितना 'सफाई' देनेका द्योप लगा सकते हैं उससे अधिक अदालत भी "ललकार" का इत्जाम हमपर नहीं लगा सकती थी। हा बखेडा तो मौलाना हुसेन अहमद साहबके वयानसे ही शुरू हुआ। अदालतने एक काविल दुभापियेको बुलानेसे इन्कार किया। और जज मजिस्ट्रेट यह समझकर कि दूसरे मुदिजमके लिये दुभापियेको जरूरत न होगी, मामला आगे चलाने लगे तब पूर्वोक्त घटनावके कारण किचलूने उर्दूमें ही बोलनेका आग्रह किया। दूसरे दिन तो अदालतका तमाम ढङ्ग ही बदल गया। यह बात कित्से मालूम कि रातभरमें इतना बडा भारी परिवर्तन हो गया होगा। 'गुम्तापो' तो अदालतकी ही थी। किचलूका वयान ठीक उसी तजका था जैसा कि मेरा था। परन्तु वह पद पदपर रोका जाने लगा और मजिस्ट्रेट भी उसे

नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने यह जिद पकड़ी कि शङ्कराचार्य को यदि वयान देना हो तो खड़े होकर ही देना होगा। शङ्कराचार्य ने धार्मिक कारण बतलाते हुए ऐसा करनेसे इन्कार किया। जब बात यहातक पहुच गई तब मुझे मजिस्ट्रेट को दो बातें कहनी पड़ी—पर उनमें कहीं 'क्रोध' का नामोनिशा नहीं था।

मैंने उनसे पूछा कि क्या आप शङ्कराचार्य ऐसे धार्मिक पुरुषको भी, जो तमाम हिन्दुओंमें एक अति उच्च पदपर स्थित हैं, अदालतके सामने अपना शिर झुकानेके लिये जिद कर सकते हैं जय कि ऐसा करनेमें उन्हें अपने मतके अनुसार धार्मिक आज्ञाओंका उल्लङ्घन करना पडता है? मजिस्ट्रेट साहय पारसी हैं। इन जातिके मूल भारतवर्षके इतिहासमें इस प्रकार मिलता है कि वह इस देशमें अपनी मातृभूमिको छोडकर इसी लिये आई थी कि उसे यह विदित होने लगा था कि कहीं हमें अपने विश्वासके अनुसार ईश्वरीय आज्ञाओंका उल्लङ्घन न करना पडे। मैंने मजिस्ट्रेटसे पूछा— ब्रिटिश अदालतकी प्रतिष्ठा पर तो आपकी इतनी श्रद्धा है क्या ईश्वरपर आपका कुछ भी विश्वास नहीं है? और पत्रोंमें इन सब बातोंका कहीं जिक्र नहीं। सिर्फ इतना ही छपा है कि महम्मद अलीने पूछा— "क्या आप खुदाको नहीं मानते?" मेरी इस नम्र यातका जवाब क्या मिला? एक फिडकी भरी आवाजमें यह हुकम हुआ "बैठ जाओ" मैंने माननेसे इन्कार तो किया, किन्तु यह मैंने

कभी नहीं कहा कि "देखू" तो आप क्या कर सकते हैं।" मैंने न यह कहा कि आप चाहें तो बल प्रयोग कर मुझे बैठा सकते हैं। किन्तु ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा मुल्जिमको मजबूरन घैठाया जा सके। विचारे शौकतने मजिस्ट्रेटको सन्तुष्ट रखनेकी अपनी ओरसे भरसक कोशिश की और अपना बयान देते समय धीच धीचमें रोकनेसे भी उसको मना किया गया, क्योंकि ऐसा करनेसे उसके बयान देनेमें बड़ी दिक्कत आती थी। किन्तु मजिस्ट्रेटने तो साफ साफ यही इरादा कर लिया था कि मेरे पिछले दिन जैसा एक भी बयान अब कहीं भी अदालतके दफतरमें दर्ज न होने पाये और न वह कोर्टमें बैठे हुए सहयोगियोंको और दूमरे आदमियोंके कानतक पहुंचने पावे। जब मौलाना हुसेन अहमद साहबने अपना बयान शुरू किया तब न तो मजिस्ट्रेटने उस दुभापिये द्वारा जो पहले ही इस्लामी कानूनके विवेचनका तर्जुमा करते समय अपनी असमर्थकता प्रगट कर चुका था, उसका तर्जुमा करवा लिया और न खुद भी यह समझनेकी कोशिश की कि मौलाना साहब अपने बयानमें क्या कहते जा रहे हैं। और न कुछ लिखा ही। इतनेपर वे नहीं ठहरे। पहले तो उनकी लापरवाही ही कुछ कम गुस्ताखी नहीं थी, फिर उसमें उन्होंने कुछ अपमानकारक बचनोंकी और जोड़ मिला। एकप्रार उन्होंने कहा—“यहापर तमाम कुरान पढ जानेकी जरूरत नहीं है।” मौलाना निसार अहमद साहबके छोटेसे बया-

तो भी वही हालत की गई। मजिस्ट्रेट साहब तो कानूनकी ओर जाब्ता कार्रवाईकी इतनी लापरवाही करते कि थे मेरा वह वयान (जिसके पूरा कर देनेका वचन मैंने उनके अनुरोध करनेपर और उनके शार्ट हैण्ड टाईपिस्ट भेज देना मजूर कर दिया था) वगैर लिये ही हमको उन्होंने दौरा अदालतके पुर्द कर दिया। किन्तु वह तो सत्र पहलेहीसे एक फार्स लेका इरादा था। उसके दूसरे दिन जब कि मुकदमेका दूत आधा भी न होने पाया था कि मजिस्ट्रेटने सरकारी वकीलकी इस दरख्वास्तपर कि दो गवाहोंकी तलबी की जाय, यह हुक्म दे दिया कि अत्र ख्वामख्वाह कार्रवाई बढ़ानेसे कुछ फायदा नहीं, दौरा अदालतमें भी इनकी तलबी होनेसे काम ठू जायगा। मजिस्ट्रेट साहब तो इस प्रकार फैसला पहले दे चुके ॥ और तारीख २६ को मुकदमेकी कार्रवाई खतम करनेके पहले ही पुद जुडीशियल साहब यह देख भाल करनेके लिये आये कि यह हाल दौराके कामके लिये ठीक होगा या नहीं और सरकारी वकीलसे भी उस मामलेमें बात चीत कर ले ॥

मैंने अदालतसे कहा कि 'फासी देनेका तख्ता भी तैयार रखनेके लिये बर्दईको चुलवा लीजिये न।' इस्लामी कानूनका तो जहा कहीं जरा भी नाम निकला कि मजिस्ट्रेट साहब घबराकर कह बैठते कि "यहापर हमें फतवाओंसे कोई फायदा नही है।" इसपर फिर शौकत बिगड उठा और उसने

कहा कि आप हमसे वेमतलयका वार्त क्यों पूछा करते है ? मुझसे आप यह पूछिये कि ऐसे मौकेके लिये इस्लामके कानूनोंको क्या भाजा है।' पर इससे भी कुछ मतलय नहीं निकला। यह देखकर शौकत भी अधिक धीरज न रख सका। उसने कहा — "जहन्नुममें जाय यह सारा तमाशा।"

यस इतनी कार्रवाई पतम होनेपर मजिस्ट्रेट साहब जोडा देर आराम करनेके लिये बाहर चले गये और आप न मानेंगे पर जब वे वापिस लौटे तो बिलकुल ही नये आदमी बन गये थे। शौकतपर और मुझपर जय दूसरे मुकदमे चलाना शुरू हुये तब तो वे फिर एक बार उस तीसरे दिनके जैसे बन गये थे। कह नहीं सकते कि यह दूसरा पलटा कैसे हो गया कि अदालतकी (और साथ ही मुहिजमोंको भी) स्वाभाविक स्थितिका रयाल तो आप इसी दरसे कर सकते हैं कि आखिरी दिन सरकारी वकील बडो जट्टीसे मेरे पास आये और कहने लगे कि क्या "आप फिर बराय मेहरवानी अदालतमें चल सकते हैं? एक गवाहने बिलकुल गलत बयान दिया है और मैं चाहता हू कि वह फिर बुलाया जाय।" मैंने तुरन्त मजूर किया और कहा 'ठीक है' जैसा आप चाहें और जय सा० आई० डी० के रिपोर्टरने कसम खा कर यह कबूल किया कि मैं जो बयान लिख रहा था वह महम्मद अलीके ही आपणका था। तब मैंने हसते हसते मजिस्ट्रेट साहबसे यह कहा कि गवाहने पहले झूठी कसम खाकर कह दिया था मेरा

भाषण तो दूसरा था। अतएव इसपर मामला चलानेका मैं अपना हक छोड़ देता हूँ” और इस बातके लिये मजिस्ट्रेटने भी हसते हंसते मेरे प्रति कृतज्ञता प्रगट की। यह बात है और उसे हम सब लोग जानते ही हैं कि मजिस्ट्रेट साहब तो एक बोलता चालता पुतला था। उस महत्वके दिन मैंने तो उन्हें कह भी दिया था कि मुझे यह देखकर बड़ा दुःख हो रहा है कि मेरे ही एक देश भाईका उपयोग एक घृणित कामके लिये किया जा रहा है परन्तु मेरे यह कहनेके दूसरे दिन तो वे खूब ‘चाची भरे हुये’ आये थे। पीछेसे मुझे मालूम हुआ कि जिन लोगोंसे उन्होंने अपनी वफादारी और ‘जी हुजूर गिरी’ की तारीफकी आशा की थी उन्होंने भी इस बातपर खेद प्रगट किया कि मजिस्ट्रेटने कानून और जाब्ता कार्रवाईको ताकमे रख कर ऐसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण राजनौतिक मुकदमेको बिगाड डाला, क्योंकि यह उनको रायमें इन सुधारोंके युगमें न्यायका एक आदर्श बनाया जानेवाला था। इसलिये तो इलाहाबादसे मि० अलस्टन और एक आलिम इस मामलेको भरसक बनानेके लिये आनेवाले थे और लाहोरसे दुभा पिया भी आ रहा था। पर यह तमाम मामला तो एक खासा फार्स था। अब तो वह किसी तरह सुधर नहीं सकता। हमें न तो गुस्ताखी करनेकी इच्छा है और न हमने शरारत ही करनी दिलमें ठानी है। तो हम ऐसे गूंगे जानवर तो नहीं हो सकते कि जिधर कोई हाक ले जाय उधर चले ही चले

जाय । और अहिंसा भी ऐसा बकरी बना देना नहीं चाहती । कमायतके दिन हिंसाको बहुतसी बातोंका जवाब देना होगा और बहुतसे मुसलमानोंकी आखें उस रोज खुल जायँगी जब उनकी करनीके अनुसार हिंसाकी परिभाषा बनाई जायगी । परन्तु उसके साथ ही अहिंसाकी कई बातोंके लिये जवाब देना होगा और मैं अभीसे देख रहा हूँ कि उसके आचार्य अहिंसा देवीके उन कई भीरु उपासकोंका भ्रम दूर करनेका प्रयत्न कर रहे हैं जो दिव्य नामकी ओटमें कायरताको छिपानेका यत्न कर रहे हैं ।

— ३६

जेलमें तपस्या

कराचीसे डाकके जरिये एक तार आया है । उससे मालूम होता है कि जेलमें मौलाना महम्मद अलीका वजन ३५ पाँड कम हो गया है । मजिस्ट्रेट और डाक्टरके कहनेपर भी उनके कमरेमें रोशनी नहीं की जाती । उन्हें मधुमेहकी बीमारी है । उसके लिये डाक्टरकी प्रताई सुविधायें उन्हें पूरी पूरी नहीं मिल रही हैं ।

मौलाना शौकतअली, डाक्टर किचलू, मौलवी निसार अहमद पीर गुलाम मजदीदको कहा गया कि अपनी जामा तलाशी देनी होगी । इसमें बदत पर एक लगोटी भर रहने दी जाती है और

अपनी बगल और मुंह भी खोलकर दिखाना पड़ता है। उन्होंने इस तरह बेइज्जत होनेसे इनकार किया। इसपर जबरदस्ता उनकी जामा तलाशी ली गई और एक महीने तक काल कोठरी-में रहनेकी सजा दी गई। मौलवी निसार अहमदको तलाशी नमाज पढ़ते वक्त ली गई। पूर्वोक्त सज्जनोंने जेलके अधिकारियोंसे कहा कि इस मामलेको सरकार तक पहुंचाओ, पर उसने इनकार कर दिया। मौलाना शौकत अलीका वजन ४० पाउंड कम हो गया है।

इससे यह सिद्ध है कि सरकारकी ओरसे ऐसा सङ्कोत किया गया होगा, जिससे विवेकके साथ काम करनेकी नीतिके बजाय जेलके कानून कायदोको सखतीके साथ बरतनेकी नीति काममें लाई जा रही है। जरा ख्याल कीजिये मौलाना शौकत अली या दूसरे उच्च हृदय पुरुष जेलरके अथवा एक दूसरेके सामने प्राय नगे खड़े रहें और उनकी जामा तलाशी ली जाय कितनी बेइज्जती! हां, पक्के मुजरिमोंकी जामा तलाशी लेना कितना आवश्यक और उपयोगी है, यह तो मैं समझ सकता हूँ और जेलके ये मामूली कानून कायदे उन्हीं लोगोंके लिये बनाये भी गये हैं, परन्तु ऐसे लोगोंसे जो, राजनैतिक आन्दोलनकी बात छोड़ दीजिये, सभ्य नागरिक माने जाते हैं और जिनमेंसे कुछ लोग तो विख्यात देश सेवक समझे जाते हैं, ऐसे कानून कायदोंका पालन जबरदस्ती करवाना सिवा पागलपनके और क्या हो सकता है? ऐसे कैदियों पर इन मामूली नियमोंका

अमल करना असली घातकी अवहेलना करना है और आपत्तियोंको न्योता देना है। हा, जेलकी मामूली मर्यादाका पालन तो बड़ेसे बड़े भादमीसे भी, जब कि जेलमें आवे, जरूर कराया जाय और जब वे जान बूझकर जेलको स्वीकार करते हैं तब तो और भी अधिक उसका पालन उनसे कराना चाहिये। जेलके जीवनमें जो जो कष्ट हैं वे तो उन्हें अवश्य भोगना चाहिये और उसपर उन्हें नाक भौंह न चढाना चाहिये। यदि वे स्वेच्छापूर्वक और पृथीके साथ जेलके अधिकारियोंसे अदबसे पेश न आवें तो यह उनसे जरूर कराया जाय परन्तु मर्यादा पालन वे इज्जतीके रूपमें न परिणत हो जाना चाहिये। कष्ट, यन्त्रणा का रूप न धारण कर ले और अदबका अर्थ 'पेटके बल चलाना' न हो जाय। और इसलिये असहयोगी कैदियोंको चाहिये कि वे वेडियों और हथकड़ियोंसे, कालकोठरीमें रहनेसे, चाहे कितना ही कष्ट क्यों न हो या चाहे उन्हें गोली ही क्यों न मार दी जाय, 'मर्यादा'के नामपर भी कभी जेलरके सामने नगे न हो, जेलके कष्टके नामपर मैले, बदबूदार कपड़े हरगिज न पहनें और गदा या हजम न होने लायक पाना न प्याय और इस तरह 'अदब'के नामपर हाथ न जोड़ें, दबकर न बैठे और जब कोई जेल अफसर आवे तब अपने मुहसे हरगिज न कहें कि 'सरकार एक है' या 'सरकार सलाम।' और यदि सरकार अग जेलोंमें हमें आग पर चलाना चाहती हो और हमें भुकानेके लिये शारीरिक कष्ट दे, तो हमें अदबके साथ इस तरह वे इज्जत होनेसे

इनकार करना चाहिये और ईश्वर पर अपना भरोसा रखना चाहिये कि इस जान बूझकर की जानेवाली वेइज्जतीका मुकाबला करने और उसके बदलेमें मिलने वाली शारीरिक यातनाओंको सहन करनेका बल वह दे। अच्छा है, वीर अलीभाइयों और उनके साथियोंको कराची जेलको शुद्धि करने दीजिये। स्वामि मानी सिधी अध्यापक क्रिपलानी काशीके कैदखानेको पवित्र करें। मुझे मालूम हुआ है कि बनारस जेलमें असहयोगी कैदियोंकी ऐसी वेइज्जती की जा रही है जिसे जबान बयान नहीं कर सकती और अध्यापक क्रिपलानी तथा उनके विद्यार्थियोंके लिये, जो कि बनारस जेलमें सजा भोग रहे हैं, उसका सामना करना असम्भव हो गया है। यह बात समझमें नहीं आती कि सयुक्त प्रान्तमें जहा कि राजनैतिक कैदियोंके साथ सरकारका वर्तान्वादर्शरूप माना जाता है, एक ओर आगरा और लखनऊमें तो वैसा ही है जैसा कि चाहिये, परन्तु दूसरी ओर बनारस में तथा अन्यत्र उसके विपरीत हो। क्या इसका यह अर्थ है कि स्थानीय अधिकारी इसके बाहर हो गये हैं और आला अफसरों के हुक्मकी परवा नहीं करते तथा खुदही कानून बन बैठे हैं? इन घटनाओंसे लोग इस बातका अनुमान कर लें कि भारतकी जेलोंमें अपराधी लोग किस तरह कष्ट भोगते होंगे, जिनका पता हमें नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि केवल राजनैतिक कैदियोंके साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है वल्कि इसके खिलाफ, मेरी तो यह धारणा है कि सब्जे मुजरिमोंके साथ

तो और भी बुरा बर्ताव किया जाता है, क्योंकि वे तो जेलोंमें आसानीसे दया दिये जा सकते हैं। जेलर और वार्डर तो प्रायः बेजवाबदेह होते हैं। वे मनमानो करते हैं और अपराधियोंके साथ बड़ी निर्दयतासे व्यवहार करते हैं। हम लोगोंको, जिन्होंने कि आजतक अपने अज्ञान अथवा स्वार्थके बश इस शासन प्रणालीको सहायता पहुँचाई है जिसमें कि एक मुट्ठी भर लोगोंनि लाखों मनुष्योंको अपना गुलाम बना रखा है, उस जगत्कर्ताके सामने उन तमाम भीषण कार्योंके लिये—वे दुष्कृत्य जो दिन दहाड़े नहीं किये गये हैं और यदि आज इतने असहयोगियोंका बलिदान न हुआ होता तो जिनका पता किसीको न हुआ होता जवाब देना होगा, जो कहनेको तो कानून और शान्तिके नाम पर, परन्तु वास्तवमें इन मुट्ठीभर लोगोंके स्वार्थके लिये, मनुष्य जातिके खिलाफ किये गये हैं।

अस्तु. जैसा कुछ सलूक हो, होता रहे जो लोग जेलोंके बाहर हैं उनका कर्त्तव्य स्पष्ट है। हमें इससे बिगड न उठना चाहिये और जल्दीमे अथवा गलतीसे कोई काम न कर बैठना चाहिये। हमें ऐसी शासन प्रणालीसे काम पड गया है जो सड गई है और उसमेंसे मवाद बह रहा है और उसने सारी मनुष्य जाति, क्या अंगरेज और क्या भारतीयको नीचे गिरा दिया है। हम तो सचमुच रोगका इलाज कर रहे हैं। मैं यह नहीं मानता कि अंगरेज या हिन्दुस्तानी दोनोंमेंसे कोई भी घुद्धि पूर्वक ऐसे पैशाचिक कार्य करते हैं। यल्लिक, इसके विपरीत,

मुझे तो विश्वास है कि वे जानते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। यह तो निश्चित है कि वे यह ख्याल नहीं करते हैं कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं। और यह भी बहुत मुमकिन है कि बहुतसे लोग यह भी सोचते हों कि वाज मौकेपर इस तरह भय दिखाना भी सदाय व्यवहारका ही एक अङ्ग है, जैसे हममेंसे कितने ही लोग अधीर होकर मामूली व्यवहारोंमें ऐसी ऐसी बातें कर बैठते हैं जिनका समर्थन हम 'आवश्यकता'के नामके सिवा, जो कि सत्यका आभास-मात्र है, दूसरी तरह नहीं कर सकते।

इतना लिख चुकने पर मालूम हुआ है कि अलीभाइयोंकी जामा तलाशी जबरदस्ती ली गई और उन्हें कालकोठरीकी सजा दी गई। जो सख्स वहा तैनात है वह उनके साथ बुरी तरह पेश आता है। यदि यह सब सच हुआ तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा, यह समझा जाता था कि सरकार नामी नामी देश सेवकोंके साथ जेलोंमें पूर्ण भलमन्सीका चर्चाच करेगी और वहा किसी तरह उनका अपमान न किया जायगा। पर यदि अली-भाइयोंके प्रति किये गये दुर्व्यवहारकी बात सच निकली तो इसका फल स्वरूप यदि सरकारके पिलाफ उससे उग्र आन्दोलन खड़ा हो जाय तो सरकारको इसके लिये खुद अपनेको ही धन्य-वाद देना होगा।

मालूम होता है कि ईश्वर असहयोगियोंकी पूरी पूरी परोक्षा कर लेना चाहता है। मैं जानता हूँ कि अली भाई बड़े बहादुर हैं

और वे इस अग्नि-परीक्षामें अटल रहेंगे और वेदाग निकले गे। कराचीमें जितने कैदी हैं वे सब चुनीदा लोग हैं और अपना निपटारा आप करनेका सामर्थ्य रखते हैं। तो भी अली भाइयों, डा० किचलू, पीर गुलाम मजद्विद तथा दूसरे सज्जनोंका जो अपमान किया जा रहा है उससे लोगोका दिल टहले विना न रहेगा। परन्तु इस सब निरर्थक सन्ताप और उक्तेजनाके होते हुए भी हमें समयसे काम लेना चाहिये। हमारी मुक्ति तो आखिरकार हमारी प्रतिज्ञाके पूर्ण पालन पर ही अवलम्बित है। यदि हमको इस बातसे दुःख होता हो तो हम और अधिक शान्ति परायण हो, कम नहीं, सविनय कानून भङ्गमें अपनी शक्ति अधिक एकाग्र करे, सविनय भङ्गके लिये आवश्यक शर्तों-की पूर्ति करनेमें जरा भी देर न लगावे। हिन्दू मुसलमान तथा दूसरी जातिया परस्पर अधिक एक हो जाय, अब भी जो कुछ विलायती कपडे हमारे पास हों उन्हें न्याग दे, अधिक पाद्री चुनने और चरपा कातनेमें लग जाय। व्यर्थके लिये झुलाने और बक भङ्ग करनेमें हमारा एक मिनट भी न जाना चाहिये। हमारी प्रगति तो अपने कार्यक्रमके अनुसार चुपचाप काम करने पर अवलम्बित है। जो लोग जेलमें हैं उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर हमें हैरान और परेशान न होना चाहिये। व्यवहारके सम्बन्धमें सरकारने हमसे कोई शर्त नहीं कर ली है। हमने तो विना किसी शर्तके अपने शरीर उसके अर्पण कर दिये हैं यह चाहे तो उनके टुकडे टुकडे कर डाले और यदि इन्धन

हमें शक्ति दे' तो, हम सी तक न करें'। चाहे जो हो जाय, पर हमें अपने आपसे बाहर न होना चाहिये।

—॥०॥—

रुक्मराज्य फाल्गुनेश्वर

(नवम्बर १०, १९२१)

गुप्त ४ नवम्बरको देहलीमें वर्तमान अखिल भारत राष्ट्रीय महासभा समितिकी आखिरी बार बैठक हुई। देहलीके प्रसिद्ध हकीमजी अजमलखानकी देख रेखमें सारा प्रबन्ध था। उनकी तशयत अलोल है और आपको कुछ समयतक आराम करनेकी सख्त जरूरत है। लेकिन वे इस समय आराम करना नहीं चाहते। उनका विशाल भवन और डाफ़ूर अनसारीका मकान खासी धर्मशालाये हो रही हैं, जहा महमानोंके ठहरनेका इन्तजाम किया गया है—फिर वे चाहे हिन्दू हों या मुसल्मान। हिन्दुओंके धार्मिक विचारोंका पूरा खयाल रखा जाता है। जो लोग मुसल्मानके घरमें पामीतक नहीं पी सकते उनके लिए अलहदा स्थान तजवीज किये गये हैं। यहां देहलीमें हिन्दू मुसल्मान एकताका प्रत्यक्ष व्यवहार दिखाई देता है। यहांके हिन्दू हकीमजीको कामिल तौरपर कृतज्ञतापूर्वक अपना नेता मानते हैं और यहांतक कि अपने धार्मिक हितोंकी रक्षा भी उनके हाथोंमें सौंप देनेमें नहीं हिचकते।

अखिल भारतीय महासभा समिति जनताकी पार्लिमेण्ट है, जिसको वह हर साल चुनती है। उसका महत्व और प्रतिनिधि स्वरूप प्रतिवर्ष बढ़ता आया है, और आज तो वह उन तमाम बालिग लोगोंका 'मुख हो' गई है, जो चाहे किसी मजहबके पाबन्द हों, या किसी दलसे ताल्लुक रखते हों, पर सिर्फ 1) देकर महासभाका ध्येय स्वीकार करते हों और जिन्होंने अपना नाम महासभाके रजिस्टरमें दर्ज करा लिया हो। प्रतिनिधियोंमें तो दरअसल हिन्दू, मुसल्मान, सिक्ख और ईसाई लोग हैं। पारसी और यहूदी लोग भी शामिल हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता। स्त्री प्रतिनिधियोंका सख्या भी अच्छी है। 'पंचम' प्रतिनिधि भी हैं। अगर किसी समाजके लोगोंके प्रतिनिधि कम हों तो इसमें दोष उन्हीका है। तमाम प्रतिनिधि अवैतनिक हैं—वेतन नहीं लेते और अपने ही खर्चसे अधिवेशनमें शरीक होते हैं और भोजन और स्थानका खर्च भी खुद ही बरदाश्त करते हैं। जो शहर समितिको निमन्त्रित करता है उसके निवासी जो प्रतिनिधियोंका स्वागत और सत्कार करते हैं यह उनकी उदारताका लक्षण है। यह विधि अच्छी है। परन्तु महासभाके नियमके अनुसार उनके लिये यह कोई कैद नहीं है। अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि तीसरे दरजेमें सफर करते हैं और मामूली धाराम पाकर सन्तुष्ट रहते हैं।

जनताकी इस पार्लिमेण्टका भवन था वस एक

शमियाना और सजावटका सामान था कुछ पोंचे और लता पत्र । हा, कुरसिया और मेजें लगाई गई थीं, पर मैं समझता हूँ, वह इसलिए कि जहा पेण्डाल था वहां धूल उड़ती थी, कुरसियों और मेजोंके द्वारा उससे बचाव और सफाईकी सम्भावना थी । सभापतिकी मेजपर पीला रङ्गा हुआ खादीका कपडा 'ट्रेवुल क्लाइ' का काम दे रहा था । प्राय सब प्रतिनिधि क्या स्त्री और क्या पुरुष मोटी खादीके कपडे पहने हुए थे, और कुछ इनेगिने लोग, आजकल जिसे घेजवाडाकी महीन खादी कहते हैं, उसके कपडे पहने थे । पोशाक सीधासादा और हिन्दुस्तानी था । इन सब बातोंकी सविस्तर चर्चा मैंने इसलिए की कि अखिल भारतीय महासभा, बहुतेरे लोगोंकी दृष्टिमें, भावी स्वराज्य पार्लिमेण्टका नमूना है । यह हिन्दुस्तानकी सच्ची हालतके अनुकूल ही है । यह भारत भूमिकी दरिद्रता, सादगी और उसकी आबोहवाकी जरूरतोंका थोडा बहुत प्रतिबिम्ब ही है ।

अब इसके साथ वहा शिमला और यहा नई देहलीमें जो झूठा दिखावा, शान और फजूलखर्ची होती है, जरा उसका मुकबला कीजिए ।

जैसा बाहर वैसा ही भीतर राष्ट्रका यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम बहुत ही व्यवस्थित और यथोचित रीतिसे चारह घण्टोंमें किया गया । कोई भी ऐसी बात नहीं की गई या करने दी गई जिसकी प्राय पूरी छानबीन न कर ली गई हो । कार्य-

लम्बिनी जातियोंकी एकताका भी उल्लेख किया गया । यह तरमीम अच्छी है, क्योंकि इससे यह जाहिर होता है कि हिन्दू मुसलिम एकता कोई उरावनी बात नहीं है, बल्कि सब जातियोंकी एकताका प्रत्यक्ष चिह्न है ।

इस प्रकार यद्यपि समितिमें पूर्ण मतैक्य रहा तथापि इससे यह समझना गलत होगा कि उसमें बाधा या विरोध था ही नहीं । महाराष्ट्र दल एक कार्यक्षम और युद्धाभ्यासी दल है । उसने इस कार्यक्रमको हार्दिक विश्वासकी अपेक्षा महासभाके और बहुमतको माननेके नियमके प्रति अपनी भक्तिके कारण ही स्वीकार किया है । इस कार्यक्रममें उसको पूर्ण विश्वास नहीं है, तोभी आजमाइशके तौर पर उसने उसे अपनाया है । हलकी हलकी बाधाये उपस्थित करके वह अपनी मौजूदगीका अनुभव कराता है । परन्तु उसकी देशभक्ति इतनी जागृत है कि वह इन बाधाओंको कार्यनाशकी सीमा तक नहीं पहुचने देता । श्रीयुत अभयकर अपनी दिल दहलानेवाली कठोर वक्तृता द्वारा उसकी किलाबन्दी करते हैं, श्रीयुत अणे अपने शान्त तर्क वादके द्वारा उसकी पुष्टि करते हैं, और श्रीयुत जमना दास मेहता तो इस दलमे बड़े मौजी जीव हैं । वे अपनी विवाद पटुता और बाधक उपायोंके विकासके लिए समितिका बड़े मजेमें उपयोग करते हैं । समिति उनकी बातों पर सजीदगीके साथ विचार नहीं करती और वे भी आपको बता देते हैं कि उससे बसी अपेक्षा नहीं रखते हैं । उनकी बात पर सब लोग

हस पडते हैं और खुद वे भी उसमें सबों दिलसे शामिल हो जाते हैं। उनकी बात वही खतम हो जाती है। कार्यारम्भके समय यह प्रश्न उठा कि कार्यकारिणी समितिका कोई सदस्य तैयार न हो तो दूसरे किसीको सभापति बनाया जाय। तब आपने अपनेको ही सभापति बनानेका प्रस्ताव उपस्थित किया। इससे जलसा खिल खिला उठा। वे कार्यकारिणी समितिने तमाम सदस्योंको माननीय मानते हैं और उनके मानका माप यह है कि उनकी रायमें वे लोग उन अधिकारोंको भी अनुचित रीतिसे निरन्तर अपनी तरफ खींचते हैं, जो उन्हें नहीं हैं। परन्तु इससे पाठक यह ब्याल कदापि न करे कि ये सब बातें किसी बुरे भावसे कही गई हैं। मैंने किसी सभा समाजमें लोगोंको इतनी अच्छी तरह पेश आते हुए और आनन्दविनोद करते हुए नहीं देखा, और मैं महाराष्ट्र दलको एक ऐसी प्राप्ति मानता हूँ जिसका गर्व प्रत्येक राष्ट्रको होना चाहिये। मैंने जो इस दलका उल्लेख किया है वह मेरी इस बातको मजबूत करनेके लिये किया है कि महासभा समितिमें ऐसे ऐसे सज्जन हैं जो अपने इरादोंको अच्छी तरहसे जानते हैं और जिन्होंने इस बातका दृढ़ सकल्प कर लिया है कि भारतमाताको स्वतन्त्रता प्राप्त करानेके काममें हम अपनी सेवाओंका एक अच्छा संग्रह सत्कारके सामने पेश करे गे।

ऐसा होता है कि लोग शान्ति वारण किये रहते हैं। ऐसी हालतमें जब कि सरकार इस प्रकार चारों ओर दमन करने पर तुल गई है, अगर कोई यह अनुमान करे कि सरकार लोगोंको भगडा फसाद करनेके लिए उसकाना चाहती है, तो कौन आश्चर्यकी बात है ? इन पूर्वोक्त उदाहरणोंमें एक भी ऐसा नहीं है जहा किसीके उन लेख या भाषणोंके कारण कहीं भी हिसाका उद्रेक हुआ हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार खुद अपने ही बनाये कानूनोंका भङ्ग करनेकी गुनहगार हो रही है। और उन पीडित दुखी व्यक्तियोंके पास सरकारके खिलाफ कौनसा कानूनी उपाय है ? सचमुच जब किसी नीच उद्देशकी पूर्तिके लिए कोई सरकार अपने बनाये कानूनका खुद ही व्यभिचार करती है तब कानूनमें उसके खिलाफ आवाज उठानेके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जब सरकार कानूनकी अवहेलना करके सङ्गठित रूपसे मनमानी करने लगती है तब विशेषत उन लोगोंके लिए सविनय कानून भङ्ग एक पवित्र कर्तव्य हो जाता है जिनका कि हाथ उस सरकारको या उसके कानूनको बनानेमें नहीं था। हा, एक दूसरा भी उपाय है और वह है- सशस्त्र बलवा। और इस सविनय कानून भङ्गको उसका पूरा, कारगर और शान्तिमय - रक्तपात-होन स्थान-पूरक समझिए। और यह भी अच्छा ही है कि हमने उदाहरणीय समय और नियम बद्धताके द्वारा जोकि उनके उन अन्याय-युक्त ही नहीं बल्कि गैरकानूनी हुकमोंका भी पालन करनेमें दिग्गई है, ठीक वैसी ही परिस्थिति तैयार कर ली है जो

सविनय कानून भङ्गके लिए आवश्यक है। इसका फल यह हुआ है कि एक ओर तो इस सरकारकी जुत्ती प्रवृत्ति अधिक जाश्रितौर पर दिखाई देने लग गई है और दूसरी ओर वपुशी आशापालन न करके हमने स्वयं अपनेको सविनय कानून भङ्गके लिए योग्य बना लिया है।

साथ ही यह भी उतनी ही अच्छी बात है कि अब भी सविनय कानून भगका क्षेत्र भरसक मर्यादित ही किया जा रहा है। हा, हमें मानना होगा कि जिस तरह कोई भ्रष्ट और प्रजा निन्दित सरकार किसी सभ्य—समुन्नत समाजमें रोगकी तरह एक अस्वाभाविक वस्तु है उसी प्रकार कानूनका सविनय भंग भी एक असाधारण स्थिति है। इसलिये जिस नागरिकने राज्य के कानूनका स्वेच्छापूर्वक पालन करनेके नियमों पूर्ण पूर्ण तालीम पाई है वही विरले प्रसङ्गोंपर जान-बूझ कर पालन विनय पूर्वक कानूनका भङ्ग करके सजा प्राप्त करनेका अधिकारी हो सकता है। इसलिए यदि हमें सोहने सोहने सभ्यमें अधिकसे अधिक काम करना हो तो जबतक एक परिमित क्षेत्रमें भयंकरसे भयङ्कर कानून भग चल रहा है तब तक दूसरे भागोंमें कानूनका पूरा पालन होना चाहिये, जिसमें कि देशकी स्वेच्छापूर्वक आजापालनकी शक्ति और सविनय कानून भंगकी खूबीकी जांच एक ही साथ हो जाय। इसलिये देशके भी दूसरे भागमें अगर आवश्यक अधिकार और इजाजत विना कानून भगकी थोड़ी भी शुरुआत होगी तो

न्याय्यको बड़ी हानि पहुंचेगी और सविनय कानून भंगके सिद्धान्तोके सम्बन्धमे हमारा अक्षम्य अज्ञान प्रगट होगा ।

हमें यह जरूर ध्यानमें रखना चाहिये कि सरकार अपनी सत्ताके इस भङ्गका, जो कि शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है, दमन करनेके लिए कठोरसे कठोर उपायोंको काममे लावेगी, क्योंकि उसका सारा अस्तित्व उसीपर अवलम्बित है । निरी "आत्मरक्षा" की स्वाभाविक प्रेरणा ही उससे ऐसी दमन नीति-का अवलम्बन करावेगी जो उसके मिटानेके तकके लिए काम देगी और यदि उसने ऐसा न किया तो सरकारका सर्वनाश निश्चिन है । अर्थात् या तो उसे देशके लोकमतके सामने सिर झुकाना होगा या विसर्जित हो जाना पडेगा । उसकाये जाने पर भी कहीं हिंसाका जरा उद्रेक हो जाय तो यही सबसे बड़ा खतरा है । अगर ऐसा हो तो इससे हमारी अहिंसाकी प्रतिज्ञाका तो भङ्ग निश्चित रूपसे होगा ही, परन्तु इस प्रकार एक बार सोच समझकर इरादे करके जालिमसे लड़ाई ठानकर कठोर से कठोर दमनका आवाहन करनेके बाद उससे उत्तेजित हो कर उन्मत्त होजाना केवल अनुचित ही नहीं, बल्कि हमारी मर्दानगीको भी ब्रह्मा लगानेवाला है । शायद मैं गिरफ्तार कर लिया जाऊ और, साथ ही, इस शांतिमय चलनेमें भाग लेनेवाले दूसरे हजारों भाईभी गिरफ्तार किये जाय, जेलघानोंमें डाले जाय और उनको भीषण यातनाए भी दी जाय, तथापि भारतके दूसरे भागोंको अपनी विचार शक्ति न खो बैठना चाहिये । समय आते

ही थे भी सविनय कानून भङ्ग शुरू करें और गिरफ्तारी, कैद और जुल्मोंका आवहान करें। हमें केवल निरपराध लोगोंका ही बलिदान करना है। केवल ऐसे बलिदान ही परमात्माके यहा मंजूर होंगे।

इसलिये उस भारी जङ्गके पहले जो देशमें शीघ्र ही छि डनेवाली है कि वह देहलीके प्रस्तावकी हर एक शर्तका अक्षरशः पालन करके सविनय कानून भङ्ग करनेकी योग्यता प्राप्त करें और चारों ओर अहिंसा और शान्तिका वायुमण्डल तैयार कर दें। हमें केवल इतनेपर ही सन्तोष न मानना चाहिये। कि हम व्यक्तिशः शान्ति भङ्ग न करेंगे। हम तो यह दावेके साथ कहते हैं कि असहयोग तमाम हिन्दुस्तानमें फैल गया है और हम यह भी कहते हैं कि हमने भारतके उन निरदुःख लोगोंके दिलपर भी इतना अधिकार कर लिया है कि उनको भी हम हिंसासे हटा सकते हैं। तो हमें अपनी यात सच्ची कर दिखाना चाहिये।



राज्यकी तयारी

—१९२१—

(नवम्बर १०, १९२१)

अगले कुछ सप्ताहोंमें, भारतके किसी न किसी भागमें, सचिनय कानून भङ्गका प्रत्यक्ष व्यवहार होता हुआ दिखाई देगा। व्यक्तिगत और आशिक सचिनय कानून भङ्गके उदाहरणोंसे तो देश परिचित हो चुका है। पूर्ण सचिनय कानून भङ्गको 'वगावत' कहना चाहिये, पर वह ऐसा वगावन है जिसमें 'हिंसा' या मारकाटका नामोनिशातक नहीं है। पका सचिनय कानून भङ्ग करनेवाला व्यक्ति राज्यकी सत्ताकी सिर्फ उपेक्षा करता है वह बागी हो जाता है और राज्यके तमाम नीति विरुद्ध कानूनोंके अनादर करनेका दावा करता है। इस तरह, उदाहरणार्थ, वह कर देनेसे इनकार करता है, वह अपने दैनिक व्यवहारोंमें राज्यकी सत्ता माननेसे इनकार कर सकता है। वह मदाखलत बेजा जनधिकार प्रवेश से राज्यनियमकी अवज्ञा कर सकता है और सैनिकोंसे घातघात करनेके लिये फौजी लाइनोंमें जानेका दावा कर सकता है, 'पहरा' रखनेके विधि सम्यन्धी चन्धनोंको माननेसे वह इनकार कर सकता है और मना किये गये मुकामोंपर जाकर 'पहरा' रख सकता है, परन्तु इन सब बातोंको करते हुए वह बल

का प्रयोग कभी नहीं करता और जब उसके खिलाफ बलका प्रयोग किया जाता है तब वह उसका प्रतिकार कभी नहीं करता। सच बात तो यह है कि वह स्वयं अपने खिलाफ कैद तथा बलके दूसरे प्रकारोंको निमन्त्रितही करता है। वह ऐसा इन्तलिये और तभी करता है जब वह देखता है कि मेरी शरीर स्वातन्त्र्य, जिसका उपभोग मैं बाह्यत कर रहा हूँ, अब एक असह्य बोझ हो गया है। वह अपने दिलके सामने यह दलील पेश करता है कि कोई राज्य सिर्फ वहीतक व्यक्ति विषयक स्वतन्त्रताकी इजाजत दे सका है जहातक कि नागरिक उसके कानून कायदोंके आगे सिर झुकाता है। 'राज्यके कानूनको मानना' यह उस आजादीकी कीमत देना है जो नागरिकको होती है। अतएव किस्ते पूर्ण या अधिकाश अन्यायी राज्यके अधीन होना, स्वाधीनताके लिये अनीतिसूत्रक बदला करना है। इस प्रकार जो नागरिक किसी राज्यकी दुष्टवृत्तिको समझ जाता है वह उसकी कृपापर सन्तुष्ट नहीं रहता और इसलिये उन लोगोंकी दृष्टिमें जो उससे मतभेद रखते हैं, वह समाजके लिये एक व्याधि दिग्वाइ देना है, परन्तु वह बिना नीतिका उल्लङ्घन किये राज्यको मजबूर करता है कि वह उसे गिरफ्तार करे। इस दृष्टिसे सत्रिनय प्रतिकार एक आत्माकी यातना प्रगट करनेका और एक दुष्ट राज्यके अस्तित्वके खिलाफ अपनी ऊँची आवाज कारगर तौरपर उठानेका बड़ा ही जोरदार साधन है। क्या ससारके सारे सुधारकोका इतिहास ऐसा ही नहीं

है ? क्या उन सुधारकोंने, अपने साथवालोंके ब्रह्म हो जानेपर उन विचारे स्थूल चिन्होंतकको नहीं छोड़ दिया है जिन्होंने सम्बन्ध बुरी प्रथाओंके साथ था ?

जबकि लोगोंका एक समुदाय उस राज्यसे अपना सम्बन्ध छोड़ देता है जिसमें कि वे अबतक रहते आये हैं, तो इस अर्थ यह है कि वे करीब करीब अपनी निजी सरकार स्थापित करते हैं। मैंने "करीब करीब" शब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि जब राज्‍यकी ओरसे वे ऐसा करनेके लिए रोके जाते तब वे उलका प्रयोग करनेकी सीमा तक नहीं पहुँच जाते हैं।

किसी व्यक्तिकी तरह उसका 'काम' तो है कैदखानेकी कार्रगरियोंमें मुँद जाना या राज्यकी गोलिया खाकर मर जाना, उतक कि राज्य उसका पृथक् अस्तित्व स्वीकार न कर ले, या दूर शब्दोंमें, उसकी इच्छाके आगे सिर न झुका दे। इसी प्रकार १९१४ में दक्षिण आफ्रिकामें ३ हजार हिन्दुस्तानियोंने, ट्रान्सवाल की सरकारको आवश्यक नोटिस देनेके बाद, ट्रांसवाल इमिग्रेशन ऐक्टको भङ्ग करनेके लिये ट्रान्सवालकी सीमाको पार किया और सरकारको उन्हें गिरफ्तार करने पर बाध्य किया था। उस सरकार उनको मारकाटके लिए उभाडनेमें या द्वानेमें सफल न हो सकी तब उसने उनकी मार्गें खुल कर ली। इसलिये सविनय कानून-भङ्ग करनेवालोंका समुदाय एक ऐसी सेना है जिसके लिये एक सैनिककी पूरी नियम-बद्धता आवश्यक है और जो मामूली सैनिक जीवनमें पाई जानेवाली उत्तेजनासे शून्य होने

के कारण, उससे अधिक कठोर है। और चूँकि इस स
प्रतिकार करनेवाली सेनामें बदला निकालनेके विकारका
हे अथवा चाहिए, इसलिए उसे थोड़ेसे सिपाही भी बस हो
इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ एक अकेला ही—“पूर्ण” स
प्रतिकार करनेवाला व्यक्ति अन्यायके मुकाबिलेमें न्यायकी
युद्ध कर विजय प्राप्त करनेके लिए काफी है।

इसलिए, यद्यपि, अखिल भारतीय महासभा समितिने प्र
प्रान्तकी समितिको पुद उन्हींकी जिम्मेदारो पर सविनय क
भङ्ग करनेकी सत्ता दे दी है, तथापि, मैं आशा करता हूँ
'जवाबदेही' शब्द पर पूरा ध्यान रखेगी और मामूली बात
भङ्कर सविनय कानून-भङ्ग शुरू न करेगी। हर एक शर्तका प
अवश्य पूरी तरह होना चाहिए। हिन्दू-मुसलमान ए
अहिंसा, स्वदेशी और छुआछूतको दूर करनेके उल्लेखके माने
है कि वे अभी हमारे राष्ट्रीय जीवनके अभिन्न भङ्ग नहीं हो
हैं। अगर अब भी किसी व्यक्ति समुदायके दिलमें हिन्दू मु
मान एकनाके विषयमें कुछ भी खटका बाकी रहा हो, अगर
भी इसमें शक बाकी हो कि हमारे इस तेहरे व्येयकी सि
लिए अहिंसाकी आवश्यकता है, अगर अबतक उन्होंने स्वदेश
पूर्ण पालन नहीं किया है, और अगर उस
भी छुआछूतके जहरको अपनाये हुए हों तो
सविनय कानून-भङ्गके लिए तैयार नहीं है। हा,
बहुत अच्छी होगी कि जबतक उसका प्रयोग एक

है ? क्या उन सुधारकोंने, अपने साथवालोंके व्रत हो जानेपर भी उन विचारों स्थूल चिन्होंतकको नहीं छोड़ दिया है जिनका सम्बन्ध बुरी प्रथाओंके साथ था ?

जबकि लोगोंका एक समुदाय उस राज्यसे अपना सम्बन्ध छोड़ देता है जिसमें कि वे अबतक रहते आये हैं, तो इसका अर्थ यह है कि वे करीब करीब अपनी निजी सरकार स्थापित करते हैं। मैंने “करीब करीब” शब्दका प्रयोग इसलिए किया है कि जब राज्यकी ओरसे वे ऐसा करनेके लिए रोके जाते हैं तब वे बलका प्रयोग करनेकी सीमा तक नहीं पहुँच जाते हैं।

किसी व्यक्तिकी तरह उसका ‘काम’ तो है कैदखानेकी कोठरियोंमें मुँद जाना या राज्यकी गोलियां खाकर मर जाना, जरा तक कि राज्य उसका पृथक् अस्तित्व स्वीकार न कर ले, या दूसरे शब्दोंमें, उसकी इच्छाके आगे सिर न झुका दे। इसी प्रकार १९१४ में दक्षिण आफ्रिकामें ३ हजार हिन्दुस्तानियोंने, ट्रान्सवालकी सरकारको आवश्यक नोटिस देनेके बाद, ट्रान्सवाल इमिग्रेशन ऐक्टको भङ्ग करनेके लिये ट्रान्सवालकी सीमाको पार किया था और सरकारको उन्हें गिरफ्तार करने पर बाध्य किया था। जब सरकार उनको मारकाटके लिए उभाड़नेमें या दवानेमें सफल न हो सकी तब उसने उनकी मार्गें कुबूल कर ली। इसलिए सविनय कानून-भङ्ग करनेवालोंका समुदाय एक ऐसी सेना है, जिसके लिये एक सैनिककी पूरी नियम बद्धता आवश्यक है और जो मामूली सैनिक जोवनमें पाई जानेवाली उत्तेजनासे शून्य होने-

यं, पर ऐसी अप्रत्याशित भी लोगोंसे बिलकुल अचल, शांत और स्थिर रहनेकी उम्मीद की जाती है। हम उनसे यह जरूर उम्मीद करते हैं कि वे हरएक खयाल होने लायक अवसर पर ऐसे व्यवहार करेंगे जो देशके लिए अभिमान और गौरवका कारण हो।

स्वयंसेवक दलपर कुठार

(सितम्बर १, १९२१)

बम्बईने प्रान्तिक सरकारोंको यह मौका दे दिया है कि एक नियमके साथ दमनका जोर दिखायें और असहयोगका जड़ काटनेकी कोशिश करे। गुजाल, सयुक्तप्रान्त, पंजाब और देहली सरकारोंने स्वयंसेवक मण्डलियोंको छिन्न भिन्न करनेकी जो सूचनाये प्रकाशित की हैं यह बम्बईको सरकारका जवाब ही है। मैं अपनी तरफसे तो इन सूचना पत्रोंका स्वागत ही करता हूँ। ये सचिनय कानून भङ्गको जोरके साथ जारी करनेकी जरूरतको ही रफा किये देते हैं। यदि हम सरकारके इस आह्वानको स्वीकार करनेके लिये तैयार हैं तो हम जल्द ही अपनी ताकत आजमा सकते हैं। सत्याग्रही अपने युद्धका अवसर स्वयं आप ही पसन्द करता है, क्योंकि जबतक वह अपने लिये कानून भङ्ग करना उचित नहीं समझता

है तबतक वे गौरसे देखते रहें और रास्ता देखें। अगर हम उसी सेनाकी उपमाकी भाषामें कहें तो जो टुकड़ी रुकी रहती है, गौर और इन्तजार करती रहती है, वह भी लडाईमें उतनी हो सक्रिय सहयोग करती है जितना कि वह टुकड़ी जो वास्तवमें मुठभेड कर रही है। जबकि एक जगह प्रयोग हो रहा है, तब उसके साथ ही व्यक्तिगत कानून भङ्ग करनेका मौका उसी समय आ सकता है, जबकि सरकार स्वदेशी प्रचारके चुपचाप कार्यमें भी बाधा डाले। इस तरह यदि किसी होशियार सूतकारको यह हुक्म दिया जाय कि चरखेके सङ्गठनका या सूत कातनेकी शिक्षा देनेका कार्य मत करो, तो ऐसी आज्ञाका अनादर उसे तुरन्त ही करके जेल जानेकी अवस्था उत्पन्न कर देनी चाहिए।

परन्तु दूसरी अवस्थाओंमें, जहातक कि मैं मौजूदा हालतमें सोच सकता हूँ, दूसरे प्रान्तोंके लिए यह सबसे अच्छा होगा कि जबतक एक प्रांत सोच समझ कर उसमें अप्रसर हो रहा है और राज्यके भरसक तमाम नीति विरुद्ध नियमोंको विचार-पूर्वक तोड रहा है वे ठीक ठीक तमाम आज्ञाओं और हिदायतोंको मानते रहें और यह कहनेकी तो आवश्यकता ही नहीं है कि उस समय अगर दूसरे किसी भी भागमें जरा भी हिसाका उद्रेक हुआ, लोगोंकी तरफसे जरा भी खून खरावी हुई, तो इससे उस प्रयोगकी निस्सन्देह बडी ही हानि होगी और शायद वह बन्द भी हो जाय। प्रत्येक प्रांतके लोग चाहे जेल भेजे जाय, उन पर गोळियां झाड़ी जाय या एकियों द्वारा तरह तरहसे सताये जा-

य; पर ऐसी अस्थिति में भी लोगोंसे विलकुल अचल, शांत और स्थिर रहनेकी उम्मीद की जाती है। हम उनसे यह जरूर उम्मीद करते हैं कि वे हरएक खयाल होने लायक अवसर पर ऐसा व्यवहार करेंगे जो देशके लिए अभिमान और गौरवका कारण हो।

स्वयंसेवक दलपर कुठार

(सितम्बर १, १९२१)

बम्बईने प्रान्तिक सरकारोंको यह मौका दे दिया है कि वे एक नियमके साथ दमनका जोर दिखावें और असहयोगकी जड़ काटनेकी कोशिश करे। बङ्गाल, संयुक्तप्रान्त, पञ्जाब और देहली सरकारोंने स्वयंसेवक मण्डलियोंको छिन्न भिन्न कर देनेकी जो सूचनाये प्रकाशित की हैं यह बम्बईको सरकारका जवाब ही है। मैं अपनी तरफसे तो इन सूचना पत्रोंका स्वागत ही करता हू। ये सविनय कानून भङ्गको जोरके साथ जारी करनेकी जरूरतको ही रफा किये देते हैं। यदि हम सरकारके इस आह्वानको स्वीकार करनेके लिये तैयार हैं, तो हम जल्द ही अपनी ताकत आजमा सकते हैं। मृत्याग्रही अपने युद्धका अवसर स्वयं आप ही पसन्द करता है, क्योंकि जबतक वह अपने लिये कानून भङ्ग करना उचित नहीं समझता

तबतक उसे ऐसा करनेकी आवश्यकता नहीं। सरकार अपनी तरफसे उसे कितना ही उत्तेजित क्यों न करे, वह उसरो सविनय भङ्ग नहीं छेड बैठता। यही तो सविनय भङ्गकी खूबी है।

ऐसी अवस्थामे यदि वे प्रान्त जहा ये विहसियां प्रकाशित हुई है, तैयार हैं तो उन्हें सिर्फ अपनी स्वयंसेवक मण्डलिया तोडनेसे इनकार करना काफी है। हर एक स्वयसेवक अपनेको जेलमें पहुँचा दे। लेकिन हमें पहले अपनी बुनियाद अच्छी तरह देख लेनी चाहिये। इन मण्डलियोंपर जो आरोप लगाया गया है वह यह है कि वे ऐसी सस्थाये हैं जो बल प्रयोग करती हैं और शान्तिकी रक्षा नहीं करती। अतएव हमारा पहला फर्ज यह है कि हम इस इल्जामको जाच करे और अगर वह किसी अंशमें हमपर घटता हो तो अपने दोषको बिलकुल निर्मूल कर डाले। जिन स्वयसेवकोंने जबरदस्ती की हो या अपने बचनो और कार्योंके द्वारा बल प्रयोगकी भ्रमकी दो हो तो उन्हें अवश्य अपने कामसे हटा दिया जाना चाहिए।

द्वैयोगसे कार्य्य समितिने भी इसी मौकेपर स्वयसेवक मण्डलिया निर्माण करजेका प्रस्ताव स्वीकृत किया है। मुझे आशा है कि प्रत्येक प्रान्तकी महासभा और खिलाफत समितिया इस कामको तुरन्त उठा लेंगी और तमाम स्वयसेवक मण्डलिया एक सूत्रमें ग्रथित हो जायगी तथा जो स्वयसेवक

अहिंसाके सिद्धान्तका कायल न हो वह उसमें न रहने पावेगा । तब यदि इन सस्थाओंके काममें किसी तरह हाथ डाला गया तो हम लड़ाई छेड सकते हैं । पर इस मुठभेड़की शर्त यह है कि जब स्वयंसेवकोंको सजाये दी जाय तब शेष सब लोग खामोश रहें और शान्ति बनाये रखें । ऐसे आनधानके अवसरपर तो हमें विना शोरगुलके, विना भीड भङ्कड़के जेलोंको भर देना चाहिये । यदि हम चुपचाप कष्ट सहन करनेके महत्वके कायल हो तो हमें अपनी गिरफ्तारी सरकारके लिए आसान कर देनी चाहिए । जब हर दफा हम उसका प्रदर्शन करते हैं और जलूस निकालते हैं तब सरकारको हमारी गिरफ्तारी करना कठिन हो जाता है । जेलकी सजाये तो हमारे मामूली दैनिक व्यवहारकी बात हो जानी चाहिए । जब हम हवाखोरीको जाते हैं या वनभोजन आदिको जाते हैं तब कहीं भीडभडक्का और समारोह नहीं होता । मैं कहता हू कि ऐसी ही उदासीनता जेल जानेके विषयमें भी हमारे मनमें हो जानी चाहिए । मैं अदालतमें बयान देनेके सम्बन्धमें जयकरके इस नियको बहुत अच्छा समझता हू कि एक मसविदा बना ले और सब लोग वैसा ही बयान दें । अगर बयान देने या न देनेमेंसे किसी बातको पसन्द करना हो तो मैं देनेके विपक्षमें अपना मत विना हिचकिचाहके दे दूंगा । जेल जानेसे किसी तरहकी सनसनी न फैलनी चाहिए, क्योंकि सनसनीसे उत्तेजना बढ़ती है और उत्तेजनासे

दगे फसादकी नौबत आ सकती है और उपद्रव शुरू हो जानेसे निरपराध लोगोंके लगातार जेल जानेके क्रममें गड़बड़ी होती है ।

जेल जानेके वनिस्वत शान्तिमय वायुमण्डल बनाये रखना अधिक 'महत्वपूर्ण' है । अतएव सरकारी आशाओंका उल्लङ्घन करके उद्रेककी जोखिम उठाना और जेल जानेकी जल्दी मचाना किसी भी प्रान्तके लिए ठीक न होगा । अहिंसाको स्थायी रूप देनेतक यदि हमें देर भी लगे तो उससे अन्तमें हमारी कुछ भी हानि न होगी । हमारी स्वराज्यकी क्षमता इसी बातमें है कि हम उन हरएक तजवीजों और बन्दिशोंको, जो हमसे हिंसाकाण्ड मचानेके लिये की जा रही हों—पहले हीसे ध्यानमें ले आवें और उनकी दाल न गलने दें, फिर वे चाहे खुफिया पुलिसके द्वारा की गई हों, धयवा और किसीकी करामात हो ।



असली रंग

पञ्जाबमें लाला लाजपतराय, मालिकलाल खान, श्री० सन्तानम् और श्री० गोपीनाथ, आसाममें श्री० फूकन और बरदोलाय, बङ्गालमें बाबू जितेन्द्रलाल बनर्जी, अजमेरमें मौलाना मोहियुहीन तथा दूसरे सज्जन और लखनऊमें पण्डित हरकरण नाथ मिश्र तथा अन्य सज्जन, आदिकी गिरफ्तारियोंसे सूचित होता है कि सरकार अब अपना सच्चा रङ्ग दिखा रही है। यह पकड़-धकड़ केवल यही दिखलाता है कि सरकार सरकारोंसे काम ले रही है, बल्कि यह भी कि अब वह असहयोग आन्दोलनको सहन नहीं कर सकती, अब यह केवल मार काटको दबानेका ही विषय नहीं रह गया है,—बल्कि लोगोंको सहयोगके लिए प्रिवश करनेका प्रयत्न है। ठीक है, ऐसा ही चाहिए भी था। किसी न किसी दिन तो सरकारको अपना असली रूप प्रगट करना लाजिम ही था। युवराजका जैसा स्वागत यह हो रहा है वैसा किसी युवराजका कहीं न हुआ होगा। और इसलिये चुन चुनकर नेता लोगोंकी स्वाधीनताका हरण किया जा रहा है जिससे लोगोंपर सरकारका रोय गठ जाय, वे उसके घताये ढङ्गसे चले, और जहा जहा शाह-जादा जाय वहा घहा उसके पहुचनेके दिन हडताल न होने पाये।

भारत सरकारको, अपने मर्तमान सङ्गठनके अनुसार, यह सब कुछ करनेका अधिकार है। वह उसका दावा भी करती है और समय समयपर अपने अधिकारोंका प्रयोग भी करती है। और इसलिए हम उसके साथ असहयोग कर रहे हैं उसका वह हक क्या है? यही कि लोगोंको अपनी इच्छाके अनुसार जबरदस्ती चलाना और प्रजाको उसकी इच्छाके अनुसार चलनेसे रोकना। जनताको यह बात मजूर न हो तो वह जेलमें जाकर सड़ा करे। मामला साफ है, और लार्नेस साहबके पुतलेके मामलेने उसे विरुद्ध ही साफ तौरपर प्रगट कर दिया है। यह पुतला लाहौरकी म्युनिसि पलिट्रीकी सम्पत्ति है। कानूनन उसपर लोगोंका स्वामित्व है। तो भी सरकार उसे वहासे उठाकर दूसरी जगह नहीं रखने देती। वह या तो कलमके द्वारा शासन करेगी या तलवार द्वारा। एक बार फर लोगोंको पसन्द करनेका यह निमन्त्रण दिया जाता है। अब लोग अपने मान और गौरवपर कायम रहकर सरकारकी तलवारका स्वागत करेंगे या उसकी कलमके शासनके सामने शिर झुकाकर अपनेको नीचे गिरावे गे?

लोगोंको असहयोगका पाठ पढ़ते पढ़ते १५ महीने हो गये। इतनेपर भी यदि वे यह न जान पाये हो कि इस समय हमें क्या करना चाहिए तो उन्हें शिकायतके लिए जगह नहीं है। हा सबसे अच्छी बात जो वे कर सकते हैं, वह यह है कि वे कुछ

करे अर्थात् वे जैसे थे वैसे ही बने रहें और अपने तमाम काम इस तरह करते रहें मानो कोई असाधारण बात हुई ही नहीं है। लार्ड किचनरके मर जानेसे इंग्लैण्डने युद्धसे मुह नहीं मोड लिया। उसका तो यही सिद्धान्त वाक्य था—‘जो काम जैसा चल रहा है वैसे ही जारी रहे।’ उसका हिसाबल सुसङ्गठित था—इतना कि बिना ही सेना नायकके, अथवा लगातार एकके बाद दूसरे सेना नायकको प्राप्त करके अपना काम चला सके। क्या हमारे अहिंसा बलका इतना सङ्गठन हो गया है कि हम बिना ही नेताके अर्थात् लगातार एकके बाद दूसरा नेता प्राप्त करके, अपना युद्ध जारी रख सकें।

लाला लाजपतरायको गिरफ्तार क्या किया, सरकारने हमारे एक बड़ेसे बड़े मुखियाको पकड़ लिया है। उनका नाम भारतके बच्चे बच्चेकी जमानपर है। अपने स्वार्थ त्यागके कारण वे अपने देश भाइयोंके हृदयमें उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अहिंसाके प्रचारके लिये और उसके साथ ही लोकमतको सङ्गठित और प्रगट करनेके लिए उन्होंने जितना परिश्रम किया है उतना बहुत ही थोड़े लोगोंने किया है। उनकी गिरफ्तारीसे सरकारकी नीति या वृत्तिका जितना सच्चा पता चलता है उतना दूमरी किसी बातसे नहीं।

पञ्जाबने तुरन्त ही उनकी जगहपर अपना दूसरा नेता चुन लिया। उन्होंने आगा सफदरको अपना अगुआ बनाया है। पञ्जाबी भाइयोको उनसे अच्छा नेता नहीं मिल सकता था।

वे एक सच्चे मुसलमान और एक वीर हिन्दुस्तानी हैं। उन्होंने जितनी सावधानी की है वे सब अज्ञात रूपसे की है। मुझे इस बातमें जरा भी सन्देह नहीं है कि लोग लालाजीकी तरह ही सच्चे हृदयसे उनका साथ देंगे। पञ्जाबी भाई लालाजीका वैसेसे बड़ा गौरव जो कर सकते हैं वह यह है कि वे यही समझकर कि लालाजी हमारे साथ ही हैं, उनका काम बराबर आगे बढ़ाते रहें। वह प्रेम जो कि अविनाशी आत्माको धारण करनेवाले इस कलेवरके कुछ दिनोंके लिये अथवा हमेशाके लिए जुदा हो जानेके बाद घट जाता है, अंधा, मूढ़ और स्वार्थी प्रेम है। सम्भव है, पञ्जाबी भाई हमेशा ही लालाजीकी जगहपर किसी आगा सफदरको अपनी रहनुमाईके लिए न पावें। मुमकिन है कि हमारी धारणासे भी पहले ही वे हम लोगोंसे जुदा कर डिये जाय। जिन सस्याओंका सङ्गठन अच्छा होता है वहा नेताओंका चुनाव केवल कार्यकी सुविधाके लिए किया जाता है, किसी असाधारण गुणके लिये नहीं। नेता क्या है? अपने बराबरीवालोंमें आगे आगे रहनेवाला आदमी। किसी न किसीको तो आगे रखना ही चाहिए। परन्तु यह कोई जरूरी बात नहीं है कि वह जञ्जीरकी तमाम कमजोरसे कमजोर कड़ियोंसे अधिक मजबूत हो। परन्तु एक बार चुनाव कर लेनेके बाद हमारे लिए उसका अनुसरण करना लाजिम है, अन्यथा जञ्जीर टूट जायगी और सब कुछ नष्ट हो जायगा।

हमें अपने ध्येयतक पहुँचनेके लिये अब बहुत कुछ करना बाकी नहीं रहा है। मैं अपना यह विश्वास लोगोंके दिलमें पहुँचा देना चाहता हूँ। हमारा रास्ता त्रिलकुल साफ है। आगामी महासभाके निर्वाचित सभापति देशबन्धु दासने उसे असंदिग्ध शब्दोंद्वारा बताया है—“मेरा पहला और आखिरी निवेदन आपसे यही है कि आप लोग शान्तिमय असहयोगके आदर्शसे कभी च्युत न हों। मैं जानता हूँ कि इस धर्मका पालन करना कठिन है। मैं यह भी जानता हूँ कि कभी कभी उत्तेजना इतनी अधिक होती है कि विचार, वाणी और कृतिके द्वारा शान्तिमय बने रहना अत्यन्त कठिन है। तथापि इस आन्दोलनकी सफलता तो इसी महान् सिद्धान्तपर अवलम्बित है।”

इस उच्च तत्त्वके अनुसार हमें अपना जीवन बनानेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिए यह आदश्यक है कि हम उन तमाम मौकोंको टालते रहें जिनसे उत्तेजना फैलनेकी सम्भावना हो। अतएव अब हमें न तो जलूसोंकी जरूरत है, न विराट् सभा ओकी। जो लोग जाग्रत हो गये हैं, वस हम तो उन्हें ऐसा तैयार कर दें कि वे उत्तेजनाके समय भी स्थिर रह सकें, और धुनकना, सूत कातना, चुनना आदि विधायक राष्ट्रीय कार्योंके सङ्गठनमें लग जाय, जिससे राष्ट्रके लाखों बेकार लोगोंको रोजी और उसके साधन मिलते रहें। हिन्दू मुसलमान एकता हमारा अटल सिद्धान्त है। उसके प्राप्त करने या प्रगट करनेका

देष नहीं, प्रेम

प्रयागसे एक तार मिला है कि पण्डित मोतीलाल नेहरू, उनके इकलौते पुत्र पण्डित जवाहरलाल नेहरू, उनके भतीजे पण्डित श्यामलाल नेहरू, पण्डित मोहनलाल नेहरू और प्रयागके अंगरेजी दैनिक पत्र इण्डिपेण्डेण्टके सम्पादक श्री० जार्ज जोसफ आदि गिरफ्तार कर लिये गये हैं। गत ७ ता० की रातको ११ बजे यह तार मुझे मिला। निश्चय ही इस खबरको सुनकर मेरा हृदय सहर्ष फूला न समाया। मैंने इसके लिए परमात्माको धन्यवाद दिया।

मैंने पण्डितजीके पढ़े जानेकी आशा नहीं की थी। हमारी बातचीतमें मैं पण्डितजीसे कहा करना था कि आपकी गिरफ्तारी तो सबके पीछे चाहे हो। सर हार्कर्ट वटलर आपपर हाथ उठानेकी हिम्मत न करेंगे। यदि आप गिरफ्तार हुए तो आपके मित्र, महामुदावादके राजा साहब, अपने पदपर रहना मजूर न करेंगे। सर हार्कर्ट वटलरके इस निष्काम साहसको देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है। पण्डितजी बड़े बड़े विघ्नोसे टक्कर लेते हुए काम कर रहे थे। दमा तो उनका पुराना शत्रु है। वे बराबर उसके साथ युद्ध करते आ रहे हैं। अपने धनी सुत्रकिलोंके लिए तथा पीड़ित पञ्जाबके लिए

भी उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना कि इस कद्गाल भारतके लिये उन्होंने जी जानसे किया है। मैंने उनसे कहा था कि आप कुछ दिततक आराम कीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब इस खयालसे मुझे बड़ा आनन्द होना है कि अब वे अपनी थकावट दूर कर सकेंगे।

लेकिन इस खयालसे कि, बम्बईके पापके कारण मैं इस सालके पहले ही जिस घातके न होनेसे डरता था वही अब हमारे देशके घटेसे बड़े और अच्छेसे अच्छे निरपराध लोगोंके कष्ट सहनके कारण हो रही है, मुझे और भी अधिक हर्ष हुआ। इन बिलकुल निर्दोष लोगोंकी गिरफ्तारी ही सच्चा स्वराज्य है। अब अली भाई तथा उनके साथी जेलमें ही रहें तो कोई शर्मकी बात नहीं है। भारत उनके बलिदानके अयोग्य नहीं निकला।

मेरी तरह हजारों लोग इस आनन्दका अनुभव करते होंगे। पर मेरे इस हर्षकी एक शर्त है। वह यही कि हमारे नेताओंके एक एक करके हमसे छुड़ा लिये जानेके समय चारों ओर पूरी शान्ति छाई रहे। गिरफ्तारियोंके होते हुए भी यदि सब ओर शांतिका पूरा साम्राज्य रहा तो बस हमारी फतेह घनी बनाई है। पर यदि हम तमाम उपद्रवी लोगोंको अपने काबूमें करके शान्ति रक्षा न कर सके तो निश्चय ही बुरी तरह शिकस्त खानी पड़ेगी। हम तो बिना किसीकी जानपर हाथ उठाये मर मिटनेके लिए कटिबद्ध हुए हैं। हमने तो बिना क्रोध और सतापके

जेल जानेकी शर्त ही की हैं। अतएव हमें अपनी ही बनाई शर्त पर मुंह फुलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

बल्कि इसके विपरीत, हमारी अहिंसा तो कहती है कि अपने शत्रुओं पर भी प्रेम करो। शांतिमय असहयोगके द्वारा हम अङ्गरेज हाकिमों और उनके सहायकोंके रोपको जीतना चाहते हैं। हमें चाहिये कि हम उनके साथ प्रेम करें और परमात्मासे प्रार्थना करें कि जो गलती उनकी हमें दिखाई देती है, उसे देखनेकी बुद्धि उन्हें दे। पर यह प्रार्थना दुर्बल हृदयकी प्रार्थना न हो, बल्कि एक चलवान की प्रार्थना हो। अपने बलका अनुभव करके हमें उस जगत् पिताके सम्मुख नम्रता धारण करना ही उचित है।

यह काल हमारी परीक्षाका और हमारी विजयका काल है। इस समय मैं यह बताना चाहता हूँ कि किन किन बातों पर मेरा विश्वास है। मैं अपने शत्रुओं पर प्रेम करनेका कायल हूँ। मैं मानता हूँ कि भारतके हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई और यहूदियोंका एक मात्र तरणोपाय अहिंसा ही है। मेरा यह विश्वास है कि कड़ेसे कड़े पत्थरके दिलको भी पानी पानी कर देनेकी ताकत कष्ट सहनमे है। इस युद्धका आधार पहली तीन जातियों पर होना चाहिए। पिछली तीन जातिया तो इन अगली तीन जातियोंके सम्मिलनसे डरती हैं। हमें अपने सदुप्यवहारके द्वारा उन्हें दिखा देना चाहिए कि हम उन्हें अपना सगा-सम्बन्धी मानते हैं। हमें अपने आचरणके द्वारा प्रत्येक अंगरेज-

भाईको यह दिखा देना चाहिए कि वह भारतके दूरातिदूर कोनेमें भी उतना ही सुरक्षित है जितना कि वह मशीन गनके बल पर अपनेको समझता है।

क्या इस्लाम, क्या हिन्दू धर्म, क्या ईसाई मजहब, क्या जर दोस्ती धर्म और क्या यहूदी, मत—सब पूछिए तो साक्षात् धर्म की ही यह परीक्षा है। हा तो हम यह दिखावे कि हम ईश्वरको और उसकी न्यायशीलताको मानते हैं या यह प्रगट करें कि नहीं मानते। मुझे बड़े बड़े उच्च हृदय मुसलमान-भाइयोंके सहवासका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उससे मुझे यह मालूम हुआ है कि इस्लामका प्रचार तलवारके बल पर नहीं, बल्कि लगातार एकके बाद एक दरवेशों और फकीरोंके प्रेम और ईश्वर-प्रार्थनाके द्वारा हुआ है। हा, इस्लाममें तलवार खींचने का भी विधान किया गया है, परन्तु उसके लिए जो शर्तें रखी गई हैं वे इतनी कड़ी हैं कि हरएक आदमी उनका पालन करनेको क्षमता नहीं रखता। क्या हमारे पास कोई ऐसा सेना नायक है जो कभी भूल न करता हो? फिर जेहादका फरमान कौन निकाल सकता है? वह कष्ट सहन, वह प्रेम और वह शुद्धता कहा है, जो तलवार खींचनेकी कल्पना कर लेनेके पह ले प्राप्त कर लेना आवश्यक है? भारतके मुसलमानोंकी तरह हिन्दू भी इसी तरहके गन्धनोसे बधे हुए हैं। सिक्खोंके पास तो उनका ताजा स्वामिमानपूर्ण इतिहास हई है जो उन्हें शस्त्र प्रयोग करनेकी चेतावनी दे रहा है। जंसा कि मौलाना शौकत

अली कहा करते थे अभी तो हम इतने अशुद्ध और इनने स्वार्थी हैं कि ईश्वरके कामके लिये सशस्त्र युद्ध करहो नहीं सकते और क्या भारतजय आत्मशुद्धि कर चुकेगा, तब तलवार उठानेकी कभी आवश्यकता रहेगी ? और आत्मशुद्धिकी रीति तो हमने पिछले साल ही कलकत्तेसे शुरू कर दी है।

तो हमें क्या करना लाजिम है ? वस पूर्ण शांतिमय बने रहें और फिर भी इतने दृढ़ और अटल रहें कि सरकारी जेलोंके लिये जितने चाहे उतने लोग बलिदानके लिये खुशी २ आगे बढ़ते रहें। हर एक प्रान्त खाली जगहपर अपना नेता चुन ले। तमाम आवश्यक प्रबन्ध करके लालाजीने बड़ा बढिया उदाहरण पेश कर दिया है। प्रत्येक प्रान्तमें सनापति और मन्त्रीको साधारण समयके लिये, सब अधिकार दे दिये जायेंगे। कार्यसमिति छोटीसे छोटी हो। प्रत्येक महासभाका सदस्य अवश्य ही स्वयंसेवकोंमें अपना नाम लिखावे।

एक ओर जहाँ गिरफ्तारीको टालना न चाहिये, तथा दूसरो ओर हमे अनावश्यक जुर्म भी न करना चाहिये।

जबनक कि हम अपनी जरूरत भरकी तमाम खादी हाथके कते सूतसे तैयार करनेका सङ्गठन और विदेशी कपडेका पूरा बहिष्कार न कर चुकें तबतक हमे स्वदेशी आन्दोलनको जोरशोरके साथ जारी रखना चाहिए।

एक एक करके चाहे हमारे सभी नेता क्यो न गिरफ्तार कर लिये जाय, हमे हर हालतमें महासभाका आगामी अधिवेशन कर-

नाही चाहिए । यदि सरकार बल प्रयोग करके उसे मजबूर कर दे तो बात दूसरी है । पर यदि हम डरकर दब न जायेंगे और उत्तेजित होकर खून खराबो कर बैठेंगे, बल्कि अपना राष्ट्रीय कार्य बराबर जारी रखेंगे तो बस फिर स्वराज्यमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि दुनियामें ऐसी कोई ताकत नहीं है जो एक शान्तिमय प्रण पर अड़ी हुई और दैवी भावने युक्त प्रजाके बढ़ते हुए कदमको रोक सके ।

देशबन्धु दास

लार्ड रेडिङ्गने आखिर अपने वचनको नियाहा । देशके गिरो-नणि नेता भी गिरफ्तारीले नहीं बचे । लार्ड रोनाल्डसेके भाषणसे लोग यह समझ रहे थे कि देशबन्धु दास महानभाके अधिवेशनके पहले शायद न पकड़े जायेंगे और उसके बाद भी नहीं, जब थे उनकी चेतावनीके अनुसार बरताव न करेंगे । लेकिन लार्ड रेडिङ्गकी धमकी उसके बादकी बात है । ओर इसलिये लार्ड रोनाल्डसेकी राय उससे कट गई । जब कि सभापति स्वयंसेवकोंके नाम दर्ज कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा पत्र भी प्रकाशित किये हैं तब उन्हें भी क्यों आजाद रहने देना चाहिये ? कलकत्तेमें शाहजादेके आगमनके दिन हटताल करनेके लिये जो हलचल हो रही थी, वह किन्हीं तरह बन्द नहीं

होती थी। मेरे प्यालमें ऐसे ही किसी कारण या विचारसे सभापति महोदयकी गिरफ्तारी की गई है। उनके साथही दूसरे कितने ही प्रधान कार्यकर्ता भी पकड़े गये हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जोकि मुसलमान उलमाओंमें बड़े आलिम आदमी हैं, मौलवी अकराम खा, जो कि खिलाफत कमेटीके मंत्री हैं, श्री एसमल, जो कि वज्जाल प्रान्तिक समितिके मंत्री हैं, बाबू पद्मराज जैन, जिनका प्रभाव कलकत्तेके मारवाडी समाज पर है, जेलमें सभापति महाशयके साथी हुए हैं। इससे साफ प्रगट होता है कि ये गिरफ्तारियां हडतालको रोकनेके लिये हुई हैं। इन गिरफ्तारियोंसे नतीजा निकलता है कि नौकरशाही शान्तिके साथ लोगोंको समझाने बुझाने और हडतालके लिये राजी करनेको भी परदाश्रत नहीं कर सकती। वह सचमुच यही चाहती है कि जवरदस्ती दुकानें खुली रखी जाय। वह कर्नल नानसनकी तरह लोगोंको धमका घुडका कर दुकानें पुलवाना और वहा सिपाहियोंका पहरा विठा देना नहीं चाहती; बल्कि नेताओंको पकड़ पकड़कर और जेलमें बाधकर डरपोक दुकान-शरोंको भयभीत करके उनपर अ । ५ ।

सो कलकत्तेके व्यापारियोंके लिये ६
कि वे अपने नेताओंके उनसे बलहद
हडताल रखकर अपने निश्चय और
दे । अब तो २४ ता० को कलकत्तेमें
मी अधिक आवश्यक हो गया है।

विरोध प्रदर्शित करनेकी भावना अत्र गौण हो गई है। अब तो हमारे नेताओंके गौरव और सम्मानके लिये कलकत्तेके लोगोंको पूरी हडताल करना आवश्यक हो गयी है। यह इस बातका भी सबूत होगा कि वे अपने नेताको कितना मानते हैं और वे अपने स्वतन्त्र मतके अनुसार किस तरह वरतते हैं। मैं आशा करता हूँ कि कलकत्तेकी जनता आगामी २४ दिसम्बरको अपने इस स्पष्ट कर्तव्यका पालन करनेमें जरा भी कोर कसर न रखेगी। और अब जब कि हमारे नेता जेल जा चुके हैं तब हरएक असहयोगी शान्ति रक्षाके लिये अपनेको ही नेता बना लेगा। वे तो बस २४ ता० के दिन सब अपने अपने घरोंमें रहें, सिर्फ स्वयंसेवक लोग ही बाहर रहें। स्वयंसेवकोंका कर्तव्य यह होगा कि वे उन लोगोंको किसी तरहकी हानि पहुचनेसे बचावें, जिन्होंने उस दिन दूकान खोल रखना पसन्द किया हो। मैं यह बात माने लेता हूँ कि महासभा और खिलाफतियोंके नये कर्मचारियोंका चुनाव हो गया होगा। हमारी सच्ची बसौटी का समय तो यही है। आज नेतापन ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि आयरलैंडके स्वर्गीय शहीद मेक्सनीका लार्ड मेयरका पद ग्रहण करना था, क्योंकि नेता पदपर प्रतिष्ठित होनेके साथ ही साथ तुरन्त जेल जानेकी पात्रता भी आ जाती है। यदि राष्ट्रका उत्थान सचमुच हो गया होगा तो नेताओंका और उनके अनुगामियोंका प्रवाह बराबर उमड़ता रहेगा। सरकार जितनी आहुतियाँ चाहे उतनी ही हम उसे बराबर देते रहें, और ज्यों

ही हम सरकारको माग की पूर्ति कर देनेके लायक अपनी साप जमा देंगे, वस त्योही विजय हमारे पास है।

बङ्गालका कर्तव्य स्पष्ट है। उसे सभापति महोदय तथा दूसरे चुने चुने नेताओंकी गिरफ्तारीका समुचित जवाब देना है। महासभाके मनोनीत सभापतिकी गिरफ्तारीकी तरह मौलाना अबुलकलाम आजादकी गिरफ्तारी भी एक महत्वपूर्ण घटना है। मौलाना अबुलकलाम आजाद सारे भारतमें मशहूर हैं और मुसलमानोंमें तो उनकी ख्याति विशेष रूपसे है। वे एक पुराने सिपाही हैं और रात्रामें सालोंतक नजरबन्द रह चुके हैं। इसलामके उलमाओंमें उनका बड़ा ऊँचा स्थान है। उनकी गिरफ्तारीसे हिन्दुस्तानके मुसलमानोंके दिलको गहरा सदमा हुए बिना नहीं रह सकता। बङ्गालके हिन्दू और मुसलमान इसका क्या उत्तर देंगे? कार्योंका उत्तर तो उसके प्रतिकार्यके ही द्वारा हो सकता है। हम जानते हैं कि क्या जवाब देना चाहिये। क्या हजारों बङ्गाली हिन्दू और बङ्गाली मुसलमान स्वयंसेवक दलमें अपना नाम लिखाकर गिरफ्तार हो जायेंगे? क्या बङ्गाल सिर्फ खादीको ही पहननेका व्रत धारण करेगा? क्या बङ्गाली विद्यार्थी सभापति महोदयकी हृदयस्पर्शनी अपीलका उत्तर उनकी अपेक्षाके अनुसार ही देंगे?

मैं इस बातको भी गृहीत किये लेता हूँ कि कलकत्तेके हिन्दू और मुसलमान विशेष करके और बङ्गाल सामान्यतः पूर्ण शान्ति धारण किये रहेगा। यदि वर्तमान शान्ति भावी स्थितिका

सूचक चिह्न ही तो घम्वर्षका पाप प्राय पूरा धुल गया समझिये । घम्वर्षकी दुर्घटनासे लोगोंने खूब नसीहत ली है । पर यह हमे शाके लिये पक्की होनी चाहिये । बगालके नवयुवक अपने बच्चे खुच्चे नेताओंकी सहायताके लिये दौड़ पडे । वे आतुर न हों । अपने चित्तको शान्त रये और उनके हाथ हमेशा चरणोंपर नजर आवे । प्रत्येक असहयोगी फिर बह चाहे पुण्य हो या खत्री, अपना नाम स्वयंसेवक दलमें अवश्य लिखावे और उनके नामोंकी सूची रोज पत्रोंमें प्रकाशित हुआ करे जिससे सरकारको जिसे बह चाहे उसको गिरफ्तारी करनेमें आसानो हो जाय । घड्ढालकी उज्ज्वल भायुकता, हमारे राष्ट्रीय इतिहासके के इन्म अत्यन्त नाजुक ओर कठिन अवसर पर उच्चसे उच्च कोटिकी शान्त कार्य शक्तिमें परिणत हो जाना चाहिये । न हुल्लड हो, न बूम धाम हो, न बहादुरीका दिखावा हो । हो क्या ? सिर्फ अपने अङ्गीकृत कार्यके प्रति धार्मिक भावसे श्रद्धा और यह दृढ़ निश्चय कि कार्य वा साधयामि देह वा पातयामि ।



सभापतिको सिर्फ छः महीने



मौलाना आजादको एक सालकी सजा हुई। इस पर खुद मौलाना साहब तथा उनकी बेगम साहबाने इस बातकी शिकायत की है कि बस, एक ही साल। यह तो बहुत ही ना-काफी है। तब महासभाके सभापति और उनके श्रद्धाचान् साथी श्री ससमल सहित सिर्फ छ महीनेकी सादी कैदका हुक्म सुनने, पर क्या मालूम हुआ होगा? यदि ऐसी ही प्रभावहीन सजा देना अभीष्ट था तो फिर अमियोग चलानेकी और बारबार फैसले मुलतवी रखनेकी ही क्या आवश्यकता थी? यह तो सरकार सिर्फ जयानो हुक्म देकर ही कर सकती थी। मुझे तो तारके जरिये यह खबर मिली थी कि सरकार मौलाना और देशबन्धु दोनोंको छोड़ देनेका कोई मौका ताक रही है। एक और भी खबर मिली थी जोकि विश्वस्त सूत्रसे आई मानी जाती है, पर मैं उसे प्रगट नहीं करना चाहता और पाठकोंके लिए उनका जानना भी कोई मार्केकी बात नहीं है। हमें तो जैसा मौका आ पड़े उसीका सामना करना चाहिए। कुछ लोग पत्र भेज भेज कर मेरी चुटकिया ले रहे हैं। वे मुझ पर भोलापन, सङ्गदिली, कमजोरदिली तथा दूसरी कमजोरियोंका इल्जाम लगाते हैं। कुछ सज्जन कहते हैं कि मैंने जेलस्थित देश सेवकोंके अङ्गीकृत कार्यको

वेच डाला। कुछ लोगोंका कथन है कि मैंने महासभाके सभापति महोदयके साथ वेदमानी की है। परन्तु सीभाग्यवश इस कितने ही वर्षोंकी सार्वजनिक सेवाओंकी बदौलत मेरा कलेवर थच्छा मजधूत हो गया है और ये तीर उसमें घुस नहीं पाते। परन्तु मैं इन तमाम अधीर पत्र प्रेषकोंको यकीन दिलाता हूँ कि इन प्रस्तावोंके द्वारा असहयोग सिद्धान्तके अणु-मात्रका भी त्याग नहीं किया गया है। रक्ति, इसके विपरीत, प्रकृतिकी ओरसे चेतावनियां होते हुए भी, सामूहिक भङ्ग करनेसे मुह मोडना असहयोगके मूलभूत सिद्धान्तका पूर्णरूपसे त्याग करना होता है। कैदियोंको छोड़ देनेकी बात तो जब कि वह राष्ट्रीय सम्मानका प्रश्न हो गया, मैंने ही जान बूझकर पेश की थी, क्योंकि त्रिविध लक्ष्य, स्वराज्य, खिलाफत और पञ्चाव, की शीघ्र प्राप्तिका प्रश्न उदलकर त्रिविध स्वातन्त्र्य, भाषण, लेखन और सम्मेलन, की शीघ्र प्राप्तिका प्रश्न उपस्थित हो गया था। इससे कैदियोंको छोड़ देनेकी बात उसका स्वाभाविक परिणाम हो गया। लेकिन चोरी चोराने एक दूसरा ही प्रश्न उपस्थित कर दिया है अर्थात् भयङ्कर प्रायश्चित्त और उग्र रीतिसे आत्मशुद्धि करना और इस प्रायश्चित्तान्मक आत्मशुद्धिके लिए जेलमें स्थित कार्यकर्त्ताओंके बलिदान की तथा कुछ समय तक हमारी कितनी ही हलचलोंके, जिनके बदौलत राष्ट्रमें नवीन जीवनका संचार हो गया है, बलिदान-त्यागकी आवश्यकता है। लेकिन ऐसी बातें तो तमाम युद्धोंमें होती हैं। और आध्यात्मिक युद्धमें तो, जैसा कि हम अपने

आन्दोलनके होनेका दवा करते हैं, और भी अधिक हीतो हैं। मैं इसे आध्यात्मिक इम भावमें कहता हू कि हमने अपने ध्येयकी सिद्धिके लिए निश्चय पूर्वक शारीरिक बलका प्रयोग न करना स्वीकार किया है। हम अपने लङ्गर आदिको छोड़कर वह निकलनेके खनरेमें थे और इसलिए हमें वापस लौटना आवश्यक था। पर वापसोका मतलब केवल इतना ही है कि हम अधिक शुद्ध हो जाय, हमें अधिक ज्ञान हो जाय और हममें अधिक बल आ जाय और यदि असहयोगी लोग इस राष्ट्रीय संग्रामके सिद्धहस्त योद्धा बनना चाहते हो तो वे निस्सन्देह प्रतीक्षा और तैयारीका मूल्य समझेंगे। जो शस्त्र तैयारी तक अथवा दूसरो कमीके लिए ठहरा रहता है वह भी उतनी ही सहायता करता है जितनी कि वह योद्धा जो मोरचोंमें तीन फीट गहरा खड़ा रहता है। यदि हम युद्ध शास्त्रके, फिर वह चाहे शारीरिक हो या आध्यात्मिक, इन तत्वोंको न समझें तो हमारा यह सारा बलिदान व्यर्थ चला जायगा।

राऊण्ड टेबल कान्फरन्स



(दिसम्बर २२, १९२१)

भिन्न भिन्न प्रकारके विचारवाले पुरुष जब किसी एक ऐसी बातका निपटारा करनेके लिये बैठते हैं जो सबके लिये आवश्यक होती है तब उसे "राऊण्डटेबल कान्फरन्स" कहते हैं।

सरकार क्या सोच रही होगी इस बातकी छानबीनके लिये 'यंग इण्डिया' में बहुत कम लिखा जाता है। उसका विचार करना तो व्यर्थ ही है। किन्तु चू कि आजकल समाचार रत्न इस कान्फरन्सके विषयमें चर्चा कर रहे हैं तथा उसके विषयमें वाद विवाद करते हुए अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, मुझे भी अब यह उचित मालूम हो रहा है कि भारतमें यह चारों ओर जो नाटक खेला जा रहा है उसके नायककी मानसिक स्थितिका कुछ निरीक्षण। 'यंग इण्डिया' में भी किया जाय। मेरा 'तो ख्याल यह है कि कान्फरन्सका होना तबतक निरर्थक ही है, जबतक कि बड़े लाटके दिमागसे यह भ्रम दूर नहीं हो जाता कि असहयोग तो कुछ भूले भटके हुए उत्साही लोगोंका खेलमात्र है। यदि उनकी यह इच्छा हो कि उनके साथ सहयोग किया जाय और

देशमें शांति सन्तोष फैले तो उन्हें चाहिये कि वे असहयोगियोंको शांत करें—उनसे सुलह करे। उन्हें यह जान लेना चाहिये कि असहयोग स्वयं कोई रोग नहीं है। यह तो एक रोगका मुख्य लक्षण है। खास रोग तो भारतकी जनतापर जो तीन प्रकारसे मर्माघात किया गया है वही है। और जबतक उस रोगकी जड़ नहीं काटी जायगी तबतक इन ऊपरके सब उपायोंसे रोगीको जरा भी चैन नहीं पड़नेकी। खिलाफत और पञ्जाबके मामलोंका उचित निपटारा और जनताके चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा तैयार की गई योजनाके अनुसार स्वराज्यकी मांग पूरी करना, ये बातें यदि छोड़ दी जायें तो चाहे भले ही दमन किसी प्रकारके निपटारेका एक आसान और सीधा साधन दिखाई दे। हां, मुझे 'मजूर है कि कोई भी बड़े लाट ऐसे आन्दोलनको भरसकन बढ़ने देंगे। मैं मानता हूँ कि जिस बातके लिये सविनय कानून भग शुरू किया गया हो उसे मिटानेके लिये यदि वे तैयार नहीं हैं तो उन्हें सशस्त्र चलनेकी तरह सविनय कानून भगको भी ध्वाना ही होगा। सत्यके कोरे सिद्धान्तका तबतक कुछ भी महत्व नहीं रहता जबतक वह उन मनुष्योंमें जो उसकी हिमायतके लिये अपने प्राणोंका भी यज्ञ करनेको तैयार रहते हैं, मूर्त स्वरूप नहीं प्राप्त कर लेता। हमपर होनेवाले अन्याय और अत्याचार दुनियामें अभीतरु इसीलिये टिके हुए हैं कि हम उस सत्यके सच्चे प्रतिनिधि नहीं हैं। अपने इस दावेको सिद्ध करनेका

एक ही मार्ग है। वह यह कि हम अपने जिम्मे किये गये कामके लिये हर तरहके कष्ट सहनेको तैयार रहें। और हम तो इस उच्च कर्तव्यकी साधनाकी बहुत कुछ मजिल तय भी कर चुके हैं। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि हमने इस बतका कोई निश्चयक प्रमाण दिया है। यदि कैदमें कोड़ोंकी मार पड़े और दूसरी अनेक प्रकारकी यातनायें सहनी पड़ें, तब कौन कह सकता है कि हम जेलसे भी न घबरा उठेंगे? कौन जानता है कि फासोपर लटक जानेके लिये हममेंसे कितने आदमी तैयार हैं?

इसलिये मेरा तो ख्याल यह है कि ऐसी कानफरेन्ससे जिसमें कि सरकारके प्रतिनिधि हों, लाभ तभी होगा जब वह पेटभरके असहयोगियोंकी शक्तिकी जांच कर चुकेगी और उनकी कड़ी परीक्षा ले चुकेगी।

किन्तु असहयोग लोकमत तैयार करनेका एक उपाय है। इसलिये यदि सहयोगी और असहयोगियोंकी कानफरेन्स हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा। मुझे यकीन है कि वे भी खिलाफत और पञ्जाबके अत्यायों और अत्याचारोंका परिमार्जन चाहते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि जैसे असहयोगी देशने लिये स्वतन्त्रता चाहते हैं वैसे ही वे भी चाहते हैं। सरकारकी इस दमन नीतिका निषेध करीब करीब सभी नरमदल वाले सदाचार पत्रोंने किया है। यह देखकर मुझे चडा सन्तोष हुआ। इससे कमकी मैंने आशा भी नहीं की

थी। मैं कह सकता हूँ कि यदि असहयोगी आत्मसंयमी बने रहें, हिंसासे दूर रहें, अपने विरोधियोंके प्रति कुचर्चनोंका प्रयोग न करें तो एक एक सहयोगी असहयोगी हुए बिना न रहेगा। यही क्यों अंग्रेज भाई भी असहयोगियोंके दलमें आ मिलेंगे और सरकारको हमारी शरण लेनी होगी। फिर वह इसके सिवा और कर ही क्या सकती है। असहयोगकी इस विधिका परिणाम यही हो सकता है। इसी उद्देशसे वह आरम्भ भी किया गया है और उम्मेद है कि यही होगा भी। इसके बदौलत विरोध और अनबन कम हो जाते हैं। और यदि आज उसका परिणाम विपरीत दिखाई दे रहा है तो उसका कारण यही है कि असहयोगी सिर्फ अभी यह मानने लगे हैं कि केवल कार्यमें ही अहिंसा होना काफी नहीं, वाचा और विचारका भी अहिंसामय होना उतना ही आवश्यक है। असहयोगीके लिये तो शत्रुके प्रति भी घुरे भावोंको दिलमें आने देना अनुचित है। हमारे विरोधियोंको सबसे भारी आशंका तो यही है कि इस अहिंसाके आवरणमें हिंसाका उद्भव असयत रूपसे छिपा हुआ है। उन्हें हमारी अर्थात् हमसे अधिकतर लोगोंकी हृदय शुद्धिपर विश्वास नहीं है। उन्हें तो उसमें गोलमाल और सर्वनाशके सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसलिये यह दमन तो हमारे लिए ईश्वरीय वरदान रूप होकर ही आया है। यह उनको और हमको दोनोंको दिखा रहा है कि जनता-

पर हमारा इतना असर हो गया है कि उत्तेजना लायक परिस्थितिमें भी वह शान्त बनी रह सकती है। किन्तु हमारे इस समयकी अभी इतने अधिक समय तक परीक्षा नहीं ली गई है कि जिससे हम यह समझ लें कि यह शांति हमेशा पेश ही रह सकेगी। अब भी हमारे दिलमें धुकधुकी लगी हा रहती है। सियालकोटके लोगोंने थाखिर रास्ता छोड़ ही दिया, फिर वह चाहे कितना ही थोड़ा क्यों न हो। पेसी छोटी छोटी कितनी ही गलतिया हमसे हो चुकी हैं जिनसे यह मालूम होता है कि अभीतक हमको इस बातका कि दूसरोंके जान मालकी रक्षा करना कितना आवश्यक है इतना ज्ञान नहीं हो गया है कि जिससे बाहरी आदमीके हृदयपर भी प्रभाव पड़े। और उसके चित्तमें आन्दोलनके प्रति विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाय। अतएव साधारण कारणोंके लिये तथा अमनहयोगियोंका ठीक ठीक स्वरूप दिखानेके लिये सहयोगियोंसे मिलनेके हरएक प्रसंगका मैं अवश्य स्वागत करूंगा। नरकारने खुद असहयोगको ही दमानेका इरादा जाहिर करके अपने पक्षे स्वरूपको अधिक स्पष्टतया प्रगट कर दिया है। जबतक वह हिसाके तथा उससे सहानुभूति रखने वालोंके या उसके उत्तेजित करनेवालोंके दमनकी कोशिश कर रही थी तबतक तो उसका करना ठीक था। इसलिये मुझे तो कोशिश ही नहीं है कि सहयोगी भी सरकारके इस पागलपनके विचार प्रकाशनको तथा अपने

दुख दर्दको दूर करनेके उद्देशसे उठाये गये आन्दोलनको दबानेके इस निरर्थक प्रयत्नके खिलाफ आवाज उठावेंगे। किन्तु मैं अपने मित्रोंको यह चेतावनी दिये देता हूँ कि जबतक वे यह यकीन नहीं कर लेते कि सरकार सचमुच पश्चात्ताप कर रही है और जनताके दुखोंके साथ सहानुभुति रख रही है तबतक ये ऐसी कान्फरेन्सका खयाल न करें। शाह-जादेके स्वागतके बहिष्कार तथा सार्वजनिक सभायें करनेके अधिकार, या स्वयंसेवक दलके संगठनोंके विषयमें यह कान्फरेन्स तबतक न की जानी चाहिये जबतक कि इन संस्थाओंका उद्देश्य हिंसा करना नहीं है। स्वागतका बहिष्कार तो रूक नहीं सकता। और तबतक होना ही चाहिये जबतक कि जनताकी इच्छायें सार्वजनिक सभायें तथा वे सभायें पद-दलित की जायेंगी जो हमारे ऐसे अत्यन्त साधारण अधिकार हैं जिनके विषयमें किसी प्रकारके वादविवादकी जरूरत ही नहीं। हमें उन अधिकारोंके लिये झगड़ना ही होगा।

पाथ ही यह भी ध्यानमें रहे कि असहयोगी अभी उस प्रकारका सविनय कानून भंग नहीं कर रहे हैं जैसा कि वे चाह रहे हैं। सार्वजनिक सभायें करनेके तथा उनके संगठनके लिये वे जो आग्रह दिखा रहे हैं उसे सविनय कानून भंगके नामसे विभूषित न करना चाहिये। असहयोगी तो अभी सिर्फ बचावमें ही लगे हुए हैं। अभी उन्होंने आक्रामक स्वरूप तो

आरम्भ भी नहीं किया है, जो कि पूरी तरहसे अहिंसात्मक परिस्थिति हो जानेपर वे अवश्य धारण करनेवाले हैं। सरकारने उन्हें अपनी शक्तिकी परीक्षाका यह मौका देकर उनपर अनुग्रह ही किया है।

सरकार सुलह करे

(दिसम्बर २२, १९२१)

लार्ड रोनाल्डशे (घड़ालके लाट) ने धारा सभामें जो भाषण किया है उसे मैंने पढ़ा। उसमें मेल मिलापकी जो बातें कही गई हैं वे तो ठीक हैं। वे मुझे अच्छी लगीं परन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वह भ्रमोत्पादक हैं। उनके भाषणोंके जो अंश खुद ही आलोचनाके योग्य हैं उनपर मैं यहाँ टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ यह कह देना चाहता हूँ कि यह वर्तमान स्थिति खुद लार्ड रोनाल्डशेकी तथा वाइ सरायकी कृतिका फल है। मैं हृदयसे चाहता हूँ कि मैं भारत सरकार तथा प्रांतीय सरकारोंको इस सन्देहकी दृष्टिसे न देखू कि वे लोगोंके साथ टक्कर लेनेके लिये आतुर हो रहे हैं। परन्तु अबतक मैंने जो कुछ पढ़ा और सुना है उससे मैं इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि मेरे सन्देहके लिये अवश्य कारण मौजूद है। हाँ, मैं इस बातको नहीं छिपाता कि कुछ लोग

घोड़ा बहुत दबाव डालते होंगे और डराते धमकाते भी होंगे, परन्तु मैं यह जोरके साथ अस्वीकार करता हूँ कि १७ नवम्बरकी उम अद्भुत हडतालके दिन कलकत्तेमें घहाकी महासभा का खिलाफत समितियोंके द्वारा अथवा उनकी तरफसे किसी भी प्रकारके डर और दबावकी तैयारी की गई और लोग डराये या धमकाये गये। बल्कि इसके विपरीत मुझे तो निश्चय होता है कि इन संस्थाओंका प्रभाव हर तरहके डर और दबावसे बचनेमें ही काम आता था। हा, उसमें नैतिक दबाव अवश्य था। पर कोई भी महान आन्दोलन उससे बच नहीं सकता। लेकिन यह घात तो साधारण बुद्धि रखनेवालेकी भी समझमें आ जायगी कि ऐसी सोलहों आने हडताल—जैसी कि १७ नवम्बरको कलकत्तेमें हुई थी महज डर और दबावसे होना असम्भव है। पर अच्छा मान लीजिये कि डर और दबावसे काम लिया गया था तो इनके लिये स्वयंसेवक दलोंको छिन्न विच्छिन्न करनेकी, सार्वजनिक सभायें रोकनेकी, और ऐसे ऐसे कानून जारी कर देनेकी क्या जरूरत थी जो मौतकी गोदमें पड़े हुए आखिरी सास ले रहे थे? डर और दबावका कोई सबूत भी दिया होता। मिसाल भी तो दी होती। हा, कसम खानेको बद्मालके लाट साहबने कलकत्तेमें एक जगह तलवारों और गुप्तियोंका आग्रहकार किया है। यह देग कर मुझे घडा दु ख हुआ। पर इससे क्या घडी बडी सार्वजनिक संस्थाओंपर धर्या लग

सकता है ? पण्डित मोतीलाल नेहरू आदि नेताओंके गिरफ्तारी पर प्रयागमें कैसी धार हड़ताल हुई थी ? वहाँ लोगोंको किसने डराया धमकाया था ? बल्कि कहा जाता है कि उलटा सरकारी नौकरोंने ही दूकानदारोंपर दूकानें चोलनेके लिये बेजा दबाव डाला था और गाड़ीवाले भी तड़किये गये थे । फिर भी वहाँ अद्वितीय हड़ताल हुई । फिर लाट साहय फर्माते हैं—“यदि हम यह मानें कि इन घटनाओंसे यही सूचित होता है कि लोग सचमुच तहे दिलसे अपनी उन्नति चाहते हैं तो उसके लिये अनुकूल परिस्थिति होना आवश्यक है । दूसरे शब्दोंमें यों कहें कि किसी भी काम्फ्रेन्सके लिये दोनों ओर शांति होना पहली आवश्यक बात है । यह तो सबको मानना पड़ेगा । यदि असहयोगके मुख्य मुख्य नेता यह निश्चय दिलानेके लिये तैयार हों कि हा, यही बात दरअसल है, तब मैं कहूंगा कि हमें भी ऐसी स्थिति दिखाने देनी चाहिये थी जिससे कि सरकारको अपनी बातपर पुनर्विचार करना ठीक जँचता । लेकिन एक बात है । कोरी बातें नहीं काम भी वैसा ही होना चाहिये । यदि मुझे इतमिनान हो जाता कि लोग आम तौरपर काम्फ्रेन्स करना चाहते हैं और असहयोगके प्रधान नेता लोग उसके अनुसार बरतनेको तैयार हैं तो मैं अपनी सरकारसे यह सिफारिश करता कि थय इस बदली हुई स्थितिके अनुसार कार्यवाही करना चाहिये ।” यह कथन अत्यन्त भ्रमोत्पादक

है। इसमें जहाँ जहाँ असहयोगके नेता शब्द आये हैं वहाँ वहाँ यदि सरकार शब्द रख दिया जाय और यदि सारा वक्तव्य किसी असहयोगीके मुँहसे निकले तो उससे सच्ची स्थितिका ध्यान हो सकेगा। सच पूछिये तो असहयोगियोंको तो कुछ भी करनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम बिना सोचे समझे नहीं किया है। वे तो जरूरतसे ज्यादा सावधानीसे काम ले रहे हैं। लोग आक्रामक सविनय कानून भंग शुरू करनेके लिये कितने उत्सुक थे ? किन्तु घम्वईके उपद्रवोंके कारण उनकी इच्छाओंको जबरदस्ती दबाना पडा। पर आजकल सविनय कानून भंगका प्रयोग भी बहुत गलत अर्थमें हो रहा है। मैं दावेके साथ कहता हूँ कि असहयोगी लोग आजकल जो कर रहे हैं वही सहयोगी भी कल ही ऐसी परिस्थिति प्राप्त होनेपर करने लगेंगे। जब भारत सरकार या प्रांतिक सरकार हमारे राजनैतिक जीवन और बान्दोलनको नष्ट करनेपर तुल जाय फिर वह चाहे कितना ही शान्तिमय क्यों न हो, तब क्या हमें अपनी शक्तिभर ऐसे प्रयत्नका विधिवत् प्रतीकार न करना चाहिये ? मुझे तो इससे अधिक विधिवत् कोई बात नहीं दिखाई देती कि हम अपने स्वयंसेवकोंकी प्रवृत्ति हिसाकी ओरसे हटानेकी कोशिश करते हुए सार्वजनिक समार्ये करते रहें और ऐसा करने का जो फल भोगना पडे उसे खुशीसे भोगें। क्या सरकारकी ज्यादतियोंके मुकाबिलेमें अपने प्रारम्भिक अधिकारोंको रक्षा

करते हुए सैकड़ों जवानोंका तथा बूढ़े आदमियोंका अपने बचाव-के लिये बिना कुछ भी कहे, सुने, बगैर शिकायत किये, सरकारके सजा देनेके भयके होते हुए भी, चुपचाप जेल चला जाना उसकी कानूनका आदर करनेकी प्रवृत्तिका काफी परिचायक नहीं है ? इसलिए अगर किसीको कान्फरेन्सके लिए तथा अन्तिम निपटारेके लिए अपनी सच्ची सच्ची इच्छा जाहिर करनेको जरूरत है तो वह सरकारको ही है। सरकारके लिए आवश्यक है कि वह अपनेको उस रास्तेसे समाले, जिसपर कि दमन उसे ले जा रही है। अब तो असहयोगियोंके कान्फरेन्समें शामिल होनेकी आशा करनेके पहले सरकार को ही अपने शुद्ध हेतुके विषयमें अपनी प्रामाणिकता सिद्धकर दिखानी होगी। जब सरकार ऐसा करेगी तब उसे चारों ओर शान्ति ही शांति दिखाई देगी। असहयोग—अहिंसात्मक अन्वययोगसे जब कि सरकार हिंसाकाण्डके सिवा दूसरी बातोंका प्रतिकार न करती हो, कोई बुराई नहीं हो सकती। भला असहयोगी बन्द किम् बातको करे ? क्या लडकोंको फिरसे कहें कि भाई चलो, जाओ सरकारी विद्यालयोंमें पढ़ने ? या वकीलोंसे कहें कि आप बकालत शुरू कर दीजिए ? क्या लोगोसे कौन्सिलोके उम्मेदवार होनेकी सिफारिश करें ? उपाधिधारियोंसे कहें कि भाई अपने खिताब और तगमे वापस मार्ग लो। यह सब तबतक नहीं हो सकता जबतक कोई निपटारा वास्तवमें न हो जाय या उसकी गैरटी न मिले। इन सब बातोंके देखते हुए यह स्पष्ट ही है कि, असहयोगियोंको

कुछ भी करनेकी आवश्यकता नहीं है। हा, मैं अपनी तरफसे यह जरूर कह सकता हू कि यदि कान्फरेन्स करनेकी सचमुच इच्छा हो तो मैं आक्रामक सविनय कानून भंगको तुरन्त आरम्भ कर देनेकी सलाह एकाएक न दूंगा। पर यदि ऐसा हुआ तो मैं इरादा कर ही चुका हूँ कि ज्योंही इस बातका पक्का विश्वास हुआ कि लोग अब अहिंसाका रहस्य समझ गये हैं, आक्रामक सविनय - कानून भंग छोड़ दूँ। यहा मुझे यह भी कह देना चाहिए कि इन पिछले १५ दिनोंको घटनायें यह दिखला रही हैं कि लोग उसकी अकल्पित महिमाको अच्छी तरह समझ गये दिखाई देने हैं। सो यदि सरकार यह मानती हो कि अब असहयोगी खिलवाड नहीं कर रहे हैं, और अपने लक्ष्यकी सिद्धिके लिये वे हर तरहसे अमर्यादिक कष्ट सहनेको प्रस्तुत हैं, तो सरकार बिना किसी शर्तके ठीक रास्ते पर आ जाय, स्वयं सेवक दलोंको भंग करनेकी तथा सार्वजनिक सभायें बन्द करनेकी आशाओंको रद्द कर दे और मिनन मिनन प्रान्तोंके उन तमाम लोगोंको जिन्हें इस कहने भरके सविनय कानून-भंगके लिए अथवा असहयोगकी व्याख्यामें आनेवाले किसी भी उद्देश्यके लिए, सजाये दी गई हैं, छोड़ दिया जाय। हा, जिन्होंने हिंसा काड मचाया हो या उसका इरादा किया हो उनकी बात जाने दीजिये। सरकार हिंसा-काडको अथवा उसकी उत्तेजनाको दबानेके लिए खुशीसे अपनी सत्ताका प्रयोग करे, लेकिन हमारे इस हक को कि अपना मत वेधड़क प्रकट किया करे और

म विधिवत् तथा शांतिमय उपायोसे जनताको शिक्षा देकर
 क-मत तैयार करे, किसी तरहका जरा भी धक्का न पहुँचना
 ह्ये। इसलिए अगर किसीको बिगड़ी बात बनाना है,
 याचारोंका परिमार्जन करना आवश्यक है तो वह सरकार
 है। और वह चाहती हो तो वायुमण्डलको अनूकूल बना
 कान्फरेन्स करे। हा, जहातक मेरा सम्यन्ध है, मैं यह
 देता हू कि असहयोगके साथ पेश आनेके साधनों और
 र्णोंकी चर्चाके लिए मैं कोई कान्फरेन्स नहीं चाहता। इस
 स्थामें यदि किसी कान्फरेन्ससे लाभ हो सकता है तो वह
 है कि जिसमें वर्तमान असन्तोष—अर्थात् खिलाफत और
 वके साथ किये गये अन्याय और अत्याचार और स्वराज्यके
 रणोंका विचार और उपाय किया जाय। फिर वह ऐसी
 जिसमें केवल वही लोग न बुलाये जाय जिन्हें सरकार
 है, बल्कि जनताके सच्चे प्रतिनिधियोंकी कान्फरेन्स है।
 भी वह सफल हो सकती है—तभी उससे लाभ हो सकता है।



समस्या

दसम्बर २२, १९२१)

सरकारकी आज्ञाओंका भंग करनेवालोको फिर वे छोटे हों या बड़े कैद करना, उनको साधारण मुजरिमोंकी तरह रखना, उनको कारावासकी सुविधाओंसे भी वंचित रखना, ये सब बातें तो इन्सानकी समझमें आने लायक हैं। मैं उसे असद्व्यवहार नहीं कहूंगा। अगर हम अपनेसे किसी ऊंचे अधिकारी को अथवा जिसके अधिकारमें हम थोड़ी देरके लिए भी हों, रुष्ट कर बैठें तो हमारे आज्ञा भंगके लिए हमें सजा मिलना अनहोनी बात नहीं है। किन्तु अगर वह हमारे बच्चोंक बुरी तरहसे दबावे, ऐसी बातें जबरन करावे जिन्हें हम और वे दोनों बुरी समझते और जिन्ह करनेके लिये हम कानूनन बाध्य नहीं हैं, या हमारे साथ मिट्टी—ककडसे भी बुरा चर्त्ताव करे तो यह हमें कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि कोकोनाडामे मजिस्ट्रेटने स्वराज्य और खिलाफतके झड़ोंको उखडवा डाला, उसने यह हुक्म जारी किया कि एक मसाह एक ऐसे झड़े न खड़े किये जायं। यह भी सुनते हैं कि एक पाठशालाके लडकोंसे युनियन जैक (ब्रिटिश झन्डे) को जबरदस्ती सलाम कराया गया। हमने यह भी पढ़ा है कि

कल्फर्स के एक विख्यात प्रोफेसर अपने विश्वविद्यालयका चोगा पहने बाहर जा रहे थे। रास्तेमें उन्होंने कई निरपराध मनुष्यों पर पाशविक अत्याचार होता हुआ देखा। वे अत्याचार बन्द करनेकी इच्छासे फौजी अफसरके पास जा रहे थे कि उनके सिर्फ यह पूछनेपर कि भाई ये पढे लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, बहादुर हैं, इन्हें आप जूतोंकी ठोकरोसे क्यों मार रहे हो? आप तो अभी इनके सरपरस्त हैं, वे विचारे घुरी तरह पीट दिये गये। ये बातें ऐसी हैं जो दिलमें चुभ जाती हैं। इन अत्याचारोंका तो मतलब यही है कि हमारे शासक अभी तक ज्योंके त्यों बने हुए हैं, उनके हमारे प्रति वर्तावमें जरा भी फर्क नहीं पडा। वह थोडायरी ठसक अभी तक नहीं मरी। फिर लार्ड रोनाल्डशे उन पिटे गये प्रोफेसर साहबको बुलावें, उनसे मीठी मीठी बातें करें, उन्हें यह आश्वासन भी दें कि अब ऐसा न होने पावेगा तो इनसे होना जाना क्या? फिर ऐसा न होने पावेगा।" क्या न होने पावेगा? क्या प्रोफेसर साहब फिर न पीटे जायगे? हा यह तो मानी हुई बात है कि इस नाजुक समयमें तो फिर उन पर हाथ न उठाया जायगा। खुद प्रोफेसर साहब भी उस विश्व विद्यालयके चोंगेके भरोसे किसी पदाधिकारीको कई दिन तक न छेड़ेंगे। किन्तु देखिए, उस पदाधिकारीके हृदयमें उन प्रोफेसर साहबके प्रति थोडा भी आदर है। वे खुद अपने लिए तो उसके पास गये ही नहीं थे। वे तो अत्याचार पीडित मनुष्योंकी हिमायत करने गये थे। क्या इन

लाट साहबके उस आश्वासनके कारण भविष्यमें भारतके मनुष्यत्वकी रक्षा होगी ? क्या नौकरशाहो भारतीयोंको आदरकी दृष्टिसे देखेगी ? बात यह है कि सिपाहियोंको तालीम ही ऐसी दी जाती है। वही ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा एक सिपाही एक क्रूर पशु बन जाता है और मौका मिलते ही निरपराध मनुष्यों पर छोड़ दिया जाता है। आज इतने "दास" और "आजाद" इसीलिए जेल गये हैं कि फिर ऐसे नीच और पाशविक अत्याचार कहीं नजर न आवें। उन्होंने जेलका स्वागत इसीलिए किया है कि बुरेसे बुरे अपराधीकी भी ऐसे निर्घृण अत्याचारोंसे रक्षा हो—उसके भी स्वाभिमानको कहीं धक्का न लगने पाये। सिर्फ एक सस्थाके हाथसे निकल कर किसी दूसरी सस्थाके हाथमें सत्ता चली जाय, इसीलिए वे जेल नहीं गये हैं। वे जो चाहते हैं वह है शासन प्रणालीमें आंतरिक परिवर्तन। जिस बातके लिये लालाजी घरसोंसे अपना शरीर सुपा रहे हैं, जो आराम-तलव मोतीलाल जी नेहरूका प्राण स्वरूप बन गई है, और जिसके पीछे वे पूरे फकीर बन गये हैं, वह लार्ड रोनाल्डशेकी क्षमा-प्रार्थना से— फिर वह चाहे कितनी ही सद्भाव-पूर्ण क्यों न हो, नहीं बन सकती और न खुद लार्ड रेडिगकी मोठी बातोंसे ही तथा उनकी इस निजी चिन्तासे ही कि अधिकारी गण कानूनकी मर्यादाका उल्लंघन न करें, बन सकती है। उनकी मनोकामना तो आन्तरिक परिवर्तनसे ही पूर्ण हो सकती है। और आन्तरिक परिवर्तनका उपाय वस

एक ही है। वह है कष्ट सहन, जिसके लिए जनता अब परमात्माकी कृपासे तैयार हो गयी है। एक दक्ष मित्रने मेरे आशावादको मर्यादित करनेके हेतुसे मुझे कहा कि कष्ट-सहनेका अभी तो शुरुआत भर हुई है। हमे अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये तो इससे भी कई गुना घडी कुरबानिया करनी होगी। वे तो सचमुच यह भी ख्याल करते हैं कि एमें कई "जलिया वाला" की आवृत्ति करनी होगी। हमें उस गलीके कोने तक जो कि पेटके बल रेंगनेके लिए मशहूर हो चुकी है जाना होगा, पर डरके मारे कापते हुए नहीं, अपनी इच्छाके विरुद्ध नहीं, बल्कि आनंदित चित्तसे और मन्द गतिसे। हम पेटके बल हरगिज न रेंगेंगे, पर इनकार करनेके लिये कोड़ोंकी कडी मार जरूर सहन करनी होगी। हा, ठीक तो है और मैं उनको विश्वास दिलाता हू कि मेरे आशावादमें इन सब तथा इनसे भी इतनी खराब बातोंके लिये गु जायश है जिनकी कि उन्हें कल्पना तक न होगी। किन्तु साथ ही मैं यह वचन देता हू कि अगर भारतने शांति बनाये रखी, चित्तको अविचलित रखा, और दिलमें प्रति हिसाका विचार भी न आने दिया (जो मैं मानता हू कि सचमुच बडी कठिन बात है, किन्तु साथ ही यह भी कहूंगा कि भारतकी वर्तमान उच्च स्थितिमें उतनी कठिन नहीं है) तो हमारी यह तैयारी ही और साथ ही प्रतिक्रियाके अभावके कारण, पाशविक वृत्ति पोषक द्रव्य न पाकर, अपने आप मर जायगी और लार्ड रेडिगको भी अपनी लम्बी चौडी बातें अलग

रख कर पश्चात्तापके मानवी उद्गार प्रगट करते हुए भारतीय वायुतण्डलमें किसी नई राज नीतिका अवसर मिलेगा। परन्तु इसके प्रतिकूल अगर हम अपने वचनको और अपनी स्थितिको भूल गये तो हमें हजारों "जलियावाला" के दृश्य देखने होंगे और तमाम देशको एक विशाल बूचडखाना बना हुआ अपनी आँखो देखना होगा। किन्तु राष्ट्रीय महासभाके सभापतिने हमें इस नौबत तक पहुँचनेके लिए पहले ही से तैयार कर दिया है। उन्हें यह यकीन हो गया है कि फँदका डर तो हमारे दिलसे दूर हो गया है। उन्हें अपने पुत्र तथा उसके साथियोंको देख कर यह भी विश्वास हो गया कि हम मार-पीट खानेकी परि-क्षाओंमें भी उत्तीर्ण हो सकेंगे। किन्तु वे तो हमारे साक्षात् मृत्युका भी डर दूर कर देनेकी आज्ञा दे रहे हैं। अगर वह दिन देखना हमारे नसीबमें बदा होगा तो मुझे उम्मीद है कि तब भारतमें ऐसे काफी शातिनिष्ठ असहयोगी निकलेंगे जिनके विषयमें सुवर्णाक्षरोंमें यह लिखा जा सकेगा कि—“उन्होंने बिना किसी क्रोधके और अपने मुहसे उस नादान खूनीके लिये भी प्रार्थना करते हुए बन्दूककी गोळिया खाईं” ! हा, जो खबरे मिली हैं वे यदि सच मानो जाय तो दो आसामी स्वयं सेवकोंको कोड़े लगाये गये हैं। लाहोरके स्वयं सेवकोंने उनपर किये गये मनमाने अत्याचारोंको बड़ी शातिके साथ सहन किया। यह लडाईं मजाक नहीं है। हम गत बारह महीनोंसे धरावर तैयारी कर रहे हैं और अन्ततक हमें इसी तरह नियमोंका पालन

करना होगा। वाचमें कहीं पीछे फिरनेका नाम तक न लेना चाहिए।

बड़े लाटकी कार्तें

(जून १६, १९२१)

बड़े लाट साहबने प० मदनमोहन मालवीयके नेतृत्वमें गये शिष्ट मण्डलको जो उत्तर दिया उसे पढ़कर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ। श्रीमान युवराजके भारत आगमनके सम्बन्धमें उन्होंने महासभा और खिलाफतकी मनोदशाको जिस विपरीत रूपमें और मुझे कहना होगा कि कुटिलता पूर्व पेश किया है उसकी मुझे जरा भी वाशा न थी। दोनों सस्थाओंमें आज तक उस सम्बन्धमें जितने प्रस्ताव पास हुए हैं तथा जितने वक्ताओंने भाषण किये हैं उन सबने इस बातपर अधिकसे अधिक जोर दिया है कि इसमें शाहजादेके प्रति दुर्भाव प्रगट करने या उनकी तोहीनी करनेकी कोई बात नहीं है। उनके स्वागतका वहिष्कार एक बिलकुल सिद्धान्तकी बात है और उसका उपयोग सिर्फ उसी बातके खिलाफ किया जा रहा है जिसे हम नौकरशाही की अन्धाधुन्ध तौरतरीका मानते हैं। मैं बराबर यह मानता आ रहा हूँ और अब भी मानता हूँ कि शाहजादा भारतमें इत्ती पारजसे घुलाया गया है कि वह इस सिविल सर्विस मण्डल

अर्थात् नौकरशाहोंके आधिपत्यको, जिसने हिन्दुस्तानको दख्खिना और राजनैतिक गुलामीकी हालतमें ला छोडा है, और भी मजबूत कर दे। यदि मेरा यह ख्याल है कि उनके इस आगमनका यही कुटिल हेतु है, गलत सावित हो जाय तो मैं बड़ी खुशीके साथ माफी माग लूंगा।

इसी तरह बडे लाट साहबका यह कहना भी एक दुर्भाग्यकी बात है कि शाहजादेके स्वागतके बहिष्कारका अर्थ है ब्रिटिश जनताकी तौहीनी करना। चाइसराय साहब नहीं जानते कि वे अपने देश भाई और भारतके ब्रिटिश शासकवर्ग दोनोंको एकमें शामिल करके ब्रिटिश जनताके साथ कितना घोर अन्याय कर रहे हैं। क्या वे सच चाहते हैं कि भारत अपना यह ख्याल बनावे कि यहांका ब्रिटिश शासकवर्ग ब्रिटिश जनताको प्रति मूर्ति है और जो आन्दोलन नौकरशाहोंके खिलाफ किया जाता है, और यदि बडे लाट साहबका यही अभिप्राय है और यदि नौकरशाहोंके तौरतरीकाके खिलाफ कोई अक्सर आन्दोलन उठाना उसका सच्चा रंग रूप ज्योंका त्यों प्रगट करना ब्रिटिश जनताकी तौहीनी करना है तो मुझे डर है कि मुझे अपनेको अपराधी मानना होगा। परन्तु उस अवस्थामें, मुझे अपनी पूरा नम्रताके साथ यह कहना होगा कि बडे लाट साहबने भारतमें होने वाली इस महान जागृत्तिको बिलकुल उलट्टी आँखोंसे देखा और उलट्टी तरह समझा है।

“मैं सैकड़ो हजारों बार इस बातको दोहराता हूँ कि यह

आन्दोलन किसी भी देश या किसी भी मनुष्य समूहके खिलाफ नहीं उठाया गया है जिसके द्वारा आज भारतीय सरकारका परिचालन हो रहा है और यह मैं प्रतिज्ञा पूर्ण कहना हूँ कि किसी भी तरहकी धमकीसे अथवा धमकीके साधनोंके अमल-दरामदसे, फिर वह चाहे घाइसराय साहबके तरफसे हो चाहे किसी व्यक्ति समूहकी तरफसे हो, इस आन्दोलनका गला नहीं छुट सकता और इस जागृतिकी ज्योति नहीं बुझ सकती।

मैंने लार्ड रोनाल्डसेके भाषणके उत्तरमें कहा है कि हमने न तो आक्रमण शुरूही नहीं किया है, हम अपनी किम् हलचलको बन्द करे। दरअसल तो सरकारको अपनी उग्र और आक्रामक हलचलको बन्द करना चाहिये जो हिंसकांडके खिलाफ नहीं धार्मिक वाकानून, नियम बद्ध, कठोर परन्तु पूरी तरह 'शान्तिमय' आन्दोलनके खिलाफ उठाई गई है। शान्तिमय परिस्थिति तो केवल और एकमात्र सरकारको ही यदि वह चाहिनी है तो पैदा करना चाहिये। उसने अपनी कृतियोंसे बनाई हुई बारूदमें आग बरसाई। परन्तु लौंर या धुआ तक नहीं उठा। अब वह हैरान है कि अरे यह बारूद भी नहीं भस्मक उठती। वर्तमान पक्ष अब यह नहीं है कि पञ्जाब, खिलाफत और खराज्यकी मागकी गलतियां दुर्बुस्त की जाय, बल्कि इस समय तो जो सवाल दृग्पेश हैं वह मार्चजनिक सभायें करनेका अधिकार और शान्तिमय हेतुसे सम्भाओंके सङ्गठन करनेका अधिकार है। और इस अधिकारकी रक्षाके लिये हम केवल

असहयोगियोंकी तरफसे लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बल्कि ठेठ किसानसे लेकर राजातक सारे भारतके लिये और हर तरहके राजनैतिक दलवालोंके लिये हम यह सग्राम ठान रहे हैं। किसी भी सजीव पदार्थकी वृद्धिकी यह शर्त है। लेकिन चाइसरायके उद्गारोंमें इसके विपरीत सिद्धान्तोंपर जोर दिया गया है, जिसको रचना पूर्वकालके एक स्वाधीनताके पक्षपातीने अपनेको ऐसी हालतमें पाकर की थी, जहा कानून और शान्तिके विषयमें बहुत घोडा आदर भाव था। मैं सिर्फ उन्हीं वे छेडे छाने हमलोंका जिक्र करता हू जो कहीं एक आध तगह नहीं, एक आदमीपर नहीं बल्कि सारे बङ्गाल, पञ्जाब और संयुक्त प्रान्तमें हो रहे हैं। मुझे इस बातमें शक नहीं है कि यदि यह दमन अपने इसी उन्मत्त रूपमें जारी रहा तो सारा दुषित देश भयके साम्राज्यसे कम्पित हो उठेगा।

परन्तु यदि यह चढाई सम्यतापूर्वक की जा रही हो अथवा असम्यतापूर्वक, जहांतर मैं सोच सकता हूँ मुझे तो असहयोगियोंके लिये नहीं मैं तो यह भी मानता हूँ कि सारे भारतके लिये, बस, एक ही मार्ग खुला है। इस सार्वजनिक सभाये करनेके अधिकारके विषयमें या सम्य समाज कायम करनेके विषयमें कभी सिर झुकाया ही नहीं जा सकता। हमने तो अपनी किस्ती दरियामें डाल दी है और जबतक मनुष्य जातिके इस प्रारम्भिक अधिकारकी रक्षा नहीं हो जाती तबतक हमें उसको आगे चलाते ही रहना होगा।

अब मैंने जरा खुद अपनी हालतको साफ तौरपर समझा मैं निपटारेके लिये बहुत उत्सुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्‌एड टेविल कान्फ़ेस हो। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारे पक्षको जानना चाहते हों वे हमारे हालतको साफ़ २ जान जाय। मैं कोई शर्तें नहीं लगाना चाहता। लेकिन जब किसी कान्फ़ेन्सके होनेके पहले मुझपर कोई शर्तें लगाई जाती है तब मुझे उन शर्तोंके जाचनेका मौका जरूर मिलना चाहिये और यदि ये शर्तें मुझे आत्मघातिनी दिखाई दें तो यदि मैं उन्हें मजूर न करूँ तो उसके लिये मुझे माफी मिलनी चाहिये। जो खिचाव पड गया है उसे मिटानेकी जिम्मेदार अकेलो सरकार ही है क्योंकि आक्रमण पहले उसीने किया है।

बड़े लाटकी उलझन

लार्ज रेडिङ्ग उलझनमें पड गये हैं और उनकी वृद्धि चक्करमें पड गई है। ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन और बङ्गाल नेशनल चेम्बर आफ कामर्सके अभिनन्दन पत्रोंका उत्तर देते हुये उस दिन बड़े लाट साहबने फरमाया कि "हा, जब मैं जनताके एक विशेष समुदायकी हलचल पर विचार करता हूँ तो मैं आज भी जब मैं यहा भारतमें आया हूँ तबसे धराधर उसका मनन करते रहनेपर भी उलझनमें

पड जाना ह । मेरी बुद्धि चकरा जाती है । मैं अपने मत्तमें कहता ह कि यों सरकारको चुनौती देनेके उद्देश्यसे तथा उसे गिरफ्तारीसे मजबूर करनेके लिये प्रत्यक्षत कानून भङ्ग करनेसे आखिर हाथ धया आवेगा ।” इसका आशिक उत्तर तो पं० मोतीलाल नेहरूने अपनी गिरफ्तारीके बाद यह उद्गार प्रगट करके दे दिया है कि “मैं स्वतन्त्रताके मन्दिरमें जा रहा हूँ ।” हम गिरफ्तारी इसलिये चाहते हैं कि यह नाममात्रकी आजादी वास्तवमें गुलामी ही हैं । हम इस सरकारकी सत्ताको इसलिये चुनौती देते हैं कि हम उसकी शासन प्रणालीको विलकुल बुरी मानते हैं । हम इस सरकारको नष्ट कर देना चाहते हैं । हम उसे लोकमतके आगे झुकनेपर मजबूर कर देना चाहते हैं । हम यह टिखाना चाहते हैं कि सरकारका अस्तित्व प्रजाकी सेवाके लिये होता है प्रजा सरकारकी सेवाके लिये नहीं है । इस सरकारके राज्यमें स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करना असह्य हो गया है क्योंकि इस आजादीके लिये हमें जो कीमत अर्दा करनी पडती है वह बहुत ही जियादह है सो भी इस तरहके लोगोंको उसकी कल्पना तक नहीं हो सकती । हम चाहे अकेले हो चाहे हमारे साथ बहुतेरे लोग हो हम अपने आत्मसम्मान और अपने निश्चित सिद्धान्तोको बेच कर आजादी नहीं खरीद सकते । मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी जब उनके निश्चित उद्देश्यको भंग करनेका प्रयत्न किया जाता है अपने

यहापर भड गये हैं, जरा भी नहीं भुके, फिर उनके मा बापकी दृष्टिमें यह बात चाहे कितनी ही हल्की क्यों न हो ।

लार्ड रेडिङ्गको यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिये कि असहयोगा लोग सरकारके साथ स ग्राम कर रहे है । और जिस दर्जेतक सरकारने मुसलमानोंके साथ विश्वासघात किया है, पञ्जाबकी वेइज्जती की है और जो लोगोंको अपनी इच्छाके अनुसार चलानेका दुराग्रह कर रही है और अपने किये विश्वासघातका सुधार करने तथा पञ्जाबके अत्याचारोंका प्रायश्चित्त करनेसे मुट मोड रही है, उस दर्जेतक हमने उसके खिलाफ बलवा शुरू किया है ।

लोगोंके लिये दो मार्ग खुले थे एक तो सशस्त्र बलवा और दूसरा शातिमय बगावत । इनमेंसे असहयोगियोंने—कुछ लोगोंने अपनी कमजोरीके कारण शाति मार्ग अर्थात् स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहन पसन्द किया है ।

यह देश इन कष्ट सहन करनेवाले वीरोंके साथ होगा तो सरकारको या तो भुक जाने या मटियामेट हो जानेके सिवा दूसरी गति नहीं । यदि लोगोंने उसका साथ न दिया तो उन्हें कमसे कम इस बातका सन्तोष होगा कि हमने अपनी आजादी धँच नहीं डाली । सशस्त्र युद्धमें आम तौरपर विजय ही अधिक खून खराबी करता है । परन्तु शाति और कष्ट सहन शीघ्र लोकमत तैयार करनेका सबसे सुगम उपाय है और इसलिये इसके द्वारा प्राप्ति की हुई विजय सत्यके खातिर

जय कहलाती है। लार्ड रेडिङ्गकी जिन्दगी अदालतोंके आयुमण्डलमें गुजरी है। अतएव उन्हें सत्ताके शांति पूर्वक तिकारकी कदर करना कठिन मालूम हो गया है। परन्तु वह यह शुद्ध समाप्त हो जायगा तब बड़े लाट साहब इस बातको जाने गे कि इन अदालतोंसे भी बढ़कर कोई न्यायालय और वह है अन्तरात्माकी अदालत। वह दूसरी तमाम अदालतोंसे श्रेष्ठ है।

लार्ड रेडिङ्ग चाहें तो इन तमाम कष्ट सहन करनेवाले लोगोंको, अपने हिताहितका कुछ भी ख्याल न रखनेवालोंको पागल बना सकते हैं। इसलिये उन्हें उन लोगोंको “हानि मार्ग” से हटा देनेका भी अधिकार है। यह व्यवस्था पागलोंके लिये तो बिलकुल ठीक है और यदि सरकारके भी अनुकूल पडती तो फिर तो यह आदर्श अवस्था ही है। हा, यदि असहयोगी लोग खुद ही जेल जानेकी स्थिति प्राप्त करनेपर उसके लिये ताक भौंह चढाते हों, या मुंह फुलाते हों अथवा जैसा कि थालाजीने कहा है— ‘सरकारसे दया और कृपाकी भिक्षा’ मागते हों, तो अल्पत्ते वायसरायको शिकायतका मौका है। असहयोगीका बल तो इसी बातमें है कि बिना किसी तरहकी शिकायत किये जेल चला जाय। यदि खुद ही जेलका आह्वान करके उसका पारितोषिक पाते ही वह कुडकुडाने लगे तो अपनी चाजो हार जाय।

बड़े लाटने जो धमकी दी है वह अनुचित है। यह युद्ध तो

आखिरी फैसला हुए बिना रुक हो नहीं सकता। यह लडाई पशुबलके राज्य और लोकमतके बीच है और जो लोग लोकमतकी ओरसे लड रहे हैं वह पशुबलके सामने छाती खोलकर लडे रहनेका निश्चय कर चुके हैं। वे अपने मतोंको छोड देनेके लिये हरगिज तैयार नहीं हैं।

आगे गोलियोंकी बौछार



“के” नामधारी एक सज्जनने ‘यग इंडिया’ में “आगे क्या ?” नामके एक लेखमें अमृतसर, भासाम, बुलन्दशहर, काशी आदि स्थानोंमें नौकरशाहीके द्वारा होनेवाले एक नये ही पाशविक और लोमहर्षण दमनका हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। हा, यह सम्भव है कि उन घटनाओंके वर्णनमें कुछ अत्युक्तिसे काम लिया गया हो, परन्तु असहयोगियोंकी तरफसे आजतक जितनी रिपोर्ट आई है वे इतनी ठीक ठीक साबित हुई हैं और उनकी अस्वीकृति इतनी झूठ, कि मैं “के” के द्वारा सुचित्र वर्णनमें कुछ कमीवैशी नहीं कर सकता। “के” ने उन अत्याचारोंका वर्णन मेरे पास आये हुए सजादपनों तथा अपराधोंके आधार पर किया है।

पुलिसमें तो ज्यादातर हमारेही देशमाई हैं, परन्तु यह सिद्ध है कि वे अपने आला अफसरोंकी हरकतोंको देप देपकर बेकानूनी कामोंके करने पर आमादा हो जाते हैं। जब कि हुल्लड

धाज लोग निरकुश हो जाते हैं तब उसके सिवा कोई अच्छी बात उनके दिमागमें ही नहीं आती। पर जब पुलिस निरकुश हो जाती है तब वह जो कुछ करती है सोच-समझ कर करती है और इसलिए उसका काम अक्षम्य होता है। हुल्लडवाजोंके पागलपनकी तो दवा हो सकती है पर पुलिसकी सनक तो विचारे बेखबर लोगोंके लिए तयाहीका हो सामान हो जाती है। इतने बरसोंसे तो हम इसके कष्टोंसे कराहते आरहे थे। पर अब ईश्वरको धन्यवाद है, कि आज भारतवर्ष सरकारकी सुव्यवस्थित उन्मत्तताका मुकाबला करनेके लिए तैयार है।

‘डराने और धमकाने वाले’ कहे जाने वाले लोगोंपर जो कहने भरके ‘मामूल कानूनों’ का व्यवहार किया जाता है उसके ऊपरका परदा हमें हटा देना चाहिये। इससे तो सीधा फौजी कानून ही अच्छा। हमें उसको निमन्त्रण देना और उसका स्वागत करना चाहिये। ओडायरशाही और डायरशाहीका बचाव चाहे किसी तरह न किया जा सके, पर वह आदर्श है प्रामाणिक। परन्तु आज जो कुछ भारत वर्षमें दिखाई दे रहा है वह तो अवर्णनीय पाखण्डके सिवा और कुछ नहीं।

यदि यह सच है कि कुर्कोंके घहाने पुलिस काशीमें हमारे घरोंके अन्दर घुस गई है और घरके दूसरे लोगोंके भी गहने पत्ते उठा ले गई, यदि यह सच है कि बुलन्दरशहरमें शान्तिकी रक्षाके नामसे लोगोंके घरोंमें घुसकर उन्होंने उनपर हमला किया है, यदि यह सत्य है कि कुर्कोंके लिए उन्होंने मुजरिमोंके कपडे लत्ते

तक छीन कर उन्हें प्रायः नगा कर दिया, तो अब हमारे लिए भयङ्करसे भयकर और उग्रसे उग्र रूपके आक्रामक सविनय, परन्तु साथ ही शान्तिमय, कानून भंगका समय आ पहुँचा है। हम उस दिन तक के लिए जबकि निराह और निहत्थे लोगों पर गोलियाँ झाड़ी जायँ, इन्तजार नहीं कर सकते और महज बचावकी स्थितिमें रहते हुए लोगोंके धैर्य पर अनुचित भार नहीं डाल सकते तथा सरकारके हस्तकोंका हमारे घरोंमें लूटमार नहीं करने दे सकते। हमें अब गोलियाँ झेलनेके लिये और साँझा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार हो जाना चाहिये। हम लोग जो कि प्रधान कार्यकर्ता हैं, निरपराध लागोपर होनेवाले इन सताप क्राधकारक दण्ड योग्य हमलोंका निष्काम शान्तिके साथ नहीं देख सकते, यद्यपि ये लोग स्वयं लेनक हैं और उन्होंने कष्टोंका खुद ब खुद अंगीकार किया है।

एक यूरोपियन 'युवक' (क्या युरोपियन युवकोंको हथियार दिये गये हैं ?) के द्वारा एक मुसलमान युवकको गोलीसे मार दिया जाना इस बातके लिये कि वह खादी टोपी पहने था या चेंचता था, (जैसी स्थिति रही हो) एक ऐसी घटना है जिसपर चुप नहीं रहा जा सकता। इस अत्याचारका बदला यदि आवश्यक हो तो हमें जरूर चुकाना चाहिये। पर किस तरह ? स्वयं अपने सिरपर गोलियाँ खाकर !

सरकार हमको या तो मारकाटके लिये या घृणायोग्य

आत्मसमर्पणके लिये उत्तेजित करना चाहती हैं। परन्तु हमें दोमेंसे एक भी काम न करना चाहिए। हमें इस ढंगका सविनय कानून भंग शुरू करना चाहिये जिससे सरकारको गोलियां चलाने पर मजबूर होना पड़े।

सरकार प्रजाजनोंके बीच युद्ध छिडाना चाहती हैं। हमें उसके जालमें फंसकर उसके हाथके खिलौने न हो जाना चाहिये। आन्तरिक संग्रामके लिये सरकारको अपने पक्षका बल बढ़ानेकी बल्लम छुल्ला तैयारीका नमूना लीजिये। अलीगढ़के मजिस्ट्रेटने अलीगढ़ जिलेके रईसोंके नाम नीचे लिखा हुक्मनामा भेजा है—

“आप लोग इस बातको अच्छी तरह जानते ही हैं कि स्थानिक सरकारने घोषणा की है कि खिलाफत और महासभाके स्वयंसेवक बल गैरकानून हैं और उनके दमनके लिये हुक्म भी जारी हुए हैं। अलीगढ़में ये लोग बहुत धाधली मचा रहे हैं और किसी दिन शायद हाथरसमें भी ऊध्रम मचावे, यानी दुकानोंपर पहरा रखें, लोगोंको डरावे वमकावे और लोगोंको तथा सरकारको नुकसान पहुंचावे और दिक करे।

“मेरे मातहत पुलिसकी तादाद थोड़ी है। और इस तरह के मामलेमें जबतक कि उसके जरिये दर असल शान्ति भंग न हो या दंगा फसाद न हो, फौजको मददके लिये बुलाना मेरे मतके बहुत विरुद्ध है।

“इसलिये मैं अपने जिलेके कितने हो बडे बडे रईसों तथा दूसरे सज्जनोंसे लिखा पढी कर रहा हू कि यदि यह झगडा

तना फैला कि पुलिस उसे न संभाल सके, वह तग आजाय और दिक हो जाय तो आप लोग मुझे सहायता दे । यदि आप न मामलेमें मुझे मदद देनेके लिये तैयार हों तो मैं आपसे कहता हू कि आप कृपा करके अपने पास ५० हट्टे कट्टे आदमी और आसामी चुनकर तैयार रखें और जब मैं आपको खबर करू तब आप उन्हें मेरे पास भेज दे और वे बतौर स्पेशल पुलिसके भरती हो जाय' ।

“फिलहाल तो इतना ही जरूरी है कि आदमी चुन भर लिये जाय और उनके नाम, गाव आदिकी एक फर्द तैयार कर ली जाय जिससे जब वे बुलाये जायं तो फौरन जमा किये जा सकें ।

“आशा है आप समयपर ही इसका उत्तर दीजियेगा ।”

(सही) जे० सी० स्मिथ

हमें इस फन्देसे बचना चाहिये । खईस लोग भासेमें आ जायं तो उन्हें आने दीजिये । उनका जो जी चाहे सो करे । हम तो ऐसे ढङ्गका सविनय कानून भंग करे जिससे हमारे ही भाई विरादरोंकी मुठभेडका मौका न आवे । फिर वे हमारे देश भाई चाहे 'सिविल गार्ड' के रूपमें हों, चाहे अब भी मामूली गृहस्यकी हेसियतमें हो । यदि अटल साहससे काम लिया गया और पूर्ण शान्ति रखी गई तो एक महीनेके अन्दर इस युद्धमें विजय प्राप्त हो सकती है । ईश्वर भारतको शान और साहस प्रदान करे

मैंने तो ख्याल किया था कि मृत्युका मुकाबला करनेकी प्रतिशा अभी दूरकी बात है। पर मालूम होता है कि ईश्वर चाहता है, हमारी पूरी और अच्छी तरह परीक्षा ले ली जाय उसीके भरोसे इस युद्धका श्रीगणेश हुआ है। वही हमें उससे पार होनेका बल देगा।

मालवीय परिषद्

(जनवरी, १९१२)

बम्बईमें श्री मालवीयजी आदिने जिस मध्यस्थ परिषद्का आयोजन किया था वह हो गई। उसमें सफलता हुई भी और नहीं भी हुई। जहातक उसका सम्बन्ध उपस्थित सज्जनोकी इस अभिलाषासे था कि इस वर्तमान भगडेका निपटारा शान्तिसे साथ किया जाय, तथा जहातक उसके द्वारा परस्पर भिन्नमत रखनेवाले लोग एक ही छत्रच्छायामे लाये जा सकें तहातक तो उसके काममें सफलता हुई है। परन्तु यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव तो पौकृत हुए तथापि वह मेरे चित्तपर यह अङ्कित न कर सकी कि जो लोग यहा एकत्र हुए हैं वे समष्टिरूपसे वास्तविक प्रश्नकी गम्भीरता और गुस्ताको अनुभव करते हैं। इस दृष्टिसे यह अन्फल हुई। भाषण स्वातन्त्र्य तथा मुद्रण स्वातन्त्र्यके हकों पर जोर देनेकी अपेक्षा, जो कि प्रजाके अधिकार हैं और

जो कि सर्वपक्षीय परिपद्से भी अधिक हैं, परिपद्का चित्तसर्व-पक्षीय परिपद्की आयोजनाकी ही ओर अधिक खिचता हुआ दिखाई दिया। जो लोग निष्पक्ष हैं उनसे मैंने यह अपेक्षा की थी कि वे अपना यह मत दृढताके साथ प्रगट करेंगे कि असहयोगकी कार्य विधिके सम्बन्धमें हमारा चाहे कितना ही मतभेद क्यों न हो, प्रजाकी स्वतन्त्रता तो हम सबकी एकसी बपौती है और इस स्वत्वकी कायमी स्वराज्यके तीन चौथाईके बराबर है और इसलिये यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम कानूनका सविनय अनादर करके भी उसकी रक्षा करना चाहेंगे।

परन्तु सर्वपक्षीय परिपद्को छोड़कर इस विषयपर परिपद्का ध्यान आकर्षित न किया जा सका, अतएव इसी बातपर वादविवाद हुआ कि ऐसी परिपद्की आयोजनाके लिये कौन सी बातें परम आवश्यक हैं।

स्वयं मेरी स्थिति तो स्पष्ट थी। एक व्यक्तिकी हैसियतसे बिना किसी शर्तके मैं किसी भी परिपद्में जा सकता हूँ मैं तो सुधारक हूँ, और सुधारककी हैसियतसे मेरा यह हेतु ही है कि जो लोग मेरा कथन सुननेके लिये तैयार हों उनके पास मैं जाऊँ और जिन विचारोंको मैं ठाक समझता हूँ उनका कायल उन्हें भी करूँ पर जब मुझसे यह कहा गया कि सर्वपक्षीय परिपद् तभी सफल हो सकती है जब देशका वायुमण्डल उसके अनुकूल हो, अतएव ऐसी अनुकूलताके लिये जिन जिन शर्तोंकी आवश्यकता है वे पेश कीजिये। तब मुझे कुछ शर्तें लिखानी

मैंने तो ख्याल किया था कि मृत्युका मुकाबला करनेकी प्रतिज्ञा अभी दूरकी बात है। पर मालूम होता है कि ईश्वर चाहता है, हमारी पूरी और अच्छी तरह परीक्षा ले ली जाय। उसीके भरोसे इस युद्धका श्रीगणेश हुआ है। वही हमें उस मेसे पार होनेका बल देगा।

मालवीय परिषद्

(जनवरी, १९१६)

बम्बईमें श्री मालवीयजी आदिने जिस मध्यस्थ परिषद्का आयोजन किया था वह हो गई। उसमें सफलता हुई भी और नहीं भी हुई। जहातक उसका सम्बन्ध उपस्थित सज्जनोंकी इस अभिलाषासे था कि इस वर्तमान झगड़ेका निपटारा शान्तिके साथ किया जाय, तथा जहातक उसके द्वारा परस्पर मित्रमत रखनेवाले लोग एक ही छत्रच्छायामें लाये जा सकें तहातक तो उसके काममें सफलता हुई है। परन्तु यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव तो सौकृत हुए तथापि वह मेरे चित्तपर यह अङ्कित न कर सकी कि जो लोग यहाँ एकत्र हुए हैं वे समष्टिरूपसे वास्तविक प्रश्नकी गम्भीरता और गुह्यताको अनुभव करते हैं। इस दृष्टिसे यह असफल हुई। भाषण स्वातन्त्र्य तथा मुद्रण स्वातन्त्र्यके हकों पर जोर देनेकी अपेक्षा, जो कि प्रजाके अधिकार हैं और

किया कि सरकारके लिए ऐसी अनियन्त्रित सिफारिशोंको मञ्जूर करना कठिन होगा। तब मैं पञ्चायत सिद्धान्तपर राजी हो गया जैसा कि उन प्रस्तावमें प्रयत्न किया गया है। दूसरा सम्झौता हुआ है पहरा रखनेके सम्बन्धमें। मेरा कहना यह था कि यदि सर्वपक्षीय परिपट्टके होनेका निश्चय हो तो विरोधक दड़की जितनी असहयोगकी हलचल है वह सब बन्द रखी जाय तथा जिस शांतिमय पहरेका सद्दहेतु सिद्ध है उसको छोड़कर सब तरहका पहरा रखना भी मुल्तायी कर दिया जाय। पर कतक ? जतक परिपट्टका फल न प्रगट हो। परन्तु विरोधक हलचलोंकी जटिलता मुझे इतनी भय कर मालूम हुई कि यह बात शायद ही मञ्जूर होती। अतएव मैंने खुद अपनी ही तजवीज घापस ले ली और सद्दहेतु पूर्ण शांति मय पहरा रखनेकी बात भी छोड़ दी। यद्यपि ऐसा करते हुए मुझे बहुत अफसोस हुआ। पर मैंने मनमें कहा कि शराबखोरीको मिटानेके उद्देश्यसे जो सज्जन शराबकी दूकानोंके पहरेके काममें लगे हुए हैं वे इस थोड़े दिनकी कार्य हानिपर ध्यान न देंगे।

मैंने यह बात भी मञ्जूर कर ली है कि मैं महासभाकी कार्यसमितिको यह सलाह दूंगा कि महासभाके द्वारा स्वोक्त सामान्य सामुदायिक सन्निवय कानून भद्र ३१ जनवरीतक स्थगित कर दिया जाय जिससे समिति और परिपट्ट सरकारके साथ सुलहकी बातचीत कर सके। अपने उद्देश्यकी सच्चाई

पडीं। और मैं मंजूर करता हूँ कि प्रस्ताव समितिने मेरी बातोंको अधिकसे अधिक सहानुभूतिके साथ सुना और समझा तथा मुझे शामिल करनेकी हर तरहकी चेष्टा की। परन्तु इसके साथ ही मैंने देखा कि उसने सरकारकी कठिनाइयोंपर भी खूब ध्यान दिया। उसकी यह प्रवृत्ति स्तुत्य ही थी। यदि परिपदमें सरकारकी ओरसे भेजे गये राजप्रतिनिधि उपस्थित होते तो इसमें कोई शक नहीं कि उस अवस्थामे सरकारके पक्षकी बातें इससे अधिक अच्छी तरह नहीं पेश की जा सकती थीं।

इसका फल हुआ समझौता। सरकारका नये हुकमोंको वापस ले लेना और उनके अनुसार जिन जिन लोगोंको सजायें दी गई हैं उनको तथा फतवा केंद्रियोंको अर्थात् अली भाईयों तथा दूसरे सज्जनोंको जिन्हें फौजो नौकरी सम्बन्धी फतवेके मामलेमें सजा दी गई है, छोड़ देना, तो हम दोनोंको मंजूर था। परन्तु समितिसे यह भी कहा गया था कि कुर्कोंके चारट मन्सूख कर दिये जाय, जो जुर्माना लोगोंसे वसूल कर लिया गया है वह लौटा दिया जाय तथा मामूली कानूनकी ओटमें जिन लोगोंको अहिंसात्मक तथा दूसरे सीधे साधे काम करनेके कारण सजायें दी गई हैं वे भी, उनके कार्योंके अहिंसात्मक होनेके प्रमाण मिलनेपर छोड़ दिये जाय। समितिने देखा कि इस सूचनामें भी सार है। इसके लिये मैंने यह सूचना पेश की कि यह परिपद एक समिति नियुक्त कर दे और वह समिति इनका फैसला करे। परन्तु प्रस्ताव समितिने यह प्रगट

न फटकने देना चाहिये । जब शक्तिके साथ समय और शिष्ट-ताका योग हो जाता है तब उसके प्रभावको कोई नहीं रोक सकता । सविनय कानून भङ्ग तो हमारा अनिवार्य स्वत्व है । अतएव उसको तैयारी तो सर्वपक्षीय परिपट्टके होते रहनेपर भी जारी ही रहेगी और सविनय कानून भङ्गकी तैयारीमें इतनी बातें शामिल हैं—

१ स्वयंसेवकोंके नाम दर्ज करना,

२ स्वदेशी प्रचार करना,

३ छुआछूतको दूर करना,

४ शत्रु, कृति और विचार तकमें अहिंसाका पालन करनेकी तालीम देना और

५ भिन्न भिन्न जातियों और सम्प्रदायोंमें एकता स्थापित करना ।

मुझे मालूम हुआ है कि भारतके विभिन्न भागोंमें ऐसे भी कितने ही लोग स्वयंसेवक सेनामें भर्ती कर लिये गये हैं जो न तो खादीही पहिनते हैं और न पूर्ण 'अहिंसा' के ही कायल हैं अथवा यदि वे हिन्दू हैं तो यह नहीं मानते हैं कि छुआछूतका कायल न होना मनुष्य जातिका अपराध करना है । मैं बार बार यह बात लोगोंको कहातक समझाऊ कि अपने ही बनाये नियतोंका पालन न करना अपना प्रगतिकी गाडीको पीछे धिक्केलना है । परमेश्वर हमारे कार्य उत्कृष्टतासे खुश होगा उसकी मिकदारसे नहीं । जो लोग केवल जवानसे अपनेको मुसल-

विद्ध करनेके लिये मुझे यह परम आवश्यक मालूम हुआ। जयतक कि परिपट्की बातचीत जवाबदेह लोगोंद्वारा हो रही है तबतक हम कोई नया काम आक्रामक स्वरूपका शुरू नहीं कर सकते। मैंने कार्यसमितिको यह सलाह देना भी कुबूल कर लिया कि यदि सर्वपक्षीय परिपट् होगी तो जयतक वह होती रहेगी, तमाम हड़ताले बन्द रखी जायगी। इसे मैं अनिवार्य मानता हूँ। हड़ताले नौकरशाहीके प्रति अपना विरोध प्रगट करनेका साधन हैं। पर जब हम उसके साथ सुलह करनेपर राजी हैं तो हम हड़ताले जारी नहीं रख सकने कार्यकर्ता लोग इस बात पर ध्यान दें कि सामान्य सामुदायिक सविनय कानून भङ्गको छोड़कर अभीतक महासभाकी और कोई हलचल बन्द नहीं की गयी है। बल्कि इसके विपरीत, स्वयंसेवकके नाम दर्ज करना तथा स्वदेशी प्रचारको कार्य बराबर वैसाही जारी रहना चाहिये। जहा जहा पूर्ण शान्तिमय ढङ्गने काम किया जाता हो वहा शराबको दुकानोंपर पहरा जारी रखा जा सकता है। जहा जहा अकारणही पहरा रखनेकी मनाही कर दी गई है वहा वहा भी 'पहरा' अवश्यही जारी रहना चाहिये। इसी प्रकार पाठशालाओं और विदेशी कपडोंकी दुकानोंपर भी पहरा जारी रह सकता है। परन्तु एक ओर जहा हमारा कार्य उत्साहपूर्वक चलाया जाय वहाँ दूसरी ओर हमें अधिकसे अधिक 'संयमसे काम लेना' चाहिये और हिंसा तथा असभ्य या अशिष्टताको लेशमात्र भी हमारे पास

फिर वह चाहे अङ्गरेजो हा चाहे हिन्दुस्तानी, वापस ला जाय ।

(२) महासभाकी उप समितिको सम्मतिके अनुसार पूरा पूरा व्यवहार किया जाय और इसलिये सर मायकल ओडायर जनरल डायर तथा दूसरे अफसरोंकी, जिनकी बरखा-स्तर्गीकी राय समितिने दी है, पेन्शन बन्द कर दी जाय ।

(३) यदि पूर्वोक्त मागे मंजूर की जाती हों तो खराज्यने हमारा अभिप्राय है पूरा औपनिवेशिक खराज्य । इस खराज्यकी योजना उन प्रतिनिधियोंके द्वारा तैयार होनी चाहिये जो महासभाके संगठनके अनुसार निर्वाचन किये गये हों । इसका अर्थ है—चार आनेपर मत देनेका अधिकार । हर एक बालिग हिन्दुस्तानी, स्त्री हो या पुरुष, जो चार आने देता है ओर जिसने महासभाके ध्येयको स्वीकार किया है, मतदाता होनेका अधिकार रखता है । इन्हीं मतदाताओंके द्वारा खराज्य संगठनके लिये प्रतिनिधि चुने जायेंगे । इसको कार्यरूपमें परिणत करना होगा । ब्रिटिश पार्लिमेण्ट इसमें कुछ भी रद्दोबदल न कर सकेगी ।

इसपर टीका टिप्पणी करने वाले लोग पूछते हैं कि यदि महासभाका कार्यक्रम एसा पक्का और कठोर है, तो फिर परिपद्की आवश्यकता ही कहा रह जाती है ? पर मेरी रायमें आवश्यकता है और रहेगी ।

अब इस बातपर विचार करे कि इन मागोंकी पूर्ति कितनी सीतिसे की जाय । हो सकना है कि सरकारके पास इन

मान और हिन्दू कहते हैं उन्हें ईश्वरके दरबारमें स्थान नहीं मिल सकता। सच्चे और अच्छेसे अच्छे मुसलमानसे बढ़कर इस्लाममें और क्या शक्ति है? हजारों नाममात्रके हिन्दू-धर्मके अनुयायी, जो अपने विश्वास और श्रद्धाके अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं वे उसको कलङ्कित करते हैं। यदि हिन्दू धर्मका एक ही सच्चा और अनुयायी हो तो वह अकेला हमेशाके लिये और सारी दुनियाके मुकाबिलेमें उसकी रक्षाके लिये बस है। उसी प्रकार एक सच्चा और असहयोगी लाखों असहयोगी कहलानेवालोंकी अपेक्षा हमेशाही अच्छा है। सविनय कानून भङ्गकी, अच्छीसे अच्छी तैयारी है विनयशीलताको अर्थात् सत्य भक्ति और अहिंसा वृत्तिको स्वयं अपने तथा अपने सहवासियोंके अन्दर जाग्रत करना।

इस खयालसे कि 'महासभाकी मागे क्या क्या है' यह अच्छी तरहसे जानते हुए सब लोग सर्वपक्षीय परिपदमें शरीक हो सकें, मैंने अपनी तरफकी सब बातें साफ-पेश की और खिलाफत, पञ्जाब तथा स्वराज्य सम्वन्धी अपना दावा परिपदमें उपस्थित किया। उसे मैं यहा देता हूँ।

(१) जहांतक मैं अपनी याददाश्तके आधार पर लिख सकता हूँ, कुस्तुन्तुनिया, एड्रियानोपल, अनातोलिया तथा स्मर्ना और थ्रेस तुर्क लोगोंको वापस दे दिये जाय। अरब, मेसोपोटामिया, पैलेस्टाइन, और सीरियासे तमाम गैरमुस्लिम सत्ता हटा ली जाय और इसलिये इन प्रदेशोंसे तमाम ब्रिटिश सेना,

फिर वह चाहे अङ्गरेजो हा चाहे हिन्दुस्ताना, वापस ला जाय ।

(२) महासभाकी उप समितिको सम्मतिके अनुसार पूरा पूरा व्यवहार क्रिया जाय और इसलिये सर मायकल ओडायर जनरल डायर तथा दूसरे अफसरोंकी, जिनकी बरधा-स्तगीकी राय समितिने दी है, पेशान बन्द कर दी जाय ।

(३) यदि पूर्वोक्त मागे मंजूर की जाती हों तो स्वराज्यसे हमारा अभिप्राय है पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य । इस स्वराज्यकी योजना उन प्रतिनिधियोंके द्वारा तैयार होनी चाहिये जो महा-सभाके संगठनके अनुसार निर्वाचित किये गये हों । इसका अर्थ है—चार आनेपर मत देनेका अधिकार । हर एक वालिग हिन्दुस्तानी, स्त्री हो या पुरुष, जो चार आने देता है और जिसने महासभाके ध्येयको स्वीकार किया है, मतदाता होनेका अधिकार रखता है । इन्हीं मतदाताओंके द्वारा स्वराज्य संगठनके लिये प्रतिनिधि चुने जायगे । इसको धार्य्यरूपमें परिणत करना होगा । ब्रिटिश पार्लिमेण्ट इसमें कुछ भी रद्दोबदल न कर सकेगी ।

इसपर टीका टिप्पणी करने वाले लोग पूछते हैं कि यदि महासभाका कार्यक्रम ऐसा पक्का और कठोर है, तो फिर परि-यदकी आवश्यकता ही कहा रह जाती है ? पर मेरी रायमें आवश्यकता है और रहेगी ।

अब इस बातपर विचार करें कि इन मागोंकी पूर्ति किस रीतिसे की जाय । हो सकता है कि सरकारके पास इन मागोंके

लिये, युक्तिसंगत और विश्वसनीय उत्तर हो। महासभाने वह कमसे कम मांग की है, लेकिन कमसे कम मांग करनेका अर्थ यही है कि उसे अपने ध्येयके न्याय मूलक होनेमें, जितना विश्वास है उससे अधिक नहीं। इसका यह भी अर्थ है कि इसमें सौदा करनेकी गुंजायश नहीं है। अतएव इनमें किसीकी कमजोरी या असमर्थताकी दोहाई नहीं दी जा सकती। सिर्फ युक्ति और तर्कका ही सहारा लेना होगा। यदि वाइसराय परिपद्की आयोजना करते हों तो इसका मतलब यही है कि या तो वे इन दावोंके न्याय होनेके कायल हैं, या महासभाके लोगोंको तथा दूसरोंको उनकी अन्यायता सिद्ध करनेकी आशा करते हैं। इन दावोंको रद्द करने या कम करनेका जो विचार वे करे उनकी न्यायताके विषयमें तो उन्हें विश्वास होगा ही। यह अर्थ है मेरी उस परिपद्का जिसे मैं 'घरावरी वालोकी परिपद्' कहता हू। इसमें बल प्रयोगका कहीं नामों निशा तक न हो और ज्योंही एकको अपने पक्षमें अन्याय देख पड़े त्योंही वह उसको छोड़ दे। मैं श्रीमान् बड़े लाट साहबको तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्तिको यकीन दिलाता हूँ कि महासभाके लोग तथा असहयोगी दुनियाके या भारतके समझदार लोगोंकी तरह ही समझदार हैं, क्योंकि किसी भी मान्य बातको नामजूर कर देनेके फलस्वरूप जो कष्ट सहन करना पड़ेगा वह उन्हींका कर्त्तव्य होगा।

मैंने यह आपश्चके साध कहते हुए सुना है कि खिलाफतके

लिये तो साम्राज्य-सरकार कुछ नहीं कर सकती। यह बात तो उसको शक्तिसे बाहर है। मैं चाहता हूँ कि सरकार मुझे ऐसा विश्वास करा दे। अगर साम्राज्य-सरकार इस मामले को अपना ही काम समझ कर भारतके मुसलमानोंका साथ देनेको तैयार हो तो मुझे बड़ा सन्तोष होगा और मैं साम्राज्य सरकारकी हार्दिक सहायता लेकर दूसरी शक्तियोंको भी खिलाफतके दावेकी न्यायता जचानेका यत्न करूँगा और दावेकी न्यायताके स्वीकृत होनेपर भी उसको पूर्तिके विषयमें तो बहुत-कुछ विचार करना बाकी ही रहेगा।

उसी प्रकार पंजाबके विषयमें भी। सिद्धान्त मान लेने पर भी छोटी छोटी बातें तय करना बाकी रह गया है। बरखास्त किये गये मुलाजिमोंकी पेन्शन बन्द करनेके विषयमें भी तो बनेक कानूनी कठिनाइया पेश की गई हैं। पाठक शायद यह न जानते होंगे कि मौलाना शक्तिअलीको पेन्शन (मेरा ख्याल है कि उनको स्थिति भी वैसी ही थी जैसी कि सर माय कल ओडायरकी) तो बगैर किसी प्रकारको जाचके या बगर उनको पहले नोटिस दिये ही बन्द कर दी गई थी। मुझे विश्वास है कि सर्विस रेग्युलेशन्समें यह साफ साफ लिखा है कि किसी भी पदाधिकारीका नाम, फिर वह चाहे कितनी ही उच्च पदो न हो, यह पाये जाने पर कि उसने अपनी कर्तव्यकी ओर अवहेलना की है अथवा किसी प्रकारका राजद्रोही काम किया है पेन्शन सूचीमेंसे एक दम निकाल दिया जायगा।

भी तरह सरकार, इन अफसरोंकी पिछली सेवाओंकी तुर्हाईको छोड़कर पञ्जाबकी मार्गोंको ना मंजूर करनेके कारण तो सिद्ध करे । यदि यह भी मान लिया जाय कि भारतकी ओर साम्राज्यकी सेवा मित्र मित्र है तो भी उन्होंने भारतको जो हानि पहुँचाई है उसे देखकर मैं यह नहीं मान सकता कि उन्होंने साम्राज्यकी कुछ सेवा की है ।

स्वराज्य योजना भी निःसन्देह एक ऐसी बात है जिसपर कई प्रकारके मित्र मित्र मत होंगे । और यह तो मुख्यत एक ऐसी बात है जिसपर एक समामें विचार होना आवश्यक है । और वहा भी सबको अपने अपने विचार साफ साफ प्रगट कर देना चाहिये । किसीको कई व त अपने दिलमें न रख छोडना चाहिये । 'भारतको स्वतन्त्रता' यही एक सर्वोच्च हेतु सबके दिलमें होना चाहिये । ब्रिटिश जनताको चाहे इस तरफ ध्यान देनेकी फुरसत न हो, हाउस आफ कामन्स चाहे इस विषयमें उदासीन हो, हाउस आफ लार्ड्स चाहे विरोध भाव रखता हो, पर इससे इसमें कोई बाधा न होनी चाहिये । भारतका एक भी आदमी जो सच्चा देशभक्त है वह अपने विषयसे बाहरकी इन बातोंके झमेलेमें न पड़ेगा । उसका ध्यान तो सिर्फ एक ही मानपर रहेगा । यह तो सिर्फ यही सोचेगा कि क्या भारत जो उसके है ? या वह एक बालककी है जिसे पञ्जाना उसकी

शक्तिके बाहर है ? इस बातका निश्चय तो केवल भारतीय ही कर सकेंगे, बाहरी लोग नहीं ।

इस दृष्टिसे सोचनेपर पूरे खराज्यकी योजना तैयार करनेके लिये एक ऐसी सभा करनेके विचारको मैं अवश्यही अपरिपक्व मानता हूँ । भारत अपनी ऐसी शक्तिका परिचय अभी नहीं दे पाया है जिसका सामना करना प्रतिपक्षीकी शक्तिके बाहर हो । माना कि उसने भारत कष्ट सहिष्णुता दिखाई है, किन्तु अभी अपने ध्येयके गौरवकी दृष्टिसे उसे और भी कष्ट सहन करना बाकी है । अभी उसे और भी अधिक नियम बद्ध होनेकी आवश्यकता है । परन्तुके प्रस्तावोंसे असहयोगियोंसे अलग रखनेके लिये मुझे खास तौर पर ध्यान रखना पडा था, क्योंकि अभी हममें बहुत कमजोरियाँ हैं । जब भारतमें नियमबद्धताके साथ बलका संचार हो जायगा तब मैं खुद ही वाइसरायका दरवाजा छटखटाऊँगा और कहूँगा कि परिपद् कीजिये । और मुझे मालूम है कि वाइसराय, फिर वे चाहे कोई प्रसिद्ध कानून दा हों चाहे बड़े नामी फौजी पुरुष हों, प्रसन्नताके साथ उस अवसरको गले लगावे गे । मुझे हमारी कमजोरीका ज्ञान है, इसीलिये मैं सीधा उनके पास नहीं जाता हूँ । परन्तु मैं विनयशील हूँ, इसलिये मैं नरम अथवा दूसरे मित्रोंके द्वारा यह साफ बतला रहा हूँ कि मैं प्रामाणिक परिपद् या परामर्शके एक भी अवसरको हाथसे जाने देना नहीं चाहूँगा । और इसलिये मैंने असहयोगियोंको यह सलाह देनेमें आगा पीछा नहीं किया

भी तरह सरकार, इन अफसरोंकी पिछली सेवाओंकी दुहाईकी छोड़कर पञ्चावकी मागोंको ना मजूर करनेके कारण तो सिद्ध करे। यदि यह भी मान लिया जाय कि भारतकी ओर साम्राज्यकी सेवा मित्र मित्र है तो भी उन्होंने भारतको जो हानि पहुंचाई है उसे देखकर मैं यह नहीं मान सकता कि उन्होंने साम्राज्यकी कुछ सेवा की है।

स्वराज्य योजना भी नि सन्देह एक ऐसी बात है जिसपर कई प्रकारके मित्र मित्र मत होंगे। और यह तो मुख्यत एक ऐसी बात है जिसपर एक समामे विचार होना आवश्यक है। और वहा भी सबको अपने अपने विचार साफ साफ प्रगट कर देना चाहिये। किसीको कई घ त अपने दिलमें न रख छोड़ना चाहिये। 'भारतको स्वतन्त्रता' यही एक सर्वोच्च हेतु सबके दिलमें होना चाहिये। ब्रिटिश जनताको चाहे इस तरफ ध्यान देनेकी फुरसत न हो, हाउस आफ कामन्स चाहे इस विषयमें उदासीन हो, हाउस आफ लार्ड्स चाहे विरोध भाव रखता हो, पर इनसे इसमें कोई बाधा न होनी चाहिये। भारतका एक भी आदमी जो सच्चा देशभक्त है वह अपने विषयसे बाहरकी इन बातोंके झमेलेमें न पड़गा। उसका ध्यान तो सिर्फ एक हो रहेगा। वह तो सिर्फ यही सोचेगा कि क्या भारत जो है उसके लिये तैयार है? या वह एक बालककी ऐसी वस्तुको माग रहा है जिसे पचाना उसकी

शक्तिके बाहर है ? इस बातका निश्चय तो केवल भारतीय ही कर सकेंगे, बाहरी लोग नहीं ।

इस दृष्टिसे सोचनेपर पूरे स्वराज्यकी योजना तैयार करनेके लिये एक ऐसी समा करनेके विचारको मैं अवश्यही अपरिपक्व मानता हूँ । भारत अपनी ऐसी शक्तिका परिचय अभी नहीं दे पाया है जिसका सामना करना प्रतिपक्षीकी शक्तिके बाहर हो । माना कि उसने भारी कष्ट सहिष्णुता दिखाई है, किन्तु अभी अपने ध्येयके गौरवकी दृष्टिसे उसे और भी कष्ट सहन करना पानी है । अभी उसे और भी अधिक नियम बद्ध होनेकी आवश्यकता है । परंपरके प्रस्तावोंसे असहयोगियोंसे अलग रहनेके लिये मुझे घास तौर पर ध्यान रखना पडा था, क्योंकि अभी हममें बहुत कमजोरियाँ हैं । जब भारतमें नियमबद्धताके साथ एकलका संचार हो जायगा तब मैं खुद ही वाइसरायका दरवाजा बंदपटाऊंगा और कहूंगा कि परिपद् कीजिये । और मुझे मालूम है कि वाइसराय, फिर वे चाहे कोई प्रसिद्ध कानून दा हों चाहे बड़े नामी फौजी पुरुष हों, प्रसन्नताके साथ उस अवसरको गले लगावेगे । मुझे हमारी कमजोरीका ज्ञान है, इसीलिये मैं सीधे उनके पास नहीं जाता हूँ । परन्तु मुझे मैं विनयशील हूँ, इसलिये मैं नरम अथवा दूसरे मित्रोंके द्वारा यह साफ बतला रहा हूँ कि मैं प्रामाणिक परिपद् या परामर्षके एक भी अवसरको हाथसे जाने देना नहीं चाहूंगा । और इसलिये मैंने असहयोगियोंको यह सलाह देनेमें आगा पीछा नहीं किया

कि निष्पक्ष दलके भाइयोंकी समामें हमें सधन्यवाद जाना चाहिये और जिस तरह वे उचित बतावे उस तरह अपनेसे जो कुछ बन पड़े वहा सेवा करना चाहिये। और यदि घाइसराय और कोई दूसरे लोग कोई परिषद् करना चाहें तो उसमें जानेसे इनकार करना असहयोगियोंके लिये बेवकूफीकी बात होगी। असहयोगियोंके पक्षकी सफलता लोकमतकी सहायतापर अवलम्बित है। दूसरा कोई बल उनकी सहायताके लिये नहीं है। यदि वे लोकमतसे हाथ धो बैठे तो कहना होगा कि उन्होंने कमसे कम आज तो ईश्वरीय सहायतासे अपनेको वचित कर लिया है।

इस विषयमें कि स्वराज्य योजना किस तरहसे तैयार की जाय, मैंने सिर्फ वही उपाय सुझाये हैं जो मुझे बहुत ही व्यवहार्य मालूम हुए हैं। न तो महासमितिके और न कार्य समितिके ही उनपर विचार किया है। महासभाके मताधिकारको ग्रहण कर लेनेकी सूचना भी मेरी ही है। परन्तु इसमें मैंने जिस मूलभूत सिद्धान्तका आश्रय लिया है वह वास्तवमें ऐसा है जिस पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। स्वराज्य योजना तो वही हो सकती है जो लोकप्रतिनिधियोंके द्वारा तैयार हुई हो। तब शासन-शास्त्रके उन विशेषज्ञों तथा दूसरे लोगोंके विषयमें क्या करना चाहिये, जो लोगोंके द्वारा न निर्वाचन हो सकें? मेरी रायमें तो वे भी उसमें शामिल हों और उन्हें मत देनेका भी अधिकार रहे। पर उनकी संख्या थोड़ी हो। वे अपनी युक्ति-

नगत बातों और सूचनाओंके द्वारा सभाको लाम पहुंचावे, और बहुमत पर अपना असर डालें। यदि सर्व पक्षीय परिषद्में परस्पर विश्वास और आदरसे काम लिया गया तो उसके द्वारा सन्तोष-जनक और सम्मान योग्य सन्धि हुए बिना न रहेंगे।

— ० —

फौजी कानूनका बाबा

(जनवरी १६, १९२२)

जबतक यह जङ्गली दमन जारी है तबतक मुझे उसकी विश्वसनीय कहानिया पाठकोंको सुनानी ही होंगी। हा, जब भारतवर्ष अपने सर्वोपरि बलिदानके द्वारा उसकी 'इति श्री' कर डालेगा, तब यह क्रम अपने आप बन्द हो जायगा। मैं इस दमनको 'जङ्गली' इसलिए कहता हूँ, कि इसमें धुद्धिसे काम नहीं लिया जाता है, खून मनमानो को जाती है, इसमें असभ्यता और निर्दयता भरी हुई है। अच्छा, मान लीजिए कि कुछ असहयोगियोंने हडतालके मौकेपर अथवा दूसरे कामोंमें लोगोंको डराया धमकाया और हिसाकाण्ड भी मचाया, तो क्या अपराधियोंका पता लगाना और उनको सजा देना कोई कठिन बात है? यदि सरकारको गवाह लोग न मिलते हों तो क्या इससे यह नहीं मालूम होता कि तमाम जनता ऐसे डराने और धमकानेकी मददपर है? कोई काम कितना ही

दूषण योग्य धर्मों न हो, जब सारा राष्ट्र उसे करने लगता है तब वह अपराध नहीं रह जाता और उस देशके कानूनके अनुसार उसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अतएव वह दमन जो कि एक जवाबदेह सरकारके द्वारा किया जा रहा है, हरगिज लोकप्रिय काम नहीं हो सकता और न वह 'लोगोंकी रक्षाके लिए किया गया काम' ही हो सकता है। परन्तु आज यहां तो दमन इसलिए किया जा रहा है कि लोगोंका बढ़ता हुआ आन्दोलन ही दबा दिया जाय। वह आन्दोलन जो कि इस सरकारके कृष्ण-कृत्योंके खिलाफ फिडा किया गया है। और इसलिए यह दमन तो दुगुना अक्षम्य है।

अन्तु, परन्तु इस लेखका हेतु यह नहीं है कि इस दमनका समर्थनीय स्वरूप लोगोंको दिखाया जाय, बल्कि यह दिखाना है कि यह कितना पाशविक पाप है, किस तरह फौजी कानूनसे भी बढ़तर है।

इसके मुकाबलेमें पञ्जाबका फौजी कानून तो एक तरहसे दमनका एक सम्भ्यतापूर्ण साधन था। उसका नाम चूकि मार्शल ला था इससे उसके बढ़ते-कमसे कम लोगोंका दिल धर्र तो उठता था। परन्तु अब मामूली कानूनकी छत्रच्छायाके नीचे, परन्तु वास्तवमें बिना किसी कानून कायदेके, जो जो काम हो रहे हैं, उनको अधाधुन्य गतिको तो कोई रोकने ही वाला नहीं है। भला फौजी कानूनमें कुछ तो सम्भ्यताका

खान है, पर इस मुत्को बेआईनीमें तो इसका भी कहीं ठिखाना नहीं है।

फरीदपुरके जेलखानोको मारपीटका हाल सुनिण। डाकूर मैत्र कलकत्तेके एक सुप्रसिद्ध डाकूर है। उनका सम्बन्ध किसी दलसे नहीं है। वे फरीदपुर जेलको देखने गये थे और उन्होंने वहा कैदियोंको कोड़े लगाये जानेके दृश्यका बडा रोचक वर्णन किया है। दो भद्र पुरुष, जिनमें एक हेडमास्टर थे, एक साथ एक कोड़े लगानेके तख्तेसे बाध दिये गये और उन्हें छूष कोड़े लगाये गये। अपराध था जेलके अफसरको सलाम न करना। जब डाकूर मैत्रने जेलका मुलाहिजा किया तब इस सजाका उल्लेखतक रजिस्टरमें नहीं किया गया था। उन्होंने कितने ही मुलजिमोको जिनका मुकदमा अभी जेर तजयोज था, सारी रात हथकडी पहने हुए देखा। एक कैदीके बराबर तीन दिनतक खडी हथकडी पडी रही। 'कैदकी कोठरियोंमें जिनके कैदीको जगह निश्चित है उससे प्राय दूने एक साथ ठूस दिये गये। जादेका मौसिम! पर न उनके पाने, न ओढने और न त्रिछोनेकी किसीको पूरा ध्यान था।' इसपर बङ्गालकी सरकार क्या कहेगी? वह इन घटनाओंको तो हजम कर नहीं सकती। वस, 'जेलकी मर्यादाकी रक्षा' ही उसके समर्थनका आधार हो सकता है। सरकारी सूचनापत्रमें कहा गया गया है कि 'इन सजाओंका अभीष्ट प्रभाव हुआ है और तबसे जेलकी मर्यादाका पालन हो रहा है।'

अच्छा, अब चलिए, प्रयागराजकी सफर करें। सयुक्त प्रान्तकी सरकारने अपने वर्तावके विषयमें श्री महादेव देसाईका एक प्रमाण पत्र पेश किया है। महादेव भाईका कहना यह है कि अब मेरे साथ मनुष्यके जैसा वर्ताव किया जा रहा है। यह सच बात है। पर पाठक जरा महादेव भाई वर्णित नैनी जेलके कैदियोंकी दुर्दशा, कोडोंकी वेदम कर देनेवाली मार और उनके साथ किये जानेवाले दुर्व्यहारकी रोमाचकारी कहानीको पढ़ें।

सीतामढीसे समाचार आये हैं कि वहाके लोगोंपर २५,०००) जुरमाना लाद दिया गया है और प्युनिटि दण्ड देनेवाली पुलिस नवीनमे बैठा दो गई है। सीतामढी बिहारका एक सब-डिवीजन है। इस जुरमाने और प्युनिटिव पुलिसका अर्थ है सीतामढीके लोगोंकी लूट खसोट। "मदरलैण्ड" (श्री० मजहखल् हक सम्पादित अगरेजी साप्ताहिक पत्र) में सिद्दुलिया, चन्दरपुर और भरथरा नामके गावोंमें हुई लूट पाटका वर्णन प्रकाशित हुआ है। 'खबर मिली है कि घुडसवार पुलिस कमाण्डिंग अफसर तथा फौकरी मैनेजर भी लूट पाटमें शरीक थे। उन ग्रामनिवासियोंका अपराध यह बताया गया है कि उन्होंने 'हर' और 'वेगार देनेसे इनकार किया। अबध बिहारीशरण (महासभाके कार्यकर्ता) चारपाईसे बाध दिये गये। फौकरीके जमादारने घुडसवार पुलिससे कहा कि इनको (स्वयंसेवकोंको) बँतें लगाओ। हरएक

खय सेवकको बेते' लगाई गईं, उनकी टोपिया और उनके
बिल्ले छीन लिये गये ।

सिन्धका हाल भी इससे बेहतर नहीं है । सिन्धकी महा
सभा समितिके एक पत्रसे मालूम होता है कि रहमत रसूल
नामका पञ्जाब फौजा कानूनका एक कैदी तथा उसके दो साथी
हैदराबादको सेण्ट्रल जेलमें बन्द किये गये हैं । वे पिछले
नवम्बरमें अन्दमान जेलसें वहा लाये गये और एक कोठरीमें
बन्द कर दिये गये । यह कोठरी उन कैदियोंके लिये थी जिन्हें
मौतको सजा दी जाती है । उन्हें तीन दिनतक किसी
तरहका खाना नहीं दिया गया । फिर जब जब सुपरिण्टेण्डेण्ट
वहा आता तब तब उनसे कहा जाता कि हाथ उठाकर (जैसा
कि मुसलमान लोग नमाज पढते वक्त करते हैं) कहो—
“सरकार एक है ।” रहमत रसूलने कहा कि मेरे मजहबमें
अकेला खुदा ही एक है और मैं अकेले उसीकी इबादत कर
सकता हूँ । तब सुपरिण्टेण्डेण्टने अकडकर जवाब दिया
‘मैं सरकारका प्रतिनिधि हूँ । और इसलिए जेलमें मैं ही
तुम्हारा खुदा हूँ ।’ फिर भी रहमत रसूल अपने धर्मपथसे
विचलित नहीं हुआ । यहातक कि जेल कमेटीके दरानेपर
भी उसने सिर नहीं झुकाया । उसको इस धार्मिकताका इनाम
उसे यह मिला कि उसे पाच तरहको सजायें दी गईं—३०
कोड़े, छ महीनेतक एकान्तवास, छ महीनेतक टाटके कपडे
पहनना और छ छ महीनेतक तरह तरहकी घेड़िया डालना ।

महासभाके एक कार्यकर्ता श्री हासानन्दसे जब कुछ लोग मिलने गये तो उन्हें सिर्फ पाच मिनटकी इजाजत दी गई, यद्यपि कानूनमें १५ मिनटकी धाखा है।

पिछली जुलाईमें पुलिसने मतियारीमें गोलियां चलाईं। उससे एक आदमी मरा और कितने ही घायल हुए। और जिस सबइन्स्पेक्टरकी यह सारी करामात है वह अग्रे मजेमें कम्बरमें गुलछरें उड़ा रहा है—सर्वसत्ताधारी और निरंकुश बन बैठा है।

हाल हीमें वह जुमानेकी रकम वसूल करनेके लिये एक असहयोगी मुजरिमके घरमें घुस गया, परदानशीन औरतोंसे, जो घरमें थीं, माल असबाब जबरदस्ती छीन लिया। मुजरिमके भाईकी औरतकी नाकसे सोनेको नथनक खींच ली। एक भले आदमी उस परदानशीन औरतकी मददके लिए पहुंचे तो वे भी पिट गये। पुलिस अफसर घरमें घुस ही गया और उजड़ुताके साथ उन औरतों तक जा पहुंचा।

सो इस सरकारकी नजरसे न तो मनुष्य बचे, न उनका माल असबाब, और न पुरुष, न स्त्री। और न जेलोंमें जीवित रहना ही आसान है। केवल शरीरको बन्धनमें रहने देनेसे सरकारकी तृप्ति नहीं हो रही है। लोगोंको तरह तरहकी पीड़ायेँ दिये और उनका मान भङ्ग किये बिना उसकी आत्माकी शान्ति नहीं हो सकती।

इस प्रकार यह जालियावाला बाग रहित फौजी कानून

ही है। और यह उससे भी खराब है। जलियावाला बाग काण्ड यद्यपि घृणित काण्ड था, तथापि उससे सरकारका इरादा तो साफ साफ मालूम हो जाता था और उससे हमें अभीष्ट धक्का तो पहुँचा। वह एक खुला व्यवहार था। पर अब जो कुल हो रहा है वह कैदखानोंकी अन्धी कोठरियोंमें अथवा छोटे छोटे अप्रसिद्ध वेहातमें और इससे वह किसीको सहसा मालूम भी नहीं होने पाता। इसलिए हमारा स्पष्ट रूपसे यह कर्तव्य है कि हम फौजी कानूनका आवाहन करें, इस "मनहूस बाहियात हरकत" का नहीं और अपने अन्दर ऐसा साहस उत्पन्न करें जिससे हम बन्दूककी गोलियोंका स्वागत कर सकें। १९२१ की तरह अपनी पीठपर नहीं, बल्कि बिना रस्तीभर मलालके, खुशी खुशी अपनी छातिया आगे तानकर!



उत्तर दक्षिण

(जनवरी २३, १९२२)

मुझे सरकारकी सच्चाईपर अविश्वास है। इसलिये इस मौकेपर किसी तरहको शांति परिषद् होनेकी बातपर मुझे भरोसा नहीं होता। उस दिन धारा सभा और राष्ट्र सभामें जो बहस हुई उससे मेरे इस अविश्वासको साफ तौरपर पुष्टि मिलती है। सरकार पक्षका समर्थन करनेवाले लोग महासभाकी मार्गोंको असम्भव मानते हैं तथा असहयोगको नष्ट करनेका एक ही उपाय बताते हैं—दमन। यदि मेरी भी ऐसी ही धारणा होती कि महासभाकी मार्गें असम्भव हैं और इन असंभवनीय आदर्शोंकी प्राप्तिके उद्योगका नाश करनेके लिये पशुपल ही युक्त उपाय है तो मुझे सरकारके पक्षमें अपना मत देना उचित था। इस दशामें मुझे सरकारके अथवा उसके पृष्ठपोषकोंकी गति विधिकी समझनेमें और उसका गुण भी माननेमें कोई कठिनाई नहीं है।

लेकिन मैं तो सरकारकी गति विधिका रहस्य खूब जानता हूँ। इसीलिये उसका विरोध करता हूँ और उस पर अविश्वास रखता हूँ। सरकार जिस रास्ते भारतको

ले जाना चाहती है उस रास्ते उसे हरगिज आजादी नहीं मिल सकती ।

आइये, जरा देखें यह किस तरह ठोकर है ।

ब्रिटाफन सबन्धी मागभला क्यों असंभव है ? महात्मा जो कुछ चाहती है वह तो सिर्फ यही कि यदि भारत सरकार और साम्राज्य सरकार यह चाहती हों कि लोगोंका सहयोग उनके साथ कायम रहे तो उन्हें इन मागोंकी पूर्तिमें लोगोंके साथ काम करना चाहिये । अतएव उन्हें अपने उतने कर्तव्यका अवश्य पालन करना चाहिये जितना स्वयं उन्हींसे संबन्ध रखता है, तथा शेषके साथ प्रयत्न करें । यदि फ्रांस इंग्लैंड से डोवर छोन लेनेका प्रयत्न करे और यदि भारत गुप्त रूपसे फ्रांसको मदद करे, या जाहिरा तौरपर इंग्लैंडके प्रति डोवर पर उसका अधिकार कायम रखनेके प्रयत्नमें उदासीनता अथवा विरोध भाव दिखावे तो उस समय साम्राज्य सरकार क्या करेगी ? सो जब कि ब्रिटाफनके जीते हुए टुकड़े टुकड़े किये जा रहे हों तब क्या भारतसे खामोश बैठे रहनेकी आशा की जा सकती है ?

अच्छा, 'पञ्जाबका मार्गोंमें कौनसी बात असंभव है ? इस प्रकरणकी कानूनियतोंपर वे क्यों जार दे रहे हैं ? यदि वे उसके नैतिक बलात्कारपर ध्यान देंगे तो कानूनी बलायल अपना निपटारा आप कर लेगा । लडकपनमें मैंने एक कानूनी सिद्धान्त पढ़ा था कि जब, कानून और न्यायमें विरोध उत्पन्न हो तब

न्यायको प्रधानता दी जानी चाहिये। मेरे लिये वह सिद्धान्त 'पोथीके वैगन' नहीं हैं? पर मुझसे कहा गया है पेन्शन बन्द कराना अनोति युक्त है, क्योंकि वह तो मुल्तवी किया हुआ वेतन है। फिर सरदार गौहरसिंह क्यों 'मुल्तवी किये हुए वेतन' से वञ्चित रखे गये और क्यों दूसरे पेन्शनरोंको धम किया दी गई कि यदि वे इस आन्दोलनमें शरोक होंगे तो उनकी पेन्शनें बन्द कर दी जायेंगी? क्या जो नौकर अपने मालिकको कलङ्कित करता है उसे कहीं वेतन या पेन्शन मिलती है? क्या सर माइकल ओडाथर या जेनरल डायरने अपनी 'समझकी भूल' को कहीं मजूर किया है? जालिया वाला बागमें जिन लोगोंका खून किया गया, या जिन लोगोंको पशुओंकी तरह पोटा गया, या पेटके बल रेंगाया गया, यद्यपि उन्होंने कोई अत्याचार नहीं किया था, उनको सन्तान क्यों उन लोगोंके वेतनके लिये रुपया दे जो इन तमाम असभ्य कार्योंके लिये जिम्मेवार हें? जो नौकर पश्चात्ताप नहीं करते उनको पेन्शन जारी रखनेके पक्षमें मुझे एक भी नैतिक सिद्धान्त नहीं दिखाई देता। हा, 'जिसकी लाठी उसको भैंस' के सिद्धान्तकी बात दूसरी है। सो दोनों दलोंके दृष्टि बिन्दुओंमें उत्तर और दक्षिण ध्रुवका भेद है। जो बात एकको न्याय और नोतियुक्त दिखाई देती है वही दूसरेको अन्याय और अनोति युक्त मालूम होती है। मैं यह दावेके साथ कहता हूँ कि महासभाकी पेन्शन बन्द

कर देनेकी माग विलकुल न्याय है, उसमें बदला चुकानेकी कोई बात नहीं है। वह उनपर मुकदमा चलानेके अपने हकका उपयोग करना नहीं चाहती। वह उन्हें सजा दिलाना भी नहीं चाहती। उन्हें पेशन देते रहना अन्याय है। बस, उसमें अत्र आगे शामिल रहना वह नहीं चाहती। और सब बात तो यह है कि सरकार अत्र भी उन दोनों अपराधियोंको साम्राज्यके गण्यमान्य पदाधिकारी मानती है। यह प्रवृत्ति बदलनी होगी। तभी पञ्जाब कांडकी पुनरावृत्ति असभव हो सकती है, उसके पहले नहीं।

और जो बात पञ्जाबके विषयमें है वही स्वराज्यके भी विषयमें है। जो चीज भारतकी है वह उसे लौटा देना सरकारको असभव मालूम हो रहा है। उसका तो सिद्धान्त यवन है "धीरे धीरे सुधार।" इसके मूलमें जो भाव है वह यह कि जतनक अत्यन्त आवश्यक न हो जाय तबतक कुछ भान देना। यह मतभेद इतना अधिक है कि खिलाफत और पञ्जाबके दुष्टोंके दूर होनेके पहले स्वराज्यका खयाल करते हुए मेरा कलेजा कापता है। ये दोनों प्रश्न यों तो मीधे सादे जान पड़ते हैं, परन्तु वे स्वराज्यसे कम मुश्किल नहीं हैं, क्योंकि उनका परिशोध करना भारतीय लोकमतके आगे सिर झुकाना है।

यह तो रूखा युक्तिवाद है। इन मागोंमें कोई बात ऐसी नहीं जो असभव हो। असभवनीयता और कहीं नहीं, बस

सत्ताधारियोंको अपनी सत्ता—चह सत्ता जो उनके हाथोंमें हर-
गिज न होनी चाहिये थी—न देनेकी इच्छामें है।

यदि सरकार सिर्फ अपने कर्तव्योंका पालन करती रहे तो दमनकी आवश्यकता ही क्यों रहे? अच्छा मान लीजिये कि यदि सामुदायिक सविनय कानून भंग जल्दीमें शुरू किया गया तो हिंसाकांड मचे बिना न रह सकेगा। तो क्या हिंसा कांडके डरसे लोगोंको अपने हकोंसे दूर रहना चाहिये? जब हमारे सहयोगी भाई सत्याग्रहियोंके मत्थे यह दोष मढ़ते हैं कि वे जल्दी भ्रवाकर बड़ी कठिन और नाजुक स्थिति पैदा कर रहे हैं, तब यह बात उनके ध्यानमें नहीं आती कि ऐसा कह कर हम सत्याग्रहियोंके प्रति अन्याय कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनका अपमान भी करते हैं। सत्याग्रही नहीं, सरकार ही जान बूझकर कठिन स्थितिको न्योता दे रही है। जिन लोगोंका जनतापर कुछ भी प्रभाव है, जो जनताको शान्तिमय बनाये रख सकते हैं ऐसे हर/एक पुष्टगको जेल भेज भेज कर सरकार तो खुद ही हिंसा कांडके लिये जल्दी भ्रवा रही है। सहयोगी भाई यह नहीं देखते कि सरकारका यह ऋाय उस आदमीकी तरह है जो भूषेको भोजन देनेसे इनकार करता है और जब वह खुद ही अपनी भूख बुझानेकी कोशिश करता है तो बन्दूकसे उसका प्राण ले लेनेकी धमकी देना है।

भारतका घर्तमान घायुमण्डल मनुष्यको घोदा बना

देने वाला है। इसमें असहयोगियोंका कर्तव्य उनके सामने स्पष्ट है। उन्हें आदर्श वैय्य रखना चाहिये। किसीके भड़कानेसे उन्हें जल्दीमें कोई काम न कर बैठना चाहिये। जिस जगह वे सामना करनेके लिये तैयार न हों वहा उन्हें सश्रम न छेड़ना चाहिये। हमे शांतिमय बनना अथवा शांतिमय बने रहनेमें मदद देना सरकारका काम नहीं है। हिंसाकाण्डको रोकनेके उसके उपाय भी इतने हिंसात्मक हैं कि उनपर क्रोध आये बिना नहीं रहता। पर हा, एक घातमें हमें अवश्य उसका कुनडा होना चाहिये। सरकार जो कुछ प्रतिवाद करती है अथवा टीका टिप्पणो करती है उसका सार यही है कि हम अर्थात् असहयोगी लोग अपने ध्येयके अनुसार काम करना नहीं जानते तथा यदि हम चाहें भी तो सफलताके साथ हिंसाकाण्डकी अर्थात् शस्त्राखके प्रयोगकी योग्यता नहीं रखते। हमें ये दोनों दलीले मान लेनी चाहिये। हमें अपने ध्येय अर्थात् अहिंसापर अटल रहना चाहिये। तब सरकारको भी अपने शस्त्राख एक ओर रख देने होंगे, क्योंकि शांति तो दोनोंको अभीष्ट है। और जो लोग अहिंसाके कायल नहीं हैं वे कमसे कम यह समझ लें कि भारतवर्ष न तो पशु चलका मुकाबिला पशुचलके द्वारा करनेके लिये तैयार है और न वह ऐसा चाहता ही है। क्या अच्छा हो, यदि वे लोग जो यह मानते हैं कि हथियार उठाये बिना भारतको आजादी मिल ही नहीं सकती।

जरा मेरे कथनकी सत्यताको अनुभव करें। वे यह कदापि न सोचें कि हम शस्त्र ग्रहण करनेके लिये तैयार और उत्सुक हैं। इसलिये भारतवर्ष भी उसी तरह तैयार या उत्सुक है। मैं दावेके साथ कहना हू कि भारत इसके लिये तैयार नहीं है, इसलिये नहीं कि वह दीन और असहाय है, बल्कि इसलिये कि वह चाहता ही नहीं। इसलिये अहिंसा धर्मकी गति आशासे भी अधिक दिनपर दिन बढ़ रही है और हिंसा धर्म मानवी स्वभावकी दुहाई दिये जाते हुए भी असफल हो जाता। भारतके जन समाजको प्राचीन समयसे पशुवलके खिलाफ शिक्षा मिलती चली आ रही है। भारतवर्षके मनुष्योंमें मानवी भावकी इनकी अधिक प्रगति हो चुकी है कि यहाके अधिकांश जन समूहके लिये पशुवलकी अपेक्षा अहिंसा धर्म ही अधिक स्वाभाविक हो गया है। हा, हमें यह भी याद रखना चाहिये कि बम्बई और मद्रासके अनुभवोंसे मेरा ही कथन सिद्ध होता है। यदि हत्याकांड भारतके लोगोंका स्वभाव धर्म होता तो बम्बई और मद्रासमें इतनी सामग्री मौजूद थी जिससे ऐसी आग धधक उठती कि किसीके बुझाये न चुकती। गन्दी चीजकी तरह थोड़ा भी दूँगा फसाद शांति-मय या स्वच्छ स्थानको क्षुब्ध और गन्दा कर देनेके लिये बहुत काफी है। पर दोनों विजातीय वस्तु हैं, अतएव शोध ही दूर कर दी जाती है।

देकर फिर शस्त्रास्त्रके द्वारा खराब

युगोको घात है। मैं मचमुच मानता हूँ कि आज भारतमें जो आश्चर्यजनक कार्य शक्ति और राष्ट्रीय चैतन्य प्रगट हो रहा है वह केवल अहिंसा धर्मकी प्रगतिका ही फल है। लोगोंने अपनी शक्ति पहचान ली है। अब हमें जल्दीमें ऐना काम न कर बैठना चाहिये जिससे हमारी प्रगतिकी गति रुक जाय।

लेखन और मुद्रण स्वातन्त्र्य

(जनवरी ५, १९२१)

दिन बदिन परिस्थितिके अनुसार सरकारके वे असत्य आश्वासन कि नये सुधारोंके अनुसार जनताको अधिक स्वतन्त्रता और दे दी गई है और उसके अधिकार बढा दिये गये हैं, खोखले पडते जा रहे हैं। वे सत्य तो तभी सांगित हो सकते हैं जब वे कडीसे कडी परीक्षामें भी उत्तीर्ण हो जाय। वाक्स्वातन्त्र्यका मतलब तो यही है कि उसके अधिकसे अधिक मर्म भेदयुक्त होने पर भी उसपर आक्रमण न क्रिया जाय। और मुद्रण स्वातन्त्र्यके सच्चे सम्मानका भी अर्थ यही है कि उससे कडीसे कडी टीका टिप्पणियां की जा सकें तथा यथार्थ बातें भी उलट पुलट तरहसे समझा दी जा सकें। हा, इन बातोंसे रक्षा तो अवश्य होनी चाहिए। किन्तु वह इस तरह नहीं कि ऐसे लेखोंका छापना

कानून द्वारा हो बन्द कर दिया जाय, या छापखाने पर हो बन्द करके उसे बन्द कर दिया जाय। वह तो मुद्रणालयको स्वतन्त्र रखते हुए सब्से अपराधीको सजा देकर ही होना चाहिए। इसी प्रकार सम्मेलनके महत्त्वका सच्चा सम्मान रखना तो उसीको कहा जा सकता है जब आम तौर पर सम्मिलित होकर बड़ी बड़ी क्रांतिकारक बातोंपर भी विचार कर सकें। सरकारका आधार तो लोकमत और सिविल पुलिस पर ही रहना चाहिए, न कि उन पाशविक सेनाओं पर, जिनके बलपर लोकमतको और उसकी प्रतिनिधि सरकारको चक्रमें डालने वाली किसी क्रांतिका सचमुच कहीं उद्भव होते ही वह नष्ट कर दी जाय।

भारत सरकार तो अपनी स्वेच्छाचारिता तथा दुर्दमनीयता सिद्ध करनेके लिए अब एक बार और -सौभाग्यसे आखरी बार ही—लोकमतको जाग्रत और सुसंस्कृत बनाने वाले इन तीन शक्तिशाली, और महत्त्वके साधनोंको नष्ट करने पर तुल है और स्वराज्य, खिलाफत तथा पञ्जाबके दुःख-निवारणके लिए लड़नेका अर्थ यही है कि सबसे पहले इस त्रिविध स्वतन्त्रताके लिए लड़ना।

“इन्डिपेन्डेन्ट” अब छपकर नहीं निकलता। वही हाल “डेमोक्रेट” की है। और अब लाहोरके “केसरी” और “प्रताप” पर भी तलवार उठी है, लालाजोके अपत्य “बन्दे मातरम्” ने तो दो हजारकी जमानत जमा करके फिलहाल चारको डाल दिया है। पहले दो पत्रोंकी एक बार दी हुई जमानत तो जबनकर ली गई है

और अब उन्हें १०।१० हजारको जमानतें दाखिल करनेके लिए या पत्र घन्ट करनेके लिए दस दिनको नोटिस दी गई है। मुझे आशा है कि दस दस हजारको जमानतें दाखिल करनेसे वे इन कार करेंगे।

मुझे मालूम हो रहा है कि यदि जनता कुछ आन्दोलन उठाकर इस रोगके कीटाणुओंको बढनेसे न रोकेगी तो जो सयुक्त प्रान्तमें और पञ्जाबमें हो रहा है वही धीरे धीरे और जगह भी होगा!

पहले तो मैं पूर्वोक्त पत्रोंके सम्पादकोंसे यही आप्रह करूंगा कि ये "इन्डिपेन्डेन्ट" की तरह अपने विचार लिपिकर ही प्रकाशित करते रहें। मुझे विश्वास है कि जिस सम्पादकके पास कुछ बातें कहने लायक हैं तथा जिसके लेखोंको लोग चावसे पढ़ते हों वह—जरतकर उसका शरीर स्वतन्त्र है—तब तक आसानीसे चुप नहीं रखा जा सकता। वह जहा जेलमें गया कि उसने अपना सन्देश पूरा दे दिया। २२० लोकमान्यके शब्द उनके छपे हुये केसरीके द्वारा उतने प्रभावशाली नहीं निकलते ये जितने प्रभावपूर्ण वे मण्डालकी जेलसे निकलते थे। और जब वे छूटकर आये तब उनके भाषणोंका और लेखनीका प्रभाव पहलेसे, जबकि वे जेल नहीं गये थे, हजार गुना बढ गया। और अब उनकी मृत्यु हो जाने पर तो लोगोंने उनके जीवनके व्ययको प्राप्त करनेका जो पवित्र निश्चय कर लिया है उसके द्वारा बिना भाषण और लेखनीके ही वे अपने पत्रका सम्पादन कर रहे हैं। आज

अगर वे जीवित होते और स्वयं ही अपने मंत्रका प्रचार करते तो भी वे इससे अधिक और ज्यादा कर सकते थे ? मुझ जैसे टोकाकार तो अब भी उनके शब्दोंमें दोष निकालते ही रहते । किन्तु आज सब टोकार्यें बन्द हैं और केवल उनका मन्त्र ही करोड़ों भारतीयोंके हृदयमें बैठकर उनको स्फूर्ति दे रहा है । उन्होंने लोकमान्यके ध्येयको अपने जीवनमें सिद्ध करके उनका अक्षय स्मारक बनानेका निश्चय कर लिया है ।

इसलिये पहले तो सीमेंटके टाइप और यंत्ररूपी मूर्तिको हमें फोड़ डालना चाहिए । हमारी कठम ही टाइप बनाने वाली फाऊंडरीका काम देगी और खुशी खुशीसे नकल करने वालोंके हाथ छापनेके यंत्रका । हिन्दू-धर्म मूर्तिपूजाको वर्तमान तक महत्त्व देना है जयन्तक कि वह किसी ध्येयको कायम रख सकती हो । किन्तु जब वह मूर्ति ही हमारा ध्येय बन बैठती है तब वह एक पापमय आडम्बर हो जाती है । इसलिए जबतक हम अपने विचारोंका प्रकाशन स्वतन्त्रता-पूर्वक कर सकें तभीतक यन्त्र सामग्रीका उपयोग करें । किन्तु जब कभी वह "प्रजा वत्सल" सरकार-जो बड़ी चिन्ताकुठ होकर मुद्रण यन्त्र और तरह तरहकी अक्षर रचना पर बड़े गोरसे पहरी देती है और उसपर अकुश गाढे हुए हैं, हमारे हाथसे यन्त्र सामग्रीको निकाल ले तो हमें लाचार और दीन न हो जाना चाहिए ।

किन्तु मैं कहूंगा कि हस्त लिखित समाचार पत्र भी असाधारण समयके लिए एक असाधारण वीरोचित्त उपाय हैं । फिल-

हम मुद्रणालयसे और कम्पोजीटरकी स्टिकसे इसी प्रकार दाखीन होकर बाद उनको फिर स्थापन करके हम हमेशाके लिये उनका उपयोग कर सकेंगे ।

इसके अतिरिक्त हमें और भी कुछ करना चाहिए । हमें बड़ी बड़ी समस्याओंको हल करनेका विचार करनेके पहले इसी अधिकारकी पुन प्राप्तिके लिए मन्त्रिमय कानून भङ्गका उपयोग करना चाहिए । वार्ड स्वातन्त्र्य, सम्मेलन स्वातन्त्र्य, और मुद्रणस्वातन्त्र्य इन तीन अधिकारोंकी पुन प्राप्तिही करीब करीब ब्रिटेनके समान है । इसलिये चम्बईमें पण्डित मालवीयजी आदि प्रमुख देश पुत्रोंके उद्योगसे होने वाली सभासे मैं तो यही आग्रह-पूर्वक आग्रह करूंगा कि वह खिलाफत, पञ्जाब और ब्रिटेनके अपेक्षा इन्ही बाधाओंको दूर करनेके लिये प्रधानतया विचार करे । इन बातोंमें हम सबकी हार्दिक एक वाक्यता होगी । हमें इन छोटी छोटी बातोंका पहले निपटारा कर डालना चाहिए । इनके हल होने पर वे बड़ी बड़ी जटिल समस्याएँ आपही आप हल हो जायगी ।

अवश्यही इस युद्धका बहुत बड़ा भाग है; परन्तु यही सब कुछ नहीं है। किसान लोग शान्तिमय तो चाहे बने रहें, पर शायद अछूत लोगोंको अपने भाईके बराबर न मानते हों, वे हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और पारसियोंको, जैसा कि मौका हो, अपना भाई न समझते हों, वे चरखे और खादोकी आर्थिक और नैतिक महिमा न जान पाये हों। यदि उन्होंने यह सब न किया हो तो वे स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इन बातोंको वे आज नहीं कर रहे हैं तो स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इन बातोंको वे आज नहीं कर रहे हैं तो स्वराज्य प्राप्त होने पर नहीं करेंगे। उन्हें यह बताना चाहिए कि इन सब राष्ट्रीय गुणोंको प्राप्त करना ही स्वराज्य है।

इस तरह यह सविनय कर न देनेका सौभाग्य उन्हीं लोगोंको प्राप्त हो सकता है जो पूर्वोक्त सब बातोंकी खूब कड़ी शिक्षा पा चुके हैं। और जिस प्रकार उस आदमीके लिए जो राज्यके कानूनोंके खिलाफ गुनाह करनेका आदी है, सविनय कानून-भंग करना कठिन बात है उसी प्रकार सविनय कर न देना भी उन लोगोंके लिए मुश्किल चीज है जिन्हें जरा जरा सी धात पर बार बार रोक कर रखनेका मुहावरा पडा हुआ है। इस असहयोग युद्धमें सविनय कर न देना तो आखिरी सीढ़ी है। सो जय तक हम सविनय कानून भंगके दूसरे अंगोंको न आजमा देखें तबतक हमें इस पर न तुल जाना चाहिये। इन आरम्भिक

अवस्थाओंमें बड़े बड़े तथा बहुतेरे प्रान्तोंमें इसका प्रयोग करना बहुत ही बड़ी नादानीकी बात होगी ।

मैं जमींदारोंको भी लगान न अदा करनेकी बातें सुन रहा हूँ । सो हमें यह बात हरगिज न भुलाना चाहिये कि हम जमींदारोंके साथ, फिा वे चाहे हिन्दुस्तानी हों चाहे विदेशी हों, असहयोग नहीं कर रहे हैं । हम तो इस एक बड़े जमींदार—नौकरशाही—से युद्धमें भिड़े हुए हैं, जिसने क्या हम और क्या इन जमींदार, सबको अपना गुलाम बना रखा है । हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे ये हमारे पक्षमें हो जाय और यह बड़ा जमींदार अकेला एक तरफ रह जाय । यदि वे लोग हमारी तरफ न हों तो हमें धीरजसे काम लेना चाहिये । हमें उनकी सामाजिक सहायता जैसे धोबी, नाई इत्यादि, बन्द न करना चाहिये । सो जहा 'स्थायी कर-व्यवस्था' हो वहा कर न देनेका आन्दोलन न उठाया जाना चाहिये, हा जहा सीधी सरकारको रुपया अदा किया जाता हो वहा भले ही खडा किया जाय । लेकिन जमींदारोंका उल्लेख तो यहा उन कठिनाइयोंको दिखानेके लिये किया गया है जो कर न देनेके उद्योगमें खडी होती हैं । इसलिये सब बातोंपर विचार करते हुए मेरी तो यही राय है कि महासभाकी उद्देश्य पूर्तिके लिये कर न देनेकी हलचलका भार फिलहाल मुन्शीपर छोड दिया जाय । इस बीच दूसरे कार्यकर्ता अपने अपने जिलोंमें विधायक ढङ्गके कामोकी पूर्ति करे । सामुदायिक सविनय कानून भंग करनेके दूसरे अनेक उपाय वे पैदा

कर सकते हैं और फिर जब कि लोग शुद्ध और प्रबुद्ध हो जाय, कर न देनेके लिये आगे कदम बढ़ावे' ।

पर आन्ध्र देशमें तो बहुत बड़े पैमानेपर पहले हीसे नैयारिया हो चुकी है । सो मैं वहाँके कार्यकर्ताओंके उत्साहको ढंठा करना नहीं चाहता । यदि उन्हें यह इत्मीनान हो चुका हो कि उन चुने हुए स्थानोंमें देहलीवाली तमाम शर्तों को लोग पूरा कर चुके हैं तो फिर मुझे कुछ भी कहना सुनना नहीं । मैं तो बस यही कहूँगा कि “परमात्मा आन्ध्रके वीरोंको आशीष दे ।” पर वे याद रखें कि यदि किसी किस्मकी दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है । हा, यदि वे कर न देनेकी शुरुआत न न करेंगे तो कोई उन्हें बुरा न कहेगा ।



बारडोलीका निश्चय

(फरवरी २२, १९२२)

बारडोलीने चडा गम्भार और गुस्तर निर्णय किया है । उसका यह अन्तिम निश्चय है, यह बदला नहीं जा सकता । बारडोली तहसील परिषद्की बैठक उस दिन हुई । सभापतिका पद श्री० विठ्ठल भाई पटेलने ग्रहण किया था । उन्होंने अपने भाषणमें लोगोंको खूब सावधान किया । इसका असर भी उनपर हुआ । उन्होंने साफ वाते कहीं—कोई बात छिपा कर नहीं रखी । कोई ४ हजार प्रतिनिधि खादी पहने उपस्थित थे । ५०० स्त्रिया भी थीं । उनमें अधिकांश स्त्रिया खादी पहने थीं । उन्होंने सभाके काममें पूर दिलवस्पी ली और बड़ी उत्सुकतासे साथ वे सब बातें सुनते थे । समस्त पुरुष और स्त्रिया शांत विचारवान् और जवाबदेह थी और सबके चेहरेसे निश्चयका भार टपकता था ।

श्रीविठ्ठलभाईके बाद मेरा व्याख्यान हुआ । मैंने महासभा द्वारा निर्धारित प्रत्येक शर्तको समझाया । प्रत्येक शर्तपर मैंने लोगोंसे पृथक् पृथक् राय ली । उन्होंने हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई एकताके तात्पर्यको समझ लिया था । वे अहिंसा तत्वकी महत्ताको जानते थे । उन्होंने 'दुश्मन्मूल'

को दूर करनेका मतलब समझ लिया था। वे केवल 'अछूत' लड़कोंको राष्ट्रीय पाठशालाओंमें भरती करनेको ही तैयार नहीं थे, बल्कि उन्हें ला लाकर भरती करनेको भी तैयार थे। अपने गांवके कुओंमेंसे 'अछूतोंके पानी लेनेपर उन्हें कोई एतराज नहीं था। वे जानते थे कि जिस प्रकार हम अपने किसी बीमार सहवासीकी सेवा शुश्रूषा करते हैं उसी प्रकार इन बीमार 'अछूतों' की भी परिचर्या हमें करना चाहिये। वे जानते थे कि जबतक हम अपनेको मेरे बताये ढङ्गसे शुद्ध न कर लेंगे तबतक वे लगान न देने अथवा सविनय कानून भंगके दूसरे अंगोंको शुरू करनेका सौभाग्य न प्राप्त कर सकेंगे। वे यह भी जानते थे कि अभी हमें बहुत उद्योगी बनना है, अपने लिये आवश्यक तमाम कपडा खादी बुनना और सूत कातना है। और आखिरी बात यह कि वे अपनी जगम सम्पत्ति अपने मवेशी और अपनी जमीन तककी जब्तीके लिये तैयार थे। वे जेल जानेके लिये तथा यदि आवश्यकता पड जाय, तो मौततकका सामना करनेके लिये तैयार थे और यह सब वे करना चाहते हैं बिना किसी तरहके मलाल या क्रोधके। हां, 'छुआछूत' के सवाल पर एक बूढ़े आदमीने अपना मतभेद प्रगट किया था। उन्होंने कहा कि हा, सिद्धान्तके रूपमें तो आपका कहना यथार्थ है, पर एक दम इस रिवाजको तोड़ देना कठिन है। मैंने अपना आशय उन्हें पूब स्पष्ट करके समझाया, लेकिन

उपस्थित जन तो उसे दूर करनेका इरादा कर ही चुके थे। इस बड़ी सभाके पहले, मैं कोई ५० प्रत्यक्ष कार्यकर्ताओंसे मिला था। इस मुलाकातके पहले श्रीविठ्ठलभाई पटेल, कुछ कार्यकर्ता तथा मैं सबकी यह राय हुई थी कि ऐसा प्रस्ताव किया जाय कि १५ दिनके बाद चारडोली अपना निर्णय प्रगट करे, जिससे इस अवधिमें स्वदेशीकी तैयारी और भी पूरी तरफ हो जाय तथा छुआछूतका निवारण अधिक निश्चित हो जाय अर्थात् तमाम साठों राष्ट्रीय पाठशालाओंमें अछूत लड़के दरहकीकत भरती हो जायें। लेकिन चारडोलीके उन बहादुर और सच्चे उत्साही लोगोंने निर्णयको स्थगित करना पसन्द न किया। उन्हें विश्वास था कि ५० फी सदीसे भी अधिक हिन्दू लोग छुआछूतके सम्यन्त्रमें विलकुल तैयार हैं और इस बातका भी यकीन था कि अब जागे हम जितनी जरूरत होगी उतना कपडा सब यही तैयार कर सकेंगे। वे तो सरकारके साथ आखिरी फैसला करनेकी कोशिशपर तुले हुए थे।

श्रीविठ्ठलभाई पटेलने जितने एतराज उठाये उन सबका खण्डन वे करते गये। सफेद डाढी वाले और सर्वदा प्रसन्न-मुख रहनेवाले वृद्ध अब्बास तैयबजीने उन्हें सावधान किया। लेकिन वे अपने निश्चयसे एक इञ्च भी हटना नहीं चाहते थे। इसका फल-स्वरूप नीचे लिखा प्रस्ताव एक मतसे स्वीकार किया गया.—

“सविनय कानून भङ्गको शुरू करनेके लिये आवश्यक शर्तोंको अच्छी तरह सोच समझ लेनेके बाद पारडोली तहसीलके निवासियोंको यह परिपत्र निश्चय करती है कि यह सामुदायिक सविनय कानून भङ्गके लिये तैयार है।

इस परिपत्रकी यह राय है कि—

(अ) भारतके कष्टोंको दूर करनेके लिये हिन्दू, मुसलमान, पारसों, ईसाई तथा भारतकी दूसरी जातियोंमें एकता स्थापित करना बिल्कुल आवश्यक है।

(आ) इन कष्टोंको दूर करनेके लिये अहिंसा, धैर्य और सहनशीलता ही एकमात्र उपाय है।

(इ) हर एक घरमें चरखा चलाया जाना और हर व्यक्तिको दूसरे कपड़ोंको छोड़कर सिर्फ हाथ-कता और हाथ जुना कपड़ा ही पहनना भारतकी स्वतन्त्रताके लिये अनिवार्य है।

(ई) हिन्दुओंके द्वारा पूर्णरूपसे छुआछूत दूर हुए बिना स्वराज्य असम्भव है।

(उ) प्रजाकी उन्नतिके लिये तथा स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिये तमाम स्यावर और जगम सम्पत्तिके बलिदानकी, जेल जानेकी तथा यदि आवश्यकता आ पड़े तो अपने प्राणोंतकको न्यौछावर कर देनेकी तैयारी परम आवश्यक है।

“यह परिपत्र आशा रखती है कि पूर्वोक्त बलिदानके लिये पारडोली तहसीलको ही यह सौभाग्य सबसे पहले प्राप्त होगा और इस प्रस्तावके द्वारा यह परिपत्र कार्य समितिको

सूचित करती है कि यदि कार्य समिति इसके विपरीत फैसला न करे और यदि प्रस्तावित सर्वपक्षीय परिपट्टकी आयोजना न हो तो यह तहसील श्री गांधीजी तथा इस परिपट्टके सभापतिकी सम्मति और सकेतके अनुसार तुरन्त सामुदायिक सविनय कानून भंग शुरू कर देगी।

“यह परिपट्ट इस बातकी सिफारिश करती है कि इस तहसीलके जो लोग महासभा द्वारा निर्धारित सामुदायिक सविनय कानून भंगकी शर्तोंका पालन करनेपर राजी और तैयार हों वे जवतक दूसरी सूचना न मिले तबतक सरकारी लगान तथा दूसरे कर अदा न करे।”

कौन जानता है, क्या होगा ? कौन जानता है कि वारडोली के नर नारी, सरकारके दमन शुरू करनेपर, उसका मुकाबिला कहातक कर सकेंगे ? यह तो अकेला ईश्वर ही जानता है। उसीके नामपर यह युद्ध भार उठाया गया है। वही पार लगावेगा ॥

सरकार जवतक बडे ही आदर्श ढंगसे पेश आ रही है वह इस परिपट्टको बन्द कर सकती थी। पर उसने ऐसा नहीं किया। वह कार्यकर्ताओंको भी जानती है। बहुत पहले ही वह उन्हें वहासे हटा ले जा सकती थी। पर उसने यह भी नहीं किया। उसने उन्हें हर तरहकी तैयारिया करने दीं सरकारके इस व्यवहारको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उसकी यह रीति प्रशसनीय है। यह लेख लिखते समय

तक दोनों पक्षके लोग प्राचीन शूर वीर योद्धाओंकी तरह परस्पर व्यवहार कर रहे हैं। यह तो शांति युद्ध है। इसमें इससे भिन्न व्यवहार होना ही नहीं चाहिये। यदि यह युद्ध इसी रीतिसे जारी रहा तो इसका अन्त एक ही तरहसे हो सकता है। विजय उसीकी होगी जिसके पक्षमें वारडोलीके ८७,००० नर नारी होंगे।

लोहेके चने

(फरवरी २२, १९२२)

गुजरातका सविनय कानून भङ्गके लिये सबसे पहले कदम बढ़ाना लोहेके चने चरानेसे भी कठिन है। परन्तु यदि एक भी तहसील इसमेंसे पार हो जाय तो स्वराज्य हस्तामलकवत् है। इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं। इसका अर्थ यह है कि एक तहसीलमें एक सत्याग्रही सेना तैयार हो जाय। मैं पहले कह चुका हू कि सत्याग्रही सेनामें औरत, मर्द, जवान बूढ़े, लूले लड़के, दुर्बल सबल, हिन्दू मुसल्मान, पारसी ईसाई यहूदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भङ्गी, चमार, सब भरती हो सकते हैं। प्रह्लादकी तरह कोई धालक भी आ जाय तो वह भी दाखिल हो सकता है। और मा-बाप अपने लड्डुके बालोंको भी भरती करा सकते हैं। यह खासा पचमेल मेला

ही है, पर फिर भी वह सामनेकी सेनाके मुकाबलेमें बहुत ही ज्यादा काम कर सकता है और उमका खर्च भी क्या होगा ? इस सेनाके सिपाहियोंमें एक गुण जरूर होना चाहिये—निर्भयता । उनमें मरनेकी शक्ति होना चाहिये अर्थात् उस सिपाहीके पास आस्तिकता होनी चाहिये ।

जिन दूसरे गुणोंकी आवश्यकता मैंने उताई है वह हमेशाके लिए नहीं हैं । वे गुण तो सिर्फ आजकी परिस्थितिके ही लिए आवश्यक हैं ।

परन्तु यद्यपि इस तरह लिख देना तो आसान है तथापि जयतक मनुष्य उसे समझ नहीं पाता तबतक वह कठिन मालूम होता है । जो तहसील बीटा उठावे समें गहरा परिवर्तन अवश्य ही हो जाना चाहिए । उस तहसीलके सिपाही एक पल भी बेकाम न बैठें । इससे जब युद्ध शुरू होगा तब प्रत्येक सत्याग्रही या ग्रहिणी या तो जेल जानेके लिए किन्नी जगह सविनय भङ्ग करते दिखाई देंगे या सूत कातते हुए, खादी बुनते हुए, या रुई धुनकते और कपास लोढते हुए पाये जायेगे । कोई छिनभर भी बेकाम नहीं बैठ सकता । फिर चाहे वह धनी हो चाहे मिखारी । सिपाहीगिरीमे सधनता और निर्धनताका भेद नहीं रहता । पञ्चम जार्ज जब जहाजमें काम करते थे तब वे भी औरोंकी तरह जमीनपर लैटते और बिना दूधके चाय पीते तथा चोकर मिली मोटी रोटी खाते थे । ऐसा ही होना चाहिये ।

शिक्षा देता है कि व्यक्ति कुटुम्बके लिए, कुटुम्ब गांवके लिए, गांव तहसीलके लिए, तहसील जिलेके लिए, जिला प्रान्तके लिए, प्रान्त भारतवर्षके लिए, और अन्तको भारतवर्ष सजगत्के लिए मरनेको तैयार हो जाय। इस स्वदेशाभिमानके लिए मैं जी रहा हूँ, और उसको प्रगट करनेके लिये मिटनेके मुझे जीवित रहनेके बराबर हो प्रिय है। उसके बिना जीवित रहना मृत्युके ही समान है। ससारमें अगर कोई सुख तो वह है पर दुःखके लिये दुःखी होना और दूसरेकी रक्षाके लिये स्वयं मर जाना। ऐसा करनेवाले आसानीसे सुख उपभोग करते हैं। यह सब करनेके लिये कोई 'भारी' काम करना पड़े, सो बात नहीं। सिर्फ हृदयको बदल देनेकी जरूरत है। जरा विचार करनेकी जरूरत है। इसमें देर न होना चाहिये, क्योंकि अपने पड़ोसीके लिए मरना तो आत्मभाव सहज स्वभाव ही है।

तैयार हुई तहसील अगर इस तत्वको समझ गई हो तो जो काम लोहेके चने चवानेसे भी कठिन मालूम होता है वह मुझ जैसे बुद्धके लिये बनाये मुलायम चने चवानेसे अधिक आसान मालूम होगा।

परीक्षा

(फरवरी २२, १९२३)

गुजरातकी परीक्षाके दिन नजदीक आ रहे हैं। अब तो गिनतीके लिए महीने भी नहीं रहे, सिर्फ हफ्तोंकी बातें हैं। कुछ ही समयमें दिनोंकी बात होने लगेगी और फिर घण्टोंकी गिनती होगी।

एक ओर तो गुजरातकी महासभाका समारोह करना है। हमें यह देखना है कि हम अतिथि-सत्कारमें, व्यवहार कुशलतामें, उदारतामें कम न निकलें।

दूसरी ओर गुजरातने असहयोगमें जो पहले कदम बढ़ाया है, उसको शोभा देने योग्य काम कर दिखाना है। गुजरातकी कमसे कम एक तहसील तो ऐसी तैयार करना चाहिए जो मौत की गोदमें जानेके लिए तैयार हो और ऐसी सामर्थ्य भी रखती हो।

इसकी शर्तें मैं पहले ही लिख चुका हूँ। यह कहा जा सकता है कि महासमितिके भी इन्हें स्वीकार कर लिया है। ये शर्तें तो ऐसी हैं जो कार्यके रूपमें परिणत की जा सकती हैं। परन्तु उन बातोंका भी विचार हमें कर रखना चाहिए, जिनके वेपयमें प्रस्ताव तो नहीं हो सकता, परन्तु जिनके पाबन्द रहे बिना उन शर्तों का पालन किये बिना नहीं रह सकता। जो

शरूस रेखागणितके सिद्धान्तको बिना समझे ही रट डालता है वह अगर 'वारह' की जगह 'वारहवा' कह दे तो कौन आश्चर्यकी बात है ? जिसने रटा हो तो 'इसलिए' परन्तु कहा जाय 'क्यों-कि' तो फिर उसकी क्या गति हो ? जिस प्रकार उसकी रटाई-की पोल पुल जाती है उसी प्रकार वह शरूस भी जो बिना ही समझे समितिकी शर्तों के पालन करनेका दावा करता है, दरवाजेसे चापस लौटे बिना नहीं रहनेका, क्योंकि यह दरवाजे-की तरफ जाता तो है, पर उसके खोलनेकी तरकीब नहीं जानता ।

यह लडाई तो धर्म की है । इसे चाहे व्यवहार्य कहिये, चाहे अव्यवहार्य, राजनैतिक कहिए, अथवा सांसारिक । इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, इसका मूल है धर्म । धर्मके खातिर, धर्मके नाम पर, हम यह लडाई लड रहे हैं । अली-भाइयोने बिलकुल पक्की बात कही है । उन्होंने कहा—“राज्यके कानून और ईश्वरके कानून, पीनल कोड और कुराने पाकमेंसे किसीका चुनाव करना हो तो हम अपने ईश्वरको और हमारे पाक कुरानको ही पसन्द करेंगे ।” यह लडाई तो इस बातकी है कि मुसलमान, हिन्दू, पारसी, ईसाई आदि सब अपने अपने धर्मको जानें और उसके अनुसार बरतें । सब धर्मके खातिर मर । जो मरता है वह पार होता है जो मारता है वह मरता है । अगर दूसरोंकी हत्या करके कोई अपने धर्मका पालन कर सकता तो आज लाखों आदमियोंको मुक्ति मिल गई होती ।

इसलिये हमें तो बस सकट समयमें ईश्वरको ही याद करना है। जिसे इतना विश्वास नहीं है उसकी गति अन्तको रुके बिना नहीं रह सकती। छोटा रुपया चाहे कितनी ही दूकानों पर क्यों न चक्कर लगा आवें, उससे भला कहीं उसकी कीमत बढ़ सकती है? सराफके यहासे वह लौटे बिना रही नहीं सकता। और इस बीच वह जिन जिनकी दूकानोंपर भटका है उन सब को भी उसके स्पर्शसे थोड़ी बहुत छूत लग गयी होगी। इसी प्रकार हममें जो लोग 'रंगे सियार' होंगे वे जरूर आखिरी मंजिलसे पीछे हटे बिना नहीं सकते।

जिसकी इच्छा हो वह मैदानमें आवे। जिनसे हो सके वही इसमें झुके। मैं निमन्त्रण समको देता हूँ। परन्तु जो भूखे हों वही थालीपर बैठें। अगर दूसरे लोग बैठ जायगे तो पछतायगे। जिसे भूख नहीं है, उसे बढ़िया बढ़िया खाने भी अच्छे नहीं लगते। जो भूखा है उसे सूखी सूखी बजड़ेकी रोटी भी मीठी लगती है। इसी प्रकार जो लोग असहयोग का अर्थ समझ चुके हैं, जो धर्मका मर्म जान चुके हैं वही इसमें टिक सकेंगे। जो समझ चुका है उसके लिये सब बातें आसान हैं। जो समझ नहीं पाया है उसके लिये सब बातें कठिन हैं। अब घेरे पास आईना किस कामका ?

अबसर कठिन है। बिना बिचारे कदम उठाकर पीछे पछतानेका मौका न आवे। अगर कोई भी तहसील तैयार न हो तो गुजरात भले ही हुण्डी वापस कर दे। परन्तु उसपर सही

कर चुकने बाद तो उसको सिकारे बिना गुजर ही नहीं। अभी गुजरातके लिये मौका है। पर पसन्द कर लेनेके बाद फिर पीठ न दिखानो होगी। अगर शेखीमें आकर बीडा उठा ले और फिर कुछ न बन पड़े तो फिर जीते हुए मुर्देके सम्मान ही जायगे। आज तो गुजरातको जरा भी घबड़ानेका या सकोचका कारण नहीं है।

अब यह विचार करना चाहिये कि हमारी योग्यता किन किन बातोंपर अवलम्बित है—

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (१) शान्ति | (२) स्वदेशी |
| (३) हिन्दू मुसलमान एकता | (४) छुआछूतको दूर करना |
- ये सब बातें तो आसान हैं।

पर कानूनका सविनय भङ्ग ? इससे भी हम लोग अनजान नहीं हैं। जेल तो उसके साथ हुई हैं। उसे भोग लेंगे। बड़े बड़े लोग गये हैं, देख आये हैं, तो फिर हम क्यों ऐसा न कर सकेंगे ? अतएव यह तो कोई बड़ी बात नहीं।

पर—?

मार्शल ला जारी हो जाय तो ? गुरखोंकी फौज आवे तो ? गोरी सेना चढ़ आवे तो ? और फिर सगीनों भोंके, गोलियां म्हाडे पेटके बल रे गावे तो ? अरे भले चली आवे। आने दो पेटके बल चलावे तो ? मर मिटेंगे, पर पेटके बल न रेंगेगे। संगीनों भोकना हो तो भोक दे। मौत प्लेग और हैज सही, सगीनोंसे ही सही। और अगर गोलियां भी दागें तो

हम नहीं पीठ दिखानेवाले हैं। अब तो इतना जोर आ गया है कि गिल्ली डंडेके खेलकी तरह, छाती खुली करके गोलियोंको छातियोंपर भेल लेंगे। गुरखोंको अपना भाई बना लेंगे और न हो तो, भाईके हाथों मरने जैसा सुख दूसरा क्या होगा, ऐसा कहते हुए तो जरूर बदनमें खून दौड़ने लगता है।

मुझे तो विश्वास है कि दबू गुजरात इन चार कर दिखावेगा। परन्तु यह बात लिखते हुए कलम भारी पीछे जाती है। गुजरातने बन्दूकोंके धडाके किस दिन सुने? गुजरातने लहूकी नदिया कब देखीं? क्या गुजरातसे यह दृश्य देखा जा सकता है कि पटाखोंकी तरह तडातड बन्दूके चल रही हैं और मिट्टीके घडोकी तरह लोगोंके सिर धडाधड कट रहे हैं।

अगर गुजरात औरोंके सिरोंको फूटते हुए देख सके तो वह 'गर्गो गुजरात' न रहे। अगर गुजरात अपने ही सिरोंको टूटते हुए देखे तो अमर पदको प्राप्त करे। इसके लिये किस तालीमकी जरूरत ?

विश्व रकी। यह विश्वास समितिके प्रस्तावोंसे नहीं मिल सकता। ईश्वर दीन दुखियोंका मालिक है, ईश्वर हिम्मतका देनेवाला है। "राम राखे तो कोई न ब्राख।" यह देह उसीका दिया हुआ है। वह खुशीसे ले जाय। दे०को सुरक्षित रखनेसे कहीं वह त्रिस्थायी हो सकता है? रुपयका तरह देहका भी विनियोग अच्छे काममें ही करना उचित है। और देह अर्पण

करनेके लिये इस अत्याचारसे मुक्त होने जैसा सुअवसर दूसरा क्या होगा ? इस तरह जो सच्चे दिलसे मानता है वह तो मुसकुराते हुए छाती खोलकर वेधडक और वेफिकर होकर गोलियोंको गेंदकी तरह झेल लेता है ।

इतना अटल विश्वास अगर हो तभी गुजरातकी किसी तहसीलको इस रणमें सामने आना चाहिये ।

सब लोगोंको इतना विश्वास न भी हो तो हर्ज नहीं । कमसे कम कितने लोगोंको होना चाहिये इसका अन्दाज़ मैं बता चुका हूँ । दूसरे लोगोंको गोलियोंका स्वागत करनेकी हिम्मत न हो तो भी हानि नहीं । पर उनमें इतनी दृढ़ता तो अवश्य होनी चाहिये कि चाहे उनका सारा घर-घार क्यों न लूट लिया जाय, पर वे हरगिज टससे मस न हों । भले ही घर-घार जायँ । जीते रहेंगे तो फिर उन्हींमें जायगे और उनको एकै नैका प्रयत्न करते हुए ही मरे गे । यही स्वराज्य है ।

अगर इतना बल किसी एक तहसीलमें भी न हो फिर हम स्वराज्यके योग्य किस तरह हो सकते हैं ? परन्तु जिन दिन एक भी तहसील इस परीक्षामें पास हो जायगी वस, उसी दिन अवश्य स्वराज्य है, क्योंकि उसी दिन हिन्दुस्तान दिव्य शस्त्रके उपयोग करनेमें कुशल माना जायगा ।

पर इससे यह न समझना चाहिये कि हममें बहुत बल आ गया है । यह तो आत्माका स्वभाव ही है । वोअर लोगोंकी खियोंने ऐसी बह दुरी दिखाई । लखों अगरेज ऐसी धीर-

ताका परिचय दे चुके हैं, और तुर्क स्त्री पुरुष तो आज भी उसको प्रगट कर रहे हैं।

परन्तु भेद है। वे मारते भी हैं और मरते भी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अमरता तो मरनेमें ही है। मारनेका काम छोड़कर मरनेका ही काम सीखनेमें क्या कोई कठिनाई है? मरना सीखनेके लिये तो हिम्मतकी जरूरत है। और विश्वास रखनेवालेमें वह निमित्तमात्रमें आ जाती है। मरना सीखनेके लिये शरीर भी जरूरत है। वन्दूक चलानेके महावरेकी जरूरत है। ऐसे हजारों ढकोसले जाननेके बाद कहीं मरना सीखनेकी नौबत आती है और फिर भी अन्तको 'खूनी' लोगोमें ही गिनती होती है।

पर कोई हिन्दू भाई कहेंगे कि ये बातें तो क्षत्रियत्वकी हैं। गुजरातसे क्षत्रियत्वका क्या वास्ता? हम तो एक व्यापारमात्र करना जानते हैं। गुजरात चाहे भले ही ऐसा हो, परन्तु हिन्दुत्व ऐसा नहीं। चारों वर्णों में चारों गुण अवश्य होना चाहिये। हा, यह सच है कि हर एकमें अपना अपना गुण विशेषरूपसे होता है, परन्तु अगर दूसरे गुण उसमें विष्कूल न हों तो वह नपुंसक है। जो माता अपने बच्चेके लिये मरना जानती है वह क्षत्रियाणी है, और जो पति अपनी पत्नीके लिये प्राण देता है वह भी क्षत्रिय है, परन्तु इन सबका कर्तव्य जगत्की रक्षा करना नहीं है। अतएव हम उन्हें क्षत्रियके रूपमें नहीं पहचानते हैं।

इस समय तो जगत्की-हिन्दुस्तानकी—रक्षा करना हर एक का धर्म है क्योंकि वह धर्म आज किसीका नहीं रहा है। नहीं दिखाई देता है।

यह तो हिन्दुओंकी बात हुई। गुजरातके मुसलमान, पारसी, जाटि क्या करे? हिन्दुस्तान उनका भी है, गुजरात उनका भी है। उन्हें भी हिन्दुस्तानको गुलामीसे छुड़ाना है। और वे भी केवल मरकर ही छुड़ा सकते हैं।

अतएव क्या हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और क्या यहूदी आदि, जो अपनेको हिन्दुस्तानी मानते हैं, उन सबको मरनेका मन्त्र सीखना और उसको साधना करना है। इस पाठको तो केवल वही पढ़ सकता है और बही बरन सकता है जो एकमात्र ईश्वरमें भरोसा रखता है।



अखिरी चेत्तावनी

—०—

(फरवरी ६, १९२१)

माननीय वाइसराय महोदय,

देहली

महाशय,

बम्बई प्रान्तके सूरत जिलेमें वारडोली नामकी एक छोटीसी तहसील है। उसकी आवादी कुल मिलाकर कोई ८७ ००० है।

गत २६ जनवरीको श्री विठ्ठल भाई पटेलके सभापतित्वमें वहा एक सभा हुई थी और उसने सामुदायिक सविनय कानून भंग शुरू करनेका प्रस्ताव पास किया। देहलीमें गत नवम्बर मासके प्रथम सप्ताहमें राष्ट्रीय महासभा समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावमें निर्दिष्ट शर्तों का पालन करनेकी योग्यता इस तहसीलने सिद्ध कर दिखाई है। शायद वारडोलीके इस प्रस्तावके लिये प्रधानत में उत्तरदायी हूँ, इसलिये जिस स्थितिमें यह प्रस्ताव किया गया है उसका खुलासा आपके तथा जनताके सामने कर देना मेरा कर्त्तव्य है।

महा-समितिके लिये वारडोलीको प्रथम पद देनेका विचार था। इस प्रकार सविनय भंगके द्वारा यह दिखलाना था कि खिलाफत, पञ्जाब और एराज्य सम्बन्धी भारतके निश्चयको

विलकुल न माननेके सरकारके पक्के दुराग्रहसे प्रजा सन्तत हो उठी है ।

इसके बाद वम्बईमें १७ नवम्बरको भारतके दुर्भाग्यसे दुःख दायक हुल्लड मच गया और उसका फल यह हुआ कि चारडोली-को अपना पूर्वोक्त विचार स्थगित रखना पडा ।

इस बीच भारत सरकारकी सम्मतिसे बङ्गाल, आसाम, सयुक्त प्रान्त, पञ्जाब, देहली और एक तरहसे बिहार, उड़ीसा आदि जगहोंमें घोर दमन नीति शुरू हुई । उन उन प्रान्तोंमें सत्ताधरियोंने जो जो काम किये हैं उन्हें 'दमन' कहा गया है । मैं जानता हू कि यह आपको बसन्त नहीं हुआ है । मेरा मत तो यह है कि जब किसी स्थितिका मुकाबला करनेके लिये आवश्यकतासे अधिक तेज उपायोसे काम लिया जाता है तब वह अवश्य 'दमन नीति' कही जाती है । लोगोंका माल असबाब लूट लेना, निरपराध लोगोंको मारना पीटना कैदियोंके साथ घातक रीतिसे बरताव करना, उन्हें कोड़े लगाना, ये घातें किसी भी तरहसे वा कानून न सम्भ्य अथवा आवश्यक नहीं मानी जा सकती । इस प्रकार जब सत्ताधारी ही मर्यादाका उल्लंघन करते हैं तब उसे अमर्यादित दमन नीति कह सकते हैं । हा, यह माना जा सकता है कि असहयोगियों तथा उनके साथियोंने कुछ हदतक हडतालोंके सम्बन्धमें तथा पहरोंके सम्बन्धमें लोगोंको दयानेकी नीति अख्तियार की है, परन्तु इससे नहीं उस पद्धतिका बचाव किया जा सकता है जिसके द्वारा शान्त स्वय-

सेवक मण्डल अथवा वैसे ही शान्तिमय सभायें भंग की जा रही हैं ? फिर ऐसा करनेके लिये उन असाधारण कानूनोंका दुरुपयोग किया गया है जो उन आन्दोलनोंके लिये तजवीज किये गये हैं जिनमें जान बूझकर हिंसाकाण्डके लिये निश्चित रूपसे स्थान था । फिर हमारे कितने ही लोगोंकी यह धारणा है कि साधारण कानूनका भी बेफायदा उपयोग बेगुनाह लोगोंको दवानेके लिये किया गया है । ऐसे दुरुपयोगके लिये यदि 'दमन नीति' विशेषणका प्रयोग न किया जाय तो फिर दूसरे किसका किया जाय ? फिर किस कानूनको रद्द करनेका इरादा सरकार जारी कर चुकी है उसकी रूढ़ि तथा गौरव अदा लती हुयमसे समाचार पत्र बन्द किये गये हैं, इसे भी 'दमन' नहीं तो क्या कहें ?

इसने इस समय देशके सामने जो कर्तव्य उपस्थित हो गया है वह यह है कि भाषण करने, सभा समाजका संचालन करने का जो अधिकार जनतारो है उसको न नष्ट होने देना ।

सरकारके वर्तमान रुखको देखते हुए तथा ऐसी स्थितिमें जब कि उपद्रव करने वाली शक्तियोंपर अपना अकुश रखनेके लिये लोग पूरी तरहसे तैयार नहीं हैं, असहयोगी मालवीय परिपद्धसे क्रिमी तरहका सम्बन्ध रखना नहीं चाहते थे । और उस परिपद्धका उद्देश यह था कि सब पक्षोंका एक सम्मेलन करनेके लिये आपको राजी किया जाय । परन्तु मैं इस बातके लिये उत्सुक था कि जितना कष्ट सहन रोका जा सके उतना

किसी भी दमनकारी कानूनके अन्दर आ जानी हों। इसी प्रकार वर्तमान पत्रोंपर जो अक्षय अकुश है वह भी दूर हो जाना चाहिए तथा उनके सम्बन्धमें जो अर्थदण्ड किया गया है और जज्जिया की गई हैं वह रकम वापस दी जानी चाहिए। मेरी यह माग उन देशोंको प्रथासे अधिक नहीं है जहा, यह माना जाता है कि, सम्य राजनीति प्रचलित है। यदि इस घोषणापत्रके प्रकाशित होनेके सात दिनोंके भीतर आप यह प्रगट कर देंगे कि मेरी मागों स्वीकार की गई हैं, तो मैं तबतक तीव्र सविनय भङ्ग स्थगित करनेकी सलाह देनेके लिए तैयार हूँ जयतक कि जो देशसेवक आज कैदखानेमें छूटकर नये निरसे परिस्थितिका विचार न कर सकें। यदि इस प्रकार सरकार मेरी मागोंको स्वीकार करे तो मैं यह मानूंगा कि वह लोकमतका आदर करनेकी शुभेच्छा रखती है और इसलिये मैं लोगोंको यह सलाह दूंगा कि आप किसी भी तरफसे अकुश लगायें बिना लोकमत तैयार करनेमें लग जाइए और यह विश्वास रखिए कि उसके द्वारा देशकी निश्चित मागें स्वीकृत हो सकती हैं, और ऐ सा होनेपर तभी सविनय कानून भङ्ग शुरू किया जाय जब कि सरकार सम्पूर्णत निष्पक्ष नीतिका त्याग करे अथवा भारतकी जनताके स्पष्टताके साथ प्रगट किये गये बहुमतका आदर करे।

अंगद-बक्सीठी

(फरवरी ५, १९२२)

सभ्यता पूर्ण युद्धका यह नियम है कि जब योद्धामें सपूर्ण युद्धका विकास हो जाता है तब वह पूरे तौरपर नष्ट हो जाता है। उस अवस्थामें तो वह विनयको छोड़ता ही नहीं। अत्येक युद्धके आरम्भमें वह प्रतिस्पर्द्धीको अवश्य चेतावनी देता है, उसे सावधान करता है और उसे अपनी भूलको सुधारनेके लिये अथवा युद्धका कारण दूर करनेके लिये अनु-सूचित करता है।

रामने रावणके साथ ऐसा ही विनय दिखलाया था। जब रामचन्द्र सेतुबन्ध रामेश्वर पहुच गये तब उन्होंने अपनी वानर सेनाको पङ्क्त किया और सोचने लगे कि अब रावणको जीतावनी देनेकेलिये किसे भेज ? कितने ही वानरोंको यह व्यवस्था आवश्यक न मालूम हुई। कितनेहीको यह कमजोरी दिखाई दी। रावण जैसे अभिमानीके साथ विनय दिखलाना उसके अभिमानको उत्तेजना देनेके बराबर है। रामने इन दलीलोंको गौरके साथ सुना और सेनाको समझाया कि रामकी सेनाको इस चिन्तासे कोई मतलब नहीं कि इस शिष्टाईका प्रसार रावणपर कुछ होगा या नहीं। रामकी सेना तो सिर्फ

तो फिर वह स्वेच्छाचारिणी रहो न सके। जहा दमननीति बन्द हुई कि बस फिर स्वेच्छाचारिताके बदले लोकमतका राज होने लगेगा।

सदुभाग्यसे सरकारने ही दमननीति शुरू करके इस प्रश्नको उत्पन्न किया है, बस हमें वीडा उठा ही लेना चाहिये सरकार जितना जी चाहे हमें कष्ट दे, पर हमारी तीन मागोंमें यह एक चौथी माग हो गई। और यह तो सर्वोपरि होनी ही चाहिये। हमें ऐसा समय ला देना चाहिये कि सरकार दमननीति जारी कर ही न सके।

दमननीति क्या है? हमारा मुह बन्द कर देना, हमारे सभा सम्मेलन भंग कर देना, और हमारे अखबारोंको बन्दकर डालना। वह लालाजीके 'बन्दे मातरम्' का गला घोट डाले, भला यह कहीं सहन हो सकता है? मजहर-उल हक साहबका 'मदरलैंड' बन्द कर दे, यह कहीं देखा जा सकता है? जाफर अली खाका 'जमीनदार' बन्द, हवीबखानका 'सियासत' बन्द, राधाकृष्णका 'प्रताप' बन्द। 'इण्डिपेंडेंस' तो बन्द हुई है। प्रयागका 'स्वराज्य' भी बन्द ही है। इन सबकी दवा हमारे पास अवश्य होनी चाहिये। यह दमननीति अब न चलने देनी चाहिये।

जो सरकार लोकमतके अधीन नहीं होनी चाहती वह हमेशा प्रजाकी पुकारका दम बन्द कर देनेका प्रयत्न करती है। जब दू... ऐसा नहीं कर सकती तब उसकी हार हो

जाती है। इसलिये वारडोलोकी ओरसे जो है उसमें दमननोति बन्द करनेकी बातको प्रधान पद दिया गया है। जब हमारी जमान खुल जायगी जब हमारे अख वार छपने लगेंगे और हम आजादीके साथ सभा सम्मेलन कर सकेंगे तब हम आजाद जैसे ही हैं।। समझना चाहिये कि तब तीन चौथाई खराज्य स्थापित हो गया। प्रजाकी पुकार ही सरकारको बाध्य करनेके लिये बस हो जायगी। खराज्यका एक अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार कर सकें। उस समय सिर्फ हत्याकांडपर अकुश रहेगा। हत्या कांडका हक तो हमें स्वराज्यमें भी नहीं मिलेगा।

उस वसीठी पत्रमें यह कहा गया है कि यदि सरकार शांत कार्योंके लिये गिरफ्तार किये गये कैदियोंको छोड़ दे और दमन नोति बन्द कर दे तो हम फिलहाल सविनय भङ्ग बन्द कर देंगे। तीव्र सविनय भंग उसे कहते हैं कि जिसमें व्यक्ति अथवा समुदाय जान बूझकर सत्ताका अनादर करनेके लिये निर्दोष मनुष्यजन कानूनोंका भी मर्यादाके साथ भङ्ग करे। जो भङ्ग हम आज सारे देशमें कर रहे हैं यह तो अनिश्चय अतएव शांतिमय भंग है। उसके घिना तो काम चल ही नहीं सकता। अर्थात् सरकारके द्वारा हमारा मुह बन्द किये जानेपर भी हम बोलें, सभा बन्द किये जानेपर भी सभाय कर, अखबारोंके बन्द कर देनेपर भी हम उन्हें लिख

लिखकर प्रकाशित करें। यह सब शीत सविनय मङ्ग है और जबतक ऐसे वेहूदे हुक्म निकलते रहेंगे तबतक यह भंग किया ही जायगा। परन्तु इसके अलावा जो भंग बचावके रूपमें नहीं, बल्कि सरकारको छेड़नेके लिये किया जाता है, जो बलवेके रूपमें है, उसे यदि सरकार दमननीतिसे बन्द कर देगी तो हम कर देंगे। मैं समझता हू कि इस शर्तपर हमें यह बन्द कर देना चाहिये, क्योंकि यदि सरकार हमारी वाचा, हमारी कलम और हमारे सभा सम्मेलनको स्वतन्त्र हो जाने दे तो फिर उसे हमारी मार्ग थोड़े ही दिनोंमें स्वीकार किये बिना छुटकारा नहीं।

अतएव इस समय बारडोलीपर जो भार है वह यही कि हमारे योद्धा लोग छुड़ा लिये जायें और दमननीति बन्द करा ली जाय। बारडोली यदि इतना कर सके तो कहा जायगा कि उसने अपना काम पूरा कर दिया। पर यदि वायसराय इतना भी न करे तो फिर वह क्या करेगा ? और यदि लोकमत प्रगट करनेका हक भी कुबूल न करे तो फिर तीव्र सविनय भंग किये बिना कैसे रहा जा सकता है ? एक हदतक तो मनुष्य अपना बचाव करता रहता है पर फिर तो उसे चढाई भी करना पडती है। तीव्र भंग एक प्रकारकी शान्त चढाई ही कहीं जा सकती है।

यह सब शिष्टाई हम वायसराय महोदयके साथ कर चुके हैं। इतनी शिष्टाई करके हमने पूरा सभ्यता प्रदर्शित

की है। इसका अर्थ यह है कि यदि ११ फरवरी तक बड़े लाइट साइव वारडोलीके मार्फत की गई मागोंको स्वीकार कर लें तो वारडोलीके सचिनय भगकी आवश्यकता बहुत कम रह जायगी। हमारी मागका दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। इमसे मेरा यह मत है कि वाचा, कलम और संघकी स्वतन्त्रताका स्वीकार किया जाना प्राय असम्भव है।

वारडोलीको जी जानसे अपनी तैयारी करनेकी आवश्यकता है। अभी जो जो पामिया रह गई हों उनको पूर्ति कर डाठे और प्रत्येक नर नारी ईश्वरल यह प्रार्थना करें कि हे सर्व शक्तमान् हमें जान और मालके नुकसानको सहन करनेकी पूरी शक्ति दे।



सरकारका जवाब

(१२ फरवरी १९२२)

वसीठी पत्रका उत्तर सरकारने दे दिया । उसे पढ़कर दुःख होता है, क्योंकि वह वेशमीसे भरा हुआ है, उसमें न तो कहीं पश्चात्ताप दिखाई देता है और न कहीं अपनी भूलोंकी स्वीकृति । बल्कि अथसे इति तक सरकारने उसमें अपनेको निर्दोष बताया है और असहयोगियोंको ही दोषी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है ।

इस उत्तरको पढ़नेके बाद मेरे दिलमें दो विचार उठे या तो जान बूझकर इसमें झूठी बातें लिखी गई हैं या उत्तरका मसविदा बनाने वालों और अधिकारियों पर सरकारको इतना अधिक विश्वास है कि वह इस बातको मानती ही नहीं कि वे लोग कभी भूल कर सकते हैं । मनुष्य-जातिके सम्मानके खातिर मैंने पहले विचारको छोड़ दिया और दूसरेको कायम रखता हूँ ।

दोनों बातें भयंकर हैं । जान बूझकर झूठ बोलना और करना अथवा अपने दोषको देख ही न पाना और इसी भ्रममें रहना कि मैं तो वेदाग हूँ, इन दोनों दोषोंसे मनुष्यको बचना चाहिए ।

मैं दूसरे दोषको मानता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि

मनुष्य अनजानमें बहुत भूलें करता है। असहयोगी जैसे अपनी भूलें नहीं देख पाते हैं वैसे ही सरकारके सम्बन्धमें भी हम क्यों नहीं करें? हमारा धर्म तो यह है कि हम अपने दोषोंको देखनेके लिए सूक्ष्म दर्शक यन्त्रसे काम लें और दूसरोके दोष दूरबीनके द्वारा देखें। केवल उसी अवस्थामें हम बड़े प्रयासके बाद अपने दोषको देख सकते हैं। जो नर नारी या समाज इस नीतिके अनुसार व्यवहार करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। जो अपने दोषोंको पर्वतके बराबर मानता है उसे दूसरोंकी भूलें प्रोजेक्तेके लिए बहुत कम समय रहता है। सो फिर तो मनुष्यको स्वयं अपने ही दोषोंसे दुखी होना रह गया। और दुखी होनेकी इच्छा तो वह स्वभावतः ही नहीं करना। इससे वह अपने पहाड़ जैसे दिखाई देने वाले दोषोंको जल्दी दूर कर डालता है।

मैं इसी नियमका अनुसरण करना चाहता हूँ। और सरकारके दोष देखनेके लिए आखोंके सामने दूरबीन रख लेना चाहता हूँ। दूरबीनकी एक खूबी पाठकोंको याद रखना चाहिए। दूरबीन हमें केवल दूर की ही वस्तुओंको, सो भी छोटे ही रूपमें, दिखाता है और नजदीककी चीजें तो उससे दिखाई ही नहीं देतीं। मुझे याद है कि मैंने सरकारको छोटी छोटी भूलों पर तो ध्यान ही नहीं दिया है। पर अब तो सरकारने हद्द कर दी। उस उत्तरमें सरकारने अपनी कितनी ही भूलोंको गुणके रूपमें दिखाया है और जिन भूलोंको गुण नहीं बताया जा

सकना उनको वह हजम कर गई है। सभाबन्दी और जमानबन्दी-के जो नोटिस इजरा किये गये हैं उनके विषयमें वह लिखती है कि यह बन्दी तो असहयोगियोंकी वदमाशीके लिए करनी पडी है। पर सच बात यह है कि ऐसा एक भी सुवृत्त सरकारने पेश नहीं किया है जिससे इस मनाईकी आवश्यकता सिद्ध हो। परन्तु इस मनाईके लिए तो कुछ दलील मिल सकती थी, इसलिये सरकारने गुणके रूपमें उसका परिचय कराया। परन्तु लूट-पाटका, मार-पीटका, खादी जला देनेका, महामभाके दफतरों-में चढाई करनेका वचाव किम तरह किया जा सकता है? लोग जी चाहे सो गुनाह करते रहें, पर इससे क्या सरकारी कर्मचारी भी कानूनके खिलाफ लूट या मार पीट कर सकते हैं? इसलिये इस बातको सरकारने टाल ही दिया है। इसी तरह उत्तरमें दूसरी गम्भीर बातोंके विषयमें अत्युक्ति अथवा मौनकी नीतिका अवलम्बन किया गया है। उनकी छानबीनमें मैं पाठकोंको उलझाना नहीं चाहता। उत्तर ता मिलने ही वाला था। मेरा यह भी ख्याल था कि उसमें कोई भारी बात न होगी। परन्तु जो बेशर्मी उसमें मुझे दिखाई देती है उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैं यह माँचता था कि उनमें नरम दलको कुछ तो शान्ति दी जायगी, पर वे सूखे ही रखे गये और असहयोगियोंके लिए तो जो बात पहलेसे चली आ रहा है वह हुई है। सत्कारकी अस्पृश्यताके सम्बन्धमें समझदार आदमीके लिए इस उत्तरसे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है?

श्री गान्धीजीका प्रत्युत्तर



सरकारके पूर्वोक्त पत्रका नोवे लिखा प्रत्युत्तर श्री गान्धीजी ने प्रकाशित किया है—

श्रीमान् वाइसरायके नाम मेरे लिये पत्रका जो उत्तर सरकारने दिया है उसे मैंने बड़े गोरके साथ पढ़ा है। इस उत्तरमें असली बातोंके सम्बन्धमें जो आला वाला बताया गया है उसके लिए मैं नैयार नहीं था। सरकारने जिन जिन बातोंको इन्कार किया है उनमेंसे पहली ही बातको मैं लेता हू। सरकार उत्तरमें कहती है “वह (सरकार) जोरके साथ इस बातका इन्कार करती है कि उसने वे कानूनी दमन नीतिका अवलम्बन किया है और वह इस बातको भी नामजूर करती है कि वर्तमान सविनय कानून भंगका आन्दोलन असहयोग दलको लेख स्वातन्त्र्य मापण स्वातन्त्र्य और सव्य स्वातन्त्र्यके प्रारम्भिक हकोंकी प्राप्तिके लिए मजबूरन उठाना पडा।” मेरे पत्रको सरसरी तौर पर ही देखनेसे यह मालूम हो जाता है कि यद्यपि देहलीमें महासमितिने सविनय कानून भंगको सत्ता दे दी थी तो भी वह शुरु नहीं हुआ था। मैंने अपने पत्रमें यह बात भी साफ साफ प्रगट कर दी थी कि बम्बईकी दुःखप्रद दुर्घटनाके कारण प्रस्तावित समुदायिक सविनय कानून भंग अनिश्चित समय तक स्थगित कर

दिया था। यह निर्णय यथासमय प्रकाशित कर दिया था और सरकार तथा जनता दोनोंको यह बात मालूम है कि अब भी लोगोंमें जो कुछ हिंसाकी प्रवृत्ति बाकी रह गई है उसको पगस्त करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न किया जा रहा था। यह बात भी सरकार और जनता दोनोंको मालूम है कि स्वयंसेवकोंसे एक खान किस्मके प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत कराये जानेकी तजवीज की गई है, जिसको उद्देश्य यही है कि शुद्ध चरित्र लोग ही भरनी होने पावें। दूसरे सब लोग अलग रह जाय। इस स्वयं-सेवक दलका मूल उद्देश्य यह था कि वह जनताको अहिंसाके सिद्धान्तकी शिक्षा दे और असहयोगके कार्यों के समय शान्ति कायम रखे। दुर्भाग्यवश बम्बईको दुर्घटना पर, और उससे भी अधिक शायद उसी दिनकी कलकत्तेवाली पूर्ण हड़ताल पर, भारत सरकार अपने आपसे बाहर हो गई। मैं इस बातसे इनकार नहीं करता कि कलकत्तेमें थोड़ा बहुत डराने धमकानेकी नीतिसे काम लिया गया होगा, परन्तु मैं यह कहनेकी वृष्टता करता हूँ कि इस डराने धमकानेकी वजहसे नहीं, बल्कि कलकत्तेकी पूर्ण हड़तालसे उत्पन्न मन्तापके प्रक्षौलित भारत सरकार और गद्गाल सरकारका विमर्ग खोल उठा। दमन तो इसके भी पहलेसे शुरू था ही, पर उसके खिलाफ न तो कुछ कहा ही जाता था और न कुछ लिखा ही जाता था। परन्तु स्वयंसेवक दलके विच्छेद और सभापन्दीके नोटिसोंके रूपमें जो दमन शुरू हुआ वह तो असहयोगी समाजमें धमके गोलेकी तरह फट पड़ा। तब

भी, मैं फिर कहता हू कि इन नोटिसोंने तथा यद्गालमें देशप्रयु दान्न, मौलाना अबुल कलाम आजाद, संयुक्त प्रान्तमें पण्डित मोतीलाल नेहरू तथा उनके साथी और पञ्जाबमें लाला लाजपत राय तथा दूसरे सज्जन, इनकी गिरफ्तारियोंने यह आवश्यकता पैदा कर दी कि आक्रामक तो अभी नहीं, पर बचावके स्वरूपका सविनय भङ्ग अर्थात् निष्क्रिय प्रतिरोध किया जाय। यहातक कि सर होएमसजी वाडियाको भी यह कहना पडा कि यदि प्रमर्शकी सरकारने भी यद्गाल, संयुक्तप्रान्त और पञ्जाबकी सरकारका पदानुसरण किया तो मुझे ऐसी आज्ञाओंका अवश्य प्रतिकार करना पड़ेगा अर्थात् अपना नाम स्वयसेवकोंमें लिखा-वेंगे या सरकारकी ऐसी आज्ञाको भङ्ग करनेके लिये जो समार्ये की जायगी उनमें सम्मिलित होंगे। इस तरह, यदि सरकार अपनी इस नीतिको न बदले, जिसके बदौलत भारतके कितने ही भागोंमें सार्वजनिक सभाये, सार्वजनिक सस्थार्ये तथा असह-योगी अप्रकार बन्द हो गये हैं, तो सविनय कानून भंगकी बुनि याद पूरी तरह तैयार हो चुकी है।

अब इस रुधनपर विचार करता हू कि सरकारने "वे कानूनी दमननीति अप्ट्यार नहीं की है।" 'कानून और शान्ति' के नामपर सरकारी अधिकारियों द्वारा होने वाले जङ्गली कामों पर अफसोस प्रगट करने या क्षमा मागनेके प्रजाय, रोद है कि सरकार अपने उक्तमें वे कानूनी दमनको स्पष्ट इनकार करती है। इस सम्बन्धमें मैं सरकार और जनता दोनोंसे ०।

करता हूँ कि वे नीचे लिखी बातोंपर गौरके साथ विचार करें, जिनकी सारभूत बातोंपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता—

(१) कलकत्तेमें इण्डाली मुकामपर सरकारी अधिकारियोंका गोली चलाना और यहातक कि मुर्देके साथ भी घृणित बर्ताव करना ,

(२) सिविल गार्ड्सके पाशविक अत्याचार, जो स्वीकार किए जा चुके हैं ,

(३) ढाकामें एक सभाका बलपूर्वक भंग किया जाना और बेगुनाह लोगोंका टाग पकडकर खींचा जाना, यद्यपि उन्होंने किसीको हानि नहीं पहुंचायो थी और न उसके कारण ही पैदा किये थे ।

(४) इसी प्रकारका सलूक अलीगढ़के स्वयसेवकोंके साथ किया जाना ,

(५) लाहोरमें सर्वसाधारणपर, तथा स्वयसेवकोंपर जो पाशविक और अकारण आक्रमण किया गया था उसके सम्यन्धमें डाक्टर गोकुलचन्द नारङ्गकी अध्यक्षतामें हुई कमिटीकी तहकीकातका फल ,

(६) जालन्धरमें स्वय सेवकों तथा सर्वसाधारणके साथ निर्दय और दुष्ट व्यवहार किया जाना ,

(७) देहरादूनमें एक बालक पर गोली चलाया जाना और घेरहमोंके साथ सार्वजनिक सभाको बलपूर्वक भङ्ग कर देना ,

(८) एक अफसरका और उसके सिपाहियोंका बिना किसी-

की इजाजतके बिहारके गावोंको लूट लेना, जिसे बिहारकी सरकारने कुबूल किया है, मगर जिसके सम्बन्धमें असहयोगी कहते हैं कि एक प्लैण्टरके इशारेपर किया गया, तथा सोनपुरमें महासभाकी खादी तथा फागजोंको जला डालना और स्वयं-सेवकोंपर हमला करना ,

(६) महासभा और पिलाफतके दफ्तरोंमें आधो रातको तलाशी लेना और गिरफ्तारी करना ।

सरकारा अधिकारियोंकी ये कानूनी और जङ्गली करतूतोंके ऐसे कितने ही 'अचूक सूनूत' हैं। यहा तो उनमेंसे कुछ ही पेश किये गये हैं। यह तो उन सब बातोंका दसवा हिस्सा भी नहीं है जो कि सारे भारतमें हो रहा है, और मैं यह बिना किसी खण्डनकी आशकाके बताना चाहता हू कि भारतके इन सब भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें जो ये कानूनी करतूतें हो रही हैं उन्हें यदि हम मानें तो जलियावाला बागके हत्या काण्ड और पेटके बल चलनेके हुकूमोंकी बात पञ्जाबके अमानुषिक अत्याचारोंको भी फीका कर देती है। यह मेरा निश्चिन्त विश्वास है कि पूर्वोक्त गंदे व्यवहारके मुकामिलेमें तो जलियावाला बागका हत्याकांड स्वच्छ व्यवहार था और इसमें भी दुःख और तरसकी बात यह है कि चूंकि इस बक लोगोंपर गोलिया नहीं झाडी जा रही हैं और उनको गर्दने नहीं मारी जा रही हैं, ये हजारों निरपराध मनुष्यों की यन्त्रणायें हमारे दिलको हिला नहीं पातीं जिससे देशका हर आदमी इस सरकारके खिलाफ उठ खड़ा हो। परन्तु मानों

इन वे गुनाहोके साथ पुकारा गया यह जद्ग काफी नहीं था, जेलोंमें भी बागडोर खींची जा रही है। हम कुठ नहीं जानते कि आज कराची जेलमें क्या हो रहा है, सावरमती जेलमें उस अकेले कैदीका क्या हाल हो रहा है और बनारस जेलमें एक दलपर क्या वीत रही है। ये सब लोग उनने ही वे गुनाह होनेका दावा रखते हैं जितना फि मैं रपता हूँ। उनका जुर्म यही है कि उन्होंने अपनेको अपने राष्ट्रीय सम्मान और गौरवका द्रस्टी बनाया। मैं आशा कर रहा हू कि वे स्वाभिमानी और तेजस्वी आत्माएँ अत्रिकारियोंका स्वाँग बनाने वाले इन गुस्नाख लोगोंके आगे झुक न जायगी। मैं कहता हू कि इस सत्ता-धारियोंको कोई हक नहीं है कि वे इन उच्च आत्माओको अपने सामने प्राय नङ्गा हाजिर होनेपर मजबूर करे, या किसी गुलामकी तरह हाथ जोड़कर सलाम करावे या यह कहकर कि 'सरकार एक है' अपना अदब करावे। ईश्वरसे डरनेवाला कोई भी शख्स यह दूसरा काम नहीं करेगा, फिर चाहे उसे काठमें लगाकर कितने ही दिनोंतक चौबोसो घण्टे क्यों न पड़ा किया जाय, जैसे कि बंगालके एक स्कूल मास्टरके विषयमें खबर आई है।

मनुष्य जातिके गौरवकी रक्षाके लिये, मैं यह विश्वास करता हू कि लार्ड रेडिङ्ग और उनके पत्रका मसविदा बनानेवाले उन घातोंको नहीं जानते हैं जिन्हें मैंने उपस्थित किया है, मैं वे इस बातके कायल हूँ कि हमारे कर्मचारी तो गलती करते

ही नहीं, और इसलिये वे उन बातों को
 हैं जिन्हें लोग 'ईश्वरीय सत्य' मानते हैं।
 जरा भी अत्युक्ति हो तो मैं उन्हें मर्यादा
 ले लूंगा और क्षमा याचना करूंगा जिस
 उन्हें कह रहा हूँ। परन्तु मैं तो इन बातों को न कि प्रत्येक अक्षरको किनासा
 सामने जितसे सरकारका कोई नगोषा न
 लिये तैयार हूँ। मैं श्री मालवीयजी तथा
 जो कि सर्वपक्षीय परिषद्के लिये सोरा प्र
 रोध करता हूँ कि वे इन आरोपोंकी
 कमीशन बैठाने जिसके निर्णयके
 जीत हो।

मनुष्य जातिके साथ यह जो
 रिक कष्ट किया जा रहा है, इसीके
 ही साथियोंको जीवन धारण किये
 और इन बातोंके होते हुए मैं सर्व
 की तफसीलमें नहीं खर्च करना
 है देशके साधारण कानूनका दुर्लभ
 सम्प्रदायमें लोगोंका एक गलत
 अतएव उसका सगोधन किये
 वह घटना लजाजनक और निन्दनीय
 रखना चाहिये कि जिन

कि
 लग-
 और जरियों
 और कानूनी
 ही अपने

उनमेंसे ४५ से अधिक आदमी असहयोगी या उससे सहानुभूति रखनेवाले हुल्लडवाज थे और जिन ४०० आदमियोंको चोट पहुँची है उनमें ३५० से ऊपर आदमी इसी जमातके थे। मैं शिकायत नहीं करता। उन असहयोगियोंकी तथा उनके हिमायती हुल्लडवाजोंकी घबही गत हुई जिसके लायक कि वे थे। उन्होंने हिंसाकाण्ड शुरू किया उसका फल उन्होंने पाया। और यह बात भी भूल न जाना चाहिये कि, बम्बई सरकारकी रायके खिलाफ असहयोगी लोगोंने ही सहयोगी और निष्पक्ष दलके लोगोंकी समुचित सहायतासे उस गोलमालको ठहा करके शान्ति स्थापित की थी।

सरकार यह आरोप करती है कि “क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट सिर्फ उन्हीं सस्याओपर लागू किया गया है जिनके बहुसंख्यक सभासद स्वभावतः हिंसा कार्य करते और डराने धमकाते थे।” यह आरोप सत्य है। भारतके जेलखानोंमें आज कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने किसीका कुछ नहीं बिगाडा है और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने हिंसा-वृत्तिका या डराने धमकानेकी नीतिका अवलम्बन किया हो और जिनको उस कानूनकी रूस्ने दी गई हो। इस कथनको प्रमाणित करनेके लिये अनेक सबूत दिये जा सकते हैं और इस बातके लिये भी कि प्रायः जहाँ जहाँ सभाएं भंग की गई हैं वहाँ हिंसा-कांड होनेका कोई डर नहीं था।

भारत-सरकार इस बातको अस्वीकार करती है कि अली

भाइयोंको माफीपर चायसरायने यह सम्य नोति अपत्त्यार की थी कि जयतक असहयोग आन्दोलन शान्तिमय बना रहेगा तब तक सरकार उसमें दखल न देगी। सरकारकी इस असवीकृति पर मुझे हृद् दर्जोका दुःख हो रहा है। सरकारने अपने उत्तरमें उम कम्यूनिक्का जो अंश उद्धृत किया है वही मेरी रायमें इस बातका काफो प्रमाण है कि सरकार ऐसी हलचलोंमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहती थी। सरकार उससे यह अनुमान कर लेने देना नहीं चाहती थी। “वे भाषण जिनसे राजद्रोह फैलता हो और हिंसाकी प्रेरणा कम होती हो कानूनके अनुसार गुनाहमें दायिल नहीं हो सकते।” मैंने यह कभी नहीं कहा कि किसी भी कानूनका भंग करना कानूनकी रूले गुनाह नहीं है। बल्कि मैंने तो यह कहा है, और अब भी कहना हू कि उस समय सरकारका यह चित्र नही था कि शान्तिमय हलचलोंके लिये अभियोग चलाये जाय, यद्यपि कानूनकी भाषामें उनके द्वारा कानूनका भंग होना हो।

सर्वपक्षोय परिषद्के सम्मन्त्रमें सरकार अपने उत्तरमें मेरे पत्रके इन शब्दोंको ‘तथा दूसरे जरियोंसे’ जो ‘कलकत्तेके भाषण’ के बाद आये हैं, गिल्कुल उडा देतो है। मैं फिर कहता हू कि वे शर्न जा कि मालवीय परिषद्के प्रस्तावोंमें रबी गई थीं लगभग वह थीं जिन्हें कि मैं ‘कलकत्तेके भाषण से तथा दूसरे जरियों से’ जान पाया था। असहयोग दल की जो हलचलें गैर कानूनी कही जाती हैं वे तो उन नोटिसोंको उठा लिये जाते ही अपने

आप बन्द हो जातीं, क्योंकि उन क्रोध कारक नोटिसोंके रद्द किये जाते ही स्वयंसेवक दलका संगठन और सार्वजनिक सभायें करना खिलाफ कानून रही नहीं सकता था। जबकि कलकत्ते में सुलहकी बातें हो रही थीं तब भी फतवा कैदियोंकी रिहाईकी बात पेश की गयी थी जौर मैं यहा फिर वही बात कहता हूँ जिसे मैं पहले कई जगह कह चुका हूँ कि यदि यह कहना राजद्रोह है कि वर्तमान शासन प्रणालीमें फौजी अथवा दूसरी नौकरी करना ईश्वर के और मनुष्य जातिके सामने पाप है, तो मुझे कहना होगा कि ऐसा राजद्रोह तो अवश्य होना चाहिये।

सरकारने इस कस्यूनिकमें मुझे पर यह आरोप किया है कि मैं प्रस्तावित सर्वपक्षीय परिषद् केवल अपने निर्णयको स्वीकार करानेके लिए चाहता हूँ। यह कह कर सरकारने मेरे साथ बड़ी निष्ठुरता पूर्वक अन्याय किया है। हा, मैंने महासभाकी मागे जितने स्पष्ट शब्दोंमें हो सकीं, जरूर पेश कीं, जिससे कि किसी तरहकी गलत फहमां न होने पावे और यह मेरा फर्ज भी था। अपना बात साफ साफ कहे बिना कोई महासभावादी किसी परिषद्में नहीं जा सकता था। मैंने तो यह आशा की थी कि मैं या कोई भी महासभावादी तर्क और दलीलके अयोग्य न समझे जायंगे। यह मामूलीशिष्टना तो हमारे साथ की जायगी। कोई भी आदमी आकर मुझे विश्वास दिला सकता है कि खिलाफत, पंजाब और खराज्य विषयक महासभाकी मागे अनुचित हैं, मैं अवश्य ही अपना कदम पीछे हटा लूंगा। भारत-सरकार

इस बातको जाननी है कि मेरी सदासे यही वृत्ति रही है।

कम्यूनिकमे काफो जोरके साथ कहा गया है कि मेरे घोषणापत्रमें जो मार्ग को गई हैं वे कार्य—समितिकी भागोंसे भी बहुत कम हैं, क्योंकि आज तो मैं आक्रामक ढङ्गके सविनय कानून-भंगको बन्द कर देनेके बदलेमें सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि यह बाहियात दमन बन्द कर दिया जाय, उसके अनुसार जिन लोगोको सजायें दी गई हैं वे छोड़ दिये जाय और इस नीतिको साफ साफ घोषणा कर दी जाय। कार्य—समितिने तो सर्वपक्षीय परिषद्को भी चाहा था। मैंने अपने पत्रमें सर्वपक्षीय परिषद्को चाह नहीं को है। यह सब है कि सर्वपक्षीय परिषद्की बात प्राप्त अवसरसे लाभ उठानेके ख्यालसे नहीं उठाई गई है, बल्कि यह तो हमारी वर्तमान कमजोरीकी स्वीकृति है। मैं बिना सकोचके इस बातको मानता हूँ कि जयतक भारतकी रग रगमें अहिंसाकी भावना पेचस्त न हो जायगी और नियमबद्धताके साथ बलका संचार न होगा, जो कि केवल अहिंसाके ही द्वारा प्राप्त हो सकता है, वह अपनी भांगे पूरी नहीं करा सकता। यही कारण है जो अब मैं कहना हूँ कि लोगोका सबसे पहला काम यह है कि वे इस अन्ध दमनको दूर करावें और फिर अधिक पूर्ण संगठन और अधिक विधायक कार्यों में अपनी शक्ति एकाग्र करे। और यहा फिर सरकारने सिर्फ यह कह कर कि “आक्रामक ढङ्गका सविनय भङ्ग तयतक मुब्तवी कर दिया जायगा जयतक कि जेलवाले

नेता छूटकर सारी रियतिपर नये सिरेसे विचार न कर लें" और मेरे पत्रका नीचे लिखा आखिरी भाग छोडकर मेरे साथ अन्याय किया है—

“यदि सरकार ऐसी घोषणा कर दे तो मैं उससे यह समझूंगा कि वह लोकमतका आदर करनेकी शुभ कामना रखती है और इसलिये विना हिचकिचाहटके लोगोंको यह सलाह दूंगा कि वे विना किसी भी तरफसे अकुश लगाये लोकमत तैयार करनेमें लग जाय और विश्वास रखें कि इसके द्वारा अपनी मांगें पूरी हो जायंगी तथा आक्रामक सविनय भङ्ग केवल उसी अवस्थामें शुरू किया जाय जब सरकार अपनी पूर्ण निष्पक्ष नीतिका त्याग कर दे या देशको स्पष्ट प्रकाशित लोकमतका आदर न करे।

मैं यह दावा करनेकी धृष्टता करता हू कि पूर्वोक्त बातोंके प्रतिपादनमें मैंने हृद् दर्जेकी युक्ति सगतता और नरमीसे काम लिया है।

सो, अब लोगोंके सामने, यह सवाल नहीं है जैसा कि सरकारी कम्यूनिकमें बताया गया है—अर्थात् वे धार्डनी अच्छी है, जिसका कि फल ऐसा घानक है, या उन सिद्धान्तोंकी रक्षा करना अच्छा है जो हरएक सभ्य सरकारके आधार भूत हैं? सरकार आगे कहती है—“सामुदायिक भङ्ग राज्यके पिये इतना घतरनारु है कि उसका सामना कठोरता और दृढ़ताके साथ किया जायगा।” वल्लि लोगोंके सामने यह

सवाल है कि खतरनाक होते हुए भी सामुदायिक सचिनय भङ्ग शुरू किया जाय या प्रजाकी बाकायदा हलचलोंका वे कानूनी दमन जारी रहने दिया जाय ? मेरी तो यह धारणा है कि किसी भी स्वामिमानी पुरुषके लिए यह असम्भव है कि वह भावी अज्ञात खतरोंकी आशकासे चुपचाप बैठा रहे और सारे देशमें 'कानून और शान्ति'के नामपर जो वे गुनाह लोगोंका माल असबाब लूटा जा रहा है और उनपर हमला किया जा रहा है, इसका कोई अकसीर इलाज न करे ।

चक्रमें

(फरवरी ६, १९२२)

उस दिन बङ्गालकी धारा सभाकी बैठकमें एक प्रस्ताव इस आशयका पेश हुआ था कि सरकार अपने तमाम दमनकारी नोटिसोंको उठा ले और उनकी रू से जितने लोग फेद किये हैं उन्हें छोड़ दे । इस प्रस्ताव पर बहस होते समय सर हेनरी व्हीलरने कहा, यह तो 'अत्यन्त अवास्तव बात है ।' ऐसा कह कर सर हेनरी व्हीलरने हमें बङ्गाल सरकार की और इसलिए भारत सरकार की भी स्थितिका वर्णन करनेके लिए बहुत मौजू साधन दे दिया गया है । वे खुद तो शायद ही यह बात जानते होंगे कि बङ्गालमें क्या हो रहा है, हा, उनके मातहत लोग जो

नेता छूटकर सारी स्थितिपर नये सिरेसे विचार न कर लें” और मेरे पत्रका नीचे लिखा आखिरी भाग छोड़कर मेरे साथ अन्याय किया है—

“यदि सरकार ऐसी घोषणा कर दे तो मैं उससे यह समझूंगा कि वह लोकमतका आदर करनेकी शुभ कामना रखती है और इसलिए बिना हिचकिचाहटके लोगोंको यह सलाह दूंगा कि वे बिना किसी भी तरफसे अकुश लगाये लोकमत तैयार करनेमें लग जाय और विश्वास रखें कि इसके द्वारा अपना मार्ग पूरी हो जायगी तथा आक्रामक सविनय भङ्ग केवल उसी अवस्थामें शुरू किया जाय जब सरकार अपनी पूर्ण निष्पक्ष नीतिका त्याग कर दे या देशको स्पष्ट प्रकाशित लोकमतका आदर न करे।

मैं यह दावा करनेकी धृष्टता करता हू कि पूर्वोक्त बातोंके प्रतिपादनमें मैंने हृदय दर्जेकी युक्ति सगतता और नरमीसे काम लिया है।

तो, अब लोगोंके सामने, यह सवाल नहीं है जैसा कि सरकारी कम्यूनिकमें धनाया गया है—अर्थात् वे आईनी अच्छी है, जिसका कि फल ऐसा घानक है, या उन सिद्धान्तोंकी रक्षा करना अच्छा है जो हरएक सभ्य सरकारके आधार भूत है? सरकार आगे कहती है—“सामुदायिक भङ्ग राज्यके निये इतना खतरनाक है कि उसका सामना कठोरता और दृढ़ताके साथ किया जायगा।” बल्कि लोगोंके सामने यह

जिससे वे उस प्रस्तावको नामंजूर कर दें। राय जाहिर करनेकी आजादीके लिए बङ्गाल-धारा सभाके इन सदस्योंने जो साहस दिखाया है उनके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं। क्योंकि जिन वे ईमानीकी शिकायत सर हेनरी व्हीलरने की है वह और कुछ नहीं, सरकारके मनाई हुक्मोका अनादर करते हुए भाषण स्वातन्त्र्य और सव स्वातन्त्र्यके अपने हकके अनुसार व्यवहार करनेका आग्रह है।

शान्तिमय सभाओंको बल-पूर्वक भग कर देना, महासभा और खिलाफतवादी समाचार पत्रोंकी तलाशिया लेना और चीजों को जबरदस्ती उठा ले जाना, तथा सर्वसाधारण पर आक्रमण करना और मार-पीट करना ये बातें सभासदोंके लिए तो इतनी भयकर सत्य थीं कि उस प्रस्तावका समर्थन करनेके सिवा उनका कोई चारा ही नहीं था। फिर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सर हेनरी व्हीलरने उस प्रस्तावमें जो तरमीम पेश की थी वह किसी तरह ऐसी नहीं थी जिसपर कोई समझौता न हो सकता था। उन्होंने एक गैर सरकारी कमिटीकी तजवीज करना चाहा था, जो इस मामलेका निपटारा कर दे, परन्तु सभासदोंने, इस समझौतेसे दिलकुल मुह मोड लिया और यह उन्होंने ठीक ही किया। वे इस बातके लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बुद्धि और ज्ञान जो गवाही दे रहे हैं उसकी नाप-जोख कोई कमिटी करे। अब बङ्गाल सरकार जरूर चक्रमें पड गई होगी। यदि वह उन निरपराध कैदियोंको छोड़ती है और

‘कुछ खबरें’ उनतक पहुँचा देना पसन्द करते हैं उतनी ही बात चाहे वे भले ही जान पाते हों। पैसेंके ब्यालमें चाहे धारा-सभाकी वह चर्चा ‘अत्यन्त अवास्तव बात’ हो। परन्तु उन पचास सभासदोंको तो स्थितिका प्रत्यक्ष ज्ञान था। वे सर हेनरीकी वकूतासे कैसे गुमराह हो सकते थे? उनकी दृष्टि में तो बङ्गाल-सरकारने जो गति विधि अख्तियार की है वही ‘अत्यन्त अवास्तव बात’ है। सर हेनरी व्हीलरने देशमें जिस वे आईनी के होनेका वर्णन किया है वह उनकी कल्पना सृष्टिमें भले हो हो। पर सभासदोंकी रायमें तो बङ्गालमें दर-असल जो कुछ हो रहा था उसके लिए बङ्गाल सरकारको उग्र उपायोंसे काम लेनेकी आवश्यकता नहीं थी। वे लोग जानते थे कि बङ्गालमें जो वे-आईनी कही जाती है वह मर्यादाबद्ध, सचिनय और शान्ति मय था तथा खुद नौकरशाहीके ही अधिचार पूर्ण कृत्योंने उसकी आवश्यकता उत्पन्न कर दी हैं। सर हेनरी व्हीलर सभासदोंको यह न समझा पाये कि देशबन्धु चित्तरञ्जन दास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबू श्यामसुन्दर चक्रवर्ती और नये शिकार बाबू हरदयाल नाग, बङ्गाल प्रान्तोय समितिके वृद्ध सभापति का कोई दुष्ट हेतु था। इन विश्वस्त नेताओं के तथा कितने ही वे गुनाह कार्यकर्त्ताओंके कैद किये जानेका चित्र उनके दिमागमें था। इससे सर हेनरी व्हीलरने स्थितिका जो डरावना खाका खींचा वह सभासदोंको उतनाही अवास्तव दिखाई दिया जितना कि शायद वह था और न वह उन्हें भयभीत ही कर सका

जिससे वे उस प्रस्तावको नामंजूर कर देते। राय जाहिर करनेकी आजादीके लिए घड़ाल-धारा सभाके इन सदस्योंने जो माहस दिपलाया हे उसके लिए वे धन्यवादके पात्र हैं। क्योंकि जिस वे ईमानोंकी शिकायत सर हेनरी व्हीलरने की है वह और कुछ नहीं, सरकारके मनाई हुयमोका अनादर करते हुए भाषण स्वातन्त्र्य और सघ स्वातन्त्र्यके अपने हकके अनुसार व्यवहार करनेका आग्रह हे।

शान्तिमय सभाओंको चल-पूर्वक भग कर देना, महासभा और खिलाफनवादी समाचार पत्रोंकी तलाशिया लेना और चीजो को जबरदस्ती उठा ले जाना, तथा सर्वसाधारण पर आक्रमण करना और मार-पीट करना ये बातें समासदोंके लिए तो इतनी भयकर सत्य थीं कि उस प्रस्तावका समर्थन करनेके सिवा उनका कोई चारा ही नहीं था। फिर यह बात ध्यान देने योग्य है कि सर हेनरी व्हीलरने उस प्रस्तावमें जो तरमीम पेश की थी वह किसी तरह ऐसी नहीं थी जिसपर कोई समझौता न हो सकता था। उन्होंने एक गैर सरकारी कमिटीको तजवीज करना चाहा था, जो इस मामलेका निपटारा कर दे, परन्तु सभासदोंने, इस समझौतेसे त्रिकुल मुह मोड लिया और यह उन्होंने ठीक ही किया। वे इस बातके लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बुद्धि और ज्ञान जो गवाही दे रहे हैं उनकी नाप-जोख' कोई कमेटी करे। अब घड़ाल-सरकार जरूर चक्रमें पड गई होगी। यदि वह उन निरपराध फ़ैदियोंको छोडती है और अपनेहु घमोल

नोटिसोको उठाती है तो महासभा और खिलाफत समितिया दूने बेगसे अपना काम बढ़ाये बिना मानेंगी नहीं। यदि वह उस प्रस्तावके अनुसार कार्य करनेसे इनकार करती है तो वह कितने ही नरमदल वालोंकी सहायतासे विमुख रहे बिना न रहेगी। हा, निस्सन्देह वह उनकी सहायताके बिना भी रह सकती है, जैसीकी बरसोंसे आजतक चली आई है। पर वह जरूर जानती होगी कि भारतमें नवीन युगका अरुणोदय हो चुका है। लोग अब दमनको किसी तरह सहन नहीं कर सकते। अब उन्हें दिनपर दिन अपने बल और सामर्थ्यका अधिकाधिक ज्ञान होता जाता है। कष्ट सहनके वे अधिकाधिक आदी होते जा रहे हैं। दुनियामें कोई सरकार ऐसी नहीं है जो दमनके द्वारा उन लोगोंको मुका सके जो कष्ट सहनकी शक्ति और इच्छा रखते हैं।

जो बात बङ्गालमें हुई वही विहारमें भी हुई। विहारकी धारा सभाने भी साफ साफ धातें कहीं। संयुक्तप्रान्तकी धारा सभाने समझौता कर लिया। पर वहा भी सरकारका पक्ष गिरा ही है। भारतके प्राय कोने कोनेसे रोमाचकारी दमनकी इतनी खबरे आ रही हैं कि उन सबके लिए मेरे पत्रोंमें स्थान ही नहीं रहता। अब बात केवल जेल और कैद तक नहीं रही है। यह तो दमनकारी कानूनोंकी भी बड़ी लज्जाजनक अवहेलना और तोड़ मरोड़ रही है।

सर हेनरी व्हीलरने हमें एक और भी अच्छा भाव प्रगट

करनेका साधन दे दिया है—“शब्दों और पदोंका जुलूम”। ‘दमन’ शब्द को सुनकर वे चौंक उठना नहीं चाहते। वे फरमाते हैं कि कानून तो सभी दमनकारी हैं। लोग इस शब्द को सुनकर भयभीत न हों। बल्के उन्हें असलियत पर ध्यान देना चाहिये। तो, आइये, हम असलियत का ही मुकाबला करे और “कानून और शान्ति” इस पद के अत्याचार की नस को परखें। सर होरमसजी घाडिया ने मालवीय परिषद् में प्रभावशाली शब्दों में कहा था कि “कानून और शान्ति” के पवित्र नाम पर फ्रान्स में बोशवन्स के जमाने में (फ्रान्स राज्यक्रान्ति के समय) और दूसरी जगह भी कितने ही कृष्ण कृत्य किये गये हैं। यदि हम इन दो शब्दोंके मोहन मन्त्र से अपना पीछा छुडा लें तो हमें पता लगेगा कि इस ‘कानून और शांति’ के रक्षकों ने अपनी करतूतों के द्वारा भारत के जान और माल को अरक्षित कर दिया है। अब लोग और यहातक कि धारासभाके सभासद भी, ‘शब्दों और पदों के अत्याचार’ में रहना नहीं चाहते और न सरकार की अत्यन्त अवास्तविक स्थिति से धोखा ही खा जाना चाहते हैं। यह समय की महिमा है। यह असहयोग इस समस्या को हल करने का बडा तेज साधन है। और हम शीघ्र ही देखेंगे कि सरकार और प्रजा दोनों आशापूर्ण वास्तविक बातोंके साथ परस्पर गले मिल रहे हैं और उन अत्यन्त अवास्तविक बातों के झमेले से मुक्त हो गये हैं जिनमें दोनों आजतक फसे हुए हैं।

आन्ध्रमें जागृति

(फरवरी २, १९२२)

नीचे लिखा लेख लिखनेके पहलेतक आन्ध्रसे दो तार आये थे । उनका सार नीचे दिया जाता है —

१—“आन्ध्र प्रान्तिक कार्यकारिणी समितिकी बैठक कल हुई थी । उसमें उपस्थित प्रतिनिधियोंने अपने अपने स्थानकी स्थितिका वर्णन किया और इस आशयका प्रस्ताव पास किया कि कर न देना सब दूर एकदम शुरू न किया जाय । इसके लिए प्रथम तो योग्य स्थान चुने जाय और उनमें भी यह देख लिया जाय कि देहलीवाली शर्तोंका पूरी तरहसे पालन उन उन स्थानोंमें किया जा रहा है या नहीं । इस जाचके अनुसार, जो जो स्थान योग्य समझे जाय वहीपर “कर न देना शुरू किया जाय ।”

२—“परसों और कल गन्तूर महासभा समितिकी बैठक हुई थी । प्रतिनिधियोंने अपने हलकेकी तैयारीका वर्णन किया । कई जगह लोगोंकी तैयारी बहुत अच्छी बताई गई, कई स्थानोंपर अस्पृश्यता पूरी नहीं मिटी । और कई जगह पूर्ण अहिंसा युक्त परिस्थितिकी आवश्यकता है । श्री० प्रकाशमूने सभाका ध्यान इस ओर धावा कि वह इस महत्वपूर्ण

कामको हाथमें लेनेके पहले अपनी जवाबदेहीको पूरी तरह समझ ले। इसके बाद श्री गाधीजीका वह पत्र जो २५ तारीखके "बाम्बे क्रानिकल" में प्रकाशित हुआ था पढ़कर सुनाया गया, और हरएक स्थानमें कितनी तैयारी हुई है यह देखनेके लिए एक समितिका सङ्गठन किया गया, फिर सभा समाप्त की गई।

गन्तूरमें सरकारकी ओरसे दमनकी खूब सशस्त्र तैयारियां हो रही हैं। मेरे ख्यालमें तो सरकारको 'दमनके इन' सब उपायोसे काम लेनेका पूरा हक है। उसे तो यह भी अधिकार है कि यदि उसको कहीं कर देना बन्द होनेकी भीति हो तो वह साधारण कानूनको भी स्थगित कर दे। हाँ, यह तो सत्य हो है कि कोई भी समझदार सरकार लोकमतको यहातक तो कभी झुग्ध नहीं करेगी कि जनता कर देनेसे भी इन्कार करने लग जाय। किन्तु हमें ऐसी आशा न करनी चाहिए कि जो सरकार लोकमतकी इतनी अवमानना करती है वह बगैर कठिन प्रयत्न ही नष्ट कर दी जा सकेगी। वह कमसे कम अपने कर लेनेका बन्दोबस्त तो अवश्य करेगी। और कर न देनेवाली जनताकी जमीनको वह जो पतित जातियोंको दे देनेकी आयोजना कर रही है उसमें भी उसे दोष देने लायक कोई बात नहीं दिखाई देती। यह तजवीज तो दोनों पक्षोंको ठीक मालूम होनी चाहिए। असहयोगियों तो अहिंसाका व्रत ही धारण कर लिया है। उन्होंने तो अपने ध्येयको

सिद्धिके लिए अपने सर्वस्वतकका त्याग करनेपर कामर कस ली है। अतः वे तो अपनी जायदाद खुशी खुशीसे नोलाम होने देंगे। और विपक्षमें सरकार, यदि कर पावे, तो इस कर न देनेकी हलचलको नष्ट भ्रष्ट कर देनेका तथा कर वसूल करनेके लिए हर तरहके उद्योग करनेका प्रयत्न अवश्य करेगी। जगत की गई जमीन अछूत जातियोंको दे दी जाने और उनके खरीदी जानेका प्रस्ताव है तो एक आदर्श बात। इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है कि जिन लोगोंको हम बुरी स्थितिसे उठाकर उत्तम बनानेका यत्न कर रहे हैं, ये जगत की गई जमीनें कुछ समयके लिए उन्हींके कब्जेमें रहे ?

मैं "कुछ समय"के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि उन जमीनोंपर अभी जिनका अधिकार है उनको अपने अङ्गीकृत कार्बमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हर हालतमें हमें स्वराज्य लेना है। और स्वराज्य मिलनेपर उन्हें फिर अपना पद सम्मानसे भूषित करके सौंप दिया जायगा। और अगर पुराने मालिकोंको उनकी जमीन फिर लीटा दी गई तो इससे उन पतित जातियोंको जिनका कि सरकार इस समय शतरञ्जकी प्यादियोंकासा उपयोग मात्र कर रही है, कुछ भी बुरा न मालूम होगा। क्योंकि स्वराज्य होते ही पहले इनको आबाद और सुखी और सन्तुष्ट करना सरकारका प्रथम कर्त्तव्य होगा।

सरकार जो दमनकी नई आयोजनायें कर रही हैं उसके लिए

इतना ही कहना काफी होगा। किन्तु इन उपायोंके करनेमें उसे जो डर और घबराहट मालूम हो रही है यह उसके दिलके पापका ही दृश्य स्वरूप है। कर वसूल करनेके लिए उसे अपनी लोकप्रियतापर तो जरा भी विश्वास नहीं। इसके लिए तो उसे सङ्गीनकी नोक तथा ऐसे ही दूसरे उपायोंका आश्रय लेना पडता है। वह लोकमान्य नेताओंको गिरफ्तार कर रही है और इस प्रकार लोगोंको हिसाकाण्डके लिए भडका रही है जिससे उसे अपने इन 'खूनी' उपायोंके समर्थन करनेका मौका मिले।

और इसीमें आन्ध्रकी परीक्षा है। वे अभीतक तो बड़ी यहादुरीके साथ काम करते आये हैं। त्याग भी उन्होंने खूब बताया है। उनके चुने चुने सब नेता जेल चले गये हैं। उनके मवेशी भी उनसे छोन लिये गये हैं। किन्तु अब भी वे शान्त हैं पर सबसे बुरा दृश्य तो अभी देखना ही बाकी है। जब सरकारको फौज उनपर गोलियोंकी घौंछार शुरू करेगी तब वे उसे कैसे भेदेंगे? धैर्य और हर्षके साथ अपनी आगे बढ़ी हुई छातियोंपर, न कि कापड़ोंकी तरह अनिच्छासे अपनी पोठपर और यह भी प्रतिहिंसाकी अथवा रोपकी छायातक अपने दिलमें न आने देते हुए। उन्हें चाहिए कि वे अपनी थालिया, लोटे, आदि खुशीसे ले जाने दें और खुद द्रोपदी और प्रह्लादकी तरह उस परमात्माकी प्रार्थना करते रहें और उसके प्रति अपनी श्रद्धाको अटल सिद्ध करते रहें।

कर न देना हमारा स्वत्व है। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि उससे असहयोगी श्रोमान् हो जाय। बल्कि उसका उद्देश तो इच्छापूर्वक स्वयं गरीब बनकर देशको धनवान् करना है। और वे इस अधिकारके पात्र तो आत्मशुद्धि करनेसे ही हो सकते हैं, यह सौभाग्य पानेकी पात्रता तो विदेशो कपडा छोडकर हाथसे कतो-बुनो खादी पहननेसे और अस्पृश्यताका धन्ना धोकर पतित भाइयोंको अपने भाई बनानेसे ही आ सकती है। हमें किसी पतिन भाईको अनिच्छासे नहीं छूना चाहिए। उसे तो प्रेमसे अपनाकर आलङ्घित देना चाहिये और उसकी सेवा करनी चाहिए और वह भी उसके प्रति अपने पिछले व्यवहारके हृदयसे प्रायश्चित्त करते हुए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि हम सरकारसे उसके द्वारा हमपर किये गये अत्याचारोंके लिए चाहते हैं। आवश्यक कर्तव्यका अनिच्छापूर्वक पालन करनेसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमें तो अपने हृदयमें हां पूरा परिवर्तन करना चाहिए। हमें उनके साथ पाठशालाओमें सम्मिलित होना चाहिए और सार्वजनिक स्थानोंमें भी उन्हें भाग लेने देना चाहिए। उनकी रुग्णावस्थामें हमें अपने भाईको तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें अपनेको उनका आश्रयदाता, अन्नदाता नहीं समझना चाहिए। हमें उनके खिलाफ अपने धार्मिक ग्रन्थोंकी दुहाई न देना चाहिए। जिन प्राचीन ग्रन्थोंके, रचयिताका ठीक ठीक पता न हो, तथा जिनका अर्थ पतित जातियोंके

मनुष्योचित स्वत्वोंके खिलाफ लगाये जा सकते हो उन सबका सशोधन कर डालना चाहिए। ऐसी प्रथाओंको भी प्रसन्नतापूर्वक उठा देना चाहिये चाहिए जो युक्तियुक्त, न्याय और मानवी हृदयके स्वाभाविक धर्मके खिलाफ हो। हमें किसी भी कुप्रथाका इतना गुठाम न बन जाना चाहिए कि आखिरको जब हमें किसी दबावके कारण अथवा अनिवार्य प्रसङ्गके उपरिष्ठ होनेपर उसे छोड़नेके लिये मजबूर होना पड़े तभी, एक कृपणकी तरह, अपनी बुरी कमाईके धनको लाचार होकर छोड़े फिर चाहे वह अज्ञान पूर्वक हो या किसी अन्य भ्रममूलक विचारसे हो।

अस्पृश्यताके सम्बन्धमें मुझे यहा इतना इसलिये लिखना पडा कि मुझे “आपको वहाको महासभा समितिके अस्पृश्यता-विषयक आश्वासनोंपर विश्वास न रखना चाहिए” इस आशयके कई तार मिले हैं। वे मुझे यह कह रहे हैं कि आन्ध्र अभी अस्पृश्यताको छोड़नेके लिये तैयार नहीं है। मैं वहाके नेताओंसे यह आग्रह करता हू कि आप इस बातका पूरा ब्याल रखें। महासभाके आशानुसार आपके कर्तव्यमें जरा भी गलती न रहने पावे। उसके बनाये हुए सार्धे रास्तेको जरा भी छोड़नेसे हम अपने स्वोद्यत कार्यमें इतनी भय कर हानि पहुंचावेंगे कि जिसे हम निर कमा सुधार ही न सकेंगे। अत्यन्त पवित्र बलिदान ही परमात्माको प्रसन्न कर सकता है। ईसाई धर्म तथा इस्लामके साथ साथ हिन्दू धर्मकी भी परीक्षाका

यह समय है। हिन्दू लोग अपने धर्म और उपनिषदोंके झूठे प्रतिनिधि कहे जायगे, क्योंकि वे तो मनुष्यकी योग्यताको छोड़कर दूसरे अधिकारको स्वीकार ही नहीं करते और जो बात हृदय तथा बुद्धिको युक्तियुक्त नजर नहीं आती उसे मानते ही नहीं।

आन्ध्रके लोग चहादुर और अपने प्राचीन गौरवके अभिमानी हैं। वे बड़े धार्मिक हैं और बलिदानकी क्षमता रखते हैं। देश उनसे बहुत भारी उम्मीद रखता है। और मुझे विश्वास है कि वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। अगर उन शर्तोंका पूरी तरह पालन करनेको वे अभी पूर्णतया तैयार न हों तो जरा ठहर जानेमें उनकी कुछ भी हानि न होगी। किन्तु अगर वे पूरी तरह तैयार न होनेपर भी लड़ाई छेड़ बैठेंगे तो अपना सर्वस्व खो बैठेंगे और देशको हानि पहुँचावेंगे।



सामूहिक आन्दोलन आतंक

(फरवरी २, १९२२)

जनतामें जितनी अधिक जागृति उत्पन्न होगी उतना ही अधिक सन्तोष लोगोंको होगा पर इससे इसकी आपत्तिकी सम्भावनाको नहीं भूल जाना चाहिये। मुझे समाचार पत्रोंसे अभी सूचना मिली है कि कोई लड़की मेरी पुत्री बनकर लोगोंसे पूजा करवाती फिरती हैं। इसके लिये मुझे खेद नहीं है यदि उदार और आत्मसयम रखनेवाली हजारों बालिकाये मेरी पुत्री होना स्वीकार करें तो इस बातसे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ। क्योंकि उनसे देशकी मर्यादा बढेगी और मेरी भी इज्जत होगी। उस अवस्थामें ससारही उन्हें विस्तृत परिवारका सदस्य समझने लगेगा। पर वास्तविक समझनेवात यह है कि मुझे कोई भी कन्या नहीं है। इस दुनियामें एक अछूत जातिकी छोटी बालिका है जिसपर मेरा कन्याकासा स्नेह है। उससे मुझे बड़ा सुख मिलता है और मुझे पूर्ण आशा है कि बड़ी होनेपर अपनी सच्ची और नम्रसेवासे संसारका पथ विस्तृत करेगी। अभी तो यह दिन रात खेलना ही पसन्द करती हैं। यह लड़की मुझे "बापू" कहकर पुकारती हैं। अन्य भी अनेक बालिकाये हैं जो मुझे पिताके समान मानती हैं पर मैं उनके प्रति उस भावको उस

मात्रामें नहीं दर्शा सकता जितनेकी वे इच्छा करती हैं। पर मैं भारतवर्षकी सभा कन्याओंसे यह बात कह देना चाहता हू कि मैं किसी भी अवस्थामें अपने अपमानके लिये उनके पिताका पद नहीं ग्रहण कर सकता। नहीं तो मुझे इस देशकी प्रत्येक कन्यासे वही स्नेह है जो मुझे अपनी स्वकीय पुत्रीसे हो सकता है।

पर जिस लडकीका समाचार मिला है वह तो एक तरह का धन्धासा हो गया है। मुझे समाचार मिला है कि उदय पुर राज्यमें मोतीलाल पञ्चोली नामके कोई व्यक्ति रहते हैं। उन्होने घोषित किया है कि वे मेरे शिष्य हैं और उसी हेतुसे शराबखोरी तथा अन्य बातोंके विरुद्ध आन्दोलन चला रहे हैं। मैंने सुना है कि जहा कहीं वे जाते हैं हजारों आदमी उन्हें घेर लेते हैं। उनमें आश्चर्यजनक शक्ति है। मैंने सुना है कि वे तथा उनके साथियोंने कुछ निपेयात्मक कार्यभी किया है। लोगोंको समझ लेना चाहिये कि मेरे एक भी शिष्य नहीं हैं। खिलाफत तथा कांग्रेस कमिटीके अतिरिक्त सम्प्रति ससार में मेरा और किसीसे सम्बन्ध नहीं है। जो कुछ काम मैं सम्प्रति करता हूँ इन्हीं दोनों संस्थाओंके नामपर तथा इन्हींके निमित्त करता हूँ। मेरे नामपर काम न तो कोई करता है और न किसीको पेसा करनेका अधिकार ही है। फेवल कांग्रेस और खिलाफतके काम मेरे नामपर किये जा सकते हैं।

मैंने सुना है कि उपरोक्त सज्जनने उस राज्यके (उदयपुर राज्यके)

किसानोंको राज कर देनेसे रोक दिया है। उनसे यह भी कहा गया है कि मेरी (गाधीजीकी) आज्ञा है कि सिरोही राजकी रियाया सवा रुपयासे अधिक मालगुजारी राजाको न दे। पर मैं इन सब बातोंके बारेमें कुछ नहीं जानता। इस विषयमें अभी किसीने मुझसे पूछा तक नहीं। उदयपुर राज्यके प्रधानमन्त्री पण्डित रमाकान्त मालवीयने ये सब समाचार मेरे पास भेजे हैं और लिखा है कि आपके नामपर अनेक तरहका अनर्थ किया जा रहा है। यदि मेरी आवाज उन रैयतोंतक पहुंच सकती है तो मैं उनसे सविनय अनुरोध करूंगा कि उन्हें उचित है कि अपना सारा दुःख राज्यके पास निवेदन करें और स्वयं आप अपने मनसे कोई कॉर्रैरवाई न करें। यदि फरको वे अधिक समझते हैं और उसे देना नहीं चाहते तो यह उनका अधिकार है। पर इस अधिकारका प्रयोग सावधानीसे सोच विचारकर करना चाहिये। उन्हें लोकमतको अपने पक्षमें फर लेना चाहिये और अपना दुःख कहानीको ससारेके सामने रखना चाहिये। यदि वे लोग इस तरह सतर्क होकर काम नहीं करेंगे तो वे देखेंगे कि सरकारों उनका विरोधी हो जायगा और अन्तमें उन्हें घोर क्षति उठानी पड़ेगी।



बंगालसे एक आवाज

(फरवरी २, १९२२)

बंगालमें मेरे एक मित्र हैं। वे देशके सच्चे हितैषी हैं। वे बंगालके क्षितिजपर काली घटा को जब कभी सम्भावना देखते हैं तो मुझे सूचना दिये बिना नहीं रहते। इस समय वे मुझे कर देनेके प्रश्नपर चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बंगालके सारे नेता जेलमें हैं इससे संभव है कि यह भीषण कार्य आरंभ कर दिया जाय। नेताओंको जेलयात्रापर मैं कोई दुःख नहीं प्रगट कर सकना पर मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता कि इसको सारी जिम्मेदारी सरकारकी बेवकूफी पर है कि जिसने इन शान्तिमय कार्यकर्ताओंको शान्ति भङ्ग करनेवालोंमें मान लिया है। सरकार स्वयं शान्ति भङ्ग करवाना चाहती है। उसकी कार्रवाईसे यही पता चलता है मानो वह देशको हिसाके लिये निश्चितरूपसे तैयार कर रही है। पर इसकी भी मैं निन्दा नहीं करता मैं तो इस बातको स्वीकार करता हूँ कि हम लोगोंने उससे अधिककी आशा की थी। इतनेपर भी मुझे साहसके साथ आगे बढ़ना है। हमें केवल मात्र ईश्वरपर भरोसा रखकर चलना चाहिये।

पर हमें इस बातसे सदा सावधान रहना चाहिये कि हम लोग

के कारण कोई विपत्ति या सङ्कट नहीं उपास्थित हो जाता। इसलिये मैं लगातार इस बातको लिखता आ रहा हू कि समस्त भारतको मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि जो तजर्वा मैं करना चाहता हूँ उसका क्या फल निकलता है। बङ्गालने बहुत काम किया है। उसने कष्ट भी खूब भेला है और विस्मयजनक काम किया है। उसके कष्टके दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं फिर भी यह पूर्ण आत्मसयमसे कार्य कर रहा है। मैं बङ्गालके सभी नेताओंसे प्रार्थना करूँगा कि वे अपने स्थानपर ही अडे रहें। आगे एक भी कदम न बढ़ावें। हा मिलने जुलने तथा भाषण करनेकी स्वतन्त्रताका वे अवश्य प्रयोग करते रहें। पर सामूहिक सविनय अवज्ञा आरम्भ करने या कर न देनेका अभी समय नहीं आया है। यदि कार्यकर्ता रैयतोको यह सलाह दें कि बाकी मालगुजारीको वे विवाक कर दें तो मेरी समझमें वे इस आन्दोलनका बहुत उपकार करेंगे।



सविनय भंगमें साफ़खानी

- १८५५ -

(फरवरी १२, १९२२)

रोहतफसे लाला श्यामलाल पूछते हैं कि उन जिलोंमें जहा कि सरकार गिरफ्तारियां नहीं कर रही हैं लोग आप हो कर गिरफ्तार हों या नहीं ? मेरा तो ब्याल था कि मैंने पिछले अंकोंमें इस बातको अच्छी तरह साफ साफ समझा दिया है। हा, अपने कर्तव्यका पालन करते हुए यदि गिरफ्तार होनेका मौका आये तो हमें उसे न टालना चाहिये, पर हमें अपना काम छोडकर सरकारको अपनी गिरफ्तारी पर मजबूर न करना चाहिये। ऐसा करना या तो आक्रामक सविनय कानून भङ्ग समझा जायगा, या अविनीत कानून भङ्ग कहा जायगा। इस दूसरेकी तो हमें बात भी न करनी चाहिये। किन्तु आक्रामक सविनय भङ्ग तो एक ऐसा अधिकार है जिसका उपयोग हम आवश्यकताके अनुसार, अपनी पूरी तैयारी होनेपर ही कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु अगर परिस्थिति वैसी ही विकट हो और साथ ही हमारी तैयारी भी हो, तब तो इस अधिकारका उपयोग करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। पर यह आक्रामक सविनय कानून भङ्ग फिर वह चाहे वैयक्तिक हो या सामुदायिक

हमारे पासके तमाम शान्तिमय उपायोंमें हे तो सबसे अधिक भयङ्कर और साथ ही सबसे अधिक परिणामकारक शस्त्र । मैं स्वयं तो जानता हू कि देशस्वामुदायिक रूपसे अभी इस प्रकार अपने स्वत्वोंके लिये भडनेको तैयार नहीं हुआ हूँ । इसके लिये तो हमें इससे भी महान् और कडो नियमबद्धताकी जरूरत है । कष्टकर और घृणित मालूम होनेवाले कानून और नियमोंका भी ठीक ठीक महत्व—नहीं मैं तो आध्यात्मिक महत्व कहनेवाला था—हमें समझ लेना चाहिये । आक्रामक सविनय भङ्ग तो एक ऐसा अधिकार है जो कठिन तपस्या करनेपर ही प्राप्त हो सकता है । हमारी तपस्या अभी इतनी उच्च नहीं हो पाई । इसलिये यदि अधूरी तैयारी पर ही हम आक्रामक सविनय भङ्ग शुरू कर बैठे तो हम एक ऐसी क्रान्ति कर डालेंगे जिसकी न तो हम आशा करते और न इच्छा ही । इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी क्रान्तिसे तो हमें हर प्रकारसे बचनेकी ही कोशिश करनी चाहिये । अतएव हमें कमसे कम इतना ता अवश्य करना चाहिये कि हम तथतक ठहरे रहें जयतक कि मैं खुद इस प्रयोगको करके उसका फल न देख लू ।

मुझे अभी यह सन्देह है कि देशमें कई स्थानोंमें हाथ कती और हाथ बुनी खादी पहननेकी शर्तका पालन अच्छी तरह नहीं हो रहा है—। इसी प्रकार अस्पृश्यताके रोगसे भी हम बहुतसी जगह मुक्त नहीं हुए हैं । मेरा तो ख्याल यह है

कि सिर्फ जेल जानेका सामर्थ्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई एकता, अस्पृश्यताको धोना और हाथ कती और हाथ धुनी खादी पहनना आदि शर्तों के पालन करनेकी तैयारी तथा सामर्थ्य है। यदि हम इन बातोंको पूरा किये बिना ही जेल चले जायें तो उससे कोई लाभ नहीं। वह तो खाली बहादुरी बताना है और अपनी शक्तिको व्यर्थ बघाना है। जेल जानेका खास हेतु यह नहीं कि सरकारको दिक् किया जाय। उसका मूलभूत उद्देश्य तो आत्मशुद्धि है। सरकारको दिक् करना तो गौण बात है। इस बातका तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि सरकार किसी निरपराध, अज्ञात और शुद्ध पुरुषपर अत्याचार करनेसे या उसे जानसे मार डालनेसे चाहे किसी प्रकार न घबरावे, पर उसका अन्त तो उसी समय हो चुका समझिये। गहरेसे गहरे अन्धकारको केवल एक ही दीपक नष्ट कर देता है। इसलिये मेरी इच्छा है कि हर जगह 'असहयोगी लोग सविनय कानून भङ्गकी तमाम शर्तोंको पूरा करनेपर जोर दें। सविनय कानून-भङ्ग तो हर एक शकस कर सकता है, यदि वह काया, वाचा, मनसा अहिंसाका पालन करता हो, हाथ कती और हाथ धुनी खादीको अपना पवित्र कर्तव्य समझकर पहनता हो, अस्पृश्यताको एक असहनीय बुराई समझकर उससे दूर रहता हो और यह सब दिलसे मानता हो कि भारतकी तमाम कौमों और जातियोंमें

एकता होना भारतमें खराब्य स्थापित करने तथा उसे चिरस्थायी रखनेके लिये सदैव आवश्यक है। हा, ऐसा कोई भी शास्त्र सविनय कानून भंग कर सकता है, फिर वह चाहे चकील हो, उपाधिधारी हो या काँसिलका सभ्य भी क्यों न हो।

— ० —

गर्जन-तर्जन

—•••••—

(फरवरी २६, १९२२)

जब कि ब्रिटिश सिह अपना खूनो पत्रा फेला कर हमारे मुंहपर टटकता है तब कोई समझौता हो ही कैसे सकता है। लार्ड बरकनहेड हमें याद दिलाते हैं कि ब्रिटेनका 'कठिन भुजबल' जरा भी कम नहीं हो गया है। माण्टेगू माहत्र साफ साफ जवानमें फरमाते हैं कि ब्रिटिश लोग ससारभरमें अपने निश्चयके बडे पके हैं। वे अपने उद्देशमें बाधा डालना कभी गवारा नहीं कर सकते। रुटने आपके कथनको इन शब्दोंमें प्रगट किया है—

“यदि हमारे साम्राज्यके अस्तित्वको ललकारा जाय, यदि भारतके प्रति ब्रिटिश सरकारको जो जवाबदेहिया है, उनके अनुसार काम करनेमें रुकावट डाली जाय और यदि इन गलत भरसे पर कि हम लोग चुपचाप भागतसे चल देंगे माने की जायँ, तो भारत ऐसे आह्वानमें ससारके अत्यन्त निश्चयी लोगोंको ललकारनेमें—सफल मनोरथ नहीं हो सकता।”

लोग ऐसे आह्वानका जवाब अपने पूरे बल वीर्य और निश्चयके साथ दिये बिना न रहेंगे।”

लार्ड बरकनहेड और माटेगू साहब दोनों इस बातको बहुत कम जानते हैं कि भारतवर्ष उस नमाम “कठिन भुजबल” के मुकाबिलेके लिये तयार है जो कि सात समुद्र पारसे यहा लाया जा सकता है और उसने तो सितम्बर १९२० में ही फलकत्तेसे अपना आह्वान शुरू कर दिया है। एव’ वह खराज्यसे रत्तीभर कममें तथा बिना खिलाफत और पञ्जाबका पूरा दुःख दूर हुए किसी तरह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इसमें अवश्य ही ब्रिटिश साम्राज्यको ललकारनेका समावेश हो जाता है, और यदि ब्रिटिश साम्राज्यके वर्तमान रक्षक लोग उसे शातिके साथ स्वतन्त्र राष्ट्रोंके सच्चे प्रजासङ्घके रूपमें जिसमें सबके बराबर हक हो और इच्छा होनेपर अलहदा हो जानेका अधिकार हो, परिणत करनेसे सन्तुष्ट न हों तो ‘ससारके उन अत्यन्त निश्चयी लोगों’ का तमाम बल बार्थ और निश्चय तथा ‘कठिन भुजबल’ उन्हें भारतमें खर्च करना पड़ेगा। पर भागतमें जो आत्मतेज जाग्रत हो चुका है उसे मटियामेट करनेका प्रयत्न करना निष्फल होगा। उस आत्म-तेजको न तो कोई दबा ही सकता है, न भंग ही कर सकता है। हा, यह सच है हम-भारतवासियोंके पास ‘कठिन भुज-बल’ नहीं है। भारतके लोग तो भात खानेवाले छोटे नाटे और दुबले-पतले हैं। परन्तु उन लाखों लोगोंने अब अपने

भाग्यका फैसला अपने आप करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया है। उन्हें न तो अब किसीकी संरक्षकता दरकार है और न वे शस्त्रास्त्रको ही छूना चाहते हैं। स्वर्गीय लोकमान्यके शब्दोंमें यह उनका 'जन्मसिद्ध अधिकार' है और वे उसे प्राप्त किये रहेंगे फिर चाहे उसके लिये कितने ही 'कठिन भुजबल' का प्रयोग उनपर किया जाय और वह चाहे कितने ही बल वीर्य और निश्चयके साथ किया जाय। भारतवर्ष इस गुस्तापीका जवाब गुस्ताखीके ही साथ नहीं दे सकता और न देगा ही। परन्तु यदि वह अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहा तो उसकी यह प्रार्थना कि हे ईश्वर, इस बलासे हमारा छुठकारा कर, कभी व्यर्थ न जायगी। इस पृथिवी पटलपर ऐसा कोई साम्राज्य अधिक दिनोंतक नहीं टिका है जो अपनी सत्ता और दुर्बल जातियोंकी लूट पाटके मदमें उन्मत्त हो गया हो। और यदि इस विश्वका शासन कर्ता कोई न्यायी ईश्वर हो तो यह ब्रिटिश साम्राज्य जो सत्तारकी दुर्बल जातियोंकी सुसगठित आर्थिक लूटपर तथा पशुबलके निरन्तर प्रयोगपर अपनी हस्ती रखता है, कभी जीवित नहीं रह सकता। ब्रिटिश राष्ट्रके प्रतिनिधि कहलानेवाले ये लोग इस बातको भी कम जानते हैं कि भारतने तो पहले ही अपने कितने ही अच्छेसे अच्छे आदमी ब्रिटिश सरकारके हवाले कर दिये हैं कि लीजिए शौकसे अपने 'कठिन भुजबल' को अपनाइये। राष्ट्रीय बलिदानके इस समान प्रवाहमें यदि चौरीचौराने बाधा न डाली होती तो इस सिहके

लोग ऐसे आह्वानका जवाब अपने पूरे बल वीर्य और निश्चयके साथ दिये बिना न रहेंगे।”

लार्ड बरकनहेड और माटेगू साहब दोनों इस बातको बहुत कम जानते हैं कि भारतवर्ष उस तमाम “कठिन भुजबल” के मुकाविलेके लिये तयार है जो कि सात समुद्र पारसे यहां लाया जा सकता है और उसने तो सितम्बर १९२० में ही फलकत्तेसे अपना आह्वान शुरू कर दिया है। एवं वह स्वराज्यसे रत्तीभर कममें तथा बिना खिलाफत और पञ्जाबका पूरा दुःख दूर हुए किसी तरह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। इसमें अवश्य ही ब्रिटिश साम्राज्यको ललकारनेका समावेश हो जाता है, और यदि ब्रिटिश साम्राज्यके वर्तमान रक्षक लोग उसे शातिके साथ स्वतन्त्र राष्ट्रोंके सच्चे प्रजासङ्घके रूपमें जिसमें सबके बराबर हक हो और इच्छा होनेपर अलहदा हो जानेका अधिकार हो परिणत करनेसे सन्तुष्ट न हों तो ‘ससारके उन अत्यन्त निश्चयी लोगों’ का तमाम बल वीर्य और निश्चय तथा ‘कठिन भुजबल’ उन्हें भारतमें खर्च करना पड़ेगा। परन्तु भारतमें जो आत्मतेज जाग्रत हो चुका है उसे मट्रियामेट करनेका प्रयत्न करना निष्फल होगा। उस आत्मतेजको न तो कोई दबा ही सकता है, न भंग ही कर सकता है। हां, यह सच है हम भारतवासियोंके पास ‘कठिन भुजबल’ नहीं है। भारतके लोग तो भात खानेवाले छोटे नाटे और दुबले-पतले हैं। परन्तु उन लाखों लोगोंने अब अपने

घरका कार

परमात्मा मुझपरअसौम दया कान्ता आया है। उसने मुझे तीसरी बार चेनाघनी दी है कि भारत अभी तक उनना सत्यमत और अहिंसापरायण नहीं हुआ है जितना कि उसे होना चाहिये। वह तभी सविनय भङ्गके योग्य कहा जा सकेगा जब वह पूरी तरह सत्य और अहिंसापरायण हो जायगा। सविनय भङ्गकी हालतमें तो उसे विनयशाल, सत्यमत, नम्र और सज्जान होना चाहिये। यद्यपि यह हरएक काम जानबूझकर करे तथापि उन प्रत्येक काममें प्रेम टपकना चाहिये। अपराध और द्वेषका नामानिश्चानतक न हो।

उसने पहले पहल मुझे १९१६ में चेताया, जब कि रौलट एक्टका विरोध करनेके लिये आन्दोलन उठाया गया था। अहमदाबाद, वारमगाव और एडेडाने गलती की। वही गलती अमृतसर और कासूरने दोहराई। और मैंने अपना पैर पीछे हटा लिया। मेरे हाथसे हिमालय जैसी भारी गलती हो गई, यह मैंने कबूल किया। परमात्मा और मानव जातिके सामने विनम्र होकर अपना तिर भुकाया और न केवल समुदायिक सविनय कानून भङ्ग स्थगित कर दिया, बल्कि अपना वैयक्तिक कानून भङ्ग भी जा कि सविनय और अहिंसात्मक ही होनेवाला था, स्थगित कर दिया।

सामने और भी अधिक तथा रुचिकर शिकार पेश किये जाते, परन्तु ईश्वर कुछ और ही चाहता था। पर फिर भी डाउनिंग स्ट्रीट और हाउटहालवाले ये प्रतिनिधि शौकसे जो बुरेसे बुरा कर सकते हों करें। कोई उनको रोकनेवाला नहीं है। मैं जानता हूँ कि समुद्र पारसे जो धमकी गुस्ताखीके साथ आई है उसके विषयमें मैं बहुत कड़ी बात लिख रहा हूँ। लेकिन ब्रिटिश लोगोंको यह बात एकगार समझ लेना चाहिये कि १६२० में जो सग्राम थारम्भ हुआ है वह अब रुक नहीं सकता—वह तो आखिरी फैसला करके ही शांत होगा—फिर चाहे उसमें एक मास लगे या एक साल अथवा कितने ही माह लगे या कितने ही साल और चाहे ब्रिटेनके प्रतिनिधि गदरके जमानेके तमाम भ्रोषण शस्त्रास्त्रोंको तथा बूसरे अवर्णनीय साधनोंकी देने बलके साथ काममें लावें अथवा न लावें। मैं तो सिर्फ यही आशा और प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा भारतको काफी नम्रता और बल प्रदान करे जिससे वह अन्ततक शान्तिमय बना रहे। पर अब ऐसी गुस्ताख ललकारोंके अधीन हो जाना जैसी कि समुद्र पारसे यथा समय आया करती हैं किसी तरह सम्भवनीय नहीं।

इसपर वे पीछे रहनेवाले महायत्नां लिये चिह्नाये और सारा जनसमूहका समूह पीछे उमड़ पडा। यह देप पुलिसने गोली चला दी। किन्तु उनके पास मसाला अधिक न था। वह शीघ्र ही पतम हो गया और वे बचावके लिये भागकर थानेमें घुस गये। ऐसा मेरे सवाददाताका कहना है। पर जनताने इसपर थाने हां में आग लगा दी। सिपाहियोंको जिन्होंने अपनेको अन्दर बन्द कर लिया था, लाचार हो जान लेकर बाहर भागना पडा और ज्योंही वे बाहर आये त्योंही उनके टुकडे टुकडे करके वे आगकी भधकती हुई भीषण ज्वालाओंमें फेक दिये गये। यह भी कहा जा रहा है कि इस पाशविक कृत्यमें असहयोगी स्वयंसेवकोंका भी हाथ था। और जनता भी केवल उसी घटनासे उत्तेजित न हो उठी थी बल्कि उस जिलेमें जनतापर किये गये पुलिसके बहुतसे अत्याचारोंसे परिचित थी। पर कुछ भा हो, उन निराश्रित और लाचार होकर जनताकी शरण आये हुए मनुष्योंकी इस तरह हत्या होना तो किसी हालतमें ठीक नहीं कहा जा सकता, फिर जनता चाहें कितनी ही क्षमों न उकसाई गई हो। और जनताका यह खून पारायी कर बैठना उस हालतमें तो और भी भारी अपशकुन है। जब हम यह दावा कर रहे हैं कि उसने अहिंसाव्रत धारण किया है और अहिंसा द्वारा हम भारतको स्वतन्त्रता देवीके सिंहासनपर बैठाने जा रहे हैं। मान लीजिये कि परमात्मा वारडोलीके सविनय भङ्गमें

इसके बाद दूसरी चेतावनी मुझे वम्बामें मिली, जब कि परमात्माने मुझे बड़ी हरावनी तरहसे सचेत किया। इस बार तो उसने १७ नवम्बरके दिन वम्बईके हुल्लडवाजोंकी करतूते अपनी आखों दिखाईं। हुल्लडवाजोने तो ऐसा करनेमें असहयोकी मलाई सोची। किन्तु उसका फल यह हुआ कि शीघ्र ही वारडोलोमें जो समुदायिक सविनय कानून भङ्ग शुरू होनेवाला था उसे आगे ढकेलनेका विचार मुझे जाहिर करना पडा। इस बार मेरी भद १६१६ से कई गुना अधिक उडी। किन्तु उससे मेरा भला ही हुआ। और मुझे तो यकीन है कि उस समय उस आन्दोलनकी स्थिति कर देनेसे राष्ट्रका भी भला ही हुआ। उस समय अपना कदम पीछे हटाकर भारतने ससारको यह दिखा दिया कि वह सत्य और अहिंसाको सबसे अधिक चाहता है।

पर तब भी मेरी बुरीसे बुरी फजीहन न हुई थी। वह तो अभी होनेवाली थी। मदरासने आवाज दी, पर मैंने उसे सुनी अनसुनी की। पर परमात्माने चोरी चौरासे और भी जोरसे आवाज लगाई। मुझे मालूम हुआ है कि जनता उन पुलिसके जवानों द्वारा, जो बुरी तरह नोंच काटकर मारे गये थे बहुत उफसाई गई थी। उनके इन्स्पेक्टरने यह वचन दिया था कि पुलिस लोगोंको तद् न करेगी। उसका भङ्ग उन्होंने किया। किन्तु जब जुलूस निकल चुका तब कुछ पीछे रहने-वालोंने उन पुलिसके जवानोंने छेडछाड और गाली गलौज किया

सत्य, धर्म अतएव परमात्मासे भी मुह मोड लेनेके लिये शैतान बुला रहा है। मैंने तो अपनी शङ्काए कुशङ्काए और कठिनाइया कार्यकारिणी समिति तथा दूसरे सायियोंके सामने जो कि उस समय उपस्थित थे, रख दी। पहले पहल वे सब मुझसे सहमत नहीं हुए। और कोई २ तो अब भी शायद मुझसे सहमत नहीं हैं। पर मैं तो यही कहूँगा कि जैसे विचारशील और क्षमावान साथी पानेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है ऐसा शायद ही कभी किसीको मिला हो। वे मेरी कठिनाइयोंको समझ गये और मेरे विचारोंको शान्तिके साथ सुनने रहे। उसका फल आज कार्यकारिणी समितिके प्रस्तावोंके रूपमें जनताके सामने उपस्थित है। करीब करीब तमाम आकामक कार्यक्रमका एकदम पीछे ले लिया जाना राजनैतिक दृष्टिसे भले ही अदूरदर्शिता तथा बुद्धिमत्ता शून्य काम समझा जाय। पर यह तो नि सन्देह सत्य है कि वह धार्मिक दृष्टिसे बड़ा ही अच्छा और विचारपूर्ण काम हुआ। और जिनके दिलमें इस विषयमें जरा भी सन्देह है उन्हें मैं यकीन दिलाकर कहता हूँ कि हा, मेरी यह फजीहत तो हुई और मुझे अपनी भूल कबूल करनी पड़ी, पर देशका इससे भला ही होगा।

मे अगर किसी सद्गुणका दावा करना चाहता हूँ तो वह सत्य और अहिंसा परायणता ही है। मैं अपनेमें किसी दैवी दावा नहीं करता। और न मुझे वह

विभूषित कर दे, और यह भा मान लीजिये कि सरकार भी बारडोलोके विजयी वीरोंके पक्षमें देशके शासनसे अपना हाथ निकाल ले, तो इस निरकुश जनसमूहको, जो अच्छी तरह उकसाये जानेपर ऐसे अमानुष रुन कर बैठता है, समालकर शान्त रखनेका भार, किसपर जा गिरेगा? अहिंसात्मक स्वराज्यका मार्ग भी अहिंसात्मक ही होगा। अत एव जनताके निरकुश हिस्सेको भी अहिंसा द्वारा ही हमें अपने वशमें लाना है। अहिंसात्मक असहयोगी तो तभी विजयी कहे जायगे जब वे देशके हुल्लडवाजोंको अपने वशमें कर ले। अथवा दूसरे शब्दोंमें यह कहिए कि जय वे भी कमसे कम तबतक तो देशसेवाकी दृष्टिसे या धार्मिक भावसे अपने अहिंसात्मक कृत्योंसे वाज आना सीख जायं जबतक असहयोगका जङ्ग चल रहा है। इसलिये चीरोचीराकी दुर्घटना तो मेरी आर्षे पूरी तरह खाल दा।

पर शैतानकी आवाजने मेरे कानोंमें कहा "जनाब आपने बड़े लाटको आखिरी चेतावनी दी और उनका उत्तर मिलनेपर फिर बड़ा लम्बा चौड़ा प्रत्युत्तर दिया उसका क्या करोगे? बस हो चुका सब" इस फजौहतको घरदाशत करना सबसे अधिक कठिन बात है। सबमुच, बड़े जोश और रौबके साथ सरकारको धमकिया देकर दूसरे ही दिन तथा बारडोलोके लोगोंको बड़े अश्वासन देकर, दूसरे ही दिन पीछे कदम हटा लेना कायरता तो जरूर कही जा सकती है। इस समय तो

एक अत्यन्त छोटा सा हिस्सा है न ? जब तक दूसरे भागोंसे उसे पूरा सहयोग न मिलेगा तब तक वह अपने प्रयत्नमें कैसे सफल हो सकता है । वारडोलीका कानून भग तो तमी सविनय सौर शान्तिमय रह सकता है—जब उन समय अन्य प्रान्तोंमें भी पूर्ण शान्ति हो । नमफकी एक छोटी कली तमाम दूधको कैसे बेकाम कर देती है ? ठीक उसी प्रकार वारडोली चाहें कितनी ही शान्तिसे क्यों न काम करे चौरा चौराका विष उसके तमाम कामको मिट्टीमें मिला देगा । क्योंकि जैसे वारडोली भारतके भावोंको जाहिर करता है वैसे ही चौरा चौरा भारतका ही एक हिस्सा है न । वह भी तो उसके उद्दण्ड भावोंको दर्शाता है । चौराचौरा तो देशकी हिंसा वृत्तिका एक परिणत चिन्हमात्र है मेरा भी तो यह ख्याल अभी तक नहीं था कि जहा जहा दमन जारी है वहा वहा हिंसा, मानसिक या कार्यमें हुई न होगी या होती ही न होगी । मेरा तो यह विश्वास था और अब भी है कि जिस तरहसे दमन हो रहा है वह सीमासे बहुत बाहर है और वहा जनताको ओरसे जो कुछ हिंसा हुई होगी वह अत्यन्त थोटी और दमनके मुकाबलेमें नगण्य होगी । जहा सभायें करनेकी मुमानियत है वहा निश्चय करके सभायें करना इसको मैं हिंसा नहीं कहता । हिंसा तो मैं जहा कहीं ईंट पत्थर फेके गये, जनताको धमकिया दी गई, कहीं २ लोगोंपर जबर्दस्ती की गई उसको कहता हूँ । सच पूछिये तो सविनय भङ्गमें उर्ध्वजना होनी ही न चाहिये । सविनय भग तो घुपचाप कष्ट सहनकी

दरकार ही है। मेरा शरीर भी उसी एक दिन नाश पानेवाली मिट्टीका बना हुआ है जिसका कि मेरे एक कमजोरसे कमजोर भाईका बना हुआ है। और इसलिए मेरे हाथसे भी वे सब गलतिया होनेकी सभावना है जो कि उसके हाथसे हो सकती हैं। मेरी सेवायें अत्यन्त परिमिन और अपूर्ण हैं। किन्तु उन अपूर्णताओंके होते हुए भी अभी तक उन्हें परमात्माने अपना कर मुझ पर असीम कृपा की है।

क्योंकि अपनी गलतीको स्वीकार करना एक बड़ी अच्छी बात है। वह एक झाड़ूका काम करता है। जिस प्रकार झाड़ू तमाम गंदगी हटाकर जमीनको पहलेसे भी अधिक साफ कर देता है उसी प्रकार अपनी गलतीको स्वीकार करनेसे हृदय धलका और दिल साफ हो जाता है। इसलिये अपनी गलतीको स्वीकार करनेसे ऐसा अनुभव कर रहा हूँ और मुझमें अधिक बल आ गया है। इसे पोछे हटनेसे हमारे कार्य को भी उन्नति ही होगी। सीधी राहको छोड़ देनेसे मनुष्य अपने उद्दिष्ट स्थान को कभी नहीं पहुँच सकता।

कोई २ यह भी कहते हैं कि चौरी चौराका असर बारडोली पर नहीं गिर सकता। वे कहते हैं कि "अगर बारडोली स्वयं अपनी कमजोरीके कारण चौरी चौराकी घटनासे विचलित होकर कहीं हिंसामें प्रवृत्त हो जाय तभी खतरेकी बात है।" बारडोलीका तो मुझे पूरा विश्वास है। मेरे ख्यालमें तो बारडोलीके लोग भारतमें सबसे अधिक शान्त हैं। पर बारडोली नो भारतका

वे प्रान्त बीचमें ही सविनय कानून भंग शुरू न कर बैठें जिन्होंने उमकी शर्तें पूरी करके पहले योग्यता और आज्ञा प्राप्त न कर ली है।

अभी तो कांग्रेस रचना भी अपूर्ण ही है और उसकी आज्ञा-ओंका पालन भी ऊपर ऊपर हो रहा है। हमने अभी हर एक गावमें और मौजे मौजेमें कहा महासभाकी शाखाएं खोली हैं ? और जहा जहा वे खुल भो गई हैं वे सब कांग्रेसकी आज्ञाओंका कहा अच्छी तरह पालन कर रही हैं ? अभीतक एक करोडसे अधिक सदस्योंके नाम भी तो हमारे महासभाके रजिस्ट्रमे दर्ज नहीं हुए हैं। अभी फरवरी महीना चल रहा है, पर अभी बहुतोंने इस सालके वार्षिक चन्दके चार आने भी नहीं दिये हैं। स्वयंसेवकोंके नाम दर्ज करते समय भी उचित ध्यान नहीं रखा जाता। वे अपने प्रतिभापत्रकी तमाम शर्तोंका पालन नहीं करते। वे हाथ कती चुनी खादी भी तो नहीं पहनते हैं। सब हिन्दू स्वयंसेवकोंने अहिंसाका पाप अभी कहा धो डाला है ? इस प्रकार वे सब अभी पूरे तरह अहिंसापरायण कहा हो गये हैं ? केवल उनके जेल जानेसे ही कहीं हम खराब न्य थोड़े ही प्राप्त कर सकते हैं। न उससे खिलाफन ऐसे पवित्र कार्यकी सेवा कर सकते हैं या कोईमान नौकरोंकी पेंशन बन्द कर देनेकी योग्यता ही प्राप्त कर सकते हैं ? कई तो लाचारीसे भूले कर बैठते हैं। पर कई ऐसे हैं जो जान बूझकर पाप करते हैं। वे जानते हैं कि अहिंसाका पालन वे नहीं कर रहे हैं और न करना ही

तैयारी मात्र है। उसका प्रभाव धीरे धीरे हो और एक दम न दिखाई दे तो क्या हुआ? यह प्रभाव तो आश्चर्यजनक होता है। किन्तु मेरा यह भी ख्याल है कि कुछ उद्योजना तो रहेगी, वह विलकुल नहीं निकाल दी जा सकती। मेरा यह भी ख्याल था कि कहीं कहीं हिंसा भी होगी ही, किन्तु जान बूझकर नहीं, अर्थात् कुछ क़ूठ अपूर्ण स्थितिमें पविनय कानून भङ्गका होना मुझे असम्भव नहीं नजर आया। क्योंकि पूर्ण तैयारी होनेपर तो सविनय भंग मालूम ही नहीं होता है। पर अभी इतनी प्रतिकूल परिस्थितिमें इन आन्दोलनका छोडना तो मन्त्रमुच महा भीषण प्रयोग होगा।

सचमुच, चौरीचौराको दुर्घटना एक भारी सकेत बिन्दु हैं। वह दिखा रहा है कि अगर शीघ्र ही कोई खान्ना प्रतिबन्धक उपाय न किया जाय तो देश किस ओर बड़ी आसानोसे झुक सकता है। अगर हमें अहिंसामेंसे हिंसाका विकास नहीं करना है तो यह साफ है कि हमें अपने कदम तेजीसे पीछे हटा लेना चाहिये, और फिर शान्ति स्थापित कर देनी चाहिये फिर अपना नया कार्यक्रम बना लेना चाहिये और तबतक समुदायिक सविनय कानून भङ्ग शुरू करनेका ख्याल भी न करना चाहिये जबतक कि हमें यह पूरा विश्वास और निश्चय न हो कि समुदायिक सविनय कानून-भङ्ग शुरू होनेपर तथा सरकारके जमताको हजार उफसानेपर भी हम जनताकी शांति भंग न होने देंगे। सिवा इसके हमें यह भी विश्वास होना चाहिये कि

और जोश घना रहता, स्थगित कर देना मेरे प्रायश्चित्तके लिये काफी नहीं है। क्योंकि चौरीचौराको दुर्घटनाका, चाहे कितना ही अप्रत्यक्ष रीतिसे क्यों न हो, मैं नियमित कारण जरूर हुआ हूँ।

इसलिये मुझे किसी प्रकार काफी प्रायश्चित्त जरूर करना चाहिये। मुझे एक ऐसा यत्र धन जाना चाहिये कि जिसमें अपने आसपासके नैतिक वातावरणमें कहीं भी जरा फरक हो तो उसका असर मेरे हृदय पर फौरन दीख पड़े। मेरी प्रार्थना और भी अधिक सत्यपूर्ण तथा विनम्र होनी चाहिये। और मेरे लिए तो निरश्व और उसके साथ ही साथ आवश्यक मानसिक सहयोगके जैसा उपयोगी और हृदयको शुद्ध करनेवाला दूसरा उपाय ही नहीं।

मैं जानता हूँ कि मानसिक अवस्था ही सबकुछ है। क्योंकि जैसे प्रार्थना किसी पक्षीके कलरवकी तरह भक्तिशून्य हो सकती है वैसे ही उपवास भी शारीरिके कष्टके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। इन ऊपरी उपायोंका महत्व हृदय शुद्धिके लिए कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जैसे प्रार्थनाके केवल गायनसे कठ अच्छा हो सकता है। वैसे ही उपवाससे भी देह शुद्ध हो सकती है। किन्तु आत्मा पर तो दोनोंका असर कुछ नहीं होगा।

किन्तु जब पूर्ण आत्म प्रकाशनके हेतुसे उपवास किया जाता है, जब शरीर पर आत्माका प्रभुत्व प्रस्थापित करनेके

चाहते हैं पर तो भी वे स्वयंसेवकोंमें अपना नाम लिखा देते हैं। इस प्रकार ज से हम सरकारको झूठी कह रहे हैं ठीक वैसे ही हम भी हैं। केवल मुझे ऊपर सत्य और अहिंसाकी जय जयकार करनेसे हम स्वतन्त्रता देवीके साम्राज्यके अन्दर कभी नहीं दाखिल हो सकते।

समुदायिक कानून भङ्गका स्थगित होना और व्यर्थ उत्तेजना का रोकना हमारी प्रगतिके लिये अत्यन्त आवश्यक है। सिर्फ यही नहीं बल्कि हम यह न करते तो अभीतक जो कुछ हमने किया था वह सब व्यर्थ होनेकी भारी सम्भावना थी। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि महासभाका हर एक कार्यकर्ता इससे हताश न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि वह इसलिये समाधान ही मानेगा कि राष्ट्रीय पातक और असत्यताका भार हमारे हृदयसे दूर हो गया।

हमारे प्रतिपक्षी तो हमारी इस फजीहत और पराजयको देख कर फूले न समायेंगे। वे तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। होने दो। अपनी प्रतिज्ञाको झूठी सिद्ध करके परमात्माके सामने पापी ठहरनेसे यह बहुत अच्छा है। दुनिया इसे कायरता और कमजोरी कहे तो भले ही कहने दो। अतर्द्विताके प्रति असत्य होनेके बनिस्वत दुनियाको हम असत्य दिपाई दे वह लाख गुना अच्छा है।

इसलिये समुदायिक सविनय कानून-भङ्गका तथा दूसरी अनेक हलचलोंका जिनके शुरू रहनेसे जनतामें उत्तेजना

से का गुना अधिक सच्चा और उपयोगी हो सकता है। सचमुच अहिंसाकी प्रतिज्ञाका खूब बड़े पैमानेमें कार्यमें परिणत होने तथा उस सिद्धान्तका अच्छी तरह प्रचार होनेसे बढ़कर उपयोगी और क्या बात हो सकती है। इसलिए यह देखकर कि मेरे सब सहयोगी व्यर्थ बाट विवादमें समय न खोकर चुपचाप कार्य कारिणीसमितिके निर्दिष्ट किये हुए विधायक कार्यक्रमको पूरा करनेमें लगे हुए हैं, मुझे वैसी ही तृप्ति हो सकती है जो अन्न खाने पर होगी। इसी प्रकार मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता होगी कि वे यकीन कर करके ऐसे ही स्त्री पुरुषोंके नाम महासभाके सदस्योंमें दर्ज कर रहे हैं, जो यह नली भांति समझते हैं कि महासभाका ध्येय सत्य और अहिंसा द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त करना है, अपना धर्म समझ कर रोज नियत समय तक चरखा कात रहे हैं उसी प्रकार उस सुख समृद्धि तथा स्वतन्त्रताके देनेवाले चक्रका घर २ प्रचार कर रहे हैं, वे अपने अस्पृश्य भाइयोंके घर जाकर उनकी खबर लेते हैं तथा उनसे पूछते हैं कि उनकी आवश्यकतायें क्या २ हैं। वे राष्ट्रीय पाठशालाओं में जाकर अस्पृश्यवर्गके बालकोंको उनमें पढाने के लिये आग्रह कर रहे हैं, उसी प्रकार, वे किसी ऐसी समाज सेवा करने की योजना कर रहे हैं जिसमें हर एक वर्ग के दर्जे के स्त्री पुरुषोंको काम करनेका मौका मिल सकता हो, वैसेही जिन गृहोंको थो शराब से जा रही हो वहा जाजाकर उन शराबी भाइयों को प्रेम से शराबको हानि समझा रहे हैं, तथा सच्ची पञ्चायतोंकी और राष्ट्रीय

वास काममें लाया जाता है तब मनुष्यकी प्रगतिमें वह अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग हो जाता है। इसलिए पूरे तरह विचार क लेने पर मैंने पाच दिनका सतत उपवास-निरशन व्रत शुरू किया था। मैं सिर्फ पानी पीता रहा। यह रविवारके सुबहसे शुरू किया और शुक्रवार शामको खतम हो गया। कमसे कम इतना तो मुझे करना ही चाहिये था।

शीघ्र ही अखिल भारतवर्षीय महासभा समिति की बैठक होने वाली है। यह मेरे ध्यानमें है। मैं जानता हूँ कि कितना ही मित्रोंको इस मेरे पाच दिनके उपवाससे भी बड़ा दुःख होगा पर मैं अब इसे आगे न ढकेल सका और न कम ही कर सका।

मैं अपने सहयोगियोंसे आग्रह करता हूँ कि वे मेरा अनुकरण न करें। उन्हें उपवास करनेका कोई कारण नहीं। सविनय कानून भंगके उत्पादक वे थोड़े ही हैं। एक वैद्यको जैसे किसी कठिन, असाध्य रोगकी चिकित्सा करने २ कि कर्तव्यमूढ होकर अपनी लाचारी पर दुःख होता है ठीक वैसेही दुःखद अवस्था मेरी हुई है। इस समय मुझे या तो इसे छोड़ देना चाहिये या अधिक कौशल प्राप्त करना चाहिये। इसलिए यह वैयक्तिक प्रायश्चित्त मेरे लिए केवल आपश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी था। साथ ही कार्य कारिणी समितिने देशके लिए जिस आत्मसमयकी सिफारिश की है वह देशके हर एक पुत्र और पुत्रीके लिये निसन्देह काफी प्रायश्चित्त है। वह कुछ थोड़ा प्रायश्चित्त नहीं है। वह तो अगर दिलके साथ किया जाय तो उपवास

से का गुना अधिक नञ्चा और उपयोगी हो सकता है। सचमुच अहिंसाकी प्रतिज्ञाका खूब बड़े पैमानेमें कार्यमें परिणत होने तथा उस सिद्धान्तका अच्छी तरह प्रचार होनेसे बढ़कर उपयोगी और क्या बात हो सकती है। इसलिए यह देखकर कि मेरे सब सहयोगी व्यर्थ वाद विवादमें समय न खोकर चुपचाप कार्य-कारिणीसमितिके निर्दिष्ट किये हुए विधायक कार्यक्रमको पूरा करनेमें लगे हुए हैं, मुझे वैसी ही तृप्ति हो सकती है जो अन्न खाने पर होगी। इसी प्रकार मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता होगी कि वे यकीन कर करके ऐसे ही खी पुरुषोंके नाम महासभाके सदस्योंमें दर्ज कर रहे हैं, जो यह नली भाति समझते हैं कि महासभाका ध्येय सत्य और अहिंसा द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त करना है, अपना धर्म समझ कर रोज नियत समय तक चरखा कात रहे हैं उसी प्रकार उस सुख समृद्धि तथा स्वतन्त्रताके देनेवाले चक्रका घर २ प्रचार कर रहे हैं, वे अपने अस्पृश्य भाइयोंके घर जाकर उनकी खबर लेते हैं तथा उनसे पूछते हैं कि उनकी आवश्यकतायें क्या २ हैं। वे राष्ट्रीय पाठशालाओं में जाकर अस्पृश्यवर्गके बालकोंको उनमें पढाने के लिये आग्रह कर रहे हैं, उसी प्रकार, वे किसी ऐसी समाज सेवा करने की योजना कर रहे हैं जिसमें हर एक वर्ग के दर्जे के खी पुरुषोंको काम करनेका मौका मिल सकता हो, वैसेही जिन गृहोंको थो शराब से जा रही हो वहा जाजाकर उन शराबी भाइयों को प्रेम से शराबको हानि समझा रहे हैं, तथा सच्ची पञ्चायतोंकी और राष्ट्रीय

विद्यालयोंकी गांव गाव में अच्छी तरह स्थापना कर रहे हैं, आदि देखकर मुझे जो सन्तोष और सुख होगा वह मेरे अन्न ग्रहण से किसी प्रकार कम नहीं, बल्कि अधिक ही होगा। उपवास करने की बनिस्वत कार्यकर्ता इससे अधिक देशसेवा करके उसका भला करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मिथ्या सहानुभूति से अथवा उसके आध्यात्मिक लाभ के गलत ख्याल से कोई भी बुरी तरह उपवास न करे।

सब प्रकारके उपवास और तपस्या जहां तक हो सके गुप्त ही रहना चाहिये। किन्तु मेरा यह निरशन वृत्त तो तपस्या भी है और सजा। और सजा तो जाहिरा तौर पर होनी चाहिये। वह तपस्या तो मेरे लिये है और सजा उनके लिये, जिनकी सेवा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिनके लिये मैं जीना और मरना भी चाहता हूँ। उन्होंने महासभा के नियमों के खिलाफ भूलसे पाप किया है। वे यद्यपि महासभा के प्रत्यक्ष अनुयायी न हों तथापि उससे वे सहानुभूति रखते थे। शायद उन्होंने मेरा ही जय जयकार करते हुए उन कान्स्टेबलों, पुलिसके सिपाहियों, अपने ही देश भाइयों को काट काटकर मारा हो। अपने प्रिय जनोंको शूड देनेका एकमात्र उपाय खुद ही कष्ट सहन करना है। मैं यह भी इच्छा नहीं कर सकता कि वे गिरफ्तार किये जाय। किन्तु मैं उन्हें यह कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने महासभाके नियमों को भङ्ग किया है, जो उनके लिये मुझे प्रायश्चित्त करना होगा। मेरी तो उन लोगोंको जिन्हें यह मालूम हो रहा हो

कि हमसे अपराध हो चुका है और अब पश्चात्ताप भी हो रहा हो यही सलाह है कि वे सब सजा पानेके लिये स्वेच्छासे अपने को सरकारके आधीन करके और जो कुछ किया हो सब साफ साफ कबूल कर लें ।

मैं आशा करता हूँ कि गोरखपुरके तमाम कार्यकर्ता सब अपराधियोंका पता लगाने में कुछ भी उठा न रखेंगे और उनसे आग्रह करेगे कि वे भागे होकर सरकारके हथाले हो जाय । पर उन हत्यारोंको मेरी सलाह रसन्द हो या न हो, किन्तु मैं उन्हें यह जता देना चाहता हूँ कि उन्होंने स्वराज्य आन्दोलनमें बड़ा भारी विघ्न डाल दिया है । वारडोलीके सयिनथ कानून-भङ्ग के आगे ढकेले जाने का मूल कारण बनकर उन्होंने उस कार्यको गहरी हानि पहुँचाई जिसको कि शायद वे सहायता करना चाहते थे । मैं यह भी चाहता हूँ कि वे यह भी जानलें कि यह आन्दोलन हिंसाके न तो छिपाने के लिये उठाया गया है और न यह उसकी पूर्ण तैयारी ही है । मैं हर हालत में हर तरह से अपनी घटनामी को, हर तरहकी यत्नणाओं को सहलूंगा, जाति समाजसे बहिष्कृत होना और मृत्युतक को अपनी लेना कबूल कर लूंगा, पर इस आन्दोलनको हिंसावृत्ति से या उसके हिंसा के साधनोन्मूल होनेसे बचाये बिना न रहूँगा ।

मैं अपने इस प्रायश्चित्तको सबके सामने प्रगट इसलिये भी करता हूँ कि अबभी जेलमें रहने वाले देश भाइयोंके साथ जेलमें रहनेका अवसर मैं गवा रहा हूँ । मौका फिर हाथसे निकल

‘मेरी इज्जत चली गई’

(फरवरी २६, १९२२)

लाहौर से एक सज्जनने एक गुमनाम पत्र भेजा है, जिसको पढ़कर मानो दिल दहल उठता है। वे लिखते हैं कि सविनय-भङ्ग मुत्तवी होनेकी खबर पाते ही एक मित्रने मुझसे कहा कि महात्माजी इस आन्दोलनसे अलग हो जाना चाहते हैं। उन्होंने प्रान्तिक समितियों को सलाह दी है कि आगे स्वयंसेवकों की भरती न की जाय। पहरा रखना भी तबतक बन्द कर दिया जाय जबतक महासमिति कोई निर्णय न कर दे। लोगों की यह राय है कि अब आपने अपना मुह मोड़ लिया है। आपका चिच डावाडोल हो गया है। अब वे बिना हिचकिचाहट के सरकार के साथ सहयोग करेंगे और शाहजादे के स्वागत समारम्भोंमें शरीक होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम हडताल भी नहीं करेंगे और दिल के साथ लाहौरमें शाहजादे का स्वागत करेंगे। कुछ व्यापारियों का यह खयाल हो गया है कि आपने शराब की दुकानों तथा जिदेशों कपडों की तमाम कैदें उठा ली हैं। सच कहें तो लाहौर में तमाम लोग बाजारोंमें और अपने अपने घरोंमें एकत्र हो हो कर चचा कर रहे हैं और वे महासमिति के इस निर्णय की निन्दा कर रहे हैं। इस सम्बन्धमें मैं आपसे नीचे लिखे सवाल पूछता हूँ—

गया है। अब हम मनार्होंके हुक्मोंको रद्द कर देनेपर, कैदियोंको छोड़ देने पर जोर नहीं दे सकते। चोरी चौरा के इस अपराधका फल उन्हें और हमें भोगे बिना छुटकारा नहीं। हम मानें चाहे न माने यह दुर्घटना अद्भुत रीतिसे मनुष्य जातिकी एकता को सिद्ध करती है। सब लोगोंको, यहांतक कि शासकवर्गको भी इसका फल भोगना होगा। इसके बदौलत सरकार अकड जायगी, पुलिस और अन्याधुन्धी मचावेगी, और इनसे लोगोंको कष्ट और दुःख होगा उससे वे अधिकाधिक कर्तव्यव्रष्ट होंगे। कानून-भंग स्थगित कर देने तथा मेरे इन प्रायश्चित के कारण हम फिर उसी स्थिति को जा पहुंचेंगे जिसमें कि इस दुःखान्तक घटना के पहले हम थे। कडाईके साथ नियमोंके तथा मर्यादाके पालनसे एवं आत्म शुद्धिसे हमें उस नैतिक विश्वास की प्राप्ति होगी जिसके द्वारा हम इन नोटिसोंको रद्द करा सकेंगे और अपने देश-माइयोंको जेलोंसे छुड़ा सकेंगे।

इस शापान्तक घटनासे यदि हम पूरी पूरी नसीहत लेंगे तो हम इस शापको आशीर्वादके रूपमें परिणत कर सकेंगे। क्या भावना और क्या वृत्तिके द्वारा सत्यव्रत और अहिंसापरायण होते हुए, और स्वदेशी अर्थात् खात्री प्रचार के कार्यक्रमको पूरा करते हुए हम बिना किसी एक भी आदमीके सविनय भंग किये स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं तथा खिलाफत और पञ्जाब के दुःखोंको निवारण कर सकते हैं।

भरती इज्जत चली गई

(फरवरी २६, १९२२)

लाहौर से एक सज्जनने एक गुमनाम पत्र भेजा है, जिसको पढ़कर मानो दिल दहल उठता है। वे लिखते हैं कि सविनय भङ्ग मुलतवी होनेकी खबर पाते ही एक मित्रने मुझसे कहा कि महात्माजी इस आन्दोलनसे अलग हो जाना चाहते हैं। उन्होंने प्रान्तिक समितियों को सलाह दी है कि आगे स्वयंसेवकों की भरती न की जाय। पहरा रखना भी तबतक बन्द कर दिया जाय जबतक महासमिति कोई निर्णय न कर दे। लोगों की यह राय है कि अब आपने अपना मुह मोड लिया है। आपका चित्त डावाडोल हो गया है। अब वे बिना हिचकिचाहट के सरकार के साथ सहयोग करेंगे और शाहजादे के स्वागत समारम्भोंमें शरीक होंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम हडताल भी नहीं करेंगे और दिल के साथ लाहौरमें शाहजादे का स्वागत करेंगे। कुछ व्यापारियों का यह खयाल हो गया है कि आपने शराब की दुकानों तथा जिदेशी कपडों की तमाम कैदें उठा ली हैं। सच कहें तो लाहौर में तमाम लोग बाजारोंमें और अपने अपने घरोंमें एकत्र हो हो कर चर्चा कर रहे हैं और वे महासमिति के इस निर्णय की निन्दा कर रहे हैं। इस सम्बन्धमें मैं आपसे नीचे लिखे सवाल पूछता हूँ—

(१) क्या आप इस आन्दोलनका नेतृत्व छोड़ देंगे ? यदि हा, तो क्यों ?

(२) कृपया बताइये कि आपने तमाम प्रान्तीय समितियोंको ऐसी सूचनायें क्यों दी हैं ? क्या आपने श्री मालवीय जी को सर्वपक्षीय परिषद् के लिये यह मौका दिया है, जिससे कोई निपटारा हो जाय या पण्डित जी इस बात पर तैयार हो गये हैं कि यदि सरकार अपना वचन पूरा न करे, तो वे इस आन्दोलन में शामिल हो जायेंगे ?

(३) मान लीजिए कि कोई ऐसा समझौता होता हो कि पञ्जाब और खिलाफत के दुःख दूर कर दिये जाय और स्वराज्यके सम्बन्ध में सरकार सिर्फ और अधिक शासन-सुधार कर दे तो क्या इससे आप सन्तुष्ट हो जायेंगे अथवा जबतक पूरा औपनिवेशिक स्वराज्य न मिले, आप अपनी हलचले जारी रखेंगे ?

(४) फर्ज कीजिये, कोई फैसला न हो पाया । तो क्या श्री मालवीय जी तथा दूसरे तमाम सज्जन जो इस परिषद्से सम्बन्ध रखते हों, आपके पक्ष में मिल जायेंगे या इसी तरह बीच में रखे रहेंगे ?

(५) यदि कोई फैसला न हो पाया तो क्या आप, यदि हि साकाण्ड का भय हो तो सविनय भङ्गका प्रयास छोड़ देंगे ?

(६) क्या अब आपका यह इरादा है कि स्वयं सेवक सेना

तोड़ दी जाय और सिर्फ वही लोग भरती किये जाय जो सूत कातना जानते हों और हाथ-कती तथा हाथ-बुनी खादी पहनते हों ।

(७) कल्पना कीजिए कि आपके सविनय भङ्ग शुरू कर देने पर कहीं हि साकाण्ड का उद्रेक हो गया, तो उस समय आप क्या करेगे ? क्या आप उसी दम अपनी हलचल बन्द कर देंगे ?

इस पत्र में इससे भी बहुत अधिक आलोचना की गई है । पत्र लेखक महाशय कहते हैं कि लोग इतने दिक हो गये हैं कि अब वे सहयोगी होने की धमकी देते हैं और यह खयाल करते हैं कि मैंने लाला लाजपतराय, देशबन्धु चित्तरञ्जन दास, पण्डित मोतीलाल नेहरू और अलो बन्धु आदिको बेच डाला है और यदि मैं नेतापन छोड़ दूंगा तो हजारों आदमी आत्महत्या कर डालेंगे । सो मैं खास तौर पर लाहोर के और आम तौर पर पञ्जाब के लोगों को यह यकीन दिलाता हू कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ जो कि उनके विषय में कहा गया है । फौजी कानून के जमाने में भी, सविनय भङ्ग बन्द कर देने के कारण, मेरे पास ऐसे ही पत्र आया करते थे, पर मैं उन तमाम खबरों के बहुत थोड़े अंशको सच मानता रहा और जब अकूवर मे मैं पञ्जाब पहुँचा तो मैंने देखा कि पञ्जाब के लोगों की चित्तवृत्ति का जो अनुमान मैंने किया था वह ठीक था और मुझे मालूम हुआ कि मेरे उस कार्यके औचित्यपर किसीने सवाल

खुद पहले ही से ऐसा निश्चय कर लिया है, पर कार्य समितिके सदस्योंसे भी इसकी पूरी चर्चा कर लेना चाहता हूँ। सर्वपक्षीय परिषद् अथवा किसी निपटारेकी कोई बात इस वन्दीसे सम्बन्ध नहीं रखती। मेरी रायमें तो सर्वपक्षीय परिषद् निष्फल ही सिद्ध हो कर रहेगी। उसके लिये तो लार्ड रोडिङ्ग से बहुत ज्यादा मजबूत दिल के वाइसरायकी जरूरत है, जो स्थिति को अच्छी तरह समझ सके और उसे ठीक ठीक प्रगट कर सके। मैं तो अवश्य ही यह अनुभव करता हूँ कि श्री मालवीयजी पहले ही से इस आन्दोलनमें शामिल हो गये हैं। उनके लिये अपने को महासभा से अथवा छतरे से दूर रखना सम्भवनीय नहीं है, परन्तु वारहोलीका निर्णय तो इस नवीन परिस्थितिका ही फल है और यदि चौरी चौरा की इस दुर्घटनाके जिसने कि पूणाहुति का काम किया है, मेरी हिम्मत पस्त न की होती तो मैं अपने पहले विचार से कभी नहीं डिगता।

(३) खुद मुझे तो पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य से जरा भी कम में सन्तोष नहीं हो सकता। और यदि खिलाफत और पञ्जाब के अन्यायोंका परिमार्जन नहीं किया गया तो पूर्ण सम्बन्धविच्छेद से कम में मैं सन्तुष्ट नहीं हो सकता। लेकिन उसको यथार्थ स्वरूप मुझ पर अवलम्बित नहीं है। मैंने कोई पूर्ण और निश्चित योजना नहीं तैयारकी है। वह तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा तैयार की जायगी।

(४) इस वर्तमान अवस्था में तो निपटारे का कोई सवाल

ही नहीं है। अतएव यह सवाल कि पण्डित जी अथवा दूसरे सज्जन क्या करेंगे, यदि प्रसंग विरुद्ध नहीं तो समयके पहले अवश्य किया गया है। पर मान लीजिए कि पण्डित जी ने ऐसी किसी परिपद की आयोजना की और उनके प्रस्ताव पर सरकार ने ध्यान न दिया तो पण्डित जी तथा दूसरे सज्जन ऐसा ही कार्य करेंगे जैसा कि ऐसी स्थिति में स्वामिमानी पुरुष करते हैं।

(५) मैं सविनय भग का ख्याल तो नहीं छोड़ सकता फिर हिंसाकाण्ड का चाहे कितना ही खतरा क्यों न हो, पर जबतक हिंसा काण्ड का नय निश्चित रूप से है तबतक सविनय भग शुरू करने का ख्याल भलबत्ते मैं छोड़ दूंगा।

(६) किसी भी स्वयंसेवक दल को तोड़ देने की कोई बात नहीं है। हा जो लोग महासभाकी निश्चित प्रतिज्ञाका पालन नहीं करते हैं उनके नाम अवश्य ही निकाल दिये जाय। तभी हम प्रामाणिक बने रह सकते हैं।

(७) यदि हम अहिंसा के परम आवश्यक अंगों को अच्छो तरह समझ गये हों तो हम सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुच सकते हैं। वह यह कि यदि कहीं भी व्यापक हिंसाकाण्ड हो— और मैं इसीलिए चोरीचौरा की दुर्घटना को व्यापक कहता हूँ— तो सामूहिक सविनय भङ्ग अपने आप बन्द हो जायगा। हा, देशके दूसरे कितने ही भागोंने अहिंसाके रहस्य को समझ लिया है, पर यह इतना काफी नहीं है कि सामुदायिक भग जारी रह सके। क्योंकि यदि एक आदमी भी उपद्रव खडा कर दे या

हिंसा कार्य कर बैठे तो सारी अत्यन्त शान्तिमय सभा में गोलमाल हो उठता है। यही हाल सामुदायिक भंग का है। वह तभी सफल हो सकता है जब चारों ओर पूर्ण शान्तिमय वायुमंडल हो। एक ही छोटे से स्थान में उसे शुरू करनेका कारण यही है कि जिससे दूसरी किसी जगह हिंसाका उद्देक न होने पावे। अतएव, इससे यही अर्थ निकलता है कि किसी विशेष स्थानमें सामूहिक भंग उसी दशामें सम्भवनीय है जब दूसरे तमाम स्थानोंके लोग पूर्ण शान्तिमय बने रहें और इस तरह निष्क्रिय रूप से उसके साथ सहयोग करें।

महा-समिति

(मार्च ५, १९२२)

देहलीमें उस दिन महासमितिकी बैठक हो गई। कुछ बातोंमें तो वह खुद महासभासे भी बढ़कर याद रखने लायक हुई। देशमें भीतर ही भीतर ज्ञानत और अज्ञानत, इतना हिंसाका प्रवाह बह रहा है कि मैं वास्तवमें ईश्वरसे यह प्रार्थना कर रहा था कि इस बार मेरी गहरी हार हो जाय। मेरे साथ हमेशा ही बहुत थोड़े लोग रहे हैं। पाठक इस बातको नहीं जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीकामें जब मैंने लडाईं लड़ी, सब लोग मुझसे सहमत थे, पर पीछे केवल ६४ आदमी

और आगे चलकर तो अकेले १६ सज्जन मेरे साथ रह गये, पर फिर भी बहुमत मेरी ओर हो गया। उन्हीं दिनोंमें जब कि अल्प मत मेरी तरफ था, अच्छेसे अच्छा और पुस्ता काम चहा हो पाया था।

सरकार अगर किसी बातसे डरती है तो इसी घडे भारी बहुमतसे जो मेरी ओर दिखाई देता है। पर शायद वह नहीं जानती कि मैं तो उससे भी अधिक इस बहुमतसे डरता हू। भुएडके भुएड लोग विना सोचे विचारे जहा मैं जाता हूं वहां उमड पडते हैं। मैं तो इससे सचमुच तड्ग हो गया हू। अच्छा होता यदि वे लोग मुझे छो थू। कर दिया करते इससे मुझे अपनी स्थितिका तो निश्चय हो जाता। उस अवस्थामें न तो हिमालयके जैसी अथवा दूमरी गलत अन्दाजी कुवूल करनेकी आवश्यकता पडनी, न पीछे कदम हटाना पडते, न फिरसे व्यवस्था करनी पडती।

परन्तु होनहार पेसा नहीं था।

एक मित्रने मुझे सावधान किया कि कहीं आप अपने 'सर्वाधिकारीपन' का दुरूपयोग न कर बैठियेगा। पर वे नहीं जानते हैं कि मैंने उस अधिकारका उपयोग आजतक नहीं किया है, क्योंकि उसके उपयोग करनेका याकायदा मौका ही अबतक पेश नहीं आया। इस 'सर्वाधिकारीपन' का उपयोग तो सिर्फ उस समय किया जा सकता है जब सरकार

की ओरसे महासभाके हाथ पाव ताड दिये जाय और वह बेकार कर दी जाय ।

पर अपने 'सर्वाधिकारोपन' का दुरुपयोग करना तो दूर रहा, मुझे तो आश्चर्य होता है कि कहीं मेरे अनजानमें खुद मेरा ही 'दुरुपयोग' न किया जा रहा हो । मुझे अब इस बातका इतना डर मालूम होने लगा है जितना पहले कभी नहीं हुआ था । पर मेरी ढाल तो सिर्फ मेरी निर्लज्जता है । मैंने महा-समितिवाले मित्रोंको जता जता कर कह दिया है कि मुझे एक खान बीमारी है । उसका कोई इलाज नहीं । वह यह कि जब जब लोगोंसे भूल होगी तब तब उसे कबूल किये बिना मुझसे नहीं रहा जाता । मैं इस दुनियामें अगर किसी जालिमके आगे सिर झुकाता हू तो वह है 'अपना अन्तर नाद' । और यद्यपि मेरा साथ देनेवालोंकी संख्या घटते घटते मेरे अकेले ही रह जानेकी सम्भावना हो तो भी मुझे विश्वास है कि उस अवस्थामें भी रह सकनेका साहस मुझमें है । मेरे लिये तो सत्य स्थिति केवल यही हो सकती है ।

पर आज मैं पहलेसे अधिक दुखी और, मैं समझता हूँ अधिक समझदार हूँ । मैं देखता हूँ कि हमारी अहिंसा ऊपरी है । हम मारे क्रोधके जल रहे हैं । सरकार अपने नादान कृत्योंके द्वारा उनमें घी डालनेका काम कर रही है, प्रायः ऐसा मालूम होता है कि सरकार भारत भूमिको धूलसे लथपथ, आगकी आलाओंसे भभकती हुई और लूट मारसे

सत्रस्त देखना चाहती है जिससे कि उसे लोगोंको दवा डाल-
नेकी अपनी पूरी और केवल अपनी ही योग्यताका दावा
करनेका फिर मौका मिले ।

अतएव ऐसा मालूम होता है कि हम केवल असहाय
अवस्थाके कारण अहिंसाको अपना रहे हे । प्रायः ऐसा
दिखाई देता हे कि हम अपने दिलोंमें इस अभिलाषाको
स्थान दे रहे हैं कि मौका मिलते ही सबसे पहले बदला
निकालें ।

क्या इस निर्बलकी जबरदस्ती मानी जाने वाली और
दिग्बाऊ अहिंसाके अन्दरसे सच्ची और स्वेच्छा पूर्वक अहिंसा
उत्पन्न हो सकती है ? तो क्या वह प्रयाग जिसे मैं कर रहा
हूँ वेकार नहीं है ? यदि लोग कोपसे आग बबूला हो उठे,
किसी भी छोटे, पुरुष और बालककी जान महफूज न हो और
एक भाईका हाथ दूसरे भाईकी गर्दनपर उठने लगे, तो क्या
हो ? ऐसी आफत खड़ी हो जानेपर यदि मैं उपवास करते
करते मर भी जाऊ तो उससे क्या लाभ होगा ?

ता इसका उपाय क्या है ? झूठ बोलना और उस बातको
अच्छा कहना जिसे मैं बुराई नमझू ? यह कहना कि घना-
वटी और जबरदस्तीके सहयोगके अन्दरसे मजा और स्वेच्छा
पूर्वक सहयोग पैदा होगा, ऐसा कहनेके बराबर है कि
अधेरेंमेंस प्रकाश उत्पन्न होगा ।

सरकारसे असहयोग करना उतनी ही दुर्बलता और उतना

ही पाप है जितना कि व्यवहार नियमके तौरपर स्थगित रखी गई हिंसाको अपनाना ।

यह कठिनाई तो ऐसी है जिसको पार करना असम्भव है । ऐसी दशामें ज्यों ज्यों इस बातका ज्ञान बढ़ता जाता है कि यह अहिंसा तो केवल दिखाऊ है त्यों त्यों मुझसे बराबर गलतियाँ होंगी और मुझे बार बार पीछे लौटना होगा, जैसे कि कोई मनुष्य ऐसे जङ्गलसे जहा रास्तेका पता नहीं है, अपना रास्ता खोजते हुये उधरता जाता है, पीछे हटता जाता है, ठोंकरे खाता जाता है, उसके पैर छिल जाते हैं और खून भी बहने लगता है ।

मैंने सोचा था कि हा, लोग थोड़े बहुत उत्साह हीन, निराश और नाराज होंगे, पर इतने भीषण विरोधका तो मैंने अनुमान भी नहीं किया था । यह साफ साफ मालूम हो गया कि कार्यकर्ता लोग कोई भी गम्भीर विधायक कार्य करनेको तैयार नहीं थे । विधायक कार्यक्रम उनको चित्ताकर्षक न मालूम हुआ । वे समझते थे कि हम सामाजिक सुधारके किसी सङ्घमें थोड़े ही हैं । वे इस मनहूस सामाजिक सुधारके द्वारा सरकारसे सत्ता नहीं छीन सकते थे । वे तो 'अहिंसामय' घूँसा जमाना चाहते थे ! यह सब बहुत थोथा मालूम होता था । वे इस बातको सोचना भी नहीं चाहते थे कि हम इस प्रकार बशोंकी तरह गुस्सा दिखाकर चाहे सरकारको परास्त भेले ही कर दें, पर बिना गम्भीरता और

परिश्रमके साथ सङ्गठन और विनायक कार्य किये देशका शासन संचालन एक दिनके लिये भी नहीं कर सकत ।

हमें जलोंमें जैसा कि मौ० महम्मद अली कहा करते थे 'गलत खयाल बनाकर' न जाना चाहिये । हर तरहसे जेल जानेसे खराज्य नहीं मिल सगता । हरवारके फानून भंगसे भी हममें आशा पालन और मर्यादा पालनकी भावना नहीं उद्दीप्त हो सकती । पक्षे मुजरिमोंके लिये जेल 'स्वाधीनताका द्वार' नहीं है । वे तो केवल निर्दोष मूर्तिके ही लिये 'स्वतन्त्रताके मन्दिर' हैं । सुकरातकी फासीने हमारे लिये अमरताको प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया । पर यों तो आज तक अगणित खूनी फासी पर लटक चुके । भला कहीं हम ऐसे हजारों लोगोंको जो नाममात्रके लिये शातिपरायण हैं पर जिनके दिलोंमें तो द्वेष, वैर, और अहिंसा भाव भरे हुए हैं, जेल भेजकर खराज्यको चुरा सकते हैं ?

हा, यदि हम शस्त्र लेकर लडते होते और प्रहार करते तथा प्रहार सहते होते तो बात दूसरी थी । डरा धमकाकर, हमला कर और खून करके जेल जानेसे अवश्य ही सरकार परेशान होगी । और जब वह थक जायगी तब सिर भी झुका देगी, जैसा कि दूनरी जगह उसने किया है । पर आज जो लडाई हम लड रहे हैं वह तो ऐसी नहीं है । हमें तो सत्य-पर अटल रहना चाहिये । पर यदि खराज्य 'बल दिखाने' से आ सकता है तो हमें 'अहिंसा' का त्याग कर देना चाहिये

हम जैसा वन पड़े वैसा हिंसाकाण्ड मचावें । तब तो हमारा कार्य पुरुषोचित प्रामाणिक और विचार पूर्ण होगा सा कि सत्कारमें आज तक होता चला आया है । उस अवसरमें हमपर कोई ढोंग और पाखण्डका भीषण इल्जाम भी नहीं लगा सकता ।

लेकिन अधिकांश लोगोंने मेरी बातको न सुना । मैंने उन्हें सब सावधान किया, सब दिलसे कहा कि यदि आप अपने प्रेषको प्राप्तिके लिये 'अहिंसा' को अनिवार्य न मानते हों तो मेरे प्रस्तावको नामजूर कर दीजिये । तिसपर भी उन्होंने सबमें कोई सुधार किये बिना ही उसे स्वीकार किया है । मैंने कहा कि उन्हें अपनी जवाबदेहीको पहचान लेना चाहिये । वे घर जाते ही सविनय भंग शुरू करनेके लिये बंधे हुए नहीं हैं । बल्कि उन्हें चुपचाप विधायक काममें लग जाना उचित है । मैं उनसे आग्रह करता हू कि आप फौरन काम करनेके फोहरामकी ओर ध्यान न दें । अभी जो काम करना है वह जेल जाना नहीं, और न भाषण लेखन और सम्मेलन आतन्त्र्य ही है, बल्कि क्या है ? आत्म शुद्धि आत्म निरीक्षण चुपचाप संगठन । हमारे पाद छूट गये हैं । यदि हम इसकी चिन्ता न करेंगे तो हम इस अगाध सागरमें न जाने कहां जाकर डूब जायेंगे ।

जेल स्थित देश सेवकोंको चिन्ता करनेसे कोई लाभ नहीं । मैंने तो ज्योंही चौरीचौराका हाल सुना, कुछ समयके लिये

उन्हे अपनी उद्देश मिद्धिपर न्यौछावर कर दिया। मैंने इसे सबसे पहला प्रायश्चित्त माना। वे जेलमें इसलिये गये हैं कि जनताके सामर्थ्यसे छूटे। निस्सन्देह वे इसी आशासे गये हैं कि स्वराज्य पार्लियामेंटका पहला काम होगा जेलोंके फाटक खोलना। किंतु परमात्माने कुछ और ही ठान रखा था। हम बाहर रह जानेवालोंने कोशिश तो की, लेकिन नाकामयाब हुए। अब तो उन्हें पूरी सजा भोगनेसे ही लाभ होगा। जो लोग भूलसे, भ्रमसे अथवा इस आन्दोलनके सम्बन्धमें किसी गलत स्थानसे जेल चले गये हों वे माफो मागकर या दरखवास्त देकर रिहा हो सकते हैं। इस जुलाजसे इस आन्दोलनका बल ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जिन लोगोंका दिल मजबूत है वे तो अनायास प्राप्त अधिक कष्ट सहनेसे आनन्दित ही होंगे। हजारों रूसी कैदी घरसोंसे रूसके जेलखानोंमें आजतक सड़ रहे हैं। बेचारे आजतक आजाद नहीं हो पाये। स्वाधीनता बड़ी मानिनी है। उसे राजी और प्रसन्न कर लेना बड़ा ही कठिन है। हमने कष्ट सहनके सामर्थ्यका तो परिचय दे दिया है। पर हमने अभी काफी कष्ट सहन नहीं किये हैं। यदि आमनौरपर लोग अप्रत्यक्ष रूपसे शान्त बने रहे और कुछ थोड़े ही लोग प्रत्यक्ष रूपसे सच्चाईके साथ जानते वृक्षते हुए मन, वचन और काया से शान्तिमय बने रहें तो हम जल्दीसे जल्दी और कमसे कम कष्ट सहन करते हुए अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं। परन्तु यदि हम ऐसे लोगोंको जेल भेजेगे जो अपने दिलोंमें हिंसाको

अपनाये हों तो हम अपने ध्येयसे न जाने कबतक दूर ही दूर रहते रहेंगे ।

अतएव बहुमतवालोंका भय यह कर्तव्य है कि वे अपने अपने प्रान्तोंमें लागोके ताने उलहनेका ब्याल न करें अपमानको सहन करें और साथी लोग छोड़कर चले जायं तो उसे भी बरदास्त करे' पर सत्य मार्गसे एक इच्छा भी न हटते हुए निश्चय के साथ अपने लक्ष्यको ओर बढ़ते चले जायं । नौकरशाही भ्रूलेसे इसे हमारी कमजोरी समझकर चाहे भले ही हमें आर अधिक पीड़ित क्यों न करे हमें उसे सहना चाहिए । यहा तक कि हमें बचावके स्वरूपका सविनय भंग भी छोड़ देना चाहिये और आर्थिक तथा सामाजिक सुधारमें अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिये । यह सुधार कार्य चाहे अरुचिकर हो पर है बलिदायी । हमें अत्यन्त विनय पूर्वक अपने नरम दलवाले भाइयोंको यकीन दिला देना चाहिये कि वे हमसे जरा भी भय न ल्याय, हमसे उन्हें जरा भी नुकसान न पहुंचेगा । हमें जर्मीदार भाइयोंको भी निश्चय दिला देना चाहिये कि हमारे दिलमें आपके जिये जरा भी बदी नहीं है ।

ओसत दर्जेके अङ्गरेज घमण्डो होते हैं । वे हमको नहीं पहचानते । वे अपनेको उच्च और श्रेष्ठ जीव मानते हैं । वे समझते हैं कि हम भारतवासियोंपर राज्य करनेके लिये पैदा हुए हैं । उनको अपने किलों और तोपोंका भरोसा है उन्हींको वे अपनी रक्षाका साधन मानते हैं । वे हमको तुच्छ समझते

हैं वे हमसे जबरदस्ती सहयोग अर्थात् गुणामो कराना चाहते हैं। उन्हें भी हमें जीतना है पर उनके आगे घुटने टेककर नहीं बल्कि उनसे अलग रहकर परन्तु साथ ही न तो उनसे द्वेष करते हुए और न उन्हें हानि पहुंचाते हुए । उन्हें दिक करना सताना कायरता है। सूट्टेकी खैर तो गिल्लीसे दूर रहनेमें है। उस समयतक जब गिल्ली उसे अपने पजे और दातोंमें धर न दवा ले चूहा उसके साथ रही नहीं सकता इसके साथ ही हमें उन अङ्गरेज भाइयोंका कयाल रखना चाहिये जो जाति अभिमानके रोगसे प्लुट अपनी तथा अपने अङ्गरेज भाइयोंकी मुक्ति करना चाहते हैं।

अल्पमतवालोंका आदर्श दूसरा है। उन्हें इस कार्यक्रममें विश्वास नहीं है। क्या उनके लिये यह उचित और देशभक्तिकी ध्यात नहीं है कि वे एक नये दल और नवीन संगठनकी सृष्टि करे ? उसी अवस्थामें वे देशको वास्तवमें अपने मतकी शिक्षा देसकते हैं। जिन्हें महासभाके ध्येयमें विश्वास न हो उन्हें अवश्य ही महासभासे अलग हो जाना चाहिये। राष्ट्रीय सस्था का भी कोई ध्येय तो होना चाहिये। उदाहरणके लिये जो खराज्यका कायल नहीं है उसके लिये महासभामें जगह नहीं। उसी तरह जो शान्तिमय और जायज तरीकों को नहीं मानता वह भी महासभामें नहीं रह सकता। महासभावादी असह-हयोगका कायल न होते हुएतो उसके अन्दर रह सकता है, परन्तु हिंसा और असत्यको मानते हुए वह महासभावादी

अपनाये हों तो हम अपने ध्येयसे न जाने कबतक दूर ही दूर रहते रहेंगे ।

अतएव बहुमतवालोंका भव यह कर्तव्य है कि वे अपने अपने प्रान्तोंमें लोगोंके ताने उरुहनेका ख्याल न करें अपमानको सहन करें और साथी लोग छोड़कर चले जायं तो उसे भी चरदास्त करे पर सत्य मार्गसे एक इश्व भी न हटते हुए निश्चय के साथ अपने लक्ष्यको ओर बढ़ते चले जायं । नौकरशाही भूठसे इसे हमारी कमजोरी समझकर चाहे भले ही हमें आर अधिक पीड़ित क्यों न करे हमें उसे सहना चाहि । यहां तक कि हमें वचायके स्वरूपका सविनय भग भी छोड़ देना चाहिये और आर्थिक तथा सामाजिक सुधारमें अपनी सारी शक्ति लगा देना चाहिये । यह सुचारु कार्य चाहे अरुचिकर हो पर ही बलिदायी । हमें अत्यन्त विनय पूर्वक अपने नरम दिलवाले भाइयोंको यकीन दिला देना चाहिये कि वे हमसे जरा भी भय न डायं, हमसे उन्हें जरा भी नुकसान न पहुंचेगा । हमें जर्मीटार भाइयोंको भी निश्चय दिला देना चाहिये कि हमारे दिलमें आपके जिये जरा भी बदी नहीं है ।

अलग अलग काम करें? क्या इससे देशके समय शक्ति आदिको बचत न होगी? उस अवस्थामें जो आदर्श अधिकसे अधिक लोकप्रिय होगा उम्मेदा बोलखाला अपने आप होगा। यदि हम प्रजासत्ताके सच्चे भावोंका विकास चाहते हों तो हम बाधक नीतिके द्वारा नहीं, बल्कि अलग रहनेकी नीतिके ही द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

महासमितिकी यह बैठक इस बातका जबरदस्त उदाहरण था कि सरकार नहीं, बल्कि हमो देशके स्वराज्यतक पहुचनेमें विलम्ब कर रहे हैं। सरकारकी हरएक गलतीसे हमें सहायता मिलती है। पर जब हम अपने कर्तव्यकी अवहेलना करते हैं तभी उससे हमारी प्रगति रूकती है।

स्वराज्य जल्दी किस तरह आये ?

श्री गांधीजीने "नवजीवन" में वारडोलो और आरनद तहसीरके लोगोंके नाम एक पत्र लिखा है उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है—मैं जानता हूँ कि आपके दुःखकी सीमा नहीं रही। आपने बड़ी आशा की थी। आपने इसी वर्ष अपनी यह कुरबानी-के द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेका, मुसलमान भाइयोंके और पञ्जाबके घाबोंको सुखानेका और अली भाई इत्यादि कैदियोंको छुड़ानेका जुम्मा लिया था।

पर ईश्वरने कुछ और ही संचा था। सच कहा है कि 'मनुष्य यदि कुछ निर्माण कर सके तो ससारमें कोई दुःखी न रहे'। हममें निर्माण करनेकी शक्ति ही नहीं। हमें तो इच्छा करनी चाहिए और उसके लिए परिश्रम करना चाहिये। जब श्रीरामचन्द्र जैसेको राजगद्दी मिलनेके समय बनोवास मिला तो फिर हमारी क्या कथा ? कुछ विगड़ नहीं गया है। हम बाजी हार नहीं गये हैं। हम तो दुःखमेंसे सुख पैदा कर सके हैं। अशान्ति हो गई थी, परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उसमेंसे हमने शान्ति हस्तगत कर ली है। ईश्वरने छोट सा दुःख देकर हमें बड़े दुःखसे बचा लिया है।

आपसे मैं शुद्ध यत्नकी इच्छा करता हूँ। ईश्वरके दरवारमें

शुद्ध बलिदान ही मंजूर होता है बिना मागे जो अचसर हाथ लगा है उसमें अपने तमाम ऐवोंको छूट २ कर निकाल दो। सब चर्खा धर्मका खूब पालन करो। ऐसी तजवीज करो कि हर घर घरमें अच्छा, मजबूत, त्रिना गर्दका सत्र रोज कते, कोई भूखों न मरे, किसीके घरमें विदेशी कप डेका मैल न रहे। मेरे चताये नकशेकी खानापूरी करके तैयार करो।

अगर किसीके जबरदस्ती कपडे छीने हों तो उससे माफो मागो। सहयोगियोंके प्रति मनमें जरा गुस्सा न रखो। उनके दु खोंमें उनकी सेवा करो। सरकारी कर्मचारियोंकी खुशामद न करो। पर उनसे डरो भी नहीं। पुलिसका डर छोड दो। उन्हें भी अपना भाई समझकर उनपर प्रेम करो अब भी अगर आपके लडके लडकी सरकारो मदर्सामें जाते हों तो उन्हे उठा लो। और अन्नहयोगको बढ़ाते हुए बल प्रयोग न करो। आपके गावमें अगर एक सहयोगी हो तो उसके साथ वैर भाव न रखो, बल्कि यह समझो कि हमें अपने मत रखनेका जितना हक है उतना ही उन्हें भी अपने मत रखनेका है।

आपके गावोंमें आपसमें दुश्मनी हो तो हटा दो। सत्याग्रही गावोंमें वैर भावके लिये जगह ही नहीं। आपके मनमें अगर भङ्गी, चमारोंके प्रति तिरस्कारकी भावना रही हो तो उसे निकाल दो। उनके लडकोंको अपने मदर्सोंमें प्रेमके साथ रखो,

बुलाओ। उनके रहनेके स्थानोंकी देख भाल करो। पानी आदिकी सुविधा न हो तो करो, उन्हे जूठनकी भिक्षा न दो, पर उसके बदले या तो वेतन बढ़ा दो या कच्चा अथवा पका हुआ अन्न दिया करो।

आपके गावमें जो लोग शराब पीते हो, उन्हें प्रेमपूर्वक कह सुनकर समझा-बुझाकर, इस बुरी आदतसे छुडाओ। न मानें तो भले ही पिया करें। शराबकी दुकान हो तो दुकानदारकी भी नम्रतापूर्वक समझाओ। उसपर रोप न करो। उसपर रहम करो। आपके गावमें कोई बदमाश, उपद्रवी या चोर डाकू रहता हो तो उससे न तो खुद डरो और न उसे डराओ। उसे भी अपना भाई समझकर मिलो और उसे उसकी हालत समझाकर उसकी आदत छुडाओ। ऐसे चोर डाकूओंके दिल को बदलनेका प्रयत्न करो और साथ ही उसके जोर जुटमसे बचते और अपने बाल बच्चोंको बचाने, तथा अपने धन मालकी रक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त करो। यह शक्ति प्राप्त करनेके लिये आप अपने ही चौकादार रखें। उन्हे चोरोंके साथ लड़नेकी जरूरत न पड़े। चौकी होनेपर चोर नहीं आ सकते। तो भी सम्भव है कि कोई हाथ मार जाय। तो उससे निडर रहना चाहिये। अपनी तहसालके बदमाश लोगोंका हाल आपको अवश्य मालूम होना चाहिये।

आप निश्चय रखिये यदि असहयोगी सब्जे हो जाय, उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाय तो सब लोग उस प्रेमके वशमें अवश्य हो

जाय गे । मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जो आपकी टानों तहसीले' असहयोगके समस्त अङ्गोंका सर्वांशमें अब भी पालन कर सकें तो इसी वर्षमें स्वराज्य लाजिए । और अगर आप सोचें तो यह जरा भी कठिन नहीं । अगर आप सब लोगोंके दिलपर चाट पहुँची हो तो यह बिलकुल आसान है । अगर आप बिना समझे और ड्रेप भावसे काम कर रहें होंगे तो फिर कठिन है ।

मैं कितनी ही बार कह चुका हूँ कि असहयोगका मूल प्रेम है, वैर नहीं । आत्म बल प्रेम बल है । और जगत् इस बलके अधीन है । आपको अपने बलसे भारतको मुक्त करना ही तो आप प्रेम चरमाओ । आपको पर दुःख भंजन कहलाना ही तो आपको अन्दर सहनशीलता, वैर्य, सत्य इत्यादि मूर्त्तमान होना चाहिये । केवल दिखानेसे स्वराज्य नहीं मिलनेका ।

वन्द्यमें जो खराबी दिखाई दी उसके रहते हुए भी अगर आप को इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना है तो आपको जितनी ही उससे अधिक आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी । अर्थात् आपको सच्चा हिन्दू, सच्चा मुसलमान सच्चा पारसी और सच्चा ईसाई होना पड़ेगा ।

कहीं भूल न जाना । अपने यहाँके पारसियों और ईसाइयोंसे मिलना । उन्हें अपने प्रेमके फलपर निर्भय कर देना । मेरी आशा आप न छोड़ना । और ऐसा जरूर करना जिससे मुझे आपकी आशा न छोड़नी पड़े ।

हृदयका धार—

जिस सुधारकी मुझे जरूरत है, जिस सुधारसे आनन्द—
वारडोली विजय प्राप्त कर सकते हैं, वह सुधार यदि ऊपरी
होगा तो व्यर्थ जायगा। वह अन्दर पैठना चाहिये। लोगों
का हृदय बदल जाना चाहिये। भीतियुक्त शान्तिका स्वाग
नहीं, बल्कि ज्ञानपूर्वक उसका पालन होना चाहिये। खादीका
दिखावा नहीं, बल्कि उसका शौक पैटा होना चाहिए। चर्खेकी
पूजा नहीं, बल्कि हर घरमें धर्ममान कर उसका उपयोग होना
चाहिये। तभी हमारी जीत होगी। मनमें गुलामोका सेवन
करते रहेगे तो स्वतन्त्रता कभी नहीं मिलने की।

अनोखी लडाई—

यह सत्याग्रहकी अर्थात् सत्यके आग्रहकी कसौटी है। जग
तमें किसी राष्ट्र ने आजतक सत्यका दावा करके स्वतन्त्रता नहीं
प्राप्त की है। जिस तरह बन पडा उसी तरह स्वतन्त्रता, नहीं
दूसरोंपर अपनी सत्ता, प्राप्त कर ली है। इङ्ग्लैण्ड स्वतन्त्र
नहीं। वह तो सत्यवान है। उसने हमें गुलाम बनाया है।
गुलामको अपना मालिक स्वतन्त्रसाही मालूम होता है और वह
गुलाम भी उसीके जैना होनेका प्रयत्न करता है अर्थात् दूसरों
को गुलाम बनानेमें दिलचस्पी लेता है। यह गुलाम स्वतन्त्र
नहीं हो सकता। बल्कि हमेशा अपनेसे जबर्दस्तका गुलाम
बनता है।

सत्यका अर्थ सत्य—

लेकिन मैं पाठकोंको इतना गहरा नहीं ले जाना चाहता । जैसे हो वैसे ही स्वतन्त्रता सत्याग्रहके द्वारा प्राप्त करनेका बीडा हमने उठाया है । अतएव बनावटसे तो वह मिलनेका ही नहीं । और जो लोग बिना समझे अथवा समझते हुए कपटसे सत्याग्रहमें शा मिल हुए होंगे, वे न तो खुद ही सन्तुष्ट रहेगे न जनताकी सन्तोष ठे सकेंगे और अन्नको खाली हाथ नजर आचेंगे और रहेंगे ।

क्या भङ्गी चमारोंका हृदयसे तो तिरस्कार करते हुए परन्तु उनसे छूनेका वैचल्य ढोंग रचकर हम छुआछूतके पापने मुक्त हो सकते हैं ? जबतक हम अपने मनका मैल धोकर उन्हे अपने भई बहिन न समझेंगे और उनके दुखसे दुखी न होंगे तबतक हम आजाद ही नहीं हो सकते । क्योंकि तब हम आजादीके लायक ही न होंगे, वही लोग हमारी प्रगतिको रोकेगे । दुखारके न होनेका स्वाग बनाकर शक्ति होनेका विश्वास दिलाकर मनुष्य कितने कदम चल सकेगा ? यदि हम मयके कारण हिन्दू मुसलमानकी एकताका ढोंग बनाकर रहे होंगे तो हम आखिरी दम तक कभी साथ नहीं रह सकते । और सच्चे वक्तपर हमारे दिलका मैल ऊपर तैर आयेगा । पूरे कसौटीपर उतरे बिना स्वराज्य कैसे मिलेगा ? शायद अग्रेज अधिकारी धोखा खा भी जाय , परन्तु ऐसी हालतमें हिन्दू मुसलमान आपसमें ही लड पड़ेंगे । स्वराज्यका श्री गणेश ही

न कर सकेंगे। आरम्भमें ही एक दूसरेका द्वेष करने लगेंगे और डरने लगेंगे। अतएव यह मित्रता सच्ची होगी तभी हमारा कदम आगे बढ़ सकेगा।

हमारी स्थिति—

मैं स्वयम् स्वराज्य लेनेके लिये जितना अधीर हूँ उतना ही धीरजवान भी हूँ। और हर एक को यही सलाह देता हूँ कि वे भी मुझ जैसे ही हो जायें। जो उपाय हमने निश्चित किये हैं यदि उनका अवलम्बन हम ठीक २ करें तो स्वराज्य प्राप्त करना सहल है। उन उपायोंके बिना इस वर्षमें तो वश, पर इस जमाने भी, स्वराज्य प्राप्त करना मैं बिल्कुल असम्भव मानता हूँ।

हमारी स्थिति तमाम राष्ट्रोंसे विचित्र है यह बात हमें बरजवान याद कर रखना चाहिये। हमारी यह इतनी 'संख्या' ही हमारा बल है और यही हमारी निर्बलता भी है। किसी भी देशमें हिन्दुस्तानकी तरह ऐसे भिन्न २ धर्म नहीं हैं जो आज तक एक दूसरेको अपना दुश्मन मानते हैं। किसी भी देशका इतना बड़ा भाग शत्रु विद्याका अन्तर्गामी नहीं है। किसी भी देशमें हिन्दुस्तानके मङ्गो चमारोंकी तरह मनुष्य जातिका तिरस्कार नहीं किया जाता। अतएव हमारे देशके दुःख दर्दका इलाज भी जुदा ही होना चाहिये।

कहीं भूल न हो—

मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान कहीं भूलमें न रहे। लकड़ी की तलवारसे हमारा काम नहीं सधनेका। सत्याग्रहकी तल-

वार फौलादकी नलवारसे भी अधिक मजबूत और तेज होती है यह लडकोंफा खिलवाड नहीं बल्कि सच्चा खेल है। इनमें वनावटके लिये कहीं गु जायश नहीं है। यदि हम सच्चे बन जाय गे तो इस वर्ष स्वराज्य पा ले गे। परन्तु स्वराज्य मिल जानेसे कहीं हमारा व्यवहार थोडा ही बदल जायगा ? हमारे कठिनाइया कम नहीं हो जाय गी। आज तो हमारा अधिकाश भाग लडनेमें अर्थात् चोट खानेमें जाता है। परन्तु फिर तो हमें रचना करनी होगी, सूक्ष्म बातोंका निपटारा करना होगा, शासन कार्यका संचालन करना होगा। क्या तब हम छुआ छूतको फिरसे राज कर देंगे ? तब हम खादी कम पहनेंगे या अधिक पहनने लगेंगे। तब हम चरखोंको जला डालेंगे या अधिक चलाना पड़ेगे। क्या तब हिन्दू मुसलमानोंको और मुसलमान हिन्दूको तथा दोनों ईमाई पारसीको भुट जायेंगे और ऐसे हो जाय गे कि मातो एक दूसरेको पहचानते ही नहीं ? क्या उस समय हमे शिक्षालयोंका संचालन छोड देना होगा। या आज सरकारी कही जानेवाली शिक्षा सस्थाओंका कभी काम चलाना पड़ेगा ? क्या तब हम अदालतोंमें इसी तरह जमघट लगाये रहेंगे या वकालतके तरीकेको बदलकर आजकी अदालतोंकी रचनामें मार्केके फेरबदल होंगे ? फोइ अपने दिलमें यह भरोसा तक न रखे कि फिर तो हमारे पास कार्यक्षम मनुष्योंकी भुडी लग जायगी। यदि आज उनका अभाव है तो उस समय और भी अभाव होगा। काम हमीको

चलाना होगा। उसका बीज तो हमने नागपुरमें ही बाँ दिया है और जैसा बोया है वैसा ही काटना होगा।

सालक वाद—

इसलिए जो हम ऐसा मानते हों कि दिसम्बरके वाद तो हम सैरको चल निकालेंगे तो इससे बढकर मूल दूसरी नहीं हो सकती। खराज्य चाहे अभी मिले अथवा पीछेसे, हमारे व्यवहारमें बहुत कम परिवर्तन होगा। फिर भी शुद्धि तो जारी ही रहेगी। आज जो अधूरा रह गया है उसे उस समय पूरा किये बिना छुट्टी नहीं। अतएव भारतके जो जो भाग लडना चाहते हों कि एक बार मैदानमें उतरे बाद चाहे एक साल हो, अथवा सालों लग जाय' पर वे पीछे पाव न रक्खेंगे। और जब वे सामने पर आवेंगे तब जिस प्रकार उन्हें जय प्राप्त होने की सम्भावना हो उस प्रकार आज विपत्तिया सहन करनेका निश्चय करना होगा। वे पैर न रक्खेंगे तो कोई कुछ कहनेका नहीं। पर यदि पैर रख दिया तो फिर जहां रख दिया वहासे यातो मर मिटने पर या विजय मिलने पर ही छुटकारा हो सक्ता है। इतना शौर्य और घैट्ये तो आवश्यक ही है।

निराशा नहीं—

यह बातें मैं लोगोंको निराश करनेके लिये नहीं लिख रहा हूँ। बल्कि यह घतानेके लिये लिखता हूँ कि उनका कर्त्तव्य क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है? कहीं ऐसा न हो कि

लोग गफलतमें रह जायं, यह समझ कर कि अजी, इसमें क्या है, मैदानमें आ डटें और फिर पीठ दिखाकर हसीके पात्र बनें, इस ब्यालसे लिखता हू जो इस युद्धका रहस्य सनभ चुके हैं जो सत्य और शान्तिका सेवन कर रहे हैं। वे मेरी इस घातने चमक नहीं सकते। पर जो इसका मर्म न समझे हू उन्हें पूरी तरहसे समझानेके उद्देशसे मैंने स्पष्टसे स्पष्ट शब्दोंमें यह चेतावनी दी है।

ज्वार-भाटा

प्रिय भाई,

मुझे आपके पत्रमें कुछ निराशा सी नजर आई है, पिछले साल आप इस आन्दोलनमें बिल्कुल नये हो नये शरीर हुए थे। आपमें अकारण उत्साह बहुत था। आपको अपना आत्मोत्सर्ग कुछ अपूर्व सा दिखाई दे रहा था। मानों यही मालूम हो रहा था कि केवल आपके ही आत्म बलिदानसे स्वराज्य मिल जायगा। आज आप जो इतने निरुत्साह दिखाई दे रहे हैं, यह भी अकारण ही है। राजनैतिक आन्दोलनके ज्यादा नहीं तो कमसे कम तीन ज्वार भाटे मैंने अपनी आपसे देखे हैं। उस ज्वार और भाटा दोनोंका विचार करके देखा जाय तो हम इन्ना नतीजे पर पहुंचते हैं कि औसतन हमारी प्रगति हो रही है।

एक और भी सिद्धान्त मैंने अपने मनमें निश्चित कर रक्खा है। वह वह कि स्वराज्यकी कुञ्जी तो है, शिक्षा। इसी लिये मैं तबसे दूसरी सब बातें छोड़ कर केवल शिक्षामें ही अधिक ध्यान देने लग गया हू। आज स्वदेशीको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यह भी ठीक ही है। खादी और स्वदेशीके बिना राष्ट्रीय शिक्षाका स्वीकार होना भी कठिन है, फिर उसका प्रचार तो दूरकी बात है। जहा स्वदेशी नहीं वहां अगर शिक्षाके पीछे “राष्ट्राय” विशेषण लगाया जाय तो भी वह अराष्ट्रीय ही है।

यह तो मुझे ख्याल भी न था, कि देशमें खून खराबी होगी और उसका असर इतना गहरा होगा। क्योंकि मैं पिछले साल अहिंसाका महत्व भली भांति जानता ही न था। तथापि मैं यह तो जानता ही था कि इतने उत्साहके ज्वारके बाद उसका भाटा भी अवश्य ही आयेगा। मैं इस आशासे इस आन्दोलनमें शरीक नहीं हुआ कि स्वराज्य तो एक ही सालमें मिल जायगा। और इसी लिये मुझे इस बात पर जरा भी आश्चर्य न हुआ कि स्वराज्य एक सालमें क्यों नहीं मिला? हा, यह विश्वास तो मुझे अब भी है कि एक सालमें स्वराज्य मिल सकता है। पर हम अभी तक अपने पराबलम्बनको कहा छोड़ते हैं? स्वराज्यका तो अर्थ है स्वावलम्बन। जिस दिन उसका अवलम्बन करेंगे उसी दिनसे हमारी स्वराज्य-साधना शुरू हो जायगी।

“स्वराज्य मिला कि वस, फिर तो बाराम ही बाराम है।

एक साल तक पूब परिश्रम करके फिर तो सुखकी नींद सोवेंगे। अथवा कहानियोंके राजा रानीकी तरह एा पीकार मौजसे राज्य करेंगे," यह कल्पना जबतक हमारे दिमागमें ठसी रहेगी तबतक न तो स्वराज्यकी सच्ची भावना हमारे हृदयमें जम सकती न हमारी ऐसी मनोदशा ही हो सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी स्वराज्य स्थिति उन्नत, कल्याण प्रद और सम्मान पूर्ण होगी। पर हमें यह तो जरूर भी ख्याल न करना चाहिये कि उनमें हमें आजसे अधिक सुख वैन मिलेगा। महात्माका-क्षाका विचार छोड़ दिया जाय, मानापमानका ख्याल भी न किया जाय, तो आज भी हम अपनी इसी अवस्थामें अपनेको सुखी मान सकते हैं। हम तो आज दो हजार सालसे यही अभ्यास करते आ रहे हैं, कि बुरीसे बुरी अवस्थामें सुख मानना चाहिये। इससे अधिक सुख हमें और कहा मिल सकता है? आज दीनहीनोचित सुख तो हमें काफी है। स्वराज्यमें इस सुखसे हम जरूर घञ्चित हो जायेंगे, और इसी लिये तो कितने ही लोग स्वराज्य प्राप्त करनेमें स्वराज्यसे डरते हैं। उन्हें तो यहो डर मालूम होता है कि स्वराज्यके आते ही हमारे पीछे न जाने कितनी उपाधिया लग जायगी। हमें खुद ही उनका सामना करना होगा, कुछ पुरुषार्थ भी कर दिखाना होगा, देशकी रक्षाका प्रयत्न करना होगा, प्रयत्न पूर्वक हर एक कठिनाईका सामना करना होगा और सदा कार्यशील बने रहना पड़ेगा।

पर जब वीराङ्गना किसी वीर पुरुषके साथ शादी करती

है तब वह इस धानकी भलोभाति सोच विचारके ही शादी करती है कि मेरे लिये अब भोग विलासके दिन इने-गिने ही हैं, मैं तो मौतसे ही नाना जोड रही हूँ। पर उसे उसीमें आनन्द होता है।

मौतसे दोस्तो—सरुटका पदम दर्शन—यही तो जीवन सार है। बिना मौतका जीवन—सरुट—साहस—शून्य जीवन व्यर्थ है।

क्या आप नहीं देख सकते कि भारत अब धीरे धीरे उधम शील—मौतसे वे परवाह होता जा रहा है। आप अपने आत्मोत्सर्ग से आशान्वित हुए थे। पर उसकी अब हद आ गई, इसी लिये फिर निराशाने आपको आघेरा है। आप जब खूब उत्साहमें थे तब मैं आपकी इस भावी निराशाका चित्र आपके हृदयमें देख सकता था। आज जब आप निराश हो रहे हैं तब मुझे विजय का सुदिन नजर आ रहा है। लोकमान्यने सारी जिन्दगी स्वराज्य का जप करते हुये बिताई। वृद्ध दादा भाई अपने अन्न-कालतक उसी की आराधना करते रहे। असह्य लोग स्वराज्य के लिये सालों जेठमें बिता रहे हैं। लाला लाजपतराय और देशबन्धुदास तो कभी के स्वराज्यमय हो गये हैं। अली भाई स्वराज्यका दर्शन कर रहे हैं। महात्मा जी ऐसे पुण्यश्लोक नर वीरका यह अपूर्व आत्मोत्सर्ग भी स्वराज्यही के लिये है। जब मेरी आंखोंके सामने इनने शुद्ध सात्विक आत्म-बलिदानके इनने समुज्वल उदाहरण हैं, तब मेरे अन्त कारणमें निराशा का प्रवेश

कैसे हो सकता है ? दूसरे, यह देण रहा हूँ, कि आज करीब पन्द्रह सालसे सरकारको राज्य नीति दिन व दिन अधिकाधिक चारित्र्य शून्य होती जा रही है । यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार का पुण्याश अधिकाधिक क्षीण होता जा रहा है । फिर मैं स्वराज्यके विषयमें निराश क्यों होऊँ ? कितने ही नौ—जवानों ने भोग विलास छोड़कर सादगी को अपनाया है । कितने ही भाइयोंने जवनक स्वराज्य प्राप्त नहीं होता ब्रह्मचर्य व्रत धारण करनेकी दृढ प्रतिज्ञा की है । यह जानते हुए भी मैं निराश कैसे हो सकता हूँ ? दिन रात धन की ही उपासना करनेवाले धनिकोंने देशसेवाका पुण्यव्रत धारण किया है । क्या यह कम आशा प्रद है ? कितने ही वयोवृद्ध महानुभाव मान प्रतिष्ठा के घमण्ड को अलग रखकर नौजवानों के साथ इन्ही की तरह नवोत्साहसे देशसेवा करने लग गये हैं । क्या फिरभी मैं स्वराज्य के विषयमें निराश होऊँ ? क्या मैं यह ख्याल करूँ कि इतने धीरोंको तपस्या, यह विशुद्ध आत्म तर्क, व्यर्थ ही सिद्ध होगा ? अगर मैं सचमुच ऐसा सोचूँ तब तो उसे पूरा नास्तिकता ही कहना होगा । कर्म के सिद्धान्त में मेरा विश्वास है । मैं सैबवादी नहीं हूँ । पानीके बर्तन के नीचे अग्नि रखने से जैसे पानी का गरम होना आप निश्चित मानते हैं वैसे ही मुझे इसमें जरा सन्देह नहीं कि इतने त्याग और तपस्याके बाद स्वराज्य जरूर मिलेगा । पहले पहल अगर आरम्भ में मुझे उसका कुछ तत्कालिक फल दिखाई देता तो मेरा निराश होना स्वाभाविक था । मैं सोचना

कि राम राम ! इतना सब त्याग व्यर्थ सिद्ध हुआ । पर यहा तो मैंने तीन बार देखा जो तपस्या एक आन्दोलन के समय प्राप्त नहीं होती वही दूसरे आन्दोलन के समय प्राप्त हो जाती है ।

कितनी बार तो स्वराज्य साधना अज्ञात दशार्में ही करना पडती है । शायद आप की सेवाओं की कदर आज उचित रीति से न हो । परभावी सन्तति - स्वराज्यका उपभोग करनेवाली संतति-हमारी इस तपस्या को बराबर यथोचित आदर की दृष्टिसे देखेगी । वह जरूर कहेगी कि हम स्वराज्य का उपभोग तो कर रहे हैं पर उस को प्राप्त करनेका पुण्य कार्य करने का सौभाग्य हमें न मिला । स्वराज्य तो मोठा ही होता है । पर स्वराज्य साधना उससे भी अधिक स्वादिष्ट होता है । हम तो अब स्वराज्य देवता की वेदी पर अपने कौ चढा चुके हैं । अब हमें स्वराज्य के सिवा दूसरी किस बात को बिन्ता होनी चाहिये ।

आपका —

गुरुमाई ।



अनाकश्यक कबराहट



मैं अहिंसा का पूरा कायल हूँ। मैं जोर शोर से इसका प्रचार कर रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मैं किसी से समझौता नहीं करता। यह देखकर कुछ हिन्दू मुसलमान दोनों घबडा रहे हैं। उनका ख्याल हो गया है कि मैं तो उनके धर्म मतों की जड़ में सुरग लगा रहा हूँ और इस अहिंसा प्रचार से भारत को ऐसी हानि पहुँचा रहा हूँ कि फिर उसकी पूर्ति होना असम्भव है। मालूम होता है कि वे हिंसाको अपना धर्म मान रहे हैं। यदि मैं उनके नामने पूर्ण अहिंसा की बात करता हूँ तो उनके कोमल भावोंको आघात पहुँचता है। वे धडाधड महाभारत और कुरान के वचन पेश करने लगते हैं कि देखिये इन में हिंसाको जायज माना गया है और उसको आज्ञा दी हुई है। महाभारत के सम्बन्ध में मैं तो बिना हिचकिचाहट के राय जाहिर कर सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ श्रद्धावान् मुसलमान भाई भी इस बातको अस्वीकार न करेगे कि हजरत पैगम्बर के सन्देशको समझनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मैं यह साहसके साथ कहता हूँ कि हिंसा किसी भी सम्प्रदायका धर्म नहीं है। बल्कि समस्त धर्मोंमें अहिंसाका पालन ही बहुत बातोंमें आवश्यक धर्मरूप माना गया है और हिंसाको तो महज कुछ कुछ

घातोंमें जायज पताया गया है। लेकिन मैंने तो भारतवर्ष के सामने अहिंसा का अन्तिम रूप खड़ा ही नहीं है। महाभारतके मन्त्रसे जिस अहिंसाका प्रचार मैं करता हूँ, वह तो बतौर एक व्यवहार-नियम है लेकिन व्यवहार-नियम पर भी तो मन, बचन और काया से दृढ़ रहने की आवश्यकता है। यदि मैं इस बात को मानता हूँ कि प्रामाणिकता सर्वश्रेष्ठ व्यवहार-नियम है तो जबतक मैं ऐसा मानता हूँ तबतक मन, बचन और काया से प्रामाणिक रहना मुझे उचित है, अन्यथा मैं पाखण्डी रहूँगा। अहिंसा व्यवहार नियम है। अतएव जब वह असफल या बेकार सिद्ध हो जाय तब यथा समय सूचना देकर उस का त्याग किया जा सकता है। लेकिन यह तो एक साधारण नीति नियम है कि जब तक हम एक व्यवहार नियम को मान रहे तबतक सब्से दिल से उसके अनुसार हमें चलना चाहिये। एक निश्चित मार्ग से जाना तो एक साधारण व्यवहार नियम हुआ। पर जो सिपाही बराबर कदम रखकर नहीं चलता है वह तुरन्तही निकाल देनेके लायक होता है। तो जब लोग मुझसे अहिंसाके सम्बन्धमें सदिग्ध चित्तसे बातचीत करते हैं या अहिंसा शब्द का उच्चार करते ही घबड़ाने लगते हैं तब मेरे दिलमें अविश्वास होने लगता है। यदि उनका यह विश्वास है कि अहिंसासे हमारा काम नहीं देना नहीं होतें हुए

यदि मैं हिंसामें, शस्त्र प्रयोगमें यहातक कि उसके समयानु
 कूल होनेमें भी विश्वास न रखते हुए, मान लीजिये कि
 हिसक दलमें ही शामिल हो गया और एक तोपके सामने
 पड़ा हो गया मगर मेरा दिल तो डावाडोल हो रहा है,
 तो यथाइये यह कितनी घातक बात है ? यदि मैं कहू कि
 मैं एक मक्खीको मार सकता हू तो पाठक इस बातको
 अवश्य मान लेंगे । कन मैंतो मक्खी तकके मारनेका कायल
 नहीं हू । अब, फज कीजिये, मैं मक्खी मारनेकी चढ़ाईमें
 उसको उपयोगी समझकर शामिल हो गया । तो क्या सके
 धावेमें अनुमति मिलनेके पहले मुझसे यह आशा की
 जायगी कि जतक मैं उस मक्खी मारनेवाली सेनामें शामिल
 हू तयतक विनाशकी तमाम उपलब्ध शस्त्र सामग्रीका
 उपयोग करूंगा ? यदि वे लोग जो महासभा और खिलाफत
 समितियोंमें हैं इस साधारण सत्य सिद्धान्तको समझ जायं
 तो हम निश्चय पूर्वक यातो इसी वर्ष इस युद्धमें विजय प्राप्त
 कर लेंगे या बहिस्तासे हमारा जी इतना ऊर लटेगा कि हम
 उसका पीछा छोड़ देंगे और किसी दूसरे कार्यक्रमकी योजना
 करेंगे ।

मेरा मत है कि स्वामी श्रद्धानन्दजीपर उनके उम्र प्रस्तावके
 लिये जो वे उपस्थित करना चाहते थे, व्यर्थ ही टीका टिप्पणी
 की गई । उनकी दलील बिल्कुल उचित थी । वे ख्याल
 करते हैं कि हम सामूहिक रूपसे व्यवहार नियमके तौरपर

अहिंसाका दूरहकीकत नहीं मानते हैं। अतएव हम अहिंसाके कार्यक्रमकी पूर्ति हरगिज नहीं कर सकते। इससे उनका कहना था कि चलो कौंसिलोंमें ही चलें और वहासे जो कुछ टुकड़े मिल जायँ उन्हींको ले लें। वे उन लोगोंकी स्थितिकी अर्थार्थता बताना चाहते थे जो अहिंसाको केवल जवानसे मानते हैं, पर वास्तवमें जो अन्तिम छुटकारेके लिये हिंसा काण्डको आशा लगाये बैठे हैं। मैं जोर देकर कहता हूँ कि यदि महासभावादी इस व्यवहार नियमको पूरी तरह नहीं मानते हैं तो अपनेको उनका अनुयायी बताकर वे देशको हानि पहुँचा रहे हें। यदि भावी सरकारकी नींव हिंसापर रखी जानेवाली हो तो कौंसिलर लोग निस्सन्देह सबसे अधिक चतुर हैं क्योंकि इन कौंसिलोंकी माफत उन्हीं साधनों और तजवीजों से जिनके द्वारा हमारे वर्तमान शासक हमपर राज्य कर रहे हैं कौंसिलर लोग उनके छीन लेनेकी आशा करते हैं।

मुझे इस बातमें कोई शक नहीं है कि जो कोई लोग अपने दिलमें हिंसाका पोषण करते रहते हैं वे देखेंगे कि अहिंसाकी कोरी बातें पनानेसे कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने पूरे बलके साथ आग्रह करता हूँ कि जो लोग अहिंसाके कायल नहीं हैं उन्हें महासभा और असहयोगसे अपना नाता तोड़ लेना चाहिये और कौंसिलोंके लिए उम्मेदवार हो जाना चाहिये, अथवा फिरसे अदालतों सरकारी कालेज स्कूलमें दाखिल हो जाना चाहिए जैसी कि हालत हो। हा, इस बातमें कोई

जरा भी सन्देह न करे कि 'अहिंसा' के द्वारा जिस स्वराज्यका स्थापना होगी वह उस स्वराज्यसे अवश्यही भिन्न होगा जो सशस्त्र बलवे द्वारा स्थापित किया जायगा। स्वराज्य हो जाने पर पुलिस और दण्ड तो रहेगा ही। पर उस समय न तो सरकार हा और न लोग ही ऐसे पाशचिक अत्याचार कर पावेंगे जैसे कि आज हम अपनी आँखोंसे देख रहे हैं। और फिर वे लोग जो चाहें अपनेको हिन्दू बताते हों या मुसलमान अहिंसा को व्यवहार नियमके तौर पर पूरी तरह नहीं मानते हैं उन्हें असहयोग और अहिंसा दोनोंका त्याग कर देना चाहिए।

मेरी दृष्टिमें तो मुझ निश्चय है कि न तो कुरानमें और न महाभारतमें कहीं भी हिंसाका प्रधान पद दिया गया है। यद्यपि कुदरतमें हमको काफी आकर्षण दिखाई देता है तथापि यह आकर्षणके ही सहारे जीवित रहती है। पारस्परिक प्रेमके ही बदौलत कुदरतका काम चलता है। मनुष्य सहार पर अपना निर्वाह नहीं करते हैं। आत्मप्रेमके बदौलत औरोंके प्रति आदर भाव अवश्य ही उत्पन्न होता है। राष्ट्रोंमें 'एकता इसलिए होती है कि राष्ट्रोंमें अगभूत लोग परस्पर आदर भाव रखते हैं। उसी दिन हमारा राष्ट्रीय न्याय हमें सारे विश्व तक व्याप्त करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अपने कौटुम्बिक न्यायको राष्ट्रोंके एक विस्तृत कुटुम्बके निर्माणमें व्याप्त किया है। ईश्वरका यह आदेश है कि भारतको ऐसा ही राष्ट्र होना चाहिये। क्योंकि जहातक चुकि और तर्क की गति अच्छ सकती है, भारत सशस्त्र चगा-

वतके द्वारा पुश्तों तक आजाद नहीं हो सकता। भारत तो सिर्फ राष्ट्रीय हिसासे दूर रह कर ही आजाद हो सकता है। भारत अब ऐसे शासनसे थक गया है जो हिताकाण्ड पर अपना आधार रखता है। मेरे लिए तो मैदानमें रहनेवालोंका यही सन्देश है। मैदानके लोग नहीं जानने कि सगठित मशख युद्ध करना क्या चीज है? और उन्हें आजाद तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वे आजादी चाहते हैं। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम हो गया है कि हिताकाण्डके द्वारा प्राप्त अधिकारका फल यही होगा कि हम और अधिक पोसे जायगे।

इसी कारण परम्पराके द्वारा इस अहिंसा धर्मकी नहीं, पर व्यवहार नियमकी उत्पत्ति हुई है और जिस प्रकार एक मुसलमान या हिन्दू हिंसामें विश्वास रखता हुआ भी अपने परिवारके लिए अहिंसा धर्मका ही व्यवहार करता है उसी प्रकार उन दोनों से कहा जाता है कि इस अहिंसाके व्यवहार नियमको आप लोग अपने पारस्परिक व्यवहारमें तथा भिन्न २ जातियोंमें (जिनमें अंग्रेज भाई भी शामिल हों) और श्रेणियोंके व्यवहारमें अपना-इये। जो लोग इस व्यवहार नियमके कायल न हों और जो उसके अनुसार पूरा पूरा वर्तान न करना चाहते हों उनका इस आन्दोलनमें रहना इसकी गतिको कुठित करना है।

प्रान्तीय समितियोंको सलाह

इसमें यह स्पष्ट है कि मैं प्रान्तीय सस्थाओंसे क्या बात चाहता हूँ। फिलिहाल उन्हें जहातक मुमकिन हों सरकारके कानूनोंका भंग न करना चाहिये। जबतक वे अपने हृदयकी एोज न कर लें तब तक उन्हें कोई कदम आगे न बढ़ाना चाहिये। बल्कि पूर्ण शान्तिमय वायुमण्डल तैयार करना चाहिये। क्रोधके आवेशमें जो लोग जेल गये हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। मैं मुसलमानोंके इस रिचारसे जो कि हिन्दुओंका भी विचार है कि महज जेल जानेके लिये ही जेल न जाना चाहिये, सहमत हूँ। जेलोंमें जाना तो तभी उपयोगी हो सकता है जब धर्म या देशके लिये बहा जाय और जब वह लोग जाय जो खादी पहने हों और जिनके दिलसे हिंसा और क्रोधका भाव निकल गया हो। यदि प्रान्तोंमें ऐसे स्त्री पुख्य न हों तो उन्हें सविनय भंग मुत्तक शुरू ही न करना चाहिये।

विधायक कार्यक्रम

इसलिये इस-विधायक कार्यक्रमकी रचना की गई है। इससे हमारा-चित्त स्थिर और शान्त होगा। इससे हमारी समगठन शक्ति जाग्रत होगी, हम परिश्रमी और उद्योगी बनेंगे, हम स्वराज्यके योग्य होंगे, और हमारा डबलता हुआ धून शान्त होगा। हां, सम्भव है कि लोग हम पर छो-थू करे, हसें, कसके ठोंकरे, मारे और चुरी तरह कोसें। हमें इन बातोंको तो उस हद तक अवश्य सहन करना चाहिये जिस हद तक हमने अहिंसाकी प्रतिज्ञा धारण करनेके उपरान्त भी अपने हृदयमें हिंसा भावको कायम रखा हो। मुझे यह बात साफ २ कह देनी चाहिए कि जबतक हम जान बूझकर अपने कार्यको न सुधारेंगे, अहिंसा वृत्तिको जाग्रत और खादी तैयार न करेंगे तब तक हम न तो खिलाफतकी अच्छी सेवा कर सकते हैं न पंजाबके, अन्धायोंका परिमार्जन करा सकते हैं और न स्वराज्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि मैं अपने साथियों तथा सर्वसाधारणको इस बातका निश्चय न करा सकूँ कि इस विधायक कार्यक्रमके अनुसार जोर शोरसे कार्य करनेकी अत्यन्त और तुरन्त आवश्यकता है तो मेरा नेतापन बिड़हु उ बेकार है

हमको यह देखना चाहिये कि हमें सारे भारतसे १ करोड़

नर नारी मिल सकते हैं या नहीं जो इस बातको मानते हों कि हमें शान्तिमय सत्य साधनोंके द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना है।

हमें स्वदेशी प्रचारके लिये रुपये अवश्य एकत्रित करना चाहिये और हमें यह जानना चाहिये कि भारतमें ऐसे कितने लोग हैं जो सच्चाईके साथ तिलक स्वराज्य फण्डमें अपने पिछले सालकी आमदनीमेंसे १) फी सैकडा रकम देनेके लिये तैयार हैं। इस चन्दाकी उम्मीद समिति महासभावादी तथा उनके साथ सहानुभूति रखनेवाले लोगोसे करती है।

हमें पानीकी तरह रुपया बहाकर चरखेका प्रचार घर घरमें करना होगा तथा खादी तैयार करना और जहा जहा जरूरत हो तहा तहा उसे भेजना चाहिये।

हम अपने 'अछूत' भाइयोकी अपेक्षा तो वास्तवमें बहुत समयसे कर रहे हैं। वे कितने वर्षों से हमारी गुलामी करते आये हैं। अब हमें उनकी सेवा अवश्य करनी होगी।

शराबखानोंके पहरसे कुछ लाभ जरूर हुआ है, पर वह पक्का नहीं। हम तब तक इस विषयमें सच्ची प्रगति नहीं कर सकते जब तक कि हम हर एक शराब पीनेवालेके घर पर न जायेंगे। हमें यह जानना चाहिये कि वह क्यों शराब पीता है? उसके बजाय हम दूसरी कौनसी वस्तु उसे दे सकते हैं? हमें भारतके तमाम शराब पीनेवालोंकी गणना करनी होगी।

समाज सेवा विभागको लोगोंने बड़ी प्रेम दृष्टिसे देखा है। यदि असहयोग आन्दोलनका कोई दुष्ट उद्देश्य नहीं है तो इस

द्विभागकी अत्यन्त आवश्यकता है। हम तकलीफ और मुसीबतके मौकेपर हर एककी शत्रु और मित्र दोनोंकी समान भावसे सेवा करना चाहते हैं। इसके द्वारा हम अपने राजनैतिक मत-भेद और कार्य भेदके रहते हुए परस्पर मीठा सम्बन्ध रख पावेंगे।

लोग हंसते हैं—

समाज सेवा तथा शराबखोरी छुड़ानेकी स्वराज्य युद्धका अंग बनानेपर लोग हंसते हैं। इससे यह दिखाई दिया कि स्वराज्यके आवश्यक बातोंके सम्बन्धमें कितना दुःखदायक अज्ञान भरा हुआ है। मैं दावेके साथ कहता हूँ कि मानवी स्वभाव और मानवी समाजके सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक विभागोंके बीचमें ऐसी लोहेकी कठिन दीवारें नहीं हैं कि जिनमेंसे पानीकी बूद भी इधरसे उधर न जा सके। हर एकका घात प्रतिघात एक दूसरेपर होता है। अधिक क्या, ये हिन्दू और मुसलमानोंके ही बहुसंख्यक लोग इस युद्धको धार्मिक समझकर शामिल हुए हैं। जनता इसमें इस लिये शरीक हुई है कि वह खिलाफत और गायकी रक्षा करना चाहती है। मुसलमानोंकी खिलाफतको सहायता करनेकी आशा तोड़ दीजिये, वे महासभामें अलग हो जायेंगे। हिन्दुओंसे कहिये कि आप महासभामें रहकर गोरक्षा नहीं कर सकते, एक भी हिन्दू उसमें न उहरेगा। नैतिक सुधारोंपर तथा समाज सेवापर हंसना मानो स्वराज्य, खिलाफत और पञ्जाबपर हंसना है।

यहातक कि पाठशालोंके सगठनपर भी लोग हंसते। आइये

जरा सोचें इसका मतलब क्या है? हमने सरकारी विद्यालयोंकी शान तो मिट्टीमें मिला दी है। पहरा रखना तथा लडकोंको पढाईपर ध्यान न देना १९२० में तो कदाचित् आघ श्यक था, पर अब तो सरकारी विद्यालयोंपर पहरा रखना तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंकी उपेक्षा करना अपराध है। अब तो हम उसी अवस्थामें अधिक लडके लडकी अपनी ओर खींच सकते हैं जब हमारे वर्तमान राष्ट्रीय विद्यालय सरकारी स्कूलोंसे बेहतर हालतमें हों। उन्हें उन संस्थाओंमें तो रहनेका लोभ प्राप्त हो रहा है जहांका वायुमण्डल स्वतन्त्र है और जहा उनकी शक्तिया दवा नहीं दी जाती हैं। परन्तु इसके साथ धुनकने, सून कातने और वु ननेकी रित्रा तथा देशको आवश्यकताओंके अनु-कूल बौद्धिक शिक्षाकी भी व्यग्रसा होनी चाहिये। हम अपने प्रयोगमें सफलता प्राप्त करके यह दिखा सकेंगे कि राष्ट्रीय विद्यालयोंमें अधिक अच्छी शिक्षा दी जाती है।

और पञ्चायतोंको भी लोगोंने उपहास्य समझा। वे लोग शायद इस बातको जानते ही न थे कि भारतके कितने ही भागों में सर्वसाधारणने अदालतोंमें जाना छोड दिया है। यदि हम प्रामाणिक पञ्चायतोंकी स्थापना न करेंगे तो वे अवश्य ही फिरसे उन्हीं सरकारी अदालतोंकी शरण लेंगे।

राजनैतिक परिणाम—

इनमेंसे कोई बात ऐसी नहीं है जिसका राजनैतिक परिणाम बहुव्यापक न हो। पादीके कामिल तौरपर तयार

होने और उसके सर्वत्र उपयोग होनेसे एक तो विदेशी कपड़ेका बहिष्कार सदाके लिये हो जायगा और दूसरे ६० करोड़ रुपये हर साल ग़रान लोगोंमें बट जायंगे। शराब और अफीमके दुर्व्यसनोंसे सद् बक़े लिये लोप हो जानेसे लोगोंके १७ करोड़ रुपये बचेंगे और सरकारकी इतनी आमदनी कम होगी। अछूतोंके लिये रचनात्मक कार्य करनेमें महासभाको छ करोड़ नर नारियोंका लाभ होगा जिनका चिरसम्बन्ध महासभासे बना रहेंगा। यदि लोक समाज सेवा संघकी स्थापना हो गई और वह जीवित रहा तो उसके वदौलत सहयोगियों (चाहे भारतीय हों या अंग्रेज) और असहयोगियोंकी अनवन दूर हो जायगी। अतएव इस पूरे विधायक कार्यक्रमके अनुसार काम करना मानो भपना अभीष्ट प्राप्त कर लेना है। इसमें गफलत करना मानो सविनय भंगकी तमाम आशाओंको दूर ही दूर हटाना है।



यदि मैं पकड़ा जाऊँ—



यह अफवाह फिर जोरोंपर आने लगी है कि मेरी गिरफ्तारी बस होने ही वाली है। कहा जाता है कि कुछ अधिकारी लोग कहते हैं, भूल हुई, गान्धीको तो ११ या १२ फरवरीको ही पकड़ लेना चाहिये था, वारडोलीके निर्णयको देखकर सरकारको अपना कार्यक्रम न बदलना चाहिये था। यह भी कहा जाता है कि अब सरकारके लिये उस आन्दोलनको सहन करते रहना असम्भव है जो कि लन्दनमें मेरी गिरफ्तारी और देश निकालेके लिये दिनपर दिन बढ़ता जाता है। मैं खुद भी नहीं देख सकता कि यदि सरकार व्यक्तिगत अथवा सामूहिक सविनय भङ्गको हमेशाके लिये बन्द कर देना चाहता है तो मेरी गिरफ्तारीको किस तरह टाल सकती है।

मैंने जो कार्यसमितिको यह सलाह दी थी कि वारडोलीमें सामुदायिक भङ्ग कर दिया जाय सो उसका कारण यह था कि वह भङ्ग सविनय न हो पाता, और आज जो मैं तमाम प्रान्तिक कार्यकर्ताओंको सलाह दे रहा हू कि व्यक्तिगत कानून भङ्ग भी बन्द ही रखा जाय तो इसका सबब यह है कि मैं जानता हू, इस अवस्थामें वह सविनय नहीं बल्कि उद्धत होगा। सविनय-भङ्गके लिये शान्तिमय धायुमण्डलका होना अनिवार्य

शर्त है। भारतमें आज जगह जगह हिंसाके भाव भरे हुए हैं तथा सशुक्र प्रांतको सरकारको ईजाद पुलिस भरती करना पडी है जिससे कि चोरीचौरा काण्डकी पुनरावृत्ति कहीं न होने पावे इन बातोंको देखकर मेरा सिर नीचा झुक जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वहां वे सब बातें हुई हैं जो कि बयान की जाती हैं पर उन सब प्रमाणोंको न मानता भी अत्रभव है जो कि यह बता रहे हैं कि उस-प्रान्तके कुछ हिस्सोंमें हिंसाके भाव बराबर बढ़ते जा रहे हैं। पण्डित हृदयनाथ कुञ्जसे राजनैतिक बातोंमें मेरा मतभेद है। तथापि मैं यह मानता हू कि वे जानबूझकर सत्यका अपराध करनेवाले आदमी नहीं हैं। मैं उन्हें एक अत्यन्त योग्य देशसेवक मानता हू। वे ऐसे शख्स नहीं हैं कि आसानीसे किलोके कहनेमें आ जाय। ऐसी अवस्थामें जब खुद वे किसी बातपर अपनी राय जाहिर करते हैं तो तुरन्त उसपर मेरा ध्यान जाता है। उनका रुख सरकारकी तरफ रहा करता है, इसलिये चोरीचौरा समर्थों उनके फौसलेका कुछ अंश नमक मिर्च सपकाकर छोड़े दे तो भी उनकी रिपोर्ट ऐसी नहीं समझी जा सकती कि उसपर विचार हो न किया जाय। और न उन चिट्ठी पत्रियोंकी ही उरेशा को जा सकती है जो जमींदारों तथा दूसरे लोगोंको तरफसे मेरे पास भेजी गई है जिनमें यह द्विप्रकाश गथा है कि सशुक्र प्रान्तके लोगोंके विचार किस तरह हिंसाप्रय हो रहे हैं तथा वहांके नासमझ लोगोंमें किये तरह अध्यापुत्रगोही फेर रही है। मेरे सामने

लीकी रिपोर्ट भी रखी हुई है जिसपर वहाके महासभाके म
 की सही है । हा एक ओर जहा हाकिम लोगोंने पागलोंकासा
 म किया है और क्रोधावेगमें अपनेको भुला दिया है तहा हम
 , यदिरिपोर्टको बातें सच मानो जाय , तो दोपसे खाली नहीं
 । वह स्वयंसेवकोंका जुलूस कोई सविनय दृश्य नहीं था ।
 द हमारे ही घरमें तीव्र मतभेद होनेपर भी जुलूस निकालनेकी
 द की गई । यद्यपि जो लोग वहा एकत्र हुए थे उन्होंने कोई
 सा-कार्य नहीं किया तथापि उस जुलूसके भाव निस्सन्देह
 सात्मक थे । वह अपने सामर्थ्यका एक निष्फल प्रदर्शन
 , जिसकी हमारे उद्देशकी सिद्धिके लिये कोई आवश्यकता
 ही थी और जो सविनय भगका शुभशकुन भी मुश्किलसे था ।
 , यह बहुत सच है कि अधिकारी लोग जुलूसके साथ इससे
 च्छी तरह पेश आ सकते थे , उन्हें स्वराज्य भण्डोंसे छेड़छाड़
 करनी चाहिये थी, उन्हें टाउन हालके उपयोगमें बाधा न
 ालनी चाहिए थी क्योंकि टाउन हालमें महासभाके दफतर
 और वह कस्बेकी चीज थी और टाउन कौन्सिलकी इजाजत
 महीनोंसे उसमें वे दफतर थे । लेकिन हमने तो अधिकारि-
 से सामान्य बुद्धि और विवेकके उपयोग करनेका प्रयास ही
 ोड दिया है । बल्कि इसके प्रतिकूल हम तो उनसे विवेक
 तता और हिंसाकी आशा रखते हैं और इस लिये हम उनकी
 खालिफतके लिये खड़े हो उठे हैं । सो हम तो यह जानते
 थे कि वे इससे अच्छा सलूक कर ही नहीं सकते, अतएव

हमें इस जलूसके झगड़ेसे वाज आ जाना चाहिए था। यह घात कोई नई नहीं है कि युक्तप्रान्तकी सरकार तिलका ताड़ बना रही है और वह अपनी तथा उन चौरीचौराके मार डाले गये लोगोकी तरफसे दी गई उतेजनाको गिनतीमें ही नहीं लेती। मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह कि हम इस घातका दावा नहीं कर सकते, कि हमने उन्हें किसी तरहका मौका नहीं दिया है। अतएव यह सविनय भंग केवल प्रायश्चित्तके लिये बन्द किया गया है। पर यदि वायुमण्डल साफ हो जाय, लोग 'सविनय' पदका पूरा पूरा महत्व समझ जाय, और उनके भाव तथा कार्य दोनों वास्तवमें बहिःसात्मक हो जाय, और यदि मैं देखूँगा कि अब भी सरकार लोकमतके आगे झुकना नहीं चाहती तो अवश्य ही मैं ही सबसे पहले व्यक्तिगत या सामुदायिक भंगकी, जैसी कि उस समय आवश्यकता होगी, घोषणा किये बिना न रहूँगा। जबतक लोग अपने जन्मसिद्ध अधिकारको छोड़ देनेके लिये तैयार न हों तबतक इस कर्त्तव्यका पालन किये बिना छुटकारा नहीं।

अंग्रेज लोग जोकि जन्मजात योद्धा हैं, जब सविनयभङ्गके खिलाफ ऊंची आवाज उठाते हैं, मानो वह कोई ऐसा आसुरी अपराध हो जिसके लिये कड़ेसे कड़ा दण्ड दिया जाय, तब मुझे उनकी सच्चाईपर सन्देह होने लगता है। जब कि वे सशस्त्र बलवेका गुणगान किया करते हैं और उन्होंने समय समयपर उनका अवलम्बन क्या भी है, तब सविनय प्रतिरोधके खयाल

मात्रसे बहुतेरे लोग क्यों तलवार खींचने लगते हैं ? हा, उनके इस कथनको तो मैं समझ सकता हूँ कि भारतमें अहिंसात्मक आन्दोलन होना वस्तुतः असम्भव है । मैं इस बातको मानता तो नहीं हूँ पर ऐसे ऐतराजकी कद्र जरूर कर सकता हूँ । पर जो बात मेरे खयालमें नहीं आती है वह यह कि सविनयभङ्गके सिद्धान्तके खिलाफ, मान वह कोई नीति विरुद्ध बात हो, यह मृत्युका मुकाबला करनेके सद्दश तैयारी क्यों ? मुझसे यह आशा करना कि मैं सविनय भङ्गका प्रचार करना छोड़ दूँगा मानों मुझे शांति का प्रचार करना छोड़नेके लिये कहना है, जो मुझे आत्म हत्या करनेके लिये कहनेके बराबर है ।

अपकी चार, कहते हैं, सरकार मेरे "यंग इण्डिया" गुजराती 'नवजीवन' और हिन्दी 'नवजीवन' इन तीनों साप्ताहिक पत्रोंका गला घोट देनेकी फिराकमें हैं । मुझे आशा है कि इस अफवाहमें कुछ दम नहीं है । मैं दावेके साथ कहता हूँ कि मेरे इन तीन पत्रोंने लगातार सिवा शांति और सद्भावके दूसरी किसी बातका प्रचार नहीं किया है । इस बातका असाधारण खयाल रखा जाता है कि सिवा सत्यके जैसा कि मैं उसको समझता हूँ, दूसरी कोई बात पाठकोंको न पहुंचाई जाय । जब कभी कोई गलत बात असावधानीसे छप जाती है, फौरन मान ली जाती है और उसका सुधार कर दिया जाता है । तीनों पत्रोंकी ग्राहक सख्या प्रतिदिन बढ़ रही है । उनके सचा-

क लोग स्वेच्छासे काम कर रहे हैं; कुछ लोग घेतन मुत्तक हीं लेते हैं। जो कुछ मुनाफा होता है वह पाठकोंको किसी किसो रूपमें लौटा दिया जाता है या किसी विधायक राष्ट्रीय अथवा दूसरे सत् कार्योंमें लगा दिया जाता है। मैं ही कह सकता कि यदि ये तीनों पत्र बन्द हो गये तो मेरे दयको व्यथा न होगी। लेकिन सरकारके लिये तो उनकी जान ले डालना वार्ये हाथका खेल है। उनके प्रकाशक और प्रक सब लोग मेरे मित्र और साथी हैं। मेरा ठहरव उनके साथ यह है कि जिस घडी सरकार उनसे जमानत माग ठे उसी घडी ये पत्र बन्द हो जायेंगे। मैं उन्हें इसी कारण पर चला रहा हूँ कि सरकार मेरे कार्योंको चाहे किसी दृष्टिसे देखती हो, पर वह कमसे कम मुझे इस बातका जेय अवश्य देगी कि इन पत्रोंके द्वारा मैंने सिवा शुद्धसे शुद्ध हिंसा और सत्यके जैसा कि मैं इन्हें अपने विचारमें समझता हूँ, दूसरी किसी बातका प्रचार नहीं किया है।

इतना होनेपर भी मैं आशा करता हू कि, चाहे सरकार मुझे गिरफ्तार कर ले या चाहे वह मेरे इन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साधनों तीनों पत्रोंको बन्द कर दे, लोग इससे विचलित न होंगे। सरकारका इस डरसे मुझे न गिरफ्तार करना कि इससे सारे देशमें उपद्रव खड़ा हो जायगा, और इस अवस्थामें भीषण हत्या-कांड मचेगा, मेरे लिये तो अभिमानकी, न खुशोकी बात है, बल्कि इससे तो उल्टा मेरा शिर

नीचा हो जाता है। यदि मेरा कैद हो जाना इस बातका चिह्न हो जाय कि सारे देशमें तूफान उठ खड़ा हो तो यह मेरे अहिंसाके उपदेशपर पानी फेर देगा और महासभा तथा खिलाफतकी अहिंसाकी प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिल जायगी। निश्चय ही यह इस बातका प्रमाण होगा कि भारत शांतिमय चलनेके लिये तैयार नहीं है। वह नौकरशाहीके विजयका दिन होगा और इस बातका प्रायः अन्तिम प्रमाण होगा कि नरम दलवाले मित्रोंकी ही बात ठीक है अर्थात् यह कि भारत कभी अहिंसात्मक अवज्ञाके लिये तैयार नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि महासभा तथा खिलाफतके कार्यकर्तागण यह दिखलानेके लिये कोई उपाय बाकी न रख छोड़ेंगे। कि सरकारके तथा उसके सहायकोंके दिलमें जो डर है वह बिल्कुल अकारण है। मैं प्रतिष्ठा करके कहता हूँ कि इस आत्मसंयमके द्वारा हम अपने त्रिविध लक्ष्यकी ओर मीलों आगे बढ़ जायेंगे।

अतएव मेरे पकड़े जानेपर न तो हड़तालें हों, न बड़ी बड़ी सभायें की जाय, न जुलूस निकाले जाय, न शोरगुल मचाया जाय। उस अवस्थामें पूर्ण शान्ति धारण किये रहनेको मैं अपनी बड़ीसे बड़ी इज्जत समझूंगा। और इस बातको घटे प्रेमके साथ निहारूंगा कि महासभाका विधायक काम घड़ीकी तरह नियमके साथ बराबर और पञ्चाय पक्षप्रेशकी चालसे चल रहा है। हा, मैं इस बातको भी घटे चावसे देखूंगा कि जो

लोग आजतक पीठे रह रहे हैं वे आगे बढ़ रहे हैं, अपने विदेशी कपड़ोंका त्याग कर रहे हैं और उनकी होलिया जला रहे हैं। जहा उन्होंने वारडोलीका निश्चित रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया कि वे न केवल मुझे तथा दूसरे कैदो भाइयोंको भी छुडा लावेंगे, बल्कि स्वराज्यका भी महोत्सव मनावेंगे, और खिलाफत और पञ्जावके अन्यायोंका भी परिमार्जन करा लेंगे। वे स्वराज्यके इन चार स्तम्भोंको जरूर याद रखें— अहिंसा, हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी एकता, छुआछूतका पूर्ण त्याग और विदेशी कपड़ेका बहिष्कार तथा उसके स्थानपर हाथ कती और हाथबुनी खादी तैयार करना।

मैं नहीं कह सकता कि लोगोंके बीचसे मेरे अलहदा किये जानेसे लोगोंको लाभ न होगा। इससे एक तो लोगोंका यह अन्धविश्वास दर हो जायगा कि मुझमें कोई दैवी शक्ति है। दूसरे यह विश्वास कि लोगोंने असहयोगका कार्यक्रम महज मेरे प्रभावमें आकर मजूर किया है, खुद उन्हें इसमें विश्वास नहीं है, असत्य सिद्ध हो जायगा। तीसरे इस कार्यक्रमके पास उत्पादकके भी हमसे अलहदा हो जाते हुए हम अपने कार्योंको योग्यताके साथ चलाते हुए यह सिद्ध कर पावेंगे कि स्वराज्यकी क्षमता हममें है। चौथे और मेरे स्वार्थकी दृष्टिसे मेरे शरीरको आराम और चित्तको शांति मिलेगी, जिसका कि अधिकारी मैं हूँ।

मृत्युका भय ।

(अक्टूबर १३, १९२१)

खराज्यकी बहुत सी व्यापार्यें मैं एकत्र कर रहा हूँ । उनमें एक व्याख्या यह भी है—मृत्युके भयका त्याग । जिस देशके लोग मौतके डरसे घबराये रहते हैं वह न तो खराज्य प्राप्त कर सकता है और न उसे सँभाल ही सकता है । अँगरेज लोग तो मौतको जेबमें लिये घूमते हैं, अरबी और काबली मरणको एक मामूली बीमारी समझते हैं । जब उनके यहाँ कोई मर जाता है तब वे रोते पीटते नहीं । बोअर स्त्रियाँ तो जानती ही नहीं थीं कि मरण भय क्या चीज है । बोअर युद्धके समय हजारों बोअर युवतियाँ विधवा हो गईं । पर उन्होंने इसकी कुछ परवा न की । उन्होंने अपने दिलको समझाया कि, “मेरे पति या पुत्र मर गये तो क्या हुआ, मेरे देशकी इज्जत तो कायम रही । यदि देश गुलाम हो जाना तो पतिके रहनेसे भी क्या होता ? अपने गुलाम बेटेकी पर्वरिश करनेकी अपेक्षा तो उसकी लाशको कब्रमें दफना देना और उसकी आत्माको याद करते रहना ही अच्छा है ।” इस तरह धीरज रखकर असंख्य बोअर-रमणियोंने अपने प्रियजनोंको विछुडने दिया ।

ये तो उन लोगोंके उदाहरण हैं जो खुद तो मरते ही हैं, पर

दूसरोंको मारते भी हैं। परन्तु जी लोग मारते नहीं, सिर्फ मरते ही हैं, उनका क्या पूछना। ऐसोंकी तो ससार पूजा करता है। ऐसोंके वदौलत देशका उत्कर्ष होता है। यूरोपीय महाभारतमें अङ्गरेज और जर्मन दोनों आपसमें लडे। दोनोंने दूसरोंको मारा भी और खुद मरे भी। फल यह हुआ कि शत्रुता बढ गई, अशान्ति बढ गई और आज यूरोपकी दशा दया-जनक हो गई है, पाखण्डकी वृद्धि हुई है और एक दूसरेको फासनेकी पेश-बन्दी कर रहे हैं। परन्तु जिस मृत्यु-भयको छोडनेका दीर्घ प्रयत्न हम कर रहे हैं वह तो एक शुद्ध यज्ञ है और उसके द्वारा हम, थोडे ही समयमें, बडी भारी विजय प्राप्त करनेकी आशा रखते हैं।

जब हमें स्वराज्य मिल जायगा तब या तो हममेंसे अधिकतर लोगोंने मौतका डर छोड़ दिया होगा या—यह कहना चाहिये कि—स्वराज्य मिला ही न होगा। अभी तक तो देशके ज्यादातर नौजवान लोग ही मरे हैं। अलीगढमें जितने लोगोंकी जाने गई है वे सब २१ वर्षसे कम अवस्थावाले थे। उन्हें तो कोई जानता भी नहीं था। पर, अब भी यदि सरकारको खून-खराबोकी हवस हो तो मैं आशा करता हूँ कि उस समय देश का कोई पहली श्रेणीका मनुष्य उसकी गोलियोंका ग्रास होगा।

घालक मरें, चाहे जवान या बूढे मरें, हम इससे भयभीत क्यों हों ? कोई पल ऐसा नहीं जाता जब इस जगत्में कहीं किसीका जन्म और कहीं किसीकी मृत्यु न होती हो। पैदा

होने पर पुशिया मनाना और मौतसे डरना बड़ी मुर्खता है। यह बात हमें अवश्य सदा अनुभव करनी चाहिए। जो लोग आत्मवादी हैं—और हममें कौन हिन्दू, मुसलमान या पारसी ऐसा होगा जो आत्माके अस्तित्वको न मानता होगा ?—वे जानते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं। यही नहीं, बल्कि जीवित और मृत समस्त प्राणी, एक ही है, उनके गुण भी एक ही हैं। इस दशामें, जब कि जगत्में उत्पत्ति और लय पल पल पर होता ही रहता है, हम क्यों पुशिया मनावें ? और किस लिए शोक करें ? सारे देशको यदि हम अपना परिवार मानें—यदि हमारी भावना इतनी व्यापक हो जाय—और देशमें जहां कहीं किसीका जन्म हुआ हो उसे अपने यहा ही हुआ मानें तो कितने जन्मोत्सव मनाइएगा ? देशमें जहा जहा मौतें हों उन सबके लिए यदि हम रोते रहें तो हमारी आँखोंके आसूँ कभी बन्द ही न हों। यह सोच कर हमें मृत्युका डर छोड़ ही देना चाहिए।

और देशके लोगोंकी अपेक्षा प्रत्येक भारतवासी अधिक छानी, अधिक आत्मवादी होनेका दावा रखता है। तिस पर भी मौतके सामने जितने दीन हम हो जाते हैं उतने और लोग शायद ही होते हों। और उसमें भी मेरा खयाल है कि हिन्दू लोग जितने अधीर हो जाते हैं उतने भारतके दूसरे लोग नहीं। अपने यहा किसीका जन्म होते ही हमारे घरोंमें आनाद मङ्गल उमड पडता है और जब कोई मर जाता है तब इतना रोना-

पीटना मचता है कि आस-पासके लोग भी हैरान हो जाते हैं। यदि हम स्वराज्य लेना चाहते हैं और अपनेको उसके योग्य सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें मृत्युका भय बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए।

और जो मनुष्य मृत्युका भय छोड़ देगा उसे जेलका भय क्यों कर होगा? पाठक यदि विचार करेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा कि स्वराज्य प्राप्तमें हमें जो विलम्ब हो रहा है उसका एकमात्र कारण है—हम लोगोंमें मृत्यु तथा उससे भी नीचे दर्जेके दुःखोंको सहनेकी शक्तिका अभाव।

ज्यों ज्यों अधिकाधिक निरपराध मनुष्य जान बूझकर मौत की भेटके लिए तैयार होते जायँगे त्यों त्यों दूसरे लोगोंका बचाव होता जायगा और दुःख भी कमसे कम होगा। जो दुःख खुशोके साथ सहन किया जाता है वह दुःख नहीं रहता, बल्कि सुख हो जाता है। जो दुःखसे जांचुराता है वह बहुत कष्ट उठाता है और सड़कके उपस्थित होने पर निर्जोब सा हो जाता है। जो आनन्दके साथ दुःखका स्वागत करनेके लिए पैर बढ़ाता है उसे वह आरम्भिक दुःख ही कैसे सकता है, जो केवल दुःखकी कल्पनासे ही उत्पन्न होता है? और उसका आनन्द तो क्लोरोफार्मका काम करता है।

इस विषय पर इस समय जो मुझे इतना लिखना पड़ा वह इसलिए कि यदि हमें इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त कर लेना है तो मृत्युका विचार भी कर लेना होगा। जो लोग पहलेसे तैयारी

कर रखते हैं वे आपत्तिसे घब जाते हैं । हमारे विषयमें भी चाहे ऐसा हो जाय । मेरा दृढ विश्वास है कि “स्वदेशी-आन्दोलन” हमारी पेशवन्दी है । यदि इसमें हमारी फतेह हो गई तो, मैं समझता हूँ, सरकारको अथवा और किसीको हमारी “अग्नि परीक्षा” की आवश्यकता ही न रहेगी ।

परन्तु, इतना होने पर भी, यह आवश्यक है कि हम गफलतमें न रहें । सत्ता अन्धी और बहरी होती है । वह अपने पासकी घटनाओंको भी नहीं देख सकती । अपने कानके पास का फोलाहल भी वह नहीं सुन सकती । अतएव नहीं कह सकते कि जो सरकार गदोन्मत्त है वह क्या न कर बैठेगी ? इस लिए मेरे मनमें यह खयाल उठा कि अब देश सेवकोंकी मृत्यु, जेल अथवा दूसरी आपत्तियोंके स्वागत—एक मित्रकी तरह स्वागत—करनेकी तैयारी कर रखनी चाहिए ।

एक शूर वीर जिस प्रकार हँसते हुए मृत्युका स्वागत करता है उसी प्रकार वह सावधान भी रहता है । शान्तिमय संग्राममें तो गफलतके लिए जगह ही नहीं । हम ऐसे अपराध करके कि जो नीति और सदाचारके विरुद्ध हैं, जेल नहीं जाना चाहते, न फाँसी पर ही लटकना चाहते हैं । हमें तो सरकारके अन्याय-मूलक कानूनोंका सामना करते हुए ‘बलिदान’ होना है ।



मोपलावारमें अशान्ति

मालावारमें एकाएक जो अशान्ति फैल गई है उसकी थोड़ी बहुत खबरें यहां ठेठ ईशानकोणमें भी मुझे मालूम हुई हैं। यह लेख मैं जन्माष्टमीके दिन रेलगाडीमें बैठे हुए लिख रहा हूं। जब तक यह पाठकोके हाथमें पहुंचेगा तब तक और भी घातें प्रकट हो जायंगी, तो भी जो खबरें अबतक मालूम हुई हैं उनसे निकलने वाले सिद्धान्तोंका विचार तो अगले समाचारोंमें कमोवेशी होने पर भी, हम कर सकते हैं।

मोपला लोग मुसलमान हैं। उनकी नसोंमें अरब लोगोंका खून बहता है। कहते हैं कि उनके बापदादे, कितने ही वर्ष पहले अरबस्तानसे आकर मालावारमें बस गये थे। मिजाज उनका बड़ा तेज है। मजहबके बड़े कट्टर माने जाते हैं। जरा सी घातमें विगडकर लड पडते हैं। बड़े बड़े एन उनके हाथों हुए हैं। उनको वशमें करनेके लिए, बहुत वर्ष पहले, एक खास कानून भी बनाया गया था। उनकी आवादी दस लाख गिनी जाती है। यह जाति अपढ किन्तु बहादुर है। मौतका तो उन्हें डर ही नहीं। जब लडाई पर निकलते हैं तब पीछे पांव न हटानेकी कसम खाकर ही निकलते हैं।

इससे कहा जाना है कि वे मारते या एन करते जरा भी नहीं हिचकते। उनके लड पडनेके डरसे जनाब य क्व हसन

रोके गये थे और फिर पीछेसे कैद भी कर दिये गये थे। इस बार वे क्यों थ्रिगड खडे हुए, यह बात अभी तो साफ नहीं मालूम हुई है। कहते हैं कि उन्होंने सरकारी नौकरोंको मार डाला है। खुद उनमेंसे कोई ५०० आदमी मारे गये हैं। यह भी सुनते हैं कि उन्होंने कितने ही मकानोंको जला डाला और लूट भी लिया। कालीकट तथा उसके ऊपरके हिस्सेमें आजकल फौजी कानून जारी है।

इस तरह अभी मालावारमें प्रगति बन्द है और सरकारकी बन घैठी है। सरकार तो ऐसे बलवोंको दवानेकी कला खूब जानती है। कितने ही बे-गुनाह लोग मर चुके होंगे और मरे'गे। सरकारको बुरा कौन कहेगा ? और कहे भी तो सरकार उसे सुनने क्यों लगी ?

जो अशान्तिको रोके अथवा शासन कर सके वही सरकार है। मालावारने दिखा दिया कि हम असहयोगियोंका प्रभाव अभी पूरा २ नहीं जमा। जो लोगोंको अपने वश कर सके वही सरकार है। हम तो लोगोंको एक ही रीतिसे वश कर सकते हैं और वह है शान्ति।

अशान्तिके अथवा मार काटके द्वारा हम विजय प्राप्त करना चाहें तो भी इच्छित काम करने की ताकत हममें होने चाहिये। उस शक्तिको प्राप्त करनेके लिए हमें क्या करना चाहिये, यह सोचना फजूल है, क्योंकि इस उपायसे फतेह हासिल करना हमारी बुद्धि और अनुमानके बाहरकी बात है।

पर यह तो साफ दिखाई देता है कि हमारी शान्ति भंग हो गई। दो प्रतिकूल वस्तुयें एक दूसरीके साथ नहीं चल सकतीं। एक तरफसे शान्ति और दूसरी तरफसे अशान्ति हो तो इसमें किसीकी भी जीत नहीं हो सकती।

यह तो पक्का बात है कि हम मोपलाओंके ऊपर असर न डाल सके। उनके दिलका इतना वहलाव नहीं हुआ कि जिससे वे कभी अशान्त न हों। उनकी अशान्ति तो हमको मौका देने वाली है, हमारी प्रगतिको रोकती है।

अब जो लोग यह मानते हैं कि हमारी फतेह तो शान्तिके ही द्वारा हो सकती है, उन्हें यही समझना चाहिये कि अशान्तिको हमें अपने दिलकी तहमें भी स्थान नहीं देना है।

दूसरे प्रान्तोंको भी अपने कर्तव्यके पालनमें एक दिलसे जुट जाना चाहिये। एक प्रान्त भी अगर पूरी कोशिश करे तो इसी सालमें खराज्य स्थापित करना नामुमकिन नहीं। अगर दूसरे पिछड़ जाय और सिर्फ एकही प्रान्त पूरी तरहसे असहयोग करे तो भी इसी सालमें खराज्य प्राप्त करना बिल्कुल सम्भवनीय मालूम होता है। परन्तु हा, दूसरे प्रान्तोंमें अथवा किसी एकही प्रान्तमें अशान्तिके जारी रहने पर भी एक ही प्रान्तके शान्त साहससे, मैं यह दावेके साथ कहनेकी हिम्मत नहीं करता कि खराज्य मिल ही जायगा। विघ्न तो मैं बहुतेरे देखा करता हू परन्तु फिर भी अपने कर्तव्य पर बिल्कुल पक्के तौरसे मेरी नजर है। हम अधिक सयम रखें, अधिक शुद्ध हों अधिक जागृति

या सचेत रहें, अधिक फुरघानिया करें। दोनों शक्तियोंकी दिशायें जुदी जुदी हैं। इसलिये जब हमारी शान्तिका बल अधिक होगा तभी हमारी गाडी आगे चल सकती है। एक लड्डियाके चार बेल हों और उनमेंसे एक मर जाय या छूट निकले तो उसका बोझ बाकीके तीन बेलोंको उठाना पडता है। परन्तु अगर चारमेंसे एक छूट या मर तो नहीं जाय बल्कि उलटा घूम जाय, उलटे रास्ते जाने लगे, तो फिर बाकी तीन बेलोंका काम केवल इतना ही नहीं रहेगा कि एक बोझा उठावे वरन् उस उलटा चलनेवालेके उपद्रवको रोकनेकी शक्ति भी प्राप्त करे, इस तरह सब्बे असहयोगियोंका बोझ अब और भी बढ गया है।

मैं तो यह बराबर देखता हू कि हमारे रास्तेमें भारी से भारी विघ्न सरकारकी तरफसे नहीं बल्कि पृथक् हमारी ही तरफसे आते हैं। हमारी उलटी गति, हमारी नासमझी हमारे काममें जितनी रुकावट डालती है उतनी सरकारकी उलटी गति हमें नहीं रोकती है। यदि सरकारके विपरीत गतिको हम समझ लेंगे तो हम आगे बढ जायगे। परन्तु स्वयम् अपनी कमजोरी और उलटी गतिकी बदौलत हम पीछे हटेंगे। सच है आत्मा ही हमारा शत्रु है और मित्र भी है। इस शत्रुको जीतनेमें ही शान्तिमय असहयोगकी पूरी विजय है।

मोपला—उत्पातका अर्थ

—

(अक्तूबर २०, १९२१)

स्काटलैंडसे एक सज्जन मुझसे जवाब तलब करते हैं कि अभीतक आपने अपने अखबारमें मोपला—उत्पातके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट क्यों नहीं किये । इसका फल यह हुआ है कि इंग्लैंडमें जो लोग भारतीय प्रश्नोंके मनन करनेके प्रेमी हैं उनका यह खयाल होता चला है कि हिन्दुस्तानमें तो मुसलमानोंकी बादशाहत कायम हो गई है । हा, यह फटकार विलकुल ही बेजा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफसे अपना फर्ज अदा करनेमें किसी तरह मुह नहीं मोडा है । मेरा तो इसमें कोई चारा ही नहीं रहा । मैंने खुद कालीकट जाकर इस उपद्रवकी असलियतको जानना चाहा था, और मुझे निश्वास था कि मैं उसमें अवश्य सफल होता । लेकिन सरकारकी इच्छा कुछ और ही थी । मुझे यह विश्वास करते दु ख होता है किन्तु यह मेरा विश्वास है कि वहाके अधिकारी इस उपद्रवका अन्त नहीं करना चाहते । और यह तो उन्हें अवश्य ही अभीष्ट नहीं है कि इस उपद्रवका अन्त शान्तिके साथ करने का श्रेय असहयोगियों को मिले । वे तो फिर एक बार यह दिखानेके लिये लालायित हो रहे हैं कि केवल अंग्रेजी फौज ही हिन्दुस्तानमें शांति कायम

रख सकती है। इस दशामें मैं सरकारके इस फरमानका अवज्ञा करके कि आप मलावार न जाइये सरकारसे मुठमेड न कर सका।

मैं वहाँके हाकिमोंकी निरुपत अपना ख्याल अच्छा बनाना पसन्द करता हूँ। यह मानना तो मेरे स्वभावके विपरीत है कि मनुष्य जाति स्वभावतः नीच है। किन्तु नौकरशाहीकी नीचताके तो इतने सबूत मेरे आसपास हैं कि वह अपना मतलब गाठनेके लिये चाहें जा कर बैठनेमें कभी न हिचकिचायेगी। मेरे चम्पारन जानेके पहले चम्पारनके किसानोंपर किये गये अत्याचारोंकी जो कथायें मैंने सुनी थीं, उनपर मुझे विश्वास नहीं होता था। मेरा यह कथन अक्षरशः सत्य है। परन्तु जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँकी हालत जो मैंने सुनी थी उससे भी अधिक खराब है। मैं इस बातको नहीं मानता था कि जलियावाला बागकी तरह वे गुनाह लोग कहीं बिना ही हिदायत दिये जानबूझकर कत्ल किये जाते होंगे। मुझे यह विश्वास ही नहीं होता था कि मनुष्य भी कहीं ज़बरदस्ती पेट के बलपर रेंगाया जाता होगा। किन्तु जब मैं पञ्जाब पहुँचा तब वहाँकी हालत देखकर भौंचक रह गया कि ओफ! इतना तो मैंने सुना भी नहीं था। और यह सब किया तो गया कहनेके लिये शान्ति और व्यवस्थाके नामपर परन्तु दर असल एक भूठी प्रतिष्ठाकी दोषमय शासन प्रणालीकी और अखाभा-यिक व्यापारकी जड़ मजबूत करनेके लिये। हा, यह सच है कि

मोपल्लोके ऊपर किसी तरहका दोषारोपण नहीं किया जा सकता। धर्म और सदाचारका यह परिच्छिन्न रूप है। पर मौलाना इसरत मोहानीका दृष्टिमें धर्मके नामपर अधर्माचरण भी धार्मिक है। जहातक मैं जानता हूँ इस्लाम धर्म इस तरहकी बातोंका प्रतिपादक नहीं है। इस सम्बन्धमें मैंने अनेक मुसलमानोंसे भी बात चीत की है। वे भी मौलाना साहयके मतसे सहमत नहीं हैं।

मैं अपने मलावारके साथियोंसे यही कहूंगा कि वे मौलानाकी बात न सुनें। यद्यपि धर्मके चारेमें उनका इस तरहका विचित्र मत है तथापि मैं जानता हूँ कि हिन्दू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीयताका उनसे बढ़कर कट्टर समर्थक दूसरा नहीं है। उनका हृदय उनकी बुद्धिसे कहीं उत्तम है। पर इस समय वह गलत मार्ग पर जा रहा है।

मलावारवालोंकी यह धारणा भ्रान्त है कि मोपल्लोके अत्याचारकी निन्दा भारतके अन्य मुसलमानोंने नहीं की है और उल्टा उसका प्रतिपादन किया है। इस्लाम धर्मका कहना है कि सशाममें भी औरतें, बच्चों और बूढ़ोंकी रक्षा करो। उन्हें किसी तरहका सकट न सहना पड़े। इस्लाम धर्म प्रतिकूल अवस्थामें जेहादका समर्थन नहीं करता। इस्लाम धर्मकी जो जानकारो मुझे है उसके अनुसार मैं तो यहा कहसकता हूँ कि अपनी प्रेरणासे मोपले जेहादकभी भी नहीं कर सकते थे। मौलाना अब्दुलबारीने मोपल्लोके अत्याचारोंकी कड़ी निन्दा की है।

पर यदि मुसलमान उन अन्याचारोंकी निन्दा न भी करे तो ? हिन्दुओंने मोदेके तौरपर तो मुसलमानोंके साथ मैत्रीकी नहीं है ? मैत्री शब्दसे ही प्रगट होता है कि इस तरहकी कोई घात नहीं है। यदि हमलोगोंने राष्ट्रीय आदर्श प्राप्त की होती तो मोपला भी हिन्दू ही हो सकते हैं। मोपलोंकी कट्टरता पर हिन्दुओंको उतना विचार नहीं करना चाहिये जब वे अपनी कट्टरतापर उतना विचार नहीं करते। यदि मोपलोंके यजाय आज हिन्दुओंने हिन्दुओंको लूटा होता तो क्या उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता। इस तरहकी घटनाओंके प्रतिकारके दूढ़ निकालनेकी जितनी जिम्मेदारी हिन्दुओंके ऊपर है उतनी ही मुसलमानोंके ऊपर है। यदि कोई मुसलमान हिन्दूके ऊपर या हिन्दू मुसलमानके ऊपर अत्याचार करता है तो वह अत्याचार एक भारतीय द्वारा दूसरे भारतीय पर सम श्रुना चाहिये और उसकी जिम्मेदारी हम सबको ओढनी चाहिये। तथा उस चुराईको दूर करनेका यत्न करना चाहिये। हिन्दू मुस्लिम एकताका यही अभिप्राय है। जिस राष्ट्रीयतामें ये भाव न हों वह राष्ट्रीयता किसी कामकी नहीं। राष्ट्रीयता क्षेत्र जानीयताके क्षेत्रसे विस्तृत हैं। इस अभिप्रायसे हम लोग प्रथम भारतीय हैं और पीछे हिन्दू, मुसलमान, पारसी, और ईसाई हैं।

इसलिये मोपलोंके अत्याचारोंके सबन्धमें मौलाना हसरत मोहानीने जो मत प्रगट किया है उसके लिये खेद प्रगट करते

हुए भी हमें समस्त मुसलमानोंके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिये और न मौलानाको मुसलमानोंकी हैसियतसे दोष देना चाहिये हमें यह भाव रखकर दुःख प्रगट करना चाहिये कि हमारा एक हिन्दुस्तानी भाई यह नहीं देखता कि हमारा दूसरा हिन्दुस्तानी भाई अत्याचार कर रहा है। यदि हम लोग इस तरहकी घटनाओंका सवन्ध जातिसे रखेंगे तो हममें एकता नहीं स्थापित हो सकती।

हमारे विरोधी कह सकते हैं कि ये सब वाहियात बातें हैं क्योंकि इनमें वास्तविकता नहीं है। यह 'केवल ब्याली हैं। पर मेरा कहना है कि जबतक सिद्धान्तोंके अनुकूल अवस्था न बना ले'गे और जबतक सिद्धान्तोंको वर्तमान अवस्थाके उपयोगी नहीं बना ले'गे हममें दृढता नहीं आ सकती। भारतीयकी हैसियतसे हिन्दू भारतीय मोपलोंकी बुराई दूर करनेकी चेष्टा करें तो इसमें असंभव बात क्या है? यदि हिन्दुओंसे कहा जाय कि आप साहस प्रदण कीजिये, दृढ़ बनिये और मरते दम तक जयर्दस्ती किसी मतको न स्वीकार कीजिये तो इसमें हानि क्या है। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि अनेक हिन्दू ऐसे थे जिन्होंने मोपलोंकी जयर्दस्तीके बनिम्बत प्राण दे देना ही उचित समझा। यदि ये लोग बिना किसी राग या द्वेषके मरे हैं तो उन्होंने सच्चे हिन्दूकी हैसियतसे प्राण दिया है उस कुलके सच्चे भारतीय अथवा

है। यदि इनके प्राण लेने वाले मुसलमान न होकर हिन्दू ही होते तो भी वे इसी तरह अपना प्राण दे दिये होते। यदि हिन्दू मुस्लिम पकता परस्परके बदलौन या सौदे पर ही ठहर सकती है तो वही ही वाहियात चीज है। क्या पति पत्नीका सम्बन्ध केवल दोनोंके सङ्गाव पर ही निर्भर करता है? क्या पति खराब है या पत्नी बुरी है इसलिये दोनोंका सम्बन्ध नहीं रह सकता। यदि पत्नी पति वैवाहिक सम्बन्धको इसी तरहका बदलौन सम्भने लगे तो विवाहकी कोई मर्यादा नहीं रह जायगी। यदि पत्नीका आचरण उसे पतनकी ओर ले जाता हो तो पतिका कर्तव्य है कि वह उसे और नजदीक घसीट ले। उस समय पतिका स्नेह दूना हो जाना चाहिये। इसलिये जिस समय मुसलमान या मोपलोंसे विपत्तिकी अधिक सभाचना हो या विपत्ति आ चुकी हो उस समय हिन्दूको उनके प्रति और भी घनिष्टता दिखलाना चाहिये। यदि मेल सच्चा है तो कड़ेसे कड़े आघात पर भी उसे नहीं टूटना चाहिये। यह बन्धन अटूट होना चाहिये।

जो कुछ मैंने ऊपर कहा है सब स्वार्थसे भरा है। क्या एक हिन्दू अपने शरीरसे अपने धर्म और देशकी अधिक परवा करता है। यदि इसका उत्तर 'हाँ' है तो उस हिन्दूको उस मूर्ख तथा अनजानकार मुसलमानसे कभी नहीं लडना चाहिये जिसे न देशका ख्याल है न धर्म का। ये सब बातें ठीक उस सौतकीसी हैं जिसने लडकेके दो टुकड़े न करके, साराका सारा अपनी सौतको दे दिया।

थोड़ी देरके लिये मान लीजिये—यद्यपि यह सच नहीं है— कि मोपलोंके अत्याचारोंका सेमी मुसलमान समर्थन करते हैं। तो क्या इससे हिन्दू मुसलमान एकता टूट जायगी? यदि यह एकता इस तरह टूट गई तो—क्या इससे, हिन्दुओंकी अवस्था किसी भी तरह अच्छी हो सकती है या सुधर सकती है। क्या वे लोग अपने शत्रु मोपलों और मुसलमानोंसे बदला लेनेके लिये विदेशी शक्तियोंकी सहायता लेंगे और इस तरह उनका नाश करा कर अपनी दासताकी बेड़ी और भी मजबूत करावे गे ?

असहयोगका सिद्धान्त सर्वव्यापी है। जिस तरह यह एक घशके लिये पूरी तरहसे लागू है उसी तरह वह विश्वभरमें पूरी तरह लागू है। शक्ति और आत्मसयम प्राप्त करनेका यह एक तरीका है। हिन्दू और मुसलमानोंको आपसमें मिल जानेके पहले ससारभरके मुकाबिलेमें अकेले खड़ा होनेकी शक्ति और योग्यता प्राप्त कर लेना चाहिये। यह मेले कमजोर शक्तियोंके बीच नहीं होना चाहिये। बल्कि उन लोगोंके बीच होना चाहिये जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा है। मुसलमानों या हिन्दुओंकी यह दुर्बलता होगी यदि वे उन स्थानोंमें जहाँ उनकी सख्या नितान्त कम है, अपने धर्मकी रक्षाके लिये हिन्दू या मुसलमानों पर भरोसा करेंगे। असहयोग आत्म-विकासका सिद्धान्त है। पर यदि बलिष्ठ शक्ति पशुपत आचरण करे और दुर्बलको सतावे तो यह सिद्धान्त किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं हो सकता। क्योंकि उस अवस्थामें जो उनसे बढ्यान होगा वह उन्हें

भी फुचल देगा। इसलिये यदि मुसलमान धार्मिक जीव चनक रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने भीतर शक्तिका सञ्चय करना चाहिये। उन्हें शक्तिगान और साथ ही नम्र होना चाहिये। हिन्दुओंको उचित है कि वे मोपलोंकी इस कूरताका पता लगावे। उस समय उन्हें विदित होगा कि वे निर्दोष नहीं हैं। आज तक उन्होंने मोपलोंकी फिकर नहीं की थी। आजतक यातो वे उन्हें छपक दास समझते रहे या उनसे भय पाते रहे। उन्होंने मित्र अथवा पडोसीकी तरह उन्हें नहीं देखा है। और न उनका सुधार किया है, और न उनकी मर्यादा रखी है। इस समय मोपलो या मुसलमानोंको दोष देना उचित नहीं है। यह मैं स्वीकार करता हू कि प्रत्येक हिन्दू मुसलमानोंकी सहायता और सहानुभूतिकी आशा करता है फिर भी उसे अपने अन्दर शक्तिका समुच्चय कर अपने आप अपनी राहायता करनी चाहिये। यदि मुसलमान खिलाफतकी रक्षाके लिये हिन्दुओंकी मददका भरोसा करें तो इस्लामके लिये इससे दु पद बात ओर क्या हो सकती है। हिन्दुओंसे मुसलमानोंको इसलिये सहायता मिल रही है क्योंकि हिन्दुओंका यह धर्म है। मुसलमान बिना किसी चात्राके हिन्दुओंकी सहायता स्वीकार करे पर उनका अन्तिम विश्वास ईश्वरके सहारे ही रहना चाहिये। क्योंकि नि सहायों का वही एकमात्र सहायक है। मालावारके हिन्दुओंको भी यही भाव ग्रहण करना चाहिये।

परेशान करनेवाला परीक्षक



असहयोगको युनिवर्सिटीका मैं प्रजुष्ट होता तो बहुत अच्छा होता। पर मेरे परीक्षक यह बतलाते हैं कि मैंने अभी इस युनिवर्सिटीकी मैट्रिकुलेशन परीक्षा तो पास की है, पर कालेजमें अभी बहुत कालतक पढ़ना बाकी है। मेरे साथ पत्र व्यवहार करनेवालोंमें मेरे सिन्धी मित्रही सबसे अधिक धोजके प्रश्न करते हैं और कभी कभी ये प्रश्न चिढ़ानेवाले भी होते हैं। “यद्ग इण्डिया” के पाठकोंको मैं जो कुछ सुनाता हूँ वह इन्हीं परीक्षा पत्रोंका नमूना होता है। ऐसा ही एक पत्र सिन्धसे ही आया है जो नाचे दिया जाता है—

१ क्या आप समझते हैं कि आपके असहयोग आन्दोलनसे हिंसा (खूनखराबी) न होगी ?

यदि मैं यह समझता तो इसकी सलाह ही न देता।

(२) अहिंसाके सिद्धान्तका पूरा पूरा विवेचन कीजिये।

अहिंसा स्वेच्छासे किसके जान या मालका नुकसान नहीं कर रही है। इसी सिद्धान्तमें, मैं जेनरल डायरको भी सजा देना या दिलाना नहीं चाहता। पर उसे पेशना देनेसे इन्कार करना या उचित शब्दोंमें उसे फटकार बताना यह स्वेच्छा पूर्वक उसे चोट पहुंचाना नहीं है। खूनीको रक्षा

करना मेरा काम नहीं है, चाहे वह मेरा बाप हो या बेटा। उसे सहारा देनेसे हाथ खींच लेना ही कर्तव्य है। मैं सापको न मारूंगा पर उसे पालूंगा भी नहीं।

यदि आपके आन्दोलनसे हिंसा य खूनखराब आरंभ हुई तो क्या आप पहाड़ोंमें चले जायेंगे ?

यदि असहयोगसे खून खराब हुआ या असहयोगियोंने हिंसाकी शरण ली अर्थात् यदि हिन्दुस्तानने हिंसाका सिद्धान्त स्वीकार किया और मैं जीता रहा तो मैं हिन्दुस्तानमें रहकर जीना न चाहूंगा। वह हिन्दुस्तान मेरे लिये गौरवका स्थान न होगा। मेरी देशभक्ति मेरे धर्मकी दासो है। मैं हिन्दुस्तानकी गोदमें बैठा हुआ हूँ जैसे एक शिशु अपनी माताकी गोदमें बैठा है, कारण मैं समझता हूँ कि भारत माता मुझे वह आध्यात्मिक आहार देती है जिसका मुझे आवश्यकता है, हिन्दुस्तानकी परिस्थिति ऐसी है कि उससे मेरी अत्यन्त उच्च आकांक्षाओंको सहारा मिलता है। जब यह श्रद्धा चली जायगी तब मेरी अवस्था एक अनाथ बच्चेकी सी होगी और कोई पालक मिलनेकी कोई आशा न रहेगी। तब हिमालयका हिमाच्छादित एकान्त स्थान अवश्य ही मेरी आहत रक्तलावी आत्माको अपनी शक्तिभर शान्ति देगा। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो हिंसा मुझे हिमालयमें भगा देगी वह हिंसा भाषा या हुल्लडकी हिंसा नहीं है जिससे प्रतिवादी टोका कर मुझे हिमालयका स्मरण कराते हुए प्रायः ताना मारा

करते हैं। यह हिंसा असहयोगके कारण नहीं होती, न असहयोगवादीयोंकी तरफसे होती है। पहलेसे जो अमर्यादा चली आती है उसीके कारणसे ये उद्रेक होते हैं। दिन दिन इसका भी नियंत्रण होता जा रहा है। यह इतनी जरासी बात है कि इससे यह भली भाँति प्रत्यक्ष हो जाता है कि आज हिन्दुस्थानमें पूर्ण शान्ति विराज रही है। यह शान्ति, यदि सरकारी अफसरोंके जान कर या वेजाने चिढ़ाने पर भी, उनके क्लेशदायक और प्रायः बेकानूनी नोटिफिकोंकी हालतमें भी, बनी रही तो इससे यह निष्कर्ष समझिये कि वर्ष समाप्त होनेके पहले ही स्वराज्य मिल जायगा। कारण इससे सब लोगोंका मतैक्य और दृढ़ निश्चय प्रकट होता है।

(४) यदि खून खराबी हुई तो और असहयोगवादीयोंको क्या करना चाहिए? क्या असहयोगका उपदेश उन्हें बन्द कर देना चाहिए?

जब कभी यह तूफानी खून खराबी पैदा होगी तब सब असहयोगवादी उस खून खराबीको रोकनेके प्रयत्नमें अपनी जान दे देंगे। तृतीय प्रश्नमें केवल मेरे बचे रहनेकी बात मानी गई है। पर मान लीजिए कि मैं हिमालयमें चला गया (मौतसे बचनेके लिये), तो याकीके असहयोगवादी मेरी इस कायरताकी परवा न कर अपने सिङ्गान्त पर डटे रहेंगे और मरते दम तक अपना प्राण न छोडे़गे। तब रक्तके तेज प्रवाहमें उपदेशकी आवाज भी नि शेष हो जायगी।

(५) यदि आप पहाड़ों पर चले जायँ तो उन बेचारे विद्यार्थियोंकी क्या दशा होगी जिन्होंने एडेड या सरकारी विद्यालयोंका बहिष्कार किया है ?

प्रश्न करनेवाला इस बातको भूल गया है कि जब भारतमें छून पराधीका ही साम्राज्य फैलेगा तब विद्यार्थियोंके लिये क्या सरकारी और क्या स्वतन्त्र कोई विद्यालय ही न रह जायगा । केवल उन्ही विद्यार्थियोंसे सरकारी स्कूल छोडनेको कहा जा रहा है जो यह समझते हैं कि उन स्कूलोंमें पढना पाप है । उन स्कूलोंमें फिरसे जानेका सवाल ऐसे विद्यार्थियोंके बारेमें उठता ही नहीं । और मेरे पहाड़ोंमें चले जानेके साथ विद्यार्थियोंके सरकारी विद्यालयोंके बहिष्कारका सम्बन्ध ही क्या है ? प्रत्येक विद्यार्थी इस बातको समझ सकता है कि अपने और अपने देशके लिये क्या करना चाहिए । स्वराज्यका आन्दोलन एक आदमी पर निर्भर नहीं कर सकता—नहीं करना चाहिए । मैंने हिन्दुस्तानको केवल एक नया और अप्रतिम शस्त्र भेंट किया है या यह कहिये कि एक प्राचीन और आजमाये हुए शस्त्रका व्यापक रूपसे प्रयोग करना बतलाया है । हिन्दुस्तान चाहे इसे ले या फेंक दे । उसके लिये मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता । अपने लिये कर सकता हूँ, किया है और उससे मैं स्वतन्त्रता अनुभव करता हूँ । और लोगोंने भी इसका प्रयोग किया है और उन्हें भी यही अनुभव हुआ है । यदि राष्ट्र इस शस्त्रका प्रयोग करे तो वह स्वतन्त्र हो जाय ।

(६) आपके असहयोग आन्दोलनने कहा तक तरक्की की ?
यहा तक कि मैं इस बातका अनुभव कर रहा हू कि स्वराज्य
दौड़ा आ रहा है। यदि हम इसी गतिको कायम रखें तो इसी
वर्षके अन्दर हम लोग स्वतन्त्र हो जाय।

(७) क्या आपको मालूम है कि बहुतसे असहयोगवादी
कार्यकर्त्ता वे-जिम्मेदार हैं ? क्या आपने कभी उनका निषेध
किया है ?

नहीं, मुझे नहीं मालूम। बल्कि मुझे यह मालूम है कि
बहुतसे असहयोगवादी जिम्मेदार, शान्त, सच्चे और वीर पुरुष
हैं। जहा मैंने वे जिम्मेदारीकी कोई बात देखी है वहा मैंने
उसका निषेध भी किया है।

(८) किस हालतमें आप अक्टूबरमें स्वराज्य पानेकी
आशा रखते हैं।

स्वराज्यकी शर्तें मैं इस पत्रमें पहले लिख चुका हू। पिछले
अङ्क उलट कर देख लीजिये।

(९) क्या चरखेसे हिन्दुस्तानकी दरिद्रताका प्रश्न हल हो
जायगा ? यदि हा, तो कैसे ?

मेरा अब पहलेसे भी अधिक दृढ विश्वास हो गया है कि
चरखेके बिना हिन्दुस्तानकी दरिद्रताका प्रश्न हल हो नहीं
सकता। कोई ऊपरी काम काज न मिलनेसे हिन्दु-
स्तानके लाखों किसान भूखों मरते हैं। उनकी आयका-
जो कुछ थोडासा साधन है उसमें यदि चरखा भी आ

जाय तो वे दरिद्रता और दुर्भिक्षसे अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। मिलोंसे यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। केवल चरखे से हो सकता है और किसी चीजसे नहीं। जब हिन्दुस्तान चरखेसे सूत कातना छोड़नेके लिये मजदूर किया गया तब इस कामके बदले कोई दूसरा धन्धा उसे न मिला। जरा सोचिये तो सही कि उस आदमीकी क्या हालत होगी जिसके महज गुजारे भरकी आमदनीका चौथा हिस्सा एकाएक छिन जाय। हिन्दुस्तानके सैकडे ८५ से अधिक आदमियोंको अपने समयका चौथाईसे अधिक हिस्सा बेकार बिताना पडता है। और भारतके वृद्ध तपस्वीने देशके जिस भयानक दोहनकी बात कही है उसके अतिरिक्त इस मजदूरीकी बेकारीसे भी हिन्दुस्तानकी दरिद्रता बराबर बढ़ती हो जा रही है। अब प्रश्न यह है कि हिन्दुस्तान के इन करोड़ों आदमियोंका अरबों घण्टे समय किस प्रकार काममें लाया जाय जिससे कुछ काम भी हो और उनके धन्यमें कोई बाधा न पडे। चरखोंका जोर्णोंद्वार ही इसका एक मात्र उत्तर है। कल कारखानोंके सम्बन्धमें मेरे जो अपने विचार हैं अथवा सभी विदेशी माल का बहिष्कार करनेकी जो बात है उससे इस बातका कोई सम्बन्ध नहीं है। हिन्दुस्तानका इसी वर्ष यह उत्तर पूर्ण रूपसे खोकार करना होगा। टालमटोल करना पागलपन है। मैं यह लेख पुरीमें लिख रहा हूँ। साक्षात् जगन्नाथजीकी छायामें स्त्री पुरुषों और बच्चोंकी यह हालत है कि उनकी हड्डियों पर मास तक नहीं है। यह दृश्य मैं सह

नहीं सकता। यदि मेरा बस चलता तो मैं स्कूल, कालेज तथा अन्य संस्थाओंके सब काम बन्दकर चरखेका काम बहा जारी करता, इन बालक बालिकाओंको सिखाऊँ, चरखेका उस्ताद बनाओ, हर एक बर्दईको बरखे तैयार करनेके काममें लगा दो और शिक्षकोंसे कहो कि प्राण देनेवाले इन यन्त्रोंको घर घर पहुँचाओ और उन्हें सत कातना सिखलाओ। यदि मेरा बस चलता तो कपासका विदेश जाना एकदम बन्द कर देता और इन घरोंमें उससे सूत कतवाता। देश भरमें इस सूतको आढ़तें खोल देता जहासे यह सूत जुलाहोंको मिलता। यदि काफी मुस्तैद और तालीम पाये हुए काम करनेवाले मिल जायें तो मैं इसी वर्षके अन्दर हिन्दुस्तानसे दरिद्रता भगा दूँ। इसमें अवश्य ही लोगोंको अपना दृष्टि कोण और सचि बदलनी पड़ेगी। मैं रिफार्म आर्टिको वह दवा समझता हूँ जो जागतेको मुलाकर फिर उसकी विवेक बुद्धि मार डाले। जिस बातकी व्यग्रता दिन दिन बढ़ती ही जा रही है, उसमें सब नहीं किया जा सकता। प्रकृति बड़ी ही न्याय निष्ठुर है, वह किसी पर दया नहीं करती। यदि हम जल्द ही न जाग उठे तो हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा। जिन्हें विश्वास न हो वे काम छोड़कर आरब, ग्रामोंमें घूमें और अपनी थांणों हिन्दुस्तानकी हालत देख ले तब उन्हें विश्वास हो जायगा कि विदेशी कपड़ेकी एक धल्ली भी अपने चदनपर या अपने पास रखनी हिन्दुस्तान और मानव-जातिको क्षय करेगा है। मैं भूखों रहकर आत्महत्या नहीं

कर डालता। इसका कारण यह है कि मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान जाग उठेगा और इस सत्यानासी दृष्टितासे स्वाधीनताके मार्गपर चलनेमें समर्थ होगा। इस बातका यदि मुझे विश्वास न होता तो मैं जीना न चाहता। मैं प्रश्न करनेवालेसे तथा देशके प्रत्येक समझदार भक्तसे यह कहता हूँ कि 'राष्ट्र की यह सेवा करो कि घर घर चरखेका प्रचार करो और इस वर्षके अन्दर विदेशी कपड़ेका पूर्ण बहिष्कार करके राष्ट्रको इस चरखे से लाभ पहुँचाओ।

सब प्रश्न मैं छतम कर चुका और उनके उत्तर भी यथामति दे चुका। प्रकृत व्यवहारकी दृष्टिसे सबसे महत्त्वका प्रश्न चरखेके सम्बन्धका था। मैं समझता हूँ, भारतकी दृष्टिता दूर करनेका एक मात्र उपाय घर घर चरखा चलाना है, यह बात मैंने समझा दी है। मैं यह भी जानता हूँ कि जब आदमी काम करने जाता है तो उसके सामने अनगिनती कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। सबसे बड़ी कठिनाई शायद यही है कि चरखा अच्छा नहीं मिलता। पञ्जाबमें यह कला अभी तक जीवित है और इसलिये यहाँ अच्छे चरखे मिल जाते हैं, पर और जगह सचमुच बड़ी कठिनाई पडती है। इसलिये काम करनेवालेको सबसे पहले यह कला जान लेनी चाहिए और चरखा चलाना सीप लेना चाहिए।

चरखा ठीक है या नहीं यह जाननेके लिये मैं कुछ सीधी सीधी पहचानकी बातें यहाँ लिख देता हूँ। जिस यन्त्रमें ये

घातें न मिलें वह लेना न चाहिए, न उसका प्रचार करना चाहिए।

(१) चरखा आसानी और आजादीसे चले, कर्कश धावाज न हो।

(२) चक्र चलानेकी मुठियाँ चीचके डण्डेमें मजबूतीसे बैठी हुई हो।

(३) चरखेके खम्बे मजबूतीसे बैठाये हुए हों और जोड़ भी।

(४) सूईके चलनेमें आवाज न हो और उसके हत्थोंमें धक्का न लगे।

(५) वह यन्त्र ठीक नहीं है जिसमें मँजे हुए हाथस एक घण्टेमें कमसे कम ढाई तोला ६ नम्बरी सूत न निकले। एक लडकेको मैंने देखा जिसका अभ्यास केवल तीन मासका था और ६ नम्बरी सूत, ३५ मिनटोंमें ढाई तोला निकालता था। कमसे कम एक घण्टा चलाकर चरखेको धूब परख लेना चाहिये और परखकर तब वह किसीको देना चाहिये।

न तपस्वी न राजनीतिज्ञ

(मई १२, १९२०)

एक सम्मानित मित्रने 'ईस्ट एण्ड वेस्ट' नामी पत्रके किसी अ'कसे निम्नलिखित अवतरण भेजा है —

“मिस्टर गांधीको लोग तपस्वी कहते हैं पर उनके आचरणोंसे यही पता लगता है कि उनमें राजनीतिज्ञकी मात्रा अधिक है। वे हड़तालोंका अधिकाधिक प्रयोग करते जा रहे हैं और यह कहना सदोष या अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि उनकी देखरेखमें हड़तालोंका प्रयोग वर्तमान राजनीतिक प्रश्नपर शिक्षितों और अशिक्षितोंके सबन्ध स्थापित करनेका जबरदस्त साधन हो रहा है। हड़तालोंमें हानि अवश्य है। यह सीधे आघातकी शिक्षा देती है और सीधा आघात कितना भी भीषण क्यों न हो एकताका साधक नहीं है। क्या महात्माजी निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि अहिंसाके ही मार्गका हर तरहसे अवलम्बन कर रहे हैं। क्या जालियांवाला बागके स्मारक बनानेसे घृणाके भाव घट नहीं सकते हैं। मैं इस यातको स्वीकार करता हू कि इस दुर्घटनामें ब्रिटिश सरकारको घोषा खाना पडा पर क्या उसका स्मारक बनाना घृणाके भावको घटाना नहीं है ? क्या हमलोग शांति देवीके मन्दिरका

निर्माण करके उस स्मृतिको नहीं कायम कर सकते, जिसमें हमलोग विधवाओं और अनाथोंके पालन पोषणकी व्यवस्था करते और उनकी आत्माके लिये प्रार्थना करते जिन्होंने बिना कारण जाने ही अपने प्राणोंको दिया था। इस संसारमें राजनीतिज्ञ भरे पडे हैं जो देश भक्तिके नामपर मनुष्यकी अन्तरात्माका नाश कर डालते हैं। इसीका परिणाम युद्ध और कलह तथा जलियावाला बागकी तरह घटनायें उपस्थित करता है। क्या हमलोगोंका यह धर्म नहीं है कि हमलोग अब उस तत्वकों दूढ़ निकालनेकी चेष्टा करें जिसका प्रचार ईसा मसीह और बुद्धने किया था। लक्षणोंसे मालूम होता है कि महात्मा गांधी इसी तरहके आन्दोलनके प्रवर्तक हो सकते हैं पर अवस्यार्ये उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वे विरोधाभास या वर्गका संगठन करें। क्या वे विश्वको एक करनेका काम नहीं उठा सकते।”

मैंने पूरे अवनरणको ज्योंका त्यों उद्धृत कर दिया है। मैं अपनी तथा अपने सिद्धान्तोंकी आलोचनापर तबतक किसी तरहका ध्यान नहीं देता, तबतक मुझे अपनी भूल स्वीकार न करनी हो या उस सिद्धान्तका प्रचार और आगे न बढ़ाना हो। उक्त अवतरणपर ध्यान देनेके मेरे पास दो कारण हैं। इसके द्वारा पहले तो मैं उस सिद्धान्तको और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ और दूसरे मैं इसके लेखकके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रगट करना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत दिनोंसे जानता

हूँ और जिसके प्रति मेरी असीम भक्ति है। यह आलोचक मुझे राजनीतिज्ञका रूप धारण किये हुए देखा है जब कि उसकी आशा थी कि मैं तपस्वी हूँ। मेरी संभ्रममें वर्तमान जीवनमेंसे “तपस्वी” शब्द उठा देना चाहिये। तपस्वी शब्द अति पवित्र है। इसका प्रयोग यो सहजमें किसीके लिये नहीं होना चाहिये। और मेरे लिये तो उसका प्रयोग और भी अनुचित है क्योंकि मैं तो बहुत ही साधारण जीव हूँ जो सत्यकी खोजमें अनवरत लगा रहता हूँ। वह अपनी सीमायें जानता है, भूलें करता है पर भूल करनेपर उन्हें स्वीकार करनेसे भी नहीं हिचकता, और इस बातको स्पष्ट स्वीकार करता है कि वह वैज्ञानिककी भाँति जीवनकी समस्याओंका अनुसन्धान कर रहा है। वह अपनेको निपुण वैज्ञानिक भी नहीं कह सकता क्योंकि उसके तरीकोंमें वैज्ञानिक निपुणता भी नहीं है। और न तो उसका ऐसा परिणाम ही निकल सकता है जो कि विज्ञानके सिद्धान्तों द्वारा होता है। मैंने लिखा है कि मैं तपस्वी नहीं हूँ। इससे उपरोक्त अवतरणके लिपनेवालेकी आशायें, मुरझा गई होंगी। फिर भी मैं उसमें यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मेरे किसी भी निर्णयमें राजनीतिज्ञताको मात्रा प्रधान नहीं है। मैं राजनीतिमें भग के गले इसीलिये लेता हूँ कि राजनीति हम लोगोंको आज सांस्कृतिक तरह घेरे है जिसके बाहर निकल भागना कठिन है। चाहे हम कितना भी यत्न क्यों न करें। अब मैं उस साँपके साथ युद्ध करना चाहता

निर्माण करके उस स्मृतिको नहीं कायम कर सकते, जिसमें हमलोग विधवाओं और अनाथोंके पालन, पोषणकी व्यवस्था करते और उनकी आत्माके लिये प्रार्थना करते जिन्होंने बिना कारण जानेही अपने प्राणोंको दिया था। इस ससारमें राजनीतिज्ञ भरे पडे हैं जो देश भक्तिके नामपर मनुष्यकी अन्तरात्माका नाश कर-डालते हैं। इसीका परिणाम युद्ध और कलह तथा जलियांवाला बागकी तरह घटनायें उपस्थित करता है। क्या हमलोगोका यह धर्म नहीं है कि हमलोग अब उस तत्वको ढूँढ निकालनेकी चेष्टा करें जिसका प्रचार ईसा मसीह और बुद्धने किया था। लक्षणोंसे मालूम होता है कि महात्मा गांधी इसी तरहके आन्दोलनके प्रवर्तक हो सकते हैं पर अवस्थायें उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वे विरोधाभास या वर्गका संगठन करें। क्या वे विश्वको एक करनेका काम नहीं उठा सकते।”

मैंने पूरे अवतरणको ज्योंका त्यों उद्धृत कर दिया है। मैं अपनी तथा अपने सिद्धान्तोंकी आलोचनापर तबतक किसी तरहका ध्यान नहीं देता तबतक मुझे अपनी भूल स्वीकार न करनी हो या उस सिद्धान्तका प्रचार और आगे न बढ़ाना हो। उक्त अवतरणपर ध्यान देनेके मेरे पास दो कारण हैं। इसके द्वारा पहले तो मैं उस सिद्धान्तको और भी स्पष्ट करना चाहता हूँ और दूसरे मैं इसके लेखकके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रगट करना चाहता हूँ जिसे मैं बहुत दिनोंसे जानता

हूँ और जिसके प्रति मेरी असीम भक्ति है। यह आलोचना मुझे राजनीतिज्ञका रूप धारण किये हुए, देखता है जब कि उसकी आशा थी कि मैं तपस्वी हूँ। मेरी संभ्रममें वर्तमान जीवनमेंसे “तपस्वी” शब्द उठा देना चाहिये। तपस्वी शब्द अति पवित्र है। इसका प्रयोग जो सहजमें किसीके लिये नहीं होना चाहिये। और मेरे लिये तो उसका प्रयोग और भी अनुचित है क्योंकि मैं तो बहुत ही साधारण जीव हूँ जो सत्यकालोत्तममें अनवरत लगा रहता हूँ। वह अपनी सीमायें जानता है, भूले करता है पर भूल करनेपर उन्हें स्वीकार करनेसे भी नहीं हिचकता, और इस बातको स्पष्ट स्वीकार करता है कि वह वैज्ञानिककी भाँति जीवनकी समस्याओंका अनुसन्धान कर रहा है। वह अपनेको निपुण वैज्ञानिक भी नहीं कह सकता क्योंकि उसके तरीकोंमें वैज्ञानिक निपुणता भी नहीं है। और न तो उसका ऐसा परिणाम ही निकल सकता है जो कि विज्ञानके सिद्धान्तों द्वारा होता है। मैंने लिखा है कि मैं तपस्वी नहीं हूँ। इससे उपरोक्त अवतरणके लिखनेवालेकी आशायें मुरझा गई होंगी। फिर भी मैं उनसे यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मेरे किसी भी निर्णयमें राजनीतिज्ञताकी मात्रा प्रधान नहीं है। मैं राजनीतिमें भाग केवल इसीलिये लेता हूँ कि राजनीति हमलोगोंको आज सांगकी तरह घेर रही जिसके बाहर निकल भागना कठिन है चाहे हम कितना भी यत्न क्यों न करें। अब मैं उस सापके साथ युद्ध करना चाहता

हूँ जैसा कि मैं १८६४ से करता आ रहा हूँ। अपने स्वार्थ साधनके लिये मैं जिस शांतिका जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ उसके लिये इन सम्भावनातके युगमें भी क्षेत्र तैयार करनेके लिये मैं राजनीतिमें धर्मके प्रवेश करानेका यत्न कर रहा हूँ। मैं यहीं पर यह भी बतला देना चाहता हूँ कि धर्मसे मेरा क्या अभिप्राय है। मैं हिन्दू धर्मको ही सब धर्मोंके ऊपर नहीं मानता। मेरी आशा उस धर्ममें है जो हिन्दू धर्मसे भी ऊपर है। जो जीवको अन्तरात्माके सत् ज्ञानसे बांधता है और जो सदा पवित्र करता रहता है।

उसी तरहके धार्मिक भावसे प्रेरित होकर मैंने हड़तालोंकी योजना की। मैं यह दिखलाना चाहता था कि अक्षर ज्ञानसे न तो भारतमें जागृति हो सकती है और न शिक्षित समुदाय एकताके बन्धनमें बंध सकते हैं। अप्रैल ६, १९१६ को भारतमें सर्वव्यापी हड़ताल हुई और यदि अप्रैल १० की इस शैतानी सरकारकी प्रेरणार्थ—जो अपने पापाचारको भली भाँति समझती थी और जिसने उन नागरिकोंको उत्तेजित करना चाहा जो उस सरकारमें विश्वास न रखनेके कारण उत्तेजित किये जा सकते थे—बाधा न उपस्थित करती तो आज भारत कहीं ऊँचे स्थानपर पहुँचा होता। जनताने, हड़तालोंको केवल धार्मिक ही समझकर नहीं अपनाया था बल्कि उसके कार्यका यह आरम्भ था।

पर मेरे समालोचकको प्रत्यक्ष कामसे घृणा है। क्योंकि

उनके मतसे 'उसके द्वारा एकताका बीजारोपण नहीं होता । मैं उनके मतको नहीं स्वीकार करता हूँ' । पर क्या इस सत्कारमें बिना प्रत्यक्ष कामके कुछ भी हो सकता है ? मैंने निष्क्रिय प्रतिरोध शब्दको इसलिये हटाया कि उसमें पूरी क्षमता नहीं थी और लोग उसे दुर्बलोंका शस्त्र समझते थे । दक्षिण अफ्रीकामें निष्क्रिय प्रतिरोध प्रत्यक्ष आचरण था जिसका प्रभाव इतना प्रबल पडा कि जेनरल स्मट भी पागल हो गये । १९०६ में भारतीयोंकी आकाक्षाओंके वे सबसे प्रबल शत्रु थे । पर १९१४ में उन्होंने अफ्रीका राज्यके विधानसे उस कानूनको उठाकर भारतीयोंके साथ न्याय करना चाहा जिसके संबन्धमें १९०६ में उन्होंने लार्ड मार्लेसे स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था कि वे किसी भी तरह नहीं उठाये जा सकते । उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जिस कानूनको द्रास्वालकी व्यवस्थापर मभाने दो बार पास किया उसे तोड़ना दक्षिण अफ्रीकाके लिये कठिन है । इससे भी बढ़कर बात तो यह है कि जिस प्रत्यक्ष सभ्रामको दक्षिण अफ्रीकामें ८ वर्षतक चलाया गया, उससे किसी तरहका वैमनस्य नहीं उपस्थित हुआ वरिष्ठ जिम जेनरल स्मट्सके प्रतिकूल सभ्राम चलाया गया था, आवश्यकता पडनेपर १९१५ में उन्हींके झण्डेके नीचे पूर्वोत्तर अफ्रीकामें भारतीयोंने सभ्राम किया । चम्पारनमें जमानेसे चली आई बुराईका नाश इसी प्रत्यक्ष आचरणने ही किया । जय कर्मा कोई व्यक्ति अयोग्यताके कारण किसी तरह-

विधवायें और अनाथ सहायता प्राप्त कर रहे हैं पर हमलोग उनकी आत्माको किस तरह शान्ति दे सकते हैं जो बिना यह जाने ही मर गये कि मैं क्यों मर रहा हू । इसके लिये उस जमीनको प्राप्त करना तथा उसमें मन्दिर बनवाना नितान्त आवश्यक है, जहा वेगुनाहोंका इस तरह रक्तपात हुआ है । इससे उस अपवित्र स्मृतिकी याददाश्त मैं नहीं कायम कराना चाहता पर इससे राष्ट्रको उत्साह मिलेगा कि लाचार और निरस्त्र होकर जालिमका शिकार बनकर मरजागा अच्छा है पर स्वयं जालिम बनना अच्छा नहीं है । हम भावीसन्तानोंके लिये यह सबूत छोडना चाहते हैं कि जो लोग अकारण इस तरह मारे गये उनकी स्मृतिको स्थायी रूप देनेमें हमलोगोंने उदासनता नहीं दिखलायी । श्रीमती जिन्नाने इस फण्डके लिये दान देते समय कहा कि इसका इतना फल तो अवश्य होगा कि हमें मरनेके लिये बहाना मिल जायगा । इस स्मारकका रूप क्या होगा, इसका निर्णय तो इसके निर्माणकी प्रेरणा ही तय करेगा ।

बुद्ध और ईसामसीहने किस उच्च आदर्शकी शिक्षा दी । बुद्धने निडर होकर शत्रुओंसे संप्राम किया और उद्दण्ड पुरोहितको दण्डित किया । और ईसाने क्या किया । धनके लोभियोंको जरूजलमके मन्दिरसे निकाला और सङ्कुचित विचारवालों तथा फरासीज पर ईश्वरके कोपको घर्षा की । क्या ये दोनों आचरण प्रत्यक्ष नहीं थ । बुद्ध और ईसामसीह दोनों

एक तरफ तो इस तरह दण्डकी योजना कर रहे थे पर दूसरी ओर अतुल प्रेम और दयाके सागरको फैला देते थे। अपने शत्रुओपर वे अगुली भी नहीं उठाते थे और वे लोग जिस सच्चाईके सिद्धान्तको लेकर चल रहे थे उसकी हत्या होते देण वे अपना प्राण तक गँवा सकते थे। यदि अपने प्रेमके प्रतापसे बुद्ध पुरोहितोको अपने वश न कर सके होते तो उस प्रयासमें अपना प्राण अवश्य खो दिये होते। ईसामसीह सम्राटकी शक्तिकी परवा न करके खुशो खुशी फासीपर लटक गये। इसलिये यदि मैं 'शान्तिमय और अहिंसात्मक आन्दोलनको जन्म दे रहा हूँ तो मेरी ममम्हमें मैं' उन्हीं महात्माओंका अनुसरण कर रहा हूँ जिनकी चर्चा मेरे समालोचकोने की है।

हिन्दू-धर्म

यों तो मैंने कई दफा अपनेको सनातनी हिन्दू कहा है, परन्तु इस मद्रासकी मुनाफिरीमें, लुआ छूत प्रश्नकी चर्चा करते समय मैंने पहलेसे भी ज्यादा जोर और दावेके साथ कहा कि मैं सनातनी हिन्दू हूँ। परन्तु मैं देखना हूँ कि लोग हिन्दू धर्मके नाम पर कितनी ही ऐसी बातें आम तौर पर करते हैं जिनका कायल मैं नहीं हूँ। अगर मैं सनातनी हिन्दू नहीं हूँ तो मैं नहीं चाहता कि सनातनी हिन्दू कहलाऊँ। और यह अभिलाषा तो मुझे

विलकुल ही नहीं है कि किसी महान् धर्म मतकी ओट ले चुपके चुपके कोई सुधार या बिगाड करूँ ।

अतएव यह मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं अपने सनातन हिन्दू धर्मका मतलब एक बारगा साफ साफ समझा दूँ । “सनातन” शब्दका प्रयोग मैंने उसके सामायिक अर्थमें ही किया है ।

मैं नीचे लिखे कारणोंसे अपनेको सनातनी हिन्दू कहता हूँ —

(१) मैं वेदोंको, उपनिषदोंको, पुराणोंको और उन सब वस्तुओंको मानता हूँ जो हिन्दू शास्त्रके नामसे विख्यात हैं । इस-लिए मैं अवतारों और पुनर्जन्मको भी मानता हूँ ।

(२) मैं वर्णाश्रम-धर्मको मानता हूँ—परन्तु अपनी सम-झके अनुसार ठीक वैदिक अर्थमें, आजकलके प्रचलित और अपूर्ण अर्थमें नहीं ।

(३) मैं गो रक्षाको मानता हूँ, परन्तु वर्तमान प्रचलित अर्थसे बहुत ही व्यापक अर्थमें ।

(४) मैं मूर्ति पूजामें अविश्वास नहीं करता ।

पाठक इस बात पर ध्यान रखते कि मैंने वेदों अथवा किसी शास्त्रके सम्बन्धमें ‘अपौरुषेय’ शब्दका प्रयोग जान बूझ कर नहीं किया है । क्योंकि मैं तो सिर्फ वेदोंको ही अपौरुषेय नहीं मानता हूँ । मैं तो बाइबल कुरान और जेन्दा अवस्थाको भी, वेदोंकी तरह, ईश्वरी प्रेरणाका फल मानता हूँ । हिन्दू धर्म ग्रन्थों पर जो मेरी श्रद्धा है उसके लिए यह कोई आवश्यक बात नहीं

हे कि मैं उनके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक श्लोकोंको अ पीरूपेय मानूँ । और न मैं इस बातका दावा ही रखता हूँ कि इन अद्भुत ग्रन्थोका विशुद्ध ज्ञान मुझे है । परन्तु हाँ, मैं उन धर्म ग्रन्थके अत्यन्त आवश्यक उपदेशोंको सत्यताके ज्ञानका और उसको अनुभव करनेका दावा जरूर करता हूँ । मैं उस अर्थको माननेके लिए तैयार नहीं जो तर्क और नीतिके विरुद्ध हो, फिर वह चाहे कितना ही विद्वत्ता पूर्ण क्यों न हो । और मैं बड़े जोरके साथ आजकलके इन शङ्कराचार्या और शास्त्री परिडतोंके इस दावे (अगर वे कोई ऐसा दावा पेश करें) के खिलाफ अपनी आवाज उठाता हूँ कि हिन्दू धर्म शास्त्रोंका वास्तविक अर्थ वही है जो हम बताते हैं । बल्कि, इसके विपरीत, मेरा तो यह विश्वास है इन ग्रन्थोंका जो ज्ञान इस समय लोगोंको है, वह अत्यन्त अव्यवस्थित दशामे है । मैं हिंदू शास्त्रके इस वचनका सोलहों आना कायल हूँ कि जिसने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्यका पूर्ण पालन नहीं किया और जिसने सम्पत्तिके अधिकार और उपार्जनका त्याग नहीं कर दिया है वह वस्तुतः शास्त्रोंका मर्म नहीं समझ सकता । हा, मैं 'गुरु' की प्रणालीको मानता हूँ, परन्तु इस वर्तमान युगमें तो लाखों लोगोंको बिना गुरुके ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण शुद्धता और पूर्ण विद्वत्ताका संयोग बहुत ही कम जगह पाया जाता है । परन्तु इससे किसीको यह समझ कर निराश होनेकीजकरत नहीं है कि हमारे धर्मका सत्य ज्ञान तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हिन्दू धर्मके मूलभूत सिद्धान्त

तो, प्रत्येक महान् धर्मकी तरह, त्रिकालाघातित हैं और आसानी से समझमें आजाते हैं। प्रत्येक हिन्दू यह मानता है कि ईश्वर है और वह अद्वैत है। वह पुनर्जन्म और मुक्तिको भी मानता है। परन्तु हिन्दू धर्ममें और दूसरे धर्मों में अगर कोई भिन्नता दर्शक बात है तो वह हिन्दू धर्मकी गो रक्षा है। वर्णाश्रम व्यवस्था भी इतनी भिन्नता दर्शक नहीं है।

मेरी रायमें तो वर्णाश्रम व्यवस्था मनुष्यकी प्रकृतिके लिए स्वाभाविक है। हिन्दू धर्मने तो सिर्फ उसे एक शास्त्रके रूपमें परिणत भर कर दिया है। जन्मके साथ उसका सम्बन्ध अवश्य ही है। कोई मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अपना 'वर्ण' नहीं बदल सकता। अपने 'वर्ण' के मोताबिक न चलना गोतृत्वके नियमको न मानना है। हा, जो ये हजारों छोटी २ जातिया बन गई हैं, यह तो उस सिद्धान्तका अनावश्यक और मनमाना व्यवहार करना है। सिर्फ चार वर्ण ही सब तरहसे काफी हैं।

मैं इस बातको नहीं मानता कि सहभोज और अन्तर्विवाह से किसी मनुष्यका जन्म जात दर्जा अवश्य ही छिन जाता है। ये चार विभाग मनुष्यके व्यवसायके सूचक हैं। वे सामाजिक व्यवहारकी मर्यादा नहीं बाधते वा उसका नियम नहीं बनाते। ये चार वर्ण तो कर्तव्यका निर्णय करते हैं, किसीको किसी तरहकी रियायतका अधिकार नहीं देते। मेरी राय में तो यह बात हिन्दू धर्मके सनातन तत्त्वके विपरीत है कि एकको तो श्रेष्ठता

दी जाय और दूसरेको कनिष्ठ बनाया जाय । सब लोग इश्वर की इस सृष्टिकी सेवा करनेके लिए उत्पन्न हुए हैं । ब्राह्मण अपने ज्ञानके द्वारा, क्षत्रिय अपने रक्षा बलके द्वारा, वैश्य अपनी व्यापारिक योग्यताके द्वारा और शूद्र अपने शारीरिक परिश्रमके द्वारा । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम या अपनी तथा दूसरेकी रक्षाके कर्तव्यसे मुक्त हो । ब्राह्मण कुलमें जन्म होनेके कारण वह प्रधानतः ज्ञानशील है, आनुवंशिक रूपसे तथा शिक्षा और अभ्यासके कारण वह दूसरोंको ज्ञान दान देनेके लिये सबसे अधिक पात्र है । फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी शूद्रको यथेच्छ ज्ञान प्राप्त करनेसे रोक सके । बात सिर्फ यही है कि वह अपने शरीरके द्वारा उत्कृष्ट सेवा कर सकेगा और उसे दूसरोंकी सेवा करनेके विशेष गुणोंकी ईर्ष्या करनेकी जरूरत नहीं । लेकिन जो ब्राह्मण अपने ज्ञानके अधिकारके बल पर अपने उच्च और श्रेष्ठ होनेका दावा करता है उसका पतन हो जाता है और वह वास्तवमें ज्ञान हीन ही है । और यही बात दूसरे लोगों पर भी घटती है जो अपने विशेष गुणोंका घमण्ड दिखाते हैं । वर्णाश्रमका अर्थ है—आत्म-सयम और कार्य शक्तिका सदुपय तथा रक्षण ।

इस प्रकार यद्यपि सहभोज और अन्तर्विवाहसे वर्णाश्रममें बाधा नहीं होती तथापि हिन्दू धर्म सहभोज और एक वर्णके साथ दूसरे वर्णके अन्तर्विवाहको रोकनेका प्रयत्न करता है । हिन्दू धर्म आत्म सयमकी चरम सीमा तक पहुँच गया है ।

इस धर्मका मूलाधार तो निस्सन्देह भौतिक बातोंकी निवृत्ति पर है, और उसका लक्ष्य हैं आत्म-स्वातन्त्र्य । हिन्दुओके यहा तो उनके पुत्रके भी साथ भोजन करना उनके कर्तव्यका अङ्ग नहीं है । और अमुक ही जातिकी कन्यासे विवाह करनेका नियम बनाकर हिन्दू लोग असाधारण आत्म सयमका पालन करते हैं । हिन्दू धर्म विवाहित अवस्थाको किसी भी दशामे मुक्तिके लिए आवश्यक नहीं बताता । 'जन्म' की तरह 'विवाह' भी आत्माका अन्तःपात ही है । मुक्तिका अर्थ है—जन्मसे, अतएव मृत्युसे भी, छुटकारा पाना । अतएव अन्तर्विवाहका और सहभोजनका निषेध आत्माके द्रुत विकासके लिये परम आवश्यक है । परन्तु यह निवृत्ति या विरक्ति 'वर्ण' की कसौटी नहीं है । ब्राह्मणने यदि ज्ञानके द्वारा सेवा करनेके अपने कर्तव्यका त्याग नहीं किया है तो, वह अपने शूद्र भाईके साथ भोजन-पान करने पर भी, ब्राह्मण बना रह सकता है । अतः तक मैंने जो कुछ कहा, उससे यह नतीजा निकलता है कि भोजन पान और विवाहके विषयमें जो सयम रखा गया है उसका आधार श्रेष्ठता या कनिष्ठताके भाव पर नहीं है । जो हिन्दू अपनेको श्रेष्ठ समझ कर किसी दूसरेके साथ भोजन-पान करनेसे इनकार करता है वह अपने धर्मका आदर्श बिलकुल उलटा दिखाता है ।

यह दुर्भाग्यकी बात है कि आज हिन्दू धर्म अकेले चूल्हे-चौरेमें ही माना जाता है । मैंने एक बार एक मुसलमान भाईके

यहां कुछ खाया। यह देखकर एक धर्मनिष्ठ हिन्दू हैरान हो गये। मैंने मुसलमान भाईके दिये प्यालेमें दूध उँडोला। उन्हें देख कर बडा हुआ और जब उन्होंने देखा कि मैं मुसलमानकी दी हुई डबल रोटी खाने लगा तब तो उनके दुःखकी सीमा न रही। अगर हिन्दू धर्म केवल क्या खावें और किसके साथ खावें, इसके परिश्रम-साध्य नियमोंके सम्बन्धमें ही मन्तव्य करने लगे तो उसके प्राणोंके सङ्कटमें आ पडनेका अन्देशा है। हा, मादक और पेय पदार्थों का तथा हर तरहके खाय पदार्थों का विशेष करके मांसका सेवन न करनेसे निस्सन्देह आत्मोन्नतिमें सहायता मिलती है, परन्तु केवल यही हमारा लक्ष्य किसी तरह नहीं। बहुतसे मनुष्य ऐसे हैं जो मांस भोजन करते हैं और सब लोगोंके साथ खाते पीते हैं, परन्तु ईश्वरसे डरते हैं। ऐसे लोग उस मनुष्यकी अपेक्षा मुक्तिके अधिक नजदीक हैं जो धार्मिक दृष्टिसे मद्य माल आदिका तो सेवन नहीं करता, परन्तु अपने हर एक कार्यके द्वारा ईश्वरका तिरस्कार करता है।

तथापि हिन्दू धर्मका मध्यवर्ती प्रधान अङ्ग है—गो रक्षा। मेरी दृष्टिमें तो गो रक्षा मनुष्य जातिके विकासमें एक अद्भुत चमत्कार-पूर्ण घटना है। यह मनुष्य प्राणोको उसकी स्वाभाविक मर्यादाके ऊपर ले जाती है। मुझे तो गाय मानों मनुष्य-जाति से नीचेकी सम्पूर्ण सृष्टि नजर आती है। गायके द्वारा मनुष्य-प्राणिमात्रके साथ अपने तादात्म्यके अनुभव का अधिकारी होता

है। मुझे तो यह रपट दिखाई देता है कि गाय ही अकेली क्यों देवता मानी गई है। हिन्दुस्तानमें गायसे बढकर मनुष्योंका साथी दूसरा कोई नहीं। उसने बहुतेरो वस्तुएँ हमें दी हैं। उसने हमें केवल दूध ही नहीं दिया है, बल्कि हमारी छेतीका भी सारा आधार उसी पर है। गाय तो एक मूर्तिमती करुणामयी कविता है। इस नम्र प्राणीमें करुणा ही करुणा दिखाई देती है। भारतके लाखों मनुष्योंकी वह माता है। गो रक्षा का अर्थ है—ईश्वरकी सम्पूर्ण मृक सृष्टिकी रक्षा। नेकिन प्राचीन ऋषियोंने, फिर ये चाहे कोई हो, गायसे ही श्री गणेश किया। सृष्टिकी नीची श्रेणीके प्राणियोंको वाक्शक्ति नहीं है। इसलिए उनकी अपीलमें सबसे अधिक बल है। गो रक्षा संसारको हिन्दू धर्मका दिया हुआ प्रसाद है। और तब तक हिन्दूधर्म बराबर जीवित रहेगा जब तक हिन्दू लोग गो रक्षा करनेके लिए मौजूद हैं।

गो रक्षा करनेका मार्ग है—उसके लिए स्थय मर मिटना। हिन्दू धर्म और अहिंसा यह आज्ञा नहीं देते कि गो रक्षाके लिए किसी मनुष्य प्राणीका घत्र करो। हिन्दुओंको तो तपस्या, आत्मशुद्धि और स्वार्थत्यागके द्वारा गो रक्षा करनेका आदेश दिया गया है। आज कलकी इस गो रक्षाने मुसलमानोंके साथ एक चिरस्थायी शत्रुताका रूप धारण कर लिया है, हाला कि गो रक्षाका अर्थ तो है मुसलमानोंको प्रेमसे अपने करना। एक मुसलमान मित्रने, कुछ समय पहले, मुझे

पुस्तक भेजी थी। उसमें सविस्तर रूपसे यह बताया गया था कि हम लोग गायके और उसकी सन्तानके साथ कैसा अमानुष व्यवहार करते हैं। हम किस बेरहमीके साथ खून टपकने तक उसे दुहते हैं—एक बूँद तक दूध उसके थनमें नहीं रहने देते। किस तरह हम उसे भूखों मार मारकर सुखा देते हैं। उसके गल्लडोंके साथ कैसा दुर्व्यवहार करते हैं। किस तरह हम उसके हिस्सेका दूध उसके पल्ले नहीं पडने देते। बैलोंके साथ किस निष्ठुरतासे पेश आते हैं। किस तरह हम उन्हें बधिया करते हैं। किस तरह हम उन्हें पीटते हैं और कितना सारा बोझ उन पर लादते हैं। अगर उन्हें बोलनेकी शक्ति होती तो वे उनके प्रति किये हमारे अपराधोंका बयान इस तरह अपने मुँहसे करते कि सारी दुनिया दहल उठती। अपने चौपायोंके प्रति अपने एक एक निर्दयता-पूर्ण कार्योंके द्वारा मानो हम ईश्वरका और हिन्दू-धर्मका त्याग कर रहे हैं। इस अभागी भारतवर्षमें चौपायोंकी जितनी बुरी दशा है उतनी में नहीं जानता कि दुनियाके किसी दूसरे देशमें होगी। हम अङ्गरेजोंको इसके लिए दोषी नहीं बता सकते। अपने इस अपराधके लिए हम दरिद्रताकी दुहाई नहीं दे सकते। हमारे चौपायोंकी दुर्दशाका एक मात्र कारण ही हमारी अक्षम्य ला-परवाही। हा, हमारे 'पिञ्जरापोल्ले' हैं। वे हमारे दया-भावकी वृत्तिका साधन भी हैं, परन्तु हैं वे उन दयायुक्त कार्योंके त्रेड गे प्रदर्शन ही। वे नम्रता रूप दुग्ध-शाला और महान् लाभदायक राष्ट्रीय संस्था

जिनेके वजाय केवल अपाहिज और निर्बल गायोंका एक सग्रह स्थान भर है ।

हिन्दुओंकी पहचान न तो उनके तिलकोंसे होगी, न उनके पन्नोंके शुद्ध घोषसे, न उनके तीर्थाटनसे और न जाति-ग्रन्थनये नेयमोंके अत्यन्त शिष्टाचार युक्त पालनसे ही होगी । वल्कि उनकी पहचान तो उनके गो-रक्षाके सामर्थ्यसे होगी । हम तो रक्षाको अपना धर्म माननेका दावा तो बड़ा करते हैं, लेकिन वास्तवमें तो हमने गायको ओर उसकी सततिको अपना गुलाम बना डाला है और खुद भी गुलाम हो गये हैं ।

अब यह बात समझमें आ जायगी कि मैं क्यों अपनेको उनातनी हिन्दू समझता हूँ । गौके प्रति जो मेरी श्रद्धा है उसमें मैं किसीसे हारनेवाला नहीं । मैंने खिलाफतके कार्योंको जो अपना कार्य बनाया है उसका सबब यही है कि उसकी रक्षाके द्वारा मुझे गायकी पूरी तरह रक्षा होनेको सम्भावना दिखाई देती है । मैं मुसलमान भाइयोंसे यह नहीं कहता कि मेरी इस सेवा के खातिर वे गायकी रक्षा करें । मैं तो उस सर्व शक्तिमान् परमात्मासे ही नित्य यह प्रार्थना करता हूँ कि जिस कार्यको मैंने न्याय समझा है उसके निमित्त की गई मेरी सेवा तेरी इतनी प्रसन्नताका कारण हो कि जिससे तू मुसलमानोंके हृदयोंको बदल दे, उन्हें अपने हिन्दू भाइयोंके प्रति दया भावसे परिपूर्ण कर दे और उनके द्वारा उस प्राणीको रक्षा कर जिसे हिन्दू लोग अपने प्राणोंकी तरह प्यारा मानते हैं ।

हिन्दू धर्मके प्रति मेरी जो भावना है उसका वर्णन मैं अपनी धर्मपत्नीके प्रति मेरी भावनासे बढ कर नहीं कर सकता। वह मेरे हृदय पर जितना अधिकार कर सकती है उतना दुनियाकी कोई खो नहीं कर सकती। इसका कारण यह नहीं कि वह निर्दोष है। मैं कह सकता हू कि जितने दोष मैंने उसमें पाये हैं उससे भी अधिक दोष उसमें होंगे। लेकिन उसके हृदयमें एक अटूट बन्धनका भावना है। इसी प्रकार हिन्दू धर्मके लिए और उसके विषयमें उसके तमाम दोषों और कमियोंके होते हुए भी, मेरे हृदयमें प्रेमकी भावना है। गीता और तुलसीदासकी रामायणके संगीतसे जो स्फूर्ति और उत्तेजना मुझे मिलती है वैसी और किसीसे नहीं मिलती। हिन्दू-धर्ममें यही दो ग्रन्थ ऐसे हैं जिनके विषयमें कहा जा सकता है कि मैंने देखे हैं। जब मैंने देखा था कि अब मेरे अन्तकी घड़ी आ पहुँची है, बस एक मात्र गीता ही मेरी शान्तिका—सात्वतनाका साधन थी। आज तमाम बड़े बड़े हिन्दू धर्म मन्दिरोंमें जो पापाचार हो रहा है उसे मैं जानता हू, लेकिन उनकी इन अवर्णनीय त्रुटियोंके होते हुए भी मेरा प्रेम उन पर है। उनके अन्दर मुझे एक ऐसी दिलचस्पी होती है जो और कहीं नहीं मिलती। मैं शुरूसे अखीर तक सुधारक हूँ। लेकिन यह मेरी उत्सुकता मुझसे यह नहीं कहनी कि हिन्दू-धर्मकी किसी भी आवश्यक बातको रद्द कर दो। मैं ऊपर कही चुका हू कि मैं मूर्ति पूजामें अविश्वास नहीं रखता। हाँ, किसी मूर्तिको देख

कर मेरे हृदयमें ता किसी प्रकारकी आदरकी भावना जाग्रत नहीं होता। लेकिन मेरा खयाल है कि मूर्ति पूजा मानवी स्वभावका एक अङ्ग है। हमें स्थूल उपकरणका सहारा लेना पड़ता है। गिरजामें चित्त जितना एकाग्र हो जाता है उतना दूसरी जगह क्यों नहीं होता? क्या यह मूर्ति पूजा ही का एक भेद नहीं है? प्रतिमाओंसे पूजा आराधनामें सहायता मिलती है। कोई हिन्दू प्रतिमाको ही स्वयं ईश्वर नहीं मानता। मैं मूर्ति पूजाको पाप नहीं समझता।

ऊपरकी बातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू धर्म एक चित्त धर्म नहीं है। उसमें सत्सारके समस्त पैगम्बरोंकी पूजाके लिये गुंजायश है। यह कोई मिशनरी—किसी धर्म-मतका प्रचार करनेवाला—धर्म नहीं है। हा, इसमें कितनी ही भिन्न भिन्न जातियोंका समावेश हुआ है, रन्तु उनकी यह तद्रूपता विकासात्मक और अत्यन्त सूक्ष्म है। हिन्दू-धर्म तो हर एक मनुष्यसे यह कहता है कि तुम अपने विश्वास या 'धर्म' के अनुसार ईश्वरका भजन पूजन करो और, इस प्रकार वह दूसरे समस्त धर्मों के साथ मेल जोलसे रहता है।

हिन्दू धर्मके सम्बन्धमें मेरा यह मत है। और इसी लिये छुआछूतके विषयमें मेरा मत अनुकूल नहीं रहा है। मैं इसे सदासे एक अनावश्यक घात मानता आ रहा हूँ। हाँ, यह सच है कि यह प्रथा हमारे यहाँ परम्परासे चली आ रही है। और दूसरी भी ऐसी कितनी ही प्रथायें आजतक प्रचलित हैं।

बटी शरमकी बात होगी अगर मैं यह खयाल करने लगूँ कि लडकियोंको वस्तुतः वेश्या वृत्तिके लिये समर्पित कर देना हिन्दू धर्मका एक अंग है। परन्तु मैं तो देखता हूँ कि हिन्दुस्तानके कितने ही भागोंके हिन्दू लोगोंमें यह बात प्रचलित है। काली को बकरेका बलिदान करना मैं बिल्कुल अधर्म मानता हूँ और इसे मैं हिन्दू-धर्मका अंग नहीं मानता। हिन्दू धर्म तो कई युगोंके विकासका फल है। 'हिन्दू धर्म' नाम तो हिन्दुस्तानके रहनेवाले लोगोंके धर्मका विदेशियों द्वारा रखा हुआ नाम है। हा, इसमें कोई शक नहीं कि किसी जमानेमें, धर्मके नामपर जीवोका बलिदान हुआ करता था। पर वह धर्म नहीं है और हिन्दू धर्म तो और भी नहीं है। और इसी तरह मुझे तो यह भी जान पड़ता है कि जब हमारे पूर्वजोंने गो-रक्षाको एक अटल सिद्धान्त बना लिया तब जिन लोगोंने गोमांस खाना नहीं छोडा उनके साथ व्यवहार करना बन्द कर दिया गया। यह भगड़ा खूब ही बढ़ा होगा। जो लोग उस नियमको न मानते थे, न केवल उन्हींका बहिष्कार किया गया, बल्कि उनके पापका फल उनकी सतानको भी भोगना पडा। इस तरह यह क्रम जो कि बहुत करके अच्छे ही हेतुने शुरू हुआ था, जारी रहा और अन्तको प्रथाके रूपमें दृढ हो गया—यहातक कि हमारे धर्मग्रन्थोंमें भी ऐसे ऐसे श्लोकोंका प्रवेश हो गया जिनके बलपर यह प्रथा चिरस्थायी हो गई। पर वास्तवमें यह योग्य नहीं था और समर्थनीय तो उससे भी कम था। मेरा यह अनुमान चाहें

ठीक हो या न हो, अस्पृश्यता तर्कके और दया, करुणा और प्रेम भावके विरुद्ध तो अवश्य है। जो धर्म गो पूजाकी स्थापना करता है वह भूलकर भी मनुष्य प्राणीके निर्दयतापूर्ण और अमानुष बहिष्कारको न तो आवश्यक मान सकता है और न उसे जारी ही रख सकता है। और मैं तो अछूत जातियोंको अपनेसे अलग रखनेकी अपेक्षा अपने शरीरके टुकड़े टुकड़े कर दिये जानेसे अधिक सन्तुष्ट रहूँगा। अगर हिन्दू लोग अपने उध और उदात्त धर्मको, अस्पृश्यताके कलकको कायम रखते हुए, निन्दनीय बनावेंगे तो वे अवश्य ही कभी न तो स्वतन्त्रता के योग्य होंगे और न उसे प्राप्त ही कर सकेंगे। और चूंकि मैं हिन्दू धर्मको अपने प्राणसे भी अधिक प्यार करता हूँ, यह कलक मेरे लिये एक असह्य भार हो गया है। अपनी जातिके पञ्चमाश मनुष्योंको धरादरीके साथ रहने धरनेका अधिकार देनेसे इनकार करके हम ईश्वरसे मुह न मोड़ें।

स्त्रियोंकी अवस्था

(जुलाई १, १९२१)

कटकसे श्रीमती सरला देवीने लिखा है—“क्या आप इस बातको नहीं स्वीकार करते कि स्त्रियोंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह उतना ही भीषण है जितना छुआछूत। राष्ट्रीय दलके नवयुवकोंका व्यवहार—जिनमें मेरा सम्पर्क हो सका है—सौ मेंसे अस्सी फी सदी पाशविक हुआ है। कितने असहयोगी ऐसे हैं जो स्त्रियोंको केवल मात्र अपने आनन्दका साधन नहीं समझत। क्या स्त्रियोंके प्रति इस भावमें परिवर्तन लाये बिना किसी भी तरह सफलता मिल सकती है?”

मैं इस मतसे सहमत नहीं हू कि स्त्रियोंके प्रति जो व्यवहार किया जाता है वह उतना ही पापमय है जितना छुआछूत। श्रीमती सरला देवीने इस बुराईको बहुत कुछ बढ़ाकर लिखा है। उनका यह भी आक्षेप उचित नहीं है कि पुरुषोंकी दृष्टिमें स्त्रियां केवल मात्र विलासिताका साधन हैं। कोई भी प्रश्न क्यों न हो निमक मिर्च लगानेसे उसका प्रभाव घट जाता है। मैं इस बातको स्वीकार करता हू कि यदि हम अपनेको पूर्ण स्वराज्यके योग्य बनाना चाहते हैं तो हमें उचित है कि हम स्त्रियोंको अवस्था सुधारे, उनका अधिक आदर तथा सम्मान करें।

श्रीयुत एण्डरूजने लिखा है कि 'पतित' बहनोंकी दुरवस्थापर हम लोग आख बन्द करके नहीं रह सकते । इससे बढ़कर तो निन्दाकी कोई धात हो ही नहीं सकती कि कोई भी असहयोगी जोशके साथ इस बातको कहे कि कुछ पतित स्त्रियोंमें कुछ ऐसी हैं जो असहयोगियोंके लिये ही अपनेको 'रिजर्व' रखती हैं । सदाचारके प्रश्नपर सहयोगी और असहयोगीमें कोई भेदभावका प्रश्न नहीं हो सकता । जबतक एक भी ऐसी औरत हो जिसको हम लोग अपनी लिप्साको तृप्त करनेमें प्रयुक्त करते हों तब तक हममेंसे प्रत्येकको शर्मके मारे सिर नीचा कर लेना चाहिए । स्त्रियोंका प्रयोग इस तरह विलासिताकी पूर्तिमें प्रयुक्त होते देखनेसे तो उच्चम यही होगा कि मानव समाजका अन्त हो जाय । पर यह प्रश्न केवल इस देशके लिये ही नहीं है । यह प्रश्न विश्वव्यापी है । इसलिये यदि मैं वर्तमान विलासितापूर्ण जीवनका त्याग करके प्राचीन युगके चरखेके जीवनकी शिक्षा देता हू तो इसका कारण यही है कि मैं भली-भांति समझता हू कि इस तरह सादगीका जीवन स्वीकार किये बिना हम लोग अपनी अवस्था नहीं सुधार सकते । मैं स्त्रियोंकी अधिकसे अधिक स्वतन्त्रताका पक्षपाती हू । मैं बाल विवाहसे घृणा करता हू । बाल विधवा देखकर मेरी आत्मा काप जाती है और यदि मैं कहीं पत्नीके मर जानेपर बिना किसी ख्यालके पुष्टियोंको शादी करते देखता हू तो मुझे हार्दिक घृणा होती है । मैं बालिकाओंको अशिक्षित तथा मूर्ख रखनेमें पिता माताओंकी

उदासीनताको पाप समझता हूँ। पिता माता वालिकाओंको परायेकी सम्पत्ति समझकर केवल शारी कर देनेके लिये ही उन्हें पालते पोषते हैं, इससे बढ़कर निन्दाकी और क्या बात हो सकती है। पर इन अवस्थाओंपर खेद प्रगट करते हुए भी मैं इसकी कठिनाईको समझता हूँ। स्त्रियोंको मत देने तथा कानूनी सत्ताका अधिकार मिलना चाहिए। पर इतनेसे ही समाप्ति नहीं है। इसका तो आरम्भ ही यहासे होता है जहा स्त्रिया राजन तिक आन्दोलनमें भाग लेना आरम्भ करती हैं।

अपने अभिप्रायको स्पष्ट कर देनेके लिये मैं एक हवाला दे देना चाहता हूँ। मेरे एक मुसलमान मित्रके साथ किसी अंग्रेजसे बातचीत हुई थी जो स्त्रियोंके अधिकारोंका समर्थक था। उसी बातचीतका सार मैं यहापर दे देना चाहता हूँ। औरतोंकी एक सभा हो रहीं थी। उसमें एक मुसलमान भी उपस्थित थे। उसने उस मुसलमानसे पूछा आप यहा कैसे आ पहुँचे। मेरे मुसलमान मित्रने उत्तर दिया, इसके दो प्रधान और दो गौण कारण हैं। मैं जो कुछ हो सका हूँ अपनी माकी कृपासे हो सका हूँ। मेरी पत्नी मेरी जीवनकी सच्ची साथी है। मेरे चार लडकिया हैं। पिताको हैसियतसे मुझे उनकी पूरी तरहसे देख रेख करनी पडती है। ऐसी अवस्थामें यदि मैं स्त्रियोंके अधिकारोंका समर्थन करूँ तो कौन आश्चर्यकी बात नहीं। मुसलमानोंपर यह दोषारोपण किया जाता है कि वे औरतोंकी ओरसे उदासीन रहते हैं। इससे बढ़कर अपमान-

जनक दूसरी घात हो हो नहीं सकती। इस्लाम धर्मने स्त्रियोंको बग़ारका हक़ दिया है। मेरी समझमें पुरुषने अपनी काम-चासना तृप्त करनेके लिये औरतोंका पतन कर डाला है। उसकी अन्तरात्माकी उपासना न कर उसके शरीरको सजाना आरम्भ कर दिया। अपने इस काममें उसे इतनी अधिक सफलता मिली कि इस समय औरतें इसको दासताकी निशानी न समझकर इसीकी उपासना करने लग गई हैं। उन्होंने बाइबिलमें आसू भरकर कहा कि यदि यह घात सच्ची नहीं है तो आज पतिन सहन अपने शारीरिक सौन्दर्यको देखकर क्यों मुग्ध हो रही है। क्या हम लोगोंने उनकी अन्तरात्माको पीस नहीं डाला है? अपनेको सम्भालकर उन्होने कहा कि मैं स्त्रियोंको केवल स्वतन्त्रता ही दिलानेका पक्षपाती नहीं हूँ। बल्कि मैं चाहता हूँ कि उन्हें स्वच्छाचारका अधिकार दे दिया जाय। इसलिये मैंने निश्चय किया है कि मैं अपनी पुत्रियोंको किसी स्वतन्त्र पेशेमें लगाऊँगा।

इस बात चीतको मैं और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पत्रकी लेखिका मेरे मुसलमान मित्रकी बातोंपर ध्यान दें और तब स्त्रियोंके प्रश्नपर विचार करें। स्त्रियोंको अपने हृदयसे यह भाव निकाल देना चाहिये कि वे पुरुषोंकी विलासिताके साधन हैं। यदि वे पुरुषोंके साथ बराबरोका दावा रखती हैं तो उन्हें उचित है कि पुरुषोंके लिये—अपने पति-हक़—अपना श्रृंगार करना छोड़ दें। मैं क्षण भरके लिये भी

यह नहीं सोच सकता कि रामको प्रसन्न रखनेके लिये सीता
देवीने कभी भी अपना शरीर सजाया था ।

— ०:—

पतित बहनें

(सितम्बर १६. १९२१)

बरीसालमें कितनी ही उल्लेख करने योग्य स्मरणीय बातें
हैं। परन्तु मुझे इतना समय नहीं कि उन सबका वर्णन कर
सकूँ। तो भी एक प्रसंगका उल्लेख किये बिना तो रहो नहीं
सकता। वह है बरीसालकी पतित बहनोंका। इस दृश्यको मैं
कभी नहीं भुला सकता। बरीसालके कितनी ही पतित बहनोंके
नाम महासभाके सदस्योंमें दर्ज हैं। उन्होंने तिलक स्वराज्य
फण्डमें भी चन्दा दिया है। उनकी सख्या ३५० के करीब
होगी। उन्होंने मुझे पत्र लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहती
हैं। वे चाहती थीं कि हम महासभाका कुछ अधिक कार्य करे।
वे क्यों न चुनावके लिये खड़ी हों और महासभाके किसी
पदका कार्य क्यों न करे ? ज्योंही मैं रातको सभासे आया,
मैंने कोई सौ बहनोंको एक कोनेमें खड़ा देखा। मैं सचेत हुआ।
बड़े आदरके साथ उन्हें छतपर ले गया। एक दुभापियेको
साथमें रखा। दूसरे पुरुषोंको विदा कर दिया। मैंने उनसे
कहा कि तुम दिल खोलकर अपनी बात मुझसे कहो। उनमें

चार पाच दस वर्ष की लडकिया भी थीं। कितनी ही जवानी पार कर गई थी। चाकी जो थी वे बीससे तीस वर्ष के अन्दर होंगी। उनके साथ मेरी जो चान चीत हुई, उसका सार सवाल जवानके रूपमें यहा देता हू—

मैं—वहनों, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तो तुम्हें अपनी वहन और लडकियोंके सामान समझता हू। मैं चाहता हू कि तुम्हारे दु खमें शरीक होऊं। पर अगर तुम मुझसे कुछ छिपाव रखोगी तो मैं तुम्हें सहायता देनेमें असमर्थ हो जाऊंगा।

जवाब—आप जो कुछ पूछियेगा उसका जवाब हम सच सच देंगी।

सवाल—तुमसे कितनी ही की उम्र ज्यादाह मालूम होती है क्या वे भ अद्यतक तुम्हारे इस पेशेमें अटकी हुई रहती हैं ?

ज०—नही तो, जिनकी उम्र ज्यादाह हैं वे भीख मागकर अपना पेट भरती है।

स०—ऐसा कहना तुम्हें जेबा देता है ?

ज०—यह पेट अब कुछ कराता है।

स०—ये लडकिया तो छोटी छोटी हैं। इनका भी यही हाल है ?

ज०—हम तो यह आशा करके आपके पास आई हैं कि आप कोई रास्ता बतायेंगे। हम तो कोई भी इस पेशेकी करना नहीं चाहतीं।

स०—अच्छा जो जवान हैं उनका क्या हाल ? इस पेशेकी

श्रीम-स्वामिनी पर उनका मन ललचाता तो नहीं ?

ज०—जी हा, कुछ पेसी हैं तो ।

स०—तुम लोगोंको बाल-बच्चे होते हैं ?

ज०—जी, किसी किसीको होते हैं ।

स०—तुम्हारी कुल संख्या कितनी होगी ?

ज०—३५० ।

स०—इसमें बाल बच्चे कितने हैं ?

ज०—कोई १० हैं ।

स०—लडके या लडकिया ?

ज०—कोई छ लडकिया और बाकी लडके ।

स०—लडकोंका क्या करती हो ?

ज० एक लडका बड़ा है । उसकी शादी हममें एकके साथ कर दी है ।

स०—तुम अपनी लडकिया मुझे दोगी ?

ज०—अगर आप परिवरिश करे तो हम दे देंगी ।

स०—तुम कितनी वहनं इस पेशेको छोडना चाहती हो ?

ज०—सबकी सब !

स०—जो काम मैं बताऊं उसे करोगी ?

ज० हम जानती हैं आप क्या बतायेंगे । हममेंसे कितनी हीने सूता काटना शुरू भी कर दिया है ।

स०—यह सुनकर तो मुझे बडा सन्तोष हुआ । पर जिन

बहनोंने कातना शुरू किया है उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया है या नहीं ?

ज०—वह तो हमारे लिये आवश्यक हो गया है। उतनेसे हम अपना पेट कैसे पाल सकती हैं ?

स०—आजकल तुम किनना कमा लेनी हो ?

तुम जवाब देते हुए शरमाती हो। तुम्हारी शर्मका मतलब मैं समझ सकता हू। मैं तुम्हारे साथ बात तो कर रहा हू पर मेरे दिलमें आग लग रही है। जो बात हो वह इस वक्त तो मुझसे कह दो।

ज०—बहुतसी साठ रुपया महीना पैदा कर लेती हैं। २) रोज पडने हैं।

स०—यह तो मैं जानता हू कि इतनी आमदनी सूत कातकर तुम नहीं कर सकती। परन्तु जो तुम ये अनेक प्रकारके मनोमोहका शृंगार विलास करती हो, इन्हें तो अब छोड़ ही देना होगा। मैं अकेले तुम्होंसे यह बात कहता हू, सो नहीं। मेरी धर्मपत्नीने भी सिंगारोंका त्याग कर दिया है। मेरे बच्चा कमलिन लडकिया हैं। उनके मा बाप इस हैसियतके हैं कि उन्हें बढिया गाने पत्ते दे सकते हैं। तो भी वे छादीका धोति या पहनती हैं और गहना तो किसी तरहका भी नहीं पहनती। इस कारण तुमसे बनाव सिंगार छोड़ देनेका इस्तरार करते हुए मुझे जरा भी आघात नहीं पहुंचता।

ज०—हम अपना जीवन न्वादा बनानेके लिये कोशिश

करेंगे, कोई तुरन्त ही कोई धीरे धीरे। हममेंसे एकने तो अपना सवकुछ रामरुष्ण मठको अर्पण कर दिया है और छुद अत्र भिक्षा मांगकर रहती है।

स०—इस वहनकी, मैं वन्दना करना हूँ। अच्छा किया जो आपने सर्वस्व त्याग दिया। परन्तु मैं देखता हूँ कि (उसकी ओर रुख करके) तुम्हारे हाथ पैर अच्छे हैं। अगर तुम सूत कातती हुई सादगीसे रहो तो और भी पुण्य हो। मैं तो यह चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानका ऐसा एक भी भाई या वहन, जिसके हाथ पैर दुरुस्त हों, भीख न मागे। वह भीख मागना एक शर्मकी बात समझे। ऐसा कहनेका समय अब आ गया है। चरखा एक कामधेनु है। यह हमारे हाथ लग गई है। तुम वहनोंके महज सूत कातने भरसे मुझे सन्तोष नहीं हो सकता। तुम्हें चुनना और धुनना भी सीखना चाहिये। तब तुम अपनी आजीविका पूरी तरह प्राप्त कर सकोगी।

ज०—आप हमें रास्ता बताइये। हम जरूर उस मुताबिक चलेगी।

स०—तुम कितनी वहने कलहीसेपेशा छोड देनेको तैयार हो।

इसके जवाबमें ११ वहने उसी वक्त खडी हो गई। मैंने उनसे कहा कि खूब विचार कर लेना। उन्होंने कहा कि हम अपने निश्चय पर कायम रहेंगे। उन्होंने तो पहलेहीसे विचार कर रखा था। अब उसके अनुसार काम किस तरह करें, इसी उलम्हानमें वे थीं। इसलिये मैं ने कहा—

“अब तुम शादीका प्याल ही छोड़ दो । इसीसे भूतकालमें तुमने जो कुछ किया हो, पर अब अगर तुम सूचमुच शुद्ध हो जाओगी तो संसार तुम्हारे पापोंको भूल जायगा । तुम गृहस्थाश्रमके व्यवसायसे पृथक् अर्थात् सन्यासिनी हो सकती हो । तुम भारतवर्षकी सेवा कर सकती हो । अगर तुममेंसे बहुत सी बहने रोज बारह घण्टे तक ईश्वरका भजन करती हुई काता बुना करें तो प्रायः सारे चरोसालको अकेली तुम ही कपडा दे सकती हो । तुम्हारी श्रेणीकी हिन्दुस्तानकी सारी बहने अगर यह गन्दा काम छोड़कर कातनेका पुण्यकार्य करने लगे तो भारतवर्षका उद्धार सहजमें हो जाय । इसलिये मैं उम्मेद करता हूँ कि तुम ग्यारह बहने अपने निश्चयपर दृढ़ रहोगी । मैं तो मुसafir हूँ । पर मैं यहाके अगुओको जोर देकर सिफारिश करता जाऊंगा और मुझे यकीन है कि यहाकी महासभा समिति तुमको पूरी पूरी मदद देगी । ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे ।

पाठको, तुम चाहे भाई हो या बहन हो, मैं नहीं कह सकता कि इसे पढ़ कर आपके मनपर और हृदयपर क्या असर होगा । मैंने आपके सामने पूरा वर्णन पेश नहीं किया है । यह तो अपनी शक्तिके अनुसार उसका चित्र मात्र अकित किया है । चीजकी असलियत तो आखों देखनेसे ही मालूम होती है । मैं तो बराबर मारे शर्मके मर रहा था, स्त्रियोंके प्रति किये गये पुत्रुपोंके अपराधकी नाप जोख करता रहा था । ये बहने

जान बूमकर इस पापमें नहीं पड़ीं ! पुरुषोंने उन्हें इसमें गिराया है। अपने विषय-भोगके लिये उसने स्त्री जातिके ऊपर घोर अत्याचार किया है। जिनको इस बातपर दर्द होता हो उन्हें चाहिये कि वे प्रायश्चित्तके रूपमें इन पतित बहनोंको हाथ बढाकर सहारा दें। जब जब इन बहनोंका चित्र मेरी आँखोंमें खिंचता है तब तब मुझे ख्याल होता है कि अगर ये मेरी ही बहने या लड़किया होती तो—? होती क्यों, हुई हैं। उनको उठाना मेरा और प्रत्येक मर्दका काम है। इसीसे मुझे चरखेका सुर चड़ा प्यारा लगता है। यह स्त्रियोंकी रक्षा करनेवाला किला है। हिन्दुस्तानमें रहनेवाली ऐसी बहनोंको सहारा देनेवाली दूसरी कोई चीज मुझे नहीं दिखाई देती। परन्तु जबतक इस कामको हर एक शहरके रहनेवाले साधु-पुरुष न बठा ले तबतक वह नहीं हो सकता। बरीसालमें इन बहनों तक पहुँचनेवाले साधुचरित शरत कुमार घोष और उनके साथके एक असहयोगी वकील भूपति बाबू हैं। मैंने तो सिर्फ उनके तैयार किये हुए क्षेत्रसे लाभ उठा लिया है। बहनों, अब मालूम हो जानेके बाद तो तुमको भी इसपर विचार करना है। पतित बहनोंके हृदय मन्दिरमें तो तुम्हीं प्रवेश कर सकती हो। जबतक ऐसी पतित बहनोंके उद्धारके लिये कमर न कसोगी तबतक मुझे जैसे लोगोंके प्रयत्न भी निष्फल होंगे।

स्वराज्यका अर्थ है पतितोंका उद्धार।

तफ़ासुफ़

भारत सरकारने बजटमें कमी पड़नेके कारण नमक पर दूना तथा जीवनकी दूसरी आवश्यक चीजों पर भी कर बढ़ानेका प्रस्ताव किया है। इस पर चारों ओरसे एक स्वरसे निषेध और निन्दा की ध्वनिया उठ रही हैं। मैं कहता हूँ, यह क्यों ? और इस बात पर भी आश्चर्य प्रगट किया जा रहा है कि इधर तो साठ करोड़का भयंकर फौजी खर्च बढ़ाया गया और तिस पर भी अबकी बार खेद तक नहीं प्रगट किया गया ! क्षमा याचनात्मक दो शब्द भी नहीं कहे गये ! पर बात यह है कि जिसके किये बिना कार्य चल ही नहीं सकता उसके लिए क्षमा मागना असम्भव है। राष्ट्रमें ज्यों ज्यों चैतन्य बढ़ता जायगा त्यों त्यों फौजोंका खर्च भी बढ़े बिना नहीं रह सकता। फौजकी जरूरत मारनकी रक्षाके लिए नहीं है। बल्कि उसकी आवश्यकता तो है अंग्रेज लोगोंको भारतके द्वारा जबरदस्ती आर्थिक तथा दूसरे लाभ करानेके लिए। साफ साफ सच बात तो यही है। श्री मांटग्यूने बेढगे तरीकेसे लेकिन सचार्इके साथ यह कह दिया है। बङ्गाल चेम्बर आफ् कामर्सके उन सभापतिने भी यही बात कही है और घम्बर्इके लाट साहबने भी उसको दोहराया है। वे हमारे साथ व्यापार तो करना चाहते हैं। पर हमारी शर्तों पर नहीं, उनकी शर्तों पर।

वात तो वही है, चाहे हम खुले हाथों करें, चाहे मोजे डाल कर करें। ये कौंसिलें उनके हाथके मोजे हैं। हमें उन मोजों-के खर्चके लिए रुपया दिये बिना चारा नहीं। ये शासन सुधार हमारी छाती पर कालकी तरह लटकते हैं। यह खून चूसनेवाले नमकके कर की तरह कितने ही दोष उनके पेटमें समा जाते हैं।

वे हमें कहते हैं- 'तुम चाहो अथवा न चाहो' हम तो हिन्दु-स्तानको छोड़नेवाले नहीं।' हमारा यह विश्वास है कि यह सब हमारे भले ही के लिये है। हम समझते हैं कि अंग्रेजोंकी शस्त्र-च्छायाके बिना हम आपसमें लड़े-कटे बिना रही नहीं सकते। और इसलिये, अपने भाईके हाथों मर जानेके डरसे, हम गुलामोंकी तरह रहने पर राजी हैं।

इन कौंसिलों और असेम्बलियोंकी धोखेकी दृष्टियोंकी ओटमें छिपी सर्वतन्त्र-स्वतन्त्रताके बनिरवत तो 'फौजी राज हजार गुना बेहतर है। उनसे एक तो दर्दकी उम्र बढ़ती है और दूसरे खर्च भी बढ़ता है। यदि हमें जीवित रहनेकी उत्कठा ही है तो यह डींग हाकनेकी अपेक्षा कि हम धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं यही अधिक इज्जतकी बात है कि हम सत्यका सामना करें और उन सूत्र-सञ्चालकोंके चरणों पर सिर रख दें, इससे-हमारी विकलता दूर हो जायगी। धीरे धीरे आजादी? यह तो अद्भुत बात है। आजादी तो जन्म की तरह एक क्रिया है। जब तक हम पूरी तरह आजाद नहीं हो जाते तबतक हम गुलाम ही हैं। जन्म तो एक क्षणमात्रमें हो होता है।

महामभाका डर क्या चाज है ? इसी आती हुई आजादीका डर । महासभा अथ एक भीषण सत्य घटना हो गई है । और इसीलिये उसको जिस तरह वन पडे उसी तरह, कानून कायदा भाडमें जाये, नष्ट नष्ट कर देनेकी तैयारी हुई है । यदि लोगोंके दिल भयसे काफी अभिभूत कर दिये गये तो चाहे सौ पचास वरसों तक और यह लूट जारी रह सकेगी । हा, यह दूसरी बात है कि इस बढ़ते हुए भारसे द्रव्य कर भारत तबतक जीवित रह सकेगा या लोग इस बीच पतगों और भुनगोंकी तरह मर मिटेंगे ? जब कोई आदमी नारियल खाने लगता है तब वह बन्दर की गिरीङ्गे साथ दया माया नहीं दिखलाता । जब वह उसका सारा अश कुतर चुकता है तब उस नारियलकी खोपडोको फेंक देता है । हम इस कृतिको हृदयहीनता नहीं कहते । व्यापारी भी इस बातका अधिक विचार नहीं करना कि मैं इस निरोह खरीदारसे क्या ले रहा हू । कैसी हृदय हीनता अरे, इसके तो हृदय हई नहीं । व्यापारी जो कुछ लेना होता है लेकर चल देता है । अरे यह तो सध सौदागिरी है ।

कौन्सिलोंके सभासदोंको उनका किराया और भत्ता चाहिये, मन्त्रियोंको उनके धेतन चाहिये, चकोलोंको मिहनताना, मुकदमे वाजोंको डिग्रिया, मा-बापोंको अपने लडकोंके लिए पैसे शिक्षा चाहिये जिससे वे मौजूदा जीवनमें एक नामीगि रामी आदमी बन जाय, लखपतियों और करोड पतियोंको सध तरहको सुविधायें चाहिए जिससे वे अपने लाखों और करोडोंको

खरबों-खरबों तक पहुँचा सरे और बाकी लोगोंको निःसत्व शान्ति। ये सब मिल कर बड़े उम्दगीके साथ उस मध्यवर्ती सस्याके आस पास भटकते हैं। यह एक चक्रदार नाच है। कोई उनसे अपनेको मुक्त करनेकी चिन्ता नहीं करता। और इसलिए ज्यों ज्यों उसका वेग बढ़ता है त्यों त्यों हृदयको अधिक हर्षोन्माद मालूम होता है। मगर वे नहीं जानते कि यह तो छतान्तका ताण्डव है और उनको जो हर्षोन्माद मालूम होता है वह उस मरीजके हृदयकी तेज धडकन की तरह है, जो अपनी जिन्दगीकी अन्तिम सास खींच रहा है।

जबतक यह नृत्य जारी रहेगा तब तक यह खर्च बढ़े बिना खी नहीं सकता। ताउजुब नहीं, यदि यह बढ़ती असहयोगियोंके विशाल कंधों पर भी लाद दी जाय। उनके लिये तो बस एक ही पाठ है। यदि वे अपने धर्म पर आरुढ़ रहना चाहते हों तो उन्हें इस वृद्धिको निष्काम शान्तिकी दृष्टिसे देखना चाहिये। इनको रोकनेका सिर्फ एक ही मार्ग है,—‘अहिंसा’। क्योंकि असहयोगका सबसे अधिक भाग ता यही है कि सरकार के इस सुसंगठित पशु बलसे, जिस पर कि उसकी सारी बुनिपाद हैं, अपना सम्बन्ध हटा लेना। यदि हम सरकारके पशुबलको हटानेके लिये पशु बलका ही संगठन करना चाहें तो हमें इससे भी अधिक खर्च उठानेके लिये तैयार रहना चाहिये। हम चाहे उन तमाम नर्तकोंके दिलोंमें इस भीषण भविष्यका इत्मीनान न करा सके, पर हम सर्व साधारणको तो जो कि इस नाचमें

शामिल हैं और वराय नामकी शान्तिको खरीदनेके लिये अपनी प्यारी आजादीको बेच डालते हैं, जरूर यकीन दिला सकते हैं। और ऐसा करनेका एक ही उपाय है- उन्हें यह दिखला देना कि आजादीका साधन अहिंसा ही है गुलामकी जबरदस्ती मंजूर करार्ई अहिंसा नहीं, बल्कि वीर और आजाद पुरुषकी राजी रजामन्दोके साथ स्वीकार की गई अहिंसा।

हड़तालें कब हों ?

(सितम्बर २३, १९२१)

आसाम बङ्गाल रेलवेमें और स्टीमरोंपर जो हड़तालें हुई हैं वे मामूली नहीं हैं। वे तो अपने ढङ्गकी निराली और पहली ही हैं। मुझे यह मालूम हुआ है कि चादपुर आदिके चायके खेतोंपर काम करनेवाले कुली बुरी तरह सताये जाते हैं। उनके दुष्टोंसे उन रेलवे और स्टीमरोंके कर्मचारियोंके दिलोंमें हमदर्दी पैदा हुई और उससे जोशमें आकर उन्होंने हड़तालें कीं। इसलिये वे हड़तालें सहानुभूति मूलक, पारमार्थिक और राजनैतिक हैं। मैं तमाम रेलवे लाइनोंके विशेष कर गौहटी, चटगाव, और बरीसालके हड़तालियोंसे मिला हूँ। उनसे दिल खोलकर यात-चीत भी की है। उससे मैं

इस नतीजेपर पहुँचा कि लोग इस बातको पूरी तरह नहीं समझ पाये थे कि इस कामको उठानेमें कितनी जोखिम है। पर एक दश हड़ताल शुरू कर देनेपर उसके नतीजेका सामना करनेसे भी वे पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे मौकेपर बाहरी आदमियोंके लिये यह कहना तो दिक्रत तल्य और बेजा है कि अगर ऐसी हालत मेरे सामने होती तो मैं इस तरह से यह काम यों करता। लेकिन ऐसी पेचीडा हालतमें भी, अगर कोई चाहे तो मेरे ख्यालमें यह राय दे सकता है कि वे मजदूर लोग पारमार्थिक अर्थात् दूनरेके भलेके लिये की जानेवाली हड़तालके लिये तैयार नहीं थे। मेरी रायमें तो हिन्दुस्तानके कुली और कारीगरअमी जातीय चैतन्य जागृति-की उस हदतक नहीं पहुँचे हैं जो कि सहानुभूति मूलक हड़-तालोंमें कामयाबी हासिल करनेके लिये जरूरी है।

पर इसमें दोष हमारा ही है। हम लोगोंने, जो कि इन दिनों गण्डीय सेवामें दिलचस्पी ले रहे हैं, अभीतक इस बात पर गौर नहीं किया था कि इस दर्जेके लोगोंकी जरूरतें और अरमानें क्या हैं। और न हमने उन्हें देशकी राजनैतिक अवस्थाकी जानकारी करानेकी तकलीफ ही उठाई थी। अबतक हम लोग यही मानते आये हैं कि मुत्ककी खिदमत करनेके लायक तो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल और कालिजोंसे इम्तिहान पास किये हैं। इस हालतमें मजदूरों और कारीगरोंसे यह उम्मेद करना कैसे मुनासिब है कि वे

एकदम ऐसे कामोंमें जिनसे उनके नफा मुकसानका ताल्लुक नहीं है, पडने और उनके लिए कुरवानी करने लग जाय ? हमें राजनैतिक कामोंके लिए अथवा किसी दूसरे मतलबके लिये भी उनको अपना औजार न बनाना चाहिये, बल्कि ऐसी अवस्थामें तो हम जो अच्छीसे अच्छी सेवा उनका कर सकते हैं और उनसे ले सकते हैं वह यह है कि हम उन्हें स्वावलम्बनकी—अपने पैरोंपर आप खड़े रहनेकी शिक्षा दें, उन्हें अपने फरायज और हकूककी जानकारी करावें और उन्हें ऐसी हालतमें लाकर छोड़ दें जिसमें वे अपने दुःखदर्दको मिटा और दूर करा सके। तभी वे राजनैतिक, जातीय अथवा परोपकार मूलक कामोंके लिये तैयार हो सकते हैं; उसफे पहले नहीं।

इस हालतमें अगर सहानुभूति मूलक हडतालोंके लिये उचित समयके पहले ही उद्योग किया जाय तो उससे हमारा उठायामें काम चुरी तरह बिगड़े बिना नहीं रह सकता। अहिंसाके कार्यक्रममें हमें इस खयालको पक्के तौरपर निकाल देना होगा कि सरकारको तद्ग और हंगन करनेसे हमें कुछ भी हासिल हो सकता है। अगर हमारी हलचल निर्मूल पाऊ है और सरकारकी हलचल अशुद्ध गन्दी होगी और अगर सरकार खुद अपनेको शुद्ध न करेगी तो हमारी शुद्धताके बदौलत उसे अपने आप, कुदरती तौर पर दिक होना पड़ेगा। इस तरह आत्म शुद्धिका आन्दोलन दोनों

ही पक्षवालोंका भला करता है। इसके खिलाफ अगर दूसरेको बरबाद करनेकी नीयतसे कोई हलचल उठाई जाय तो उससे न केवल परवादी चाहनेवाला खुद अशुद्ध ही बना रहता है, बल्कि वह उतना ही नीचे भी गिर जाता है जितना कि वह आदमी जिसकी बरवादीके लिये कोशिश की जा रही है।

सहानुभूति मूलक हडतालें भी आत्म शुद्धि मूलक अर्थात् असहयोग-मूलक होनी चाहिये, क्योंकि इस रीतिसे जब हम किसी जुल्मको मिटानेके लिये हडतालकी तजवीज करते हैं, तब हम खुद-ब-खुद अपनेको जुल्ममें शरीक होनेसे दरअसल अलहदा रखते हैं और इस तरह हम जालिमको महज उसीकी साधन सामग्रीके सहारे छोड़ देते हैं—दूसरे अल्फाजमें यों कहें कि हम जालिमको ऐसा मौका देते हैं जिसमें वह अपने आप यह देख सके कि बराबर जुल्म करते रहनेमें मैं कितनी बेवकूफी कर रहा हूँ। मगर ऐसी हडतालमें तभी कामयाबी हो सकती है जब कि उसकी पीठ पर हडतालियोंका यह पक्का कस्द हो कि हम बीचहीमें हर-गिज कामपर न जायेंगे।

मैंने आजतक कई हडतालें कामयाबीके साथ की हैं। और यहाँ मैं एक हडतालके तजरिवेकारकी हिसियतसे हडतालके कुछ नियम लिखता हूँ, जिनसे उम्मीद है कि हडतालके अगुआ लोगोंको कुछ मदद मिलेगी—

(१) दर हकीकत किसी दुख दर्दके हुए बिना हडताल हरगिज न की जाय ।

(२) अगर हडतालिये लोग अपनी ही वचतके चन्देके जरिये या धुनकना, कातना, चुनना जैसे चन्द्रोजा पेशा अख्यार करके अपनी गुजर न कर सके तो हडताल न की जाय । हडतालियोंको आम लोगोंके चन्दों या दूसरी किस्मके टानोंके भरोसे हरगिज हडताल न करनी चाहिये ।

(३) हडतालियोंको अपनी माग पहलेसे तय कर रखना चाहिये । माग कमसे कम हो और ऐसी हो कि उसे फिर आगे चलकर तिल भर भी घटाना बढ़ाना न पड़े । और हडताल शुरू करनेके पहले ही उसे जाहिर भी कर देना चाहिये ।

अगर हडतालियोंकी जगह पर दूसरे काम करनेवाले लोग तैयार हों तो हडताल, सब्जे दुख दर्दके होते हुए भी और हडतालियोंमें अपनी टेकपर पक्के डटे रहनेकी काबिलियत होते हुए भी ना कामयाब हो सकती है । इसलिये कोई भी समझदार आदमी अगर वह यह जानना होगा कि मेरी जगह दूसरा आदमी आसानीसे कामपर आ सकना है तो अपनी मजदूरी बढ़ानेके लिये अथवा दूसरे सुख-साधनके लिये कभी हडताल नहीं करेगा । परन्तु जो मनुष्य परोपकारशील या देशभक्त होगा वह अगर अपने भाइयोंको मुसीबतको महसूस करता होगा और उसमें उसका साथ

दिये जानेपर भी जवांमर्दीके साथ अपनी टेक नहीं छोड़ी है ? सो इस वारेमें मैंने अपनी राय बङ्गालकी प्रान्तीय महासमा समितिके पास भेज दी है। और मैं उसीका पावन्द रहना चाहता हूँ। अगर हडतालियोंने केवल चादपुरके अत्याचार पीडित कुलियोंके प्रति सहानुभूतिके वश होकर हडताल की है और सो भी अपने भाइयोंको बिना डराये धमकाये, तो नैतिक दृष्टिसे उन्हें ऐसा करनेका पूरा हक था, और ऐसा करके उन्होने इस दर्जेकी देश भक्ति और भाई चारेका परिचय दिया है जिसकी उम्मेद उनसे नहीं की जा सकती थी।

मुझे आशा है कि अब, जबतक सरकार पूरी तरह और छुले तौर पर माफी न मागे और जबतक कुलियोंको उनके घर पहुंचानेके लिये पर्वकी रकम न अदा कर दे, तबतक हडतालिये लोग बराबर कामपर जानेसे साफ इनकार करते रहें।



नेकी खाहिश रखता होगा, तो जरूर हड़ताल करेगा फिर
सकी मांग चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों न पूरी की जाती
। ? और यह कहनेका तो जरूरत ही नहीं है कि वा-अदव
हड़तालका जो ढङ्ग मैंने बनाया है उसमें हिंसाके लिये तो
गह ही नहीं है फिर वह चाहे दूसरोंको डराने धमकानेके
अथवा आग लगानेके या दूसरे किसी रूपमें क्यों न हो।
स हालतमें अगर मुझे यह मालूम हुआ कि चटगावमें
शाल्हीमें जो रेलकी लाइने उखाड दी गई हैं, वह किसी
हड़तालियोंकी ही शरारत है, तो मुझे बड़ा हो अफसोस
होगा।

मेरी सुझाई हुई इन कसौटियोंपर कसकर अगर देखा
जाय तो यह साफ हो जाता है कि हड़तालियोंके हित चिन्त-
कोंको यह न चाहिये था कि ने हड़तालियोंको कांग्रेस अथवा
दूसरी आम सभ्याओंके खजानेसे उनकी गुजरके लिये दर-
खास्त देने या रुपया लेनेकी सलाह देते। सच पूछिये तो
हड़तालियोंने आर्थिक सहायता पाकर अपनी हमदर्दीकी
कीमतको घटा लिया। सहानुभूति मूलक हड़तालोंका महत्व
तो हमदर्दी रखनेवालोंके असुविधा उठाने और कष्ट सहनेमें
ही है।

अब यह सवाल आता है कि उन हड़तालियोंको, अथवा
उनके लिये-और ये ५० फी सदीसे भी ज्यादा हैं-अब क्या
करना चाहिये, जिन्होंने धमकाये जाने और लोभ-लालच

अष्टम खण्ड

स्वराज्य

होनी चाहिए कि किसीको भी उसके बिना भूखा और नगान रहना पड़े ।

(४) ऐसी स्थिति हो जानेपर भी एक जाति और एक श्रेणीके लोग दूसरोंको दवा सकते हैं । अतएव स्वराज्यका अर्थ है—ऐसी स्थिति जिसमें एक बालिका भी घोर अन्धकारमें निर्भयताके साथ घूम फिर सके ।

(५) पूर्वोक्त चार व्याख्याओंमें कितनी ही व्याख्याओंका समावेश दिखाई देगा । तथापि राष्ट्रीय स्वराज्यमें प्रत्येक अङ्ग सजीव और उन्नत होगा और होना चाहिए । इस दशामें स्वराज्यका अर्थ है अन्त्यजोंकी अस्पृश्यताका सर्वथा नाश ।

(६) ब्राह्मण और अब्राह्मणके भङ्गडेकी समाप्ति ।

(७) हिन्दू मुसलमानके मनोमालिन्यका सर्वथा नाश ।

इसका यह अर्थ है कि हिन्दू मुसलमानकी मर्यादा 'रफ़े' और उसके लिए जानतक दे दें । इसी तरह मुसलमान हिन्दुओंकी

स्वराज्यकी व्याख्या

(अगस्त १६, १९२१)

स्वराज्यकी व्याख्याओंके सम्बन्धमें मैं अपने मनमें तो विच
क्रिया ही करता हूँ। अब उन्हें पाठकोंके सामने भी उपस्थित
करता हूँ —

(१) स्वराज्यका अर्थ है—स्वयं अपने ऊपर प्राप्त किया
हुआ राज्य। इसे जो मनुष्य प्राप्त कर चुका है वह अपना
व्यक्तिगत प्रतिज्ञाका पालन कर चुका।

(२) परन्तु हमने तो उसके कुछ लक्षण, और स्वरूपका
कल्पना की है। अतएव स्वराज्यका अर्थ है—देशके आयात
और निर्यातपर, सेनापर और अदालतोंपर जनताका पूरा निय
न्त्रण। दिसम्बरकी प्रतिज्ञाका यह अर्थ है। इसमें अंग्रेज
साम्राज्यके साथ सम्बन्ध रखनेके लिये जगह है भी और नहीं
भी। यदि खिलाफत और पञ्जाव काण्डका निपटारा न हो, तो
जगह नहीं।

(३) परन्तु व्यक्तिगत स्वराज्यका तो उपभोग साधु लोग
आज भी करते होंगे, और हमारी पार्लिमेंट स्थापित हो जानेपर
भी लोगोंको दृष्टिमें सम्भव है, वह स्वराज्य न हो। इसलिये

होनी चाहिए कि किसीको भी उसके बिना भूखा और नगान रहना पड़े ।

(४) ऐसी स्थिति हो जानेपर भी एक जाति और एक श्रेणी-के लोग दूसरोंको दबा सकते हैं । अतएव स्वराज्यका अर्थ है—ऐसी स्थिति जिसमें एक बालिका भी घोर अन्धकारमें निर्भयताके साथ घूम फिर सके ।

(५) पूर्वोक्त चार व्याख्याओंमें किननी ही व्याख्याओंका समावेश दिखाई देगा । तथापि राष्ट्रीय स्वराज्यमें प्रत्येक बड़ सजीव और उन्नत होगा और होना चाहिए । इस दशामे स्वराज्यका अर्थ है अन्त्यजोंकी अस्पृश्यताका सर्वथा नाश ।

(६) ब्राह्मण और अब्राह्मणके भगडेकी समाप्ति ।

(७) हिन्दू मुसलमानके मनोमालिन्यका सर्वथा नाश । इसका यह अर्थ है कि हिन्दू मुसलमानकी मर्यादा रखें और उसमें लिए जाननक दे दें । इसी तरह मुसलमान हिन्दुओंकी मर्यादा प्राणपणसे रखें । मुसलमान गो-हत्या करके हिन्दुओंका दिल न दुखावें, बल्कि आप तैयार होकर गो वध बन्द कर। और अपने हिन्दू भाईके चित्तको चोट न पहुचने दें तथा हिन्दू बिना किसी तरहका उदला लिये, मसजिदोंके सामने बाजे न बजावें और मुसलमानोंका जी न दुखावें, बल्कि मसजिदोंके पाससे जाते हुए बाजे बन्द रखनेमें बढप्पन समझे ।

(८) स्वराज्यका अर्थ है—हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी ईसाई, यहूदों, सब धर्मोंके लोग अपने अपने धर्मका पालन कर

सकें और ऐसा करनेमें एक दूसरेकी रक्षा करे और एक दूसरेके धर्मका आदर करे ।

(६) स्वराज्यका अर्थ यह है कि प्रत्येक ग्राम चोरो और डाकुओंके भयसे अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जाय और प्रत्येक ग्राम अपने लिए आवश्यक अन्न-वस्त्र पैदा करे ।

(१०) स्वराज्यका अर्थ है—देशी राज्यों, जमींदारों और प्रजामें मित्र भाव रहे, देशी राज्य अथवा जमींदार प्रजाको जेर-वार न करें और रिआया राजा अथवा जमींदारको तड़ न करे ।

(११) स्वराज्यका अर्थ है—धनवान् और धर्मजीवियोंमें परस्पर मित्रता । मजदूर उचित मजदूरी लेकर धनवान्के यहा खुशीसे मजूरी करे ।

(१२) स्वराज्य वह है जिसमें स्त्रियां माता और बहनें समझी जाय और उनका मान आदर हो तथा ऊंच नीचका भेद-भाव दूर होकर सब भाई बहनकी भावनासे वर्ताव करें ।

इन व्याख्याओंसे यह निश्चय होता है कि—

(१) स्वराज्यमें राज्यसत्ता शराब, अफीम इत्यादि

(मादक पदार्थों) का व्यापार न करे ।

(२) स्वराज्यमें अनाज और रुईके सट्टे न हो ।

(३) स्वराज्यमें कोई कानूनका भङ्ग न करे ।

(४) स्वराज्यमें स्वेच्छाचारके लिये विलकुल स्थान न रहे, जिससे कोई अपने ही खिलाफ की गई शिकायतका फैसला,

एतद् ही काजी बनकर, न कर, बल्कि देशकी बनाई अदालतमें अपने खिलाफ की गई फरियादका फैसला होने दे ।

एक वर्ष में स्वराज्य

(सितम्बर २२, १९२०)

कलकत्तेकी कांग्रेसमें मैंने जो कहा कि यदि मेरे असहयोग कार्य-क्रमको लोगोंने पर्याप्त रूपसे स्वीकार किया तो एक वर्षमें स्वराज्य मिल जायगा, इसपर हँसने और उपहास करनेका कुछ लोगोंको मौका मिला है । कुछ लोगोंने तो इस बातका ही खयाल नहीं किया कि मैं क्या कहता हूँ—किस हालतमें स्वराज्य मिलनेकी बात कहता हूँ और इसी बातपर इस पडे कि एक वर्षमें किस उपायसे स्वराज्य मिल सकता है । कुछ लोगोंने “यदि” पर धडा जोर दिया है और कहा है कि “यदि और अगर” से कोई बात सिद्ध करनी हो तो कोई भी असम्भव बात सम्भव करके दिखलाई जा सकती है । परन्तु मैंने जो कुछ कहा है, सोच समझकर कहा है—हिस्साव लगाकर कहा है । और मैं ड फेकी चोट यह बनलाता हूँ कि जबतक वह काम नहीं होगा, जो मेरे हिस्सावसे स्वराज्यके लिये होना आवश्यक है, तब तक सच्चा स्वराज्य बिलकुल असम्भव है । स्वराज्यका अर्थ वह अवस्था है जिसमें अङ्गरेज यहा न भी रहे तो हम लोग

अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रख सकें। यदि स्वराज्य साम्राज्यके अन्तर्गत हो तो वह भी हमारी इच्छासे हो। जबतक हम लोग अपनेको अंग्रेजोंके बराबर न समझेंगे और वैसे न होंगे तबतक स्वराज्य हो नहीं सकता। आज हम लोग यह समझते हैं कि अंग्रेज हमारी भीतर बाहरसे रक्षा कर रहे हैं, वे ही हिन्दू और मुसलमानोंको परस्पर मार काटसे बचाये हुए हैं, वे ही हमें शिक्षा दे रहे हैं और वे ही हमारी नित्यकी आवश्यकताओंकी पूर्ति कर रहे हैं, यही नहीं, बल्कि वे हमारे आपसके धार्मिक झगड़ोंको दबाये हुए हैं। राजाओंको जो अधिकार प्राप्त हैं वे अंग्रेजोंकी बदौलत हैं और बनवानोंका धन भी उन्हींपर निर्भर करता है, अंग्रेज हमारी असहाय अवस्थाको समझते हैं और सर टामस हालैण्ड असहयोगवादियोंकी ठोक ही दिहूगी उडाते हैं। तात्पर्य यह कि स्वराज्य प्राप्त करना अपनी असहाय अवस्थासे छुटकारा पाना है। प्रश्न बड़ा ही विकट है, वैसा ही प्रश्न है जैसा उस सिहके सामने उपस्थित था जो शृंगालोंमें पड़ा हुआ होनेके कारण अपने आसको सिंह नहीं समझ सकता था। टारस्टायने ठोक कहा है कि मनुष्य जाति प्रायः वशीकरणके वशीभूत रहती है। इस जादूके कारण हम अपने आपको असहाय समझते हैं। स्वयं अंग्रेज भी इस दुर्गतिसे हमें बाहर निकाल नहीं सकते। इसके विपरीत वे हमारे कानोंमें यही मन्त्र फूँका करते हैं कि तुम लोग अपना शासन आप करनेकी चिया धीरे धीरे ही सीख सकोगे। "टाइम्स" ने यह बतलाया

है कि यदि कौंसिलोंका बहिष्कार करोगे तो स्वराज्यकी शिक्षाका अवसर खो दोगे। मैं जानता हूँ बहुतसे लोगोंकी ऐसी ही धारणा है। 'टाइम्स' झूठले भी काम ले रहा है। वह डिठार्ड-के साथ कहता है कि लार्ड मिलनरके मिशनने मिश्रवासियोंकी बात तभी सुनी जब उन्होंने मिश्रकी कौंसिलका बहिष्कार उठा लिया। मेरे विचारमें तो स्वराज्यके लिये हमें यदि किसी शिक्षाकी आवश्यकता है तो वह यही है कि समस्त न्यसार भी हमारे विरुद्ध उठ खड़ा हो तो भी हम अपनी रक्षा आप कर सकें, इसकी योग्यता प्राप्त करें और अपना स्वाभाविक जीवन पूर्ण स्वतन्त्रताके साथ व्यतीत कर सकें, चाहे वह जीवन दोषपूर्ण हो क्यों न हो। सुराज्य स्वराज्यका काम नहीं दे सकता। पठानोंका राज्य सुराज्य नहीं है, पर स्वराज्य है। मैं उनसे ईर्ष्या करता हूँ। जापानियोंने रक्तके समुद्रमें तैरकर यह विद्या सीखी। और यदि आज हम लोगोंमें यह ताकत होती कि हम अंग्रेजोंको उनसे भी अधिक पाणविक बलके द्वारा निकाल सकने तो हम उनके मुकाबले श्रेष्ठ गिने जाते और कौंसिलमें बैठकर वादनिवाद करने या शासन कार्यका अनुभव चाहे हमें न भी होता तो भी हम लोग अपना शासन आप करनेके योग्य समझे जाते। कारण, पाशविक बन्की कसौटीको ही अतक पश्चिमने माना है। जमने लोग हार गये, इस लिये नहीं कि वे अन्यायी थे, बल्कि इसलिये कि मित्रराष्ट्रोंका पाशविक बल उनसे अधिक था। इसलिये हिन्दुस्तानको या

तो युद्धकी विद्या सीखनी होगी जो अंग्रेज उसे न सिखलावेंगे या वह असहयोगने द्वारा आत्मनियमन और आत्मत्यागके अपने मार्ग पर चले। यह बडे ही आश्चर्यकी और उतनी ही अपमानजनक बात है कि एक लाख गीरे आठमी इकतीस करोड भारत-वासियोंपर राज कर सकें। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ तो वे अपने बलसे राज करते हैं, पर अधिकतर उन्हें हमसे सहस्रो मार्गों द्वारा सहयोग प्राप्त करना पड़ता है और ऐसा उपाय करना पड़ता है जिससे हम लोग दिन दिन अधिकाधिक असहाय और पराबलम्बो बने जाते हैं। रिफार्म कौंसिलोंको, अदालतोंकी वृद्धिको या लाटगिरीको सच्ची स्वतन्त्रता या अविकार मत समझिये। ये रक्षशोषणके गुप्त उपाय हैं। अंग्रेज केवल पाशविक बलसे हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते और इस लिये वे भले बुरे सभी उपाय करते हैं जिसमें हिन्दुस्तान उनके कब्जेमें बना रहे। वे अपने साम्राज्य-लोभके लिये हिन्दुस्तानका धन और जन बल चाहते हैं। यदि हम उन्हें धन और जन देनेसे इनकार करें तो हमारा साध्य—स्वराज्य, समानता और पुरुषार्थ—सिद्ध हो जाना है।

अपमानके विषका प्याला वाइसरायकी कौन्सिलका दृश्य समाप्त होते होते पूरा भरा जा चुका है। श्रीयुक्त शास्त्री पञ्जाब सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित न कर सके। जलियावाला बागके हिन्दुस्तानी हताहतोंको १२५० रुपया मिला और जनताकी उच्छेजनाके शिकारी अङ्गरेजोंको लाखों मिले। जिन अफसरोंने

ही मालिकोंका अपराध किया उन्हे कुछ कड़ी बातें सुनाई गईं । और काँसिलर इतनेसे सन्तुष्ट हो गये । यदि हिन्दुस्तान बलवान् होता तो वह यह जलेपर नमक कमी चुपचाप न सह लेता ।

मैं अंग्रेजोंको दोष नहीं देता । यदि हम लोग सख्यामें काम होते जैसे कि वे हैं तो हम लोग भी उन्हीं उपायोंका अवलम्बन करते जो वे इस समय कर रहे हैं । डर, दहशत पैदा करना और धोखा देना बलवानोंका नहीं, दुर्बलोंका काम है । अंग्रेज सख्यामें दुर्बल हैं, हम लोग बलवान् होकर भी दुर्बल हैं । इसलिये दोनों एक दूसरेको ऊपरसे नीचे खींच रहे हैं । यह सबके अनुभवकी बात है कि अंग्रेज हिन्दुस्तानमें रहकर अपना चरित्र बल खो देते हैं और हिन्दुस्तानी अंग्रेजोंकी संग सोह बतमें रहनेपर अपना साहस और पुढ्यार्थ खो बैठते हैं । यह जीवन काम न हमारे, न अंग्रेजोंके लिये अच्छा है, न संसारके लिये ही ।

परन्तु यदि हम हिन्दुस्तानी अपनी फिक्र आप करे तो इंग्लैण्ड और शोप संसार भी अपनी फिक्र करेगा । इसलिये संसारकी प्रगतिमें सहायता करनेके कामका हिस्सा हमारे जिम्मे यही आता है कि हम अपना घर ही सुगरे ।

शास्त्र शिक्षाकी तो इस समय कोई बात ही नहीं है । मैं एक कदम और आगे बढ़ता हू । मेरा यह विश्वास है कि संसारमें हिन्दुस्तानका एक खास मिशन है जो इससे अच्छा

है। वह संसारको यह दिखला सकता है कि हिन्दुस्तान केवल शुद्ध स्वार्थत्याग अर्थात् आत्मशुद्धिके द्वारा अपनी भवितव्यताको प्राप्त कर सकता है। यह असहयोग द्वारा हो सकता है। और असहयोग तमो हो सकता है जब वे लोग, जिन्होंने सहयोग आरम्भ किया, सहयोगसे हाथ खींचना आरम्भ करें। जब हम लोग सरकारी स्कूलों, सरकारी अदालतों और व्यवस्थापिका सभाओंकी त्रिगुणमयी मायासे मुक्त होंगे और अपनी शिक्षाका प्रग्रन्ध करेंगे, अपने भगडे आप निपटा लेंगे और उनके कानून कायदोंसे उदासीन होंगे, तब यह कहा जायगा कि हम लोग अपना शासन आप कर सकते हैं और तब हम सरकारी मुल्की और फौजी नौकरोंसे यह कह सकेंगे कि अपनी नौकरिया छोड़ दो, और कर देनेवालोंको बतला सकेंगे कि कर देना अभी बन्द कर दो।

क्या यह आशा करना कि लडकोंके मा-बाप अपने रुइकोंको स्कूल-कालेजोंसे निकालकर अपने विद्यालय आप स्थापित करेंगे, या बकोलोंसे यह आशा करना कि वे अदालत जाना छोड़ देंगे और केवल गुजारेके लिये कुछ लेकर राष्ट्र सेवा करेंगे, या कौंसिलोंके उम्मेदवारोंसे यह आशा करना कि वे कौंसिलोंमें न जायेंगे और जिस कानूनकी मशीनरीसे शासनका सब काम होता है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता न देंगे क्या यह कहना और आशा करना—बिलकुठ व्यर्थ है? असहयोगके आन्दोलनका मर्थ केवल यहा है कि अंग्रेजोंका

पाशाविक यल जिन आवरणोंके नाचे छिपा हुआ है उन आवरणोंको हटाकर उस पाशाविक यलको अकेला छोड़ दो और यह दिखला दो कि अकेला पाशाविक यल एक क्षण भी हिन्दुस्तानको अपने अधीन नहीं रख सकता।

पर मैं खुले दिलसे यह खोकार करना हूँ जिन तीन पातोंका मैंने ऊपर उल्लेख किया है वे जवनक न होंगी तबतक स्वराज्य कोई चीज नहीं है। इस बातको कोई जकूरत नहीं है कि हम कालेजकी डिग्री प्राप्त करें; उन मामलोंके लिये जो पाँच मिनटमें निपटाये जा सकते हैं, अपने मुयकिलोंसे हजारों रुपया चसूल करें और काँसिलमें बैठकर राष्ट्रका समय नष्ट करनेमें बड़ा आनन्द समझें और फिर भी राष्ट्रके आत्म-गौरवकी आशा करें।

अब मायाके अन्तिम भागपर, जो महत्त्वमें किसीसे कम नहीं है, विचार करना बाकी है। यह स्वदेशी है। यदि हम लोगोंने स्वदेशी न छोड़ा होता तो आज हमारी यह गिरी हुई हालत न होती। यदि हम लोग आर्थिक दासत्वसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम लोगोंको अपना कपडा आप तैयार करना चाहिए और इस समय यह काम केवल चरखों और करघोंसे ही लेना चाहिये।

इन सब कामोंके लिये आत्म नियमन, स्वार्थ त्याग, विषय-चैराग्य, योजना शक्ति, विश्वास और साहस चाहिए। यदि हम यह सब उन श्रेणियोंके लोगोंके अन्दर, जिनका आज

समाजमें कुछ प्रभाव है, एक वर्षके भीतर दिपला सके और लोकमत तैयार कर सके तो एक वर्षके अन्दर हमें निश्चय ही स्वराज्य प्राप्त हो जाय। यदि मुझसे कोई कहे कि हम नेताओंतकमें तो ये गुण नहीं हैं, हिन्दुस्तानको कभी स्वराज्य मिल नहीं सकता, पर उस हालतमें, अंगरेज जो कुछ कर रहे हैं उसके लिये हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। हमारा स्वातंत्र्य और उसका काल केवल हमारे ही ऊपर निर्भर करता है।

तीन महीनेमें स्वराज्य

(दिसम्बर २६, १९२०)

'टाइम्स' पत्रके प्रतिनिधिने महात्माजीसे पूछा था कि इन तीन महीनोंके अनुभवसे आप क्या परिणाम निकालते हैं, इस पर महात्माजीने निम्नलिखित उत्तर दिया—

इन तीन महीनेमें मुझे जो कुछ अनुभव हुआ है उससे यही कह सकता हू कि असहयोग 'आन्दोलनकी जड़ जम गयी और यह आन्दोलन पूर्णतया आत्म शुद्धिका आन्दोलन है यद्यपि इधर उधर इससे हो हल्ला हो गया, जैसे वम्यईमें मिसेज वेसेण्टकी सभामें, दिल्लीमें, बंगालमें और गुजरातमें यह अहिंसाका भाव प्रति दिन अपना प्रभाव फैलाता जा रहा है यद्यपि लोग अभीतक इसे आवश्यक नीति ही समझकर ग्रहण कर रहे हैं

न कि वादर्श सिद्धान्त मानकर। मुझे इससे विचित्र और आश्चर्यजनक परिणाम निकलनेकी आशा है। जिस दिन सरकारको यह निश्चय हो जायगा कि हम लोग किसी प्रकार हिंसा नहीं करते उसी दिन वह आपसे आप अपना मत बदल देगी।

आपने कहा है कि भारत सरकार अपनी नीति बदल देगी, क्या आप बतला सकेंगे कि वह अपनी नीति किम ओर बदलेगी।

हम लोगोंकी इच्छाके अनुसार जिस तरफ हम लोग इच्छा करेंगे, उसी ओर वह अपनी नीतिका प्रसार करेगी। इस तरह सरकारको प्रजाकी प्रत्येक बात सुननी पड़ेगी।

क्या आप अपना अभिप्राय स्पष्ट करनेकी कृपा करेंगे ?

इस तरह यातना तथा तपस्या सहनेकी योग्यता दिखलाकर जनता सरकारको लाचार कर देगी कि वह खिलाफतकी समस्या, पञ्जाबके अत्याचारोंका प्रतीकार करा सकेगी और अपने मनके मुताबिक स्वराज्यकी स्थापना करवा सकेगी।

आपके स्वराज्यका क्या रूप है और आपके कहनेके अनुसार जो सरकार अपना रूप बदल देगी उस सरकारको आपके स्वराज्यमें क्या हैसियत होगी ?

मेरे स्वराज्य शब्दका अभिप्राय है भारतके लिये पार्लिमेंटरी शासन। वह पार्लिमेंटरी शासन विलकुल आधुनिक ढंगका

होगा। चाहे यह ब्रिटेनके साथ रहकर हो या बिना साथसे।

आपने कहा है कि "बिना साथसे" इसका क्या अभिप्राय है ?

यह आन्दोलन आत्मशुद्धिका आन्दोलन है। इसका अभिप्राय सरकारकी बदनीयती और बेईमानीको दूर करना है। इससे उनकी प्रत्येक कार्रवाई निर्धारित हो जाती है। इसलिये सोमालीलैण्डकी भाँति यहाँ भी कदाचित वे रहना पसन्द न करें क्योंकि इन व्यवस्थासे उनकी आमदनी अवश्य घट जायगी और फिर भारतकी शासनव्यवस्था उनके लाभका जरिय नहीं रहे जायगा।

क्या यह कार्यमें पूरी तरह चरितार्थ हो सकता है ?

जो कुछ मैंने कहा है वह अन्तिम सम्भावना है। यह मैं समझता हूँ कि वहाँ तक की नौबत नहीं आवेगी। मुझे पूरी आशा है कि सार्वजनिक मत जहाँ व्यक्त हो जायगा वहाँ ब्रिटिश जनता उसे खीकार करनेके लिये अवश्य तैयार हो जायगी और उस समय उन्हें विदित होगा कि उनके प्रतिनिधि और मन्त्रीगण भारतके साथ किस तरहका अन्याय कर रहे हैं। उस अवस्थामें वे लोग जनताकी इच्छाके अनुकूल इन दो अन्यायोंका प्रतीकार करेंगे और भारतीयोंके प्रतिनिधियोंके अनुसार भारतको शासन व्यवस्था देंगे।

मान लीजिये कि भारतके शासनसे लाभ होते न देखकर अंग्रेज लोग यहाँसे चले जायँगे तो भारतको क्या अवस्था होगी ?

जिस समय यह अवस्था आ उपस्थित होगी उस समय तक भारत

या तो चारित्रिक योग्यता प्राप्त कर लेगा अथवा 'जीवका यदला जीव' से लेनेकी योग्यता प्राप्त कर लेगा। उच्चतम संगठनकी भी योग्यता उसमें आजायगी। उस अवस्थामें वह सभी बातों का प्रतीकार कर सकेगा।

आपका यह अभिप्राय है कि यदि वह समय उपस्थित हो गया कि ब्रिटनको भारतसे हट जाना पडा तो भारतकी अवस्था इस तरहकी हो गई है कि वह शासनका भार अपने ऊपर लेकर राष्ट्रकी उत्तरोत्तर उन्नति कर सकेगा।

हां, मेरा यही अभिप्राय है। अतः महीनोंके अनुभवोंसे मेरे हृदयमें आशाका उदय हो गया है कि शीघ्र नौ महीनोंमें—जिसके भीतर हमने भारतके लिये स्वराज्य दिलानेका वादा किया था—हम दोनों अत्याचारोंका प्रतीकार करा सकेंगे और भारतके लिये स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे।

नौ महीनेके बाद ब्रिटिश सरकारकी क्या अवस्था रहेगी ?

इसपर महात्माजीने हंसकर उत्तर दिया—उस समय शेर मेमनेके साथ हाथ मिलाता रहेगा।



साल भरका वादा

(दिसम्बर ११, १९२१)

एक तरफ तो मैंने यह धमकी दी है कि यदि इस सालके अखीरमें स्वराज्य न मिला तो मैं हिमालयको चल दूंगा। इसपर मुझसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि स्वराज्यके न मिलनेपर भी आप ऐसा न करे। दूसरी तरफसे मुझे यह कहा जाता है कि स्वराज्य न मिलनेपर आप लोगोंका क्या मुह दिखावेगे? लोग विचारे कितने निराश हो जायगे? वादा करके अब आपको हाथ मलाने पड़ेंगे।

मेरा खयाल है कि हमारे पाठकोंके दिलमें ऐसे विचार न उठते होंगे। पर मैं यह भी जानता हूँ कि कुछ कुछ लोग ऐसे विचार करते हैं। मेरा वादा शर्तोंपर है। मैंने ऐसी ही शर्तें पेश की थीं जिनका पालन किया जा सकता है, और क दिया था कि “इन शर्तोंका पालन करो और स्वराज्य लो।”

परन्तु इसपर मित्र लोग यह कह सकते हैं व्यवहार कुशल मनुष्य जब शर्तें पेश करे तब उसे पालन करनेवाले लोगोंकी शक्तिका अन्दाज करके बात करना चाहिये। यह बात सच है। मैं व्यवहार-कुशल होनेका दावा भी रखता हूँ। यदि मुझसे यह दावा न बन पड़े तो मुझे सार्वजनिक जीवनसे अलग हो जाना चाहिये।

अतएव यदि वर्ष के अन्तमें लोगोंको यह पूछना पड़े कि 'स्वराज्य कहा है?' तो कहना होगा कि मेरी व्यवहारकुशलता सिद्ध नहीं हुई और मुझे हिमालयकी राह ले लेनी चाहिए। पर यदि उन्हें निश्चित रूपसे यह दिखाई दे कि स्वराज्यका रास्ता वही है जो मैंने लोगोंको घताया है और उन्हें यह मालूम हो कि उस रास्तेको तय करते हुए वे बहुत दूर लगभग अन्ततक आ पहुंचे हैं, तो उन्हें मुझे ताना मारनेकी जरूरत न रहे और न मुझे हिमालय भाग जानेको ही आवश्यकता रहे। यह स्वराज्य मिलनेके बराबर है। जिसे मोक्षका मार्ग मिल गया है वह यम नियम आदिका पालन करता जाता है। जो हमेशा यह देख रहा है कि मेरे बन्धन तढातड टूटते जा रहे हैं वह मोक्षको प्राप्त करनेवाले पुरुषके समान ही है। वह अपने मार्गसे इधर उधर नहीं भटकता। वह दिनपर दिन बलवान् होता जाता है। उसे मार्ग दर्शककी आवश्यकता नहीं रहती। जिसे सन्देह है उसका कहीं ठिकाना नहीं। उसका नाश निश्चित है। वह रास्ते चलते हुए भी नहीं चलता है, क्योंकि वह जानता ही नहीं कि मैं कहा हूँ।

इसी प्रकार यदि दिसम्बरमें आनेवाले समस्त प्रतिनिधि बिना दलोलके यह कबूल कर लें कि स्वराज्य प्राप्तिका मार्ग यही है, हम स्वराज्यकी भांकी बना रहे हैं, जितना काम इस वर्षमें हुआ है उतना पिछले किसी वर्षमें नहीं हुआ है और हम तो इसी मार्गसे जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि यह

स्वराज्य मिल जानेके बराबर हो गया है। जो कुछ काम अधूरा रह गया है उसका कारण है हमारे परिश्रमकी कमी। जहां जरा ज्यादा मिहनत को बस काम पूरा हुआ।

जो लोग यह मान बैठे हैं अथवा जिन्होंने लोगोंको ऐसा समझा दिया है कि स्वराज्य तो गांधी जिस तरह बन पड़ेगा उस तरह करके दिसम्बरके पहले दिला देगा, तो वे दोनों अनजानमें स्वयं अपने तथा देशके दुश्मन हैं। वे स्वराज्यका अर्थ ही नहीं समझे। स्वराज्यका अर्थ है स्वावलम्बन। मेरे द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेका अर्थ तो है केवल परावलम्बन। मैं तो उसके लेनेका रास्ता बतानेवाला हूँ। लेना तो लोगोंके ही हाथमें है। मैं वैद्य हूँ, दवा बतताता हूँ। खानेकी विधि, उसका अनुमान, तादाद इत्यादि बतताता हूँ। पर अन्तमें पुरुषार्थ तो रोगीको ही करना पड़ेगा।

यदि एक वर्षके अन्तमें लोगोंको यह प्रत्यक्ष अनुभव न हुआ हो कि स्वराज्य शान्तिके द्वारा, हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, पारसी, ईसाई, यहूदीकी परुताके द्वारा, स्वदेशी और अस्पृश्यताके नाशके द्वारा ही मिल सकता है तो मेरी व्यवहार कुशलतामें पूरी कमी रही और मुझे हिमालय भाग जाना चाहिये।

हा, यह सच है कि मेरी आशा तो इससे अधिक थी। हम इस वर्षमें केवल इतना ही नहीं थी कि मार्ग देख लेंगे, बल्कि स्वराज्यकी प्रतिमा भी हमारे सामने खड़ी हो जायगी, हम शासन कर्त्ताओंके साथ सुलह भी कर लेंगे और असहयोगका

शामन होकर शुद्ध सहयोग शुरू हो जायगा। पर अब मुझे डर है कि इन शेष दिनोंमें हम शायद इस स्थितिका अनुभव न कर सकें, वतिक इसके विपरीत, हमारे असहयोगका वेग और भी तीव्र हो जायगा और ऐसा मालूम होगा कि मानों अब योग होनेकी सम्भावना ही नहीं रही। परन्तु यही अनुभव सहयोगको नजदीक लानेजाला होगा। प्रभातके पहलेका अन्धकार घोरसे घोर होता है। प्रसूतिके पहलेकी वेदनायेँ असाह्य होती हैं और इसलिए स्वयं प्रसवके ही विषयमें माफे मनमें सन्देह उत्पन्न होता है। उसी प्रकार हमारा प्रसूति काल भी कठिनसे कठिन होगा।

बम्बईने उसमें विघ्न डाल दिया। हमने खुद खड़ा होकर जो जोर लगाना चाहा था, हमने जो दुःख खुद प्राप्त कर लेना चाहा, उसे बम्बईने बन्द करा दिया। परन्तु सद्भाग्यसे सरकारने ही हमारे लिए जोर करनेका, दुःख भोगनेका दरवाजा खोल दिया है, क्योंकि उसने दमनका वेग बढा दिया है। यदि हम निर्भय होकर इस दरवाजेमें प्रवेश करेगे तो स्वराज्यकी प्रतिमाको खड़ा होनेमें जरा भी देर नहीं लगेगी।

पर अभी मैं निश्चय पूर्वक यह क्यों नहीं कह रहा हूँ कि इस वर्षमें स्वराज्यकी प्रतिमा खड़ी हो ही जायगी? इसलिये कि मुझे ठोक ठोक बात मालूम नहीं है। मैं त्रिकालदर्शी नहीं। मैं देवता नहीं। मैं श्रद्धावान् हूँ। मैं ईश्वरको सर्वशक्तिमान् मानता हूँ। हमारे हृदयमें वह कब, यहा उथला पुथल कर

डालेगा, यह कौन कह सकता है? १७ नवम्बरको-जिस समय मैं बड़े आशावादका उच्चार कर रहा था उसी समय निराशा-जनक कार्य हो रहे थे, इसकी खबर क्या मुझे थी? जब कि मुझे भी इतने दिनोंमें प्रतिमा खड़ी हो जानेमें सन्देह है तब यदि ईश्वर प्रतिमा तैयार कर रहा हो तो मैं क्या जानूँ? जिस प्रकार मैं वैद्य हूँ, उसी प्रकार रोगी भी हूँ। जो स्वराज्य मुझे लेना है उसे मैं ले नहीं पाया। मुझे रास्ता मिल गया है, उसे मैं छोड़नेका नहीं। पर मेरा स्वराज्य तो नजदीक है। इसी महीनेमें मैं उसे पा जाऊँ तो मुझे आश्चर्य नहीं हो सकता। हा, पाठकोंको यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अपने प्रयत्नमें किसी बातकी कोर कसर नहीं रखी है। मेरी तो यही धारणा है कि भारतीय स्वराज्यको प्राप्त करनेके प्रयत्नमें ही मेरा मोक्ष है। यदि मुझे ऐसा मालूम होगा कि मोक्ष प्राप्ति करनेके बजाय मैं तो बन्धनमें जकड़ा जा रहा हूँ, तो फिर मैं किसीके रोकेसे रुकनेवाला नहीं। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं मालूम होता कि मैं अधिक बधता जा रहा हूँ। हा, यह मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जनवरीकी पहली तारीखको मेरे मनकी दशा कैसी होगी, यह मैं नहीं जानता। इससे पाठकोंको मालूम हो जायगा कि स्वराज्य मेरी साधना है, मेरे मोक्षका द्वार है। मेरा आन्दोलन केवल स्वार्थमूलक है और ऐसा ही रहेगा।

इस दृष्टिसे मैं यह नहीं चाहता हूँ कि इस वर्षमें स्वराज्य-

की प्रतिमा षडी हो जाय। मैं तो अपने विषयके तमाम भ्रमसे बचना चाहता हूँ। मैं लोगोंको यह समझाना चाहता हूँ कि मैं तो एक अल्पजीव हूँ। अपनेको महाप्राणी समझने देनेमें मैं लोगोंको तथा अपनी हानि हो देखता हूँ। भले ही मेरा अनुमान गलत माना जाय, भले ही मैं बेवकूफ ठहरूँ, भले ही मैं अय्यबहारिक आदमी माना जाऊँ, अनीष्ट तो यही है कि लोग यह माननेकी अपेक्षा कि मेरे बलके द्वारा कुछ मिला है, यह मानें कि जो कुछ मिला है वह उन्हींके बलके द्वारा, उन्हींकी तपश्चर्याके द्वारा, उन्हींकी आत्म शुद्धिने द्वारा मिला है। अपने सम्यन्त्रमें तो मैं बस इतना ही श्रद्धाका भूखा हूँ—‘जिस समय उसे जो सच्चा दिगार्ई दिया बही उसने निर्भय होकर लोगोंके सामने उपस्थित किया।’ इससे अधिक प्रमाण पत्र मुझे दरकार नहीं। और न इसने अधिकके लायक मैं हूँ।



गलत मार्ग

(दिसम्बर ८, १९२०)

लार्ड रोनाल्डशे मेरी 'हिन्द स्वराज्य' नामी पुस्तक पढ़ रहे हैं। उन्होंने किसी सभामें कहा है कि यदि भारतके लिये उसी तरहके स्वराज्यको व्यवस्था की गई जिसकी चर्चा महात्माजीने अपनी इस पुस्तकमें की है तो बङ्गालको उनकी कोई आवश्यकता नहीं। मुझे खेद है कि कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार जिस स्वराज्यकी व्यवस्था हो सकती है उसकी उस पुस्तकमें योजना नहीं है। कांग्रेसकी व्यवस्थाके अनुसार भारतके लिये वह स्वराज्य चाहिये जो कि उसकी प्रजा चाहती है न कि जो ब्रिटिश सरकार भारतीयोंको देना चाहती है। जहांतक मेरा अनुमान है भारतीय स्वराज्य पार्लिमेंटका एक रूप होगा, जिसमें प्रजाके प्रतिनिधि रहेंगे और आय, व्यय पुलिस, सेना, नौ सेना, अदालत, तथा शिक्षापर उनका पूरा राय रहेगा।

यदि भारतीयोंने मेरा पूरी तरह साथ दिया तो इस सालके भीतर मैं जो स्वराज्य स्थापित कर देनेकी आशा करता हूं। उसमें खिलाफतके प्रति अन्याय तथा जलिया-वाला बागके अत्याचार समान घटनायें असम्भव हो जायगी

और प्रजाको पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छाके अनुसार भलाई या बुराईकी ओर चले न कि किसी उच्छृङ्खल और जिम्मेदारी शून्य शासककी प्रेरणासे चले। उस स्वराज्यके अन्दर यहाँकी प्रजा उन घस्तुओंपर अपनी इच्छाके अनुसार फडा मइसूल बैठायेगी जिसे वह अपने देशमें पैदा कर लेगी और आस पासके राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण कर उन्हें दास बनानेके लिये एक भी सैनिक भेजना स्वीकार न करेगी। इस तरहका स्वराज्य—जिसका मैं स्वप्न देख रहा हूँ—उसी अवस्थामें स्थापित हो सकता है, जब राष्ट्रमें यह योजना आ जाय कि वह अपना भला बुरा आप निश्चय कर सके।

जो कुछ मैंने 'हिन्द स्वराज्य' में लिखा है; वही अब भी कहता हूँ और सदा कहा करूँगा। स्वायत्तशासन ही सच्चा स्वराज्य है, यह मोक्षके परार है और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि मैं अपना मत बदल दूँ कि चकील, डाक्टर आदि किसी किसी अवस्थामें उनको प्राक्तिके बाधक न होकर बाधक हो जाते हैं। मुझे यह भी भलीभाँति विदित है कि इस तरहकी शैतानी सरकारकी कार्यवाहियाँ सदा बाधक हुआ करती हैं और स्वराज्यके लिये हरत रहके प्रयासको असम्भव बना देती हैं। एक साथ ही देवता तथा शैतान दोनोंको उपासना नहीं हो सकती।

वर्तमान सरकारकी शैतानियतका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि लार्ड रोनाल्डशे सदृश सज्जन व्यक्ति भी हमलोगोंको

धीरेमें डालना चाहते हैं। वे आवश्यक यातकी कमी चर्चा नहीं करेंगे। पञ्जाबके संबन्धमें वे चुप क्यों हैं? खिलाफतके प्रश्नपर टालमटोल क्यों कर रहे हैं? जिस रोगीको भीषण क्षयी रोग हो गया है कहीं उसे मलहमसे शान्ति मिल सकती है? लार्ड रोनाल्डशेको यह बात समझनी चाहिये कि शासन सुधारोंकी अपूर्णतासे भारतवासी क्षुब्ध नहीं हैं बल्कि इसका कारण पञ्जाब और खिलाफतके अत्याचार और अन्याय हैं जिनके प्रतीकारकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती उलटे हमें उन्हें भूल जानेके लिये कहा जाता है। क्या उन्हें यह बात नहीं समझमें आती कि भारतीयोंको शांत करनेके लिये हृदयके पूर्ण परिवर्तनकी आवश्यकता है।

पर असहयोगियोंके प्रति घृणा दिखलाना तो वर्तमान समयमें फैशन हो गया है। मुझे इस बातसे अतिशय खेद है कि स्वयं कर्नल वेजवुड इसकी जड़में फंस गये हैं। मैं इस बातको जोर देकर कह सकता हूँ कि यदि घृणाके भावको दूर करना है तो उसका ठीक ठीक उपचार कीजिये। जयतक भारतीयोंके प्रति घृणाके भाव जागृत रहेंगे और उनका परिवर्तन हुआ करेगा तबतक कोई भी वह असम्भव काम नहीं कर सकता अर्थात् भारतीयोंके हृदयसे घृणाके भाव दूर कर दे। एक तरफ तो भारतीयोंके नाजुकसे नाजुक भावोंपर कुठाराघात किया जा रहा है और दूसरी तरफ उन्मसे कहा जा रहा है कि घृणाके भाव छोड़ दो। भला यह भी कभी

सम्भव है। भारत इस समय कमजोर और लाचार हो रहा है। इसीलिये अपनी लाचारीको वह इसी तरह उस जालिमके प्रति घृणा दिखाकर ही प्रगट कर रहा है जो उसे नफरतकी निगाहसे देखता है। असहयोगका बीजारोपण लोगोंको बलिष्ठ और आत्मनिर्भर बनानेके लिये किया गया है। घृणाके स्थानपर दयाके भावको उगानेके लिये इसका प्रचार किया गया है।

बलिष्ठ तथा आत्मनिर्भर भारत बखर्क, जानसन और स्मिथसे घृणा नहीं करेगा क्योंकि उस समय उसमें इन्हें दण्ड देनेकी शक्ति हो जायगी। इसलिये वह इन्हें क्षमा भी कर सकता है। आज न तो उसमें दण्ड देनेकी क्षमता है और न दया दिखलानेकी क्षमता है। निदान वह सबके स्थानपर घृणाके ही भाव जागृत कर रहा है। यदि आज मुसलमान काफी ताकतवर होते तो वे अंग्रेजोंसे घृणा नहीं करते बल्कि उनके हाथोंसे इस्लामके सभी अधिकृत प्रदेश छीन लेते। अली-बन्धु खिलाफतके लिये अपना प्राणतक गयानेके लिये तैयार हैं। यदि उन्हें आज आशा हो जाय कि अंग्रेज जाति खिलाफतके साथ न्याय करनेके लिये तैयार है, तो वे उससे फौरन सुलह कर ले सकते हैं।

मैं यह बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इस युद्धमें व्यक्तिगत घृणाको कोई स्थान नहीं है। यदि आज अंग्रेज अपनी नेकनियती, ईमानदारीका परिव्यय दें तो हिन्दू और

मुसलमान दोनों उनकी हृदयसे प्रशंसा करें और असहयोग फल ही आपसे आप घन्द हो जाय। इससे भारत शुद्ध और मजबूत होगा। जिस तरह दुर्बल और दीन भारत आज संसारके लिये कलङ्क और विपत्ति हो रहा है, उसी तरह बलिष्ठ भारत संसारके लिये शक्ति होगा। भारतीय सैनिक तुर्कोंके नाशके लिये जबर्दस्ती लगाये गये और आज उनका प्रयोग अरबोंके नाशके लिये किया जा रहा है। मुझे एक भी ऐसी चढ़ाई नहीं याद आती जिसमें अंग्रेज सरकारने भारतीय सेनाका प्रयोग अच्छे और ईमानदारीके कामके लिये किया हो। इतने पर भी भारतीय नरेश अपनी राजभक्तिपर फूले नहीं समाते हैं। क्या इससे भी अधिक पतन हो सकता है!!

हिन्दू स्वराज्य

(जनवरी २६ १९२१)

यह नि सन्देह मेरा अहोभाग्य है कि मेरी इस पुस्तिकाकी ओर लोगोंका दिन दिन विशेष ध्यान जा रहा है। मूल पुस्तक गुजरातीमें है। इसके जीवनमें बड़ी घड़ी विचित्र घटनाएँ हुई हैं। सबसे पहले दक्षिण अफ्रिकाके “इंडियन ओपीनियन” पत्रमें यह छपकर प्रकाशित हुई। १९०८ में जब मैं लन्दनसे दक्षिण अफ्रिकाको लौट रहा था तब उस यात्रामें यह पुस्तक भारतके “मारो काटो” वाले सिद्धान्तोंको माननेवाले सम्प्रदाय तथा दक्षिण अफ्रिकामें उसी सम्प्रदायके जो लोग थे उन्हें उत्तर देनेके लिये लिखी गयी थी। लन्दनमें जितने भी प्रसिद्ध भारतीय अराजक थे उनसे मेरी भेंट हो चुकी थी। उनकी वीरताका मैं कायल था। पर मैं यह समझता हूँ कि उनकी वीरताका मार्ग ठीक न था। मैं यह समझता था कि हिन्दुस्तानकी बुराई-योंकी दृष्टा “मारो काटो” का सिद्धान्त नहीं है, और उसकी सम्यताके लिये यह आवश्यक है कि वह आत्म रक्षाके लिये इससे भिन्न और इससे भारी कोई शस्त्र धारण करे। दक्षिण अफ्रिकाका सत्याग्रह अभी शैशवावस्थामें था— शायद उसे जन्मे दो वर्ष भी नहीं हुए थे। पर इस अवस्थामें भी उसकी इतनी प्रगति हो

चुका थी कि उसके सम्बन्धमें कुछ विश्वासके साथ लिख सकता था। इस लेख मालाको लोगोंने इतना पसन्द किया कि यह पुस्तकाकार छप गयी। हिन्दुस्थानमें भी इसकी कुछ कदर हुई। बम्बईकी सरकारने इसका प्रचार रोक दिया। मैंने इसका अनुवाद छापकर सरकारकी कार्रवाईका जवाब दिया। मैंने यह सोचा कि मेरे अंग्रेज मित्र भां जान जायं कि इस पुस्तकमें क्या लिखा है। मेरी रायमें यह ऐसी पुस्तक है कि एक बच्चेके हाथमें भी दी जा सकती है। यह पुस्तक तिरस्कारके बदले प्रेमधर्मकी शिक्षा देती है। यह "मारो काटो"का सिद्धान्त हटाकर आत्म त्यागका सिद्धान्त स्थापित करती है। इसके कई सस्करण हो चुके हैं (हिन्दी अनुवाद भी हुआ है। अ०) और मैं चाहता हू कि जो लोग इसे पढ़ना चाहें वे अवश्य पढ़ें। उसमें जो कुछ लिखा है सब ठीक है, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, केवल एक शब्द एक खी मित्रकी खातिरके लिये वापिस लेना है। भारतमें इस पुस्तकका जो सस्करण छपा है उसकी प्रस्तावनामें मैंने इस परिवर्तनका कारण बतला दिया है।

यह पुस्तक 'आधुनिक सभ्यताका बड़ा कठोर पण्डन है। यह १९०८ में लिखी गयी। उस समय जो कुछ लिखा उस पर आज पहलेसे भी अधिक विश्वास है। मेरी यह धारणा है कि यदि हिन्दुस्थान 'आधुनिक सभ्यता' को परित्याग कर देगा तो उससे उसका लाभ ही होगा।

परन्तु पाठकोंको मैं इस बातसे भी सावधान कर देना चाहता

हूँ कि इस समय जिस स्वराज्यके लिये मैं आन्दोलन कर रहा हूँ वह वह स्वराज्य नहीं है जो इस पुस्तकमें दिग्दर्शित हुआ है। मैं जानता हूँ, हिन्दुस्तान अभी उस स्वराज्यके लिये तैयार नहीं है। ऐसा कहना वृष्टता मालूम हो सकती है। पर मेरी यही धारणा है। मैं स्वयं व्यक्तिशः उस पुस्तकमें चित्रित आत्म राज्य पानेका प्रयत्न कर रहा हूँ। परन्तु आज मेरा जो नहयोगयुक्त उद्योग हो रहा है वह भारतीय जनताकी इच्छाके अनुरूप पार्लिमेंटयुक्त स्वराज्यके लिये है। मैं रेलवे या अस्पतालोंका नाश करनेका उद्योग नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि इनके स्वाभाविक नाशसे मुझे निःसंशय सन्तोष लाभ होगा। श्रेष्ठ और शुद्ध सभ्यता का लक्षण न रेलवे है न अस्पताल। इनका अच्छेसे अच्छा रूप यदि कुछ हो सकता है तो वह यह है कि ये अनिष्ट हैं पर इनकी भी आवश्यकता हुई है। इनमें से कोई भी राष्ट्रकी नीतिमत्ताका जरा भी सहायक नहीं हैं। मैं अदालतोंका भी सदाके लिये सर्वनाश करनेका प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि मैं यह चाहता हूँ कि "धर्मपुर सर" इनकी यह गति हो। मशोनरी और मिलोंके नाशका उद्योग तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लोग आज जिस सादगी और त्यागके लिये तैयार हैं उससे अधिक सादगी और त्याग इन सब कामोंके लिये आवश्यक है।

उस कार्यक्रममें से इस समय केवल एक ही अंश अर्थात् अहिंसावाला अंश लेकर उसका पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

परन्तु मुझे दुःखके साथ यह कहना पड़ता है कि यह भी उस भावके साथ नहीं हो रहा है जो भाव पुस्तकमें है। यदि उस भावके साथ काम हो तो हिन्दुस्थान एक दिनमें स्वराज्य ले ले। यदि हिन्दुस्थान प्रेमके सिद्धान्तको अपने धर्मका क्रियात्मक अंश बना ले और राजनीतिमें उसे प्रविष्ट करे तो स्वराज्य हिन्दुस्तान पर आकाशसे वरस पड़ेगा। पर मैं जानता हूँ और उससे मुझे क्लेश होता है कि वह बात अभी बहुत दूर है।

मैंने वे सब बातें इस तरह लिखी हैं कि बहुतसे लोग मेरी इस पुस्तकका हवाला देकर वर्तमान आन्दोलनकी यदनाम करने का प्रयत्न करते हैं। मैंने ऐसे लेख देखे हैं जिनमें यह बतलाया गया है कि मैं बड़ा भारी जाल बिछा रहा हूँ, वर्तमान उपप्लवसे लाभ उठाकर कपट पूर्वक मैं अपने ब्याल हिन्दुस्तान पर लाव रहा हूँ, और हिन्दुस्तानको बलि देकर मैं धार्मिक प्रयोग कर रहा हूँ। इन सब बातोंका केवल एक ही जवाब दे सकता हूँ और वह यह है कि सत्याग्रह इतना दुर्बल नहीं है। इसमें कोई बात गूढ या गुप्त नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि "हिन्द स्वराज्य" में वर्णित जीवनकी सम्पूर्ण पद्धतिका ही एक अंश इस समय अमलमें लाया जा रहा है। यदि समस्त पद्धति अमलमें लायी जाय तो उससे भी कोई विपत्ति आने वाली नहीं है। पर मेरे लेखोंसे कुछ वाक्य लेकर, जिनका देशके सामने उपस्थित प्रश्नसे कोई सम्बन्ध नहीं है, लोगोंका बुद्धि भेद करना अनुचित है।

स्वराज्यकी शर्तें

(फरवरी २३, १९२१)

आगामी अक्तूबर माससे पहले ही स्वराज्य प्राप्त कर लेना कुछ कठिन नहीं है यदि कुछ सीधी सादी शर्तें पूरी की जाय । गत सितम्बर मासमें मैंने एक वर्ष कहा था क्योंकि मैं जानता था कि उसकी शर्तें बहुत मामूली हैं और मैं यह अनुभव करता था कि लोग उनका पालन करनेके लिये तैयार हैं । विगत ५ मासके अनुभवसे मेरी यह धारणा और भी दृढ है । मुझे यह पक्का भरोसा है कि देश इस समय स्वराज्यके लिये जैसा तैयार है वैसा पहले कभी न था ।

परन्तु इस बातकी आवश्यकता है कि हम उन शर्तोंको यथासम्भव ठीक ठीक जान लें । एक बड़ी भारी और अनिवार्य शर्त यह है कि हम लोग शान्ति बनाये रखें । हालमें जो दङ्गा-फसाद ऊधम उत्पात और लूट मार हुआ है उससे काम विगड़ता है । ये अनिष्टके लक्षण हैं । इनकी गतिको रोकनेकी सामर्थ्य हममें होनी चाहिये । सरकार द्वारा हो या जनता-द्वारा डर और दहशतके बीचमें प्रजासत्ताकी प्राणप्रतिष्ठा नहीं हो सकती । कुछ बातोंमें सरकारी अत्याचारोंकी अपेक्षा जनता का अत्याचार ही प्रजासत्ताके प्राणकी वृद्धिमें विघातक होता

है। कारण सरकारी अत्याचारोंसे प्रजासत्ताकी प्राणशक्ति बढ़ती है और जनताके अत्याचारोंसे उस प्राणशक्तिका नाश होता है। डायरशाहीने स्वतन्त्रताकी वह उत्कण्ठा उत्पन्न कर दी है जो और किसी बातसे नहीं हुई। पर भीतरी डायरशाही, जिसे बहुजन-समाजका अत्याचार कहना चाहिये, एक ऐसा अल्पजनतन्त्र शासन स्थापित कर देगा कि जो स्वतन्त्रतापूर्वक बात और काम करनेका प्राण ही हर लेगा। इसलिये क्या सरकारके विरुद्ध और क्या आपसमें शान्तियोगकी रक्षा करना ही शीघ्र सफलता लाभ करनेके लिये नितान्त आवश्यक है और चाहे कैसा ही मौका आवे और कितना ही गुस्सा हो शान्तिका पालन करना होगा और इसके लिये हम लोगोंको वैसा प्रबन्ध करना होगा।

दूसरी शर्त यह है कि कांग्रेसको जो जीवन सत्रटना बनी है उसके अनुसार प्रत्येक ग्राममें कांग्रेस कमेटी और उसका निर्वाचकसंघ निर्माण करके कांग्रेसका पूरा संगठन कर लें। कांग्रेसकी नीतिको कार्यान्वित करना बहुत धन और योग्यताका काम है। बड़े भारी स्वार्थत्यागकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी संगठन करने और सबको मिलाकर काम करनेकी योग्यता की है। अभीतक हम लोग इतना भी नहीं कर सके कि हिन्दुस्तानके साढ़े सात लाख गावोंमें जाकर घर घरमें कांग्रेसका सन्देश सुना देते। इस कामके लिये २५० जिलोंमें २५० सखे कार्यकर्त्ताओंके होनेकी जरूरत है जिनकी जिलेमें

प्रतिष्ठा हो और जिन्हें कांग्रेसके कार्यक्रमका भरोसा हो। अपने अपने स्थानमें कांग्रेस कमेटी स्थापित करनेके लिये किसी ग्राम या क्षेत्रको केन्द्रस्थानसे सूचना मिलनेकी राह न देखनी होगी।

कुछ वार्त ऐसी हैं जो सबके कहनेकी हैं। सबसे प्रधान स्वदेशी है। घर घरमें बरखा होना चाहिये और ऐसा करनेसे प्रत्येक ग्राम एक महीनेसे भी कम समयमें अपना सगठन कर सकता और अपना कपडा आप तैयार कर सकता है। इस शान्त क्रान्तिका क्या मतलब है। जरा सोचिये, सोचनेसे मेरे समान सबको यह विश्वास हो जायगा कि स्वदेशीका अर्थ स्वराज्य और स्वधर्म है।

प्रत्येक स्त्री और पुरुष तिलक स्वराज्य फण्डमें कुछ न कुछ—एक पैसा ही सही—दे सकता है। इससे इस आन्दोलनका खर्च कसे चले इस बातको चिन्ता नहीं रहती। प्रत्येक स्त्री पुरुष कमसे कम एक मासके लिये अपने सब भोग विलास आभूषण अलङ्कार, मादक द्रव्यादि छोड सकता है। इससे रुपया तो हमें मिलेगा ही पर बहुतसो विदेशी वस्तुओंका वहिष्कार भी हो जायगा। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति हमारा स्वराज्य हमारे प्रपञ्च और भोगकी वृद्धिमें नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओंको कम करनेमें त्याग है।

हिन्दू मुसलमानोंकी एकताके बिना उसी प्रकार अस्पृश्यताके सापको मार डाले बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अस्पृश्यता भारात्मक विष है जो हिन्दू नमाजकी जीवनी

शक्तिको नष्ट कर रहा है। वर्णाश्रम धर्म श्रेष्ठता और कनिष्ठताका धर्म नहीं है। ईश्वरको माननेवाला कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्यको अपनेसे कनिष्ठ नहीं मान सकता। उसे हरेक मनुष्यको अपने सगे भाईके समान मानना चाहिये। यह प्रत्येक वर्मका मूल सिद्धान्त है।

यदि यह धर्म युद्ध है तो आत्मत्याग ही इसकी सबसे श्रेष्ठ कसौटी है। इस बातका विश्वास दिलानेके लिये किसी दलीलकी जरूरत नहीं है। देवत्वके बिना खिलाफतकी रक्षा हो नहीं सकती, पञ्चायका जलम भर नहीं सकता। देवत्वका अर्थ है, हृदयका परिवर्तन राजनीतिकी भाषामें, दृष्टिकोणका बदलना। यह परिवर्तन एक क्षणमें हो सकता है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान उस परिवर्तनके लिये तैयार है।

इसलिये, अब इन बातोंपर अपना ध्यान लगाइये—

१—शांतियोगका साधन।

२—प्रत्येक ग्राममें कांग्रेस कमिटी स्थापित करना।

३—प्रत्येक घरमें चरखा रखवाना और अपने लिये जितना कपडा चाहिये उतना सब गावके जुलाहेसे बुनवाना।

४—जितना धन सञ्चय (तिलक स्मारक स्वराज्यके लिये) करते बने उतना करना।

५—हिन्दू-मुसलमानकी एकता बढ़ाना और

६—हिन्दू धर्मको अस्पृश्यताकी बलासे छुड़ाना तथा मादक पेय और द्रव्योंका त्यागकर अपनी शुद्धि करना।

इस सीधेसादे कार्यक्रमके लिये हमारे यहा सच्चे, सहृदय, उपयोगी, देशभक्त सेवक हैं ? यदि हैं तो आगामी अक्तूबर माससे पहले ही हिन्दुस्थानमें स्वराज्यकी स्थापना हो जायगी ।

स्वेच्छापूर्वक नियम-पालन

(अक्तूबर २१, १९२१)

एक मित्रने मुझसे कुछ सवाल पूछे । उत्तर सहित उनको नीचे देता हूँ—

सवाल—क्या स्वराज्यमें हमें कुछ कानूनोंकी जरूरत पड़ेगी ?

जवाब—हां, पड़ेगी तो ।

सवाल—तब तो लोगोंको वे कानून मानने भी पड़ेंगे ?

जवाब—जरूर ही, लेकिन उनकी मरजीसे । अगर वे कानून कायदे लोगोंकी सलाहसे बनाने गये होंगे तो वे उन्हें खुशीसे मानने लेंगे । क्या इसमें आपको कोई अचरज मालूम पड़ता है ?

सवाल—जी हा, इसमें मुझे कुछ शक होता है ।

मैंने पूछा—किस तरह ।

जवाब—अपने अनुभवसे ?

में चौंका, और मैंने फिर पूछा —

सवाल—मुझे समझाओ। मैं जरा उलझनमें पड़ गया हूँ।

जवाब—देखिये, नागपुरमें २०,००० मनुष्योंने असहयोगका प्रस्ताव पास किया था। जिन जिन लोगोंने उस प्रस्तावको मजूर किया, उनके लिए तो वह बन्धन-कारक था ही। लेकिन फिर भी क्या उन सब अर्थात् दोसों हजार मनुष्योंने उसका पालन किया है? यहां हाजिर रहनेवाले बकीलोंने बकालत छोड़ी है? वहां मौजूद रहनेवाले विद्यार्थियोंने स्कूल या कालेज छोड़ दिया है? सबने स्वदेशी व्रतका पालन किया है? सभीने चरखा खरीदा है? इन बातोंको भी जाने दीजिए। कार्यकारिणी समितिने जो जो प्रस्ताव पास किये हैं क्या उनका अमल सब जगह हुआ है? जैसा महासभाका हाल है वैसा ही छोटी छोटी सस्थाओंके लोगोंका भी है। हमारी जितनी सस्थाएँ हैं उनमें अपने ही बनाये हुए कायदोंका पालन कितने लोग करते हैं। मुझे सार्वजनिक जीवनका तजरिया है और मैंने देखा है कि अपने ही बनाये हुए कायदोंका पालन हम एतद् बहुत थोड़ा करते हैं। भला जबतक यह कुटेव नहीं छूट जाती तबतक क्या हम स्वराज्यका उपभोग कर सकते हैं। क्या आप यह नहीं मानते कि हमारी इस दु लके समय बनाये हुए नियमोंके पालन करनेकी शक्तिमें ही स्वराज्य है? और आज अगर हममें वह शक्ति नहीं है, तो फिर स्वराज्यके मिल जानेपर भी वह हममें नहीं आ सकती। अर्थात् उस शक्तिके

बिना स्वराज्य असंभव है। फिर, अपने ही बनाये हुए काय-दोषका पालन करना तो बड़ी ही आसान बात है, क्योंकि इसके लिये हमें किसी दूसरेसे जाकर कहनेको जरूरत नहीं रहती। वह बात तो सिर्फ हम हाथ ऊँचा उठाने वालोंपर ही घट सकता है। और मैं भी निर्फ हाथ ऊँचा उठानेवाले महासभावादी असहयोगियोंको ही बात कह रहा हूँ। और जब मैं उनकी स्थितिपर विचार करने लगता हूँ तब व्याकुल हो उठता हूँ और इसी साल स्वराज्य प्राप्त कर लेनेकी बातमें मुझे सन्देह होने लगता है।

इस जवाबके प्रत्युत्तरमें मैंने कहा — हा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें सत्याश जरूर है। हम सब अपने ही बनाये हुए नियमोंका पूरी तरह पालन नहीं करते। फिर भी आपको यह तो कुबूल करना ही पड़ेगा कि बारह महीने पहले हम जितने लापरवाह थे उतने आज नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि नागपुरके प्रस्तावपर लोगोंने अच्छी तरह अमल किया है। जिस बातमें लोग उसका अमल नहीं कर पाये उसके लिये वे अपनी कमजोरी कुबूल करते हैं और सबल बननेकी कोशिश करते हैं।

इस तरह जवाब देकर मैंने प्रश्नकर्ताका कुछ समाधान किया तो, लेकिन खुद मेरा समाधान न हो सका। उनके सवालोंने मुझे गम्भीरता दिखाई दी। मैं विचारमें पड़ गया। उनसे तो मैंने यही कहा कि इस बारेमें मैं 'नवजीवन' में लिखूँगा, लेकिन उस मित्रके प्रश्नोंका असर यह टिप्पणी लिखते

समय मुझपर बहुत ज्यादा हुआ है। यद्यपि मैं समझता हूँ कि मैंने लोगोंकी तरफसे जो कालत की वह वाजिब थी, तो भी मुझे यह तो दिखाई दे सकता है कि जिन नियमों और कायदोंको सुदृ हमी बनाते हैं उनको अमलमें लानेकी शक्ति तो हममें बहुत ज्यादा होनी चाहिए। 'नहीं रुख तह रेड़ प्रधान' वाली कहावतके अनुसार हम सतोष नहीं मान सकते। हम तो स्वराज्यकी कसौटीपर कसे जा रहे हैं, उसमें हम चौकस नहीं उतर रहे हैं। हमारे सोनेमें जरूरतसे ज्यादा मिलावट है। सोनेके कसको तो परख'या ही परख सकता है। और हमें तो उस कसौटीपर स्वराज्यके लायक सिद्ध होना है। इस लिये जबतक हम उतने टच न उतरेंगे तबतक हम स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्ति ही किस तरह प्राप्त कर सकते हैं ? प्रश्नकर्ताकी यह दलील भी वाजिब है कि हम महासभाके सेवकोंको तो बिना दिक्कतके ही पूरे सौ टच उतरना चाहिए। यह बात तो खत सिद्ध है कि हम सब कार्य कारिणी समिति या प्रान्तिक समितिके पास किये हुए प्रस्तावोंका अमल यन्त्र या मशीनकी तरह नियमित होकर नहीं करते।

इस लापरवाहीका एक कारण भी है। वह यह कि आज तक हमने बिना विचारे हाथ ऊंचे किये हैं, डर या शर्म अथवा लालचसे हाथ ऊंचे उठाये हैं। लेकिन खतन्वता चाहनेवालोंको ऐसी बातें शोभा नहीं देतीं। ऐसा मनुष्य तो अपने नापसन्द प्रस्तावके खिलाफ, अकेला होनेपर भी हाथ

ऊँचा उठाता है और स्वतन्त्र तन्त्रमें दूसरे लोग उसे धन्यवाद देकर आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिये हमें जो प्रस्ताव मंजूर न हो उसके खिलाफ चाहे हम अपनी आवाज भले ही उठावें, भले ही उसपर वादविवाद करें, और जब उसमें 'नवनीत' दिखाई दे तभी उसे मंजूर करें। लेकिन एक बार स्वीकार कर लेनेपर तो हमें मन, वचन और कायासं उस पर दृढ़ रहना ही चाहिए। इस तरहके आदमी अगर हमें फी हजार एक भी मिल जायँ तो हम जरूर ही स्वराज्य स्थापित करनेमें समर्थ हो सकते हैं। इस हिसाबसे हमें सारे हिन्दुस्तानमें तीन लाख आदमियोंकी जरूरत है। और वे ऐसे हों कि जो महासभाके ठहरावोंका खुद पूरी तरह अमल करके दूसरोंसे भी उनके पालन करानेका प्रयत्न करें। हा, इस श्रेणीके आदमी हों तो बहुत गये हैं, लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे तीन लाख तो किसी हालतमें नहीं हैं।

हा, आजतक तो हम सरकारसे ही आशा रखते आये थे। हमारे प्रस्ताव उसके लिये होते थे, इसलिये उन प्रस्तावोंके पास कर देनेपर हमारे लिये करनेका काम बहुत कम रह जाता था। लेकिन गये धारह महीनोंमें हमने एक ही उद्योग किया है, और यह यह कि खुद हमी कुछ काम करें।

अब भी वक्त चला नहीं गया है। अगर हम खूब मिहनत करें और जो जो प्रस्ताव पास हुए हैं उनका अमल करते चले जायँ तो मैं मानता हूँ कि हम बहुत कुछ आगे बढ़ जायँगे।

हमारा बहुतसा काम तो विचार, कार्य दक्षता और उद्यमके अभावसे रह जाता है। आलसको छोड़ना, कार्यशक्तिको बढ़ाना और विचारमय बनना तो हमारा एक आवश्यक कर्तव्य है। ये गुण तो प्रत्येक स्वराज्य-वादीमें होना ही चाहिए।

— ० —

पुरानी बात

(मार्च १६, १९२१)

जब कोई बड़ा आन्दोलन आरम्भ किया जाता है जो उसके सम्बन्धमें हर तरहकी बातें उठने लगती हैं। पता लगा है कि लाहोरके किसी समाचार पत्रमें छपा था कि मैंने नवजीवनमें लिखा है कि एक वर्षमें स्वराज्य नहीं मिल सकता क्योंकि जनताने मिस्टर शास्त्री तथा मि० पराज्जपेका घोर अपमान किया। मैंने नवजीवनके पुराने अङ्कोंको पढ़ा उसमें मुझे ऐसी कोई बात नजर आई नहीं थी। “स्वराज्यके मार्गमें बाधाएँ” शीर्षक देकर मैंने चम्पईकी सभामें जनताके व्यवहारकी पूर्ण निन्दा की है और कहा है कि इस तरहके व्यवहारसे उन्नतिकी गति उल्टी हो सकती है। उसी लेखमें मैंने यह भी कहा है कि यदि हम लोग इन तरहका हो हुला न मचायें तो स्वराज्य प्राप्त करने में हमें एक वर्ष भी न लगे। मुझे पूरी आशा है कि जनता मेरे ही विश्वासपर निर्भर न करके अपना भी कुछ मत स्थिर करेगी।

यदि मैं आज अपना पूरा विश्वास भारतमें चरितार्थ कर सकूँ तो कल ही भारतको स्वराज्य मिल जाय क्योंकि ३३ करोड़ गर नारियोंके एक मतकी कहीं भी अवहेलना नहीं हो सकती ।

उस दिन सर विलियम विंसेण्टने व्यंगस्थापक सभामें यह बात कही थी कि भारतको औपनिवेशिक स्वराज्य भी नहीं मिल सकना क्योंकि उस दशामें सम्भावना है कि विदेशी शक्तिया उसपर आक्रमण कर बैठें और यदि इसकी सम्भावना नहीं हो तो अन्तः कलहसे ही कहीं वह अपना नाश न कर डाले । यदि सर विलियमकी ये बातें सच हैं तो ब्रिटिश शासनके लिये इससे हीनताकी दूसरी बात हो ही नहीं सकती । इससे पहलेही मैंने अनेक बार लिखा है कि मुझे बाहरी आक्रमण या अन्तः कलहका भय नहीं करना चाहिये । ब्रिटिश शासनने हमें नपुंसक बना दिया है । हथियार छीन लेनेसे साग्रामिक शक्तिका हास हो हो गया, भेदनीतिके कारण हिन्दू मुसलमानोंमें वैमनस्य भी सफल रहा । पर इस समय दोनों पर एक ही तरहको विपत्ति का पहाड गिरा है और इनसे हममें मेल हो गया है । यदि हम लोग विदेशी बल पहनना छोड देते हैं और विदेशियोंके साथ उन्हीं वस्तुओंका व्यापारिक सम्बन्ध रखना चाहते हैं जिसे हम पसन्द करते हैं तो इसके लिये हमें कि भी बाहरी आक्रमणका भय नहीं खाना चाहिये । दक्षिण अफ्रीकाके पास साधारण सेना थी; नौ सेनाका सर्वथा अभाव था । हा, यह माननीय है कि प्रत्येक घोबर लड सकता था । पर उस साग्रामिक गुणकी बदौ ग्त दक्षिण

अफ्रीकाकी सफेद जातिया एक राष्ट्रमें नहीं बंध गई है। एकताके भाव तथा देशके लिये प्राण गंवानेकी योग्यताने उन्हें एक किया है। एकताका भाव हम लोगोंमें भी बढ़ता जा रहा है और उसीके साथ धीरे धीरे देशपर प्राण निछावर करनेकी योग्यता भी प्राप्त हो जायगी। इसकी शिक्षा न तो स्कूलोंमें मिल सकती है और न सभा भवनोंमें। मेरी समझमें इस बातकी योग्यता भारतमें बड़ी शीघ्रताके साथ आ रही है। मुझे पूरी आशा है कि हममें शीघ्रही यह योग्यता आजायगी, जिसके द्वारा हम लोग इसी सालके भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे। हमें अराजकताकी सम्भावनासे नहीं डर जाना चाहिये। बम्बईमें पठानोंके उपद्रव होते हुए भी, नानकानामें मुहन्तोंको शैतानी लीलाके होते हुए भी हम लोग शान्त और निर्दोष हैं। और जब सिक्ख, गुरखे राजपूत, और पठान एक हो जायगे उस समय हममें लड़नेकी भी योग्यता आ जायगी और जो लोग बिना किसी कारण हमारे ऊपर धावा मारेंगे या आक्रमण करेंगे हम उन्हें पूरी तरहसे दण्ड दे सकेंगे। हमारे शासकोंने अपने जहरीले प्रभावसे हममें यह भाव भरना चाहा है कि हममें योग्यता नहीं है और यही कारण है कि आज शासनके प्रति हममें घृणाके भाव भर गये हैं, जिसका प्रचार उन्होंने बलात् किया है। अपनी लाचारीके इसी विश्वासके कारण हमारी उन्नतिकी गति मन्द पड़ गई है। आश्चर्य तो इस बातका है कि हम आज भी शासनके

दास घने हैं। यदि आज हम स्वतन्त्र हो जाय तो यह हमारे लिये परम स्वाभाविक होगा।

कठिनाइयोंकी भरमार

(दिसम्बर १५, १९२१)

बिहारसे एक सवादवाताने लिखा है—

“देशको उन्नतिके लिये काम करनेका मुझमें अतिशय उत्साह था। मैंने असहयोग आन्दोलनमें इसलिये योगदान किया कि मेरा पक्का विश्वास था कि प्रत्येक मुसलमानके लिये यह नितान्त आवश्यक है। मुझे कभी भी आशा नहीं थी कि भारतका उद्धार असहयोगकेद्वारा हो सकता है और न मुझे आज भी यह विश्वास है। मुझे सदा यही विश्वास था कि ब्रिटिश भारतके साथ इस तरह असहयोगकर हम अपने सबसे बड़े स्वार्थको धक्का पहुँचा रहे हैं। इससे मेरा यह भाव नहीं था कि असहयोगमें उस बातकी क्षमता नहीं है बल्कि मैं देख रहा था कि हमारे देशवासी उसे पूरी तरह अपना नहीं सकेंगे। मुझे बार बार इस बातके उदाहरण मिले हैं कि आपके सहकारी अपने नामकी जितनी परवा करते हैं कामकी उतनी परवा नहीं करते। देशका चारित्रिक पतन इतना अधिक हो गया है कि मुझे लेशमात्रभी आशा नहीं है कि लोग पूरा शांति

तथा अहिंसाके साथ इस आन्दोलनको चला सकेंगे। आपसा समझदार नेताभी यदि इन बातोंकी ओरसे आंखें बन्द कर लेता है तो क्या यह आश्चर्य और खेदकी बात नहीं है ?

मैंने इस प्रश्नपर अतिदीर्घ कालतक विचार किया है कि हम लोग स्वराज्यके लिये इतने आतुर क्यों हो रहे हैं। यदि स्वराज्य हमारी पहुंचके भीतर हो तो सुस्ती करना पाप है। पर असफलताके इस तरहके उदाहरणोंके देखते हुए भी आप स्वराज्यकी बुनियाद चन्द महीनों पर क्यों रखते हैं। यदि इसके द्वारा आप करोड़ों भारतीयोंको केवल जगाना चाहते हैं तोभी 'यह ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि उसका परिणाम प्रत्यक्ष है। व्यर्थकी आशामें फस जाना जनताको और भी उत्तेजित करना है।

भारत तथा भारतीयोंके लाभकी दृष्टि से मैं आपसे विनीत प्रार्थना करूंगा कि आप रुक जाइये। पहले जनताको तैयार कर लीजिये तब आगे बढ़िये। सेनाको सुसज्जित और सुसंगठित किये बिनाहो हम लोगोंने सपना छोड़ दिया है। इस बार हार मानकर आगे सुसज्जित होनेकी तयारी करना उचित है न कि खराब अवस्थामें रहकर रक्षा करते रहना। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वरके घरमें पूरा न्याय है और इस्लाम धर्मकी यह शिक्षा है कि काम करनेके पहले योग्यता प्राप्त कर लो। इस्लाम धर्मके पाच नद्वोंमें मक्काकी यात्रा भी एक है। पर यह खिलवाड़ नहीं है। देशोद्धारका कार्य परम कर्तव्य है। परन्तु योग्यताके बाहर काम करना क्रूरता नहीं है। मेरी समझमें यह जल्दीबाजी

हमारे अनेक बुराइयोंका कारण है। मैं चाहता हूँ कि यद्दु इ-
 ंडियामें आप इस विषयमें अपना मत प्रकाशित करें।”

इस पत्रका लेखक बिहारका प्रसिद्ध नेता है। उनकी इमा-
 नदारीमें कोई अन्देशा नहीं है। इसलिये मैं उनके पत्रका
 उत्तर यद्दु इण्डियामें ही देना उचित समझता हूँ। यद्यपि अस
 हयोगकी योजना पहले पहल खिलाफतके लियेही की गई पर उस
 समय न तो मैं और न मेरे साथियोंनेही यह सोचा था कि इस-
 के लिये देशको अपना स्वार्थ बनाना पड़ेगा। इसके प्रतिकूल
 लोगोंका यही विश्वास था कि यदि इसके द्वारा हम लोग भारत-
 के मुसलमानोंकी खिलाफत सम्बन्धी मार्गोंको पूरा करा सके तो
 हम लोग इसके साथही पञ्जाबके अत्याचार तथा स्वराज्यके प्रश्न-
 को भी हल कर सकेंगे। प्रारम्भ से ही अहिंसा इस असहयोग
 का प्रथम अंग माना गया है और यदि अहिंसा असफल हुआ
 तो असहयोगका भी नाश हो जायगा। असहयोगकी प्रगतिने
 अहिंसात्मक भावका पर्याप्त उदाहरण दिया है। बम्बईकी घट-
 नायें देशकी अवस्थाका पूर्ण द्योतक नहीं हो सकतीं। एक वर्ष
 पहले क्या यह कभी भी सम्भव था कि विविध प्रान्तोंके चुने नेता
 इस तरह गिरफ्तार कर लिये जाते और जनता शांति भङ्ग न
 करती। यह सोचना कि मशीन गनोंकी बदौलत ऐसा हुआ है
 और भी मूर्खता पूर्ण है। इस बातको मैं अस्वीकार नहीं करता
 कि मशीन गनोंका प्रभाव नहीं पडा है। पर जो लोग भारतकी
 असली दशासे विद्य है वे भली भाँति देख सकते हैं

कि इस समय भारतमें हजारों आदमी ऐसे हैं जिनपर मशीन गनोंका कोई प्रभाव नहीं पड सकता। मैं इस बातकोभी नहीं खोकार कर सकता कि देशका पतन हो रहा है। इसके प्रतिकूल इस आन्दोलनके द्वारा हजारों आदमियोंकी अवस्थामे जो परिवर्तन हुआ है उसका प्रमाण प्रत्येक गावमें मिल सकता है। अभी हालमेंही एक प्रसिद्ध मुसलमानने मुझसे कहा है कि भविष्य सन्तति आलसी और विलासी न होकर धार्मिक, सादी और मिहनती हो रही है।

हमलोग स्वराज्यके लिये वास्तवमें उतावले हो रहे हैं। पर इसमें आश्चर्यकी क्या बात है। जब कि भोपलोंको एक वैगनमें ठूसकर उन्हें जानसे मार दिया गया तो क्या वे जल्दीवाजीमें थे और क्या विदेशी शासनका यह गला घोटकर मारना उससे भी बुरा नहीं है? आश्चर्य तो इस बातसे है कि इतने दिनोंतक परतन्त्रताकी वायु द्वारा घुटते रहने पर भी हमने स्वतन्त्रताकी वायुकी आवश्यकता नहीं समझी। पर सच्ची अवस्थाका ज्ञान मिल जानेपर क्या यह उचित नहीं है कि हम स्वतन्त्रताकी हवाके लिये शोर गुल मचावें? मैंने जो समयको अवधि लगाई है बसके लिये किसी तरहका दोषारोपण मैं खोकार नहीं कर सकता। इतना मानते हुए कि यदि जनताने शते पुरी की तो बारह महीनेके भीतर स्वराज्य मिल सकता है। यदि मैं इसकी घोषणा न करूँ तो मैं भूल करता हूँ। अबभी मैं उसी दृढ़ताके साथ कह रहा हूँ कि हमलोगोंने ब्रह्मि साका पूर्ण पालन किया तो

निश्चित समयके भीतरही हमें स्वराज्य मिल जायगा यद्यपि उसके रूपके लिये हमें कुछ दिन और ठहरना पड़े। भारतीयोंको उत्तेजित करनेके लिये समयकी घोषणा नहीं की गई है बल्कि इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय कांग्रेसमैन तथा महिलायें इस कर्तव्यको अच्छी तरह समझलें और अपना ध्यान उसी ओर आकृष्ट करें। अवधिके बिना न तो हमलोग एक करोड़ रुपयेका चन्दा ही फर सके होते, न तो इतनी सख्यामें चरणोंका प्रचार ही किये होते, न इतना सुन्दर और इस परिणाममें खादी ही धार किया होता और गरीबोंमें इतने रुपये ही बाटा होता। प्रत्येक प्रान्त से अगणित व्यक्ति जेलके लिये तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं। इसे बुरी अवस्था नहीं कह सकते। जिस समय भीषण दशा आरम्भ होगी उस समयभी मुझे पूरी आशा है लोग इसी तरहकी दृढता दिखलावेंगे।



स्वतन्त्रताकी पुकार

मौलाना हसरत मोहानीने महासभामें तथा समापतिकी हैसियतसे मुसलिम लोगमें बड़ी हिम्मतके साथ आजादीके लिये लड़ाई ठानी, लेकिन दोनों बार उन्होंने घटे मजेमें मुंहकी खाई। मौलाना साहब क्या चाहते थे। इसके विषयमें किसोका ख्याल गलत नहीं हो सकता। बराबरकी और जिम्मेदारकी हैसियतसे भी तथा खिलाफतका निपटारा अच्छी तरह हो जानेपर भी वे अंग्रेज लोगोंके साथ किसी किस्मका ताल्लुक रखना नहीं चाहते। यह कहना ठीक नहीं होगा कि कामिल आजादीके बिना खिलाफतके मस-लेका निपटारा कभी हो ही नहीं सकता। हम यहा सिद्धान्तकी चर्चा कर रहे हैं। यदि कामिल आजादीके बिना खिलाफतका सवाल हल नहीं हो सकता। यथार्थ यदि अंग्रेज लोग मुसलमानी दुनियाकी उच्च आकाक्षाओंके प्रति विरोध भाव ही रखते रहें तो हमारे लिये पूर्ण स्वतन्त्रताका आग्रह किये बिना दूसरा उपाय ही नहीं है। यदि मुसलमानी दुनियाके साथ बरतानियाका दोस्ताना ताल्लुक करानेमें सफलता भी नहीं दे सकना और खुद उसे भी बरतानियाकी नैतिक और मौक्तिक सहायता भी नहीं दे सकता और खुद उसे भी बरत-

नियाकी नैतिक और भौतिक सहायताके बिना अपना काम चलाना होगा।

परन्तु फर्ज कीजिये कि प्रोट प्रिटेनने अपने रूपको बदल दिया जैसा कि मैं जानता हूँ वह हिन्दुस्तानको चलवान पाकर बदलेगी तब भी पूरी आजादीके लिये जोर देते रहना धार्मिक दृष्टिसे नाजायज होगा, क्योंकि वह प्रतिहिंसा और शक होगी। ऐसा करना खुदाको न मानना होगा, क्योंकि उस अवस्थामें उनसे किनाराकशी करनेका आधार इस ख्याल पर होगा कि अंग्रेज लोग मनुष्यके भेद भावको पहचानने और उसे अपनानेकी क्षमता नहीं रखते। ऐसी स्थितिको न तो श्रद्धावान हिन्दू ही और न श्रद्धावान मुसलमान ही कुबूल कर सकता है। भारतवर्षकी कीर्ति इस घातमें नहीं है कि वह अंग्रेज भाइयोंको अपने खूनका प्यासा दुश्मन माने, जिसे कि मौका मिलते ही सबसे पहले हिन्दुस्तानसे निकाल बाहर कर दे, बल्कि इस घातमें है कि उन्हें उस साम्राज्य पदसे हटा कर, जिसकी भित्ति पृथ्वीके कमजोर अनुन्नत राष्ट्रों तथा जातियोंको आर्थिक लूटपर और इसलिये आखिरकार पशुखल पर है, एक ऐसे साधारण तन्त्रमें बदल दे जिसमें वे और हम मित्रकी और हिस्सेदारकी हैसियतसे रहें।

जरा हम इस घातपर विचार करें कि ऐसे स्वराज्यका, जिसमें अंग्रेजोंके साथ सन्ध रहे, अर्थ क्या है? इसका निस्सन्देह यही अर्थ है कि भारत यदि चाहे तो स्वतन्त्रताकी

स्वराज्य कहाँ है

(ता० २२, जनवरी ०६२२)

भगवान् जाने क्या हुआ, जबसे लालाजी, दास, नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद गिरफ्तार हुए, तबसे लोगोंने मुझ से यह पूछना ही बन्द कर दिया कि स्वराज्य कहाँ है? मेरे मनमें जो चिन्ता रहा करती थी वह दूनी हो गया और मैं तो यही समझता हूँ कि अब मुझसे कोई पूछनेवाला रहा ही नहीं। लोगोंने तो मुझे तारतक भेज दिये कि अब 'स्वराज्य प्राप्तिके लिये बधाई है।' महाशय पाल स्थिराने यहा आकर २१ दिसम्बरको व्याख्यान दिया कि नवीन युग तो आरम्भ हो गया है। पियर्सन साहबने शान्तिनिकेतन पत्र भेजा कि 'मैं तो पांच वर्ष बाद आकर क्या देखता हूँ कि भारत तो स्वतन्त्र हो गया है।'

स्वराज्य तो मनोदशा है। जब इस मनोदशाकी प्रतिष्ठा हमारे हृदयमें होगी तभी उसकी प्रतिमा स्थापित होगी। पर जबसे हमारी मनोदशा बदल गई, वस, तभीसे स्वराज्य तो मिलही चुका है।

मैं समझीतेके एक भी अवसरकबे खोनेवाला आदमी नहीं हूँ, पर हिन्दुस्तानकी शक्तिको मैं पहचान चुका हूँ। इसलिये

समझौता करते हुए डरता हूँ। पूरे पूरे संस्कार होनेके पहिले ही यदि समझौता हो जाय तो फिर हमारी कैसी गित हो ? नव मास गभमें रहनेके पहले ही पैदा होकर थोड़े ही दिनोंमें मर जानेवाले बालककी तरह हालत हो सकती है। पुर्तगालमें थोड़े ही समयमें विप्लव हुआ तथा राज्यक्रांति हो गई। इससे अब बड़ा विप्लव ही विप्लव हुआ करते हैं। किसी भी राज्यप्रणालीकी जड़ बड़ा जमाने ही नहीं पाती। तुर्किस्तानमें जब १९०६ में अचानक राज्यक्रान्ति हुई तब सब लोगोंने उसे बधाइया दीं पर वह तो चार दिनोंकी चादनी होकर रह गई। वह परिवर्तन ख़रबत् हो गया। उसके बाद तो तुर्किस्तानको बहुत दुख उठाना पडा है और कौन कह सकता है, उस बहादुर राष्ट्रको अभी और कितना सड्डूट उठाना पड़ेगा ?

इन घटनाओंको देखते हुए मैं कई बार असमजसमें पड जाता हूँ और समझ नहीं पडता कि कौनसी बात ठीक है। इस समय तो अवश्य ही मेरा कलेजा काप रहा है। यदि समझौता हो जाय तो फिर हम कहा जायगे ?

अभी लोगोंकी समझमें यह बात साफ साफ नहीं आ रही है कि स्वराज्य प्राप्ति तो ऐसे यन्त्रके द्वारा हो सकती है जिसे एक अपढ़, कुपढ देहातका बढई भी बना सकता है और जिसे एक अधोध कुमार कुमारिका आसानीके साथ चला सकते हैं। ऐसा होते हुए भी मुझे दिन पर दिन यह, विश्वास होता

जाता है कि उसी यन्त्रके बदौलत स्वराज्य प्राप्त होगा, उसके बिना हरगिज नहीं।

अभी हमें इस बातका यकीन कहा हुआ है कि सच्ची सार्वजनिक शिक्षा अक्षर ज्ञानमें नहीं, बल्कि शोलमें और शारीरिक परिश्रममें है। हिन्दुस्नानके मा बापके दिलसे अभी अक्षर ज्ञानका मोह दूर नहीं हुआ है। वे अभी अक्षरज्ञानके स्थानको नहीं पहचान पाये हैं। वे अभी इस बातको खोकार नहीं करते कि बालकोंको पहिले नौतिकी शिक्षा देनी चाहिये, फिर उनके शरीरको मजबूत बनाना चाहिये और आजीविकाके साधनके तौर पर कुठ उद्योग धन्धा या कला सिखाना चाहिये और इसके बाद उनको मनः शक्तिका विकास करना चाहिये और अलङ्कारके तौर पर उन्हें अक्षर ज्ञानसे आभूषित करना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि अभी बहुतसे मा बाप सरकारी स्कूलोंसे अपने लडकोंको उठा लेनेके लिए तैयार नहीं हैं। अभी भारतके समस्त मा बाप अपने लडकोंको उन राष्ट्रीय पाठशालाओंमें भेजनेके लिए, जहां विद्यार्थियोंको मनोदशाका सुधार होता है, अथवा उनमें मिलने वाली स्वतन्त्रताकी तालीमकी महिमा जाननेके लिए तैयार नहीं हैं।

घकोलोंका तो पूटना ही क्या? अदालतोंका मोह उनसे अभी कश छूटा है? घमें ही अपने लड़ाई-भङ्गडोंका निपटारा हम कहा काने लगे हैं? अभी हमने यह कहा जाना है कि न्याय महंगा न होना चाहिए। अभी तो बड़े धर्मस्वप्न रूप माने जाने

थाले साम्प्रदायिक नेता धार्मिक ऋग्दण्डोंका फैसला प्रिया कौंसिल-में करानेकी आशा रखते हैं। घकीलोके दिलसे घडी घडी फीस पे'ठनेका मोह अभी दूर नहीं हुआ है। इससे न्याय अभी सोने और अशर्कियोंसे तौला जाता। ऐसी अवस्थामें यदि आज सुलह हो जाय तो अदालतोंमें प्राण संचार करना बाकी ही रह जाय और सुलह हो जानेके बाद तो कौन किसकी बात पूछने लगा? अदालतोंका हाल जो आज है वही आगे भी रह जायगा। तो फिर यह राम राज्य कहा रहा? राम-राज्यमें न्यायकी बिक्री नहीं हो सकती।

क्या हिन्दुओं और मुसलमानोंमें अभी पूरी एकता हो गई है? एक दूसरेके दिलका शक दूर हो गया है? एक दूसरेके देश विषयक आदर्श भी एक हो गये हैं? दोनोंको मित्रता करनेकी आवश्यकता मालूम होती है; पर दोनोंके दिल अभी एक नहीं हुए। हा, होते जरूर जा रहे हैं। समझौता हो जाने पर यह क्रिया बन्द हो सकती है। अतएव जहातक दोनोंमें एकता उपस्थित नहीं हो गई है तहातक स्वराज्यकी बातमें कुछ दम नहीं। एक बचन है कि जयतक आत्मतत्त्वको नहीं चीन्हा तयतक सब साधनार्थे व्यर्थ हैं।" यह स्वराज्य पर सर्वांशमें चरितार्थ होता है। आत्माकी जगह स्वराज्य शब्द रख दीजिये, वस अर्थ ठीक ठीक व्यक्त हो जायगा। अभी हमें स्वराज्यका तत्व जानना बाकी है। हिन्दू मुसलमानकी मित्रताका अर्थ यदि पारसी, ईसाई और यहूदोंकी दुश्मनी हो तो वह सारे ससारके लिए नाश कारिणी

हो जाय। इसलिए जहातक हम हिन्दू मुसलमानकी मित्रताका अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ पाये हैं तहातक समझौतेकी इच्छा करना ही भूल कही जा सकती है।

और इस साधनाको श्रौपधि है शान्ति। उसे अभी हमने कहाँ प्राप्त किया है? अभी हम यह कहा मजूर करते हैं कि असहयोग शान्तिमय है और वह हमारे बलका सूत्रक है? हम तो शान्तिको दुर्बलका शस्त्र समझकर इस शस्त्रकी महिमाको पहचानते ही नहीं और उसे लज्जित कर रहे हैं। यह तो अशर्फी-को घेला समझकर चलानेके बराबर मूर्खता है। शान्ति बलिष्ठ-का शस्त्र है और उसीके हाथमें इसकी शोभा होती है। शान्तिका अर्थ है क्षमा और क्षमा वीरका भूषण है। जिस मनुष्यके पास खानेके लिए कुछ न हो वह यदि भोजन न करे तो उसे कहीं उपवासका पुण्य मिल सकता है? जिसे मारनेकी शक्ति नहीं है वह यदि किसीको न मारता हो तो कोई पुण्य नही करता। मजबूरीसे जो काम करना पडता है उससे पुण्य मिल ही नहीं सकता। बारडोली और आणदके जो योद्धा संग्रामकी तैयारी कर रहे हैं वे जब एक भी पारसी, एक भी अंगरेज और एक भी सहयोगी भाईको न सतावें, उनके प्रति घैर-भाव न रखें, नव वे 'शान्तिके युद्धकी सेनाके योग्य हुए' कहे जा सकते हैं। जो काम करते हैं वे पर भी द्रोही हो रहे हैं,

को तृपातुरकी तरह पकड़क हो कर देखा रहा है। जबतक हिन्दुस्तान शान्तिका उपयोग चलवानुके शत्रुको तरह करना न सीखेगा तबतक सुलहको अस्पृश्य समझ कर उससे सौ फीस दूर रहना चाहिए।

और हिन्दू पाठकोंसे मैं क्या कहूँ? हिन्दू लोग जबतक भङ्गी-चमारोंको अपने सगे भाईकी तरह न मानेंगे तबतक, मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ, कि वे हिन्दू ही नहीं हैं। और यह बात मैं अपनेको एक कट्टर हिन्दू समझ कर कहता हूँ। जिस दिन हिन्दू भङ्गी चमारोंसे प्रेमके साथ गले मिलेंगे उस दिन आकाशसे सुमन वृष्टि होगी और उसी दिन सच्ची गो रक्षा होगी। मनुष्यका तिरस्कार और दया ये बातें एक साथ रहती ही नहीं। भङ्गी चमारोंके दूषणोंको हम प्रेमके बल पर जीत सकते हैं। अध्यापक ध्रुवके शब्द मेरे कानोंमें हमेशा गूँजते रहते हैं। हमारे हृदयमे जो भङ्गी-चमार भरे हुए हैं वे हमारे शत्रु हैं और वे अस्पृश्य हैं। जिन देह धारियोंको अस्पृश्य माननेका पाप हम कमा रहे हैं वे तो हमारे प्रिय जन हैं। उनके स्पर्शसे, उनकी सेवासे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा। जब कोई वैष्णव किसी भङ्गी चमारके सापके काटे जहरको चूसकर बिना खान किये अपनी कोठीमें जायगा तब वह कोठी पवित्र मानी जायगी। यह तो मानों कृष्णके घर सुदामा या विदुर पहुंच गये। जबतक छुआछूत रूपी अश्वत्थको हम जड़मूल से न उखाड़ डालेंगे या अध्यापक ध्रुवकी तरह अस्पृश्यताका

हो जाय। इसलिए जहातक हम हिन्दू मुसलमानकी मित्रताका अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ पाये हैं तहांतक समझौतेकी इच्छा करना ही भूल कही जा सकता है।

और इस साधनाकी शीपधि है शान्ति। उसे अभी हमने कहा प्राप्त किया है? अभी हम यह कहा मजूर करते हैं कि असहयोग शान्तिमय है और वह हमारे बलका सूचक है? हम तो शान्तिको दुर्बलका शस्त्र समझकर इस शस्त्रकी महिमाको पहचानते ही नहीं और उसे लज्जित कर रहे हैं। यह तो अशर्फीको धेला समझकर चलानेके बराबर मूर्खता है। शान्ति बलिष्ठका शस्त्र है और उसीके हाथमें उसकी शोभा होती है। शान्तिका अर्थ है क्षमा और क्षमा वीरका भूषण है। जिस मनुष्यके पास खानेके लिए कुछ न हो वह यदि भोजन न करे तो उसे कहीं उपवासका पुण्य मिल सकता है? जिसे मारनेकी शक्ति नहीं है वह यदि किसीको न मारता हो तो कोई पुण्य नहीं करता। मजबूरीसे जो काम करना पडता है उससे पुण्य मिल ही नहीं सकता। बारडोली और आणदके जो योद्धा संग्रामकी तैयारी कर रहे हैं वे जब एक भी पारसी, एक भी अगरेज और एक भी सहयोगी भाईको न सतावें, उनके प्रति बैर-भाव न रखें, जब वे 'शान्तिके युद्धकी सेनाके योग्य हुए' कहे जा सकते हैं। जो लोग शान्तिके नाम पर अशान्तिके काम करते हैं वे देशद्रोही तो हई हैं पर सारे ससारके भी द्रोही हो रहे हैं, क्योंकि ससार आज हमारे शान्ति शस्त्रके उपयोग-

को तृपातुरकी तरह एकटक हो कर देख रहा है। जबतक हिन्दुस्तान शान्तिका उपयोग बलवान्के शास्त्रको तरह करना न सीखेगा तबतक सुलहको अस्पृश्य समझ कर उससे सौ कोस दूर रहना चाहिए।

और हिन्दू पाठकोंसे मैं क्या कहूँ ? हिन्दू लोग जबतक भङ्गी चमारोंको अपने सगे भाईकी तरह न मानेंगे तबतक, मैं यह कहनेकी धृष्टता करता हूँ, कि वे हिन्दू ही नहीं हैं। और यह बात मैं अपनेको एक कट्टर हिन्दू समझ कर कहता हूँ। जिस दिन हिन्दू भङ्गी चमारोंसे प्रेमके साथ गले मिलेंगे उस दिन आकाशसे सुमन वृष्टि होगी और उसी दिन सच्ची गो रक्षा होगी। मनुष्यका तिरस्कार और दया ये बातें एक साथ रहती ही नहीं। भङ्गी चमारोंके दूषणोंको हम प्रेमके बल पर जीत सकते हैं। अध्यापक ध्रुवके शब्द मेरे कानोंमें हमेशा गूँजते रहते हैं। हमारे हृदयमें जो भङ्गी-चमार भरे हुए हैं वे हमारे शत्रु हैं और वे अस्पृश्य हैं। जिन देह धारियोंको अस्पृश्य माननेका पाप हम कमा रहे हैं वे तो हमारे प्रिय जन हैं। उनके स्पर्शसे, उनकी सेवासे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा। जब कोई वैष्णव किसी भङ्गी-चमारके सापके काटे जहरको चूसकर बिना स्नान किये अपनी कोठीमें जायगा तब वह कोठी पवित्र मानी जायगी। यह तो मानों कृष्णके घर सुदामा या विदुर पहुंच गये। जबतक छुआछूत रूपी अश्वत्थको हम जड़मूल से न उखाड़ डालेंगे या अध्यापक ध्रुवकी तरह अस्पृश्यताका


सच्चा अर्थ न करेंगे तबतक सुलझका ख्याल तक न करना चाहिये ।

ऐसे महान् कार्य, ऐसी आत्मशुद्धि तो हम कष्ट सहनके ही द्वारा कर सकेंगे । जो अपने मोक्षके लिए मरना जानता है वही मोक्ष प्राप्त करता है । विना इच्छाके मरनेवालोंको अवगति प्राप्त होती है । इच्छा-पूर्वक मरनेवाला आज मोक्षके योग्य हो गया है । इसी प्रकार हम जब पूर्वोक्त साधनों पर दृढ़ रहते हुए मरने तकका भय छोड़ देंगे तभी स्वतन्त्रता-स्वराज्य प्राप्त करेंगे । देशबन्धु दास, लालाजी, मोतीलालजी, मौलाना अबुल कलाम इत्यादि हमें मरनेका मन्त्र सिखा रहे हैं । ऐसा मात्सूम होता है कि हम उसे सीख भी गये हैं । इसीसे कोई यह नहीं पूछता कि स्वराज्य कहा है ? सब यही कहते हैं कि जहा हममें स्वेच्छा-पूर्वक मरनेका बल आया कि वस स्वराज्य हई है । और सब तो नृगजलजी तरह है ।



नवम खण्ड

काँग्रेस




राष्ट्रीय सप्ताह

(जनवरी ७, १९२०)

कांग्रेसकी बैठक बड़ी लम्बी चौड़ी थी। बैठक रद्द को आरम्भ हुई और नये वर्षके प्रथम दिन तक होती रही। बीचमें एक दिन बैठक स्थगित रही क्योंकि पानी बर्ध जानेके कारण पण्डाल बुरी तरह भोग गया था और उसे सुधाना आवश्यक था। पर जिन आवश्यक विषयोंपर विचार करना था उनका अनुमान करके यही कहना पड़ता था कि कांग्रेसकी बैठक अधिक कालतक नहीं हुई, विषय निर्धारिणी समितिके विचारमें सबसे अधिक समय लगा। यह ठोक ही था, क्योंकि यदि कांग्रेसके प्रस्तावोंका कोई मूल्य हो सकता है तो पूर्णरूपसे विचार करके ही उन्हें पास करना चाहिये।

कांग्रेसके साथ ही साथ अखिल भारतवर्षीय मुस्लिम लीग, खिलाफत काफरेन्स, आदि अनेक काफरेन्से हुई। समस्त राष्ट्रीय कामको एक ही सप्ताहमें फर डालनेकी योजना कहां तक बुद्धिमतापूर्ण है, मेरी समझमें नहीं आता। जो काफरेन्से किसी विशेषताके कारण लोगोंको आकर्षित नहीं कर सकती उन्हें करना व्यर्थ है। सोशल कांफरेन्स दूसरे अवसर पर भी हो सकती है। मेरी समझमें यह नहीं आता कि राष्ट्रीय महा-

यंग इण्डिया



महात्मा गांधी
अहमदाबाद कांग्रेसमें असहयोगका मुख्य प्रस्ताव उपस्थित
कर रहे हैं ।

राष्ट्रीय सप्ताह

(जनवरी ७, १९२०)

कांग्रेसकी बैठक बड़ी लम्बी चौड़ी थी। बैठक २६ को आरम्भ हुई और नये वर्षके प्रथम दिन तक होती रही। बीचमें एक दिन बैठक स्थगित रही क्योंकि पानी वर्ष जानेके कारण पण्डाल बुरी तरह भोग गया था और उसे सुधाना आवश्यक था। पर जिन आवश्यक विषयोंपर विचार करना था उनका अनुमान करके यही कहना पड़ता था कि कांग्रेसकी बैठक अधिक कालतक नहीं हुई, विषय निर्धारिणी समितिके विचारमें सबसे अधिक समय लगा। यह ठीक ही था, क्योंकि यदि कांग्रेसके प्रस्तावोंका कोई मूल्य हो सकता है तो पूर्णरूपसे विचार करके ही उन्हें पास करना चाहिये।

कांग्रेसके साथ ही साथ अखिल भारतवर्षीय मुस्लिम लीग, खिलाफत काफरेन्स, आदि अनेक काफरेन्सें हुईं। समस्त राष्ट्रीय कामको एक ही सप्ताहमें कर डालनेकी योजना कहां तक बुद्धिमतापूर्ण है, मेरी समझमें नहीं आता। जो काफरेन्सें किसी विशेषताके कारण लोगोंको आकर्षित नहीं कर सकतीं उन्हें करना व्यर्थ है। सोशल काफरेन्स दूसरे अवसर पर भी हो सकती है। मेरी समझमें यह नहीं आता कि राष्ट्रीय महा-

सभा (कांग्रेस) ही समाजकी प्रधान प्रधान सुराहियोंपर क्यों नहीं ध्यान देती। पर इस विषयमें कुछ कहना सङ्कटापन्न हो सकता है। इस विषयमें इतना ही कह देना काफी है कि इन अवसरोंपर इस तरहके समारोहोंसे प्रधान कार्यसे ही लोग उस तरफ खिंच जाते हैं और प्रधान कार्यमें बाधा पडती है। सालमें तीन या चार दिन राजनीति जैसे महत्वपूर्ण विषयपर चर्चा करनेके लिये काफी नहीं है।

ऊपर जिस व्यंग्यका हमने चर्चा की है वह अबिल' भारतवर्षीय मुस्लिम लोगके लिये लागू नहीं है। राष्ट्रीय महासभा और लीगकी बैठकोंका साथ ही साथ होना इस बातका सबूत होगा कि दोनों दल एकता तथा मैत्रीकी अधिकाधिक सदाकाक्षा रखते हैं। दोनों जातियोंकी घनिष्ठता प्राप्त करनेका अच्छा अवसर मिलता है और दोनोंमें मत परिवर्तन होता है। जब तक मैत्री और एकताकी आवश्यकता प्रतीत होती है, जब तक परस्पर अविश्वास है और भगड़ेका भय बना है, तब तक इन दोनों संस्थाओंका होना अनिवार्य है। हम लोग हृदयसे उस दिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि हिन्दुओंकी भाँति मुसलमान भी कांग्रेसकी कार्यवाहीसे सन्तुष्ट होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यही आवश्यक है कि परस्पर प्रेम और मैत्री बढ़ानेके लिये दोनों संस्थाओंकी बैठक साथ ही साथ एक ही स्थान पर हो।

हिन्दुओंकी दृष्टिसे मुसलमान लीगका सबसे प्रधान प्रस्ताव

यह था कि चकरीदके अवसर पर गोवध नहीं किया जाय। इस काफरेन्सके सञ्चालकों तथा हफीम अजमल खा साहबकी इसके लिये जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है क्योंकि उन्होंने इस प्रस्तावको सर्वसम्मतिसे खोद्वत करवा लिया। दोनों जातियोंका परस्पर प्रेम जितना इस प्रश्नपर अवलम्बित है उतना और किसी प्रश्नपर नहीं। गोवध रोकनेका प्रस्ताव जितना महत्वपूर्ण है उसके सामने हिन्दुओंका खिलाफतमें भाग लेना कुछ भी नहीं है। इस तरह गोवध छोड़कर मुसलमान लोग अवश्य ही त्याग कर रहे हैं। किसी न किसी कारणसे— इस स्थान पर उस पर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है— चकरीदके अवसर पर गोवध करना मुसलमान अपना परम धर्म समझते थे और आज भी चन्द मौलवी ऐसे हैं जो कहते हैं कि इस तरहके प्रस्तावसे हम लोग (मुसलमान) पीछे फट्टम हटा रहे हैं। इसलिये यह आवश्यक था कि कांग्रेस उपयुक्त शब्दों में अपनी कृतज्ञता प्रगट करती। जिस समय इस प्रस्तावका सम्भाव्य विषय निर्धारिणी समितिमें पहुँचा, सदस्य लोग इतने उत्सुक हो गये थे कि उन्होंने उस प्रस्तावको पढे होकर सुना।

जिन प्रस्तावों पर हमने कुछ लिखा है उनके अतिरिक्त अनेक ऐसे प्रस्ताव थे जिनपर विचार करना आवश्यक और उचित है। उदाहरणार्थ लार्ड चेम्सफोर्डके वापिस बुलाये जानेका प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण था। जो लोग सब बातोंको जानकारी रखते हैं वे भली भाँति समझ सकते हैं कि इस तरहका प्रस्ताव अनि-

वार्य था। लार्ड चेम्सफोर्डके विरुद्ध लोगोंमें इतनी उत्तेजना फैल रही थी कि लोग इस बातके लिये तैयार नहीं थे कि इस प्रस्तावको तबतकके लिये रोक दिया जाय जबतक पंजाबकी रिपोर्ट न प्रकाशित हो जाय। जो लोग इस प्रस्तावका समर्थन कर रहे थे उनका कहना था कि लार्ड चेम्सफोर्डने स्वयं इस रिपोर्टकी प्रतीक्षा नहीं की और शासनमें अपनी अयोग्यता दिखालाई। उन्होंने भारत मन्त्रोंके नाम खरीता भेजा जिसे, यदि उन १६ व्यक्तियोंके हस्ताक्षरसे भेजी रिपोर्ट द्वारा अयुक्त न प्रमाणित किया गया हो तो, इससे राष्ट्रकी सारी आकांक्षायें पददलित कर दी गयी होतीं, उसने इस प्रधान डेपुटेशनका अनादर किया, उसने लार्ड पैण्टलौण्डके शासन-व्यवस्थाका समर्थन किया, उसने सर माइकल ओडायरकी पीठ ठोकी, और अन्तमें समस्त राष्ट्रके विरोधका व्याल न कर उसने रौलट ऐक्ट पास किया।

उस प्रस्तावके समर्थकोंका यही मत था। माननीय मिस्टर शर्माने इसका विरोध अवश्य किया पर उनके विरोधमें सार नहीं था। हमारी समझमें यदि यह प्रस्ताव कुछ दिनके लिये स्वीकृत कर दिया गया होता तो अच्छा था। हा, यह बात ठीक है कि घड़े लाटने जितने अनाचार किये हैं उनके बदलेमें एक भी अच्छा काम नहीं किया है जिससे राष्ट्रको सन्तोष हो। इस अवस्थामें अयोग्य शासकको वापिस बुलानेके लिये यदि राष्ट्र प्रार्थना करे तो इसके लिये उसे उद्धत या

उच्छृंखल नहीं कह सकते। पर हमें खेदके साथ लिखना पड़ता है कि राष्ट्रके प्रतिनिधि अवश्य ही उद्दण्ड थे। इस प्रस्ताव पर जो भाषण किये गये वे उद्दण्ड और हानिकार थे। वक्ता लोग यदि सयमसे बोले होते तो इससे उस प्रस्तावकी मर्यादा और भी बढ़ जाती। भारतमें जो राजाका प्रतिनिधि स्वरूप है उसके लिये इस तरहके शब्दोंका प्रयोग करना, जैसे “तीसरे दर्जेका आदमी, तुच्छ और नीच,” किसी भी अवस्थामें उचित नहीं प्रतीत होता। साथ ही उन्हें अत्याचारी और पापी कहना न उन्हें ही शोभा देता है और न मुझे ही।

वेसमम्भपूर्ण और असभ्य बातोंके कहनेसे हमारी राष्ट्रीय मर्यादा नहीं बढ़ सकती। समय बड़ा ही नाजुक है। जिनको उत्तम भाषण करनेकी योग्यता है और जो राष्ट्रका कल्याण चाहते हैं उन्हें उचित है कि वे उद्दण्ड या उच्छृंखल भाषण नहीं करे।

बड़े लाटके कलङ्कका वर्णन करनेमें वक्ताओंने मर्यादा छोड़ दी। हम लोग इस बातको स्वीकार करते हैं कि लार्ड चेम्स-फोर्डकी जिम्मेदारी सबसे अधिक थी, क्योंकि वे सिरमौर थे। उपनिवेशोंके गवर्नरमें—जिनका अधिकार नियन्त्रित है—और भारतके बड़े लाटमें—जिन्हें पूरी स्वतन्त्रता है—फ़र्क भेद है, वे इस बातको नहीं समझ सके। जिन भूलोंको वे मल्लिभाति समझते थे उनके उपचारका भी उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। राष्ट्रकी जागृति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कितनी ही

अवस्थायें ऐसी होती हैं जहां बिना किसी अपराधके लोग असफल हो जाते हैं। यद्यपि हम जानते हैं कि लार्ड चेम्सफोर्ड भले मानुष अंग्रेज हैं, शिक्षित हैं, फिर भी हम उन्हें वापिस बुलाये जानेके लिये कह सकते हैं। पर हम यहां पर लार्ड चेम्सफोर्डकी अच्छाई साबित करनेके लिये नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवलमात्र यही कहना है कि चकाओंने लार्ड चेम्सफोर्डके सम्बन्धमें जिस भाषाका प्रयोग किया वह सङ्गत या युक्तियुक्त नहीं था। हमें इस घातका अत्यन्त खेद है कि राष्ट्रीय रङ्गमञ्च पर जिम्मेदार प्रतिनिधियोंने राज्यके सघसे बड़े प्रतिनिधिके लिये इस तरह अनुचित भाषाका प्रयोग किया।

सर माइकल ओडायर तथा जेनरल डायरके सम्बन्धमें जो प्रस्ताव पास किये गये वे उचित ही थे। सर माइकल ओडायरको भारतमें किसी जिम्मेदारीके पदपर भेजना भारतका सरासर अपमान करना था। इस तरह उन्हें पुनः भारत भेजकर जनताको उच्छेजित करना कभी भी उचित नहीं था। मिस्टर माटेगूने मिलिटरी मिशनके पदपर सर माइकल ओडायरको नियुक्तकर अपनी अदूरदर्शिताका परिचय दिया है।

जेनरल डायरके सम्बन्धमें जितना ही कम कहा जाय उतना ही उचित है। वह वीर सैनिक भले ही हो। पर मिस्टर वर्ड-स्वर्यके शब्दोंमें तो उसने अपनी सैनिक योग्यता नहीं साबित की है। यदि और कुछ नहीं तो मनुष्यत्व तो यह बात अवश्य चाहता है कि अपने अनाचारको चरितार्थ करनेके लिये उसे पुन अव-

सर नहीं मिलना चाहिये । सीमान्त प्रदेशकी - जहा मैनिर्कोको पूर्ण स्वतन्त्रता है—क्या गति होती होगी सोचकर भय होता है ।

कांग्रेस

(जनवरी ७, १९२०)

इस वर्षकी कांग्रेस अमृतसरमें हुई थी । इसलिये यह कांग्रेस हममेंसे बहुतोंके लिये तीर्थ यात्रा थी । जलियावाला बागमें तो हजारों और लाखों प्रतिनिधि गये उनका उद्देश्य दर्शनही था । कहा जाता है कि पूनसे सती वहाकी मिट्टीपर कितनोंने शीश नवाया, किनने मिट्टियां खोदकर लेगये और परम पवित्र समझकर उसे सुरक्षित रखा है । कितनोंने उसे त्रिभुति मानकर अपने माथोंपर चढाया । प्राय सभी लोग अपना परम कर्तव्य समझकर बागके दर्शनके लिये गये । यह निर्विवाद है कि इस वर्ष अनेक लोग कांग्रेसमें केवल इस लिये गये थे कि वे उन निर्दोषोंकी हत्याके प्रति सम्मान दिखलाना चाहते थे । स्वागत कारिणी समितिके अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्दजी तथा कांग्रेसके सभापति पण्डित मोतीलालजी नेहरूके भाषण वहेही शान्त थे और सब्से भावसे भरे थे । प्रत्येक भाषणमें वक्ताओंकी विशेषता स्पष्ट थी । स्वामीजीके भाषणमें धार्मिक भाव स्पष्ट थे । नीचके प्रति दया उनके भाषणमें प्रत्यक्ष था । उन्होंने कहा था, “यदि हमारे

हृदयमें अण्डरूज, वेडरबर्न, ह्यूम, हार्डिञ्ज तथा अन्य अंग्रेजोंके प्रति प्रेमका भाव भरे हैं तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम अंगरेजोंसे घृणा करते हैं। हमें अंगरेजोंको प्रेमसे जीतना चाहिये।” पण्डित मोतीलालजीकी भाषा उदार और संयमित होनेपर भी तीखी है। जिस समय उन्होंने पञ्जाबकी वेदनाओंके भिन्न भिन्न अवस्थाओंका वर्णन किया, उस समय प्रत्येक दर्शककी आँखोंसे आसू निकलने लगा। उन्होंने पञ्जाबकी दुर्घटनाकी समीक्षा परीक्षा कानूनकी दृष्टिसे की। उनकी आत्मा कठोर हो गई है। वे गुनहगारोंके लिये कड़ीसे कड़ी सजा चाहते हैं।

सभापतिका भाषण अंग्रेजीमें हुआ था इससे उसमें त्रुटि रह गई। १५,००० प्रतिनिधियोंमें से सातवां हिस्साही अंग्रेजी समझ सकता था, बाकी अंग्रेजीसे अनभिज्ञ थे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेसकी कार्यवाही विशेषकर हिन्दीमें ही हो। यदि हम लोग जनसमूहको अपने साथ करना चाहते हैं और उनकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगोके लिये यही एक मार्ग है। सयुक्तप्रान्त, पञ्जाब, मध्यप्रान्त, बिहार तथा दिल्लीमें हिन्दी बोली जाती है और मद्रास प्रान्तको छोड़कर अन्य सभी प्रान्तोंके लोग हिन्दी सहजमें समझ सकते हैं। हिन्दी भाषा अन्य प्रान्तीय भाषाओंसे बहुत कुछ मिलती जुलती है। यदि कुछ कठिनाई है तो मद्रासमें है। पर चन्द सौ प्रतिनिधियोंके लिये हजारों अन्य प्रतिनिधियोंपर इस तरह अन्याय करना किसी भी अवस्थामें उचित नहीं है। इसलिये मेरी समझमें

सबसे उत्तम बात यही होगी कि कांग्रेसका कारवाइ तो हिन्दी में हो और द्राविडके प्रतिनिधि अपनी इच्छाके अनुसार अंग्रेजी या तामिल भाषाका प्रयोग करें। विषय निर्धारिणी समिति कुछ वर्षतक अपना काम अंग्रेजीमें करती रहे पर यदि कांग्रेस द्वारा हम लोग जनताको राजनैतिक शिक्षा देना चाहते हैं तो यह केवल हिन्दीकी सहायतासे ही साध्य है। इसलिये मुझे पूरी आशा है कि मद्रास प्रान्तके वे लोग जो देशका काम करना चाहते हैं और अपने प्रान्तके बाहर भी लोगोंकी सहायता करना चाहते हैं तथा कांग्रेसको कार्यवाहीमें भाग लेना चाहते हैं, उन्हें शीघ्रातिशोघ्र हिन्दी सीख लेना चाहिये। मद्रास प्रान्तमें उन्हें हिन्दो सोखनेके सुभोते हैं। यदि वे लोग आजसे ही आरम्भ कर दें और एक घण्टा प्रति दिन काम करे तो सालके अन्ततक वे इतनी हिन्दी सीख लेंगे कि अपना काम हिन्दीमें कर लेंगे और हिन्दी समझ लेंगे। लोगोंको यह बात भलीभाति समझ लेना चाहिये कि प्रति वर्ष कांग्रेसके प्रतिनिधि अधिकाधिक हिन्दीके प्रयोगके लिये चिन्ता रहे हैं, इसे अधिक दिनतक नहीं टाला जा सकता।

एक और वेवकूफी बढ रही है। उसको भी हटाना आवश्यक है। जिस समय सभापति अपना भाषण पढ रहे थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जो उन्हें अच्छी तरह सुन सकते थे। कितना भी अच्छा पढ़नेवाला क्यों न हो श्रोता एक घण्टेसे अधिक उसे नहीं सुन सकते। सभापतिका भाषण लम्बा था। फुलिस्केप

कांग्रेसके ३८ छपे पृष्ठोंमें समाप्त था। पण्डित मोतीलालजीने पढते समय अनेक पन्नोंको छोड़ दिया, नहीं तो पूरे भाषणमें तीन घण्टेसे कम न लगे होते। इसलिये स्वागत कारिणी समितिके अध्यक्ष तथा सभापतिका भाषण हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी तथा जिस प्रान्तमें कांग्रेस हो वहाकी प्रान्तीय भाषामें छपना चाहि। तथा प्रतिनिधियोंको केवलमात्र लागत मूल्य पर मिलनी चाहिये। पण्डालके भीतर न घाटकर दरवाजेपर इसे घांटना चाहिये, क्यों कि इससे बड़ी असुविधा होती है। स्वागत कारिणी समितिके अध्यक्ष तथा सभापति दोनोंको अपने अपने भाषणोंका साराश सुना देना चाहिये और इसके लिये आधा घण्टासे अधिक समय नहीं लेना चाहिये।

तीसरी बेवकूफी सुविस्तृत पण्डाल बनाकर रुपया फेंकनेमें है। भारतकी जल वायु इस तरह की है कि खुले मैदानमें जल सोंका करना अधिक सुविधाकर होता है। इस सम्बन्धमें अधिक कहनेको आवश्यकता नहीं है क्योंकि अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीने कांग्रेस विधान पर पुन विचार करनेके लिये एक कमेटी नियुक्त की है।

प्रस्तावोंसे स्पष्ट है कि लोगोंमें घोर मतभेद है और ज्यों २ समय बीतता जायगा मतभेद बढ़ता जायगा और इससे दल-बन्दीकी भी सम्भावना है। आजतक तो कांग्रेस केवल एक दलकी प्रतिनिधि रही है। पर यदि इससे अलग होकर रहनेवा-लोंकी सख्या अपरिमित रूपसे प्रति वर्ष बढ़ाना नहीं है तो उसे

अब उसी अवस्थामें नहीं रहना होगा। ऐसे उपाय करने होंगे जिसमें प्रत्येक दलका समावेश हो सके और राष्ट्रीय महासभा अपनी राष्ट्रीयताकी सच्ची मूर्ति बनी रहे।

अब प्रस्तावोंपर विचार करना चाहिये। पहला प्रस्ताव ज्यादतियोंकी निन्दा करनेके लिये था। यह निर्विवाद है कि यदि हम लोगोंने जनताकी ज्यादतियोंकी निन्दा न की होती तो कितने प्रस्तावोंका महत्व घट गया होता। यदि हम लोग अपनी ज्यादतियोंकी निन्दा करनेके लिये तैयार नहीं हैं तो भला हम सरकारी कर्मचारियोंकी निन्दा कैसे कर सकते हैं और डायर तथा ओडायरको दण्ड कैसे दिला सकते हैं? गत अप्रैल मास में जनताने जो ज्यादतिया की थीं उनके लिये यह प्रस्ताव सच्चा प्रायश्चित्त था। यदि हम लोग स्थिर विकास चाहते हैं तो हमें जनताकी हर तरहकी ज्यादतियोंकी निन्दा करनी चाहिये। मैं इस बातको स्वीकार करता हू कि पश्चिमी देशोंमें कभी कभी जानबूझकर ज्यादतिया की जाती हैं पर यहा भारतमें हमें जन समाजको इसके विरुद्ध शिक्षित करके इसे दैपना चाहिये। इस बातको सभी स्वीकार करे गे कि ईठी अप्रैलको भारतने एक नई शक्तिका लाभ किया—यह शक्ति प्रत्येक अवस्थामें अक्षय और दुर्धर्ष है। यदि सत्य हमारे पक्षमें है, तो मुझे पका विश्वास है कि यदि जनताने अपनी भूलसे सत्याग्रहका मार्ग इस तरह अवरुद्ध न किया होता तो फेचल रौलट ऐक्ट ही नहीं उठा दिया गया होता बल्कि इस तरहके अपमान जनक दृश्यके दैपनेका मौफाही

नहीं आया होता जिसे उस मतवाले सेना नायकने उपस्थित किया। जिस समय हमारा शासन प्रबन्ध हमारे हाथमें आजा-यगा उस समय यदि हम आत्मसयमसे काम न लेंगे तो हमारा काम एक तरहसे असम्भव हो जायगा। भारतमें जहा लोग स्वभावतः शान्त प्रकृतिके हैं उच्चजिन भीड़का शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिये इसे रोकनेके लिये जन समूहका मत पशुबलके प्रयोगसे कहीं लाभदायक होगा। इसलिये इस प्रस्तावपर मैं सबसे अधिक जोर देता हूँ, क्योंकि इससे हम अपने आचरणको सफाई देते हैं और देशको शिक्षा देते हैं। कांग्रेसके प्रस्ताव, विशेषकर वे जिनके द्वारा जनताको कुछ करनेके लिये कहा गया है, जनसमूहके मतको स्थिर करनेके लिये बहुत ही लाभकारी हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस प्रस्तावके आन्तरिक अभिप्रायको समझ कर कार्यकर्त्ता लोगोंको समझावेंगे कि हिंसासे दूर रहना नितान्त आवश्यक है।

शासन सुधार सम्बन्धी प्रस्तावका दूसरा स्थान था। यद्यपि मेरा दृढ़ मत है कि भारत पूर्ण स्वाधीनताके योग्य हो गया है तथापि मैं यह बातभी जोर देकर कह सकता हूँ कि जबतक हम लोग उसके लिये यत्न नहीं करेंगे वह हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसके दोही उपाय हैं। या तो हम शासनमें वाधा डालनेका उपाय स्थिर करके चले या सरकारके साथ सहयोग करे, यदि निपेधात्मक प्रणाली चलवती है तो हमारा उद्धार हो सकता है। हमें

झुठाई, अन्याय तथा बुराईके मार्गमें सदा राधा उपस्थित करना चाहिये। चूँकि शासनसुधारोंमें कोई बुराई नहीं देखता, उसे बुरा नहीं समझता और न उसे अनुचित ही समझता है, मैं उसे उन्नतिशाल और जिम्मेदार शासनका प्रतिरूप मानता हूँ इसलिये अपर्याप्त होते हुए भी मैं उसे निराशापूर्ण नहीं समझता। मैं विपिनचन्द्रपालसे पूर्णतया सहमत हूँ कि यदि मैं शासनसुधारोंको अस्वीकार करूँ तो इसके माने यह हुआ कि मैं उनकी आशा ही नहीं करता था। मुझे अतिशय भय था कि शासन सुधार कानूनका रूप नहीं धारण कर सकेंगे। उनका जो रूप पहले पहल प्रकाशित हुआ था उसमें मैं किसी भी तरहके सुधारके लिये तैयार नहीं था। सशोधनोंके समर्थकोंका कहना था कि जबतक हम सहयोग कर सकेंगे करेंगे नहीं तो प्रत्यक्ष बाधा उपस्थित करेंगे। जो सशोधन लेकर मैं उठा था उसका यही अभिप्राय था। पर विरोधियोंने सशोधनका विरोध पूरी तरहसे किया क्योंकि आज भी नोकरशाहीमें उनका उतना ही विश्वास है। मेरी समझमें उनका यह मत सही नहीं है। सम्राटकी घोषणा उदारता और आशा पूर्ण है। यदि सम्राटके निमन्त्रणको स्वीकार करके कांग्रेस सहयोगके लिये तैयार न हो तो वह बड़ीभारी भूल कर रही है। मनुष्य चरित्रमें मेरा अटल विश्वास रहा है और मैंने देखा है कि समझानेपर अंग्रेज सच्ची रातको सदा स्वीकार

कर लेते हैं। चूंकि वे वेईमान होकर भी ईमानदार
 भरते हैं इससे उन्हें लज्जित करके ठीक मार्ग
 कहीं नहज है। चाहे जो कुछ हो यदि हमलोग
 नहीं करते तो हम अपने सदाचार और सभ्य
 समझे जाते हैं यदि हममें शक्ति है तो इस सहय
 किसी तरहको हानि नहीं हो सकती।

शासनसुधारोंके मबन्धमें मिस्र माटेगूने उ
 किया है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देना नि
 श्यक था। इसलिये पण्डित मदनमोहनजी माल
 जिज्ञा तथा मीने यही स्थिर किया कि कांग्रेस
 होनेपर भी हमलोगोंको यह प्रस्ताव उपस्थित कर
 इस प्रस्तावपर समझौता हो गया, इससे लोक
 श्रीयुत दासकी सदिच्छाका प्रमाण मिलता है।
 महानुभाव अपने मनके दृढ थे तोमी वे कांग्रेस
 नहीं चाहते थे। इसलिये कितने ही लोग सम
 कर रहे थे।

कांग्रेस विधान

(नवम्बर १३, १९२०)

कांग्रेसके विधानपर विचार करनेके लिये जिस कमेटीका निर्माण किया गया था उसने इतने दिनोंके बाद अपना निर्णय प्रकाशित किया है और अखिल भारतपर्यय कांग्रेस कमेटीके निर्णयमें सहायता पहुंचानेके लिये हर तरफसे सहायता मांगी गई है। खेदके साथ लिखना पड़ता है कि विधान कमेटीके सदस्योंकी सध्या अल्पतम होनेपर भी सबलोग एक धार भी एकत्रित नहीं हो सके। पर शायद इसमें किसीका दोष नहीं है। जो हो, जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसपर पांचमेंसे चार सदस्योंने पूर्ण विचार कर लिया है और इस तरह यह रिपोर्ट सदस्योंका दृढ निश्चय है। इतना अवश्य लिख देना चाहिये कि चारों सदस्य एकमत नहीं रहे हैं। अलग नोट न लिखकर प्रत्येक सदस्योंने पूर्ण स्वाधीनताके साथ अपना अपना स्वतन्त्र मत उन प्रश्नोंपर उपस्थित किया है जहां वे एकमत नहीं हैं। विधानकी सबसे प्रधान बात कांग्रेसका ध्येय बदलना है। जहांतक मुझे अवगत है इस सवन्धमें सदस्योंमें अधिक मतभेद नहीं है। मेरी समझमें

तो ध्येयमें जो परिवर्तन किया गया है वही इस समय देशका सच्चा भाव है।

मुझे मालूम है कि परिवर्तित ध्येयपर अनेक प्रसिद्ध समाचार पत्रोंने कड़ी टीकार्यें की हैं। पर इस समय यह बसाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिन पत्रोंने जन समाजके मतको शिक्षित किया और जिनका आज अधिक लोगोंके हृदयमें आदर है उनसे जनसमूहका मत कहीं आगे बढ़ गया है। असल बात यह है कि मत कायम करना इस समय केवलमात्र शिक्षित वर्गके हाथमें ही नहीं रह गया है, बल्कि जनसमूहने मत स्थिर करने तथा उसके प्रचारका भार अपने ऊपर ले लिया है। इनकी अवज्ञा करनी या इनके प्रति उदासीनता दिखलाना या इसका कारण क्षणिक जोश बतलाना सम्भव नहीं है। यह समझ बैठना कि जनसाधारणकी यह जागृति मेरे या अली भाइयोंके प्रयासका फल है मूलसे खाली नहीं है। इस समय जनसाधारण हमें चावसे सुनते हैं इसका कारण यही है कि हम उनके हृदयकी सच्ची बातें कहते हैं। जनसाधारण इतने मूर्ख या बेवकूफ नहीं हैं, जैसा कि हम समझते हैं। कभी कभी अपने पर्यवेक्षण द्वारा वे उन बातोंको देख लेते हैं जिनका हम अनुमान तक नहीं कर सकते। इसलिये यद्यपि अपनी आवश्यकताको समझते हैं फिर भी वे यह नहीं जानते कि उन्हें किस तरह प्रगट करे और किस तरह प्राप्त करे। यहाँ नेताकी आवश्यक-

कना पडती है । इसलिये यदि नेता बुरा, जल्दीवाज, और स्वार्थी हुआ तो इसका बुरा परिणाम होगा ।

ध्येयका प्रथम भाग तो जनसाधारणके हृदयका भाव प्रगट करता है और दूसरा भाग उसका पूर्तिका उपाय बतलाता है । मेरी रायमें तो यह परिवर्तन केवल पुराने ध्येयका प्रिस्तृत रूप है । जयतक ब्रिटनके साथ सवन्ध विच्छेदकी चर्चा न चलाई जाय वह उस विधानके अन्दर पूरी तरहसे आ जानी है जिसमें कांग्रेसको विधानकी परि-
माणा की गई है पर आशका इस बातकी है कि ब्रिटनके साथ सवन्ध त्याग पर भी जोर दिया जायगा । मेरी समझमें यदि भारत निर्विघ्न उन्नति करना चाहता है तो उसे उचित है कि वह ब्रिटिश जनताको समझा दे कि यद्यपि वह ब्रिटनके साथ सवन्ध रखना चाहता है, यदि उसके द्वारा उसका पूर्ण विकास समभव है, पर यदि उससे किसी तरहकी आपत्ति या बाधा पडनेकी आशका हो तो वह उसका त्याग कर देगा । यदि हम यह मान बैठते हैं कि ब्रिटनके सवन्ध बिना हमलोग अपने ध्येय तक पहुंच ही नहीं सकते तो यह न केवल यह राष्ट्रके मानके लिये अहितकर है बल्कि इससे हमारी वास्तविक उन्नति रुक जाती है । इसी अन्य विश्वासका फल है कि हममेंसे चन्द सभसे उत्तम लोग भी खिलाफतके अन्याय तथा पञ्जाबके अत्याचारोंको बरदाश्त करनेके लिये तैयार हैं । इस अन्य विश्वासने हमारी अवस्था लाचार कर दी

है। ध्येयमें जिस परिवर्तनकी चर्चा है उससे यह लाचारी दूर हो सकती है। जबतक स्वराज्य प्राप्त करनेके मार्गों और उपायोंमें किसी तरहका मतभेद न हो तबतक स्वाधीनताके लिये खुली प्रेरणा विधान विहित है और यही कारण है कि हमलोगोंने “विधान” शब्दको निकाल दिया है। इतना ही पर्याप्त है कि जिन उपायोंका हमलोग अवलम्बन कर रहे हैं वे युक्तियुक्त, जायज, उत्तम, मर्यादित तथा शांत हैं। इन्हीं भावोंसे प्रेरित होकर मेरे साथियोंने ध्येयमें इस परिवर्तनको स्वीकार किया। कमसे कम मैंने तो इसी भावसे प्रेरित होकर परिवर्तनके पक्षमें मत दिया। मैं गैरकानूनी अथवा अशान्तिमय किसी भी तरीकेका प्रयोग नहीं करना चाहता। मैं यह जानता हूँ कि “कानून और अमन” शब्दका प्रयोग कर मैं विचित्र विरोध उत्पन्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कतिपय देशवासी मेरे वर्तमान आचरणको ही गैर कानूनी बतलाते हैं और कहते हैं कि इससे आशंका उत्पन्न होगी। पर इस बातको तो वे भले ही स्वीकार कर सकते हैं कि जिस तरीकेसे मैं चरु रहा हूँ उ समें केवल “विधान युक्त” शब्दके रखनेसे ही रक्षा नहीं हो सकती। इसपर कानूनी बहस हो सकती है। पर जब हम स्थूल कामके लिये तैयार हैं तो बहसमें समय नष्ट करना फजूल है। दूसरा आवश्यक परिवर्तन प्रतिनिधियोंकी सख्या का है। हम लोगोंको पक्का विश्वास है कि इस तरहके परिवर्तनका फल बहुत ही अच्छा होगा। हम

लोग जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उससे निश्चय है कि इस तरहके प्रतिबन्ध चिना कांग्रेस हल्लडवाजी हो जायगी। केवल दर्शकोंकी अपरिमित संख्या असंभव है। फिर यदि प्रतिनिधियोंकी संख्या अपरिमित हो जाय तो हमलोग काम ही नहीं कर सकेंगे।

तीसरा आवश्यक परिवर्तन अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीका चुनाव है। यह चुनाव इस तरहसे किया गया है कि वे ही सदस्य विषय निर्धारिणी समितिके भी सदस्य हो गये हैं। और अन्तमें, भारतके विभाजनका प्रश्न है जो कि भापाके आधारपर किया गया है। इसके विषयमें कुछ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं। पर यहाँ पर इतना लिख देना आवश्यक है कि यदि कांग्रेसने प्रतिनिधियोंकी संख्याका नियन्त्रण स्वीकार कर लिया तो उसे जन संख्याके अनुसार प्रतिनिधि निर्वाचनकी व्यवस्था करनी होगी। इससे सब लोगोंको सुविधा होगी।

टाइम्स आफ इण्डिया पत्रने लिखा है कि इस विधानमें हमलोगोंने ब्रिटिश कांग्रेस कमेटीको जो रूप दिया है तथा यद्द इण्डियाके अपने लेखमें उसके तथा इण्डिया पत्रके सबन्धमें जो कुछ लिखा है उसमें मतभेद है। पर यह सबको विदित है कि इस संबन्धमें हमारा यह मत बहुत दिनोंसे रहा है। अपने साथियोंसे उसके अर्ज कर देनेके सबन्धमें अपनी ओरसे कुछ कहना अनुचित ही होगा। उस कमेटीकी उप-

योगितापर लिखना हमारा काम नहीं था। हमलोगोंपर सिर्फ विधान बनानेका भार दिया गया था। इसके अतिरिक्त मेरे अन्य साथी इस कमेटीसे इतने उदासीन नहीं थे जितना मैं था। विधान निर्माणमें मैंने प्रत्यक्ष दिखला दिया था कि जहा कहीं सिद्धान्तका सवाल नहीं था मैं सदा अपने साथियोंके मतको स्वीकारकर लेता था। पर ब्रिटिश कांग्रेस कमेटीकी जो अवस्था है उसके अनुसार मेरा मत यही है कि वह तोड़ी जाय और उसका मुखपत्र 'इण्डिया' बन्द कर दिया जाय।

विगत कांग्रेसने जिस विधानकी घोषणा की है उसके अनुसार कार्य करना ही स्वराज्य दिला देगा। इसके अनुसार स्थान स्थानपर कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभायें होंगी और वे सब अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीके अधीन होंगी। इनमें सभी वालिग स्त्री पुरुषोंके लिये स्थान है जो कांग्रेसका ध्येय स्वीकार कर चार आना पैसा देकर सदस्य बन सकते हैं। इसमें सब वर्गोंको बराबर स्थान होगा। इस तरह यदि उसका ठीकसे प्रयोग किया गया तो बिना किसी कठिनाईके यह वर्तमान सरकारका अन्त कर देगा क्योंकि बिना प्रजाके सहयोगके उसके हाथमें कोई अधिकार नहीं रह जाता। उसकी शक्ति हमों लोगोंपर निर्भर करती है। हम लोगोंकी सहायता बिना एक लाख अंग्रेज यदि हम पर शासन करना चाहेंगे तो हमारे ग्रामोंके सातवे भागपर भी अधिकार नहीं रख सकेंगे क्योंकि एक आटमी कितना भी बली क्यों न हो वह ४०० आ-

दमियोंका शासन अकेला नहीं कर सकता और हमारे प्रत्येक ग्रामोंकी औसत जन सख्या यही है।

इसलिये हम लोगोंके सामने प्रश्न है सरकारके मतका विरोध तथा उसके साथसे सहयोग हटा लेना। यदि हम लोग एक मत हो जाय तो सरकार या तो हमारी बात सुनेगी या हमसे अलग हो जायगी। हम लोगोंके परस्पर मतभेदसे लाभ उठाकर वह अपना बल बढ़ाती है। जब हम लोग दङ्गा फसाद करते हैं तो जुल्म आरम्भ कर देती है। हम लोगोंमें मतभेद देखकर वह घूस देकर हमसे फुटमत कराना चाहती है। हम लोगोंमें एका देखकर वह हमें प्रलोभन और लालचमें फसाना चाहती है। जहा हम लोग अपना हक मागते हैं वह लोगोंके सामने कुछ टुकड़े फेक देती है जिसे वह बहुत ही उत्सुक देखती है। इसलिये हमें आवश्यकता इस बातकी है कि हम सदा अहिंसात्मक बने रहें, सङ्गठित रहें घूस आदि न ले और प्रलोभनमें न फसे।

शिक्षित समुदायमें इस बातके प्रचारकी कठिनाई नहीं है। उन्हें एकमें मिला लेना कोई कठिन बात नहीं है। पर यह सब केवल बतोलैयाजीसे नहीं हो जायगा। इसके लिये काम और संगठनकी आवश्यकता है। इसलिये सबसे पहिली आवश्यकता इस बातकी है कि हमें ३० जूनके पहले पहले एक करोड सदस्य बना लेना चाहिये। इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं। प्रत्येक सदस्यको कमसे कम चार आना फीस देना

होगा और कांग्रेसके ध्येयको स्वीकार करना होगा। हमें प्रत्येक घरके वालिग सदस्योंको मेम्बर बनाना चाहिये। यदि हमने उतने सदस्य औरतोंमेंसे बनाये जितने मर्दोंमेंसे तो यह मेरे लिये अभिमानकी बात होगी। प्रत्येक जाति, प्रत्येक दल तथा प्रत्येक फिरकेके लोगोको हमें कांग्रेसका सदस्य बनाना चाहिये। यदि हम लोग इतना कर सके तो हमारी कांग्रेस निश्चयही प्रतिनिधि सभा कहलाने योग्य हो जायगी। यदि मेरी बात स्वीकार की जाने योग्य हो तो ३० जून तक हमें निम्नलिखित बातें करनी होंगी।

(१) तिलक स्वराज्य कोषके लिये एक करोड़ धन संग्रह करना होगा।

(२) कांग्रेसके लिये एक करोड़ सदस्य बनाना होगा।

(३) कमसे कम बीस लाख घरोंमें चरखेका प्रचार करना होगा।

एक करोड़ सदस्य बनानेके लिये केवल बीस लाख घरोंसे प्रतिघर ५ सदस्य बनाकर काम चला सकते हैं। प्रत्येक कांग्रेस सदस्यके घरमें कमसेकम एक चरखा चलवा सकते हैं। २१ प्रान्तोंमें २० लाख चरखेका प्रचार कोई बड़ी बात नहीं है।

अनेक राष्ट्रीय प्रश्नोंपर विचार करने तथा उनके निर्णयका समय नहीं है। यदि रोगी एक साथ ही अनेक दवायें खाता है तो वह अवश्य ही मर जाता है। जो वैद्य, अपनी दवाके'बसरका

अनुभव करना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा गंवा देता है और लोग उसे बेवकूफ समझते हैं। कामकी पवित्रताकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी जीवनकी आवश्यकता की हर तरहका बनाव-टीपन बुरा है। आजतक हम अपने मनसे चलते रहे। इस तरह हमने राष्ट्रके बलका बहुत ह्रास किया। इस वर्षके भीतर विदेशी बलोंका बहिष्कार आसान बात है। काग्रेसके लिये काम करनेवाली संस्थाका स्थान स्थानपर सङ्गठन करना आसान बात है। यदि उचित तरीकेसे एक करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया तो लोगोंमें विश्वास भी उत्पन्न हो जायगा और इससे हमारी दृढ़ता और सरलता साबित होगी।

पर इसका प्रक्रमका यह अभिप्राय नहीं है कि असहयोगके अन्य कार्य बन्द कर दिये जाय। शराबखोरी और छुआछूतको मिटानेका अनवरत यत्न होना चाहिये। शिक्षा सन्धी आन्दोलन प्रगति पर है। जिन राष्ट्रीय शिक्षालयोंकी स्थापना हो गई है, यदि उनका समुचित प्रबन्ध होता रहा तो वे बराबर आगे बढ़ेंगे, और जो छात्र अभीतक आगा पीछा कर रहे हैं वे भी आकृष्ट होंगे। वकील लोग सदासे सतर्क रहते हैं, आन्दोलनको बढ़ते देखकर वे भी देशका साथ देंगे। अदालतोंका बहिष्कार उत्साहके साथ चल रहा है। इन बातोंके लिये ही अब सारे प्रयासकी आवश्यकता नहीं है इन्हें अब विशेष विशेष लोगही उठा लें। पर जिन तीन बातोंकी मैंने ऊपर चर्चा की है वह घड़ी जरूरी हैं। इन्हें इसी समय समाप्त करना जरूरी है।

इसके बिना इस आन्दोलनको सार्वजनिकरूप नहीं दे सकते ।

ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी

(अक्तूबर २०, १९२०)

मिस नार्मण्टनने मेरे नाम एक खुली चिट्ठी भेजी है । मेरा इनसे परिचय नहीं है । मैं इन्हें केवल "इण्डिया" के सम्पादककी हैसियतसे जानता हूँ । असहयोगके पक्षमें उनके मत बड़े ही दृढ़ हैं और नई कौंसिलोंके बहिष्कारका तो उन्होंने जोरदार शब्दोंमें प्रतिपादन किया है । इससे उनकी आखे खुल जानी चाहिये जो अभीतरु आगापीछा कर रहे हैं । पर मैं अपने पाठकोंसे प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्रसंघके बहिष्कारसे ब्रिटिश जनतापर जो प्रभाव पड़ सकता है उसका अत्युक्तिपूर्ण अनुमान न कर ले । बाहरवालोंके मतका ख्याल न कर हमें उचित है कि हम स्वयं अपना काम करें । हमारे आचरणका ब्रिटिश जनतापर जो असर पड़ सकता है उसका अनुमान हमने सदा गलत लगाया है और इस तरह हमने राष्ट्रके स्वार्थपर

वका पटुंवाया है। इसपर मिल नार्मण्टनकी बातें सबेया उचित प्रतीत होती हैं।

ब्रिटिश कमेटीपर उन्होंने जो मत स्थिर किया है उसको जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है। जिन बातोंपर उन्होंने विवाद खडा किया है उनके सम्बन्धमें हम कुछ नहीं जानते। पर कमेटीके सदस्योंपर उनके विचार सर्वथा मौलिक हैं। उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश कमेटीमें केवल अंग्रेज ही सदस्य होने चाहिये और उसका व्यय भी उन्हींको वर्दाशत करना चाहिये। मेरी समझमें उनका मत ठोक है। पहलेकी अपेक्षा ब्रिटिश जनतापर प्रभाव डालना सबसे सहज है।

उन अवस्थामें हम निश्चयरूपसे कह सकेंगे कि ब्रिटनके लोग हमारे स्वार्थमें दिलचस्पी रखते हैं। "इण्डिया पत्र" के सम्बन्धमें उनके मतसे भी मैं सहमत हू। उस पत्रसे जो लाभ होता है उससे उसपर कहीं अधिक खर्च है। ब्रिटिश जनतापर इसके मतका कोई प्रभाव नहीं है और इससे भारतीयोंको यह भी नहीं मालूम होता कि ब्रिटिश जनताका क्या मत है। इससे एकमात्र लाभ यही होता है कि पार्लिमेण्टकी रिपोर्ट मिलती जाती है। पर इसको छपवाकर बटवानेमें अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीको अधिक व्यय नहीं पड सकता। कोई भी भारतीय समाचार पत्र इस कामको उठा सकता है और लाभ उठा सकता है। जब हमलोगोंने अमहयोग आन्दोलन जारी कर आत्मनिर्भर रहनेका निश्चय किया है तो हमें

ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी और 'इण्डिया' पत्रको अवश्य हो बन्द कर देना चाहिये। इससे दो लाभ होंगे, एक तो सार्वजनिक रुपया बचेगा और हम अपनी शक्तिका घरके काममें अधिक प्रयोग कर सकेंगे।

आगे चलकर मिस नार्मण्टनने लिखा है कि राष्ट्रीय दलको ब्रिटनमें एक सलाह देनेवाली कमेटी या सलाहकार रख लेना चाहिये जो लण्डनमें रहकर कमेटीको समय समयपर सलाह दिया करे। पर मैं इस मतका विरोधो हू। मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओंका ध्यान भारतमें ही जो काम हो रहा है उसीकी ओर आकृष्ट करना चाहता हू। यहा ही काम बहुत है और काम करनेवाले कम। ऐसी अवस्थामें सलाह यहासे विदेशोंके लिये हम आदमी कहासे भेज सकते हैं। कुछ काम करके जब हमलोग भारतमें ही अपना काफी प्रभाव जमा लेंगे तब हम विदेशोंमें प्रभाव जमानेके लिये लोगोंको भेजनेका विचार करेंगे।

"इण्डिया" पत्रकी असन्तोष जनक अवस्थाके बारेमें एक दूसरे सवाददाताने भी हमारे पास लिखा है। उन्होंने लिखा है कि "इण्डिया" पत्रके कुल ५०० ग्राहक हैं अर्थात् २२० ब्रिटनमें और शेष भारतमें। गत वर्ष आय तो हुई ७३) २० पर इस वर्षका अनुमानित व्यय प्राय ४६५००) २० है।

"इण्डिया पत्रके चलानेके लिये भारतकी जनताकी जेबसे २७०००) २० प्रति वर्ष दिया जाता है। उसमेंसे सम्पादकको

हिसियतसे मिस्टर सैय्यद हुसेनको (८२७०) रु० मिलते हैं। सहकारी सम्पादक मिस्टर फेनर ब्रोकरको भी (८२७०) मिलते हैं। मैनेजर मिस्टर जी० पी० विल्जिआण्डको (६०००) मिलता है। २२५०) क्लर्कका घेतन है और उतना ही टाइप करने-वालेको मिलते हैं।

कसी न किसी तरह पत्र जीता है पर प्रचारका उद्देश्य उससे लेशमान भी सिद्ध नहीं हुआ है। उसकी नीति भी रचनात्मक नहीं रही है। ऐसी अवस्थामें केवल ५०० सव्यामें पत्रके प्रचारके लिये (४६५००) रुपया प्रति वर्ष खर्च करना फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है।

ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी

(जनवरी १६ १९२१)


ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी तथा “इण्डिया” पत्रको तोड़ देनेके निर्णयको बम्बईका ‘बाम्प्रे क्रानिकल’ असंवाद और कुसमय बतलाता है। ‘बाम्प्रे क्रानिकल’ का कहना है कि “कांग्रेस विधानपर विचार करनेके लिये जो कमेटी वैठाई गई थी उसने इनके तोड़ देनेके पक्षमें कोई बात नहीं कही है और इससे उपयोगी काम हो रहा था। किसी कमेटीने इसके तोड़नेका परामर्श नहीं दिया है।” पर यह स्मरण रखना

चाहिये कि उपरोक्त कमेटीकी नियुक्ति अमृतसर कांग्रेसके अवसर पर हुई थी और इसने अपना रिपोर्ट असहयोग प्रस्तावके स्वीकृत होनेके बहुत दिन बाद प्रकाशित की। उस समयसे आजतक अनेक घटनायें हो गयी हैं जिससे विदेशोंमें प्रचारके सम्बन्धमें देशका मत बदल गया है। इनका तोटना सिद्धान्तके अनुसार है। लोगोंने यह घात महसूस की कि जिस कांग्रेसने असहयोगका घात स्वीकार कर लिया है वह अपनी सहायता व्यय विदेशोंसे नहीं चाहती। कांग्रेसने जानबूझ कर अपने घरमें आग लगाई है। उसने जानबूझ कर आत्मनिर्भर रहना तै किया है। ऐसी अवस्थामें कमेटीके सङ्गठनको पूर्णताका प्रश्न अनर्गल हो जाता है। इस परिवर्तनकी अवस्थामें प्रचारके कामके लिये विदेशोंमें संस्था रखना भी कांग्रेसके लिये अनुचित है।

चाहे तुम कहो या न कहो पर यदि भूखेको अन्न न दिया जाय तो वह अवश्य मर जाता है। चाहे हमलोग कुछ कहें या न कहें पर जिस समय हम सरकारकी सहायता करना बन्द कर देगे उस समय वह अवश्य मर जायगी। मैं तो उस प्रस्तावका भी विरोधी हूँ जिसमें अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीको यह स्वतन्त्रता दे दी गई है कि वह अपनी जिम्मेदारी और निर्णयपर विदेशोंमें प्रचार करनेके लिये व्यय करे। हमें तो यहीं अधिकसे अधिक समयकी जरूरत है। ४५०००) रुपया यदि हमलोग केवल अपने विज्ञापन देनेमें व्यय

न कर चरखे और करवेमें लगावें तो कितना अधिक लाभ हो सकता है। अच्छे कामका विज्ञापन आपसे आप ही हो जाता है। मुझे पूरी आशा है कि उस रूपके सदुपयोग होगा। "इण्डिया" पत्रका बन्द हो जाना ही अच्छा है। उसके द्वारा हमलोगोंके हृदयोंमें गलत आशाये उत्पन्न हो गई थीं। ब्रिटन मर्यादाकी उसी तरह परीक्षा हो रही है जिस तरह हमारी। यदि स्वार्थी और धुराई चाहनेवाले समाचार पत्र हमारी शिकायत और निन्दा छापते हैं और वे लोग (ब्रिटिश जनता) उसीको स्वीकार करते हैं तो लाचारी है। क्या हमलोगोंने कांग्रेसकी ओरसे पञ्जाबकी रिपोर्ट नहीं निकाली है? पर उसपर कौन विश्वास करता है। मि० माण्टेगूने उसे अविश्वसनीय बतलाया है और ब्रिटिश जनताने उनके ही रागमें राग मिलाया है। बाहियात बातोंके प्रचारमें ब्रिटन अमरीकाका मुकाबला कर रहा है। मैं इस मार्गका अवलम्बन कर असफल नहीं होना चाहता।

भूटे समाचार पत्रों तथा कपटपूर्ण सार्वजनिक जीवनकी नीतिको उखाड़नेके लिये हमें दूसरे उपायसे काम लेना चाहिये। ब्रिटिश कांग्रेस कमेटी तथा "इण्डिया" पत्रको बन्द कर कांग्रेसने उसका आरम्भ किया है।



कार्यकारिणी समिति

—:—

(जून २६, १९२१)

कार्यकारिणी समितिके प्रस्तावोंपर घोर विरोध प्रगट किया जा रहा है। उसने प्रस्ताव पास किया है कि असहयोगी वकीलोंको अदालतोंमें नही जाना चाहिये और असहयोगी अभियुक्तोंको अपने मुकदमेकी पैरवी नही करनी चाहिये। इसपर लोगोंने बडा रौला मचाया है कि कार्यकारिणी समितिको इस बातका अधिकार नही है और इसको स्वीकार नही करना चाहिये। इसलिये कार्यकारिणी समितिके अधिकारको निश्चय करना आवश्यक है। पर इसको समझनेके पूर्व हमे कांग्रेसके विधानकी समझ लेना उचित है।

कांग्रेसका लक्ष्य है शान्तिमय तथा उचित उपायों द्वारा भारतमें स्वराज्य स्थापित करना। इसके अनुसार कांग्रेसका कर्तव्य यह है कि वह इस तरीकेसे काम करे जिससे भारतका उद्धार शीघ्र हो जाय। कांग्रेस विधानकी रचना इस प्रकार की गई है कि उसके द्वारा राष्ट्रको स्वराज्यकी अपनी योग्यता साबित करनी होगी। वह जिस शासन प्रणालीकी व्यवस्था करती है उसकी शक्ति सार्वजनिक मत तथा लोगोंके सहभावमें है और यह देखकर कि कांग्रेस इस समय वर्तमान

शासन प्रणालीमें विनाशका प्रयत्न कर रही है, इससे यह प्रत्यक्ष हुआ कि कांग्रेसका ढल जितना प्रबल होता जायगा सरकारका बल उतना ही क्षीण होता जायगा। जिन दिन लोग एकमत होकर कांग्रेसके निर्णयोंको स्वीकार करने लगेंगे उसी दिन पूरा स्वराज्य हो जायगा। उस दिन या तो सरकारका अन्त हो जायगा या उसे कांग्रेसके मतको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिये कांग्रेसको दृढ़, सुसंगठित और बलिष्ठ सम्था बनानेकी आवश्यकता है। इसके लिये कांग्रेसके निर्णयोंको स्वीकार कर लेना आवश्यक है।

कांग्रेसका अधिवेशन वर्ष भरमें सिर्फ एक बार ही होता है। उसी अधिवेशनमें वह अपनी वर्ष भरकी नीति स्थिर करती है। कांग्रेस कमेटीका संगठन इसीलिये हुआ है कि वह प्रस्तावों द्वारा कांग्रेसकी स्थिर नीतिको चरितार्थ करे। इसलिये प्रस्तावोंकी व्याख्या करना तथा उनके कारण उत्पन्न नयी स्थितिके विवेचन करनेका उसे उतनाही अधिकार है जितना स्वयं कांग्रेसको। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य लोग भिन्न भिन्न प्रस्तावों पर और उनके अर्थों या टीकाओं पर मतभेद भले ही प्रगट करें पर इस हालतमें यदि कोई महत्त्वके सिद्धान्तका प्रश्न न हो तो—अधिक मतको स्वीकार करें। कमेटीकी बैठकमें जिन विषयोंपर विवाद हो चुका हो उनपर खुला विवाद नहीं होना चाहिये। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी योग्यता निम्नोक्त करनेके लिये विधान द्वारा पन्द्रह प्रधान कार्यकर्त्ता-

ओंका कार्यकारिणी समिति बनाई गई है जिसका अधिवेशन जल्दी ही जल्दी हुआ करेगा और अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक नहीं हो रही है तो कार्यकारिणी समितिकी उसके सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये वह समस्त आवश्यक कार्योंको करती रहेगी और यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीका अधिवेशन भी करेगी। पार्लिमेट और केबिनेटका जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध कांग्रेस कमेटी और कार्यकारिणी समितिका है। यदि इस वर्षके भीतर ही हम जिम्मेदार शासनकी स्थापना कर लेना चाहते हैं तो हमें उचित है कि हम कार्यकारिणीके निर्णयोंका सम्मान करें। इसलिये उसके सदस्य वे ही हो सकते हैं जो अखिल भारत-वर्षीय कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रके सबसे बड़े विश्वासपात्र हों। उसे जल्दीबाजीमें कोई निर्णय नहीं करना चाहिये। पर साथ ही उसे एकमतका होना चाहिये। उसके अन्दर दलबन्दी नहीं हो सकती। कांग्रेस राष्ट्रकी प्रतिनिधि संस्था है इससे उसमें हर तरहके लोगोका समावेश है। पर कार्यकारिणी समितिमें वे ही लोग हों जिनपर अधिकसे अधिक प्रतिनिधियोका विश्वास हो। उनका निर्णय अधिकांश अवस्थामें सर्वसम्मत होना चाहिये। यदि कोई सदस्य कमेटीके सदस्योंकी अधिकांश सख्यासे सहमत नहीं होता तो उसे उचित है कि वह कार्यकारिणी समितिसे अपना सम्बन्ध त्याग दे। पर उसे उचित नहीं है कि भीतरकी बातों पर बाहर विवाद खडाकर समितिके

काममें गाथा डाले। इसलिये प्रत्येक कांग्रेसमैनको कार्यकारिणी समितिके निर्णयको स्वीकार करना चाहिये। पर इसके माने यह नहीं है कि यह उच्छृंखल सस्था है। यदि इस पर विश्वास नहीं रह जाता तो अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी इसे तोड़ सकती है। अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी इसके निर्णयोंमें भी परिवर्तन कर सकती है। मेरी समझमें तो यदि जनता कार्यकारिणी समितिके निर्णयोंको स्वीकार नहीं करती रहेगी तो इस वर्षके भीतर स्वराज्य प्राप्त करना कठिन है। इसलिये उचित है कि कांग्रेसके प्रत्येक निर्णयका पूर्णतया पालन करके उसे सुदृढ़ बनावें। सरकार जिस कार्यको पशुबलके द्वारा करता है कांग्रेस उसी कामको प्रेमबलके द्वारा कराना चाहती है। सरकारने लोगोंके दिलोंमें भय उत्पन्न कर अपनी जड़ जमायी है, कांग्रेसको अपनी नीतिको स्वीकार करवा कर अपनी जड़ जमानी होगी। इसीलिये जनताके हर एक काममें अहिंसाका समावेश है। पर जबतक प्रजा पूर्णतया सहयोग नहीं करेगी तबतक कांग्रेसकी सफलता नहीं हो सकती। नागपुर कांग्रेसके निर्णयके अनुसार यदि इसी वर्ष स्वराज्य प्राप्त करना हो तो कांग्रेसकी बातको पूरी तरह स्वीकार करते जाना चाहिये।

मुसलमान प्रतिनिधित्व

लखनऊके सुल्हके सम्बन्धमें कार्यकारिणी समितिने सलाहके तौरपर जो प्रस्ताव पास किया है उसपर भी मतभेद है।

ओंकी कार्यकारिणी समिति बनाई गई है जिसका अधिवेशन जल्दी ही जल्दी हुआ करेगा और अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीकी बैठक नहीं हो रही है तो कार्यकारिणी समितिको उसके सभी अधिकार प्राप्त हैं। इसलिये वह समस्त आवश्यक कार्यों को करती रहेगी और यदि आवश्यकता प्रतीत हुई तो अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीका अधिवेशन भी करेगी। पार्लिमेट और फेविनेटका जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध कांग्रेस कमेटी और कार्यकारिणी समितिका है। यदि इस वर्षके भीतर ही हम जिम्मेदार शासनकी स्थापना कर लेना चाहते हैं तो हमें उचित है कि हम कार्यकारिणीके निर्णयोंका सम्मान करें। इसलिये उसके सदस्य वे ही हो सकते हैं जो अखिल भारत-वर्षीय कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रके सबसे बड़े विश्वासपात्र हों। उसे जल्दीबाजीमें कोई निर्णय नहीं करना चाहिये। पर साथ ही उसे एकमतका होना चाहिये। उसके अन्दर दलबन्दी नहीं हो सकती। कांग्रेस राष्ट्रकी प्रतिनिधि संस्था है इससे उसमें हर तरहके लोगोका समावेश है। पर कार्यकारिणी समितिमें वे ही लोग हों जिनपर अधिकसे अधिक प्रतिनिधियोका विश्वास हो। उनका निर्णय अधिकांश अवस्थामें सर्वसम्मत होना चाहिये। यदि कोई सदस्य कमेटीके सदस्योंकी अधिकांश संख्यासे सहमत नहीं होता तो उसे उचित है कि वह कार्यकारिणी समितिसे अपना सम्बन्ध त्याग दे। पर उसे उचित नहीं है कि भीतरकी बातों पर बाहर विवाद खड़ाकर समितिके

विदेशोंमें प्रचार

(मार्च ६, १९२२)

कार्य समितिने विदेशोंमें प्रचार करनेका जो काम अपने सिरपर उठाया है, मैं देखता हू कि उसके कार्यक्षेत्रके सम्बन्धमें बहुत कुछ गलत फहमी फैल रही है। इस विषयमें कार्यसमितिकी जो रिपोर्ट पेश की गयी है वह प्रकाशित नहीं की गई। मैं देखता हू कि यह गलती हुई। खैर। गत ३१ जनवरीको सूरतमें कार्य समितिकी जो बैठक हुई उसमें इस आशयका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि विदेशोंमें महासभाके कार्यका प्रचार करनेके लिये मैं कोई तजवीज तैयार करू। उनके अनुसार इस विषयके तमाम कागज पत्रोंको देखकर मैंने अपनी रिपोर्ट कार्य समितिको पेश की। उसमें मैंने लिखा था कि “वर्तमान अवस्थामें भारतकी राजनैतिक स्थितिको प्रगट करनेके लिये किसी भी बाहरी देशमें कोई समाचार एजेन्सी स्थापित करना मेरी रायमें आवश्यक है और शायद हानिकर भी सिद्ध हो, क्योंकि इससे एक तो भारतको जनताका ध्यान बट जायगा और केवल अपने ही बलपर खड़े होनेके बदले बाहरी देशोंके कार्यों के फलाफलकी तथा सहायताकी ओर उसका ध्यान ढीङने लगेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें दुनियाकी सहायता

नये विधानमें मुस्लिम प्रतिनिधित्वका प्रश्न अल्प सख्याके अधिकारोंकी रक्षाके वचन द्वारा उठना है। कार्यकारिणी समितिको विदित हुआ है कि अपने प्रतिनिधित्वके सम्यन्धमें मुसलमानोंकी चिन्ता बढ़ रही है और वे चाहते हैं कि लखनऊके निर्णयोंका पालन किया जाय। इसलिये उसके अनुसार कार्य करना उचित ही था।

चारों तरफसे यत्न किया जा रहा है कि हिन्दू और मुसलमानोंमें मतभेद उपस्थित हो जाय। मुसलमान अभी हालमें ही साथ देने लगे हैं। इसलिये प्रत्येक हिन्दूका धर्म है कि वह प्रत्येक उचित प्रलोमनों द्वारा मुसलमानोंको कांग्रेसमें लानेका यत्न करे। कांग्रेस सभी जाति और सभी धर्मवालोंके मिलनेका एक स्थान होना चाहिये। यदि चेष्टा करने पर भी मुसलमान लोग आना नहीं चाहते तो उन पदोंको खाली रखना चाहिये अथवा उनपर ऐसे लोगोंको नियुक्त कर देना चाहिये जो मुसलमानोंके आने पर उन पदोंको खाली कर दें। कुछ लोगोंका कहना है कि इस समय हमें योग्यताकी जितनी परवा करनी चाहिये उनको हककी परवा नहीं करना चाहिये। योग्यता अवश्य वाञ्छनीय है पर हमलोग भी उसका उसी तरह दुरुपयोग कर सकते हैं जैसा अंग्रेजोंने किया है। योग्यतासे मेल आवश्यक है। मेलसे अधिक महत्व यदि कोई वस्तु रखती है तो आत्मा और सिद्धान्त। इसीका दूसरा नाम सचाई है।

कामका होगा। 'थ्रू इण्डिया' सम्बन्धी चिट्ठी पत्रियोंसे जो दुनियाके तमाम हिस्सोंसे मेरे पास आती जाती रहती हैं, मैं देखता हूँ कि दुनिया भरमें भारतके मामलोंपर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया जाता था, इससे यह सिद्ध होता है कि जितना हमारा कष्ट सहन अधिक होगा उतना ही उनका ध्यान इस ओर अधिक जायगा। इस लिए यहाकी राजनैतिक स्थितिके सम्बन्धमें सच्ची खबरें भेजनेका सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि महासभाका काम अधिक शुद्ध, अधिक सुसंगठित रूपसे चलाया जाय और कष्ट-सहनकी तैयारी अधिक क जाय। इससे केवल बाहरी लोगोंकी जिज्ञासा ही नहीं बढ़ती, परन्तु स्थितिकी असलियतको तथा उसकी भीतरी घातको समझ लेनेकी भी उत्कंठा बढ़ती है।”

इस सम्बन्धमें जो कागजपत्र मुझे दिये गये थे, तथा जो जो दलोंके उसके पक्ष और विपक्षमें पेश की गई थीं मैंने उन सबको ध्यानसे पढ़ा और सुना, पर फिर भी मेरी तो यही निश्चित राय हुई कि कमसे कम आज तो भारतके बाहर कोई समाचार एजेन्सी स्थापित करनेकी आवश्यकता नहीं है। हा, हम यह तो जरूर चाहते हैं कि इस युद्धमें ससार हमारे साथ हो, पर हम विदेशोंमें एजेन्सी खड़ी करके इस कामको नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उन्हीं लोगोंको सच्ची सच्ची खबरें भेज दिया करें, जो उन्हें सुनना चाहते हों। यदि कोई बाहरी देश किसी विशेष देशकी किसी खास हलचलके हालात जाननेके

दरकार नहीं है, बल्कि उस सहायता प्राप्त करनेका मार्ग यह है कि हम खुद अपने ही कार्योंकी शुद्धतापर अधिक जोर दें और इस बातपर भरोसा रखें कि सत्यका प्रचार अपने आप होता है।

दूसरे यह मेरे तजरिवेकी बात है कि जब कोई एजेन्सी किसी खास उद्देशसे स्थापित की जाती है तब कुछ हद तक उसका निष्पक्ष भाव कम हो जाता है और लोग यह खयाल करते हैं कि यह बात तो हेतु विशेष रखनेवाले लोगोंकी तरफसे आई है। अतएव वे उसको उतना महत्व नहीं देते।

तीसरे महासभा ऐसी एजेन्सियोंपर आवश्यक निगरानी न रख सकेगी और इस बातका डर है कि इस आन्दोलनके सम्बन्धमें कहीं गलत खबरें और गलत खयालात अधिकारी रूपसे न पहुंचा करें।

चौथे, देशकी वर्तमान अवस्थाको देखते हुए यह मुमकिन नहीं है कि कोई गण्यमान्य पुरुष यहासे विदेशोंमें भेजा जा सके जो वहा जाकर केवल खबरें भेजनेका ही काम करें; क्योंकि यहा काम करनेके लिये बहुत थोड़े लोग हैं।

अतएव मेरी यह राय है कि यदि आवश्यक हो तो 'कांग्रेस बुलेटिन' के कामका सगठन अच्छी तरह कर लिया जाय। मेरा तो यह अनुभव है कि महासभा जितना ही अधिक पक्का काम करेगी और देशके लोग जितना ही अधिक फल सहन करेंगे उतना ही अधिक प्रचार, बिना कोई खास प्रयत्न किये, हमारे

इसके अलावा यह असहयोग आन्दोलन स्वावलम्बनकी नींव पर खड़ा किया गया है। इसका तो मूलमन्त्र है—जितना बल हममें होगा उतना ही सफलता हमें मिलेगी, अधिक नहीं। हमारी योग्यताके समग्रन्धमे संसारके दिये प्रमाण पत्रसे हमें सफलता नहीं मिलनेकी। उसे तो हमें अपनी पड़ी-चोटीका पसीना बहाकर प्राप्त करना होगा। चाहे कितनी ही निन्दा और निषेध इस आन्दोलनका क्यों न किया जाय, इससे इसका अन्त नहीं हो सकता। वह तो तभी मुमकिन है जब हम खुद ही उस निन्दासे भडक कर अखिर चित्त हो उठें और उसे छोड़ बैठें। इसलिए हमें अपने स्वीकृत कार्यसे कदापि मुह न मोड़ना चाहिए। हम तो बस सिर्फ अपने उसी कामपर अटल होकर डटे रहें और विश्वास रखें कि हमारे विना कोशिश किये, ही संसार अपने आप उसकी ओर झुकेगा। मुझे तो यह बात भी दर असल अखर रही है कि कुछ नवयुवकोको अपने कामोंसे छुड़ाकर 'कांग्रेस बुलेटिन' के काममें लगाया जाय। पर हमारे पास तो इस बातका भी कोई लिखित और अधिकारी साधन नहीं है कि प्रति सप्ताह हमारा काम कितना आगे बढ़ा है। इस दशामें यह "कांग्रेस बुलेटिन" क्या भारतमें हमारे कार्यकर्ताओंके लिये तथा क्या हमारे विदेशी मित्रोंके लिए बड़े कामकी चीज होगी।

कार्यसमिति इस कार्यके आरम्भके लिए प्रायः अधीर हो रही है। इसलिये उसने इस 'बुलेटिन' का काम सब तरहसे

लिए खुद ही अपनी कोई एजेन्सी नहीं रखता तो मेरो दृष्टिमे यह इस बातका सबूत है कि उसे इससे कोई वास्ता नहीं है। कोई १५ महीनोंसे हम काम कर रहे हैं, लन्दनमें हमारी कोई समाचार एजेन्सी नहीं। पर मैं कहनेका साहस करता हू कि १५ महीनेके पहलेसे आज इस विषयमें हमारी हालत खराब नहीं हैं। हमारी हालत इसीलिये और उतने ही दर्जे तक अच्छी है जितने दर्जेतक हमने खुद भारतमें ही असली काम किया है। ससारमें आज जितने आदमी भारतको बातोंमें दिल चस्पी लेनेवाले हो गए हैं उतने इससे पहले कभी नहीं थे। इस लिये उनके प्रति हमारा इतना कर्त्तव्य अवश्य है कि हम सच्ची सच्ची खबरें उनतक पहुँचा दें, बस हम अपना फर्ज अदा कर चुके। मेरे सामने इटलीके एक इटालियन पत्रके सम्पादकका पत्र रखा हुआ है जिसमें वे लिखते हैं कि इटलीक लोग भारत के इस आन्दोलनमें कितना गहरा रस लेते हैं और इसलिए इटलीके अखबार भारतकी बातोंका ज्ञान इटली वालोंको करा रहे हैं। इसे मैं कहता हू स्वाभाविक और अपने आप विकास पानेवाला हलचल। पर अगर इस खबरके बलपर हम इटलीमें कोई एजेन्सी पोलकर वहाँके लोगोंका चाव अधिक बढ़ाना चाहे तो इससे काम बनानेके बजाय अति करके हम बिगाड ही बैठेंगे। इसलिये बेहतर है कि हम अपनी ही शक्ति और सामर्थ्य पर अपना आधार रखते हुए अपने हिताहितका विचार करें। हमारा बल अपनी कथा खुद ही कह लेगा।

चाहता हू कि वे अपने अपने प्रान्तोंके सदस्योंकी सख्या, राष्ट्रोब मतके अखबारोंके नाम और पते, राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओंकी संख्या और पिछले छ महीनोमें उनकी औसत हाजिरी, पचायतोंकी तादाद तथा अमहयोग आन्दोलन सम्बन्धी तमाम बातें लिखकर भेजे ।

काँग्रेसका मजाक

(मार्च २, १९२१)

हमें काँग्रेसको मजाक नहीं बना देना चाहिये । म हृदयसे चाहता हू कि प्रत्येक व्यक्ति काँग्रेसमें हो जाय और काँग्रेसके प्रस्तावोंको स्वीकार करे । पर मैं यह कमी भी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति काँग्रेसमें इसलिये बने कि यह सबसे पुरानी या मर्यादित सखा है और उसके निर्णयोंको जी चाहे माने या न माने । कार्यत प्रत्येक व्यक्तिको अधिक मतके निर्णयोंको स्वीकार करना चाहिये । पर यदि बहुमतका भी निर्णय ठोक न हो तो उसे स्वीकार करना दासताकी निशानी है । इसके अनुसार काँग्रेसके निर्णयोंका ख्याल न कर भी मेरी समझमें यदि किसीका विश्वास है कि काँग्रेसिल आशाप्रद सखा है तो उसे उसमें न जाना पाप है । इसी तरह यदि वकील हृदयसे घृह समझता है कि अदालतमें न्याय होता है तो केवल काँग्रेसकी आज्ञा मान

मुझपर छोड़ दिया है। मैं आशा करता हूँ कि पहला 'बुलेटिन' अगले सप्ताहमें प्रकाशित हो जायगा और प्रति सप्ताह प्रकाशित हुआ करेगा। बुलेटिन "यङ्ग इण्डिया"के प्रत्येक ग्राहकके पास भेजा जायगा और बराय नामके उसका लागतमात्र मूल्य उनसे लिया जायगा। 'यङ्ग इण्डिया'को ग्राहक सख्या पचीस हजारसे अधिक है और दुनियाके प्रायः सभी भागोंमें वह जाता है। कितने ही अखबारोंके परिवर्तनमें वह देश विदेश जाता है। बुलेटिनको कीमत पीछे बतवाई जायगी। इस उपायसे महासभाका खर्च भी बच जायगा और बुलेटिनका प्रचार भी खूब होगा। "यङ्ग इण्डिया"में तो मेरे निजी तथा मेरे साथियोंके विचार रहते हैं, पर बुलेटिनमें किसी व्यक्ति विशेषके खयालत न रहेंगे। उसमें खास करके महासभाके कार्यों का व्यौरा तथा दोनों पक्षोंके अखबारोंकी राये रखा करेंगी। उसमें खिलाफतका भाग अलग रहेगा जिसमें खिलाफतके कार्यों का विवरण रखा करेगा। इस काममें तभी सफलता मिल सकती है जब महासभा तथा खिलाफतके तमाम कार्यकर्ता इसमें सहायता दें। अतएव जो सज्जन इस कार्यमें दिलचस्पी लेते हों वे अपनी सूचनायें और पत्रों 'सम्पादक कांग्रेस बुलेटिन O/o यङ्ग-इण्डिया' को भेजनेकी ठगरा करें। इस विषयकी तमाम चिट्ठी पत्रियोंपर 'कांग्रेस बुलेटिनके लिए' ये शब्द जरूर लिखे जाय ताकि 'यङ्ग इण्डिया' की और बुलेटिनकी चिट्ठियोंमें गड़बड़ न हुआ करे। सबसे पहले मैं हर एक प्रान्तीय समितियोंसे

करनी चाहिये । उसीको हम सच्ची स्वतन्त्रता कहते हैं । यही स्वच्छन्द सविनय अवघाका सूत्र है । इसी तरह हम अपनी रक्षा भ्रममूलक उपासनासे कर सकते हैं ।

लोकमान्य ।

(अगस्त ४, १९२०)

लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक अब ससारमें नहीं हैं । यह विश्वास करना कठिन मालूम होता है कि वे ससारसे उठ गये । हम लोगोंके समयमें ऐसा दूसरा कोई नहीं जिसका जनता पर लोकमान्यके जैसा प्रभाव हो । हजारों देशवासियोंकी उन पर जो भक्ति और श्रद्धा थी वह अपूर्व थी । यह अक्षरशः सत्य है कि वे जनताके आराध्य देव थे, प्रतिमा थे, उनके बचन हजारों आत्मियोंके लिये नियम और कानून से थे । पुरुषोंमें पुरुषसिंह ससारसे उठ गया, केसरीकी घोर गर्जना विलीन हो गई ।

देशवासियों पर उनका इतना प्रभाव होनेका क्या कारण था ? मैं समझता हूँ इस प्रश्नका उत्तर बड़ा ही सहज है । उनकी स्वदेश भक्ति ही उनकी इन्द्रियवृत्ति थी । वे स्वदेश प्रेमके सिवा दूसरा धर्म नहीं जानते थे ।

जन्मसे ही वे प्रजासत्तावादी थे । बहुमतकी आशा पर इतना अधिक विश्वास करते थे कि मुझे उससे भयभीत होना पड़ता

कर उसे अदालतोंका त्याग करना पाप है। मेडिया धसानके माने स्वतन्त्रता नहीं है। स्वतन्त्रतामें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और मत प्रकाश पर बड़ा जोर दिया जाता है। इसलिये मेरा विश्वास है कि अल्पमत स्वतन्त्र प्रेरणाके अनुसार काम कर सकता है यदि वह कांग्रेसके नाम पर काम नहीं करता। वकालत करते हुए वकील कांग्रेसमें हो सकते हैं पर उन्हें असहयोगी नहीं कह सकते और न वे अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य ही हो सकते हैं। उसी तरह जो लोग खहर धारण नहीं करते, जिन्होंने उपाधियोंका त्याग नहीं किया है और जो कौंसिलोंके पक्षपाती हैं, वे भी कांग्रेसमें हो सकते हैं पर असहयोगी नहीं कहे जा सकते।

कांग्रेसमें कांग्रेसके प्रस्तावोंमें वाध्य नहीं है। साथ ही यदि वह कांग्रेस विधानके प्रतिकूल काम नहीं करता तथा कांग्रेसके नाम पर काम नहीं करता तो वह और भी आगे बढ़ सकता है। मान लीजिये कि कांग्रेसने जो नियन्त्रण रखा है वह किसी एक प्रान्तके अनुकूल नहीं है तो यदि वह प्रान्त अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है तो वह अपनी जिम्मेदारी पर आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस सबके अनुकूल बातकी अधिकाधिक चेष्टा रखती है पर इसमें संभावना है कि कोई बात किसी प्रान्तके अनुकूल न हो। वह प्रान्त अपने भरोसे पर कांग्रेसके कार्यमें किसी तरहकी बाधा पहुंचाये बिना अपना जिम्मेदारीपर अपना कार्यक्रम चला सकता है, इसके लिये उसे कांग्रेसकी निन्दाकी परवा नहीं

हुआ था। वे कांग्रेस परेडालसे तुरन्त ही लौटे थे। हिन्दीके सम्बन्धमें उन्होंने अपने शान्त भाषणमें जो कहा उससे बड़ी तृप्ति हुई। भाषणमें आपने देशी भाषाओंपर खयाल रखनेके कारण अङ्गरेजोंकी बड़ी प्रशंसा की थी। विलायत जाने पर, यद्यपि आपको अङ्गरेज जूररोंके विषयमें घुरा हो अनुभव हुआ तथापि आपका ब्रिटिश प्रजासत्तामें बड़ा ही दृढ विश्वास हो गया। आपने यहा तक कहा था कि पञ्जावके अत्याचारोंका चित्र "सिनामेटोग्राफ" यन्त्र द्वारा ब्रिटिश प्रजासत्ता-वादियोंको दिखाना चाहिये। मैंने यहा इस घातका उल्लेख इसलिये नहीं किया कि मैं भी ब्रिटिश प्रजासत्ता पर विश्वास रखता हूँ (जो मैं नहीं रखता, पर यहा दिखानेके लिये कि वे अङ्गरेज जातिके जातिके प्रति घृणाका भाव नहीं रखते थे। पर वे भारत और साम्राज्यकी अवस्थाको इस पिछडी अवस्थामें न तो रखना ही चाहते थे और न रख सकते थे।

वे चाहते थे कि शीघ्र ही भारतसे समानताका भाव रखा जाय और इसे वे देशका जन्म-सिद्ध अधिकार समझते थे। भारतको स्वतन्त्रताके लिये उन्होंने जो लड़ाई की उसमें सरकारको छोड़ नहीं दिया। स्वतन्त्रताके इस युद्धमें उन्होंने न तो फिस्तीकी मुरौब्यत की और न किसीकी प्रतीक्षा ही की। मुझे आशा है अङ्गरेज लोग उस महापुरुषको पहचानेंगे जिनकी भारत पूजा करता था।

भारतकी भावी सन्ततिके हृदयमें भी यही भाव बना रहेगा

था। पर यही वह घात है जिससे जनता पर उनका इतना अधिक प्रभाव था। स्वदेशके लिये वे जिस इच्छा-शक्तिसे काम लेते थे वह बड़ी ही प्रबल थी। उनका जीवन वह ग्रन्थ है जिसे खोलनेकी भी जरूरत नहीं—वह खुला हुआ ग्रन्थ है। उनका खाना-पीना और पहनावा बिलकुल साधारण था। उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही निर्मल और वेदांग है। उन्होंने अपनी आश्चर्य जनक बुद्धि शक्तिको स्वदेशको अर्पण कर दिया था। जितनी स्थिरता और दृढ़ताके साथ लोकमान्यने स्वराज्यकी शुभ चार्ताका उपदेश किया उतना और किसने नहीं किया। इसी कारण स्वदेशवासी उन पर अटूट विश्वास रखते थे। साहसने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी आशावादिता अदम्य थी। उनको आशा थी कि जीवन कालमें ही मैं सम्पूर्ण रूपसे स्वराज्य स्थापित हुआ देख सकूंगा। यदि वे इसे नहीं देख सके तो उनका दोष नहीं है। उन्होंने निस्सन्देह स्वराज्य-प्राप्तिकी अवधि बहुत कम कर दी है। यह अब हम लोगों-के लिये है जो अभी तक जी रहे हैं कि अपने द्विगुणित उद्योगसे उसको जहा तक शीघ्र हो सत्य कर दिखावें।

लोकमान्य अधिकारी वर्ग या अंग्रेजी राज्यसे घृणा नहीं करते थे। मैं अंग्रेजोंको ऐसी भूल धारण करनेसे मना करना हू कि लोकमान्य अंग्रेजोंके शत्रु थे।

कलकत्ता कांग्रेसके समय हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेके सम्बन्धमें उन्होंने जो कहा था उसे सुननेका अवसर मुझे भी प्राप्त

हुआ था। वे कांग्रेस-पण्डालसे तुरन्त ही लौटे थे। हिन्दीके सम्बन्धमें उन्होंने अपने शान्त भाषणमें जो कहा उससे बड़ी तृप्ति हुई। भाषणमें आपने देशी भाषाओंपर खयाल रखनेके कारण अङ्गरेजोंकी बड़ी प्रशंसा की थी। विलायत जाने पर, यद्यपि आपको अङ्गरेज जूररोंके विषयमें बुरा हो अनुभव हुआ तथापि आपका ब्रिटिश प्रजासत्तामें बड़ा ही दृढ विश्वास हो गया। आपने यहा तक कहा था कि पञ्जाबके अत्याचारोंका चित्र "सिनामेटोग्राफ" यन्त्र द्वारा ब्रिटिश प्रजासत्ता वादियोंको दिखाना चाहिये। मैंने यहा इस बातका उल्लेख इसलिये नहीं किया कि मैं भी ब्रिटिश प्रजासत्ता पर विश्वास रखता हूँ (जो मैं नहीं रखता, पर यहा दिखानेके लिये कि वे अङ्गरेज जातिके जातिके प्रति घृणाका भाव नहीं रखने थे। पर वे भारत और साम्राज्यकी अवस्थाको इस पिछड़ी अवस्थामें न तो रखना ही चाहते थे और न रख सकते थे।

वे चाहते थे कि शीघ्र ही भारतसे समानताका भाव रखा जाय और इसे वे देशका जन्म सिद्ध अधिकार समझते थे। भारतको स्वतन्त्रताके लिये उन्होंने जो लड़ाई की उसमें सरकारको छोड़ नहीं दिया। स्वतन्त्रताके इस युद्धमें उन्होंने न तो किसीकी मुरौब्यत की और न किसीकी प्रतीक्षा ही की। मुझे आशा है अङ्गरेज लोग उस महापुरुषको पहचानेंगे जिनकी भारत पूजा करता था।

भारतकी भावी सन्ततिके हृदयमें भी यही भाव बना रहेगा

कि लोकमान्य नवीन भारतके बनानेवाले थे। वे तिलक महाराजका सम्मान यह कह कर स्मरण करेंगे कि एक पुरुष था जो हमारे लिये ही जन्मा और हमारे लिये ही मरा। ऐसे महापुरुषको मरा कहना ईश्वरकी निन्दा करना है। उनका स्थायी तत्त्व सदाके लिये हम लोगोंमें व्याप्त हो गया। आओ हम भारतके एक मात्र लोकमान्यका अविनाशी स्मारक अपने जीवनमें उनके साहस, उनकी सरलता उनके आश्चर्य-जनक उद्योग और उनकी स्वदेश-भक्तिको सीखकर बनायें। ईश्वर उनकी आत्माको शान्ति प्रदान करे।

पूजाका अधिकार

बिना अधिकार जो काम किया जाता है वह सफल नहीं होता। यदि धोबी वाल बनाने बैठे तो सिरको लह-लुहान कर डाले। यदि बकील वैद्यक करने लगे तो रोगी यमराजके घर पहुंच जाय। नद्दा मन्दिरमें जा भगवानका प्रसाद नहीं पा सकता। बिना उज्रके पढ़ी हुई नमाजको खुदा कुबूल नहीं करता।

उसी प्रकार यदि तिलक महाराजकी पूजा हम बिना योग्यता प्राप्त किये करें तो वह उन्हें कभी नहीं पहुंच सकती। जिसे भारत देश पसन्द नहीं जो भारतकी हवासे घरघराता है, जिसे भारतके रस्मरिवाज जड़ली दिखाई देते हैं जो हिन्दुस्तानी खान पान-

को देखकर मुंह घनाता है हिन्दुस्तानी पहनावा जिसे काटने लिये दौड़ता हो, वह तिलक महाराजकी पूजा कैसे करे ? उसकी पूजाको क्या तिलक महाराजकी आत्मा कुबूल करेगी ? भगवान तो उसी पर पसन्द होते हैं जो भक्तिपूर्वक, पत्रफल, पुष्प पानी जो हो सके, चढाता है, और भक्तिका अर्थ है भावपूर्वक अनुकरण ।

पुजारीकी परीक्षाका समय आ पहुँचा है । आज लोकमान्यव 'पुण्यतिथि' का उत्सव हम किस तरह मनावेंगे ? विदेशी राज सामानको उतार फेंके गे ?

मालवीय परिवार

(जनवरी १२, १९२२)

यह असहयोग सत्राम अपने ढङ्गका निरालाही है । कितनेही परिवारोंमें इसके यदौलत मत भेद और छतिभेद उत्पन्न हो गया है । यह इसका सबसे अद्भुत प्रभाव है । और तिसमें भी मालवीय परिवारमें इसने जो द्विधा-भाव उत्पन्न कर दिया है वह तो विशेष रूपसे उल्लेख योग्य है । मेरी रायमें तो यह भारतवासियोंके लिये सहिष्णुता और सचिनय कानून भङ्गका खासा-बस्तु पाठ हो है । श्रीमालवीयजीकी सहिष्णुता तो वास्तवमें अनुपम है । मैं इस पाठको जानता हूँ कि वे जेलको निमन्त्रण

देनेके खिलाफ हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि वे उसके का-
 पल होते तो वे ऐसे आदमी नहीं हैं जो उससे दुम दबाते और
 जब उनके दुःखकी मात्रा हृद दर्जेतक पहुँच जायगी और जब कि
 मेरी तरह उनका भी विश्वास ब्रिटिश न्यायसे पूरा पूरा उठ
 जायगा तब यदि वे जेलको निमन्त्रण देनेमें सबसे आगे बढ़ जायें
 तो मुझे जरा भी आश्चर्य न होगा। परन्तु यद्यपि वे आज स्वयं
 सविनय कानून भंगके खिलाफ हैं तथापि उन्होंने कभी उन
 लोगोंके भी सकल्पोंमें हस्तक्षेप नहीं किया जो उनके आत्मीय हैं
 और जिनपर अपने प्रेम अथवा बड़े बूढ़े होनेके कारण उनकी
 अदम्य सत्ता है, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रोंको
 अपनी अपनी इच्छाके अनुसार बरतनेकी पूरी आजादी दे दी है।
 गोविन्दके सविनय कानून-भंगका उदाहरण मेरी दृष्टिमें एक
 संग्रहणीय रत्नके सदृश है। पण्डितजीने मृदुल मधुर ढंगसे
 अपने उस वीर पुत्रको इस मार्गसे हटाने का बहुत-कुछ प्रयत्न
 किया। गोविन्दने भी अन्ततक अपने पूज्य पिताकी इच्छाके
 अनुसार चलनेका भरसक प्रयत्न किया। उसने ईश्वरसे प्रार्थना
 की कि मुझे मार्ग बता। वह परस्पर विरुद्ध कर्तव्योंकी कैचीमें
 फँस गया। नेहरू परिवारको गिरफ्तारीका गोविन्द पर बड़ा
 असर हुआ और अपने विशालहृदय पिताजीकी आशीयप्राप्त करके
 उसने इस रणक्षेत्रमें कूद पड़नेका निश्चय किया। जेलोंने भी
 गोविन्दसे बढ़कर हर्ष शायद होगा।
 यह माहसके है सविनय

कानून भंगकी कृतिके द्वारा गोविन्दने अपने देशकी तरह अपने पू० पिताजीके प्रति भी अपनी कर्तव्य परायणता सिद्ध की है। बालकोंके कर्तव्य परायण सविनय कानून भंगमें गोविन्दकी यह कृति हमारे समयके लिये एक नमूना है। मुझे यकीन है कि इससे पिता पुत्रके बीच किसी तरहकी अनबन नहीं है। बल्कि शायद मालवीयजी, गोविन्दके जेलको स्वीकार करनेके पहलेकी अपेक्षा, अब उसके विषयमें अधिक अमिमान रखते होंगे। ऐसे ही सत्ययुक्त कार्योंके द्वारा मुझे इस युद्धको धार्मिक प्रकृतिका प्रमाण मिलता है। गोविन्दने अदालतमें जो साहस पूर्ण बयान पेश किया है उसे पाठकोंके सामने उपस्थित करनेके मोहको मैं नहीं रोक सकता—

“आप पहले ही फैसलेका निश्चय करके यहाँ बैठे हैं। यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका उद्देश अपराधीको बर्खास्त देना नहीं है, किन्तु अपने क्षय मुक्त बलसे आप एक राष्ट्रकी कानूनी आकाक्षाओंको कुचलना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके कानूनको नहीं मानता हूँ और आपसे एक शब्द भी कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है। जैसे आप हमें कुचलने पर तुले हुए हैं, वैसे हम भी आप लोगोंको, ससारको तथा अपनेको यह दिखाना देना चाहते हैं कि, ३२ करोड़ भारतवासियोंके आत्मिक-बलरूपी शस्त्रसे आपके सरकारका शस्त्र, पाशविक बल जरा भी मजबूत नहीं है। इस विश्वासके आधारपर मैं आपसे तथा आपकी सरकारसे यह कह देना चाहता हूँ कि, मेरे ऐसे साधा-

देनेके खिलाफ हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि वे उसके का-
 यल होते तो वे ऐसे आदमी नहीं हैं जो उससे डुम दवाते और
 जब उनके दुःखकी मात्रा हृद दर्जेतक पहुच जायगी और जब कि
 मेरी तरह उनका भी विश्वास ब्रिटिश न्यायसे पूरा पूरा उठ
 जायगा तब यदि वे जेलको निमन्त्रण देनेमें सबसे आगे बढ जायँ
 तो मुझे जरा भी आश्चर्य न होगा। परन्तु यद्यपि वे आज स्वयं
 सविनय कानून-भंगके खिलाफ हैं तथापि उन्होंने कभी उन
 लोगोंके भी सकल्पोंमें हस्तक्षेप नहीं किया जो उनके आत्मीय हैं
 और जिनपर अपने प्रेम अथवा बडे बूढ़े होनेके कारण उनकी
 अदम्य सत्ता है, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने अपने पुत्रोंको
 अपनी अपनी इच्छाके अनुसार बरतनेकी पूरी आजादी दे दी है।
 गोविन्दके सविनय कानून भंगका उदाहरण मेरी दृष्टिमें एक
 सप्रहणीय रत्नके सदृश है। पण्डितजीने मृदुल मधुर ढंगसे
 अपने उस वीर पुत्रको इस मार्गसेहटाने का बहुत-कुछ प्रयत्न
 किया। गोविन्दने भी अन्ततक अपने पूज्य पिताकी इच्छाके
 अनुसार चलनेका भरसक प्रयत्न किया। उसने ईश्वरसे प्रार्थना
 की कि मुझे मार्ग बता। वह परस्पर विरुद्ध कर्तव्योंकी कैचीमें
 फँस गया। नेहरू परिवारको गिरफ्तारीका गोविन्द पर बडा
 असर हुआ और अपने विशालहृदय पिताजीकी आशीर्ष प्राप्त करके
 उसने इस रणक्षेत्रमें कूद पडनेका निश्चय किया। जेलोंने भी
 गोविन्दसे बढकर हर्ष पूर्ण हृदय शायद किसीका न देखा होगा।
 यह साहसके साथ कहा जा सकता है कि अपनी इस सविनय

कानून भंगकी कृतिके द्वारा गोविन्दने अपने देशकी तरह अपने पू० पिताजीके प्रति भी अपनी कर्तव्य परायणता सिद्ध की है। बालकोंके कर्तव्य परायण सविनय कानून भंगमें गोविन्दकी यह कृति हमारे समयके लिये एक नमूना है। मुझे यकीन है कि इससे पिता-पुत्रके बीच किसी तरहकी अनबन नहीं है। बल्कि शायद मालवीयजी, गोविन्दके जेलको स्वीकार करनेके पहलेकी अपेक्षा, अब उसके विषयमें अधिक अभिमान रखते होंगे। ऐसे ही सत्ययुक्त कार्योंके द्वारा मुझे इस युद्धको धार्मिक प्रकृतिका प्रमाण मिलता है। गोविन्दने अदालतमें जो साहस पूर्ण बयान पेश किया है उसे पाठकोंके सामने उपस्थित करनेके मोहको मैं नहीं रोक सकता—

“आप पहले ही फैसलेका निश्चय करके यहा बैठे हैं। यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका उद्देश अपराधीको दण्ड देना नहीं है, किन्तु अपने क्षय मुजबलसे आप एक राष्ट्रकी कानूनी आकाशामोंको कुचलना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके कानूनको नहीं मानता हूँ और आपसे एक शब्द भी कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है। जैसे आप हमें कुचलने पर तुले हुए हैं, वैसे हम भी आप लोगोंको, ससारको तथा अपनेको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि, ३२ करोड भारतवासियोंके आत्मिक-बलरूपी शस्त्रसे आपके सरकारका शस्त्र, पाशविक बल जरा भी मजबूत नहीं है। इस विश्वासके आधारपर मैं आपसे तथा आपकी सरकारसे यह कह देना चाहता हूँ कि, मेरे ऐसे साधा-

रण कार्य-कर्त्ता तथा बड़ेसे बड़े नेताओंको पकडनेसे हमारा कार्य बन्द नहीं हो सकता। आप हमारे पार्थिव शरीरपर अवश्य अपना अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा और हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा, जो हमें दिन प्रति दिन स्वराज्यके समीप पहुँचा रही है, उसे पकडना आपके अधिकारके बाहर है। जिन भावोंसे प्रेरित होकर आज हम खुशी खुशी यहाँ आ रहे हैं, वह केवल हमारा ही नहीं है वरन् वह समस्त देशका है। हमारे पार्थिव शरीरको कैद कर आप मुझे और मेरे देश-भाइयोंको अधिक नैतिक बल सञ्चय करनेमें सहायता कर रहे हैं। यदि अपनी अधोमुख नौतिको कुछ कालके लिये आपने और जारी रखनेकी कृपा की तो, मैं आपको तथा और लोगोंको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि, हम लोग वर्तमान शासन प्रणालीका नाश करेंगे और अपने देशमें स्वतन्त्र और सुखी होकर रहेंगे। इस आशा पर कि, आप ऐसा ही करेंगे और हमारी अमूल्य सहायता करेंगे, मैं अपनी तथा अपने देश-भाइयोंकी ओरसे आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।”

- मैं पिता पुत्र दोनोंको बधाई देता हूँ। मैं पाठकों को भी निमन्त्रण देता हूँ कि वे इसमें मेरा साथ दें, देशको दोनोंका अभिमान होना चाहिये। और जहाँके युवा लोग गोविन्दकी तरह-साहस दिखाते हैं वहाँ युद्धका वाञ्छित फल मिले बिना नहीं रह सकता।

स्वीकारोक्ति

(जुलाई १३, १९२२)

मेरे पास एक गुमनाम पत्र आया है। उसमें मेरी प्रशंसा करते हुए लेखकने लिखा है—“आपने जिस कामको उठाया है वह लोकमान्यको अतिशय प्रिय था। मालूम होता है उनको आत्मा आपमें विराजती है। आपको साहस नहीं छोड़ना चाहिये। काम करते जाइये स्वराज्य आपका है। पर आपने अपनेको गोपलेका शिष्य किस तरह माना है? यह लिखकर आपने अपनी अप्रतिष्ठा की है।

अच्छा हो यदि लेखक गुमनाम पत्र लिखनेकी बुरी आदत छोड दें। यदि हमलोग स्वराज्यके लिये धाकड़ तत्पर हैं तो हमें उचित ही है कि भीरुता त्यागकर साहसीकी भांति अपना मत प्रगट करें। चूंकि पत्र सार्वजनिक दृष्टिसे महत्त्व पूर्ण है इसलिये इसका उत्तर दे देना आवश्यक प्रतीत होता है। मैं लोकमान्यका अनुयायी नहीं हूं। उनके करोड़ों देशवासियोंकी तरह मैं उनके दृढ साहस, असौम पाण्डित्य, और अगाध देशप्रेमकी हृदयसे प्रशंसा करता हू। सबसे अधिक आदर मैं उनके पवित्र और निस्वार्थ जीवनकी करता हू। वर्तमान समाजके मनुष्योंमें उन्होंने जनताकी दृष्टि अपनी

और सबसे अधिक आकृष्ट की है। उन्होंने हमलोगोंके हृद-
 योमें स्वराज्यका बीजारोपण किया। वर्तमान शासनकी बुराइ-
 योंको जितना अधिक लोकमान्यने समझा था उतना अधिक
 और किसीने नहीं। और मैं उनके सन्देशको भारतकी भ्रष्ट-
 ष्टियोंतक उसी तरााना चाहता हूँ और फैलानेका यत्न
 कर रहा हूँ जिस तरह कि उनका अच्छेसे अच्छा शागिर्द।
 पर मेरे और उनके तरीकेमें भेद है। यही कारण है कि अभी-
 तक चन्द्र महाराष्ट्रके नेता मेरे साथ एक मत नहीं हो सके
 हैं। पर मेरा यह भी दृढ़ मत है कि लोकमान्यको मेरे
 तरीकेपर अविश्वास नहीं था। मेरे ऊपर उनका दृढ़ विश्वास
 था। अपनी मृत्युके कोई दस दिन पहले अपने अनेक मित्रोंके
 सामने उन्होंने कहा था कि आपका तरीका सबसे अच्छा
 है, यदि जनताको समझाकर आप अपने साथ कर सकें।
 लेकिन उन्हें इस बातका सन्देह था कि जनता मेरे तरीकेको
 समझ सकेगी। पर मैं दूसरा तरीका जानता ही नहीं। मैं
 यही चाहता हूँ कि परीक्षाके समय देश अपनी योग्यता
 दिखलावे कि उसने अहिंसात्मक असहयोगके तत्त्वको
 समझ लिया है। मैं अपनी अन्य अयोग्यताओंको भी जानता
 हूँ। मैं पाण्डित्यका दावा नहीं करता। मेरेमें उनके समान
 संगठन शक्ति भी नहीं है। मेरे कार्य संचालनके लिये शागिर्द
 भी नहीं हैं और साथ ही बीस वर्षतक विदेशोंमें रहनेके
 कारण भारतका मुझे अनुभव भी उतना नहीं है जितना

लोकमान्यको था । हमलोगोंमें दो बातोंमें समता थी,—देश प्रेम तथा स्वराज्य—यह दोनोंके हृदयमें एक भावसे विद्यमान था । इसलिये मैं इस गुमनाम पत्रके लेखकको बतला देना चाहता हूँ यद्यपि लोकमान्यकी स्मृतिके लिये मेरे हृदयमें किसीसे कम आदर या मान नहीं है और स्वराज्यके प्रतिपादनमें मैं उनके उत्तमसे उत्तम शिष्यके साथ आगे बढ़ता रहूँगा । मैं जानता हूँ कि उनकी सबसे सच्ची उपासना यही है कि भारतको जल्दीसे जल्दी स्वराज्य मिल जाय । केवलमात्र इसीसे उनकी आत्माको शान्ति मिल सकती है ।

शिष्य होना परम पवित्र पर व्यक्तिगत भाव है । मैंने १८८८ में दादाभाईके चरणोंमें अपनेको समर्पित किया पर मेरे आदर्शसे वे बहुत दूर थे । मैं उनके पुत्र स्थानीय हो सकता था, उनका शागिर्द नहीं हो सकता था । शिष्यका दर्जा पुत्रसे ऊँचा है । शिष्य पुत्र रूपसे दूबरा जन्म ग्रहण करता है । शिष्य होना अपनी स्वकीय प्रेरणासे समर्पित करना है । १८९६ में दक्षिण अफ्रीकाके सबन्धमें भारतके सभी प्रधान नेताओंसे मिला । जस्टिस रानाडेसे मुझे भय लगता था । उनके सामने मुझे ध्यान करनेका भी साहस नहीं होता था । बद्रुहीन तैयबजी पिताकी तरह प्रतीत हुए । उन्होंने मुझे सलाह दी कि फिरोजशाह मेहता और रानाडेके परामर्शसे काम करो । सर फिरोजशाह तो हमारे सरक्षक बन गये । इसलिये उनकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य थी । जो कुछ वे

और सबसे अधिक आकृष्ट की है। उन्होंने हमलोगोंके हृदयोंमें स्वराज्यका बीजारोपण किया। वर्तमान शासनकी घुराइयोंको जितना अधिक लोकमान्यने समझा था उतना अधिक और किसीने नहीं। और मैं उनके सन्देशको भारतकी शोष-द्वियोंतक उसी तरााना चाहता हूँ और फैलानेका यत्न कर रहा हूँ जिस तरह कि उनका अच्छेसे अच्छा शागिर्द। पर मेरे और उनके तरीकेमें भेद है। यही कारण है कि अभी-तक चन्द महाराष्ट्रके नेता मेरे साथ एक मत नहीं हो सके हैं। पर मेरा यह भी दृढ मत है कि लोकमान्यको मेरे तरीकेपर अविश्वास नहीं था। मेरे ऊपर उनका दृढ विश्वास था। अपनी मृत्युके कोई दस दिन पहले अपने अनेक मित्रोंके सामने उन्होंने कहा था कि आपका तरीका सबसे अच्छा है, यदि जनताको समझाकर आप अपने साथ कर सकें। लेकिन उन्हें इस बातका सन्देह था कि जनता मेरे तरीकेको समझ सकेगी। पर मैं दूसरा तरीका जानता ही नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि परीक्षाके समय देश अपनी योग्यता दिखलावे कि उसने अहिंसात्मक असहयोगके तत्वको नमस्कृत लिया है। मैं अपनी अन्य अयोग्यताओंको भी जानता हूँ। मैं पाण्डित्यका दावा नहीं करता। मेरेमें उनके समान संगठन शक्ति भी नहीं है। मेरे कार्य संचालनके लिये शागिर्द भी नहीं हैं और साथ ही बीस वर्षतक विदेशोंमें रहनेके कारण भारतका मुझे अनुभव भी उतना नहीं है जितना

आप जानते हैं कि यहा दलघन्वी है। इससे ऐसा सभापति चाहिये जो किसी दल विशेषका न हो। यदि इसके लिये आप डाफ़ूर भण्डारकरसे मिले तो उत्तम हो।” मैंने उनकी सलाह स्वीकार की और लौट आया। सिवा इसके कि स्नेहमय मिलापके भावका प्रदर्शन करके उन्होंने मेरी घबराहट दूर की, नहीं तो लोकमान्यका उस समय मुझपर कोई अच्छा प्रभाव नही पडा। वहासे मैं श्रीयुत गोखलेके पास गया और तब डाफ़ूर भण्डारकरके पास गया। डाफ़ूर भण्डारकरने मेरा उसी तरह स्वागत किया जिस तरह गुरु शिष्यका करता है।

मिलते ही उन्होंने मुझसे कहा, “आप बडे उत्साही और तत्पर कार्यकर्ता प्रतीत होते हैं, नहीं तो इतनी गर्मीमें मुझसे कोई भी मिलने नहीं आता। मैंने सार्वजनिक सभाओंमें इधर जाना छोड दिया है। पर आपने जिन दयनीय शब्दोंमें अफ्रीकाकी दशाका वर्णन किया है, उससे मुझे लाचार होकर यह पद स्वीकार करना पडता है।

उनके चेहरेसे विद्वत्ता टपक रही थी। मेरे हृदयमें श्रद्धाका ज्वार उमड आया। पर गुरुभक्तिका भाव मेरे हृदयमें फिर भी न भरा। वह हृदय सिंहासन उस समय भी खाली रह गया। मुझे अनेक धीर वीर मिले। पर राजाकी पदवीतक कोई न पहुच सका।

पर जिस समय मैं श्रीयुत गोखलेसे मिलने गया, वार्ते

कहते मैं चुपचाप स्वीकार करता। उन्होंने मुझसे कहा:—
 “२६ सितम्बरको सार्वजनिक सभामें तुम्हें भाषण करना होगा।” मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। २५ सितम्बरको मुझे उनसे मिलना था। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझसे पूछा—“क्या तुमने अपना भाषण लिखकर तैयार कर डाला है?” मैंने उत्तर दिया, “जी, नहीं।”

उन्होंने कहा, “इस तरह काम नहीं चलेगा। क्या आज रातभरमें लिखकर तैयार कर सकते हो।” इतना कहकर उन्होंने अपने मुँहसे कहा “तुम मिस्टर गांधीके साथ जाओ और व्याख्यान लिखवाकर ले आओ और इसे तुरन्त छपवा डालो और फौरन एक प्रति मेरे पास भेज दो।” इतना कहनेके बाद उन्होंने मुझसे कहा, “लम्बा चौड़ी स्पीच मत लिखना। बम्बईके नागरिक देरतक नहीं ठहर सकने।” मैंने चुपचाप स्वीकार कर लिया।

बम्बईके उस शेरने मुझे आशा पालनका मर्म सिखाया। उन्होंने मुझे अपना शागिर्द नहीं बनाया। उन्होंने आजमाइश भी नहीं की।

वहाँसे मैं पूना गया। मैं एकदम अजनबी था। जिनके यहाँ मैं टिका था वे मुझे पहले पहल, लोकमान्य तिलकके पास ले गये। जिस समय मैं उनसे मिला वे अपने साथियोंसे त्रिरे बैठे थे। उन्होंने मेरी बातें सुनीं और कहा, “आपका भाषण सार्वजनिक सभामें होना जरूरी है। पर

आप जानते हैं कि यहा दलघन्दी है। इससे ऐसा सभापति' चाहिये जो किसी दल विशेषका न हो। यदि इसके लिये आप डाकूर भण्डारकरसे मिले' तो उत्तम हो।" मैंने उनकी सलाह स्वीकार की और लौट आया। सिवा इसके कि स्नेहमय मिलापके भावका प्रदर्शन करके उन्होंने मेरी घबराहट दूर की, नहीं तो लोकमान्यका उस समय मुझपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पडा। वहासे मैं श्रीयुत गोखलेके पास गया और तत्र डाकूर भण्डारकरके पास गया। डाकूर भण्डारकरने मेरा उसी तरह स्वागत किया जिस तरह गुरु शिष्यका करता है।

मिलते ही उन्होंने मुझसे कहा, "आप बडे उत्साही और तत्पर कार्यकर्ता प्रतीत होते हैं, नहीं तो इतनी गर्मीमें मुझसे कोई भी मिलने नहीं आता। मैंने सार्वजनिक सभाओंमें इधर जाना छोड दिया है। पर आपने जिन दयनीय शब्दोंमें अफ्रीकाकी दशाका वर्णन किया है, उससे मुझे लाचार होकर यह पद स्वीकार करना पडता है।

उनके चेहरेसे विद्वत्ता टपक रही थी। मेरे हृदयमें श्रद्धाका ज्वार उमड आया। पर गुरुभक्तिका भाव मेरे हृदयमें फिर भी न भरा। वह हृदय सिंहासन उस समय भी खाली रह गया। मुझे अनेक धीर वीर मिले। पर राजाकी पदवीतक कोई न पहुच सका।

पर जिस समय मैं श्रीयुत गोखलेसे मिलने गया, वार्ते

एकदम बदल गईं। मैं नहीं कह सकता कि इसका क्या कारण था। मैं उनके घरपर मिलने गया। यह मिलन ठीक उसी प्रकार था जैसा, दो चिर चिोछही मित्रों या माता और पुत्रका होता है। उनकी नम्र आकृति देखकर मेरा हृदय शान्त हुआ। दक्षिण अफ्रिका तथा मेरे सम्बन्धमें उन्होंने जिस तरह पूंछताछ की उससे मेरा हृदय श्रद्धासे भर गया। उनसे विदा होते समय मैंने अपने दिलमें कहा “वस मेरे मनका आदमी मिल गया।” उसी समयसे श्रीयुत गोखले मेरे हृदयसे अलग न हो सके। १९०१ में दूसरी बार दक्षिण अफ्रिकासे लौटा। इस बार मेरी घनिष्टता और भी प्रगाढ हो गई। उन्होंने अपने हाथमें मेरा हाथ लेकर पूछना शुरू किया, “किस तरह रहते हो, क्या कपड़ा पहनते हो, भोजन कैसा होता है।” मेरी माता भी इतनी तत्पर नहीं थी। मेरे और उनके बीच कोई अन्तर नहीं था। यह चक्षुराग था अर्थात् प्रथम दर्शनसे ही हृदयमें प्रगाढ प्रेमका अङ्कुर जम गया था। १९१३में इसे कडी परीक्षामें उतरना पडा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि उनमें सभी गुण वर्तमान हैं। चाहे इसके पहले उनमें वे सब गुण न रहे हों, पर इनकी मुझे कोई परवा नहीं। मेरे लिये उतना ही काफी था कि मुझे उनमें कोई दोष नहीं दिखलाई दिये। राजनैतिक क्षेत्रमें वे मुझे सबसे उत्तम व्यक्ति प्रतीत हुए। पर इससे यह न समझना चाहिये कि उनमें और मुझमें मतभेद नहीं था। सामाजिक नियमोंमें मेरा उनका

१९०१ तक मतभेद रहा। पश्चिमी सभ्यताके प्रभावपर भी हमलोगोंका मतभेद था। अहिंसापर मेरा जो अटल विश्वास था उससे भी उनका मतभेद था। पर इससे हमलोगोंमें किसी तरहका अन्तर नहीं आ सका। ये सब बातें किसी तरहका मतभेद नहीं उपस्थित कर सकीं। यदि आज वे जीते रहते तो क्या होता, यह कहना व्यर्थ है। मैं जानता हू कि मैं उनकी आज्ञाका पालन करता होता। मैंने इसे इसलिये लिखा है कि उस गुमनाम पत्रमें शार्गिंदी सम्बन्धी बातोंसे मुझे हार्दिक पीडा हुई। क्या मुझपर इस बातका दोषारोपण किया जा सकता है कि मैंने इस सम्बन्धको स्वीकार करनेमें देर की। इस समय जब कि लोग यह कह रहे हैं कि मैं स्वर्गीय गोखलेके दलसे एकदम विरुद्ध हो गया हू तो मुझे उस पवित्र सम्बन्धको व्यक्त कर देना नितान्त आवश्यक था।



अशावाद

(अक्तूबर २८, १९२१)

आशावाद आस्तिकता है। सिर्फ नास्तिक ही निराशावादी हो सकता है। आशावादी ईश्वरका डर मानता है, विनय-पूर्वक अपना अन्तर नाद सुनता है, उसके अनुसार चरतता है और मानता है कि 'ईश्वर जो करता है वह अच्छेके ही लिए करता है।'

निराशावादी कहता है कि 'मैं करता हूँ, अगर सफलता न मिले तो अपनेको बचाकर दूसरे सब लोगोंके मत्थे दोष मढता है, अमवश कहता है कि 'कैसे पता, ईश्वर है या नहीं' और खुद अपनेको भला और दुनियाको बुरा मानकर कहता है कि मेरी किसीने कद्र नहीं की। एवं अन्तको आत्मघात कर लेता है। और यदि न करे तो भी मुर्देकी तरह जीवन बिताता है।

आशावादी प्रेममें मगन रहता है। किसीको अपना दुश्मन नहीं मानता। इससे वह निडर होकर जङ्गलोंमें और गावोंमें सैर करता है। भयानक जानवरों तथा ऐसे जानवरों जैसे मनुष्योंसे भी वह नहीं डरता, क्योंकि उसकी आत्माको न तो साप काट सकता है और न पापो खजर ही छेद सकता है।

शरीरकी तो वह चिन्ता ही नहीं करता, क्योंकि वह तो फायको काचकी चोतल समझता है। वह जानता है कि एक न एक दिन तो यह फूटने ही वाली है। इसलिए वह उसकी रक्षाके निमित्त संसारको पीड़ित नहीं करता, वह न किसीको दिक ही करता है, न किसीकी जानपर ही हाथ उठाता है। वह तो अपने हृदयमें वीणाका मधुर गान निरन्तर सुनता है और आनन्दसागरमें डूबा रहता है।

निराशावादी स्वयं रागद्वेषसे भरपूर होता है। इसलिये वह हरएकको अपना दुश्मन मानता है और हरएकसे डरता है। अन्तर-नाद तो उसके होता ही नहीं। वह तो मधु-मक्षिपयोंकी तरह इधर उधर भिन भिनाता हुआ याहरी भोगोंको भोग भोगकर रोज थकता है और रोज नया भोग पोजता है और इस तरह प्रेम रहित तथा अमित्र होकर इस दुनियासे फूच कर देता है और उसके नामकी यादतक किसीको नहीं आती।

मेरे विचार तो ऐसे हैं। अतएव यह बात किसीको न मानना चाहिए कि मैंने किसीसे यह कहा होगा कि इस वर्ष स्वराज्य यदि न मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर डालूंगा। विषय-प्रसङ्गसे बचनेके समयको छोड़कर किसी भी मौकेपर आत्महत्या करनेको मैं महापाप और कायरता मानता हूँ। और यदि भारतवर्ष स्वराज्य न प्राप्त करे तो भला मैं क्यों आत्महत्या करने लगा ? हिन्दुस्तानको गरज हो तो स्वराज्य ले।

स्वराज्यको कीमत हिन्दुस्तानको मालूम हो चुका है, उसने स्वराज्यका स्वाद भी चख लिया है। अब उसे गरज हो तो उसकी कीमत दे और स्वराज्य ले। दे या न दे, ले या न ले, इससे मुझे खुदकुशी करनेकी क्या जरूरत ?

पर, हा, मैंने एक बात अपने मित्रोंसे जरूर कही है। मुझसे यह पूछा गया था कि यदि जनवरीमें स्वराज्य न मिला तो आप क्या करेंगे ? मैंने उत्तर दिया—‘हिन्दुस्तानपर मेरा बहुत बड़ा भरोसा है। इतना कि मैं तो ३१ दिसम्बरतक यह माने बिना रही नहीं सकता कि भारत हर हालतमें स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। इस कारण मैं यह नहीं कह सकता कि जनवरीमें मैं क्या करूंगा। मुझे यह अच्छा मालूम होता है कि, जनवरीमें मैं जनतासे खसत लेकर किसी शान्त जगहमें जा कर रहू या जनताके स्वराज्य तन्त्रके सङ्गठनमें यथाशक्ति हाथ बटाऊं। अगर इस घप किसी तरह स्वराज्य न प्राप्त हो सका तो अगले वर्षमें जोरित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी आत्माको इतना क्लेश होनेकी सम्भावना है कि जिससे मेरा शरीर ही छूट जा सकता है—छूट जाय, यही मैं चाहूंगा।

हिन्दुस्तानके दुखों—आर्थिक और नैतिक दोनोंको मैंने इतना अनुभव किया है कि उसकी लपटोंसे अगर मैं जलकर भस्म नहीं हो गया हूँ तो उसका कारण केवल यही है कि मैं जनताकी दिलाई, आशाके बरुपर जो रहा हूँ। मैं इसी

आशा, और केवल आशाके ही भरोसे घूमता फिरता हू कि आज हम आत्मशुद्ध होंगे, आज हमारे करोड़ों भाई घरनोंकी हड्डियोंमें मांस दिखाई देगा। मेरा खयाल है कि इस आशाको पूर्ण करनेके लिए एक साल काफी है। सितम्बरमें एक वर्षकी बातको माननेवाला अकेला मैं ही था।

दिसम्बरमें तो सब लोगोंने उस ध्वजनको ग्रहण कर लिया। अब अगर महासभा अपनी प्रतिज्ञाको पूरी न करे तो फिर मुझे जैसेकी क्या हालत होगी? अगर महासभा दिवाला निकाल दे तो मेरा भी दिवाला निकला कहा जा सकता है। महासभाकी आशापर मैंने तो हुण्डी कर दी है और अगर वह न सिकरे, तो फिर? मैं तो यह चाहता हू कि स्वराज्य न मिलनेसे जो दुःख जनवरीकी पहली तारीखको मुझे हो सकता है वही सबको हो। सब लोगोंको धर्म और अनाजके अभावका दर्द जरूर ही होना चाहिये।'

दूसरे एक मित्रने मुझे पूछा—इसका अर्थ क्या कायरता नहीं है? पर मुझे तो इसमें कायरता नहीं दिखाई देती, बल्कि करुणा प्रतिबिम्बित दिखाई देती है। इसमें मुझे व्यवहारदृष्टि नजर आती है। जहा सेवाकी कद्र नहीं वहा सेवा क्या करना? जिस जीवनसे लाभ नहीं वहा जीना किस कामका? जीर्ण और जर्जर शरीरको घसन्त मालती आदि मात्राये खिलाकर आकृति मात्रको जबरदस्ती रफ छोड़नेकी अपेक्षा अगर यह शरीर गङ्गाजलपर रहता हुआ क्षीण हो जाय

तो इसमें क्या बुराई है ? आजकल जहांतक मैं देखता हूँ तहांतक मेरे मुंहसे दूसरी कोई बात ही नहीं निकलती—स्वदेशीका पालन करो और स्वराज्य लो। इसके सिवा मुझे दूसरा कुछ दिखाई ही न देता हो तो मेरा क्या बस ?

अब हम आखिरी सीढ़ीतक आ पहुंचे हैं। यहा खूब अच्छी तरह पैर जमाये बिना—शक्ति प्राप्त किये बिना आगे पैर उठाना मानों पीछे हटना है। मुझे याद है कि जब मैं सिंहगढके पहाडपर चढ रहा था तब एक मुकाम ऐसा आया कि जहासे मेरा कदम आगे बढ़ता ही नहीं था। वहा दम लेकर जोर आनेपर ही मैं आगे बढ़ सका।

यही दशा हमारी है। स्वदेशीका पालन किये बिना हमें आगे बढ़नेके लिये बल प्राप्त हो नहीं सकता। अतएव, मेरा जीवित रहना, मेरा समाजमें रहना, स्वदेशीके ही ऊपर अवलम्बित है।

यह है मेरी चिकित्सा, यह है मेरी आजकी मनोदशा। कलकी बात तो परमात्मा जानता है।

जिसे अपने कर्तव्यका ज्ञान नहीं उसे अपना हक नहीं मिल सकता। जो अपना कर्तव्य अदा नहीं करता वह मुक्ति पत्र कैसे माग सकता है ? जिस प्रकार स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसी प्रकार स्वदेशी हमारा [जन्मनिर्मित कर्तव्य है। स्वदेशी के बिना स्वराज्य नहीं हो सकता। 'स्वराज्य हमारा

‘जन्मसिद्ध अधिकार है’ यह तिलक गोताका पूर्वार्थ है, ‘स्वदेशी हमारा जन्मनिर्मित कर्तव्य है’ यह उत्तरार्थ है।

अतएव यदि हम लोकमान्यका श्राद्ध अच्छी तरह करना चाहते हों तो स्वदेशी का व्रत धारण करके ही कर सकते हैं। विदेशी कपड़ेका सर्वथा त्याग किये बिना स्वदेशी मन्त्रका जप नहीं किया जा सकता। विदेशी कपडा एक प्रकारका मैल है। इस मैलको जबतक हम धो नहीं डालते तबतक हम शुद्ध नहीं हो सकते। बिना शुद्ध हुये स्वराज्य मन्दिरमें प्रवेश करनेका अधिकार हमें नहीं हो सकता। जैसा कि मौलाना मुहम्मद अलीने कहा है, हमें शान्तिके साथ स्वराज्य प्राप्त करना है। इसका अर्थ स्वच्छन्दता नहीं, मनमानी नहीं। यदि हम त्याग तो कुछ भी न करें’ पर शान्तिका पाठ धरावर पढा करे तो यह आलस्य या मन्दताके सिवा और क्या हो सकता है ? बिना त्याग और उद्यमकी शान्ति तो मृत्युकी दशा है। सबकी शान्तिको कौन चाह सकता है ? कायर मनुष्य भयको आता देखकर घरमें छिप जाता है। ऐसी शान्तिसे घरका नाश हुये बिना नहीं रह सकता। हमने जिस शान्तिकी प्रतिज्ञा की है वह धीरता सूचक शान्ति है यदि विदेशी कपड़ोंका त्याग करने योग्य शक्ति भी हम में न हो, बहादुरी न हो, इच्छा न हो, तो फिर हमारी यह शान्ति ढकोसलामात्र है। ढकोसला तो नाटक है। नाटकमें यहाये आसूसे कहीं ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है ?


अतएव जो लोग तिलक महाराजकी पूजा करना चाहते हों

उन्हें स्वदेशीकी प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिये। स्वदेशी वस्त्र धारण किये बिना जो लोकमान्यका श्राद्ध करेंगे, उन्हें व साहस फल मिलेगा जैसा तीर्थको भागवतका पाठ करनेसे मिलता है।



दशम खण्ड

परिशिष्ट



परिशिष्ट

महात्मा गांधीकी गिरफ्तारी

भारतवर्षमें जबसे असहयोग आन्दोलनका जन्म हुआ और म० गांधीने जबसे भारतीय जनतासे इस सरकारके अत्याचार और अन्यायपूर्ण नीतिकी आलोचना करके प्रजाशक्तिकी प्रबल धनानेका कार्य प्रारम्भ किया, तभीसे महात्माजी सरकारकी आँखोंमें छटकने लगे। विलायतके समाचारपत्र और पार्लियामेण्टके अनेक सदस्य एक स्वरसे भारत सरकारको यह सलाह दे रहे थे कि वह ऐसे मनुष्यों क्यों नहीं गिरफ्तार करती जो खुल्लमखुल्ला अराजकताका प्रचार करके भारतसे अंग्रेजी शासनको नष्टकर देना चाहता हैं, किन्तु भारत सचिव और भारत सरकारने इसका उपयुक्त समय नसमझ कर इस विचार को स्थगित कर दिया। जब भारत सचिव मिस्टर माटेगूको वहाँके मन्त्रीमण्डलने टर्कोंसे सम्यन्ध रखनेवाले एक तारको प्रकाशित कर देनेके कारण अपने पदसे अलग कर दिया तो उनके अपनेपदसे अलग होते ही वहाँकी जनतामें महात्मा गांधीको गिरफ्तारीकी अफवाह जोरोंसे फैलने लगी और यह निश्चय ही प्रतीत होने लगा कि महात्माजी गिरफ्तार हो गये। अन्तमें शनिवारको प्रातःकाल यह समाचार मिल ही गया कि सरकार अब

अधिक धैर्य न धर सकी और उसने इस पवित्रात्माके लिए अपना कारावास ही उपयुक्त स्थान निर्धारित किया।

गिरफ्तारी किस प्रकार हुई

गिरफ्तारीकी अफवाह सारे देशमें फैल रही थी। वस यह एक चर्चा लोगोंकी जवानपर थी। ६ तारीखको पकड़े जानेका खबरें इधर उधर जोरोपर थी। म० गांधी ८ तारीखको ही उलम परिपट्टके लिये अहमदाबादसे अजमेरको रवाना हो चुके थे। ६ तारीखको शहरमें यह खबर फैल गई थी कि बम्बईसे म० गांधीकी गिरफ्तारीका हुकम तार द्वारा आया है और वह अजमेर रवाना किया गया है। ता० ६ मार्चको प्रातःकाल म० गांधी अजमेर पहुंचे और श्री गौरीशङ्कर भागवतके मकान पर ठहरे, और २ बजे तक मौलाना अब्दुल बारीके फतवेके सम्बन्ध में विचार करते रहे। २ बजे मोटरमें बैठकर बीबम्मा साहेबा ('अली बन्धुओंकी माता') से मिलनेके लिये दरगाहमें पधारे। उधर अजमेर सरकारकी ओरसे खजाना, तारघर आदि सरकारी मकानोंपर पहरेका प्रबन्ध कर दिया और सुननेमें आया कि २०० गोरोंकी एक स्पेशल उस दिन ब्याबरकी तरफ गयी है।

यहासे महात्माजी उसी रातको फास्ट पैसेन्जरसे अहमदाबादके लिये रवाना हुए। उस समय पुलिसका बहुत कडा प्रबन्ध

था। अजमेरके कमिश्नर तथा पुलिसके इन्सपेक्टर आदि स्टेशन पर उपस्थित थे। महात्माजीके गाडीके पीछे पुलिसकी गाडी लगाई गई थी। इसी प्रकार एक गाडी आगेकी ओर भी थी। शहरमें भी स्थान स्थानपर पुलिसके सिपाही नियुक्त थे। म० जीको कई दिन पहलेसे घात था कि सरकार उनको गिर-पतार करनेको ताकमें है, और ६ या १० मार्चको वे गिरपतार होंगे। परन्तु प्रत्येक समय उनके चेहरे पर मन्द हसी और प्रसन्नता झलक रही थी और बहुत शान्ति पूर्वक खिलाफत, पञ्चाय और स्वराज्यके पेचीदा मामलोंपर नोट लिखवा रहे थे। अहमदाबादको रवाना होनेके लिये स्टेशन पर पहुंचनेके समय आगे घडी भीड़ लग रही थी। नौकरशाहीके अधिकारी भीड़में धक्के खा रहे थे। पुलिसके प्रयत्नके कारण गाडीको बहुत लेट होना पडा। अन्तमें करीब पौन घजे गाडी रवाना हुई, और १० ता० को तीसरे पहर महात्मा गांधी अहमदाबाद स्टेशनपर पहुंच गये। स्टेशनसे आप सीधे सत्याग्रह आश्रम गये। शाम ही से आश्रममें खबर आने लगी कि आज रातको अग्रय गिरपतारी होनेवाली है। महात्मा गांधी अपनी स्वाभाविक शान्तिके साथ रातको दस घजे तक, रोजकी तरह पत्रों के उत्तर लिखात रहे। कुछ ही देर पहले श्रीमती अनसूया बहन तथा श्रीशकरलाल बेंकर म० गांधीसे मिलने आये थे। मौलाना हसरत मोहानी भी जो कि अजमेरसे म० गांधीके साथ ही साथ आये थे आ पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधीको 'अभिषेचन

दिया कि "मैं अहिंसाका ही अवलम्बन करते हुए महासभाके कार्यक्रमका समर्थन करूंगा।" श्रीवेंकर लौटकर आश्रमसे कुछ ही दूर गये थे कि शहरसे पुलिस सुपरिन्टेंडेंट मि० हेली की मोटर उन्हें मिली। पुलिस सुपरिन्टेंडेंटने अपनी मोटर खड़ी करके श्री० शङ्करलाल वेंकरसे पूछा—क्या आप शङ्करलाल जी हैं? उत्तर मिला हा,। तब पुलिस सुपरिन्टेंडेंटने कहा—मुझे आपको ही गिरफ्तार करना है। वस, दोनों मोटरे आश्रमकी ओर रवाना हुईं। पहुंचते ही मि० हेलीने म० गांधीको वारण्टकी खबर भिजवा दी और कहलाया कि वे तैयारीके लिये जितना चाहें समय ले सकते हैं। पर खुब आश्रमके बाहर ही खड़े रहे। म० गांधी सोनेके इरादेमें थे, आश्रमवासी अपने अपने स्थानोंमें पुलिसकी आनेकी बात जोड़ रहे थे। तुरन्त सब लोग एकत्र हो गये। म० गांधी तो तयार ही थे। दो ही मिनटमें वे हंसते हुए कुटीरसे बाहर हो गये। मुक्ति मायाके घर जानेके लिये निकली। उस समय आश्रमवासिनी महिलाओंने गुजरातके आदि भक्त कवि नरसी मेहता—रचित महात्मा गांधीका यह प्यारा भजन एक स्वरसे गाया—

वैष्णव जन तो तेने कहिये जो पीर पराई जाणें रे ।
 पर दु खे उपकार करे तो ये मन अमिमान न आणेरे ॥
 सकल लोकमा सहुने बन्दे निन्दा न करे केनी रे ।
 चच, कार्या, मन निश्चय राखे धन धन जननी तेरी रे ॥
 सम दृष्टिने तुष्णा त्यागी पर स्त्रीजेणें मात रे ।

जिह्वा थाकी असत्य न घोले पर धन नव भाले हाथ र ।

मोह माया व्यापे नहि जेने दूढ वैराग्य जेना मनमा रे ।

रात मानसु ताली लगी सकल तीरथ तेना मनमा रे ॥

बण लोभी पारहिते छे काम क्रोध निवाच्या रे ।

नरसैया तेनु' दरशन करना कुल एकोतर ताच्या रे ॥

उनके स्वरमें करुणा और निश्चय था । आश्रममें मानो शान्त

धिजली फैल गई थी । सबके चेहरे प्रफुल्लित थे । एक मोटरमें

म० गान्धी, और श्री वेंकर तथा उनके साथ श्री मती गाधी

और श्रीमती अतसूया बहन और दूसरीमें कुछ आश्रमवासी बैठकर

साबरमती जेलकी ओर रवाना हुए । यह जेल आश्रमके बिल-

कुल निकट ही हैं । लोकमान्य तिलक महाराज भी १९०६ में

गिरफ्तार होकर पहले पहल इसी जेलमें लाये गये थे । आश्रम-

वासियोंने हर्षपूर्वक स्वरमें “ वन्दे मातरम् ” का घोष किया ।

सबके हृदयोंने कहा—आज भारतका भाग्य जाग उठा सरकारने

बुरी तरह मुहकी छाई । चलते समय म० गाधीने आश्रमवासि-

योंको यह सन्देशा कहा “कि खूब काम करो और आलस्यको

पास तक न फटकरने दो ।

महात्माजीका सन्देश

देशवासियोंके प्रति ।

मुझे आशा है कि जनता मेरी गिरफ्तारीसे देशमें पूर्ण शान्ति कायम रखेगी और देशका मेरे प्रति यह सबसे बड़ा सम्मान होगा । मुझे देशवासियोंसे केवल यही कहना है कि वे अपने सब विदेशी वस्त्र जला दें और केवल खद्दरही पहनें, पूर्ण शान्ति बनायें रखें, हिन्दूमुस्लिम ऐक्य, स्वदेशी तथा अहिंसाके सिद्धान्तोंका पूर्णरूपसे पालन करे और प्रत्येक स्त्री, पुरुष अपना सारा समय सूत कातने और चूर्चा चलानेमें लगा दें । जब तक कि भारतवर्षके प्रत्येक स्त्री पुरुषके हृदयमें अहिंसाका भाव पूरा पूरा न भर जाय तबतक सामुदायिक सत्याग्रह न आरम्भ करना चाहिये ।

जितनी ही ज्यादा सजा मुझे मिलेगी, असहयोगकी उतनी ही जल्द उन्नति होगी । हम लोगोंको धडाधड खद्दर तैयार करनेमें लगा रहना चाहिये । जब विदेशी कपड़ेका बहिष्कार पूरा हो जायगा और सब लोग खद्दर पहनने लगेंगे, स्वराज्य स्थापित हो जायगा और लोग अपने हाथोंसे कैदियोंको जेलोंसे रिहा करेगे । यदि मेरा पर्वक निषादा
गया तो भारतवर्ष केवल ना भी
राजनीतिक परिस्थिति पर

घम्बई निवासियोंके प्रति ।

(श्रीमती सरोजनी नायडू जिन्होंने शनिवारको जेलमें
महात्मा गांधीसे भेटकी उनसे घम्बईके लिये
निम्नलिखित सन्देशा लायी हैं ।)

मैं यह नहीं चाहता कि घम्बई अपने एक शान्त मन्वोकी
तथा स्वयं मेरी गिरफ्तारी पर शोक मनाये, पर मैं यह चाहता हूँ
कि वह हमारे विश्रामके लिये प्रसन्नता प्रकट करे। यद्यपि मैं
असहयोगकी सभी कार्रवाइयोंका पूरा किया जाना चाहता हूँ
नथापि मैं घम्बईके सम्बन्धमें यह चाहता हूँ कि वह अपनी चेष्टा
ओंको एकत्रित कर चरखे तथा खहरके प्रचारमें लग जाये। घम्बईके
धनी लोग दाथके काते हुए सूत तथा हाथके बुने हुए खहर
परीद सकते हैं जो सारे भारतवर्षमें निर्माण हो सकता हैं।
यदि घम्बईकी खिया वास्तवमें अपने भागका काम पूरा करना
चाहती हैं तो उन्हें अपने देशके खातिर धार्मिकतासे प्रति दिन
चरपा चलाना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति जेलमें
आकर हमारा साथ देनेकी इच्छा न करे। जब तक पूर्णतया
अहिंसात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक जेलमें जाने
की चेष्टा करना गहणीय हैं। इस प्रकारकी स्थितिकी पडताल
यह है कि हम अङ्गरेज तथा माडरेट लोगोंको आराममें रख
छोडे। यहि तभी किया जा सकता है जब हमारे अनेक्यके
होते हुए भी हम उनके प्रिय प्रभावकी घोषणा करे।

पार्सियोंके प्रति ।

(महात्मा गांधीने साबरमती जेलसे श्रीयुत बरजोरजी

फ़ामजी भड्डाके द्वारा पार्सियोंके लिये

निम्नलिखित सन्देश भेजा है)

मैं आपके पास लिखना कैसे भूल सकता हूँ ? कृपाकर मैं पार्सी भाई और बहनोंको कह दीजिये कि वे इस आन्दोलनमें कभी अविश्वास न करें। उनपर मेरा दृढ़ और अटल विश्वास है, खद्दी और चर्खा, चर्खा और खद्दी इसके सिवा इस समय मेरे सामने और कोई कार्यक्रम नहीं है। जैसे छोटे २ सिक्कोंका घर घर प्रचार है उसी प्रकार हमारे सभी घरोंमें हाथसे कते सूत अवश्य रहने चाहिये। इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिये हमें हाथसे कते सूत और हाथसे घुने कपड़ेके सिवा और कोई कपडा नहीं पहनना चाहिये। जब तक भारतद्वय ऐसा करनेमें असमर्थ रहेगा तब तक सत्याग्रह करना व्यर्थ है और खिलाफत तथा पञ्जाबके अन्यायोंका प्रतिकार करना असम्भव है। यदि आपका ऐसा विश्वास हो तो आप सूत कातना और खद्दर पहनना जारी रखें। आप सूत कातनेमें दक्षता प्राप्त करें।

करेलवासियोंके प्रति

मैं चाहता हूँ कि आपकी चेष्टाएं सफलीभूत हों। फाट्यों का भीषण भार रहनेपर भी मैं हिन्दुओं और मोपलोंके लिये

परिशिष्ट

केवल एक ही सन्देश भेज सक सकता हूँ और वह यह है।
मध्यिममें करना उत्तरदायित्व समझें और जो चीज गय
मूल जायें। हिन्दुओंको चाहिये कि वे कायरताका पति
करें और मोपलोंको चाहिये कि वे जि यो होना छो-
डें। अर्थात् प्रत्येकको शाखाके अनुसार सच्चा धर्मनिष्ठ बन-
ना चाहिये। हिन्दू धर्म कायरोंका धर्म नहीं है और अव-
श्याम धर्म भी क्रूर और निर्दयी मनुष्योंके लिये नहीं
आपके सामने जो यह विकट समस्या उपस्थित है उसे
करनेका एक मात्र उपाय है कि कुछ चुने हिन्दू और मुसल-
पूर्ण ऐक्य और विश्वासके साथ इसके लिये काम घ-
आरम्भ कर दें। यदि शुद्धमें उन्हें कामयाबी न हो तो भी
हताहता हूँ नहोना चाहिये।

श्रीमती उर्मिला देवीके प्रति

(कलकत्तेके नारी कर्ममन्दिरकी श्रीमती उर्मिला देवी
महात्माजीने १३ ता० को साबरमती जेलसे
निम्नलिखित पत्र भेजा है)

मेरी प्यारी बहन,

आपने मेरी तरफ विलकुल ही ध्यान नहीं दिया।
मैं जानता हूँ कि मेरा समय बचानेके लिये ही आपने ये
किया है।

मैं चाहता हूँ आप अपना सब समय चरखे तथा खहरके प्रचारके सिवा और किसी बातमें भी न लगाये, शांति समस्त भारतको एकता तथा निम्नश्रेणीके लोगोंसे, जिनमें 'अस्पृश्य' एकमात्र जातिके लोग भी शामिल हैं, एकता सूत्रमें बाधनेके लिये यह चिन्ह है।

कृपापूर्वक इसे वासन्ता देवी तथा देशबन्धुको भी दिखला दीजियेगा। मैं आशा करता हूँ वे कुशलपूर्वक तथा स्वस्थ हैं। कैदियोंमें बीमार होनेकी शक्ति नहीं है।

“आप सब लोगोंसे प्यार।”

हकीम अजमलखांके प्रति ।

साबरमती जेल,

१२ मार्च १९२२ ।

प्रिय हकीमजी,

अपनी गिरफ्तारीके बाद मैं यह मालूम करके कि विचाराधीन कैदीकी हैसियतसे जेलके कायदोंके अनुसार जितने पत्र मैं चाहूँ लिख सकता हूँ यह पहला ही पत्र मैं आपके पास लिख रहा हूँ। आप जानते हैं कि श्रीयुक्त शङ्करलाल बड्कर भी मेरे साथ हैं। मुझे इस बातपर प्रसन्नता मालूम होती है कि वे मेरे साथ हैं। सब कोई इस बातको जानता है कि वे मेरे कितने निकट पहुँच गये हैं। इसलिये स्वभावतः हम दोनों इस बातसे प्रसन्न हैं कि हम दोनों साथही गिरफ्तार किये गये।

मैं यह पत्र आपको वर्किङ्ग कमेटीके चेयरमैन और फलतः हिन्दू तथा मुसलमान—दोनोंके अथवा यह कहना ठीक होगा कि, सारे भारतके नेताकी हैसियतसे लिखता हूँ । मैं आपको मुसलमानोंके सभ नेताओंके अग्रणीकी हैसियतसे भी यह पत्र लिखना हूँ । पर सबसे बढ़कर मैं आपको अपने मित्रकी हैसियतसे ही लिखना हूँ । मैं आपको १९१५ ई०से जानता हूँ । हमारी नित्य बढ़ती हुई सङ्गतिके कारण मैं आपकी मित्रताको अमूल्य रत्नके समान समझनेके योग्य हुआ हूँ । कष्टर मुसलमान होते हुए भी आपने अपनी जिन्दगीमें यह बात दिखला दी है कि हिन्दू-मुस्लिम एकताका उद्देश्य क्या है ।

अब हम सब यह समझते हैं जैसा कि पहले हम कभी नहीं समझते थे, कि बिना इस एकताके हम स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकते और मैं यह साहसके साथ कहता हूँ कि बिना एकता के भारतके मुसलमान खिलाफतको पूर्ण रूपसे सहायता नहीं पहुँचा सकते । अनेक्यतासे हम सदा गुलाम बने रहेंगे । इसलिये यह एकता केवल एक ऐसी नीति नहीं हो सकती जिसे जब हमें यह अनुपयुक्त मालूम दे तब हम इसे त्याग दें । हम इसे केवल तभी त्याग सकते हैं जब हम स्वराज्यसे तग आ जायेंगे । हिन्दू-मुस्लिम एकता हर हालतमें तथा सब समयके लिये हमारा ध्येय होना चाहिये ।

यह एकता अल्पसंख्यक लोगोंके लिये—पारसी, ईसाई,

यहूदी अथवा बलशाली सिक्ख लोगोंके लिये आशङ्काजनक भी नहीं होनी चाहिये। यदि हम उन्हें पददलित करनेकी चेष्टा करेंगे तो हम परस्पर लड़नेको तैयार होंगे।

मैं आपके इतने निकट तक विशेषकर इसीलिये आकर्षित हुआ हू कि आप सम्पूर्णरूपसे हिन्दू मुस्लिम एकतामें विश्वास रखते हैं।

मेरी रायमें यह एकता तबतक प्राप्त नहीं की जा सकेगी जबतक हम अहिंसाको दृढ नीतिके बतौर न ग्रहण कर लेंगे। मैं इसे नीति इसलिये कहता हू कि यह उस एकताको कायम रखने तक सीमाबद्ध हुई। पर इससे यही बात सिद्ध होती है कि ३० करोड़ हिन्दू मुसलमान थोड़े समयके लिये नहीं पर चिरकालके लिये एकता पाशमें बद्ध होकर संसारकी सब शक्तियोंकी अवहेलना कर सकते हैं और उन्हें अंग्रेजी शासनकर्त्ताने प्रति व्यवहारमें हिंसा काममें लानेको कायरतापूर्ण कारवाई समझना चाहिये। अबतक हम अपने सीधेपनके कारण उनसे तथा उनकी तोपोंसे डरते आये हैं। पर अब जब हम अपनी शक्तिको समझ गये हैं तो हमें उनसे डरने और फलतः उन्हें चोट पहुंचानेका विचार करनेको भी कायरताका चिह्न न समझना चाहिये। इसलिये मैं अपने देशवासियोंको यह बात समझा सकनेके लिये चिन्तित हू कि उन्हें अहिंसात्मक दुर्बलताके कारण नहीं पर हमारी सबलताके कारण रहनेका विचार मनमें लाना चाहिये। मैं और आप जानते हैं कि हमने

अभी शक्तिमानों की अहिंसाका उद्देश नहीं किया है। हम इसलिये नहीं कर सके हैं कि हिन्दू मुसलमान एकता अभी की स्थितिसे ऊपर नहीं गयी है। अब भी पारस्परिक श्वास तथा शंका मौजूद है। मैं निराश नहीं हुआ हूँ। इस सम्यन्धमें आशाजनक उन्नति की है। ऐसा मालूम पड़ कि हमने १८ महीनोंमें पीढियोंका काम कर डाला है, पर बहुत कुछ और चाहिए। न तो निर्धन श्रेणीके लोग ही समझते हैं कि हमारी एकता इतनी आवश्यक है जितना हम श्वासउपश्वास, और न पू जीवाले ही ऐसा समझते हैं।

इस एकताके समापनके लिये हमें नायदावकी अपेक्षा अधिक निर्मल करना चाहिए। यदि हिन्दू तथा मुसलमान काफी लोगोंमें चिरकाल रहनेवाले हिन्दू मुस्लिम ऐक्यपर एक तथा विश्वास हो जायगा तो शीघ्र ही अशिक्षित लोगोंमें ऐक्यभाव भर जायगा। हममेंसे कुछ लोगोंके बीच अवश्य यह धारणा दृढ़ होनी चाहिये कि हम अपने राजनीतिक उद्देशों की पूर्ण प्राप्ति में बिना मनसा वाचा कर्मणा अहिंसाकार किये हुए कुछ भी उन्नति नहीं कर सकते। इसमें आपसे तथा वर्किङ्ग कमिटीके सदस्योंसे यह अनुरोध करूँ कि हमारी श्रेणियोंमें कोई ऐसे कार्यकर्ता न रहने दिये जा चाहिये जो इस परमावश्यक सत्यको पूर्णतया नहीं समझते जिसे आपसे सम्मुख रखनेकी चेष्टा की है। अधिकांश लोगों आशाके शासनसे स्थायी विश्वास उत्पन्न नहीं किया जा सकत

मेरे लिये अखिल भारतीय एकताका चिह्न तथा हमारे राज-
नैतिक उद्देश्योंकी धारणाके लिये आवश्यक उपायके बतौर
अहिंसाकी स्वीकृति निस्सन्देह चरखा, अर्थात् खदर ही।
उनको जो हिन्दू तथा मुसलमानोंके बीच चिरकाल तक
स्थायी रहनेवाली मित्रता तथा अहिंसात्मक वृत्ति उत्पन्न
करनेमें विश्वास रखते हैं, नित्य चरखा कातना चाहिये। सामू-
हिक रूपसे चरखा कातने तथा हाथके कते हुए सूत तथा हाथके
घुने हुए खदरका निर्माण तथा इस्तमाल वास्तविक एकता तथा
अहिंसाका महत्वपूर्ण प्रमाण होगा। इससे अकर्मण्य तथा अशिक्षित
लोगोंके साथ हमारा सम्बन्ध मालूम होने लगेगा। तमाम
भारतके चरखेको दैनिक क्रिया तथा खदरको पहननेको अपना
कर्त्तव्य समझनेको अपेक्षा और कोई भी उपाय भारतको एकता
पाशमें नहीं बाधेगा न उसे जागरित ही करेगा।

इसलिये यद्यपि इस बातके लिये मैं चिन्तित हू कि और
अधिक उपाधिधारियोंको उपाधिया, वकीलोंको अदालत,
छात्रोंको सरकारी विद्यालय तथा कालिज, कौंसिलके सदस्योंको
कौंसिल तथा सिपाही व सिविलियनोंको अपनी नौकरियां
छोड़ देनी चाहिये, मैं राष्ट्रको इस बातपर जोर देता हू कि
वह अपनी कार्रवाइयोंको इस ओर केवल प्राप्त परिणामोंको
दृढ़ीभूत बनानेमें सीमाबद्ध करे और उन संस्थाओंसे आगेको
भी अलग रहनेके लिये आज्ञा चलानेके सम्बन्धमें अपनी शक्तियों-

पर विश्वास रखते जिन्हें हम या तो समूल उखाड़ देना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं।

एक बात यह भी है कि कार्यकर्ता बहुत ही कम हैं। आज मैं एक भी कार्यकर्ता विनाशक कार्यक्रममें लगाना नहीं चाहता जब कि हमारे पास इतना अधिक रचनात्मक कार्य पड़ा हुआ है। धर्मसात्मक कार्यक्रममें अधिक समय खर्च न करनेके सम्यन्धमें सबसे अधिक उपयुक्त वलील यह है कि अमहानशीलताकी वृत्ति, जो हिंसाका एक रूप है, इस समयसे अधिक कमी नहीं बढ़ी थी। सहयोगी हमने अलग गुप हैं वे हमसे डरते हैं। वे कहते हैं कि हम वर्तमान नौकरशाहीसे भी बुरी नौकरशाही स्थापित कर रहे हैं। हमें इस प्रकारकी आशंकाके प्रत्येक कारणको अलग हटाना होगा। हमें उन्हें अपनी ओर लानेकी चेष्टा करनी चाहिये। हमें अङ्गरेज लोगोंको अपनी तरफकी स्वयं हानियोंसे प्रचाना चाहिये। मैं इस विषयमें इतना जोर न देता यदि सब आदमियोंको इतनी ही अच्छी तरहसे मालूम होता जितना मुझे तथा आपको मालूम है कि हमारी अहिंसाकी प्रतिष्ठा हमारे सबसे कट्टर शत्रु के प्रति भी शुभेच्छा तथा नम्रताका भाव प्रगट करनेको कहती है। यह आवश्यक वृत्ति स्वयं समझमें आ जायगी यदि भारत अपना सब ध्यान मेरे प्रस्ताविक कार्यक्रमकी ओर लगा देगा।

मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि मेरी कैद बहुत समय तक जारी रहेंगी। मैं नम्रतापूर्वक यह विश्वास करता हूँ कि किसीके

मेरे लिये अखिल भारतीय एकताका चिह्न तथा हमारे राजे
 तक उद्देश्योंकी धारणाके लिये आवश्यक उपायके बतौर
 साकी स्वीकृति निस्सन्देह चरखा, अर्थात् खद्दर है।
 जो हिन्दू तथा मुसलमानोंके बीच चिरकाल तक
 रहनेवाली मित्रता तथा 'अहिंसात्मक वृत्ति' उत्पन्न
 करनेमें विश्वास रखते हैं, नित्य चरखा कातना चाहिये। सामू-
 हिक रूपसे चरखा कातने तथा हाथके कते हुए सूत तथा हाथके
 हुए खद्दरका निर्माण तथा इस्तमाल वास्तविक एकता तथा
 साकी महत्वपूर्ण प्रमाण होगा। इससे अकर्मण्य तथा अशिक्षित
 लोगोंके साथ हमारा सम्बन्ध मालूम होने लगेगा। तमाम
 उनके चरखेको दैनिक क्रिया तथा खद्दरको पहननेको अपना
 नैतिक समझनेकी अपेक्षा और कोई भी उपाय भारतको एकता
 में नहीं बाधेगा न उसे जागरित ही करेगा।

इसलिये यद्यपि इस बातके लिये मैं चिन्तित हूँ कि और
 अधिक उपाधिधारियोंको उपाधिया, वकीलोंको अदालत,
 प्रोफेसर्सको सरकारी विद्यालय तथा कालिज, कौंसिलके सदस्योंको
 सिल तथा सिपाही व सिविलियनोंको अपनी नौकरिया
 देनी चाहिये, मैं राष्ट्रको इस बातपर जोर देता हूँ कि
 अपनी कार्रवाइयोंको इस ओर केवल प्राप्त परिणामोंको
 भूत बनानेमें सीमाबद्ध करे और उन सस्याओंसे आगेको
 अलग रहनेके लिये आज्ञा चलानेके सम्बन्धमें अपनी शक्तियों-

पर विश्वास रखते जिन्हें हम या तो समूल उखाड़ देना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं।

एक बात यह भी है कि कार्यकर्ता बहुत ही कम हैं। आज मैं एक भी कार्यकर्ता विनाशक कार्यक्रममें लगाना नहीं चाहता जब कि हमारे पास इतना अधिक रचनात्मक कार्य पड़ा हुआ है। ध्वसात्मक कार्यक्रममें अधिक समय खर्च न करनेके सम्बन्धमें सबसे अधिक उपयुक्त वलील यह है कि असहनशीलताकी वृत्ति, जो हिंसाका एक रूप है, इस समयसे अधिक कभी नहीं बढ़ी थी। सहयोगी हमसे अलग हुए हैं वे हमसे डरते हैं। वे कहते हैं कि हम वर्तमान नौकरशाहीसे भी खुरी नौकरशाही स्थापित कर रहे हैं। हमें इस प्रकारकी आशंकाके प्रत्येक कारणको अलग हटाना होगा। हमें उन्हें अपनी धोर लानेकी चेष्टा करनी चाहिये। हमें अङ्गरेज लोगोंको अपनी तरफकी सब हानियोंसे बचाना चाहिये। मैं इस विषयमें इतना जोर न देता यदि सब आदमियोंको इतनी ही अच्छी तरहसे मालूम होता जितना मुझे तथा आपको मालूम है कि हमारी अहिंसाकी प्रतिज्ञा हमारे सबसे कट्टर शत्रुके प्रति भी शुभेच्छा तथा नम्रताका भाव प्रगट करनेको कहती है। यह आवश्यक वृत्ति खय समझमें आ जायगी यदि भारत अपना सब ध्यान मेरे प्रस्ताविक कार्यक्रमकी ओर लगा देगा।

मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि मेरी कैद बहुत समय तक जारी रहेंगी। मैं नम्रतापूर्वक यह विश्वास करता हूँ कि किसीके

विरुद्ध भी मेरी वुरेच्छा नहीं है। मेरे कई मित्र शायद मेरे घराबर अहिंसात्मक न भी हों। पर हमने सबसे अधिक निरपराधीको भी कैद होनेकी बात सोच रखी थी। यदि मैं ऐसा दावा कर सकता हूँ तो यह बात स्पष्ट है कि किसी व्यक्तिको कैद होकर मेरा अनुसरण नहीं करना चाहिए। हम सरकारको पशु करना चाहते हैं, धमकीसे नहीं पर अपनी निरपराधिताके भद्रम्य दवावसे। मेरी रायमें आगे जेलखानोंको भरते जाना धमकी दिखलाना समझा जा सकता है। और निरपराध लोगोंको ज्यों जेलखाना जाने तो चेष्टा करनी चाहिये [जब तक उसके लिये सबसे अधिक निरपराध व्यक्ति काफी नहीं समझा जाता ?

आगेको जेलखाना जानेके लिये खबरदार रहनेसे यह मतलब नहीं है कि हम कैदसे हिचक रहे हैं। यदि सरकार प्रत्येक अहिंसात्मक अनश्रयोगको गिरफ्तार कर ले तो मैं इसका स्वागत करूंगा। केवल हमारी गिरफ्तारी कानूनकी अवज्ञाके कारण फिर चाहे वह रक्षणात्मक हो चाहे आक्रमणात्मक, नहीं होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि देश उन लोगोंके लिये चिन्तित न होगा जो कैदखानोंमें हैं। उन्हें तथा देशको उनके पूर्णतया कैद भोगनेसे लाभ ही पहुंचेगा। वे अपनी अवधिके पहिले केवल योग्यता पूर्वक स्वराज्य पार्लिमेण्टके द्वारा ही छूट सकते हैं, और मैं इस पूर्ण विश्वासकी निश्चयता दिखलाता हूँ कि सद्दरका देशव्यापी उपयोग ही स्वराज्य है।

मैंने अस्पृश्यताके विषयमें नहीं लिखा है। मुझे निश्चय है कि प्रत्येक सच्चा हिन्दू यह विश्वास करता है कि यह दूर होनी चाहिये। इसका वहिष्करण उतना ही आवश्यक है जितनी हिन्दू मुस्लिम एकता है।

मैंने आपके सामने ऐसा कार्यक्रम रखा है जो मेरी रायमें सबसे उत्तम तथा शीघ्रतासे पूरा होनेवाला है। कोई भी अधीर खिलाफतका कार्यकर्ता इससे उत्तम कार्यक्रम नहीं विचार सकता। परमात्मा आपको तथा देशको अपने लक्ष्यके पास पहुँचानेके लिये बुद्धि तथा बल दे।



राजद्रोह का अभियोग

पहिली पेशी ।

शनिवार ११ मार्च १९२२ को दो पहरके समय महात्मा गान्धी और श्रीयुत बेंकर बलिस्ट्रैण्ट मैजिस्ट्रेट मि० द्राउनके सामने उपस्थित किये गये। शाहवागके डिविजनल कमिश्नरके आफिसमें अदालत बैठी थी। सरकारकी ओरसे पब्लिक प्रोजीक्यूटर राव बहादुर गिरधारी लाल पैरवी कर रहे थे।

सबसे पहले अहमदावादके पुलिस सुपरिंटेण्डेण्टका घयान हुआ। उन्होंने घायई सरकारकी चिट्ठी पेशकी जिसमें उन्हें

“यंग इण्डिया” में प्रकाशित निम्नलिखित लेखोंके लिये मामला चलानेका अधिकार दिया गया था ।

“राजभक्तिमें दस्तन्दाजी” पृ० ४१८

“बडे लाटकी उलम्हन” पृ० ५३१

“गर्जन तर्जन” पृ० ६४५

गवाहने कहा कि अहमदाबादके जिला मजिस्ट्रेटने ६ मार्चको वारण्ट निकाला था और वह सुरत और अजमेरके पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टके पासभी भेज दिया गया था क्योंकि मि० गान्धी वहां जाने वाले थे ।

बाद थम्बई हाईकोर्टके अपील विभागके रजिस्ट्रार मि० घरडाकी गवाही हुई । उन्होंने अहमदाबादके जिला मजिस्ट्रेट मि० केनेडी और “यङ्ग इण्डिया”के सम्पादक मि० गान्धीके बीच जो लिखा पढी हुई थी उसे पेश किया ।

इसके बाद अहमदाबादके मजिस्ट्रेट मि० चेटफील्डकी गवाही हुई । उन्होंने कहा कि (यङ्ग इण्डियाके लिये) जमानत दी थी और मि० ए. मुद्रक हुए थे । तत्पश्चात् पुलिसके

म०

जिरह

म०

उम्र ५३

पेशीसे

वा ६ ।

कहना

५

अप्रति फैलानेके सम्बन्धमें अपनेको अपराधी बताऊंगा। यह बात बिलकुल ठीक है कि मैं "यङ्ग इण्डिया"का सम्पादक हू। मेरे सामने जो लेख पढ़े गये हैं उन्हें मैंने लिखा था और इस पत्रके मालिकों तथा प्रकाशकोंने मुझे इस पत्रकी नीतिके सम्बन्धमें पूरा अधिकार दे दिया था। धारा १२४ ए० के अनुसार अभियोग पत्र तैयार किया गया और मामला दौरा सुपुर्व किया गया।

दूसरी पेशी।

१८ मार्च १९२२ को भारतके हृदय सम्राट महात्मा गान्धीपर राजद्रोहका जो अभियोग लगाया है उसकी जांच शुरू हुई।

मुकदमेंकी जांच होनेके पहलेही कचहरी खदरधारी जनतासे ठसाठस भर गई थी। जनसाधारणके बैठनेके लिये कचहरीके बाहर तथा भीतर अच्छा प्रबन्ध किया गया था। भीतर श्रीयुत वी० जे० पटेल, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरलादेवी चौधरानी, पण्डित जगद्धरलाल नेहरू, मिस्टर टी० प्रकाशम, श्रीयुक्त अम्बालाल सारभाई और श्रीमती अनुसूयाबाई प्रभृति अन्यान्य नेता उपस्थित थे। पुलिसके पहरेका पूर्ण प्रबन्ध था। भारतीय पुलिस सेना भीतर पर्यटन कर रही थी।

महात्माजाका आगमन।

महात्मा गान्धी और श्रीयुत वैकर पण्डित मदनमोहन माल-

वीयजीके साथ ठीक ग्यारह बजकर चालीस मिनटपर अदालतमें पहुँचे । आपके पहुँचते ही सबके सब खड़े हो गये । महात्माजीके कुछ देरतक खड़े रहनेके पश्चात् जजकी बाईं ओरकी कुर्सीपर बैठनेके लिये संकेत क्रिया गया । महात्माजीके दाहिने ओर श्रीयुक्त वैकर और पण्डित मदनमोहन मालवीय विराजमान थे और आपके वाम भागमें आपकी सहधर्मिणी, व श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रभृति महिलाओंके साथ अपूर्व शोभा दे रही थीं ।

न्यायाधीशका आगमन ।

ग्यारह बजकर पचास मिनट होनेके उपरान्त न्यायाधीश सर टाम्स स्टैडमैनने कचहरीके भीतर प्रवेश किया । आपने महात्माजीके सामने मस्तिष्क झुकाकर शिष्टाचार करनेके उपरान्त ठीक चारह बजे अपना आसन ग्रहण किया । प्रारम्भ ही में जजने कहा कि सरकारी वकीलके कथनानुसार महात्माजीके ऊपर तीन अभियोग लगाये गये हैं, जो प्राय एक ही किसमके हैं और एकही सालके भीतर किये गये हैं । सरकारी वकील भी जजकी रायसे सहमत हुए । जजने दफा १२४ (अ) का अभिप्राय पढ़ सुनाया और कहा, कि घृणाका अर्थ राजद्रोह तथा शत्रुताका भाव उत्पादन करना है । इसके बाद जजने महात्माजीसे पूछा, "क्या आप अपनेको अपराधी स्वीकार करते हैं अथवा आप अपनी सफाईके लिये पैरवी करेंगे ?" महात्मा गांधीने उत्तर

दिया,—“मैं अपनेको अपराधी स्वीकार करता हूँ और अभियोगमें राजघराका उल्लेख नहीं किया गया है, यह बहुत ही उचित किया गया है।”


सरकारी वकीलका वक्तव्य ।

सरकारी वकीलने कहा कि दण्डविधिकी २७१ वीं धाराके अनुसार जज या तो अपराधीको अपराध स्वीकार करने ही पर सजा दे सकता है या चाहे तो मुकदमेकी पूरी जांच कर सकता है। आपने वर्तमान मुकदमेकी जांच करनेके लिये जजको सलाह दी। इस सलाहका पहला कारण आपने यह बतलाया, कि यह मुकदमा बहुत ही जटिल तथा गम्भीर है और दूसरा कारण यह है, कि इस सर्वसाधारणको इसका पूरा पूरा पता लग जायगा। इसके अतिरिक्त असामी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने ही के आधारपर कोई जज ऐसे मुकदमेमें अच्छी तरह फैसला नहीं दे सकता, जबतक मुकदमेकी सभी बातें उसके सामने स्पष्ट न कर दी जायं। “जजने कहा, कि” मैं इस रायसे सहमत नहीं हूँ, मुझे पूर्ण अधिकार है, कि अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करनेपर मैं उसे दण्ड दे सकूँ, और विशेषकर इस मुकदमेमें मैं नहीं समझता कि जो गवाही मजिस्ट्रेटके सामने ली गई है, उसको फिरसे यहां दुहरानेमें क्या लाभ है? अभियोगको प्रमाणित करनेके सम्बन्धमें मेरा विचार है, कि जो गवाही

मजिस्ट्रेटके सामने दी गई है, वह इस बातको प्रमाणित करनेके लिये काफी है, कि उक्त लेखोंका उत्तरदायित्व महात्मा गांधीके ऊपर है। इसलिये इस विषयमें अधिक जांच करना व्यर्थ है। सजाके सम्बन्धमें जजने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, कि इस सम्बन्धमें महात्माजीकी क्या इच्छा है? आपने महात्माजीकी स्वीकृतिको ही यथेष्ट समझकर सरकारी वकीलसे सजाके सम्बन्धमें राय देनेकी इच्छा की। सरकारी वकीलने 'यद्गु इण्डिया' के लेखोंको दिखलाया और कहा, कि इन लेखोंका अभिप्राय स्पष्ट तौरसे राजविद्रोहका प्रचार करना तथा वर्त्तमान सरकारको नष्ट करना है। इसके बाद सरकारी वकीलने उन लेखोंका कुछ अंश पढ़ सुनाया जिसका अभिप्राय यही था, कि असहयोग, कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटीका प्रधान मन्त्र्य वर्त्तमान सरकारके प्रति अप्रीति फैलानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आपने यह भी बतलाया, कि यह लेख किसी अशिक्षित व्यक्तिका लिखा हुआ नहीं। अतएव कोर्ट स्वयं विचार कर सकती है, कि इन लेखोंका उद्देश्य क्या है? गत कुछ महीनोंकी ओर दृष्टिपात करनेसे इसका प्रमाण भी मिल सकता है। उदाहरणके लिये आपने चम्पई, मद्रास और चौरीचौराकी घटनाओंका उल्लेख किया, जिसमें कितने मनुष्य मारे तथा लूट लिये गये। यद्यपि इन लेखोंमें अहिंसाका उपदेश बारबार दिया गया है, किन्तु मैं नहीं समझता कि इससे क्या परिणाम निकल सकता है, जब कि अभियुक्त सरकारके विरुद्ध घृणा, अप्रीति फैलानेका यत्न

कर रहा है तथा इसको उजाड़ फेंकनेके लिये संवेसाधारणको उत्तेजित करना है।

महात्माजीका वयान ।

महात्माजीने पहले जवानी और उसके बाद जजके आह्वान-नुसार अपना लिखा हुआ वयान पढ़ सुनाया। आपने कहा कि सरकारी वकीलने मेरे ऊपर जो दोषारोपण किया है, वह नि-हायत ही यथेष्ट तथा उचित है। मैं कोर्टसे छिपाना नहीं चाहता, कि सरकारके प्रति घृणाका उपदेश करना मेरा स्वाभाविक कर्त्तव्य हो गया है। वकीलने ठीक कहा है कि सरकारकी वर्त्तमान प्रणालीके विरुद्ध घृणाका उपदेश देना "यद्ग इष्टिया"क साथ मेरा सम्बन्ध होनेके बहुत पहले से ही जारी है। इस दुःखमय कर्त्तव्य का पालन करनेके समयमैंने अच्छी तरहसे जान लिया था कि इसका सारा उत्तरदायित्व मेरे ही ऊपर अवलम्बित है। सरकारी वकीलने चम्बई मद्रास तथा चौरीचौराकी घटनाके सम्बन्धमें मेरे ऊपर जो दोषारोपण लगाया है, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। यदि मैं इस समय भी मुक्त कर दिया जाऊँ तो फिर सरकारके प्रति अग्नि उगलना आरम्भ कर दूँ। यद्यपि जनता कभी पागल हो उठती थी, तथापि मेरा प्राथमिक तथा अन्तिम लेखका भाव अहिंसात्मक था। इसी कारणमैं माजिसे कठिन दण्ड स्वीकार करता हूँ आप  करोगे कानगका उचित व्यवहार

वर्तमान सरकारकी प्रणाली तथा कानूनको बुरा समझते हैं, तो आपका कर्तव्य है, कि आप अपना पद त्यागकर सरकारके विरुद्ध प्रशस्त्र प्रचार करनेको उपदेश दें और यदि आप वर्तमान प्रणालीको अच्छा समझते हों, तो मुझे कडीसे कडी सजा देनेकी कृपा करें।”

जजका उत्तर

जजने महात्मा गांधीको सम्योधन करते हुए कहा कि, “आपने अपनेको अपराधी स्वीकार कर मेरा काम बहुत ही हलका कर दिया है। मुझे अब यही विचार करना है, कि सजाकी मियाद, कितनी और कैसी होनी चाहिये। यह बात स्पष्ट है, कि कानून किसी व्यक्तिकी प्रतिष्ठा नहीं करता। मैं इस बातको अस्वीकार नहीं कर सकता, कि अतक मुझे जितने मुकदमे देखने पडे हैं या आगे देखने पडेगे उन सर्वोंसे आपके मुकदमेकी अवस्था बिल्कुलही भिन्न है। इस बातको अस्वीकार करना असंभव है, कि आपके करोड़ देशवासी आपको एक बड़े देशभक्त तथा महान् नेताकी दृष्टिसे देखते हैं। यहातक कि जितने लोग राजनीतिक विचारमें आपसे मतभेद रखते हैं वे भी आपकी महत्ता तथा साधुतामें अदल विश्वास रखते हैं। यहाँपर मैं आपके प्रति कानूनके अनुसार एक साधारण मनुष्यके जैसा व्यवहार करनेको बाधित हूँ, अतएव आपने जिस अपराधको स्वीकार किया है उसके अनुसार आपको वण्ड देना ही पडे-

कीजिये अन्यथा आप भी अपना पद त्यागकर मेरे ही जैसे सरकारके प्रति घृणा तथा असहयोगकी शिक्षा दीजिये।" बयान समाप्त करते समय महात्माजीने कई कारणोंका उल्लेख किया, जिन्होंने उन्हें असहयोग व्रत धारण करनेके लिये विवश किया था। आपने कहा "भारतकी क्षतिपूर्ति करानेके लिये असहयोग एकमात्र यथेष्ट साधन है। नागरिकोंको स्वतन्त्रताके लिये ताजीरात हिन्दकी अन्यान्य राजनीतिक धाराओंमें धारा १२४ (अ) सर्वश्रेष्ठ है, जिसके अनुसार भाग्यवंशात् में अभियुक्त किया गया है। कानूनद्वारा प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि किसी मनुष्यके हृदयमें किसीके प्रति घृणा मालूम हो तो उसे पूरी स्वतन्त्रता है कि वह उस घृणाको सर्व साधारणमें स्पष्ट तौरसे प्रकट करे किन्तु जिस धाराके अन्तर्गत में और श्रियुक्त वैकर अभियुक्त किये गये हैं, उसके अनुसार घृणा प्रकट करना अपराध समझा जाता है। मैंने उक्त धाराके अन्तर्गत बहुत मुकदमोंकी जाच होते पढ़ा है और यह भी जानता हूँ, कि इसी धाराके अनुसार देशके बहुतसे मक्त कैद किये जा चुके हैं। मैंने अपनी धारणाका पूर्ण व्योरा सुना दिया है। मुझे व्यक्तिगत किसी कर्मचारी तथा विशेषकर सम्राट्के व्यक्तित्वके प्रति किसी प्रकारकी घृणा नहीं। जिस कार्यको मैं प्रत्येक नागरिकोंका मुख्य कर्तव्य समझता हूँ, वही कार्य कानूनकी दृष्टिसे अपराध समझा जाता है। इसलिये मैं प्रसन्नता पूर्वक कठिनसे कठिन दण्ड आमंत्रित करना चाहता हूँ। यदि

वर्त्तमान सरकारकी प्रणाली तथा कानूनको घुरा-समझते हैं, तो आपका कर्त्तव्य है, कि आप अपना पद त्यागकर सरकारके विरुद्ध अशब्दा प्रचार करनेका उपदेश दे और यदि आप वर्त्तमान प्रणालीको अच्छा समझते हों, तो मुझे कडीसे कडी सजा देने-की कृपा करें ।”

जजका उत्तर

जजने महात्मा गांधीको सम्योधन करते हुए कहा कि, “आपने अपनेको अपराधी स्वीकार कर मेरा काम बहुत ही हलका कर दिया है । मुझे अब यही विचार करना है, कि सजा-की मियाद कितनी और कैसी होनी चाहिये । यह बात स्पष्ट है, कि कानून किसी व्यक्तिकी प्रतिष्ठा नहीं करता । मैं इस बात-को अस्वीकार नहीं कर सकता, कि अबतक मुझे जितने मुक-दमे देखने पड़े हैं या आगे देखने पड़ेगे उन सर्वोंसे आपके मुक-दमेकी अवस्था, बिल्कुलही भिन्न है । इस बातको अस्वीकार करना असंभव है, कि आपके करोड़ देशवासी आपको एक बड़े-देशभक्त तथा महान् नेताकी दृष्टिसे देखते हैं । यहातक कि जितने लोग राजनीतिक-विचारमें-आपसे मनभेद रखते हैं वे भी आपकी महत्ता तथा साधुतामें अटल विश्वास रखते हैं । यहाँपर मैं आपके प्रति कानूनके अनुसार एक-साधारण, मनुष्यके वैसे व्यवहार करनेको बाधित हूँ, अतएव आपने जिस अपराध-को स्वीकार किया है उसके अनुसार आपको वण्ड देना ही पड़े-

गा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सर्वथा शांतिका उपदेश दिया है और कितने अवसरोंपर - आपने अपने उपदेशद्वारा हिंसाको रोक दिया है। पर आपके उपदेशोंको पढ़कर मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने इसकेद्वारा किस कार शांति स्थापित करनेकी कल्पना की है।

महात्माजीके लिखित वयान

मेरे ऊपर जो यह मुकदमा चलाया गया है उसके सब धर्ममें विशेषकर भारत तथा इङ्ग्लैण्डकी जनताके संतोषके लिये मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैं कट्टर राज भक्त होकर क्यों 'अवमननीय' असहयोगी बन गया। मैं अदालतको भी बतला देना उचित समझता हूँ, कि मैंने अपनेको भारतमें न्यायद्वारा स्थापित सरकारके विरुद्ध अश्रद्धा तथा अविश्वास प्रचार करनेको अपराधी क्यों प्रमाणित किया है? मेरा सार्वजनिक जीवन गत सन् १८६३ ई० में अफ्रिकाके अशान्तिमय वायुमण्डलमें आरम्भ हुआ। ब्रिटिश अधिकारियोंसे मेरा प्रथम-सम्बन्ध आनन्द-प्रद नहीं हुआ। मुझे जांचकरनेपर पता लगा, कि भारतीय होनेके कारण मुझे अनुप्योचित स्वत्वका हक प्राप्त नहीं। इससे मैं हताश नहीं हुआ। मैंने विचार किया, कि भारतीयोंके प्रति यह व्यवहार उस प्रणालीकी ज्यादाती प्रगट करता है, जो अनिवार्य रूपसे अच्छी है। मैं स्वेच्छापूर्वक सरकारको हार्दिक सहायता देता था और जहाँ कहीं श्रुति देखा,

वहाँ ही उसकी फडी आलोचना करता था। किन्तु फर्मी भी सरकारका नाश करना मेरा ध्येय नहीं रहा।

गत सन् १८६६ ई० में जब कि योअरोके द्वारा साम्राज्य पर बड़ी आपत्तिकी आशङ्का हो रही थी, उस समय मैंने सहायक खयसेवक सघ सङ्गठित कर सरकारकी सहायता की। इसके अतिरिक्त मैंने लेडी स्मिथ स्थानके कष्ट निवारक सम्बन्धी बहुतसे कामोंमें हाथ बटाय़ा था। सन् १६०६ ई० में जुलू विद्रोहमें मृत सैनिकोंकी सेवा करनेके लिये मैंने विद्रोहके अन्ततक सेवा की थी। - दोनों अवसरोंपर मुझे पुरस्कार स्वरूप तमगे दिये गये और खरातेमें भी मेरा उल्लेख किया गया। दक्षिण अफ्रिकामें मैंने जो काम किया था, उसके लिये लार्ड हाडिंजने मुझे कैसरे हिन्दका स्वर्णपदक प्रदान किया था। सन् १६१४ में जब कि इङ्ग्लैण्ड और जर्मनीके बीच युद्ध छिडा, उस समय मैंने इङ्ग्लैण्ड स्थित भारतीय विद्यार्थियोंका एक सहायक सङ्घ सङ्गठित किया, जिसकी कार्यवाही प्रायः सब अधिकारियोंकी दृष्टिमें अत्यन्त लाभदायक प्रतीत हुई थी। अन्तमें भारतवर्षमें जब लार्ड चेम्सफोर्डने सन् १६१७ ई० में दिल्लीकी युद्ध परिपद्धमें रंगरूट भरती होनेके लिये विशेष अपील की थी, उस समय मैंने अपने स्वास्थ्यकी कुछ भी परवा न कर दिन रात रङ्गरूट भरती करनेके लिये अटूट परिश्रम किया था। इन कार्यमें मुझे अच्छी सफलता भी हुई थी, किन्तु उस समय युद्धका अन्त हो गया था, और अधिक रङ्गरूट भरती करनेकी मनाही कर दी गई।

सरकारकी इतनी सेवा करनेका मेरा मुख्य उद्देश्य यही था, कि इसके द्वारा हमारे देशभाइयोंको साम्राज्यके अन्तर्गत अन्य औपनिवेशिकोंके समान आसन मिले। लेकिन इसके विपरीत ही पहला धक्का मुझे रौलट ऐक्ट द्वारा दिया गया, जिसने भारत-वासियोंकी सारी स्वतन्त्रता छीन ली। मैंने इसके विरुद्ध विस्तृत रूपसे आन्दोलन करना आरम्भ किया। इसके बाद जलियांवाला बागका हृदयविदारक दृश्य तथा जनताको पेटके बल रे गने और कोड़ेबाजी आदि अनेकों तरहका अप्रतिष्ठित, अमानुषिक व्यवहार भद्र नागरिकोंको भट किये गये। मैंने यह भी देखा कि प्रधान मन्त्रीने तुर्की तथा अन्य इस्लामिक धार्मिक स्थानोंके सम्बन्धमें जो आश्वासन दिया था वह भी कार्यरूपमें परिणत नहीं किया गया। गत सन् १९१६ ई० में अमृतसर कांग्रेसके पण्डालमें अपने कई एक मित्रके मना करनेपर भी मैंने माण्डेगू चेम्सफोर्ड-सुधार-बिलमें यथाशक्ति साहाय्य देता रहा। इससे मेरा अन्तिम अभिप्राय यही था, कि यद्यपि सुधार असन्तोषप्रद तथा निराशाजनक है, तथापि प्रधान मन्त्री खिलाफत तथा पञ्जाबके सम्बन्धमें कुछ अपनी नीति बदलनेकी कृपा करेंगे। किन्तु मेरी आशा पर पानी फिर गया। पञ्जाब हत्याकाण्डके सम्बन्धमें कुछ भी न्याय नहीं किया गया। बरन् उलटे ही हत्यारोंमें किसीकी वेतन वृद्धि हुई, किसीको भारतीय खजानेसे पेंशन मिली और किसीको पुरस्कार दिया गया।

मैंने यह भी देखा कि सुधार स्कीमसे कोई विशेष लाभ नहीं

हुआ है। इसके द्वारा केवल भारतीय जनको और अधिक मात्रामें पानीकी भाति बहाने तथा भाग तवासियोंको चिरकालके लिये गुलामीकी जञ्जीरमें जकड़ देनेहीके लिये सुधारका रूप खडा किया गया है। उपरोक्त बातोंसे मैंने यही साराश निकाला कि बृटिश सम्बन्धके कारण भारतकी आर्थिक तथा राजनीतिक दशा पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक असहाय हो गई है। मैंने यह भी देखा कि शस्त्रविहीन भारत इच्छा होनेपर भी किसी आक्रमणकारीका सामना करनेमें बिलकुल ही असमर्थ तथा शक्तिहीन हो गया है, यहा तक कि देशके सर्वश्रेष्ठ शिक्षित मनुष्योंको यह धारणा होने लगी, कि भारतको औपनिवेशिक नमानना प्राप्त करनेमें एक पाढोका समय लगेगा। बृटिश साम्राज्यके पूर्व भारतके करोड़ों भोपड़ियोंमें सूत कातने तथा चख चुननेकी प्रथा जारी थी। गृहका यह औद्योगिक व्यवसाय भारतके लिये अत्यावश्यक था, किन्तु इसका सवनाश किस निर्दयता तथा निन्दित उपायों द्वारा किया गया, उसका इतिहास अङ्गरेज दर्शकों द्वारा वर्णित किया गया है। शहरमें रहनेवाले नहीं जानते कि भारतीय जनता किस सख्यामें भूखसे पीडित हो प्रायः नित्य प्रति निर्जीव सी हो रही है। उन्हें इस बातका बहुत ही कम ज्ञान है कि उनकी घृणास्पद आनन्द सामग्री उस दलाली पर अवलम्बित है, जिसे वह विदेशी व्यवसायियोंका कार्या करनेके बदलेमें प्राप्त करते हैं। यह दलाली तथा लाभ भारतीय जनताके क्षुद्र आयसे ही शोषित किया जाता है। वे लोग

यह बात भी बहुत कम जानते हैं कि कानूनद्वारा स्थापित बृटिश सरकारका कर्तव्य जनताको उद्योगी तथा साहसी बनाना है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि संसारमें परमात्माकी स्थिति है तो इङ्ग्लैण्ड निवासी तथा भारतवर्षके शहरोंमें रहनेवाले, दोनों को उस परमात्माके सामने भारतीय अज्ञान जनताके प्रति इस अमानुषिक तथा हृदयशून्य आचरणके लिये उत्तरदायी होना पड़ेगा, जिसकी तुलना करनेके लिये संसारके इतिहासमें कोई हृष्टान्त नहीं मिल सकता। इस देशमें कानून भी विदेशी व्यवसायियोंके स्वार्थके अनुकूल ही बनाया गया है। मैंने पञ्जाबके फौजी कानूनके अन्तर्गत जितने मुकदमोंकी जांच की है, उनमें सैकड़े पीछे पञ्जानबेको अनुचित सजा दी गई है, जितने राजनैतिक सम्बन्धमें कैद किये गये हैं, उनमें प्रत्येक देशमें नव मनुष्यको बिना किसी अपराधके सजा दी गई है। उनका अपराध केवल देशभक्ति अथवा देशप्रेम ही है। भारतीय न्यायालयोंमें अङ्गरेजों और हिन्दुस्थानियोंके बीच जितने मुकदमे दायर किये जाते हैं उनमें सैकड़े पीछे निघानबे मुकदमोंमें अन्याय ही किया जाता है। मैंने इसमें कोई बात बढाकर नहीं कही है। प्रायः प्रत्येक भारतीय इस बातको जानता है, जिसे कभी ऐसे मुकदमेमें उलभनेकी सम्भावना हुई है कि चाहे जानते हुए अथवा अनजानमें कानून विदेशी साहसी औद्योगिकोंकी भलाईके लिये बेग्याकी तरह कार्योंमें परिणत किया जा रहा है।

भयभीत करनेकी प्रणाली

सबसे अभाग्यकी घात यह है, कि अंगरेज तथा उनके सहयोगी भारतीय शासक यह नहीं जानते कि वह शासनकी आड़में पाप कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ऊपर दिखाया है। मुझ सन्तोष है कि बहुतसे अंगरेज तथा उनके हिन्दुस्तानी शासकोंका हार्दिक विश्वास है कि वह भारतमें जिस प्रणालीके अनुसार शासन करते हैं उसकी गिनती सत्कारकी उत्तमोत्तम प्रणालियोंमें है और उनकी रायमें भारत धीरे धीरे उन्नतिके मार्गपर अग्रसर हो रहा है, किन्तु उन्हें यह मालूम नहीं कि एक ओर तो भयभीत दूसरी ओर बदला लेने तथा आत्मरक्षा करनेकी असमर्थताके भारतीय जनताको बिलकुल ही निर्जीव बना दिया है। इस भयंकर प्रथाने शासकोंकी अज्ञानता तथा अक्षमताको और भी बढ़ा दिया है।

१२४ वीं (अ)

१२४ वीं (अ) धारा अन्यान्य राजनैतिक धाराओंमें सर्वोच्च है, भाव्यवश मैं भी इसीका शिकार बना हुआ हूँ। इस धाराका मुख्य अमिप्राय जनताकी बढ़ती स्वतन्त्रताको कुचलना है। मेरी रायमें प्रेम कानून द्वारा नहीं उत्पादित किया जाता। जिसे जिसके प्रति घृणा हो, उसे यह प्रगट करनेमें पूर्णतः स्वतन्त्र है। इस धाराके अन्दर मैं और धीरुक्त बड़े-बड़े अमियुक्त फिये

गये हैं। इसी धाराके अनुसार भारतके सर्वश्रेष्ठ कितने देशभक्त जेलकी हवा खा रहे हैं।

घृणा एक धर्म है

मैंने अपने घृणाका सबव स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। मैं सम्राट् तथा किसी व्यक्तिके सम्बन्धमें घृणा नहीं करता परन्तु समझता हूँ, कि ऐसे सरकारके प्रति घृणा करना धर्म है, जिसने भारतके प्रति ऐसी बुराई की है जैसी पहले कभी नहीं की गई थी। मुझे विश्वास है कि असहयोगद्वारा मैंने इङ्ग्लैण्ड तथा भारतवर्षको उनकी अस्वभाविक दशाका ज्ञान कराकर बहुत लाभ पहुंचाया है।

असहयोग एक कर्तव्य है

मेरी रायमें बुराईके साथ असहयोगका उतना ही कर्तव्य है, जितना भलाईके साथ। सहयोगपर भूतकालमें हानिकर्ताके ऊपर जोर जुलूम करके असहयोग प्रकाश किया गया है। मैं अपने देशवासियोंको यह दिखाना चाहता हूँ, कि "हिंसात्मक असहयोग बुराईको केवल वृद्धि करता है और बुराईको समर्थन न करनेके लिये हिंसासे बिलकुल अलग रहना पड़ेगा। अहिंसा स्वीकार करनेसे बुराईके साथ असहयोग करनेके लिये जो दण्ड दिया जाता है, उसे स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करना पड़ता है। मैं यहां कड़ीसे कड़ी सजा लेने और भुगतनेके लिये तैयार हूँ, क्योंकि जो कानून सुविवेचित अपराध है, वह मुझे एक

नागरिकका प्रधान कर्तव्य शांत होता है। आपके लिये एक ही मार्ग है। आप इस पदसे इस्तीफा देकर इस बुराईसे अलग हो जाय यदि आप समझते हो, कि जिस कानूनका आप प्रयोग करने बैठे हैं, वह एक बुराई है और मैं वस्तुतः निर्दोष हूँ। अगर आपका विश्वास है, कि जिस कानूनमें आप सहायता दे रहे हैं या जो कानून इस देशके निवासियोंके लिये हितकर है और मेरे कार्यवाही सार्वजनिक भलाईके लिये हानिकर है, तो वह कानून जहातक आपकी सहायता कर सके वहातक आप मुझे कड़ी सजा दें।”

मुकदमेका फैसला।

म० गांधीका चयान सुनकर जजने कहा कि “शायद प्रत्येक मनुष्य इस बातमें विश्वास करेगा—कि कोई सरकार महात्मा गान्धी जैसे व्यक्तिको स्वतन्त्र नहीं छोड़ सकती। मैं समझता हूँ कि आजके चारह वर्ष पहले जिस धाराके अनुसार लोकमान्य बालगङ्गाधर तिलक अभियुक्त हुए थे, उसी स्थितिमें महात्मा गांधी भी अभियुक्त हुए हैं। अतएव मैं श्रीयुक्त लोकमान्य जैसा महात्मा गांधीको भी छ वर्षकी सादी कैदकी सजा देता हूँ। आपपर तीन अभियोग लगाये गये थे और प्रत्येक अभियोगके लिये दोही वर्षकी कैदकी सजा देता हूँ। तीनों सजा लगातार

भुगतनी पढेगी। यदि भारतकी स्थितिका प्रवाह ऐसा हो जाय कि आपकी सजा कम कर दी जाय अथवा आप मुक्त कर दिये जाय, तो मुझे बढकर किसी को अधिक प्रसन्नना नहीं होगी।” तदुपरान्त महात्मा गांधीने अपने स्थानसे उठकर कहा, “आपने लोकमान्य तिलकके मुकदमेके साथ मेरे मुकदमेकी समता देकर मुझे बहुत ही गौरवान्वित किया है। आपने जो सजा दी है, उससे कम सजा कोई दूसरा जज दे ही नहीं सकता। अदालतने जितना सद्भाव प्रदर्शित किया है, उससे बढकर अन्य किसी अदालतसे आशा ही नहीं की जा सकती।”

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

जनरल भेरुवान सेठिया

जैन म्हालय



स्थायी ग्राहकोंकी आवश्यकता

इतनी सस्ती पुस्तक प्रकाशित करनेपर भी हमें स्थायी ग्राहकोंकी खोज है, इससे कदाचित् लोग चकित होंगे। इसलिये हम यहांपर यह लिख देना चाहते हैं कि हम स्थायी ग्राहक क्यों चाहते हैं। मूल लागतपर पुस्तक निकालकर भी हमको सन्तोष नहीं हो रहा है, क्योंकि पुस्तक बेचनेवाले विना भरपूर कमीशनके किताब बेचना नहीं चाहते। इच्छा न रहनेपर भी हमें बाध्य होकर कमीशनका यह भार पाठकोंके सिरपर मढ़ना पड़ता है। यदि उचित सव्यामें हमारी सीरीजके स्थायी ग्राहक हो जाय तो हम मूल्यमें और सुविधा कर सकेंगे।

१) स्थायी ग्राहक श्रेणीमें नाम लिखानेके लिये ॥) प्रवेश फीस देना पड़ेगा।

२) स्थायी ग्राहकको मालाकी पूर्व प्रकाशित पुस्तकोंके लेने न लेनेका पूर्ण अधिकार रहेगा पर ग्राहक होनेके बादकी प्रकाशित सभी पुस्तकें लेना पड़ेगा।

(३) सालमें प्राय. ६ पुस्तकें प्रकाशित की जायगी। इससे अधिक पुस्तकें भी प्रकाशित हो सकती हैं।

(४) प्रकाशित होनेपर पुस्तकोंकी सूचना मात्र दे दी जायगी सूचनाके १५ दिन बाद वी० पी० खाना कर दी जायगी।

(५) जो लोग वी० पी० वापिस करेंगे उनका नाम स्थायी ग्राहकोंकी श्रेणीसे निकाल दिया जायगा। फिर ग्राहक होनेके लिये उन्हें लीटाई हुई वी० पी० का छर्च देना पड़ेगा और उसे स्वीकार करना होगा।

(६) स्थायी ग्राहकोंको पुस्तकी कीमत पर ५) रुपये कमीशन दिया जायेगा।

सुलभ साहित्य सीरीजका उद्देश्य



- (१) हिन्दीमें सभी उपयोगी विषयोंपर पुस्तकें लिखवाना तथा अनुवाद करवाना और उन्हें प्रकाशित करना ।
- (२) तत्कालीनोपयोगी तथा क्षणिक लाभकी पुस्तकोंपर ध्यान न देकर स्थायी साहित्यका ही प्रकाशन करना ।
- (३) व्यवसाय आदि जिन विषयोंपर अभी पुस्तकें नहीं निकली हैं उनके लिये यत्न करना और पुस्तके लिखवाना ।
- (४) पुस्तकोंका मूल्य इतना सुलभ रखना जिससे साधारण हैसियतका आदमी भी उनसे लाभ उठा सके ।
- (५) प्रकाशनमें हिन्दी भाषा, देश तथा समाजके कल्याण पर विशेष ध्यान रखना ।

बडाबाजार कुमार सभाका उद्देश्य

- १—परस्पर सद्भाव व मैत्री स्थापित करना ।
- २—शारीरिक तथा मानसिक उन्नति करने हुए देश व समाजकी सेवा करना । विशेषकर स्वदेशी वस्तुओंके प्रचारकी चेष्टा करना ।
- ३—समाजमें शिक्षा प्रचारके लिये पुस्तकालय खोलना, व्याख्यान आदि दिलवाना तथा ज्ञानवर्धक विभाग खोलना, जिसमें प्रकाशन आदि रहेंगे ।

